2/3/85

लोक सभा वाद-विवाद

हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 17 अप्रैल, 1984/28 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 12, पंक्ति 15 और पंक्ति 16 के बीच शीर्षक "रेल डाक सेवा विंग में शार्ट ह्यूटो माटिंग असिस्टेंट" का खाया जाना अंत: स्थापित कीजिये

पृष्ठ 13, पंक्ति 1 और 20, "प्रेमिला" के स्थान पर "प्रमिला" पढ़िये।

पृष्ठ 17, पंक्ति 11, "श्री ए0के0 स्वामी" के स्थान पर "श्री के0ए0.स्वामी" पढ़िये।

पृष्ठ 30, "विवरण-3" के स्थान पर "विवरण- 2" पढ़िये।

पृष्ठ 31, नीचे से पंक्ति 2, "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा पढ़िये।

पृष्ठ 39, पंक्ति 8, "(क)" के स्थान पर "(क) से (ङ)" पढ़िये।

पृष्ठ 41, पंक्ति 3, "श्री शिवचरण वर्मा" के स्थान पर "श्री शिवशरण वर्मा पढ़िये।

पृष्ठ 55, पंक्ति 10 और 11 के बीच अर्थात् संख्या 56 और 57 के बीच, शीर्षक "हिन्दी" अंत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 102, नीचे से पंक्ति 4, "असिस्टेंड" के स्थान पर "असिस्टेंट" पढ़िये।

पृष्ठ 103, नीचे से पंक्ति 3, "दूरदर्शन" के स्थान पर "दूरदर्शन" पढ़िये।

पृष्ठ 117, पंक्ति 14, "डागोर" के स्थान पर "डामोर" पढ़िये।

पृष्ठ 122, पंक्ति 1, "ब्रहुराष्ट्रीय" के स्थान पर "बहुराष्ट्रीय" पढ़िये।

पृष्ठ 124, पंक्ति 20, "श्री रसोद मसूद" के स्थान पर "श्री रशोद मसूद" पढ़िये.

पृष्ठ 222, पंक्ति 2, "रामुलु" के बदले "मुल्लु" अंत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 251, पंक्ति 2, "जैनल" के स्थान पर "जैनुल" पढिये।

पृष्ठ 255, पंक्ति 6, "जोड़ना" के स्थान पर "जोड़ना" पढ़िये ।

पृष्ठ 264, पंक्ति 22, "श्री भोनसिंह" के स्थान पर "श्री भोमसिंह" पढ़िये

पृष्ठ 268, नीचे से पंक्ति 6, "उड़ीसा" के स्थान पर "उड़िया" पढ़िये ।

पृष्ठ 274, पंक्ति 18 के पश्चात् बाईं ओर "12·00मध्याह्न" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 276, पंक्ति 11, "रामुलु" के बाद "मल्लु" अंत: स्थापित कीजिये ।

पृष्ठ 276, पंक्ति 20, "संख्या एल०टी० 8/61/85" के स्थान पर "एल०टी० 8161/84" पढ़िये ।

पृष्ठ 277, पंक्ति 9, संख्या "एल०टी० 8164/85" के स्थान पर "8164/84 पढ़िये ।

पृष्ठ 278, पंक्ति 19, संख्या "एल०टी०8182/84" के स्थान पर "एल०टी० 8172/84" पढ़िये ।

पृष्ठ 281, पंक्ति नीचे से 5, अध्यक्ष" के स्थान पर "उपाध्यक्ष" पढ़िये

पृष्ठ 282, पंक्ति 18, "पनत्त" के स्थान पर "पत्तन" पढ़िये ।

पृष्ठ 313, पंक्ति 13, "श्री सत्यदेव सिंह" के बाद "{छपरा}" अंत: स्थापित कीजिये।

पृष्ठ 313, पंक्ति 19, "माननीय सभापति" के स्थान पर "सभापति महोदय" अंत: स्थापित करिये ।

पृष्ठ 369, पंक्ति 13, "{डिन्डल}" के स्थान पर "{डिन्डगल}" पढिये ।

विषय-सूची

अंक 37, मंगलवार, 17 अप्रैल, 1984/28 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 700, 702, 706, 707, 711 और 712	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—276
*तारांकित प्रश्न संख्या : 701, 703 से 705, 708 से 710 और 713 से 719	21—35
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7710 से 7845, 7847 से 7903 और 7905 से 7941	35—274
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	276—278
प्राक्कलन समिति	279
77वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश तथा की गई कार्यवाही के बारे में	
63वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किए गए	
रेल अभिसमय समिति	279
11वां प्रतिवेदन—प्रस्तुत किया गया	
पंजाब में रेल स्टेशनों को जलाए जाने तथा अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में वक्तव्य	279—281
श्री प्रकाश चन्द्र सेठी	
नियम 377 के अधीन मामले	281—283
(एक) उड़ीसा राज्य को मिट्टी का तेल तुरन्त सप्लाई करना	281—282
श्री चिन्तामणि जेना	
(दो) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के चांदबाली पत्तन का विकास	282—283
श्री अर्जुन सेठी	

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(तीन) खुर्दा और पुरी के बीच की रेल लाइन को दोहरा करने का कार्य शीघ्र पूरा करना 283
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

(चार) बीकानेर में एक नया रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता 283
श्री वृद्धि चन्द्र जैन

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85 284—356

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

श्री विष्णु प्रसाद 284
श्री दौलत राम सारण 288
श्री के० टी० कोसलराम 292
श्री वृद्धि चन्द्र जैन 294
श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन 298
श्री गिरधारी लाल व्यास 301
श्री कमला मिश्र मधुकर 306
श्री मूलचंद डागा 309
श्री रामलाल राही 310
श्रीमती विद्या चेन्नुपति 315
श्री सत्यनारायण जटिया 317
श्री काली चरण शर्मा 320
श्री एस० टी० के० जक्कायन 322
श्री पी० नामग्याल 324
श्री रामावतार शास्त्री 326
प्रो० एन० जी० रंगा 329
श्री एच० के० एल० भगत 332

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85 357—375

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय

श्री मोहम्मद इस्माइल 359
प्रो० एन० जी० रंगा 364

श्री जगन्नाथ पाटिल 365
श्री एम० अरूणाचलम 367
श्री० के० मायातेवर 369
श्री के० ए० राजन 370
श्री ए० के० राय 370
श्री वीरेन्द्र पाटिल 371

अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1984-85 376-384
रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि, आदि

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1984 385-389
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव
श्री प्रणव मुखर्जी 385
विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री प्रणव मुखर्जी 388
श्री रामावतार शास्त्री 389
खंड 2 से 4 तथा 1
पास करने के लिए प्रस्ताव
श्री प्रणव मुखर्जी 389
प्रो० एन० जी० रंगा 389

लोक सभा

मंगलवार, 17 अप्रैल, 1984/28 चैत्र, 1906 (शक)

लोकसभा म० पू० 11.05 पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए नियम

*700. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**

श्री मनोहर लाल सैनी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का आबंटन करने के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं;

(ख) क्या इन एजेंसियों का आबंटन करने के लिए कतिपय मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर नियम बनाए जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन नियमों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पैट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्णी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मार्ग-निर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें सभा पटल पर रखे गये विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. डीलरों का चयन, संबद्ध क्षेत्र में अधिकतम चलन वाले प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित करने के बाद, एक चयन बोर्ड द्वारा किया जायेगा जिससे उच्च न्यायालय का एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश और एक सेवा-निवृत्त असैनिक अधिकारी शामिल होगा।

2. विभिन्न श्रेणियों के लिए डीलरशिपों के आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार है :—

(i)	अनुसूचित जाति/जनजाति	25%
(ii)	बेरोजगार स्नातक	25%
(iii)	शारीरिक रूप से अपंग जिसमें ड्यूटी पर अपंग होने वाले सरकारी कर्मचारी और ड्यूटी के दौरान मरने वाले सरकारी कर्मचारियों की विधवाएं शामिल हैं	15%
(iv)	स्वतंत्रता सैनानी	5%
(v)	अन्य	30%

3. आवेदक को संबंधित जिले का निवासी होना चाहिए।

4. आवेदक, उसके माता-पिता/पत्नी/पति/बच्चों की आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

5. उम्मीदवार अथवा उनके किसी नजदीकी रिश्तेदार के पास किसी भी तेल कम्पनी के पैट्रोलियम उत्पादकों की एजेन्सी नहीं होनी चाहिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय, उच्च शक्ति वाले चयन-बोर्ड का गठन यह दर्शाता है कि मनमानी को रोकने की सरकार को काफी चिन्ता है। किन्तु निर्देशों और समाचार-पत्रों में प्रकाशित रिपोर्टों को पढ़ने से ऐसा लगता है कि बेईमानी और राजनीतिक दबाव के कारण अनियमितताएं होती हैं, उससे बचने के लिए मंत्री महोदय पर्याप्य व्यवस्था नहीं की है। क्या माननीय मंत्री इससे अवगत हैं कि विज्ञापन के बाद आवेदकों का साक्षात्कार किया जाता है और उन्हें श्रेणी-बद्ध किया जाता है। छानबीन समिति उनका साक्षात्कार लेती है और श्रेणी सहित उनकी एक सूची तैयार की जाती है। एक साक्षात्कार फिर होता है और सूची की पुष्टि की जाती है। इस पुष्टि के बाद भी ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जिनमें जिन लोगों के नाम सूची में पहले स्थान पर रखे गए थे उनकी उपेक्षा की गयी और अन्तिम घड़ी में उनकी अवहेलना कर डीलरशीप ऐसे लोगों को दे दी गयी जिनका नाम सूची में नीचे था ? क्या वह जानते हैं कि प्रभावित पक्ष इस मुद्दे पर न्यायालय गये और कुछ तेल कम्पनियों ने न्यायालय से निवेदन किया कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पीछे कोई सांविधिक शक्ति नहीं है तथा एजेन्सियों का आबंटन करने के लिए कम्पनियां अपने प्रशासनिक विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं।

न्यायालय ने, कम से कम, एक मामले में—मेरे पास निर्णय की प्रति है—मथुरा मामले में, निर्णय दिया कि साक्ष्य से यह पता चलता है कि प्रतिवादी पर कुछ ऐसे बाहरी दबाव पड़े जिसके कारण उसने याचिकाकर्त्ता के स्थान पर प्रतिवादी सं० 2 को एजेंसी दे दी।

"यह राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव हो सकता है" और यह स्पष्टत: "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19(i) आदि का उल्लंघन है।"

इस बात के प्रकाश में, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं :

(क) क्या उनका और सरकार का यह विचार है कि मार्गदर्शी सिद्धातों के पीछे कोई सांविधिक शक्ति नहीं है और कम्पनियां अपने प्रशासनिक विवेक का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(ख) न्यायालय द्वारा की गयी कुछ आलोचना के प्रकाश में क्या वह उपायों को और अधिक कारगर बनाएंगे ताकि राजनीतिक दबाव के कारण वह डांवाडोल न हो सकें ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : अध्यक्ष महोदय, मार्ग निर्देश बहुत-सी कम्पनियों से परामर्श करने के बाद ही बनाए गए हैं। निस्संदेह यह सच है कि उनके पीछे कोई सांविधिक शक्ति नहीं है क्योंकि ये मामले कम्पनी से सम्बद्ध हैं। किन्तु किसी भी कम्पनी को यह अनुमति भी नहीं है कि वे इस बात का बहाना बनाएं कि मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पीछे कोई सांविधिक शक्ति नहीं है, अत: वे उनका पालन नहीं करेंगी। वास्तव में, स्थिति यह है कि एक मामला मेरे ध्यान में आया जिसमें इस बात के बावजूद भी कि कोई विशेष व्यक्ति सं० 1 पर था सं० 2 वाले व्यक्ति को आशय पत्र इस आधार पर दिया गया था कि सं० 2 वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की गयी सुविधायें सं० 1 वाले व्यक्ति की तुलना में अच्छी थीं।

वास्तव में, मैंने अनुभव किया कि यह सरासर मनमानी थी। मैंने वह फाइल मंगायी और उस मामले पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि जिस व्यक्ति को सं० 1 दी जाती है उसे ही डीलरशिप दी जाती है केवल तभी दूसरे व्यक्ति को डीलरशिप दी जा सकती है जब पहला व्यक्ति पर्याप्त समय दिए जाने पर भी एजेंसी के लिए निवेश करने की स्थिति में न हो। जब पहला व्यक्ति अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा न कर पाएं केवल तभी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचा जाता है। किन्तु माननीय सदस्य द्वारा उल्लेख किए गए मामलों के सम्बन्ध में, यदि किसी भी माननीय सदस्य को इस प्रकार की जानकारी है, तो वह मुझे बताएं, मैं ऐसे मामलों को जानकर उनका आभारी रहूंगा और मैं उन मामलों की जांच कर सकता हूं। वास्तव में, जहां भी इस प्रकार के मामले ध्यान में आये हैं, हमने उन्हें ठीक किया है।

मैं एक पहलू के बारे में और बताना चाहूंगा कि कम्पनियां--यह अभी मेरी जानकारी में आया है--न्यायालय में यह मुद्दा उठा रही हैं कि यह केवल मार्गदर्शी सिद्धांत है, इसके साथ कोई सांविधिक शक्ति नहीं है और इसीलिए वे उससे बंधी हुई नहीं हैं। मैं उन कम्पनियों को इस बारे में आवश्यक अनुदेश जारी करूंगा कि वे इस प्रकार की आड़ नहीं लेंगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : और वे इस प्रकार की निरर्थक अपीलें भी नहीं करेंगी जो वे करती हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : तब आप क्या करेंगे ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे पास बहुत सारे मुवक्किल हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : उनके पास और भी अच्छे मुवक्किल हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी सरकार सहित बहुत से मामलों में मैं उनकी सरकार का बचाव भी करता रहा हूं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें वकीलों से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि वकील अधिक धन कमा रहे हैं ।

श्री पी० शिव शंकर : निस्संदेह, अपने दो मित्रों से, जो आजकल खूब पैसा बना रहे हैं, मुझे तनिक ईर्ष्या हो रही है ।

एक माननीय सदस्य : आप भी एक भूतपूर्व न्यायाधीश हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप मार्क्सवादी हैं, तो आप जितना पैसा चाहे बना सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अपनी योग्यता द्वारा, छद्म-स्वामियों की चालबाजियों से नहीं ।

श्री पी० शिव शंकर : यदि श्री सोमनाथ चटर्जी का डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के साथ मुकाबला होता है तो वे उनके सामने नहीं टिकेंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं वकील नहीं हूं ।

श्री पी० शिव शंकर : मथुरा के मामले के बारे में, मैं कह सकता हूं कि डीलरशिप समाज-सेवा श्रेणी के अन्तर्गत दी गयी थी । सं० 1 वाले व्यक्ति के बारे में कम्पनी द्वारा जांच की गयी थी और कुछ जानकारी मिली थी जिसके आधार पर यह अनुभव किया था कि सं० 1 वाले व्यक्ति को डीलरशिप नहीं दी जानी चाहिए । वास्तव में, मैंने उस मामले की फाइल मंगायी थी क्योंकि मैं वास्तविक स्थिति जानना चाहता था । कम्पनी ने अपने कारण दिए थे । मैं माननीय सदस्यों की बात का उत्तर देने के लिए तैयार हूं । किन्तु कुछ बातें ऐसी हैं, जिन्हें मैं सार्वजनिक रूप से नहीं बता सकता हूं । फाइल और कम्पनी द्वारा दिए गए कारणों को पढ़ने के बाद, मैंने पाया, कि इस प्रकार से भी कोई निर्णय ले सकता था जिस प्रकार का नं० 2 वाले व्यक्ति को डीलरशिप देने का कम्पनी ने निर्णय लिया जिसके परिणामस्वरूप मामला न्यायालय में ले जाया गया था ।

मैं समझता हूं कि यह उप-न्यायाधीश के अधीन था, जिन्होंने एक निषेध याचिका को अस्वीकार करते हुए व्यावहारिक रूप से निर्णय किया और कुछ टिप्पणियां कीं, जिसकी ओर मेरे

माननीय मित्र ने भी संकेत किया। मैं केवल इस पर खेद ही प्रकट कर सकता हूं। यह एक ऐसा मामला था जिसमें उन्होंने साक्ष्य प्रमाण आदि पर विचार करने के बाद ही किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था। किन्तु मैं इसके विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। इसके बारे में कुछ टिप्पणियां की गयी हैं। कुछ समय पहले वह मेरे ध्यान में लाई गयी थीं। किन्तु यह ऐसा मामला है जिस पर ध्यान दिया जाएगा।

मैं निवेदन करूंगा कि जहां तक सं० 1 वाले व्यक्ति की उपेक्षा करने का सम्बन्ध है, मैंने पाया कि ऐसा करने के आधार थे। मैंने स्वयं इसकी कोई विस्तृत जांच नहीं की थी किन्तु मेरे ध्यान में जो रिकार्ड लाया गया उसके आधार पर मैं यह बात कह रहा हूं।

मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि हम यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्यता के आधार पर ही चयन किया जाता है, विशेषकर जब चयन बोर्ड कोई निर्णय लेता है, सभी संभव निवारक उपाय किए जायें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि एक ही घटना विशेष को इतना लम्बा खींचा जाए विशेषकर जब माननीय मंत्री आश्वासन दे चुके हैं कि वह यह देखेंगे कि कम्पनियां यह दलील न दें कि इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पीछे कोई सांविधिक अनुदेशों जैसी शक्ति नहीं है। माननीय मंत्री एक प्रतिष्ठित भूतपूर्व विधि मंत्री रहे हैं और इसीलिए उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को जानते हैं जो कहते हैं कि उनके पास सांविधिक आदेशों जैसी शक्ति है। अब उनको उद्धृत करने का मेरा विचार नहीं है।

फिर भी, मेरे प्रश्न के भाग (ख) के दिए गए उत्तर के बारे में एक प्रश्न उठता है। अदक्षता, कृत्रिम कमी पैदा करना, भ्रष्टाचार, बनावटी कमी पैदा करके पैसा बनाना और अशिष्टता तथा चालाकी से पैसे बनाने की शिकायतों के अनगिनत उदाहरण हैं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के कई बार इन शिकायतों के बारे में बताया है और सुझाव दिया है कि जब ठेका दिया जा रहा हो तो उपभोक्ता की संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए भी उचित प्रावधान होना चाहिए।

माननीय मंत्री द्वारा बतायी गयी श्रेणियों को देखने के बाद मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार ने उपभोक्ता सहकारी समितियों अथवा बस्तियों में इस प्रकार की वस्तुएं बेचने में लगी हुई समितियों के लिए कुछ प्रतिशत डीलरशिप आरक्षित करने के बारे में विचार किया है ताकि उपभोक्ता सहकारी समितियों की सहायता लेकर व्यक्तिगत मुनाफ़ाखोरी की सम्भावनाओं को सीमित किया जा सके।

श्री पी० शिव शंकर : मैं निवेदन करूंगा कि संविदा में पहले ही एक ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि डीलर कोई बेईमानी करते पाया गया तो डीलरशिप स्वयंमेव समाप्त हो सकती है। विभिन्न मामलों में, निलम्बन और डीलरशिप की समाप्ति की गयी है।

मैं यह भी जानता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों ने भी शिकायतें की हैं। उन शिकायतों पर ध्यान दिया गया है।

उपभोक्ता समितियों को प्राथमिकता देने के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में एक योजना तैयार की गयी थी, हमने सोचा कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिए, कुछ प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए। इसलिए हमने बेरोजगार स्नातकों आदि जैसे व्यक्तियों के लिए कुछ प्रावधान किया।

माननीय सदस्यों ने यह सुझाव कई बार दिया कि उपभोक्ता सहकारी समितियों को भी प्राथमिकता दी जाए।

वास्तव में, मंत्रालय यह विचार कर रहा है कि यदि कुछ बेरोजगार स्नातकों ने कोई सहकारी समिति बनाई हो तो उसे प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि इससे योग्य बेरोजगार युवकों की सहायता भी होगी।

मैं सामान्य सहकारी समितियों को बनाए जाने के विरुद्ध हूं। वास्तव में, यदि सामान्य सहकारी समितियां बनाए जाने के मार्ग में कोई बाधा डालता है तो वह मैं ही हूं। मेरा आशय यह है कि यदि सामान्य सहकारी समिति बनायी जाती है तो उससे बेरोजगारों के लिए रोजगार ढूंढने की जो योजना चलायी गयी है, उस पर प्रभाव पड़ेगा।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि जहां कहीं यह बेरोजगार स्नातकों या विकलांगों का मामला हो, जो आरक्षण कोटे के अंतर्गत आते हैं, जो कुल मिलाकर 70% या खुले कोटे का भी 30% है, यदि उनके ऐसे उचित ग्रुप हों जो सहकारी आंदोलन चला सकते हों, तो शायद उन्हें तरजीह देने का अच्छा आधार है और मैं इस पर अवश्य विचार करूंगा।

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष जी, जो विवरण सभा पटल पर रखा गया है और गाइड-लाइन्स दी हैं, मैं जानना चाहता हूं यह गाइडलाइन्स किस तारीख से लागू हैं, और जो कैटेगरीज़ दी गई हैं उनकी पिछले 3 सालों में कितनी-कितनी एजेंसी कैटेगरीवाइज़ दी गई है ? और क्या यह सही है कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स और अनरेमप्लायड ग्रेजुएट्स की जो एजेन्सीज दी जाती हैं उनमें सिलैंडर्स की तादाद और कैटेगरीज़ के मुकाबले बहुत कम होती है। यह बुरा है या अच्छा यह तो मंत्री जी बतायेंगे, लेकिन सिलैंडर्स की तादाद कितनी है यह बतायें ? और साथ ही जो 5 नम्बर की गाइडलाइन्स में जिक्र किया है कि उस ऐप्लीकैंट के पास या उसके रिश्तेदार के पास अदर पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कोई एजेंसीज नहीं होनी चाहियें, लेकिन देखने में यह आया है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वह गैस कनेक्शन देते वक्त इनसिस्ट करते हैं कि चूल्हा उनसे खरीदें। तो क्या 5 नम्बर की गाइडलाइन में यह भी शर्त लगायेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वह इन ऐक्ससरीज़ को न बेचें क्योंकि इनमें वह 200 रु० से लेकर 500 रु० तक अधिक वसूल करते हैं तो 5 नम्बर की गाइड-

लाइन मे कोई इस तरह का संशोधन आप करने जा रहे हैं और खासतौर से हमारे हरियाणा में और गुड़गांव में यह हो रहा है···

श्री एन० के० शेजवलकर : सभी जगह हो रहा है, मैंने इस बारे में पत्र भी लिखा है।

श्री मनोहरलाल सैनी : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि ऐसा सभी जगह हो रहा है। इसलिये जो मैंने पोइंट्स अपने सवाल में उठाये हैं मंत्री जी कृपया उनका उत्तर दें।

श्री पी० शिव शंकर : मौजूदा दिशानिर्देश 9 फरवरी, 1983 से प्रभावी हैं। मेरे पास इस बारे में ब्यौरा नहीं है कि पिछले तीन वर्षों में कौन से वर्ग को कितनी डीलरशिप दी गईं। हां, मेरे पास इस सम्बन्ध में ब्यौरा है कि दी गई डीलरशिप्स की कुल संख्या कितनी है और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को कितनी दी गईं। वास्तव में 1983 के अन्त तक— मैं केवल तीन वर्ष के लिए नहीं बल्कि कुछ अधिक वर्षों का ब्यौरा दे रहा हूं— 1977-78 से 1982-83 तक कुल 657 डीलरशिप्स दी गईं, जिनमें से 164 अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों को दी गईं जो 25 प्रतिशत बैठती हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : स्वतंत्रता सैनानियों को कितनी दी गईं ? ··· (**व्यवधान**)

श्री पी० शिव शंकर : मैं पहले ही कह चुका हूं कि मेरे पास विभिन्न वर्गों के आंकड़े नहीं हैं। इस समय मेरे पास अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित आंकड़े थे, जो मैंने दे दिए हैं। मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह सच है कि कुछ वर्षों में यह कोटा कुछ कम रहा है लेकिन बाद के वर्षों में यह कमी पूरी कर दी गई है। वास्तव में, 1982-83 में हमने अनुसूचित जातियों के अंतर्गत 30.1 प्रतिशत कोटा दिया है क्योंकि इससे पहले यह कुछ कम था और हम इसे पूरा करना चाहते थे, ताकि यह 25 प्रतिशत बना रहे। यह है स्थिति। लेकिन, चूंकि माननीय सदस्य विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा मांग रहे हैं, मैं जानकारी शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दूंगा ताकि वे इसे देख सकें।

वितरकों द्वारा ग्राहकों को चूल्हा खरीदने के लिए विवश करने के प्रश्न पर मैं कहूंगा कि यह समस्या अखिल भारतीय है। यह हरियाणा तक सीमित नहीं है···(**व्यवधान**)

यह एक ऐसा मामला है जिसमें निर्माताओं के वितरकों के साथ ठेके होते हैं। हम यह देखने का प्रयास करते आ रहे हैं कि यदि कोई वितरक किसी को इस बात के लिए मजबूर करता है कि वह चूल्हा उसी से खरीदे और यदि ऐसी शिकायत हमारे पास आती है, तो हम जांच करते हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं। मंत्रालय में हम ऐसी युक्ति निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं जिससे हम इस अवपीड़क प्रक्रिया को रोक सकें। आज तक हम इसमें सफल नहीं हो पाए हैं तथा यह सभी जगह हो रहा है। दरअसल, मुझे बताया गया है कि काफी वितरक कीमत भी कुछ अधिक वसूल कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

श्रीमती प्रमिला दंडवते : 200 रुपए।

श्री पी० शिव शंकर : शायद ऐसा ही है। मैं इस कथन को मानने के लिए तैयार हूं क्योंकि ऐसी शिकायतें मेरे पास आ रही हैं।

जब मैं इसकी जांच-पड़ताल करने का प्रयास कर रहा था और जब मैंने अपने सतर्कता कक्ष को वहां जाकर इसका पता लगाने के लिए कहा तो, दुर्भाग्यवश, साक्ष्य नहीं मिला क्योंकि सम्भवत: ग्राहक इस बात से डर रहे थे कि यदि उन्होंने गवाही दी, तो यह व्यक्ति भविष्य में उन्हें सिलिंडर देने में समस्याएं पैदा करेगा। यह काफी सम्भव हैं। मैं इसे पूरी तरह समझता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं भी इसका शिकार हूं।

श्री पी० शिव शंकर : यदि एक संसद सदस्य के साथ यह कुछ हो रहा है तो आम आदमी की स्थिति तो और भी बदतर होगी।

मैं माननीय सदस्यों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि मैं सारे देश में व्याप्त इस स्थिति से अवगत हूं और हम इसे प्रभावी ढंग से रोकने के रास्ते निकालने का प्रयत्न करेंगे।

श्री मनोहर लाल सैनी : आप यह नियम क्यों नहीं बना देते कि जो लोग गैस कनैक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें चूल्हा खरीदने की आवश्यकता नहीं है ?

श्री पी० शिव शंकर : मैं स्वयं कह चुका हूं कि इसे रोकने के लिए तरीके निकाले जाएंगे। मैं पहले ही कह चुका हूं। शायद आपका एक सुझाव भी इसका एक अंग बनेगा।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने भी इस बारे में आपको एक पत्र लिखा है, लेकिन कार्यवाही उतनी जल्दी नहीं की जाती जितनी जल्दी की जानी चाहिए। जिस बात का मुझे डर है वह यह है कि इस मामले में स्थानीय अधिकारी भी मिले रहते हैं। वे इसे इतना गम्भीर नहीं मानते। यदि आप कुछ दोषी व्यक्तियों की एजेंसी रद्द कर दें तो इससे स्थिति में सुधार होगा।

अध्यक्ष महोदय : यदि नियमों में कोई कमी है···

श्री पी० शिव शंकर : मुझे पूरी जानकारी है···

अध्यक्ष महोदय : यदि वह वकील हैं तो मैं अध्यक्ष हूं। मैं यहां अपने नियमों में कोई त्रुटि नहीं देख सकता।

श्री एन० के० शेजवलकर : कृपया मुझे अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : यह बाद की बात है।

श्री एन० के० शेंजवलकर : मुझे खेद है।

श्री राजेश पाइलट : भारत सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय में दिए गए अनुदेशों में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि युद्ध में हुई विधवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाए। पैट्रोलियम मंत्रालय द्वारा परिचालित दिशानिर्देशों में युद्ध में हुई विधवाओं के लिए विशेष श्रेणी नहीं रखी गई है। (क) क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं को विशेष प्राथमिकता देने के लिए इन अनुदेशों का मंत्रालय में अनुसरण हो रहा है या नहीं। जैसा कि कुछ समाचार विज्ञापनों में कहा गया है, इन विधवाओं के लिए कुछ स्थान भी आरक्षित किए गए हैं। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या उन अनुदेशों का उनके मंत्रालय में व्यावहारिक रूप में अनुसरण किया जा रहा है और यदि हां तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है, और यदि नही तो इसके क्या कारण हैं?

(ख) ऐसी उक्त-विधवाओं की संख्या कितनी है जिन्होंने गैस एजेन्सी के लिए आवेदन दिया है लेकिन उन्हें अभी आदेश प्राप्त नहीं हुए।

श्री पी० शिव शंकर : वास्तव में, एक बार युद्ध में शहीद हुए जवानों की विधवाओं की एक पृथक् श्रेणी बनाई गई थी···

प्रो० के० के० तिवारी : स्वैच्छिक सेवा-मुक्ति को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, एक बार रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया था कि कुछ को छोड़कर शेष सभी युद्ध-विधवाओं को पुनर्वासित किया जा चुका है। विभाग ने इस मामले की जांच की तथा हमने दिशा-निर्देशों में परिवर्तन कर दिया। आज स्थिति यह है कि ड्यूटी पर अपंग हुए सरकारी कर्मचारियों तथा ड्यूटी पर मारे गए सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं सहित विकलांगों की श्रेणी में 15 प्रतिशत आरक्षण है। अतएव, इन सभी को मिलाकर हमने आरक्षण 15 प्रतिशत कर दिया है और इनमें यदि युद्ध-विधवाओं के ऐसे मामले हों तो उन पर भी गौर किया जाता है। यह है दिशा-निर्देश। इन दिशा-निर्देशों का पूरी तरह अनुसरण किया जाता है। मैं इस सम्भावना से इन्कार नहीं करता कि कुछ मामलों में हो सकता है इन दिशा-निर्देशों का थोड़ा बहुत उल्लंघन हुआ हो या यहां-तहां इनका अतिक्रमण करना पड़ा हो। जैसा कि श्री वर्मा ने बताया है, यदि कोई ऐसा मामला है तो उस पर अलग से विचार किया जा सकता है।

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर स्थित यूनिट के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण

*702. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम को गोरखपुर स्थित यूनिट अपने ग्रुप "ए" के अधिकारियो को अग्रेतर प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रुप "ए" के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक अधिकारी को अब तक प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेजा गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के प्रशिक्षण के मामले में गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) 5 नवम्बर, 1971 के कार्यालय ज्ञापन सं० 1/9/69/एफ० एस० एच० (एस० सी० टी०) और 4 सितम्बर, 1978 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 360/3/8/77 ई० एस० टी० टी० (एस० सी० टी०) में निहित भावना को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेश को कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) जब कभी विदेश में प्रशिक्षण से सम्बन्धित उपयुक्त कार्यक्रम प्राप्त होते हैं, उस कार्यक्रम के लिए अभ्यार्थियों का चयन निगम के मुख्यालय के स्तर पर होता है जो व्यवसाय पर तथा ऐसे प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने वाले अधिकारियों के स्तर पर निर्भर करता है। नामांकनों के सम्बन्ध में इन सिफारिशों का अन्ततः विदेशी सरकारों या अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाते हैं, द्वारा स्वीकृति देनी होती है।

भारतीय उर्वरक निगम (भा० उ० निगम) ने हाल ही में दो अ० जा०/अ० ज० जा० के अधिकारियों की विदेश में प्रशिक्षण के लिए सिफारिश की है, एक अधिकारी सिन्दरी एकक का है और दूसरा इसके केन्द्रीय कार्यालय से है। उनमें से एक को विदेशी सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए स्वीकार कर लिया गया है।

भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्धकों द्वारा अ०जा०/अ०ज०जा० के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में गृह मंत्रालय (कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग) के मार्गदर्शनों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

श्री त्रिलोक चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैंने यह जानकारी चाही थी कि मुख्यालय में जो चयन समिति बनाई जाती है, उसमें कौन-कौन व्यक्ति होते हैं, क्या उसमें कोई शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी रहता है या नहीं। मेरा सवाल पूर्णरूपेण शिड्यूल्ड कास्ट्स के बारे में है। मैंने होम मिनिस्ट्री के 5 नवम्बर, 1971 के आर्डर का हवाला दिया है, जिसमें यह आदेश दिया गया था कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। मुझे यह विवरण नहीं मिला है कि 1971 से

अब तक कितने शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी और कितने ग़ैर-शिड्यूल्ड कास्ट के आदमी बाहर प्रशिक्षण के लिए गए हैं। यह विवरण मिलने पर मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री वसन्त साठे : जो सवाल पूछा गया है, उसमें यह जानकारी मांगी गई है कि गोरखपुर फर्टीलाइजर फैक्ट्री से शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के कितने आदमी ट्रेनिंग के लिए भेजे गए हैं। वह जानकारी मैंने स्टेटमेंट में दी है कि अभी तक बाहर से ट्रेनिंग के लिए लोगों को भेजने की जो आपरचनिटीज़ आई हैं, उनके लिए गोरखपुर में निर्धारित योग्यता का कोई व्यक्ति नहीं मिला, इसलिए गोरखपुर से अभी तक शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब का कोई व्यक्ति बाहर ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा गया है। इस वक्त 1971 से लेकर अब तक की जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन पिछले चार पांच साल में एक सी आय से दस लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजे गए, मगर उनमें शिड्यूल्ढ कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइव का कोई व्मक्ति नहीं है।

श्री त्रिलोक चन्द : बाहर प्रशिक्षण के लिए भेजने के सम्बन्ध में क्या अर्हताएं निश्चित दी गई हैं, जिनके आधार पर लोगों का चयन किया जाता है ? क्या गोरखपुर में शिड्यूल्ड कास्ट का एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, जिसके पास वे अर्हताएं हों ?

श्री वसन्त साठे : कोलम्बो प्लान के अन्तर्गत या किसी और संस्था के द्वारा बाहर के देशों में जहां इस तरह की ट्रेनिंग की योजनाएं होती हैं, वे खुद बताते हैं कि हमको किस ढंग का व्यक्ति चाहिए।

इंजीनियरिंग के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं या किसी लेवेल के लोग हैं जो उनको चाहिए। जो मांग आती है उस तरह के लोग देखे जाते हैं और जो उसमें फिट होते हैं उनको भेजने के लिए फिर उनकी लिस्ट आती है। फिर ऊपर की कमेटी होती है और अन्त में जो उनकी मांग आई हुई होती है उस हिसाब से तय करते हैं उस लिस्ट में से कि उनको भेजना है या नहीं भेजना है। यह तय करने का तरीका है।

श्री रामविलास पासवान : ऐसा देखा जाता है कि जहां रिजर्वेशन की पालिसी साफ-साफ नहीं लिखी होती है वहां इस तरह की अनियमितताएं होती हैं और इसकी आड़ ली जा सकती है। जैसे डेपुटेशन है या फारेन डेपुटेशन वगैरह है उसमें देखें तो उनकी संख्या, वीकर सेक्शन के लोग हैं, नगण्य रहती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो क्वालिफिकेशंस बाहर से मांगते हैं, क्या सरकार के यहां अपने विभाग में विभिन्न मिनिस्ट्रीज में ऐसी कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था है जिसमें कैंडिडेट को ट्रेंड किया जाय और जो अपेक्षाएं बाहर से मांगी जाती हैं उनको पूरा करने में वह सक्षम हो सकें जिससे उनको बाहर भेजने में सुविधा हो सके ? क्या आपने अपनी मिनिस्ट्री में इस तरह का कोई ट्रेनिंग सेल बनाया है ?

श्री वसंत साठे : ऐसा तो कोई सेल नहीं है। होता यह है, जैसा मैंने अभी कहा कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो देश बनाते हैं। अपनी-अपनी जगह पर यह बताते हैं कि इस लेवेल के लोग, इस योग्यता के लोग आप ट्रेनिंग के लिए भेजिए। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए आपसे कहूं कि अभी फिलहाल उन्होंने फाइनेंस की जानकारी रखने वालों के लिए मांगा यूनाइटेट किंगडम में। सौभाग्य से फर्टि-

लाइजर क्षेत्र में एफ०सी०आई० के अंदर योग्य आदमी शेड्यूल्ड कास्ट के थे श्री विश्वास। तो दो आदमी शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब के हमने भेजे और यह खुशी की बात है कि उनमें से श्री विश्वास चुने गए। वह यू० के चले गए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि यह तो उस पर निर्भर है कि वह क्या मांगते हैं और उस योग्यता के लोग हमारे पास हों तो हमारी यह नीति है कि हम यह जानबूझकर प्रयत्न करते हैं कि अपने यहां से उनको भेजें। लेकिन अब जो आज वहां से उन्होंने मांगा चार दिन में ट्रेन्ड करके उस लेवेल का व्यक्ति तो हम बना नहीं सकते। इसलिए जो लोग उद्योग में हैं उनमें से जितने पात्र लोग हैं, हमारा यह प्रयत्न रहता है कि हम जरूर उनको भेजें और यही हमारा प्रयत्न आगे भी रहेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं० 703—सदस्य अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 704—सदस्य अनुपस्थित।

प्रश्न सं० 705—सदस्य अनुपस्थित।

श्री जगदीश टाइटलर : महोदय, प्रश्न संख्या 705, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में है, एक प्रशासनिक प्रश्न था। रिक्तियां भरी जानी चाहिएं। यह उचित समय है, क्योंकि $4\frac{1}{2}$ वर्ष से ये खाली पड़ी है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न—संख्या 706।

*706. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल डाक सेवा विंग में 'शार्ट ड्यूटी सार्टिंग असिस्टेंट' (एस० डी० एस० ए०) की भर्ती करती रही है;

(ख) क्या भर्ती किये गये इन व्यक्तियों को कोई आश्वासन दिया गया है कि यदि वे छः महीनों के अन्दर 120 कार्य दिवस पूरे कर लेते हैं तो उन्हें नियमित सार्टिंग असिस्टेंटों के रूप में खपा लिया जायेगा;

(ग) यदि हां, तो जनवरी, 1980 से अब तक कितने "शार्ट ड्यूटी सार्टिंग असिस्टेन्टों को सार्टिंग असिस्टेन्टों के रूप में नियमित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल): (क) जी हां। आरक्षित प्रशिक्षित पूल (आर० टी० पी०) में शामिल प्रत्याशियों को रेल डाक सेवा शाखा में भी अल्पकालिक छंटाई सहायकों के रूप में भर्ती किया जाता है। परंतु, अल्पकालिक स्टाफ नियुक्त करने की जो योजना 1971 में शुरू की गई थी, 1.12.1982 से समाप्त कर दिया गया था।

(ख) जी, नहीं। 1971 की योजना के अन्तर्गत अल्पकालिक छंटाई सहायकों के रूप में भर्ती किए गए प्रत्याशी सीधी भर्ती के निर्धारित कोटा के 2 अन्तर्गत बाद के वर्षों में की जाने वाली भर्ती में अपनी बारी आने पर नियमित रूप से खपाए जाने के पात्र थे बशर्ते कि उन्होंने छः माह की अवधि में 120 दिन काम किया हो और रिक्त पद उपलब्ध रहे हों। ऐसे उम्मीदवारों को सरकार के निर्णय पर, भर्ती नियमों में छूट देकर नियमित विभागीय पदों पर खपाया गया था।

(ग) और (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

रेल डाक सेवा विंग में 'शार्ट ड्यूटी सार्टिंग असिस्टेंट' का खजाना

श्रीमती प्रेमिला दंडवते : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह स्कीम 1-12-1982 से बन्द कर दी है लेकिन 1980 से 1982 तक कितने लोगों को एवज़ार्ब किया गया, इसका जवाब मंत्री जी नहीं दे सकते हैं क्योंकि उनके पास इंफार्मेशन नहीं है—ऐसा उन्होंने कहा है। मैं यह जानना चाहती हूं कि अगर आपने यह स्कीम बन्द कर दी है और 9 मंथ्स के लिए नयी वकैन्सीज क्रिएट न करने का निर्णय ले लिया है तो 1980 से 82 तक ऐसे जितने लोग थे उनको क्या आप 9 मंथ्स का पीरियड समाप्त होने के बाद किसी न किसी तरीके से एब्जार्ब करने का प्रयास करेंगे ?

श्री विजय एन० पाटिल : पहली बात तो यह है कि आपने जो फीगर्स मांगी थीं वह सभी सर्किल्स से कलेक्ट करने की कोशिश की जा रही है और जैसे ही फीगर्स एवेलेबल हो जायेंगी, वह सभा-पटल पर रख दी जायेंगी।

दूसरी बात यह है कि जो शार्ट ड्यूटी रेक्रूटमेन्ट बन्द किया गया है उसकी जगह रिजर्व्ड ट्रेन्ड पूल का रेक्रूटमेन्ट शुरू किया गया है। वह केवल पोस्ट आफिसेज में ही नहीं, टेलीफोन विभाग में भी उसकी शुरूआत हुई है। उस वजह से उसमें 120 दिन का जो मिनिमम पीरियड रखा गया है उसको भी निकाल दिया है। 15 परसेन्ट आफ दि सैंग्शन्ड स्ट्रेन्थ उस डिवीजन की जो होगी वह रिजर्व्ड ट्रेन्ड पूल में आयेगी और वह मेरिट के हिसाब से आयेगी। पहले सैंग्शन्ड स्ट्रेन्थ भरे जाने के बाद 15 परसेन्ट कैंडीडेंट्स जो मेरिट में आयेंगे वह भी लिए जायेंगे। और जो एब्सेंटीज्म होगी या कुछ पीक आवर्स होंगे तो उस टाइम पर भी उनको काम दिया जायेगा। उसके बाद जो भी नयी वकैन्सीज आती हैं उसमें आर० टी० पी० के रेक्रूट किए जाते हैं पहले और बाद में रेग्युलर रेक्रूटमेन्ट प्रोसीजर एडाप्ट किया जाता है।

श्रीमती प्रेमिला दंडवते : उनको आप सिर्फ 2.75 रुपीज पर-आवर की तनख्वाह देते हैं और जब कोई वकैन्सी होती है तभी उनको काम दिया जाता है। इसके अलावा मेजारिटी आफ दीज वर्कर्स को आउटसाइड देयर रेजिडेंशियल प्लेसेज पर काम मिलता है जिससे उनकी हालत बड़ी शोचनीय है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहती हूं कि इस महंगाई के जमाने में ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी एब्जार्ब करने के लिए कोई खास कदम उठायेंगे—यह बतलाने की कृपा करें।

श्री विजय एन० पाटिल : आपने 2.75 रुपीज पर-आवर की जो बात कही है तो पहले शार्ट ड्यूटी रेक्रूटमेन्ट स्कीम में एक रुपया पर-आवर दिया जाता था, बाद में उसको दो रुपया पर-आवर किया गया और अभी उसको 2.75 रुपीज पर-आवर किया गया है। आगे भी जैसे-जैसे जरूरत पड़ेगी इसमें और भी सुधार किया जायेगा।

आपने जो यह कहा कि उनको रेक्रूटमेन्ट की जगह से दूर जाकर काम करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। ज्यादातर जहां रेक्रूट होते हैं वहीं उनसे काम लेने की कोशिश होती है। आर० एम० एस० में शायद कुछ दूर जाने की जरूरत होती होगी लेकिन उसमें ज्यादा लोगों की संख्या नहीं है।

बम्बई टेलीफोन विभाग द्वारा बम्बई नगर निगम को देय राशि की अदायगी

*707. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई टेलीफोन विभाग ने बम्बई नगर निगम को 98.46 लाख रुपया देने हैं;

(ख) इस देय धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस देय धनराशि की अब तक अदायगी न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 31-3-84 को बंबई टेलीफोन के पास बंबई नगर निगम के 91.92 लाख रुपए के बिल लंबित पड़े थे ।

(ख) 28.85 लाख रुपए के बिल अनियमितताओं में सुधार करने के लिए लौटाए गए हैं । 36.42 लाख रुपयों के बिलों का भुगतान कर दिया गया है । सड़क पुनः स्थापन से संबंधित 26.65 लाख रुपए के 124 बिलों का भुगतान करने के लिए कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) सड़क पुनः स्थापन प्रभार से संबंधित अधिकांश बिलों का भुगतान क्षेत्र, दर आदि की जांच करने के तत्काल बाद कर दिया जाता है । जब कभी किसी अनियमितता का पता चलता है, तो उसे दूर करने के लिए बिलों को लौटा दिया जाता है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह कहा गया है कि 91.92 लाख रुपए का भुगतान शेष था, लेकिन नगर निगम के सामने धन की पहले ही एक बड़ी समस्या है और इस कारण से वे गरीब लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं । लेकिन केन्द्र सरकार, जिसके पास काफी धन है, को इतनी राशि का भुगतान करना है । मेरे इस प्रश्न के बाद कुछ भुगतान किए गए हैं । यह एक तरह से स्थिति में सुधार है ।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : और प्रश्न-काल के बाद कुछ और भुगतान कर दिए जाएंगे ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इन भुगतानों में किस प्रकार का विलम्ब है ? क्या आपने यह विश्लेषण किया है कि कुछ बिल कितने वर्षों से लम्बित पड़े हैं । क्या यह सच है कि कुछ बिल 12 साल से लम्बित पड़े हैं । लम्बित बिलों की समयावधि क्या है ?

श्री विजय एन० पाटिल : मुझे खेद है कि मैं इस समय बिलों के लम्बित होने की अवधि नहीं बता सकता । तथापि, मैं यह कहना चाहूंगा कि पिछले एक वर्ष के दौरान खुदाई कार्य बढ़ा है । हमने 70,000 टेलीफोन लगाए हैं और उनके लिए केबलों की आवश्यकता थी, और खुदाई कार्य के पश्चात् नगर निगम को सड़क पुनः स्थापन प्रभार का भुगतान किया जाना है, और इस कारण विशेषकर पिछले एक वर्ष से बम्बई नगर निगम को किए जाने वाले भुगतान बढ़ गए हैं । हमने गत वर्ष के दौरान उन्हें 1.5 करोड़ रुपए के भुगतान किए हैं तथा जो 91.92 लाख रुपये के

बिल लम्बित हैं, वे चालू बिल हैं जो मार्च, 1984 के अन्त में शेष थे। उनमें से कुछ क्षेत्र का सही ढंग से उल्लेख न करने, प्रमाण-पत्र पृष्ठांकित न करने, प्राधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर न होने जैसी भूलों का सुधार करने के लिए लौटा दिए गए हैं। हमने जांच के बाद अन्य बिलों का भुगतान कर दिया है और भुगतान निरंतर किए जा रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बम्बई टेलीफोन के महाप्रबंधक निरंतर यह शिकायत कर रहे हैं कि नगर निगम द्वारा सड़क की खुदाई संबंधी कार्य ठीक से नहीं किया जा रहा है और टेलीफोन की केबलों को काटा जा रहा है। इसके कारण अव्यवस्था पैदा हो रही है और टेलीफोन खराब हो जाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि टेलीफोन विभाग द्वारा भारी रकम का भुगतान किया जा रहा है, क्या आप ऐसी प्रणाली अपनाएंगे जिसमें टेलीफोन के लिए केबल न बिछानी पड़े अथवा अपना निर्माण विभाग बनायेंगे ताकि सड़कों की इस तरह बिना सोचे समझे खुदाई न करनी पड़े।

श्री विजय एन० पाटिल : हम बिना केबल के टेलीफोन प्रणाली आरम्भ नहीं कर सकते। निश्चय ही यहां माइक्रो प्रणाली है। लेकिन महानगरों में यह अधिक व्यवहार्य नहीं है। हमें ग्राहकों को कनैक्शन देने होते हैं। इसलिए जमीन के अन्दर केबल बिछाने ही होंगे। इस देश के सभी नगरों में, हमने विज्ञापन देकर और टेलीफोन निर्देशिका के माध्यम से लोगों को यह जानकारी दी है कि वे खुदाई से पहले टेलीफोन करें। अतः जब कभी नगर निगम या कोई अन्य विभाग खुदाई करना चाहता है, उसे हमें टेलीफोन करना चाहिए ताकि हम उन्हें बता सकें कि कोई ऐसी बात तो नहीं है और हम उनके साथ समन्वय बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि नगरों में इसके विस्तार के कारण हमें निरंतर खुदाई कार्य करना पड़ता है। निश्चय ही हम वाहिनी (डक्टिंग) प्रणाली अपना कर मरम्मत के लिए खुदाई कार्य से बच सकते हैं और वह प्रणाली आरम्भ कर रहे हैं। इससे हमें जमीन के अन्दर बिछाई गई केबलों को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकाशीय तन्तु प्रौद्योगिकी (फाइबर ओप्टीकल टेक्नोलोजी) भी अपनाई जा रही है। इसमें प्रकाशीय तन्तु के छोटे से हिस्से में हजारों लाइनें होती हैं। वह प्रणाली अपनाई जा रही है और थोड़े ही समय में महानगरों में यह समस्या कम हो जायेगी।

श्री के० मायातेवर : मुझे बड़े खेद से कहना पड़ता है कि केन्द्र सरकार के सभी विभागों में से टेलीफोन विभाग की स्थिति सबसे खराब है। इस देश के सभी मुख्य मंत्रियों, सभी राजनीतिक दलों, संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों तथा जनता ने भी सर्वसम्मति से ऐसा कहा है। मद्रास में मेरा टेलीफोन दस दिन खराब रहा। कोई परवाह नहीं करता।

श्री जी० लक्ष्मणन : भूतपूर्व कर्मचारी होने के नाते मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री के० मायातेवर : हो सकता है वह भूतपूर्व कर्मचारी हों।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब हमारी समझ में आया है कि वह वहां काम क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री के० मायातेवर : जहां तक प्राइवेट पार्टियों द्वारा टेलीफोन का प्रयोग करने का संबंध है, तीन महीने से अधिक विलंब होने पर वे कनेक्शन काट रहे हैं। डा० स्वामी ने अपने प्रश्न में बम्बई नगर निगम द्वारा सरकार के देय सर्वाधिक राशि का विशेष रूप से जिक्र किया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं, यह उल्टी बात है। नगर निगम को सरकार से पैसा लेना है।

श्री के० मायातेवर : नगर निगम द्वारा सरकार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात आपको नगर निगम से पूछनी चाहिए इन लोगों से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सनत कुमार मंडल, श्री परमार और श्री निहाल सिंह उपस्थित नहीं हैं। अब श्री के० ए० स्वामी।

प्रसारण और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए मानदंड

*711. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में प्रसारण और दूरदर्शन केन्द्र, रिले स्टेशन और विविध भारती के केन्द्र स्थापित करने के लिए निर्धारित मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के मामले में इन मानदण्डों का पालन किया गया था; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए स्थानों का चयन विभिन्न बातों यथा ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को कवर करने की सीमा, सीमावर्ती क्षेत्रों

सुदूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेवा, श्रमजीवी वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या के बड़े भाग का कवरेज, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यक्रम लिकिंग सुविधाओं तथा अन्य अवस्थापना की उपलब्धता, को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा औद्योगिक महत्व के, स्थानों की जरूरतों को भी ध्यान में रखा जाता है। यह भी संसाधनों की उपलब्धता तथा परियोजनाओं की सापेक्ष प्राथमिकताओं के अधीन है।

2. रिले केन्द्रों को मुख्यतया राज्य/क्षेत्र में स्थित मुख्य केन्द्र से रेडियो तथा दूरदर्शन कवरेज का विस्तार करने के लिए स्थापित किया जाता है।

3. विविध भारती/वाणिज्यिक केन्द्र खोलने के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं हैं। तथापि, वाणिज्यिक कार्यक्रमों की लोकप्रियता को देखते हुए, आकाशवाणी ने मुख्यतः बड़े शहरों में; जिनमें मुख्य चैनल पर रेडियो कवरेज पहले ही उपलब्ध था, विविध भारती सेवा चालू की।

श्री ए० के० स्वामी : मैं मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने सीधा उत्तर नहीं दिया है। गुट निरपेक्ष सम्मेलन से पहले और बाद में जो दूरदर्शन केन्द्र और प्रसारण केन्द्र चालू हुए, अर्थात जब उनकी स्थापना की गई, क्या उन्होंने मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं अपने वक्तव्य में रिले केन्द्रों, दूरदर्शन केन्द्रों आदि की स्थापना के बारे में निर्णय लेने के लिए अपनाए गए मानदंडों के संबंध में बता चुका हूं।

श्री के० ए० स्वामी : क्या विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के मामले में इन मानदंडों का अनुकरण किया गया था ?

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक विशाखापत्तनम का संबंध है, आंध्र प्रदेश के लिए तैयार की गई विशेष योजना में, विशाखापटनम का चयन किया गया है, और वहां 10 किलो-वाट का उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाया जाने वाला है। मुझे आशा है इसी वर्ष यह चालू हो जायेगा।

श्री एम० सत्यनारायण राव : मंत्री महोदय ने करीमनगर जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसे कब, किस तिथि को चालू किया जायेगा ?

श्री एच० के० एल० भगत : करीमनगर को भी कम शक्ति ट्रांसमीटर वाला केन्द्र बनाने के लिए चुना गया है। हमें इसी वर्ष इसके चालू किए जाने की आशा है। (**व्यवधान**) प्रत्येक केन्द्र के सम्बन्ध में उत्तर देने की बजाय, मैं कहूंगा कि जिन केन्द्रों का चयन किया जा चुका है, वे इस वर्ष अर्थात इस वर्ष के अंत तक काम करना शुरू कर देंगे।

श्री के० लकप्पा : यह प्रश्न प्रसारण केन्द्रों, दूरदर्शन केन्द्रों और रिले केंद्रों तथा देश के विभिन्न भागों में उनकी स्थापना किए जाने के सम्बन्ध में है। मैं अपना प्रश्न विभिन्न राज्यों में

स्थापित प्रसारण केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यकरण तक ही सीमित रखूंगा। हाल ही में कर्नाटक में, राज्य सरकार ने प्रसारण केन्द्रों तथा दूरदर्शन केन्द्रों को ये अनुदेश दिए हैं कि वे खबरों को तोड़ मरोड़कर प्रसारित करें, जो ठीक नहीं है। ऐसे केन्द्रों का प्रबन्ध भी एकदम बेकार है। वे ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिसमें गलत बातें भी प्रसारित की जाती हैं। क्या इस पहलू की जांच की गई है ? दूरदर्शन कार्यक्रम उचित तरीके से नहीं दिया गया है, कर्नाटक राज्य में दूरदर्शन प्रसारण के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र बहुत कम हैं। क्या आप कृपया कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र को सरल एवं कारगर बनाएंगे तथा उन्हें उचित दिशा-निर्देश जारी करेंगे ताकि वे टेलीविजन पर केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार ही कार्यक्रम प्रसारित करें **(व्यबधान)** यहां तक कि कर्नाटक में दूरदर्शन केन्द्र से राष्ट्रपति के दौरे का भी उचित प्रसारण नहीं किया गया था **(व्यवधान)**

श्री एच० के० एल० भगत : हम आज सूचना और प्रसारण मंत्रालय पर चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें मैं किसी भी एक स्थान के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए तैयार हूं जहां वे केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं, वह सूचना मेरे पास है, मैं कहूंगा कि चाहे कर्नाटक हो या कोई अन्य राज्य, अनुदेश इसी प्रकार है। यदि माननीय सदस्य को किसी स्थान विशेष के बारे में शिकायत है और यदि वह इस ओर मेरा ध्यान दिलाते हैं, तो इस पर चर्चा करने में मुझे खुशी होगी। **(व्यवधान)**

प्रो० एन० जी० रंगा : तिरुपति में दूरदर्शनन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में काफी अर्से से दिए गए वचन का क्या हुआ ?

श्री एच० के० एल० भगत : वह भी इसी वर्ष आरंभ हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : भागलपुर और जयपुर में भी !

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने कहा है सामान्यतः **(व्यवधान)** मैं सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्थानों में ही केन्द्र स्थापित किए जायेंगे। **(व्यवधान)**

श्री ई० बालानंदन : क्या कोचीन, कालीकट और त्रिवेन्द्रम में तुरंत टेलीविजन केन्द्र स्थापित करना सम्भव है ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को यह जानकर खुशी होगी कि हमने यह निर्णय लिया है कि जो ट्रांसमीटर अब त्रिबेन्द्रम से उपलब्ध होगा, वह कालीकट स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कालीकट में यह शीघ्र चालू हो जायेगा। त्रिवेंद्रम में नया ट्रांसमीटर लगाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : भागलपुर के बारे में भी बताइए।

श्री रामविलास पासवान : वह कब कमीशन होगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : भागलपुर में क्या करेंगे । वहां तो लोगों को ब्लाइंड कर दिया था । ...(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : दूरदर्शन केन्द्र की सूची में भागलपुर का नाम भी है ।

राज्यों में टेलीफोन सलाहकार समिति

*712. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में टेलीफ़ोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं;

(ख) उनकी शक्तियां और कृत्य क्या हैं; और

(ग) इन समितियों के सदस्यों का चयन करने के लिये अपनाये जाने वाले मानदंडों और चयन-ढांचे का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल : (क) 1-4-1984 को 15 राज्यों में 22 टेलीफोन तथा दूरसंचार सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं । ये समितियां जिन राज्यों एवं टेलीफोन जिलों में कार्य कर रही हैं उनके नाम विवरण-1 में दिए हैं गए जो सभा पटल पर रखा गया है ।

(ख) टेलीफोन सलाहकार समितियों की शक्तियां एवं कार्यकलाप विवरण-2 में दिए गए हैं, जो सभा पटल पर रखा गया है ।

(ग) इन समितियों में संसद सदस्यों का मनोनयन संसदीय कार्य विभाग द्वारा किया जाता है । दूरसंचार सर्किलों/टेलीफोन जिलों में अध्यक्ष सलाहकार समितियों में अन्य हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणियों के अंतर्गत नामों की एक सूची की सिफारिश करते हैं । इस प्रकार प्राप्त सिफारिशों पर डाकतार निदेशालय तथा संचार मंत्री द्वारा सीधे रूप से प्राप्त नामों के साथ विचार किया जाता है और इन नामों में से संचार राज्य मंत्री सम्बन्धित टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों का मनोनयन करते हैं ।

जिला टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य का निवास आम तौर पर टेलीफोन जिले के क्षेत्रीय अधिकार में तथा राज्य दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य का निवास सम्बन्धित राज्य या संघ शासित क्षेत्र में होना चाहिए ।

विवरण-1

1-4-1984 को जिन राज्यों/टेलीफोन जिलों में दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियां कार्य कर रही हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं :

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	टेलीफोन जिले
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1. अमृतसर
2. बिहार	2. एर्नाकुलम
3. गुजरात	3. गोहाटी
4. दादर एवं नागर हवेली	4. लखनऊ
5. कर्नाटक	5. लुधियाना
6. केरल	6. पटना
7. मेघालय	7. राजकोट
8. मिजोरम संघ शासित प्रदेश	8. सूरत
9. नागालैंड	9. त्रिवेन्द्रम
10. उड़ीसा	
11. सिक्किम	
12. तमिलनाडु	
13. उत्तर प्रदेश	

विवरण-2

सलाहकार समिति की शक्तियां एवं कार्यकलाप

(क) टेलीफोन का उपयोग करने वाली जनता तथा डाक तार विभाग के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित करना ।

(ख) जनता को यह विश्वास दिलाना कि उनकी दिक्कतों को समुचित रूप से विभाग के सामने रखा जा रहा है तथा उन पर कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) स्थानीय तथा ट्रंक सेवाओं में सुधार करने के लिए विभाग को सलाह देना ।

(घ) टेलीफोन सेवाओं में सुधार तथा विकास के लिए विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई का प्रचार करना ।

(ङ) टेलीफोन उपस्कर तथा लाइनों की मौजूदा कमी की स्थिति में जनता से विभाग के साथ सहयोग करने एवं धैर्य रखने का अनुरोध कर विभाग की सहायता करना ।

(च) नियमों के अन्तर्गत न्यायोचित तथा न्यायसंगत आधार पर ओ० वाई० टी० तथा गैर-ओ० वाई० टी० विशेष श्रेणियों के अंतर्गत प्रतीक्षा-सूची के विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक

योग्यता क्रम का संयुक्त मूल्यांकन कर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने के निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना ।

किसी भी एक एक्सचेंज में भारी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन देते समय प्रत्येक सदस्य बिना बारी के तीन टेलीफोन कनेक्शनों की सिफारिश कर सकता है । फिर भी, ऐसे मामलों की संख्या 100 टेलीफोन कनेक्शनों या एक्सचेंज में भारी संख्या में जारी किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के 5 प्रतिशत, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

डा० कृपासिंधु भोई : मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि 15 राज्यों में 22 दूरभाष और दूरसंचार परामर्शयात्री समितियां कार्य कर रही हैं । लेकिन यहां विवरण के एक में, आप देखेंगे कि उन्होंने केवल 13 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख किया है । मुख्य उत्तर में उन्होंने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में करीब 9 टेलीफोन जिलों का जिक्र किया है । लेकिन सूची में उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया है । यह जानकारी नहीं है कि क्या ये दूरभाष परामर्शदात्री समितियां सभी 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास सुविधाओं में आरक्षण

*701. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम, गोरखपुर में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों और पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों के लिए गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार आरक्षण किया जा रहा है;

(ख) क्या गृह/वित्त मंत्रालय के आदेशों के आदेशानुसार आवास प्रदान करने में उपरोक्त जातियों और जनजातियों को आरक्षण न देकर वरीयता क्रम के अनुसार रिहायशी आवास के आवंटन की नीति का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) दोनों का उत्तर सकारात्मक है, तो इस विसंगति के क्या कारण हैं और इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) वित्त मंत्रालय (बी० पी० ई०) ने अ० सू० जा०/अ० सू० ज० जा० के लिए आवासीय भवनों के आबंटन में 10 प्रतिशत के आरक्षण हेतु मार्गदर्शन जारी किए हैं। वास्तव में, 31 मार्च, 1983 की स्थिति के अनुसार एफ० सी० आई० के गोरखपुर एकक में अ० सू० जा०/अ० सू० जनजाति के 400 कर्मचारियों में से 92 के पास कम्पनी के क्वार्टर हैं।

विभिन्न बन्दरगाहों पर सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए तेल समन्वय समिति द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल

*703. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न बन्दरगाहों पर सुविधाओं की समीक्षा के लिए तेल समन्वय समिति ने कितने कर्मचारी दल नियुक्त किये थे;

(ख) इन सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए किन परियोजनाओं का सुझाव दिया गया है; और

(ग) उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) विभिन्न प्रमुख बन्दरगाहों पर कच्चे तेल और उत्पाद टैंकरों का किफायती ढंग से रख-रखाव करने के लिए समीक्षा करने तथा सुविधाओं को सिफारिश करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। कई सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है।

इसके अलावा क्रमशः विशाख, मद्रास, कोचीन, बम्बई और हल्दिया पर पी० ओ० एल० परिवहन के लिए आवश्यक बन्दरगाह-वार सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए पांच अतिरिक्त कार्यदलों का भी गठन किया गया है।

सुझाई गई परियोजनाएं	की गई कार्यवाही
1	2
I. विशाल बन्दरगाह	
1. रिफाइनरी से नई जेटी तक कच्चे तेल की पाइपलाइन सहित बाहरी बन्दरगाह पर कच्चे तेल की जेटी	विशाल पत्तन न्यास द्वारा बाहरी बन्दरगाह पर जेटी के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है और आशा है यह कार्य दिसम्बर, 1984 तक पूरा कर लिया जायेगा। रिफाइनरी से जेटी तक कच्चे तेल की लाइन के निर्माण कार्य को हाथ में ले लिया गया है और सितम्बर, 1984 तक यह तैयार हो जायेगी।

1	2
2. उत्पादों के लिए अतिरिक्त भंडार बैंक	आशा है इनको धीरे-धीरे अप्रैल, 1934 से जुलाई, 1985 तक पूरा कर लिया जायेगा।
3. विशाख बन्दरगाह के क्षेत्र, विशाख रिफाइनरी तथा इंडियन आयल कार्पोरेशन के प्रतिष्ठान पर रेलवे साइडिंग तथा अधिक शक्ति के रेल इंजनों को प्राप्ति।	विशाख पत्तन न्यास, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और यह कार्य 1984-85 के दौरान पूरा हो जायेगा।
II. **मद्रास बन्दरगाह**	
1. दूसरे तेल घाट की व्यवस्था	सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और कार्यान्वित किया जा रहा है।
2. मद्रास रिफाइनरी लि० से मद्रास बन्दरगाह तक अतिरिक्त सफेद तेल लाइन	आशा है इस कार्य को अप्रैल, 1984 तक पूरा कर लिया जायेगा।
3. मद्रास रिफाइनरी लि० और इंडियन आयल कार्पोरेशन के प्रतिष्ठानों पर रेलवे साइडिंग	इस पर कार्यवाही की जा रही है।
4. मद्रास रिफाइनरीज में उत्पादों के लिए अतिरिक्त भंडारण सुविधाएं	मद्रास रिफाइनरी लि० ने टैंक का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया है और यह जुलाई, 1984 तक पूरा हो जायेगा।
III. **कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड**	
1. कोचीन बन्दरगाह पर एक नया टैंकर घाट	घाट को चालू किया जा चुका है।
2. कोचीन रिफाइनरीज लि० पर उत्पादों के लिए अतिरिक्त भंडारण टैंक	इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और लगभग पूरा कर लिया गया है।
3. कोचीन रिफाइनरी लि० में उत्पादों के लिए टैंक वैगन लदान सुविधाओं में सुधार तथा वृद्धि	इसे कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे मार्च, 1985 से पहले पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

IV. **बम्बई बन्दरगाह**

बम्बई पत्तन कार्यदल की रिपोर्ट को दिसम्बर, 1983 के अन्त में अन्तिम रूप दिया जा चुका है और उस पर विचार किया जा रहा है।

V. **हल्दिया** : इस कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

"इब" घाटी में ताप बिजली घर

*704. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "इब" घाटी, उड़ीसा में एक ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त ताप बिजली घर की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ग) इसमें वाणिज्यिक उत्पादन कितने समय में आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इब घाटी के विद्युत के ग्रेड के कोयले का समुपयोजन करने के लिए उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में बनहरपाली में 42,400 रु० लाख की अनुमानित लागत पर 4×210 मेगावाट का एक ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने के लिए परियोजना रिपोर्ट उड़ीसा सरकार से प्राप्त हो गई है। परियोजना प्रस्ताव का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करने से पूर्व कोयला लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति, जल की उपलब्धता, अवसंरचात्मक सुविधाओं की उपलब्धता आदि जैसे आवश्यक निवेशों का सम्बद्ध किया जाना आवश्यक है। मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने के बाद 210 मेगावाट का पहला सेट 4 वर्ष में चालू किया जा सकता है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना

*705. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के बारे 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 680 और 6 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 1538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन उच्च न्यायालयों में 1984 के दौरान न्यायाधीशों के पद रिक्त होंगे;

(ख) इस समय रिक्त और चालू वर्ष के दौरान रिक्त होने वाले सभी पदों को सरकार द्वारा कब तक भरे जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार इन रिक्त पदों को नियत तारीख से पहले भरने का प्रबंध करने की नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो अंतिम निर्णय करने में क्या कठिनाई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तारीख 12-4-1984 से 31-12-1984 तक की अवधि के दौरान इलाहाबाद, आंध्र प्रदेश, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, गौहाटी, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, उड़ीसा, पटना तथा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति के कारण 24 पद रिक्त होंगे।

(ख) से (घ) यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्तमान और भविष्य में होने वाले

रिक्त पद कब तक भरे जाने की सम्भावना है। किन्तु उनको यथासम्भव शीघ्र भरने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्तियां संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती हैं। नियुक्ति करने की प्रक्रिया में, नियुक्तियां करने से पूर्व, विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारियों से परामर्श करना होता है और राष्ट्रपति को सावधानीपूर्वक विचार करना होता है।

झांजीरा, पश्चिम बंगाल में गहन खनन कोयला परियोजना लागू करना

*708. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े औद्योगिक उपक्रम—झांजीरा में गहन खनन कोयला परियोजना को चालू करने के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) झांजीरा में उच्च कोटि के कोयले के खनन भण्डारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना कितना पूंजी परिव्यय होगा; और

(घ) इस परियोजना के लिए विशेषज्ञों और उपकरणों के रूप में सोवियत संघ से कितनी सहायता मिली है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1993-94 से 3.5 मि० टन वार्षिक कोयला उत्पादन के लिए निर्मित झांझरा I भूमिगत कोयला खनन परियोजना 1983 में शुरू की गई थी। परियोजना निर्माण यथा—इनकलाइन निर्माण, शाफ्ट लगाने, विद्युत पूर्ति और अधिग्रहण आदि कार्य पहले ही पूरे कर लिए गए हैं।

(ख) झांझरा में कुल खनन योग्य कोयला भंडार 244.66 मि० टन है, जिनमें से 187.44 मि० टन कोयला, "बी" और "सी" ग्रेड का है।

(ग) इस परियोजना के लिए अनुमोदित पूंजी निवेश रु० 184.55 करोड़ (1982 का आकलन) है, जिसमें से दिसम्बर, 1983 तक रु० 7.05 करोड़ खर्च हुए हैं।

(घ) इस परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान शाफ्ट लगाने और तेज गति से इन्कलाइन निर्माण हेतु सोवियत विशेषज्ञ तकनीकी जानकारी, सूक्ष्म उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान करेंगे। सोवियत विशेषज्ञ इस खान के लिए कार्य की विस्तृत रूपरेखा तैयार करने में भी सहयोग दे रहे हैं।

बदरपुर के कर्मचारियों का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में स्थानातन्रण

*709. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बदरपुर तार्प विद्युत केन्द्र के बदरपुर स्थित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबंध के अधीन स्थानान्तरित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनके स्थानान्तरण की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इन कर्मचारियों से विद्युत विभाग की सहमति के बिना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सेवा शर्तों को स्वीकार करने की अपेक्षा की जा रही है और

ऐसा न करने पर उन्हें इस तर्क पर कि वे अभी भी विद्युत विभाग के अधीन हैं उन्हें देय पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है और जब तक वे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में बिना शर्त खपाये जाने का विकल्प नहीं चुनते उनकी पदोन्नति आदि पर विचार नहीं किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो जो कर्मचारी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सेवा शर्तें स्वीकार नहीं करते हैं उनका भविष्य क्या होगा; और

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के प्रबंध के अधीन उनका दर्जा क्या होगा और पदोन्नति, स्थायीकरण आदि के लिए उनकी वरीयता किस प्रकार निर्धारित की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र के बदरपुर स्थित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों (नियमित स्टाफ) की सेवाएं संवर्ग बाह्य सेवा शर्तों का राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को 1-4-1978 से सौंपी गई थीं । उनकी परिलब्धियां और सेवा शर्तें पूर्णत: संरक्षित की गई थीं । उनके द्वारा बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र में की गई सर्विस सेवा निवृत्ति लाभों, वरीयता आदि के लिए भी लेखे में ली गई है । वर्क-चार्ज स्थापना के कर्मचारियों और मस्टर-रोल स्टाफ की सेवाएं भी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सौंपी गयी थीं और उनकी परिलब्धियों की संरक्षा की गई थी । उनके द्वारा की गई सेवा की अवधि को सेवा निवृत्ति के लाभों आदि के लिए हिसाब में लिया जाना है । बदरपुर स्थित नियमित और वर्क-चार्ज स्थापना में वर्कमैन संवर्ग के भूतपूर्व केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खपाने की शर्तों और अनुबन्धों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि० के प्रबन्धकों और बदरपुर ताप विद्युत परियोजना कर्मचारी यूनियन के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के जरिए निर्धारित की गई थी । पर्यवेक्षण संवर्ग के बदरपुर स्थित भूतपूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के खपाए जाने के सम्बन्ध में इसी प्रकार का समझौता उनकी यूनियन नामश: प्रचालन और अनुरक्षण स्टाफ यूनियन (बदरपुर) के साथ हुए एक विचार-विमर्श ज्ञापन के जरिए हुआ था । समझौते और विचार-विमर्श ज्ञापन के अनुसरण में काफी बड़ी तादाद में कर्मचारियों को, जिनकी संख्या लगभग 1850 है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सेवाओं में खपाए जा चुके हैं और केवल 4 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक नहीं खपाया गया है । बदरपुर स्थित इन सभी भूतपूर्व केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को खपाए जाने के बारे में उनके मूल विभाग नामश: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूरी तरह से सहमति दी जा चुकी है ।

(घ) जो कर्मचारी राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सेवाओं में नहीं खपाए गए हैं और जिन्होंने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की सेवा शर्तें स्वीकार नहीं की हैं, वे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में प्रतिनियुक्ति पर बने हुए हैं और उन्हें केन्द्र सरकार के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य वेतन और भत्तों से कम प्राप्त नहीं होते हैं ।

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम में प्रबन्ध के अन्तर्गत उनका स्तर प्रतिनियुक्ति जैसे कर्मचारियों का है तथा अन्य उधार लेने वाले संगठनों की तरह राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उनकी वरीयता सूची आदि नहीं रखता है । उधार लेने वाला संगठन सामान्यत: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारियों की पदोन्नति के सम्बन्ध में विचार नहीं करता है ।

मैसर्स फाइजर लि० द्वारा प्रौद्योगिकी क्षेत्र की औषधियों का उत्पादन

*710. **श्री निहाल सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैं० फाइजर लि० उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्र की औषधियों का उत्पादन करती है जबकि भारतीय कम्पनियां भी ये औषधियां बना रही हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने अपना निर्यात बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाए हैं और वे अपनी औषधियां बाजार में बेच रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) उच्च स्तरीय समिति ने मैसर्स फाइजर द्वारा टेट्रासाइक्लीन, आक्सीटेट्रा-साइक्लीन, आई० एन० एच० और पी० ए० एस० के उत्पादन की प्रक्रिया को उच्च प्रौद्योगिकी अन्तर्ग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया है । इन औषधों का कुछ भारतीय कम्पनियों द्वारा भी उत्पादन किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) मैसर्स फाइजर के निर्यात पिछले 3 वर्षों से बढ़ रहे हैं । ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष (दिसम्बर से नवम्बर)	निर्यात (रुपए लाखों में)
1980	41.07
1981	45.87
1982	58.53

औषध नियंत्रक, भारत द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार, 1982-83 में बेकासूल्स कैप्सूल तथा टैरामाइसिन के एक-एक नमूने को मानक किस्म का नहीं पाया गया था । स्वास्थ्य मंत्रालय के औषध नियंत्रक से मामला ले लिया गया है ।

कोरबा में जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए उद्धृत दरें

*713. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या **ऊर्जा मंत्री** कोरबा सुपर ताप बिजली घर में जल शोधन संयंत्र के लिए ठेके के बारे में 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा सुपर ताप बिजली घर में जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए प्रस्तावों/उद्धृत दरों की जांच कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) ठेका किसे दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अनुसार कोरबा सुपर ताप विद्युत परियोजना के 3×500 मेगावाट के विस्तार सोपान के लिए जल ट्रीटमेंट संयंत्र के लिए ठेका, विश्व बैंक के अनुमोदन के बाद, मैं० ड्रिपलेक्स वाटर इंजीनियरी प्रा० लि०, नई दिल्ली को दे दिया गया है, जिनकी बोली सबसे कम मानी गई थी तथा जो अर्हता प्राप्त बोलीदाता थे ।

9/ कुष्ठ निरोधक औषधियों का मूल्य/उत्पादन और आयात

*714. **श्री तारिक अनवर :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुष्ठ रोग के निरोध के लिए प्रयुक्त औषधियों के नाम क्या हैं और उनमें से कितनी औषधियों का देश में उत्पादन होता है, उनका उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम क्या हैं, उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता क्या है, गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितना उत्पादन किया गया है और निर्माण की अवस्था क्या है;

(ख) किन-किन औषधियों का आयात किया जाता रहा है, गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उनका कितना आयात किया गया तथा दस प्रमुख आयातकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक ने गत चार वर्षों के दौरान कितनी मात्रा का आयात किया गया है, जनवरी से मार्च, 1984 के दौरान इन औषधियों का देश में पहुंचने पर औसतन मूल्य कितना था तथा फार्मूलेशन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है;

(ग) प्रत्येक औषधि पर आधारित फार्मूलेशन पर कितने मार्क-अप की अनुमति दी गई; और

(घ) क्या फार्मूलेटर्स ने आयातित कुष्ठ निरोधक औषधियों पर करोड़ों रुपये का अप्रत्याशित लाभ कमाया है, यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक एकक का नाम क्या है, उसने कितना अप्रत्याशित लाभ कमाया और कितनी धनराशि वसूल की गई है ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क)डेप्सोन, क्लोफेजामाइन और रिफाम्पिसिन का प्रयोग कुष्ठ रोग के इलाज के लिए किया जाता है। इनमें से दो बल्क औषधों अर्थात् डेप्सोन और क्लोफेजामाइन का स्वदेशी रूप से उत्पादन किया जाता है। इन औषधों का उत्पादन करने वाली कंपनियों के नाम, उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता, उत्पादन और निर्माण की अवस्था विवरण-1 में दी गई है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोग निवारक तीन औषधों के वर्ष-वार, आयात, आयात की गई मात्रा और आयातों के सी० आई० एफ० मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

मद	वर्ष	मात्रा	मूल्य (रु० लाख)
क्लोफेजामाइन	1980-81	120.4 कि०ग्रा०	8.35
	1981-82	160.0 ,,	12.21
	1982-83	शून्य	
डेप्सोन	1980-81	3.0 टन	4.96
	1981-82	18.5 टन	34.21
	1982-83	34.7 टन	70.90

1	2	3	4
रिफाम्पिसिन	1980-81	11.25 टन	577.12
	1981-82	16.06 टन	663.02
	1982-83	36.90 टन	1205.7

10 प्रमुख आयातकर्त्ताओं के नाम और गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक द्वारा आयात किये गये रिफाम्पिसिन की मात्रा विवरण 2 में दी गई है। क्लोफेजालाइन के लिए ऐसे आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। डेप्सोन आयात के लिए सरणीबद्ध है। जनवरी से मार्च, 1984 के महीनों के दौरान रिफामिपसिन का औसत अवतारित मूल्य 176 रु प्रति कि०ग्रा० बैठता है। वर्ष 1981-82 के लिए क्लोफेजामाइन और डेप्सोन का औसत अवतरित मूल्य क्रमशः 7631 रु० किग्रा० और 345.80 रु० कि० ग्रा० है। वह मूल्य जिस पर फार्मूलेशनों के मूल्य अधिसूचित किए गए हैं रिफाम्पिसिन के लिए 2452.08 रु० प्रति किग्रा०, डेप्सोन के लिए 250 रु० प्रति किग्रा० और क्लोफेजामाइन के लिए 9256.05 रु० प्रति किग्रा० है, रिफाम्पिसिन फार्मूलेशनों के मूल्यों में और संशोधन करने के आदेश दिए गए हैं।

(ग) डेप्सोन पर आधारित फार्मूलेशनों पर 40 प्रतिशत मार्क अप की अनुमति है जबकि क्लोफेजामाइन और रिफाम्पिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों पर लीडर फार्मूलेशनों के लिए अवतरित लागत पर 100 प्रतिशत और इनसे भिन्न पैकों पर 60 प्रतिशत के मार्क अप की अनुमति है।

(घ) रिफाम्पिसिन के मूल्यों में निरन्तर कमी की प्रवृत्ति की स्थिति में फार्मूलेटरों को कुछ अभिप्रेत लाभ हुए हैं। 1957-80 से आगे कमाये गये अनियमित लाभ को समाप्त करने के लिए 19 फार्मूलेटरों की नोटिस जारी किए गए हैं। ग्यारह फार्मूलेटरों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं और समाप्ति की प्रक्रिया प्रगति पर है।

विवरण-1

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	लाइसेंसशुदा क्षमता	उत्पादन (टनों में) 1980-81	1981-82	1982-83	निर्माण की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
I.	**डेप्सोन**	(टनों में)				
1.	मैसर्स बूरोज वैल्कम एण्ड इंडिया प्रा० लिमिटेड	28	16.50	21.41	23.36	मूल
2.	मैसर्स बंगाल कैमिकल्स	15	4.55	4.20	7.58	मूल

1	2	3	4	5	6	7
II. क्लोफाजिमाइन						
1.	मैसर्स एस० जी० कैमिकल्स	2	0.20	0.42	0.56	मूल
2.	मैसर्स एस्ट्रा-आई०डी०एल०	5	—	0.02	0.07	मूल

विवरण-(3) —— 2 |-

वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान विभिन्न कम्पनियों द्वारा किए गए रिफाम्पिसिन के आयातों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र० सं०	आयातकर्त्ता का नाम	आयात की गई मात्रा (किलोग्राम)		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स फार्मेड प्रा० लि०	50.00	600.00	550.00
2.	मैसर्स एलम्बिक कैमिकल वर्क्स	शून्य	शून्य	750.00
3.	मैसर्स बायोकैम फर्मास्युटिकल्स लैब्स	590.00	560.00	550.00
4.	मैसर्स डोलफिन लैब्स प्रा० लि०	100.00 (1-1-80 से 31-12-80)		250.00 (1-1-81 से 31-12-81)
		475.00 (1-1-82 से 31-12-82)		700.00 (1-1-83 से 31-12-83)
5.	मैसर्स माइक्रो लैब्स प्रा० लि०	110.00	100.00	150.00
6.	मैसर्स दी फार्मास्युटिकल कं० आफ इंडिया	1430.09	1250.00	2250.00
7.	मैसर्स एलवर्ट डेविट	शून्य	शून्य	50.00
8.	मैसर्स लाइका लैब्स प्रा० लि०	1420.00	1100.00	1800.00
9.	मैसर्स बाम्बे ड्रग्स हाउस प्रा० लि०	10.00	—	7.00 (स्वदेशी स्रोत से निर्वित)
10.	मैसर्स लूपिन लैब्स	14240 (1-4-1979 से दिसम्बर, 1983 तक)		

महाराष्ट्र में अच्छी किस्म के कोयले की उपलब्धता

*715. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के भू-सर्वेक्षण और खान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के चन्द्रपुर जिले की चिमूर तहसील में अच्छी किस्म का कोयला भारी मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) क्या यह भी सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक महाराष्ट्र में कोयले की मांग 22.13 मिलियन टन होगी जबकि इस समय उसका उत्पादन इसका केवल एक तिहाई है;

(ग) यदि हां, तो इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार को चिमूर में कोयले का तत्काल खनन आरम्भ करने का कोई सुझाव भी प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और वहां पर कोयले खनन कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) चन्द्रपुर जिले के चिमूर तहसील के निकट बंदर ब्लाक में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किए गए क्षेत्रीय पूर्वेक्षण से 90.00 मिलियन टन कोयला भंडारों का पता चला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह कोयला घटिया किस्म का है और बिजली उत्पादन के उपयुक्त है।

(ख) और (ग) वर्ष 1984-85 के लिए महाराष्ट्र में बिजली कोयले की मांग 12.5 मिलियन टन है और महाराष्ट्र राज्य में 9.39 मिलियन टन का उत्पादन-कार्यक्रम है, जिसके वर्ष 1989-90 में बढ़कर 14.55 मिलियन टन हो जाने की आशा है।

(घ) जी, हां।

(ङ) वर्ष 1984-85 का विस्तृत पूर्वेक्षण कार्यक्रम चिमूर तहसील में शुरू किया गया है। नई खान खोलने के प्रश्न के सभी पहलुओं की जांच खान आयोजन के पर्याप्त भू-वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध हो जाने के बाद की जायेगी।

बिहार और पूर्वी राज्यों में न्यूनतम/आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली की उपलब्धता

*716. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, विशेषकर बिहार और अन्य पूर्वी राज्यों में बिजली की न्यूनतम आवश्यकता

पूरी करने के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) विशेष रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे कोसी, करनाली, बागमती, कमला, पंचेश्वर, राप्ती और ब्रह्मपुत्र से पन-बिजली उत्पादन के विकास के बारे में क्या अनुमान हैं; और

(ग) इनको पन-बिजली क्षमता का शीघ्रातिशीघ्र उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) यद्यपि, 1982-83 के उत्पादन आंकड़ों की तुलना में 1983-84 के दौरान विद्युत उत्पादन में 7.6% की बढोतरी हुई है, फिर भी विद्युत उपलब्धता में 10.8% की अभी भी कमी है । यह कमी बिहार में 39.9%, पश्चिम बंगाल में 15.2%, तथा उड़ीसा में 15.9% और पूर्वी क्षेत्र में 18.6% थी । देश में विद्युत उत्पादन और विद्युत की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) निर्माणाधीन विद्युत उत्पादन परियोजनाओं को शीघ्रता से चालू करना;

(2) फालतू विद्युत वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण करने की व्यवस्था करना;

(3) ताप विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित ऐसे कई कदम उठाए गए हैं :—

(क) संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को तैयार करने तथा हाथ में लेने के लिए राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना;

(ख) बन्दी की अवधि को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना;

(ग) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से फालतू पुर्जों की व्यवस्था करना;

(घ) अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले का प्रबन्ध करना;

(ङ) विशेष रूप से 100/110 मेगावाट तथा 200/210 मेगावाट की यूनिटों का शीघ्र स्थिरीकरण करने के लिए कृतिक बल की स्थापना करना;

(च) प्रचालन प्रक्रियाओं की मानीटरिंग करने तथा सलाह देने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रचालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरों की व्यवस्था करना, जहां आवश्यक होता है, विदेशी विशेषज्ञों की भी व्यवस्था की जाती है ।

(छ) उपबन्ध क्षमता का बेहतर समुपयोजन करने के लिए प्रोत्साहन स्कीम शुरू करना;

(ज) विद्युत केन्द्रों के इंजीनियरों तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना;

(झ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० तथा अन्य सप्लायरों/निर्माताओं के साथ राज्य बिजली बोर्डों की आवश्यकताओं और समस्याओं को उठाकर उनकी सहायता करना।

(ख) और (ग) निम्नलिखित हिमालय की नदियों की व्यवहार्य जल विद्युत शक्यता के अनुमानों का मूल्यांकन नीचे दिया गया है :—

नदी	व्यवहार्य शक्यता (मेगावाट)
कोली	6777.5
करनाली	6765
बागमती	98
कमला	61
पश्चिम राप्ती	250 से 350
पंचेश्वर (शारदा)	2250
ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियां	39,000

करनाली (चिसपानी हाई डेम) परियोजना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए तथा पंचेश्वर परियोजना पर संयुक्त अन्वेषण कार्य हाथ में लेने के लिए भारत और नेपाल सहमत हो गए हैं। कोसी हाई डेम परियोजना का नेपाल की महामहिम सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है तथा बागमती परियोजना पर भारत और नेपाल के बीच विचार-विमर्श किया जा रहा है। कमला के ऊपर बांध के परियोजना प्रस्ताव से विद्युत उत्पादन की सम्भावना नहीं है। ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी कुछ जल विद्युत/बहुद्देश्यीय परियोजनाओं का पता लगाया गया है और बहुत-सी परियोजनाओं की जांच की जा रही है। परियोजनाओं का कार्यान्वयन उनकी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता, विद्युत की मांग तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

राज्यों के श्रम मंत्रियों के 34वें सम्मेलन की सिफारिशों का कार्यान्वयन

*717. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के श्रम मंत्रियों के 34वें सम्मेलन की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ख) जिन सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उनका क्या ब्यौरा है; और

(ग) क्या किसी सिफारिश को अस्वीकृत किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) इस सम्मेलन के निष्कर्षों/सुझावों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्रवाई की जानी होती है। अपेक्षित अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सम्बन्धित निष्कर्षों/सुझावों को उनके ध्यान में लाया गया है। जहां तक केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित मद्दों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का सम्बन्ध है, सम्भव कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के विचार से कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है और किसी भी निष्कर्ष/सुझाव को अस्वीकार नहीं किया गया है।

पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के कर्मचारियों को बोनस

*718. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के कर्मचारियों ने इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के श्रेणी III और IV कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है। इन दोनों समाचार एजेंसियों ने वर्ष 1982 के लिए श्रेणी III और श्रेणी IV कर्मचारियों को बोनस का भुगतान कर दिया है। इस सम्बन्ध में पी० टी० आई० और यू० एन० आई० के कर्मचारियों से सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं।

बिहार के उत्तर कर्णपुरा क्षेत्र में कोयले के खनन के लिए नई परियोजनाएं आरम्भ करना

*719. **श्री रामस्वरूप राम** :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के रांची, पालामऊ, लोहारडागा तथा हजारीबाग जिलों से युक्त उत्तरी कर्णपुरा पट्टी में कोयले के विशाल भण्डार मौजूद हैं;

(ख) क्या मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के अन्तर्गत केवल पांच परियोजनाएं ही कार्य कर रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि कोयला खंनन के लिए नई परियोजनाएं आरम्भ करने की अत्यधिक संभावनाएं विद्यमान हैं, जिनसे उन जिलों में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि होगी तथा वहां पर उपलब्ध कोयला क्षमता का भी उपयोग किया जा सकेगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार बिहार के उपरोक्त जिलो में मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से कोयला खनन के अपने क्रियाकलापों का विस्तार करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, नार्थ करनपुरा कोयला क्षेत्र में 10,000 मिलियन टन से अधिक कोयला भंडार हैं । नार्थ करनपुरा के लिए निर्दिष्ट विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग के आधार पर सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० (कोल इंडिया लि० की एक सहायक कम्पनी) की सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कोयला क्षेत्र में नई परियोजनाएं खोलने और विद्यमान चारों परियोजनाओं के विस्तार की योजना है । इससे इस कोयला क्षेत्र का उत्पादन वर्ष 1983-84 के लगभग 4.35 मिलियन टन से बढ़कर 1989-90 में 10.50 मिलियन टन हो जाएगा ।

बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित किया जाना

7710. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय द्वारा 1981-82 में नालन्दा जिला, बिहार के मुख्यालय बिहार शरीफ में 1984 के अन्त तक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई और इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बिहार शरीफ हस्तचल एक्सचेन्ज को 1983-84 में स्वचल बनाने की योजना थी ।

(ख) 1983-84 में 500 लाइनों के एम० ए० एक्स-II एक्सचेन्स उपस्कर का आबंटन किया गया था । एक्सचेन्ज और भवन के लिए परियोजना प्राक्कलन की मंजूरी दे दी गई है और एक्सचेंज को 1985-86 में चालू किए जाने की संभावना है ।

पत्रकारों के लिए सुरक्षोपाय

7711. **श्री सूरज भान :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 17.2.1984 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि पत्रकारों के राष्ट्रीय संगठन ने मांग की है कि सरकार पत्रकारों पर हाल ही में हुए हमलों की पृष्ठभूमि में यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेस स्वतन्त्र रूप से कार्य कर सके, पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधियों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अधिकारियों की एक बैठक बुलाएं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) पत्रकारों पर इस प्रकार के हमलों से निपटने के लिए राज्य सरकारों को यदि कोई निदेश दिए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) "प्रोटैक्सन ऑफ पंजाब जर्नलिस्ट्स सीट" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार स्टेट्समैन के दिनांक 17 फरवरी, 1984 के अंक में प्रकाशित हुआ था । भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को अनुदेश जारी किए हैं कि कानून का प्रवर्तन करने वाले प्राधिकारियों को ये अनुदेश दिए जाएं कि वे, जब भी स्थिति का तकाजा हो, पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई करें ताकि वे अपने व्यवसायिक कार्यों को प्रभावी और स्वतन्त्र रूप से कर सकें ।

मैसर्स बेदी एण्ड कम्पनी, नई दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की वसूली

7712. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** मैसर्स बेदी एण्ड कम्पनी (रजिस्टर्ड) कनाट प्लेट, नई दिल्ली की ओर बकाया कर्मचारी भविष्य निधि के बारे में 31 मार्च, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6857 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स बेदी एण्ड कम्पनी, कनाट प्लेस, नई दिल्ली में कार्यरत उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनसे कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान की वसूली की जा रही है और उनकी सेवा की अवधि कितनी है;

(ख) क्या कम्पनी कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि में जमा की जाने वाली राशि के लिए आवश्यक रसीद देती है;

(ग) क्या कर्मचारी अन्य श्रम कानून के अन्तर्गत ग्रेचुएटी आदि जैसे लाभों के हकदार हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर सिंह) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार इस प्रतिष्ठान में इस समय निम्नलिखित कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदान 1.4.1979, अर्थात्, इस प्रतिष्ठान के कर्मचारी भविष्य निधि प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने की तारीख से काटे जा रहे हैं :—

कर्मचारियों के नाम	नियुक्त की तारीख
1. श्री अजीत सिंह	13.4.1964
2. श्री रविन्द्र सिंह	2.4.1969
3. श्री ठाकुर मोहन लाल	13.2.1960
4. श्री धर्म पाल	1.6.1974
5. श्री अशोक कुमार	1.9.1975

(ख) जी, हां। वर्ष 1982-83 तक के लेखों के वार्षिक विवरण सदस्य को, उनके नियोजक के माध्यम से भेजे गए हैं।

(ग) तथा (घ) ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रतिष्ठान उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि इसमें दस से कम व्यक्ति नियोजित हैं। अतः इसके कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन उपदान के पात्र नहीं होंगे।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के कनेक्शन देने संबंधी नीति

7713. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटे गृह स्वामियों (उपभोक्ताओं) को बिजली के कनेक्शन देने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की नीति क्या है;

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान होटलों/रेस्टराओं/चाय/जूस स्टालों की बिजली कनेक्शन देने की क्या नीति है;

(ग) गेस्ट हाउसों को स्थायी आधार पर बिजली के कनेक्शन देने की क्या नीति है; और

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सभी प्रकार के भवनों को लाभान्वित करने के लिए कोई नीति तैयार की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पहले से विद्युतीकृत सभी क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन वैध मालिकों/कब्जाधारियों की वाणिज्यिक अपेक्षाओं का पूरा करने के पश्चात् दिये जाते हैं। 13.12.1980 के पश्चात् निर्मित परिसरों में मामले में घरेलू कनेक्शन वैध स्वीकृति/स्वीकृत किए गए भवन नक्शों को प्रस्तुत करने के पश्चात् दिये जाते हैं।

(ख) और (ग) गेस्ट हाऊस/होटल/रेस्तरां/चाय/जूस स्टालों आदि सहित वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में गैर-घरेलू कनेक्शन स्वीकृत किए गए भवन नक्शों में से प्रयोग की गई भूमि सुनिश्चित होने के पश्चात् या इसके स्थान पर दिल्ली नगर निगम/दिल्ली विकास प्राणिकरण से अनापत्ति पत्र प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् दिये जाते हैं। गेस्ट हाऊस/होटल चलाने के लिए सामान्य वाणिज्यिक उपेक्षाओं के अतिरिक्त अनुमति/लाइसेंस होना एक पूर्वापेक्षा है। लिफ्ट वाली तथा/या 4 मंजिलों से अधिक वाले वाणिज्यिक भवनों के सम्बन्ध में निर्माण कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र भी अपेक्षित है।

(घ) निर्माण के स्वरूप/परिसर के प्रयोग/स्वीकृति आदि के ऊपर निर्भर करते हुए कनेक्शनों की प्रत्येक श्रेणी के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने नीति निर्धारित की है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत लोगों को विदेशों में रोजगार

7714. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय गैर सरकारी एजेंटों द्वारा बेरोजगार लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने की अनुमति दे रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या अब रोजगार के कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार लोगों को विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए रोजगार सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) अनुरोध किए जाने पर उपयुक्त उम्मीदवारों को नामित करने के लिए रोजगार कार्यालयों की सेवाएं उपलब्ध होंगी भले ही रिक्ति भारत में हों या विदेश में।

कर्मा (बिहार) में मुकदमों में अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन द्वारा खर्च की गई धनराशि

7715. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खान श्रमिक कल्याण संगठन कर्मा (बिहार) के विरुद्ध 1977 से 1984 तक कितने मुकदमे दायर किये गये हैं;

(ख) क्या अधिकांश मुकदमों में सरकार हारी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा किये गये खर्च का उत्तरदायित्व अधिकारियों पर डाला जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारियों से धनराशि वसूल की जायेगी, यदि नहीं तो उनके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार को मुकदमों में कितनी धनराशि खर्च करनी पड़ी थी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कल्याण आयुक्त, कर्मा (बिहार) से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

तमिलनाडु द्वारा कोयले का आयात किया जाना

7716. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र से कोयले का आयात करने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो अनुरोध का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य सरकार ने अपने तूतिकोरिन थर्मल पावर स्टेशन के सामयिक प्रबंध के रूप में 5 लाख टन कोयले के अयात की अनुमति मांगी है जो तमिलनाडु बिजली बोर्ड के लिए एक बफर स्टाक का काम भी करेगा । बहरहाल, सरकार ने तूतिकोरिन पावर स्टेशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देशी कोयला अधिक से अधिक भेजने के उचित कदम उठाए हैं । देशी कोयले की पर्याप्त उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोयला आयात करना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

वीडियो कैमरा "बैटाकाम" की खरीद

7717. **श्री बया राम शाक्य** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने अद्यतन वीडियो कैमरा "बेटाकाम" की खरीद अभी तक नहीं की है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त कैमरा खरीद कर लिया है तो दूरदर्शन द्वारा इसका उपयोग न किए

जाने के क्या कारण हैं जबकि इसके उपयोग के व्यय के साथ-साथ जन शक्ति में कमी आयेगी और काम में भी तेजी आयेगी;

(ग) उपर्युक्त कैमरा कब तक उपयोग में लाया जाएगा; और

(घ) "बेटाकाम" का (वीडियो कैमरा) के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बेटाकाम, जो हल्के इलैक्ट्रोनिक कैमरा 1/2" वीडियो कैसेट रिकार्डर तथा समान कार्य निष्पादन की इसी प्रकार की अन्य अनेक पद्धतियों का मिश्रण है, बाजार में हाल ही में आया है । इसके कार्य निष्पादन का विशेषकर मूल्यांकन किया जाना है क्योंकि इसमें मौजूदा फार्मेट से परिवर्तन अन्तर्निहित है ।

ये इस समय उन उपकरणों से दुगना महंगा है जो पहले ही उपयोग में हैं ।

15 प्रतिशत विदेशी इक्विटी वाली 66 फार्मास्यूटिकल्स एककों का लघु एककों के रूप में रजिस्ट्रेशन

7718. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औषधि और फार्मास्यूटिकल्स उद्योग सम्बन्धी हाथी समिति की रिपोर्ट (1975) में उल्लेख किया गया था कि 15 प्रतिशत विदेशी इक्विटी वाली 66 फार्मास्यूटिकल्स एककों को लघु क्षेत्र एकक के रूप में रजिस्टर्ड किया गया था;

(ख) क्या समिति ने यह भी सुझाव दिया था कि लघु क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों का समावेश नहीं होना चाहिए; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस मामले में सरकार की नीति, जैसी कि 29 मार्च, 1978 को लोक सभा के पटल पर रखे गए नयी औषधि नीति सम्बन्धी विवरण-पत्र के पैरा 23 में दी गयी है, यह है कि विदेशी कम्पनियों के लिए लघु उद्योग क्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र होगा ।

बंगाल लैम्पस् लिमिटेड में बैलरेक्स की घुसपैठ

7719. **श्री जगपाल सिंह :**
श्री शिवचरण वर्मा :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 फरवरी, 1984 के 'जनसत्ता' में 'बंगाल लैम्पस् में बेलरेक्स की घुसपैठ' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगाल लैम्पस् में व्याप्त अनियमितताओं और उनकी विशाल पूंजी को ध्यान में रखते हुए भारतीय औद्योगिक ऋण और पूंजी निवेश निगम तथा बैंक आफ बड़ौदा आदि जैसे वित्तीय संस्थानों को इस कम्पनी की अग्रिम ऋण न देने के आदेश देने का विचार है; और

(ग) क्या यह सच है कि बेलरेक्स बंगाल लैम्पस् में घुसपैठ की है; और यदि हां, तो क्या सरकार ने उपरोक्त घुसपैठ और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जनन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी ।

(ख) वित्तीय संस्थानों या बैंक आफ बड़ौदा को बंगाल लैम्पस् लिमिटेड को अग्रिम ऋण देने से रोकने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उधार ग्रहण करने वाली कम्पनियों को ऋण स्वीकृत करने/देने के सम्बन्ध में निर्णय लेना संस्थानों और बैंकों के लिए, अन्यों के साथ-साथ, प्रस्ताव की तकनीकी सम्भावनाओं और आर्थिक क्षमता को दृष्टिगत करते हुए आवश्यक है।

(ग) सम्भवतः, माननीय सदस्य, बंगाल लैम्पस् लिमिटेड की शेयर पूंजी में बेलरेक्स द्वारा किये गये निवेशों को निर्दिष्ट कर रहे हैं । बेलरेक्स ने 1955 से बंगाल लैम्पस् में शेयरों को धारण करने के सम्बन्ध में सूचना दी है और उसका 1976 में शेयर धारण 10.91 लाख रु० था, जो बंगाल लैम्पस् द्वारा जारी अधिकारों के परिणामस्वरूप 1978 में 12.52 लाख रु० तक चला गया था तथा उसके पश्चात् कोई और निवेश नहीं किया गया है । बंगाल लैम्पस् में बेलरेक्स के निवेश करने से कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों का उलंघन नहीं होता है, अतः सरकार द्वारा कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ केमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्टट्स बम्बई द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन

7720. **श्री रेणुपद दास** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स बम्बई की ओर से 23 फरवरी, 1984 का ज्ञापन सं० ए० आई० ओ० सी० : ओ० एम० पी० : 593:84 मिला है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों और सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी मांगों और सुझावों के सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) आल इंडिया आर्गेनाइजेशन आफ कैमिस्ट्स एण्ड ड्रगिस्ट्स ने अपने दिनांक 23 फरवरी, 1984 के ज्ञापन में दवाईयों पर लगाए जाने वाले करों को समाप्त करने तथा औषध तथा प्रसाधन अधिनियम, 1940 में कुछ संशोधन करने के प्रश्न को उठाया है ।

(ग) एसोसिएशन से प्राप्त सुझावों में अन्य मंत्रालयों/विभाग से परामर्श अन्तर्ग्रस्त है और परामर्श प्रगति पर है ।

कम्पनियों द्वारा अपने नियुक्त स्टाकिस्टों के अलावा अन्यों को थोक में उपभोक्ता वस्तुएं बेचने से इन्कार

7721. **डा० ए० यू० आजमी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 मार्च, 1984 के "इन्डियन एक्सप्रैस" में प्ली टू ब्रिंग पब्लिक यूनिट्स इन एम० आर० टी० पी० इम्बिट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कोलगेट पालमोलिव इण्डिया प्राइवेट, लिमिटेड, मंगलौर, गणेश बाड़ी वर्क्स, मंगलौर आदि जैसी उपभोक्ता सामान बनाने वाली कुछ कम्पनियां, दिल्ली में नियुक्त अपने स्टाकिस्टों के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति का थोक में अपने उत्पाद बेचने से इन्कार करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार को इण्डियन एक्सप्रैस के 16 मार्च, 1984 के अंक में "प्ली टू ब्रिंग पब्लिक यूनिट्स इन दी एम० आर० टी० पी० इम्बिट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की जानकारी है ।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को अभी हाल ही में शिकायत प्राप्त हुई है कि गणेश बीड़ी वर्क्स, मंगलौर ने अपनी सारी बिक्री दिल्ली में दो वितरकों को सौंप दी है तथा उनके क्षेत्रों को सुरक्षित किया है कि वे अपनी बीड़ी को किसी भी विक्रेता को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बेचें ।

(ग) इस मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

जम्मू और कश्मीर में सुरेनसर में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

7222. **श्री अब्दुल रशीद काबुली : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस के सहयोग से सुरेनसर जम्मू और कश्मीर में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज शुरू की थी;

(ख) खोज के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या तकनीकी जानकारी के अभाव और उनके सामने आ रही अन्य कठिनाइयों के कारण कार्य बन्द हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियन विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट (भेल) द्वारा सौर ऊर्जा का प्रयोग

7723. **श्री नवीन रावणी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) देश में सौर ऊर्जा का प्रयोग कर रहा है; और

(ख) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां ।

(ख) वाणिज्यिक आधार पर सौर ऊर्जा के विकास, सप्लाई एवं स्थापना के लिए कारपोरेट अनुसंधान और विकास, हैदराबाद में एक अलग सैल की स्थापना की गई है । सरकार की प्रदर्शन योजना के अधीन विभिन्न प्रयोगों के लिए कई सौर गर्म जल प्रणाणियों की स्थापना की गई है । इन प्रणालियों में से दो परियोजनाओं, अर्थात् सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त ग्रामों में सिंचाई के लिए सौर तापीय जल पम्प और पेय जल की सप्लाई तथा समन्वित विकेन्द्रित ऊर्जा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे प्रयोग के लिए कहा गया है ।

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र से देशी जानकारी पर आधारित सौर प्रकाश वोल्टिक सैलों के लिए बंगलौर में एक निर्माण एकक की स्थापना की गई है । इन सैलों के निर्माण की वार्षिक उच्चतम स्थापन क्षमता 200 किलो वाट है । बंगलौर में विनिर्मित सौर प्रकाश वोल्टिक विद्युत उत्पादन प्रणालियों को, गलियों की रोशनी, रेलवे सिगनलिंग, समुद्र तटीय तेल और प्लेटफार्म पाचित्र जल पम्पन, दूरदर्शन सैटों के संचालन आदि जैसे विभिन्न प्रकार के प्रयोगों की सप्लाई कर रहे हैं ।

औद्योगिक अल्कोहल पर लेवी के कारण उत्पादन में बाधा

7724. **श्री एस० वी० सिदनाल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि राज्यों द्वारा औद्योगिक अल्कोहल पर लेवी लगाये जाने से इसके उत्पादन को धक्का लगा है;

(ख) क्या चीनी फैक्ट्रियों को औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन करने के लिए प्रायः अपना शाखा कारखाना लगाने की मंजूरी नहीं दी जाती है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य सरकारों को अल्कोहल पर राज्य लेवी के सम्बन्ध में एकरूपता लाने की सलाह देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) औद्योगिक तथा पेय दोनों प्रयोजनों को पूरा करने के लिए गत दो अल्कोहल वर्षों के दौरान अल्कोहल की उपलब्धता पर्याप्त थी। तथापि, औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अल्कोहल की उठान कई पहलुओं के कारण संतोषजनक नहीं थी, जैसे कि अल्कोहल पर लगाए जाने वाले करों की उच्चतर दर।

(ख) औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन के लिए चीनी कारखानों के आवेदनों सहित, औद्योगिक लाइसेंस के लिए सभी आवेदन-पत्रों पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। औद्योगिक अल्कोहल के उत्पादन के लिए डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है।

(ग) और (घ) सरकार केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की बैठकों में और मुख्य मंत्रियों को पत्र भेज कर सतत् आधार पर राज्य सरकारों पर, यह जोर डाल रही है कि वे औद्योगिक अल्कोहल पर लगाये गए करों की मात्रा कम करे ताकि अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन में अल्कोहल के उपयोग को प्रोत्साहन मिले। इस मामले की जांच करने के लिए सरकार ने फरवरी, 1976 में डा० वियक जालान, आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति की सिफारिशों को केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा 18.12.1976 को हुई अपनी बैठक में एकमत से स्वीकार कर लिया गया था। राज्य सरकारों से बार-बार सिफारिशों को शीघ्र कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया है। फरवरी, 1983 में सरकार ने शीरा और अल्कोहल पर करों के सम्बन्ध में एक कार्यकारी दल गठित किया था, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट पर केन्द्रीय शीरा बोर्ड ने 6.1.1984 को हुई अपनी बैठक में विचार-विमर्श किया था।

दवा कम्पनियों द्वारा घटिया किस्म के औषधों का अधिक उत्पादन और विपणन

7725. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 मार्च, 1984 के इंडिया टुडे नामक पत्रिका में प्रकाशित लेख के अनुसार, औषध उद्योग में पूरी तरह अराजकता, अव्यवस्था और कारोबार में ठप्प होने की स्थिति व्याप्त है;

(ख) क्या यह सच है कि कई कम्पनियां घटिया किस्म के उत्पादों का अधिक उत्पादन कर रही हैं और बाजार में उनका विपणन कर रही हैं; और

(ग) क्या सिद्धान्तहीन और अनैतिक रूप से कार्य करने वाली इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की सरकार की कोई योजना है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिनांक 31 मार्च, 1984 के इंडिया टूडे में प्रकाशित समाचार में मुख्यतः लाइसेंशशुदा क्षमताओं से अधिक उत्पादन और बिना किसी औद्योगिक अनुमोदन के निर्मित किए जा रहे अनेक औषध फार्मूलेशनों के संबंध में मुदे उठाये गए हैं। अधिक उत्पादन की प्रवृत्ति केवल औषध उद्योग तक ही सीमित नहीं है। संगठित क्षेत्र में औषध एककों के मामले में ऐसे मामलों पर औद्योगिक विकास विभाग द्वारा 1980, 1982 और 1983 में घोषित अधिक स्थापित क्षमताओं की मान्यता देने/विनियमित करने और क्षमताओं के पुनः पृष्ठांकन की योजनाओं तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय के दिनांक 17.10.81 के प्रेस नोट में निहित अतिरिक्त मानदण्डों के आधार पर कार्यवाही की जाती है। जहां तक बिना औद्योगिक अनुमोदनों के औषध फार्मूलेशनों के निर्माण का संबंध है, सरकार, राष्ट्रीय औषध विकास परिषद् की सिफारिशें प्राप्त होने और उन पर विचार कर लेने के पश्चात् ही इस समस्या पर अन्तिम दृष्टिकोण अपनायेगी। औषधें और भेषजों पर गुण नियंत्रण की देख-रेख सम्बन्धित राज्य नियंत्रण प्राधिकारियों द्वारा की जाती है। घटिया और नकली औषधों की समस्या पर काबू पाने के लिए राज्य तंत्र को बढ़ाने और सुदृढ़ करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बहुत से उपयुक्त कदम उठाए हैं।

एक अमेरिकन फर्म को रिग किराया शुल्क के रूप में रिग की चार गुनी कीमत के बराबर धनराशि का भुगतान करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के विरुद्ध जांच

7726. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1982 में उनके मंत्रालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के खिलाफ एक अमेरिकन फर्म को जेक अप रिग के किराया शुल्क के रूप में रिग की कीमत के चार गुना के बराबर धनराशि का भुगतान करने के आरोप की सर्वांगीण जांच के लिए इस बीच कोई समिति गठित कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस लेन देन से सम्बद्ध दस्तावेजों के खोने और लेखा परीक्षा दल को अन्य सम्बद्ध दस्तावेज उपलब्ध न कराने के लिए किसी की जिम्मेदारी निश्चित कर दी गई है तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की इस असंगत फिजूलखर्ची के क्या कारण पाये गये और क्या इस अनियमितता में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विज्ञापन व्यय पर 20 प्रतिशत की कटौती को वापिस लेना

7727. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का राजस्व अधिकतर विज्ञापन राजस्व पर निर्भर होता जा रहा है और 1982-83 में आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा एकत्र विज्ञापन राजस्व का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने अतिरिक्त राजस्व एकत्र करने के लिए विज्ञापन-दाताओं को अब प्रायोजित कार्यक्रमों को पेशकश की है;

(ग) विज्ञापन व्यय पर 20 प्रतिशत की कटौती के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के राजस्व में कितनी कमी जाएगी; और

(घ) क्या उनका मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन में योजना के अनुसार वृद्धि करने के लिए, सरकार से 20 प्रतिशत कटौती को वापस लेने की सिफारिश कर रहा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) विज्ञापन राजस्व, आकाशवाणी/दूरदर्शन के स्रोतों में से एक है। आकाशवाणी/दूरदर्शन द्वारा 1982-83 के दौरान अर्जित कुल विज्ञापन राजस्व इस प्रकार है :—

आकाशवाणी	दूरदर्शन
15.51 करोड़ रुपए	15.89 करोड़ रुपए

(ख) जी हां।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के राजस्व में कमी नहीं हुई है। इसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है।

(घ) इस सम्बन्ध में, विद्यापन विश्व से प्राप्त अभ्यावेदनों को वित्त मंत्रालय के विचार के लिए भेज दिया गया है।

सोडा ऐश संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त समिति

7728. **श्री अजित कुमार साहा :**

श्री रेणुपद दास :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडा ऐश संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त कर दी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह समिति उत्पादन, वितरण, मूल्य, आयात नीति, आयात शुल्क आदि जैसे सोडा ऐश संबंधी सभी पहलुओं का अध्ययन करेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपभोक्ता संघ ने सरकार से सोडा ऐश के मूल्य आयात शुल्क में कमी करने का अनुरोध किया तो उन्हें सूचित किया गया है कि इस प्रश्न पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति विचार करेगी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा उत्पादकों को यह परामर्श न दिए जाने के कारण क्या हैं कि इस संबंध में यथास्थिति को बनाए रखा जाए क्योंकि इस मामले में उच्चाधिकार प्राप्त समिति विचार कर रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) इस समय सोडा ऐश के मूल्य पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है। तथापि उत्पादकों के मूल्यों पर अनौपचारिक निगरानी रखी जाती है। हाल ही में निर्माताओं ने कोयले के बढ़े हुए मूल्यों के कारण मूल्यों में वृद्धि की है। उनसे इसकी पुनः जांच करने के लिये कहा गया है कि क्या वृद्धि की मात्रा न्यायसंगत है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की खानों में कोयले की प्रति टन उत्पादन लागत

7729. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 22 जुलाई, 1983 को धनबाद से प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक में "माणीडीह प्रोजेक्ट हैडिंग दुवाइर्स एन एन्टी क्लाईमेक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) माणीडीह और सुदामडीह से उत्पादित कोयले के उत्पादन पर प्रति टन कितनी लागत आती है; तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि इन अधिकतम यंत्रीकृत खानों से सबसे महंगा कोयला उत्पादित होता है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की सभी खानों में 1982-83 के दौरान कोयले के उत्पादन पर प्रति टन कितनी लागत आई है तथा खान-वार आंकड़ों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सौराष्ट्र क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

7730. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में दूरदर्शत केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे स्थान का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, जहां पर इसको स्थापित किये जाने की संभावना है तथा उसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र आने की संभावना है;

(ग) क्या गिरनार में जो इस क्षेत्र में बहुत ऊंचा क्षेत्र है और जिसके द्वारा लम्बी दूरी के क्षेत्र को भी दूरदर्शन कार्यक्रम के रिले करने में सहायता मिल सकती है तथा इसकी लागत भी बहुत कम होगी; एक रिले केन्द्र स्थापित करने के लिए जूनागढ़ का भी कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में, गिरनार में एक रिले केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में राजकोट और द्वारका में उच्च शक्ति वाले दो ट्रांसमीटर तथा भावनगर में अल्प शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है। अहमदाबाद के उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से सुरेन्द्र नगर जिले के भागों में भी सेवा उपलब्ध होगी।

(ख) उक्त केन्द्रों के लिए स्थानों का चयन कर लिया गया है तथा भवन और टावरों के निर्माण का कार्य हाथ में ले लिया गया है। राजकोट और द्वारका के ट्रांसमीटरों की सेवा परिधि लगभग 120 किलोमीटर होने की उम्मीद है। जबकि भावनगर के ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होगी। जामनगर, राजकोट तथा सुरेन्द्र नगर के जिलों के पूरी तरह से कवर होने की उम्मीद है। जूनागढ़, अमरेली तथा भावनगर के शेष तीन जिलों के आंशिक रूप से कवर होने की उम्मीद है। राजकोट, जूनागढ़ तथा जामनगर के जिलों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के सेवा क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 300 सीधे संग्रहण सैट तथा इनके सेवा क्षेत्र के अन्दर 400 वी० एफ० सैट उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी, नहीं। गिरनार पहाड़ी पर दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) हाथ में ली गई स्कीमों के चालू वर्ष के अन्त तक कार्यान्वित हो जाने पर, कुल 19 जिलों में से 18 जिलों में गुजरात के अनुमानित 69 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। जूनागढ़ जिले को राजकोट और द्वारका के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों से सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा.

सेना के पेंशन भोगियों को पेंशन का भुगतान

7731. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि गोल डाकखाना नई दिल्ली से पेंशन प्राप्त करने वाले सेना के पेंशनभोगियों को उनके द्वारा आवेदन किये जाने के बावजूद उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप मिलने वाली बकाया राशि के न मिलने के कारण भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा उनकी पेंशन को 1 अप्रैल, 1984 को देय मार्च, 1984 से पेंशन के मास्टर्स में अंतरण के अनेक आवेदनों पर विचार नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या फरवरी, 1984 में दिए गए इस आशय के आवेदन पत्र, गोल डाकखाना नई दिल्ली, में गुम हो गए हैं; यदि हां, तो कितने आवेदन गुम हुए हैं; और

(ग) उक्त डाकखाने में 31 मार्च, 1984 की तारीख को कितने आवेदन पत्रों पर कार्रवाई होनी बकाया थी तथा उन्हें निपटाने और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है कि सेना के इन पेंशनधारियों को 1 अप्रैल, 1984 से आगे तक सही समय पर पेंशन मिल जाए ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस प्रकार का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) 450 आवेदन लंबित हैं। उसमें से 256 मामलों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है और केवल उनका भुगतान किया जाना है। शेष 194 मामलों पर यथाशीघ्र कार्रवाई पूरी करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

बेलडिला मजदूर यूनियन, बाचेसली हिल टाप (मध्य प्रदेश) द्वारा दिया गया अभ्यावेदन

7732. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें बेलडिला मजदूर यूनयिन (सी० आई० टी० यू०) वाचेसली हिल टाप

(मध्य प्रदेश) दिनांक 15 मार्च, 1984 का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनके अभ्यावेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) तथा (ख) यूनियन से प्राप्त ज्ञापन में यूनियन ने अभिवेदन किया है कि बेलाडिह आयरन और प्रोजेक्ट की डिपाजिट संख्या 5 का प्रबन्धतंत्र पदोन्नति प्रोटेस्ट आदि में भाग लेने के लिए कार्यवाही करने के मामलों में संघ के सदस्यों के साथ पक्षपात कर रहा था ।

(ग) क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), जबलपुर से रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया है । यूनियन विशिष्ट मामलों को संराधन अधिकारी के समक्ष भी उठा सकता है, ताकि विवादों को निपटाने के प्रयास किए जा सकें ।

ऊर्जा के दिन प्रतिदिन के उत्पादन और खपत में सुधार लाने हेतु ऊर्जा बोर्ड का सुझाव

7733. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा बोर्ड ने हाल में ऊर्जा के दिन प्रतिदिन के उत्पादन और इसकी खपत में सुधार करने के सम्बन्ध में 8-सूत्री मध्यम स्तरीय ऊर्जा नीति का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ऊर्जा सलाहकार बोर्ड ने प्रधान मंत्री को सितम्बर, 1983 और फरवरी, 1984 को क्रमश: सिफारशों के दो सैट प्रस्तुत किए थे । 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 623 के उत्तर में लोक सभा में दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के लिए 3.4.1984 को सभापटल पर इन सिफारिशों के ब्यौरे रखे गए हैं ।

साइमटाडिन और अन्य बल्क ड्रगों के लिए जातिगत (जैनेरिक) नामों का उपयोग

7734. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बेचे जाने वाले बल्क ड्रग/फार्मूलेशनों के एकल उत्पादों के लिए जातिगत (जैनेरिक) नामों के उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि ड्रग्स कम्पनियों द्वारा साइमाटाडिन और अन्य बल्क ड्रगों को पेटन्ट नामों से बेचने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो क्या यह नई ड्रग नीति का उल्लंघन नहीं होगा;

(ग) क्या सरकार का पेटन्ट करने का प्रतिबंध हटाने के लिए इस मामले में इस उद्योग से परामर्श करने का विचार है और यदि नहीं. तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) क्या इस निर्णय से भारतीय ड्रग उद्योग का विकास अवरुद्ध होगा और यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) हाथी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने निम्नलिखित पांच औषधों पर आधारित एकल घटक फार्मूलेशनों के ब्रेंड नामों को मार्च, 1978 में समाप्त करने का निर्णय किया :—

1. एनलजिन 2. एस्प्रिन 3. क्लोरप्रोमाजाइन 4. फेरस सल्फेट 5. पिपराजाइन और इसके लवण, जैसे कि एडापेट, सिट्रेट और फास्फेट ।

इसके अतिरिक्त निर्यात को छोड़कर, एकल घटक खुराक में फार्मूलेट की जाने वाली नई औषधों के ब्रेंड नामों के उपयोग को भी समाप्त कर दिया गया । कुछ उत्पादकों ने सरकार के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उक्त न्यायालय ने 13 अगस्त, 1982 को दिए गए अपने निर्णय में यह घोषित किया कि अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करना कि एकल सक्रिय घटकों वाली किसी भी औषध का सामान्य नाम से विपणन किया जाए, अवैध तथा संविधान के विरुद्ध है । सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ अपील की है जो स्वीकार कर ली गई है ।

(ख) नामों पर कोई नियंत्रण नहीं है जिनके अधीन प्रपुंज औषधों का विपणन किया जाए ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद इस समय ब्रेंड/सामान्य नामों के उपयोग से संबंधित नीति सहित 1978 की औषध नीति के विभिन्न उपबंधों का पुनरीक्षण कर रही है । सरकार परिषद की सिफारिशों की प्राप्ति तथा उन पर विचार-विमर्श के बाद उपयुक्त परिवर्तन, यदि आवश्यक हो, करेगी ।

गोदावरी तट पर रोशोल-आई कुएं से गैस का वाणिज्यिक प्रयोग

7735. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1985-86 में शुरू होने वाले गोदावरी तट पर रोसोल-आई कुएं से प्राप्त होने वाली गैस के वाणिज्यिक प्रयोग की हाल में योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गठित कृतिक बल का ब्यौरा क्या है और गोदावरी बेसिन के साथ पर्यावरणीय और भौगोलिक स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियन विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सरकार इस समय राजोल में उपलब्ध गैस, जिसमें मीथेन विपुल मात्रा में है, के वैकल्पिक उपयोगों की संभावना की जांच कर रही है ।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नियुक्त कार्यदल का सम्बन्ध अनिवार्यतः उत्पादन परीक्षण और उच्च दाब वाले कुओं को पूरा करने से है ।

मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों को डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन

7736. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक समाचार-पत्र के उसके आरम्भ होने से अब तक प्रसार की संख्या संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन समाचारपत्रों को विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन दिये जाने की स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं;

(घ) सरकार ने ऐसे समाचारपत्रों को, जिन्हें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय ने न तो कोई विज्ञापन दिया है और न ही विज्ञापन देने संबंधी कोई निर्णय किया है, डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन दिलाने के बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार किया है; और

(ङ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) समाचारपत्रों के नाम, उनकी प्रसार संख्या के ब्यौरे के साथ, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा प्रति वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किए जाते हैं । 31-12-1981 के दिन की स्थिति के अनुसार, मध्य प्रदेश से प्रकाशित हो रहे समाचारपत्रों का ब्यौरा "प्रेस इन इंडिया 1982" में दिया गया है जिसकी प्रति सदन की मेज पर 27-8-1983 को रखी गई थी ।

(ख) और (ग) सरकारी विज्ञापनों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा अनुमोदित मध्य प्रदेश के समाचार पत्रों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

(घ) और (ङ) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा सरकारी विज्ञापनों के लिए स्वीकृत करने हेतु किसी समाचारपत्र पर विचार करने की कार्रवाई केवल सभी संभव है जब संबंधित समाचारपत्र से औपचारिक आवेदन पत्र प्राप्त हो जाए जिसमें उसका पूर्ण माध्यम ब्यौरा इत्यादि दिया हुआ हो । विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन नीति के अनुसार उसकी पात्रता तथा सरकार की प्रचार आवश्यकताओं के अनुसार उसकी उपयुक्तता का आकलन करने के लिए ब्यौरों का विश्लेषण किया जाता है । जिन समाचारपत्रों को पात्र और उपयुक्त पाया जाता है, उन्हें अनुमोदित कर दिया जाता है तथा अन्य मामलों में कमियों, इत्यादि को शोधक कार्रवाई के लिए संबंधित प्रकाशकों के ध्यान में ला दिया जाता है ।

विवरण

7-4-84 के दिन की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार के विज्ञापनों के लिए अनुमोदित मध्य प्रदेश की समाचारपत्र/नियतकालिक पत्र

क्रम संख्या	नाम
	अंग्रेजी दैनिक
1.	मध्य प्रदेश क्रोनिकल, भोपाल
2.	मध्य प्रदेश क्रोनिकल, रायपुर
3.	हितवाद, भोपाल
4.	फ्री प्रैस जनरल, इन्दौर
	हिन्दी
5.	नई दुनिया, इन्दौर
6.	भास्कर, इन्दौर
7.	नवभारत, इन्दौर
8.	स्वदेश, इन्दौर
9.	इन्दौर समाचार, इन्दौर
10.	अपनी दुनिया, इन्दौर
11.	विश्व भ्रमण, इन्दौर
12.	दोपहर, इन्दौर
13.	अग्निबाण, इन्दौर
14.	भास्कर, भोपाल
15.	नव भारत, भोपाल
16.	अशोक, भोपाल
17.	जागरण, भोपाल
18.	संध्या प्रकाश, भोपाल
19.	स्वदेश, भोपाल
20.	संध्या रपट, भोपाल
21.	नवजीवन भोपाल
22.	भास्कर, ग्वालियर

23. लोक पथ, ग्वालियर
24. नव प्रभात, ग्वालियर
25. निरंजन, ग्वालियर
26. स्वदेश, ग्वालियर
27. आचरण, ग्वालियर
28. देश बन्धु, रायपुर
29. नव भारत, रायपुर
30. युग धर्म, रायपुर
31. महाकौशल, रायपुर
32. देशबन्धु, जबलपुर
33. नव भारत, जबलपुर
34. नवीन दुनिया, जबलपुर
35. युग धर्म, जबलपुर
36. जागरण, रीवा
37. आलोक, रीवा
38. अवतिका, उज्जैन
39. ब्रिगेडियर, उज्जैन
40. विक्रम दर्शन, उज्जैन
41. प्रजा दूत, उज्जैन
42. दैनिक राही, सागर
43. सागर सरोज, सागर
44. बिलासपुर टाइम्स, बिलासपुर
45 नई विद्या, नीमच
46. सवेरा संकेत, राजनन्दगांव
47. हमदेश, रतलाम
48. जवान भारत, सतना
49. दैनिक शहडोल टाइम्स, शहडौल

50. जनहित दर्शन, छत्तरपुर

51. दैनिक भारती, कटनी

उर्दू

52. आफ़ताब-ए-जदीद, भोपाल

53. नदीम, भोपाल

साप्ताहिक

अंग्रेजी

54. दण्डकारन्य समाचार, जबलपुर

55. एम० पी० वीकली नोट्स, ग्वालियर

56. प्रीमियर, भोपाल

57. प्रभात किरण, इन्दौर

58. स्पुतनिक, इन्दौर

59. मालव समाचार, इन्दौर

60. मालव आंचल, इन्दौर

61. युग प्रभात, इन्दौर

62. सूचक, इन्दौर

63. अहिल्यावाणी, इन्दौर

64. आज की जनता, इन्दौर

65. शिवदेश, इन्दौर

66. सिमटी दुनिया, इन्दौर

67. कृषक जगत, भोपाल

68. चेतना, भोपाल

69. चेरेवती, भोपाल

70. वेद सुधा, भोपाल

71. खबरदार, भोपाल

72. मध्यभूमि, भोपाल

73. मित्रवाणी, भोपाल

74. इन्द्रासन, भोपाल

75. भ्रष्टाचार नियंत्रण, भोपाल

76. तरुण दुनिया, भोपाल

77. जन जन देश, भोपाल

78. तरुण अभियान, भोपाल

79. जनधर्म, भोपाल

80. गरम बसंत, भोपाल

81. हिन्दी हेरल्ड, भोपाल

82. रम्भा टाइम्स, भोपाल

83. मेरा पत्र, भोपाल

84. एम० पी० अपराध पोलिस न्यायालय विचार समाचार, भोपाल

85. पंच दुर्गा, भोपाल

86. कोमेदिक टाइम्स, भोपाल

87. प्रगतिशील मंच, भोपाल

88. कृषक दुनिया, भोपाल

89. चम्बल वाणी, ग्वालियर

90. जन प्रवाह, ग्वालियर

91. श्रम गर्जना, ग्वालियर

92. आर्थिक घोष, ग्वालियर

93. साप्ताहिक मृदंग, ग्वालियर

94. मुरैना आश्चर्य, ग्वालियर

95. लश्कर समाचार, ग्वालियर

96. नारद रुख, ग्वालियर

97. जन संसद, ग्वालियर

98. प्रगतिशील जनपक्ष, जबलपुर

99. बुलंद आवाज, जबलपुर
100. मालवा टाइम्स, उज्जैन
101. समीर दर्शन, उज्जैन
102. जनजगीर ज्योति, बिलासपुर
103. धधकती ज्वाला, बिलासपुर
104. सेन्ट्रल टाइम्स, बिलासपुर
105. हसदेव टाइम्स, बिलासपुर
106. विंध्या संदेश, रेवा
107. बोलती दीवारें, रेवा
108. सामयिक निर्णय, रेवा
109. अग्रदूत, रायपुर
110. बपीर, रायगढ़
111. सामंत पिपरिया
112. समिति, सिरधी
113. मेकलवाणी, मांडला
114. करार, दुर्ग
115. जनवाहक, सिहोर
116. अपना मोर्चा, धंतारी
117. महिला उत्थान, छत्तरपुर

उर्दू

118. अयाज, भोपाल

सिंधी

119. फर्ज, भोपाल
120. चैलेंज, भोपाल

अंग्रेजी पाक्षिक

121. दि इन्दोक, भोपाल

हिन्दी

122. केशव प्रयास, ग्वालियर

123. युग सेवा, ग्वालियर

124. डे लाईट, ग्वालियर

125. आर्थिक वाणी, ग्वालियर

126. हार सिंहार, ग्वालियर

127. जन जागृति धारा, भोपाल

अंग्रेजी मासिक

128. जबलपुर लॉ जेनरल, ग्वालियर

हिन्दी

129. उषा, धाड़

सिंधी

130. सम्राट दहिरसन, इन्दौर

131 शकुन्तला, इन्दौर

132. ज्योति जगदी रहे, भोपाल

भारत अर्थ मूवर्स कर्मचारी संघ, कोलार स्वर्ण क्षेत्र से प्राप्त ज्ञापन

7737. **श्री एम० एम० लारेंस :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को भारत अर्थ-मूवर्स कर्मचारी संघ, कोलार स्वर्ण क्षेत्र से मकानों का निर्माण करने या तैयार फ्लेट खरीदने हेतु संशोधित भविष्य निधि योजना, 1952 के अन्तर्गत दूसरी बार ऋण दिए जाने के लिए ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी हां।

(ख) मकानों के निर्माण करने या बने बनाए मकानों या फ्लैटों के लिए द्वितीय पेशगी के भुगतान करने की इस समय योजना में व्यवस्था नहीं है।

कम बिक्री वाले दैनिक तथा साप्ताहिक समाचारपत्रों के लिए आचार संहिता

7738. **श्री जैनुल बशर :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि छोटे शहरों से प्रकाशित होने वाले कम बिक्री वाले दैनिक तथा साप्ताहिक समाचारपत्रों द्वारा सामान्यत: राजनीतिज्ञों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध सनसनीखेज तथा आधारहीन समाचार प्रकाशित किये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं कि किस प्रकार के समाचार-पत्रों द्वारा ब्लैकमेल करने वाली कोशिश की जाती है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इस प्रकार के समाचार-पत्र, समाचार-पत्र आचार संहिता के अन्तर्गत नहीं आते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समाचार-पत्रों में इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद्, जो एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, का गठन प्रेस की स्वतंत्रता का परीक्षण करने तथा भारत के समाचार-पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखने और उनमें सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है। परिषद् ने सूचना दी है कि उसको समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रही हैं जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि देश के कतिपय समाचार-पत्रों द्वारा सनसनीखेज और आधारहीन समाचार प्रसारित किए जाते हैं। परिषद् ने यह भी बताया है कि उसको ऐसी भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें ये आरोप थे कि कुछ समाचार-पत्रों ने उच्च और उत्तरदाई स्थिति धारण करने वाले व्यक्तियों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

(ग) और (घ) प्रेस की स्वतन्त्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुसरण में, सरकार ने समाचार-पत्रों के लिए कोई आचार संहिता निर्धारित नहीं की है। सरकार निस्सन्देह भारतीय प्रेस परिषद् जैसे निकाय द्वारा समाचार-पत्रों के मार्गदर्शन के लिए आचार संहिता निर्धारित किए जाने का स्वागत करेगी। परिषद इस समय भारतीय विधि संस्थान के सहयोग से एक सार संग्रह तैयार करने के काम में रत है जिसमें इसके द्वारा दिए गए न्याय निर्णयों में विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत इसके द्वारा अब तक प्रतिपादित सभी सिद्धान्तों को समाचार-पत्रों के मार्गदर्शन के लिए दिया जाएगा।

गुजरात में कोयला भंडारों का पता लगना

7739. **श्री के० प्रधानी :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कोयले के भारी भण्डार पाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन भण्डारों का उल्लंघन करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या मोटी कोयला परतों के बीच में भी तेल की परतें हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय द्वारा कोई भूमिगत कोयला गैसीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसको कब तक प्रारंभ किये जाने की संभावना है तथा इसके लिए क्या विदेशी प्रौद्योगिकी जानकारी आमंत्रित की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) गुजरात में 1000-1800 मीटर के बीच गहराई पर पर्याप्त कोयला भंडार पाए गए हैं। फिलहाल कोल इंडिया लि० की इतनी गहराई पर कोयला परतों के खनन की कोई योजना नहीं है।

कोयला परतों के बीच तेल की तहें भी हैं। सरकार ने (पेट्रोलियम विभाग में) गुजरात में भूमिगत गैसीकरण के बारे में साध्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक दल के गठन का निर्णय किया है। यह दल उपयुक्त अवसर पर, अन्य बातों के साथ-साथ विदेशी प्रोद्यौगिकी के मांगने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा।

दिल्ली दूरदर्शन पर विदेशी फीचर फिल्मों का प्रदर्शन

7740. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान दिल्ली दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई विदेशी फीचर फिल्मों के नाम तथा संख्या कितनी है;

(ख) दूरदर्शन पर अस्पष्ट, बिना विवरण और घटिया किस्म की फिल्में प्रदर्शित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उत्कृष्ट किस्म की विदेशी फिल्में दूरदर्शन पर प्रदर्शित करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल 26 विदेशी फिचर फिल्में टेलीकास्ट की गई थीं। उनकी सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) और (ग) विदेशी फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों की एक समिति द्वारा छानबीन की जाती है और उनका चयन किया जाता है। चयन करते समय

समिति निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखती है :—

(क) अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त

(ख) विषयात्मक मूल्य

(ग) चलचित्रिकी मूल्य

(घ) मनोरंजन मूल्य

(ङ) निर्माण वर्ष

(च) फिल्म दूरदर्शन पर कितनी बार दिखाई गई और किन केन्द्रों पर।

विवरण

दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से 1982-83 और 1983-84 के दौरान टेलीकास्ट की गई फिल्मों की सूची।

1982-83

1. स्वीट हार्ट आफ दि गाड्स
2. मर्डर आन दि ओरियंट एक्सप्रेस
3. आपरेशन आन टाइगर
4. "जैड"
5. दि डोव
6. दि क्रेन्स आर फ्लाइंग
7. वेक्सटर
8. ए डिस्टेंट क्राई फ्राम दि स्प्रिंग
9. इन फार दि रोजिज
10. लैंड आफ नो रिटर्न्स

1983-84

1. देयर गोज दि ब्राइड
2. टिन
3. वन मैन
4. सेंडोकन (I)
5. सेंडोकन (II)
6. सिन आफ क्राइम "सियर्स लेटर" डेथ आफ वर्गलर
7. पोर्टरेट आफ टेरेसा
8. दि स्माइल
9. हाट समर शेडोज
10. अननोन सोल्जर्स आफ दि पेटेंट लेथर शूज
11. औरफी
12. जोनी
13. मर्सी फार दि लिविंग
14. काउन्ट डाऊन
15. स्पारटेक्सा
16. डायरी आफ ए यूथ

कोल इन्डिया लिमिडेड की टेंडर समिति

7741. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोल इंडिया लिमिटेड में बनाई गई टेंडर समिति टेंडर खण्ड में दिए गए नियमों का पालन नहीं कर रही है;

(ख) टेंडर समिति द्वारा पूना और राजकोट में स्टाक यार्डों के टेंडर अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं : और

(ग) कल्याण स्टाक यार्ड के लिए अपेक्षित आवश्यकताओं को पूरा न किए जाने के बावजूद पार्टियों को बातचीत के लिए बुलाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

श्रम मन्त्रालय में औद्योगिक विवादों के मामले

7742. **श्री अजित बाग** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम मंत्रालय में पिछले तीन वर्षों से उद्योग-वार कितने औद्योगिक विवाद लम्बित पड़े हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामले न्यायनिर्णय के लिए भेजे गये;

(ग) मंत्रालय ने कितने मामलों को नामंजूर किया और इसके क्या कारण थे;

(घ) कितने मामलों में पंचाट दिया गया; और

(ङ) कितने मामलों में पंचाट को क्रियान्वित नहीं किया गया ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) (क) कोयला खानों, डाक व तार घरों और रेलवे जैसे उद्योगों से संबंधित केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले 32 मामले लम्बित पड़े हैं ।

(ख) 2095.

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान 3200 मामले रद्द किए गए थे । केन्द्रीय सरकार इस बात से सहमत नहीं थी कि वे न्यायनिर्णयन के लिए निदेशित किए जाने वाले मामले थे । इनके कारणों को, जैसा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12 (5) के अधीन अपेक्षित है, विधिवत् रिकार्ड किया गया था तथा सम्बन्धित पक्षों को उनकी सूचना भेज दी गई थी ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान औद्योगिक अधिकरणों द्वारा 1641 पंचाट (अवार्ड्स) दिए गए ।

(ङ) 233.

जिला मुख्यालयों में पूर्णकालिक रेडियो संवाददाताओं की नियुक्ति

7743. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिलों में अंश-कालिक रेडियो संवाददाताओं को नियुक्त करने के लिए क्या मार्ग-निर्देश तथा प्रक्रिया है तथा वे कितनी अवधि के लिए नियुक्त किये जाते हैं;

(ख) क्या प्रत्येक जिला मुख्यालय में कम से कम एक पूर्णकालिक संवाददाता रखने का प्रस्ताव है :

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक श्रेणी में आल इंडिया रेडियो, शिमला से सम्बद्ध अंशकालिक/पूर्णकालिक संवाददाताओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) ऐसे जिलों में जहां पर इस समय केवल अंशकालिक संवाददाता हैं वहां पूर्णकालिक संवाददाता कब तक उपलब्ध कराने की सम्भावना है; और

(ङ) इन जिलों में पूर्णकालिक सम्वाददाताओं को अब तक नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जिलों में अंशकालिक सम्वाददाताओं की नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तथा प्रक्रिया और उनका कार्यकाल संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इस समय प्रत्येक जिला मुख्यालय में अंशकालिक सम्वाददाता रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) इस समय दो पूर्णकालिक सम्वाददाता, एक शिमला में और दूसरा धर्मशाला में हैं तथा पांच अंशकालिक सम्वाददाता, सोलन, मंडी, कुल्लु, बिलासपुर और हमीरपुर में एक-एक, हैं ।

(घ) जिन जिलों में केवल अंशकालिक सम्वाददाता हैं उनमें पूर्णकालिक सम्वाददाता रखने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ङ) पूर्णकालिक सम्वाददाताओं की नियुक्ति समाचारों की मात्रा इत्यादि को ध्यान में रखते हुए राज्यों की राजधानियों तथा अन्य स्थानों पर की जाती है ।

विवरण

अंशकालिक सम्वाददाता की नियुक्ति के लिए निर्धारित अर्हताएं निम्नानुसार हैं :

1. आवश्यक अर्हताएं

(1) स्नातक ।

(2) पत्रकारिता का 2/3 वर्ष का अनुभव ।

(3) जिला मुख्यालय में निवास ।

वांछनीय

पत्रकारिता में डिप्लोमा ।

2. आयु सीमा

25 से 50 वर्ष तक (उम्मीदवार की उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए 55 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।

यदि अन्यथा उपयुक्त पाया जाए पो अपवादात्मक मामलों में न्यूनतम अर्हता शिथिल की जासकती है ।

अंशकालिक सम्वाददाताओं की रिक्तियां रेडियो पर उद्घोषणाओं के रूप में या एमप्लामेंट न्यूज/समाचारों में विज्ञापित की जानी होती है । इस प्रकार के आवेदन पत्र मुख्य क्षेत्रीय केन्द्र के केन्द्र निदेशक को भेजे जाने होते हैं । अंशकालिक सम्वाददाताओं के मामले के वार्षिक संविदा सामान्यतया वर्षानुवर्ष आधार पर 60 वर्ष की आयु तक चलती रहेगी जो उनके संतोषजनक कार्य निष्पादन पर निर्भर करेगी । तथापि, 60 वर्ष की आयु के बाद संविदा का नवीकरण सक्षम चिकित्सा से शारीरिक सक्षमता और उपयुक्तता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा ।

शुल्क : 250/ रु० प्रति माह (समेकित)

चुने गए अंशकालिक सम्वाददाताओं को राज्य के मुख्यालय स्तर पर आकाशवाणी की समाचार आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

राजस्थान में तेल का पता लगना

7744. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में तेल का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त तेल का नमूना, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा परीक्षा के लिए, बड़ौदा भेजा गया है; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम प्राप्त हुआ है; और

(घ) उस क्षेत्र से तेल का पता लगाने के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) और (घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान में सादेवाला में एक स्थान पर खुदाई की थी जिसका परीक्षण अभी भी किया जा रहा है। परीक्षण के परिणामों के उपलब्ध होने के बाद इस क्षेत्र में आगे के खुदाई कार्यक्रम का फैसला किया जायेगा।

भारतीय तेल निगम द्वारा निविदाएं आयंत्रित करके बम्बई हाई के कच्चे तेल का निर्यात

7745. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित करके बम्बई हाई के कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है; यदि हां तो 1-4-83 से 29-2-84 तक इस प्रकार की कितनी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उपरोक्त निविदाओं में से प्रत्येक में अलग-अलग बिक्री हेतु कितने मीट्रिक टन तेल की व्यवस्था की गयी थी;

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान भारतीय तेल निगम को उक्त निविदाओं में से प्रत्येक के लिए अधिकृत बोली मूल्य कितना मिला; और

(घ) उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त निविदाओं में से प्रत्येक के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वालों के क्या नाम हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां, 1-4-1983 से 29-2-1984 की अवधि के दौरान बम्बई हाई के कच्चे तेल के निर्यात के लिए 11 निविदाएं आमंत्रित की गई थीं।

(ख) से (घ) सार्वजनिक रूप से इनके ब्यौरे देने की वाणिज्यिक प्रथा नहीं है।

दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरों में कमी

7746. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने जुलाई, 1983 में दिल्ली में सिनेमा टिकटों की दरें कम करने का निर्णय किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस निर्णय को अब तक लागू नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह निर्णय कब तक लागू किया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी, हां। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पंजाब सिनेमा विनियमन अधिनियम, 1952, जैसा कि वह हरियाणा राज्य में प्रवृत्त है तथा जिसे बाद में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र पर भी लागू किया गया है, कि धारा 7-ख के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के आधार पर 26-7-83 को दिल्ली सिनेमाघरों की प्रवेश दरें 5-8-83 से निम्नानुसार संशोधित की :—

(1) वातानुकूलित	औसतन 2.21 रु० से 2.47 रु० तक प्रति सीट।
(2) एयर कूल्ड	औसतन 1.90 रु० से 2.21 रु० तक प्रति सीट।
(3) अन्य	औसतन 1.90 रु० तथा इससे कम प्रति सीट।

लगभग 50 सिनेमाघर मालिकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिकाएं दायर कीं जिनमें उप राज्यपाल के आदेश की वैधता को चुनौती दी गई थी। मामले की उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ द्वारा सुनवाई की गई थी और आदेश को आंशिक रूप से रोक दिया गया था। इस समय स्थिति यह है कि दिल्ली में याचिकादाताओं के सिनेमाघरों में सबसे निचली दो श्रेणियों के लिए प्रवेश दरें वे हैं जो उप राज्यपाल द्वारा 26-7-83 को निश्चित की गई थीं। सिनेमाघरों की शेष श्रेणियों के बारे में प्रवेश दरें वही रहनी हैं जो सिनेमाघरों के मालिकों द्वारा निश्चित की गई थी और जो 26-7-83 से पहले विद्यमान थीं। जिन सिनेमाघरों ने याचिकाएं दायर नहीं कीं और उप राज्यपाल के 26-7-83 के आदेश के लिए अपना विकल्प दिया उन्होंने अपनी दरें उक्त आदेश के अनुसार निश्चित की हैं। अब सभी सिविल रिट याचिकाओं को अन्तिम निर्णय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय में तब्दील कर दिया गया है और वे पेंडिंग है। इस प्रकार मामला न्याय निर्णयाधीन है।

डाक-तार विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निश्चित अवधि के भीतर एक पदोन्नति देने की आरक्षण योजना

7747. **श्री के० बी० एस० मणि** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने गृह मंत्रालय से परामर्श किए बिना ही डाक तार विभाग में एक निश्चित अवधि के भीतर समयबद्ध एक पदोन्नति दिये जाने के आदेश हाल ही में जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अधीन संवर्ग-वार कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया;

(ग) यदि उनमें आरक्षण किया गया है, तो उतमें कितने पद अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गये;

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों में से कितने पद भरे गये;

(ङ) क्या आदेश जारी करते समय क्या ऐसा कोई निर्देश किया गया है कि इसमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का नियम लागू नहीं होगा;

(च) क्या उक्त समयबद्ध पदोन्नति आदेश में आरक्षण प्रदान करने हेतु, अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के संघ और संसद सदस्यों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(छ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से परामर्श करने के पश्चात डाक तार विभाग में एक समयवद्ध पदोन्नति योजना प्रारंभ की गई है ।

(ख) संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ग) समयबद्ध पदोन्नति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था नहीं है । सोलह वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति का जहां तक संबंध है, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए मूल काडर और उससे उच्च पदोन्नति ग्रेड में, जिसमें एक पदोन्नति योजना के अधीन 16 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद पदोन्नति की जानी है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण मिलता रहेगा ।

(घ) इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथापि, इस योजना के अंतर्गत आने वाले प्रचालन संवर्गों में 16 वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दी जाने वाली पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए पदों का कोई आरक्षण नहीं है ।

(ङ) समयबद्ध एक पदन्नति योजना के आधार पर दी जाने वाली पदोन्नति में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षण आदेश लागू नहीं होते, जैसा कि नीचे भाग (छ) के उत्तर में बताया गया है ।

(च) जी हां ।

(छ) इस मामले पर गृह मंत्रालय के कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से विचार किया गया । भारत सरकार में समयबद्ध पदोन्नति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों के मामले में आरक्षण लागू नहीं होता । ऐसा केवल उन्हीं सम्वर्गों में ही

होता है जिनमें पदोन्नति के पदों की संख्या सीमित है और पदोन्नति काडर में, पदों का आरक्षण कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के वर्तमान आदेशों के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया जाना है। चूंकि समयबद्ध एक पदोन्नति योजना के अन्तर्गत पदोन्नति के पदों की संख्या की कोई सीमा नहीं है, जो 16 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद कर्मचारी की अगले उच्च ग्रेड में पदोन्तति के उद्देश्य से उपलब्ध होते हैं; इसलिए अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदाय के कर्मचारियों के लिए इस योजना के अन्तर्गत आरक्षण आदेश लागू नहीं होते। मूल ग्रेड में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने के बाद प्रत्येक कर्मचारी को पदोन्नति कर दिया जाएगा बशर्ते कि कर्मचारी पदोन्नति के लायक हो।

वर्ष 1975 में खोली गई भारतीय तेल निगम की गैस एजेन्सियां

7748. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम की उन नई गैस एजेंसियों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिन्हें वर्ष 1975 तथा उसके पश्चात पंजाबी बाग, नांगलोई, वजीरपुर, अशोक विहार, शकरपुर, रानी बाग, शालीमार बाग और लारेंस रोड, दिल्ली में खोला गया;

(ख) 31 दिसम्बर, 1983 तक कितने उपभोक्ताओं द्वारा इनमें से प्रत्येक गैस एजेंसी में गैस कनैक्शन बुक कराये गये;

(ग) उनमें से उन गैस एजेंसियों के नाम क्या है जिन्हें पंजीकृत उपभोक्ताओं को देने के लिए नये कनेक्शन उपलब्ध कराये गये हैं;

(घ) उनमें से ऐसी एजेंसियों की संख्या और नाम क्या है जिन्हें पंजीकृत उपभोक्ताओं को देने के लिए एक भी कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ङ) उसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का उन एजेंसियों को जिन्होंने अपनी बुकिंग से एक भी नया कनेक्शन उपभोक्ताओं को जारी नहीं किया है, नये कनेक्शन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन ने पंजाबी बाग, नागलोई, बजीरपुर, अशोक विहार, शकूरपुर, रानी बाग, शालीमार बाग तथा लारेंस रोड, नई दिल्ली के क्षेत्र में निम्नलिखित 6 एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों (बुकिंग गैस एजेंसियों) को 1975 में तथा उसके पश्चात् चालू किया है :

क्रम संख्या	डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के नाम	31-12-1983 को नए एल० पी० जी० के कनैशन के लिए प्रतीक्षा सूची
1.	मैसर्स जे० जे० गैस सर्विस	12931
2.	मैसर्स राजधानी गैस सर्विस	7080
3.	मैसर्स क्विक गैस सर्विस	7140
4.	मैसर्स सुखकाम गैस एजेंसी	14095
5.	मैसर्स रामिन्द्र गैस एजेंसी	5502
6.	मैसर्स पूनम गैस एजेंसी	3456

(ग) इंडियन आयल कारपोरेशन ने पंजीकृत उपभोक्ताओं को जारी करने के लिए निम्नलिखित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को नए एल० पी० जी० कनैक्शन दिये हैं :

1. मैसर्स जे० जे० गैस सर्विस
2. मैसर्स राजधानी गैन सर्विस
3. मैसर्स क्विक गैस सर्विस
4. मैसर्स रामिन्द्र गैस एजेंसी
5. मैसर्स पूनम गैस एजेंसी

(घ) से (च) मैसर्स सुखधाम गैस सर्विस को हाल के वर्षों में नए कनैक्शन जारी नहीं किये गये हैं क्योंकि उनकी इस समय की रिफिलों की बिक्री प्रति माह 6000 से अधिक है, जो दिल्ली में निर्धारित प्रति डिस्ट्रीब्यूटर प्रति माह 5000 रिफिल की निर्धारित अधिकतम सीमा से पहले ही अधिक है। इस प्रकार, इस समय इस डीलर को नए कनैक्शन जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि मैसर्स सुखधाम गैस सर्विस के क्षेत्र में एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटर को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है, और जैसे ही उसे चालू कर दिया जायेगा तभी से सुखधाम गैस सर्विस के मौजूदा व्यापार के एक हिस्से को प्रस्तावित नए डिस्ट्रीब्यूटर को स्थानांतरित कर दिया जायेगा जिससे मैसर्स सुखधाम गैस सर्विस तथा उसके साथ-साथ नए प्रस्तावित डिस्ट्रीब्यूटर को नये कनेक्शन जारी किये जा सकेंगे।

दिल्ली में पूनम गैस, शकूरपुर और राजा गैस लारेंस रोड, दिल्ली के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

7749. **श्री भोकू राम जैन :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं द्वारा पूरे कागजात प्रस्तुत किये जाने के बाद भी

पूनम गैस शकूरपुर, इण्डियन आयल कार्पोरेशन तथा राजा गैस लारेंस रोड, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, उपभोक्ताओं को नए गैस कनेक्शन देते समय, चाहे उपभोक्ता उनके क्षेत्र का है अथवा नहीं चूल्हा उसी एजेंसी से खरीदने पर मजबूर करते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन एजेंसियों के विरुद्ध अब तक इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इन एजेंसियों के लिए कोई जांच करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) : स्थायी निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता गैस के चूल्हे को अपनी इच्छानुसार कहीं से भी ले सकता है बशर्ते उस पर आई० एस० आई० का चिन्ह हो। तथापि, इस संबंध में सम्बद्ध तेल कम्पनियों को पूनम गैस एजेंसी के विरुद्ध चार शिकायतें और राजा गैस सर्विस के विरुद्ध दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(घ) इन शिकायतों की जांच पड़ताल की गई है और वितरकों को समुचित चेतावनी दे दी गई है। इसके बाद इनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली है।

केरल के पथनमथिता जिले में टेलेक्स सुविधा

7750. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में गठित केरल के पथनमथिता नामक जिले में टेलेक्स संचार सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में वहां यह सुविधा प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) पथनमथिता में अभी तक टेलेक्स के लिए कोई मांग दर्ज नहीं की गई है। अत: टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल में चंगनचैरी में मोबाईल कन्टेनर एक्सचेंज की स्थापना

7751. **श्री स्कारिया थामस** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंगनचैरी, केरल में मोबाईल कन्टेनर एक्सचेंज स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी लाइन क्षमता का तथा अन्य ब्यौरा क्या है और इसके कब तक पूरा होने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। चंगनचैरी में एक वहनीय कन्टेनर संस्थापित किया जाएगा।

(ख) इस कन्टेनर की क्षमता 2000 लाइनों की है और 1985 की दूसरी तिमाही में इसके चालू किए जाने की संभावना है।

एच० पी० सी० एल० द्वारा विज्ञापित पदों के लिए वेतनमान

7752. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्री डूंगर सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा विज्ञापित पदों के लिए वेतनमान के बारे में 20 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1764 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्बन्धित मंत्रालय ने पहले ही पूरे मामले की विस्तृत जांच कर लेने का दावा किया है और मंत्री जी के दिनांक 5 जून, 1980 के अर्धशासकीय पत्र संख्या आर० 33018/15/78-एम० सी०/868 एफ० के द्वारा यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि डिपो निरीक्षक के पद का दर्जा विज्ञापित पद अर्थात् सेल्ज रिप्रेजैन्टेटिव/सेल्ज इंजीनियर के पद के दर्जे से छोटा है; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त उत्तर में यह कहने के क्या कारण हैं कि सभी तीनों पद एक समान हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां। पेट्रोलियम विभाग ने मामले की पूरी तरह और विस्तारपूर्वक जांच कर ली है। डिपो निरीक्षक का पद विज्ञापित पद से छोटा नहीं है। सभी पद एक समान हैं और उन्हें हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के वेतन ग्रुप "क" में वर्गीकृत किया गया है। विज्ञापन में वेतनमानों का उल्लेख नहीं किया गया था क्योंकि उस समय कंपनी प्रारम्भिक वेतन का ही उल्लेख नहीं करती थी। गलती से डिपो निरीक्षक के पद को मंत्री जी के 5-6-80 के अर्ध-सरकारी पत्र में छोटा पद कहा गया था। बाद में ऊर्जा मंत्री के 6-12-1982 के अर्ध-सरकारी पत्र संख्या

33018/15/78-एम० सी० के द्वारा इस गलती की सही कर दिया गया था। पत्र को प्रतिलिपि अनुबन्ध के रूप में संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8188/84]

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

टेलीकॉम कारखानों में अनुसंधान और विकास और भारतीय टेलीफोन उद्योग तथा उनके उत्पादन पर खर्च की गई धनराशि

7753. **श्री बाबूराव परांजपे : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीकॉम कारखानों में वर्ष 1982-83 के दौरान अनुसंधान और विकास पर कितनी धनराशि खर्च की गई और उक्त अवधि में उन्होंने कितना उत्पादन किया; और

(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के बारे में उक्त ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 1982-83 के दौरान संचार फैक्ट्रियों में अनुसंधान और विकास पर व्यय हुई राशि 7.04 लाख रुपए थी।

1982-83 के दौरान दूरसंचार फैक्ट्रियों द्वारा किया गया उत्पादन 25.85 करोड़ रुपए का था।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बेनजीन और टालुइन पर बाद में समाप्त कर दिए गए अधिभार की वापसी

7754. **श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने 17 अगस्त, 1979 से "बेनजीन" और टालुइन पर लगाए गए अधिभार को समाप्त कर दिया था तथा खरीददारों से वसूल की गई धनराशियों को वापस करने के लिए "बेनजीन" और "टालूइन" के उत्पादनकर्ताओं को अनुदेश जारी किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल समन्वय समिति ने सम्बन्धित खरीदारों को धनराशि वापस कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या उत्पादनकर्ताओं ने खरीददारों से वसूल की गई धनराशियों को वापस कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

कनाडा के मैसर्स गोको सिस्टम्स लिमिटेड को कोरबा स्थित जल शोधन संयंत्र के लिए ठेका

7755. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम के कोरबा स्थित ताप सुपर तापीय विद्युत केन्द्र के जल शोधन संस्थान के निर्माण का ठेका कनाडा के मैसर्स सिस्टम्स् लिमिटेड को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त परियोजना के निर्माण के लिए दिए गए ठेके की पूरी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और कनाडा की इस फर्म का चयन किस आधार पर किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने एक इतने विशाल भारतीय परियोजना के पहले ठेके को उन्हें देने से पहले उक्त कनाडा को फर्म के अनुभव और पिछली साख के बारे में पता लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा कोयला खानों और अन्य उद्योगों को बिजली की सप्लाई

7756. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दामोदर घाटी निगम द्वारा कोयला खानों तथा कुछ अन्य उद्योगों के साथ बिजली की सप्लाई के लिए अवैध सौदे किए जाने के आरोप की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कोई गैर कानूनी सौदा नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसर्स टैक्सला टी० वी० ओखला, दिल्ली की ओर कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा कर्मचारियों की बकाया धन-राशि

7757. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टैक्सला टी० वी०, सी-46 ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली में मासिक और दैनिक मजदूरी आधार पर कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उक्त फर्म द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के कर्मचारियों के लिए कितनी धनराशि जमा कराई गई है और उसकी कितनी धनराशि बकाया है; और

(ग) उक्त फैक्टरी में अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं और इन दुर्घटनाओं से कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं और प्रत्येक मामले में कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) प्राप्त सूचना के अनुसार सी-46, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली में मैसर्स टैक्सला टी० वी० के नाम से कोई कारखाना स्थित नहीं है। तथापि बताये गए पते पर मैसर्स जूपीटर रेडियो के नाम से एक प्रतिष्ठान है जो टैक्सला टी० वी० बनाता है। इस प्रतिष्ठान में मासिक वेतन आधार पर 339 कर्मचारी नियोजित हैं और कोई भी कर्मचारी दिहाड़ी पर काम नहीं कर रहा है।

(ख) इस प्रतिष्ठान ने गत तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा देय राशि के रूप में 1.76 लाख रुपये की राशि जमा कराई है और 12/76 से 31-12-1977 तक की अवधि के लिए "ठेका मजदूरी" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज 33,098.31 रुपये की राशि के अंशदान के दावे के सम्बन्ध में नियोजक ने आपत्ति उठाई है और मामले की जांच की जा रही है। प्रतिष्ठान ने पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि देय राशि के रूप में 4.27 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है और कोई राशि बकाया नहीं है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने बताया है कि 1977 से अक्तूबर, 1983 तक की अवधि के दौरान कारखाने ने 9 दुर्घटनाओं की सूचना दी है। जिनमें एक घातक दुर्घटना भी शामिल है। इन मामलों में कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी गई लाभ की राशि निम्नानुसार थी :—

क्र०	बीमा शुदा व्यक्ति का नाम	दी गई राशि (रुपयों में)
1	2	3
1.	स्वर्गीय श्री सुरेन्द्र चोपड़ा घातक	27-7-77 से माता-पिता को 1.87 रु० प्रतिदिन की दर से आश्रित लाभ।
2.	श्री विपिन मलिक	300 रुपये
3.	श्री प्रेम राम	93.75 रुपये
4.	श्री अशोक घनानी	162.50 रुपये

1	2	3
5.	श्री ओ० पी० सिंह	43.75 रुपये
6.	श्री एस० सी० जैन	6888 रुपये
7.	श्री सतीश कुमार	130 रुपये
8.	श्री वीरेन्द्र जीत सिंह	500 रुपये

9वें बीमा शुदा व्यक्ति ने लाभ का दावा नहीं किया ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

7758. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सिफारिश की है कि इस समय कर्मचारी भविष्य निधि के संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कार्यरत कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की इनमें से कुछ रिपोर्टों पर श्रम विभाग ने कार्यवाही करने में असाधारण विलम्ब किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन है और इन मामलों में शीघ्र कार्यवाही के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने दो अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने की सिफारिश की है जो इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय में कार्य कर रहे हैं । इन मामलों में नियमों के अनुसार प्रक्रिया की जा रही हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दूरदर्शन फिल्म बनाने के लिए दूरदर्शन द्वारा दिए गए ठेके

7759. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन ने वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान परिवार नियोजन सहित विभिन्न विषयों पर ठेके के आधार पर दूरदर्शन फिल्में बनाने के ठेके दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों, विषयों की सूची प्रत्येक फिल्म की कुल लागत क्या है तथा प्रत्येक को कितनी अग्रिम राशि दी गई;

(ग) उपर्युक्त में से कितनों ने फिल्मों का निर्माण किया और कार्य पूरा किया तथा क्या वे फिल्में दूरदर्शन पर दिखाई गई हैं;

(घ) फिल्म पूरी न करने वालों और जिन्हें अग्रिम राशि के रूप में 20 प्रतिशत की अदायगी की गई थी, के विरुद्ध कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या दोषी निर्माताओं को इस प्रकार ठेके देने के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराया गया है और उनको दी गई अग्रिम राशि वसूल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है । 1980-84 की अवधि के दौरान, बाह्य निर्माताओं द्वारा दूरदर्शन फिल्मों का निर्माण किए जाने तथा उनको वित्तीय सहायता देने के 86 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए थे । इन 86 फिल्मों में से, 59 फिल्में मुकम्मल हो चुकी हैं जिनमें से 50 फिल्में दूरदर्शन पर पहले ही टेलीकास्ट की जा चुकी हैं । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल टी०8189/84**] प्रस्तावों को वित्तीय सहायता अभी प्रदान नहीं की गई है । 20 मामले, जिनमें भुगतान अवस्थाओं में किया गया है । मुकम्मल होने के विभिन्न चरणों में है । प्रत्येक मामले में लागत भिन्न-भिन्न होती है जो कार्यक्रम के विषय, अवधि, प्रतिपादन तथा आवश्यकता पर निर्भर करती है ।

(घ) यदि निर्माता संविदा के उपबन्धों का पालन नहीं करते तो उनके साथ हुई संविदाओं के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

(ङ) निर्माता को फिल्म के निर्माण के लिए कोई भी संविदा देने के लिए कोई एकल व्यक्ति उत्तरदाई नहीं है । प्रारम्भ में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा जांचे गए प्रस्तावों को दूरदर्शन महानिदेशालय की लागत समिति को भेजा जाता है जो यह निर्णय लेती है कि क्या फिल्म के निर्माण के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और वह इस प्रयोजन के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता की मात्रा के बारे में भी निर्णय लेती है । इसलिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

छोटे समाचार पत्रों को डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन न दिया जाना

7760. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छोटे समाचार पत्रों को डी० ए० वी० पी० के विज्ञापनों से किसी न किसी बहाने लगातार वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो अलीगढ़ सिटी के कुछ स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों को, जिन्होंने डी० ए० वी० पी० के विज्ञापनों की मूल शर्तों को पहले ही पूरा कर रखा है, अब तक डी० ए० वी० पी० के विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अलीगढ़ के जिन पांच दैनिक समाचारपत्रों ने सरकारी विज्ञापनों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय को आवेदन किया था, उनमें से तीन समाचार पत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में पहले ही शामिल हैं । एक अन्य समाचारपत्र के मामले को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिए जाने की उम्मीद है । एक समाचारपत्र विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की माध्यम सूची में शामिल नहीं है, क्योंकि उसकी प्रसार संख्या को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय द्वारा "सिद्ध न हुई" घोषित कर दिया गया था ।

श्री महावीर इन्डस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड फोरबेसगंज (बिहार) के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान

7761. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स श्री महावीर इंडस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड, फोरबेसगंज, जिला पूर्णिया (बिहार) के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान न किए जाने सम्बन्धी शिकायत की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है;

(ख) क्या भविष्य निधि की धनराशि इस तर्क पर नहीं दी जा रही है कि मैसर्स श्री महाबीर इंडस्ट्रीज के सम्बन्धित कर्मचारी उक्त कम्पनी के समापन के बाद भी अब भी फोरबेसगंज स्थित अपने मुख्यालय में सेवा कर रहे हैं यद्यपि नगर प्राधिकारियों ने इस उद्योग के प्रबन्ध निदेशक

और विधायकों और संसद सदस्यों जैसे अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सभी ने लिखित रूप से पुष्टि की है कि वे कर्मचारी सेवा में नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी; और

(घ) उन कर्मचारियों को, जो उक्त उद्योग की सेवा में नहीं है, भविष्य निधि की राशि का का भुगतान कब किया जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स श्री महावीर इंडस्ट्रीज द्वारा छंटनी किए गए भविष्य निधि के 60 सदस्यों में से 50 सदस्यों से सम्बन्धित दावों का पहले ही निपटान हो गया है । कतिपय मूल दस्तावेजों के अभाव में शेष दावों का निपटान नहीं किया जा सका । एक विशेष मामले में दावे का निपटान इस ख्याल से नहीं किया गया था कि संबंधित कर्मचारी अभी उस प्रतिष्ठान के मुख्यालय में कार्य कर रहा था । तथापि, हाल ही में भविष्य निधि प्राधिकारियों के ध्यान में यह बात बताई गई है कि संबंधित व्यक्ति जनवरी, 1983 से बेरोजगार है । अत: उसके दावे का तत्काल निपटान करने के लिए उप-क्षेत्रीय कार्यालय मुजफ्फरपुर को हिदायत दी गई है । अन्य लम्बित मामलों का निपटान अपेक्षित दस्तावेजों के प्राप्त होने पर किया जाएगा । चूंकि भविष्य निधि प्राधिकारियों की ओर से कोई देरी नहीं हुई है, इसलिए दायित्व निर्धारित करने आदि का प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में इलक्ट्रोनिक्स टेलीफोन एक्सचेंज एककों की स्थापना

7762. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सामान्य रूप से तथा उड़ीसा में विशेष रूप से इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज एककों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो भुवनेश्वर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज एकक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है;

(ग) वर्ष 1984-85 इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में दूसरे कौन-कौन-से स्थानों का पता लगाया गया है; और

(घ) वर्ष 1984-85 में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज को स्थापित करने के लिए सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं, जहां तक दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का सम्बन्ध है, उड़ीसा के सम्बन्ध में जी हां ।

(ख) सातवीं योजना में भुवनेश्वर के लिए एक स्वदेशी इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग) दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थानों में 84-85 में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज प्रदान कर दिए जाएंगे :—

कलकत्ता—35,000 लाइन, गया—3000 लाइन

(घ) भारत में 84-85 में निम्नलिखित इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है :—

क्र० सं०	किस्म	एक्सचेंज की सं०	लाइनों की संख्या
1.	आयातित जापानी एसपीसी समानान्तर इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	15	1,45,00.
2.	आयातित, फ्रांसीसी डिजायन का अंकीय इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज	12	1,01,00.
3.	आयातित कंटेनराइज्ड एक्सचेंज	10	25,00.

भारतीय निर्माण कम्पनियों द्वारा खाड़ी देशों में धन का दुरुपयोग और श्रमिकों का उत्पीड़न

7763. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि खाड़ी देशों में कुछ परियोजनाओं में कार्य कर रही भारतीय निर्माण कम्पनियों द्वारा धनराशि का गोलमाल और दुरुपयोग तथा मजदूरों की उत्पीड़न किया जाता रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस बीच इस बारे में कोई जांच की गई है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास का क्रियान्वयन

7764. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : **क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों को बायोगैस और अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के जोरदार क्रियान्वयन के निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारें बायोगैस एवं ऊर्जा के अन्य वैकल्पिक स्रोतों के तीव्र कार्यान्वयन के लिए परस्पर कार्य कर रहे हैं । उक्त सन्दर्भ में गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ सक्रिय सहयोग करके बायोगैस विकास की राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं अन्य वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से सम्बन्धित कई मुख्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है । बायोगैस कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न पहलुओं से सम्बन्धित विभिन्न विभागों एवं सरकारी और स्वैच्छिक एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित समन्वय समितियां 15 राज्यों (मध्य प्रदेश को सम्मिलित कर) में कार्य कर रही हैं ।

2. मध्य प्रदेश में किए गए उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) राज्य सरकार की सहायता से 4583 बायोगैस संयंत्रों को स्थापित किया गया है ।

(2) 18 सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस संयंत्रों को स्वीकृत किया गया है और इन्दौर में एक संयंत्र को चालू कर दिया गया है ।

(3) 80 जल पम्पन वायु की चक्कियां स्थापित की जा चुकी हैं तथा 18 और स्वीकृत की गई हैं ।

(4) उपयुक्त ग्राम स्तर के प्रशिक्षण के साथ उन्नत प्रकार के चूल्हों के परिचय के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसका कार्यान्वयन शुरू हो गया हे ।

(5) 29 सौर तापीय प्रथालियां स्वीकृत की गई हैं जो कि कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं । 3 (तीन) प्रणालियां पहले ही चालू की जा चुकी हैं ।

(6) पांच सौर प्रकाश वोल्टीय पम्प स्थापित किए जा चुके हैं तथा कुछ बिजली प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं ।

आन्ध्र प्रदेश की पन बिजली परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करना

7765. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश में (एक) रिओ 'पोहिम-पाड (3×9) मेगावाट (दो) पेन्ना अहोबिलम (2×10) मेगावाट (तीन) नागार्जुन लेपट कैनाल (2×30 मेगावाट) पन बिजली परियोजनाओं को शीघ्र मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 में इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार को अपेक्षित धनराशि अब उपलब्ध कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो मंजूरी कब दी गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कठिनाइयां हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) योजना आयोग द्वारा तीन जल विद्युत परियोजनाएं निम्नानुसार पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं :—

(1) पोचमपाद जल विद्युत परियोजना (3×9 मेगावाट), 26.3.1984 को।

(2) पेन्ना अहोबिलम जल विद्युत परियोजना (2×10 मेगावाट), 16.3.1984 को।

(3) नागार्जुन सागर बाया तट नहर जल विद्युत परियोजना (2×30 मेगावाट), 27.3.1984 को।

इन परियोजनाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1984-85 के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की सिफारिश की गई है।

सरकारी अस्पतालों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कपड़ा मिलों में सूर्य की किरण से पानी गरम करने की प्रणाली (सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम)

7766. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सभी केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन चलने वाली कपड़ा मिलों में सूर्य की किरणों से पानी को गरम करने की प्रणाली (सोलर वाटर हिटिंग सिस्टम) लगाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग में विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम को कब कार्यान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सौर जल तापन प्रणालियां स्थान विशेष और उपयोगिता विशेष होती हैं। जबकि कुछ केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों और राष्ट्रीय कपड़ा उद्योग निगम के अधीन कपड़ा मिलों में सौर जल तापन प्रणालियों के लिए कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं, किन्तु ऐसे सभी मामलों में सौर जल तापन प्रणालियों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी क्षेत्र में प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

7767. **श्री बी० के० नायर** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के वे एकक कौन से हैं जिनके प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी है;

(ख) इसके लिए क्या तंत्र उपलब्ध कराया गया है; इसके अब तक के कार्यकरण और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस योजना का विस्तार करने का विचार है जिससे कि बड़े एककों को भी इसके अन्तर्गत लाया जा सके; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के 192 उपक्रमों में से 124 उपक्रमों ने किसी न किसी रूप में श्रमिक सहभागिता की दो स्वैच्छिक योजनाओं (1975 या 1977 की) को कार्यान्वित किया है। सरकार ने पहले की योजनाओं के कार्यकरण की पुनरीक्षा की है और अब तक की गई पुनरीक्षा तथा प्राप्त अनुभव को देखते हुए, सरकार ने इसके स्थान पर 30 दिसम्बर, 1983 को केन्द्र के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता संबंधी नयी व्यापक योजना प्रारम्भ की है। नयी योजना में श्रम विभाग में त्रिपक्षीय तंत्र की स्थापना की व्यवस्था की गई है, ताकि समय-समय पर योजना के कार्यान्वयन को मानीटर किया जा सके और इसके कार्यकरण की भी पुनरीक्षा जा सके। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना को अपने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में प्रारम्भ करें। निजी क्षेत्र को भी योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

देश में टेलीफोन प्रणाली का विस्तार

7768. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1990 तक देश में टेलीफोन प्रणाली के विस्तार के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है; और

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपकरणों तथा संयंत्रों पर अनुमानित कितना व्यय होगा और संयंत्रों तथा उपकरणों की खरीद और साधनों को जुटाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) 1990 तक देश में टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की योजना पर "संचार" विषय से संबंधित कार्यकारी ग्रुप में विचार-विमर्श किया जा रहा है। योजना आयोग ने 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) तैयार करने के लिए इस ग्रुप का गठन किया है।

राजस्थान के टोंक जिले के लिए मंजूर की गई ग्रामीण विद्युत योजनाएं

7769. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के टोंक जिले के लिए अब तक कितनी ग्रामीण विद्युत योजनाएं मंजूर की गई हैं और इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत इस जिले के कितने गांव आ गए हैं और कितने गांव का विद्युतीकरण करना शेष है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने राजस्थान के टोंक जिले में लगभग 573 लाख रुपए की ऋण सहायता से 21 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें स्वीकृत की हैं। जिनमें 526 गांवों को विद्युतीकृत करने तथा 5,432 पम्पसेटों का ऊर्जन करने की परिकल्पना है। जून, 1983 तक स्वीकृत स्कीमों के अन्तर्गत 141 गांवों को विद्युतीकृत किया गया था तथा 1,319 पम्पसेटों को ऊर्जित किया गया था। स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

31.12.83 तक टोंक जिले में 1,006 गांवों में से 356 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका था और विद्युतीकरण के लिए 650 गांव शेष थे।

विवरण

ग्राम विद्युतीकरण निगम लि० द्वारा राजस्थान के टोंक जिले के लिए स्वीकृत की गई ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का ब्यौरा

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्कीम की श्रेणी	राशि (लाख रु० में)	स्कीम के अन्तर्गत शामिल	
				गांव	पम्पसेट
1	2	3	4	5	6
1.	टोंक	ओ. ए. (नार्मल)	48.908	65	1575
2.	मवाई	ओ. बी. (वही)	51.222	56	1450
3.	नवाई	एम.आई. (वही)	9.996	8	33
4.	मालपुरा	एच.बी.	0.660	9 एच.बी.एस.	—
5.	मालपुरा 1	एच.बी.	2.225	33 एच.बी.एस.	—
6.	मालपुरा 2	एच.बी.	0.320	7 एच.बी.एस.	—
7.	मालपुरा	एच.बी.	2.033	8 एच.बी.एस.	—
8.	मालपुरा 2	एच.बी.	0.368	8 एच.बी.एस.	—
9.	टोंक	एच.बी.	0.890	10 एच.बी.एस.	—
10.	टोंक	एच.बी.	0.396	3 एच.बी.एस.	—
11.	नेवाई	आर.एम.एन.पी.	72.246	87	400
12.	उनिआरा-1	आर.एम.एन.पी.	52.209	49	206
13.	उनिआरा-2	आर.एम.एन.पी.	54.603	59	204
14.	टोंक	आर.एम.एन.पी.	73.859	53	250
15.	देपली	आर.एम.एन.पी.	77.408	38	270
16.	टोंक	आर.एम.एन.पी.	50.661	61	150
17.	टोडरायसिंह	आर.एम.एन.पी.	52.464	50	200

1	2	3	4	5	6
18.	नवाई	एस.पी.ए.	7.018	—	280
19.	देवली	एस.पी.ए.	3.180	—	120
20.	टोंक	एस.पी.ए.	5.037	—	170
21.	उनिआरा	एस.पी.ए.	3.339	—	124

ओ.ए. : सामान्य विकसित

ओ.बी. : सामान्य पिछड़े

एम.आई. : लघु औद्योगिक

एच.बी. : हरिजन बस्तियां

आर.एम.एन.पी. : संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

एस.पी.ए. : विशेष परियोजना कृषि

दिल्ली में बंगलादेश शरणार्थी

7770. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिनांक 12 मार्च, 1984 के "टेलीग्राफ" में प्रकाशित समाचार को देख चुकी है जिसमें यह बताया गया है कि एक लाख से अधिक बंगलादेश शरणार्थी अपने घरों को छोड़ने के बाद गत 13 वर्षों से दिल्ली और उसके आस-पास दुर्दशापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ये लोग छोटी गन्दी झौंपड़ियों में रहकर अपने जीवन-निर्वाह के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें राजधानी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर धकेला गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनको स्थायी रूप से पुनर्वासित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 1.1.1964 से 25.3.1971 की अवधि के बीच भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए प्रवासी, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल से बाहर राहत शिविरों में प्रवेश करना चाहा था, पुनर्वास स्थलों पर भेज दिए गए थे और अनुमोदित पद्धति के अनुसार उन्हें आवश्यक राहत और

पुनर्वास सहायता प्रदान कर दी गई थी। वे प्रवासी, जो राहत शिविर और पुनर्वास स्थान छोड़ कर चले गए थे, पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं हैं। वे प्रवासी जो बंगलादेश के स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भारत आए थे उनमें से अधिकांश स्वाधीनता के पश्चात् वापस चले गए थे। थोड़े से व्यक्ति जो यहां रह गए थे, वे पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं हैं।

खाड़ी देशों को उनके विभिन्न क्षेत्रों में सहायता देने के लिए जन-शक्ति का निर्यात

7771. **श्री गुलाम मोहम्मद खां :**
श्रीमती संयोगिता राणे :
श्री चित्त महाटा :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अरब देशों में अनुमानत: कितने भारतीय कामगार कार्यरत हैं और उनके द्वारा हर वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा भेजी जा रही है;

(ख) क्या हमारे देश को जन-शक्ति निर्यात बाजार में चीन, बंगलादेश और पाकिस्तान से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तरी यमन और जोर्डन जैसे देशों की रेडियो जैसे तकनीकी क्षेत्रों, दूरदर्शन और मरुस्थल क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में सहायता करने और जनशक्ति के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाएंगे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) अरब देशों में भारतीय श्रमिकों की अनुमानित संख्या 8,85,000 है। विदेशी मुद्रा के वार्षिक अंशदान के बारे में सूचना की जा रही है।

(ख) हमारा देश इराक, सउदी अरेबिया, कुवैत और कातार में जनशक्ति निर्यात बाजार में कुछ प्रतियोगिता का सामना कर रहा है।

(ग) नये उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के पारित होने के पश्चात, विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय श्रमिकों की भर्ती और उनके उत्प्रवास की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जा रहा है। आशा की जाती है कि नई प्रक्रिया से विदेशों में रोजगार के लिए भारतीय श्रमिकों के उत्प्रवास को प्रोत्साहन मिलेगा। विदेशों में भारतीय श्रमिकों की मांग का अध्ययन करने के लिए, सूचना का प्रचार करने और उन श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम भी उठाये जा रहे हैं जो उन व्यवसायों में जाना चाहते हैं जहां रोजगार की गुंजाइश है।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लघु पन-बिजली परियोजनायें

7772. **श्री हरीश रावत :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की लघु पन-बिजली परियोजनाओं की संख्या तथा स्थानों के क्या नाम हैं जहां पर अनुसंधान तथा सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु विश्व बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने किए जा रहे हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कब तक कार्य शुरू किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में निर्माणाधीन चार मिनी जल विद्युत स्कीमों के ब्यौरे में विवरण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त छठी योजना अवधि में क्रियान्वित के लिए प्रत्येक 1 करोड़ रुपये से कम की लागत वाली पांच माइक्रो/मिनी जल विद्युत स्कीमें योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1983 में स्वीकृत की गई थीं। ये स्कीमें निम्नानुसार हैं :—

स्कीम का नाम	जिला	प्रस्तावित क्षमता किलोवाट
बदरीनाथ विस्तार	चमोली	1 × 30
केदारनाथ	चमोली	4 × 5
चमोली विस्तार	चमोली	1 × 200
गंगोत्री विस्तार	उत्तरकाशी	1 × 200
गंगोत्री	उत्तरकाशी	4 × 5

इनके अतिरिक्त राज्य प्राधिकारियों ने हाल ही में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को पिथौरागढ़ जिले में सोबला लघु जल विद्युत स्कीम (3 × 2000 किलोवाट) की स्कीम रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के पश्चात् स्कीम के क्रियान्वयन के लिए विचार किया जा सकेगा।

इन परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

विवरण

क्रम संख्या	स्कीम का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का संभावित कार्यक्रम
1.	तपोवन (चमोली)	2×400	9/84, 12/84
2.	सुरीनगाग (पिथौरागढ़)	2×400	12/84; 3/85
3.	थेराली (चमोली)	1×400	3/86
4.	सीतापुर चट्टी (चमोली)	1×200	3/86

मध्य प्रदेश में डाया-अमोनिया फास्फेट परियोजना की स्थापना

7773. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश में एक डाया-अमोनिया फास्फेट परियोजना स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या उस राज्य ने इस परियोजना की मांग की है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सरकार, मध्य प्रदेश में एक डी० ए० पी० परियोजना की स्थापना पर विचार नहीं कर रही है। तथापि, मध्य प्रदेश के गुना जिले में प्रति वर्ष 3.5 लाख टन डी० ए० पी० का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने हेतु मैसर्स ग्वालियर रेअन सिल्क मैन्यू, एण्ड (वीविंग) कम्पनी लिमिटेड से एक आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है।

जम्मू और कश्मीर में प्राक्काचिक/सुरू पनबिजली परियोजना की सर्वेक्षण रिपोर्ट

7774. **श्री पी० नामग्याल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने प्राक्काचिक/सूरू पन बिजली परियोजना की सर्वेक्षण और जांच रिपोर्ट को केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा है;

(ख) यदि हां, इस पर अनुमानित कितनी लागत आएगी, इसकी कितनी बिजली उत्पादन क्षमता होगी तथा इसके पूरा होने पर कितना समय लगने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार उक्त रिपोर्ट को शीघ्र भेजने के लिए इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सुरु नदी पर परकाचिक पानीघर के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट राज्य प्राधिकारियों से जुलाई, 1979 में प्राप्त हुई थी। व्यवहार्यता रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा केन्द्रीय जल आयोग में जांच की गई थी तथा टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थीं कि इन टिप्पणियों के आधार पर विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाये। तथापि, राज्य प्राधिकारियों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

परियोजना में 7.5-7.5 मेगावाट की चार यूनिटों की प्रतिष्ठापना करना शामिल है तथा इसकी अनुमानित लागत 34.63 करोड़ रुपये है। परियोजना पर कार्यान्वयन के लिए विचार, परियोजना प्राधिकारियों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने तथा स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता आदि सुनिश्चित किए जाने के पश्चात् किया जायेगा।

दूरदर्शन की तुलना में आकाशवाणी के लिए सुविधायें

7775. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन की तुलना में क्षेत्र और भाषा दोनों दृष्टियों से अधिक क्षेत्र में प्रसारण करता है और दूरदर्शन की तुलना में आकाशवाणी की विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में अधिक लाभप्रद और आवश्यक भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाओं और श्रोतों को मुहैया कराने के मामले में आकाशवाणी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस समय आकाशवाणी का क्षेत्र और भाषा दोनों दृष्टिकोणों से अपेक्षाकृत अधिक कवरेज है। किन्तु श्रव्य और दृश्य माध्यम होने के कारण दूरदर्शन को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है विशेषकर ग्रामीण और दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए।

(ख) और (ग) जी, नहीं। संसाधनों और सुविधाओं का आबंटन सरकार द्वारा निर्णीत सापेक्ष प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है।

थर्मल-कोल क्षेत्रों का विकास

7776. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कौन-कौन से थर्मल-कोल निक्षेप क्षेत्र हैं;

(ख) क्या थर्मल कोल के विकास के लिए विश्व बैंक ऋण का प्रयोग करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो विश्व बैंक ऋण के प्रयोग से विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, कौन-कौन से थर्मल कोल क्षेत्रों को लाने का विचार है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोयला, भंडार थर्मल कोयला भंडार के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं। लेकिन वास्तव में इन भंडारों की भारतीय मानक कार्यविधि के अनुसार विश्लेषण के आधार पर भंडार के विभिन्न वर्गों में रखे गए हैं और श्रेणी III और IV का कोयला सामान्यतः थर्मल पावर जनरेशन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। थर्मल के लिए उपयुक्त कोयला पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोलफील्ड, बिहार में नार्थ कर्मपुरा, औरंगा और राजमहल कोयला क्षेत्र, उड़ीसा में पेंच कनहन, पाथरखेड़ा, हरिदो, अरंदमन, रायगढ़, विश्रामपुर, कोरबा, सोहागपुर, सिंगरोली, तालचेर और इब नदी घाटी कोयला क्षेत्र, महाराष्ट्र में चांदा, वर्धा और काम्पती, आंध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला क्षेत्र और मध्य प्रदेश में अन्य खनिज क्षेत्र।

(ख) जी हां।

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की दूधीचूआ ओपेनकास्ट परियोजना विश्व बैंक ऋण के उपयोग द्वारा विकास कार्यक्रम के अधीन लाने का प्रस्ताव है।

(घ) विश्व बैंक ने 5 मि० टन वार्षिक क्षमता सहित दूधीचूआ ओपेनकास्ट परियोजना के लिए 151 मि० अमेरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है।

उड़ीसा में आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में तालुका मिट्टी के तेल डिपो खोलने के लिए चुने गये स्थान

7777. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की व्यवस्था करने की दृष्टि से आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के जिलों में तालुका मिट्टी तेल डिपो खोलने के लिए स्थानों का चयन कर लिया है और उन्हें संबंधित तेल कम्पनियों के नामों का सुझाव दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार द्वारा जिला-वार चुने गये और सुझाये गये स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या तालुका मिट्टी तेल डिपो को तेल कम्पनियां द्वारा चलाया जायेगा अथवा सहकारी संस्थाओं और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तियों को लाइसेंस दिए जायेंगे;

(घ) यदि गैर सरकारी पार्टियों द्वारा चलाया जायेगा तो अनुसूचित जन-जातियों के लोगों को इसके लाइसेंस देने हेतु आरक्षित स्थानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) वर्ष 1984-85 के दौरान ऐसे कितने डिपो खुलने की सम्भावना है और उनके नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। तेल उद्योग ने राज्य सरकार के परामर्श से उड़ीसा में मिट्टी के तेल के तालुका डिपुओं (टी० के० डी०) की स्थापना करने के लिए निम्नलिखित स्थानों का पता लगा लिया है :—

1. फूलबानी
2. किओंझार
3. ओड़ागांव (जिला पुरी)
4. अंगुल (धेनकेनाल जिला)
5. बोलंगीर

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा फूलबानी और किओंझार में तालुका मिट्टी तेल डिपुओं की स्थापना की जा रही है। जहां तक शेष स्थानों का सम्बन्ध है, जिन तेल कंपनियों द्वारा डिपुओं की स्थापना की जाएगी उनके नामों और उनके पूरे किए जाने के कार्यक्रम के सम्बन्ध में तेल उद्योग द्वारा शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

(ग) और (घ) तालुका मिट्टी तेल डिपो का संचालन तेल कम्पनियों द्वारा किया जाता है जो इन्हें अपने आप चला सकती है अथवा उसे ठेकेदारों के माध्यम से चला सकती है। वे, मिट्टी के तेल और खुदरा बिक्री केन्द्रों को नियुक्ति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के सीमाक्षेत्र में नहीं आते हैं जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की व्यवस्था है।

(ङ) इस समय की स्थिति के अनुसार उड़ीसा में फूलबानी और किओंझार में तालुका मिट्टी तेल डिपो के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की आशा है।

गोबर गैस संयंत्र का प्रचार

7778. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गोबर गैस संयंत्र के प्रचार और विस्तार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि बैंकों से ऋण न मिलने या इन ऋणों की प्राप्ति में होने वाली अनुचित देरी के कारण किसान गोबर गैस संयंत्र नहीं लगा पा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अन्तर्गत देश में गोबर गैस संयंत्रों प्रचार-प्रसार के लिए वित्तीय सहायता केन्द्रीय राज सहायता, टर्न-की जाब फीस एंवं नगद प्रोत्साहन सहायता के रूप में ही पहले से ही दी जाती हैं जिनको चालू वर्ष 1984-85 से और अधिक उदार बनाया जा रहा है। ग्रामीण लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए और प्रशिक्षित राजगीरों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण राजगीरों एवं तकनीकीशियों का प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा महिला शिक्षण कार्यक्रम के लिए वृहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

कई राज्य सरकारें एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग लघु चलचित्रों, पर्चों, पुस्तिकाओं, प्रदर्शनियों के रूप में प्रचार सामग्री तैयार करती हैं जो कि दोनों सूचनात्मक एवं शिक्षणात्मक होती हैं, इस कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए दूरदर्शन एवं आकाशवाणी जैसे जन-संचार माध्यमों का भी उपयोग किया जा रहा है।

(ख) जी नहीं, गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देने एवं उससे लिए शीघ्र ऋण स्वीकृत करने के लिए सभी वाणिज्यिक बैंकों को अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। आगे ऋण को नियमित बनाये रखने एवं अनावश्यक रुकावटों को कम करने के लिए राज्य सरकारों ने वहां समन्वय समितियां स्थापित की हैं जहां संस्थागत वित्त एजेंसियां का भी प्रतिनिधित्व है। समय-समय पर ऋण की स्थिति का भी पुनरीक्षण किया जाता है।

भोपाल में प्रोडक्शन सेन्टर का निर्माण

7779. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **सूचना और प्रशारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दूरदर्शन के विस्तार के अन्तर्गत भोपाल से प्रोडक्शन सेन्टर का निर्माण करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य राज्यों की राजधानियों की तरह भोपाल में भी दूरदर्शन स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की स्कीम तैयार की गई है। राज्य सरकार ने प्रस्तावित केन्द्र के लिए उपयुक्त भूमि सौंप दी है जिस पर उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रान्समीटर पहले ही स्थापित किया जा रहा है।

(ग) स्टूडियो केन्द्र के लिए आवश्यक धनराशि की मांग सातवीं योजना में की जायेगी तथा निर्माण कार्य संसाधनों के आबंटन पर निर्भर करते हुए हाथ में लिया जायेगा।

पश्चिमी बंगाल के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में डाक और तार का विस्तार

7780. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान पश्चिमी बंगाल के आदिवासी जिलों और पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ाए गए डाक और तार तन्त्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) एक—पश्चिम बंगाल के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ाए डाक जाल कार्य का जो विस्तार किया गया है उसका ब्यौरा विवरण 'क' में दिया है।

दो—पश्चिम बंगाल के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में दूरसंचार-वार कार्य के विस्तार का ब्यौरा विवरण 'ख' में दिया है।

डाक :

(ख) (एक) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 के लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिए गए हैं। वर्ष 1983-84 के लिए डाकघर खोलने तथा अधिक अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नियुक्ति करने के लिए क्रमशः 35 और 30 का निर्धारित लक्ष्य पूरी तरह नहीं प्राप्त किया जा सका क्योंकि नए पदों के सृजन पर मितव्यता आदेश लागू हैं और क्रमशः 10 और 7 काशेष लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

(दो) **दूरसंचार** : 31-3-84 तक निर्धारित लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिए हैं।

(ग) (एक) उपरोक्त भाग (क) के विवरण 'क' के अनुसार !

(दो) उपरोक्त भाग (क) के विवरण 'ख' के अनुसार !

विवरण 'क'

छठी योजना अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में 1984-85 के दौरान डाक जाल कार्य के विस्तार तथा लक्ष्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

	डाक जाल कार्य का विस्तार				
	80-81	81-82	82-83	83-84	84-85 का लक्ष्य
खोले गये डाकघर	17	24	10	25	20
संस्थापित पत्र पेटियां	525	10	13	13	16
उपलब्ध कराई गई काउन्टर सेवा	75	20	26	25	20
डाल वितरण कार्य में सुधार लाने और पत्र-पेटियों से डाक की निकासी के लिए अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अतिरिक्त नियुक्तियां	60	28	15	23	25

विवरण 'ख'

1. इस अवधि में खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक/संयुक्त डाकघर

जिले का नाम	कुल संख्या
1	2
बांकुरा	18
बीरभूम	4
पुरुलिया	7
मिदनापुर	9
जलपाईगुड़ी	3
कूच बिहार	4
पश्चिम दिनाजपुर	1

1	2
माल्दा	1
मुर्शिदाबाद	8
बर्द्धवान	1
हावड़ा	2
हुगली	2

2. नए टेलीफोन एक्सचेंज :

जिले का नाम	नए एक्सचेंजों की कुल संख्या	क्षमता और टाइप सहित एक्सचेंजों के नाम
1	2	3
बांकुरा	2	(क) इंदपुर-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (ख) गरईपुर-25 लाइन एम०ए० एक्स-III
बीरभूम	7	(क) कांटीपारा-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (ख) पुरन्दरपुर-25-लाइन एम० ए० एक्स-III (ग) नारायणपुर-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (घ) भेडिया-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (ङ) पचामी-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (च) तारापित-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (छ) म्यूरेश्वर-25 लाइन एम० ए० एक्स-III
पुरुलिया	2	(क) अनारा-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (ख) रामचन्द्रपुर-25 लाइन एम० ए० एक्स-III
मिदनापौर	4	(क) केशियारी-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (ख) गोआलटोर-25 लाइन एम० ए० एक्स-III (ग) परमानन्दपुर-25 लाइन एम० ए० एक्स.-III (घ) मालीग्राम-25 लाइन एम० ए० एक्स-III

1	2	3
जलपाईगुड़ी	2	(क) जयन्ती-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
		(ख) कमाक्षागुड़ी-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
दार्जिलिंग	2	(क) झालोंग-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
		(ख) विधान नगर-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
पश्चिम दिनाजपुर	1	गोपालगंज-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
मुर्शिदाबाद	3	(क) गांकर-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
		(ख) नाबाग्राम-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
		(ग) नासीपुर-25 लाइन एम०ए०एक्स-III
वर्द्धमान	1	डीगनगर-50 लाइन एम०ए०एक्स-III

II. निम्नलिखित टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया :

जिले का नाम	एक्सचेंज का नाम	एक्सचेंज की किस्म	विस्तार से	विस्तार तक
1	2	3	4	5
बांकुरा	(1) सिमलापाल	एम०ए०एक्स-III	25 लाइन	50 लाइन
	(2) बांकुरा	सी०बी०एम	960 लाइन	1080 लाइन
बीरभूम	(1) सेंथिया	सी०बी०एन०एम०	200 लाइन सी०बी०एन०एम	280 लाइन सी०बी०एम०
	(2) मोल्लारपुर	एम०ए०एक्स-III	25 लाइन	50 लाइन
	(3) लाबपुर	एम०ए०एक्स-III	25 लाइन	50 लाइन
	(4) सूरी	एम०ए०एक्स-II	300 लाइन सी०बी०एन०एम	400 लाइन एम०ए०एक्स-I
	(5) बोलपुर	एम०ए०एक्स-II	400 लाइन	500 लाइन
पुरुलिया	रघुनाथपुर	एम०ए०एक्स-III	50 लाइन	100 लाइन

1	2	3	4	5
मिदनापोर	(1) सतबांकुरा	एम०ए०एक्स-III	50 लाइन	100 लाइन
	(2) मिदनापोर	एम०ए०एक्स-II	600 लाइन	700 लाइन
	(3) खड़गपुर	एम०ए०एक्स-II	500 लाइन	700 लाइन
	(4) सलबोनी	एम०ए०एक्स-III	25 लाइन	50 लाइन
बर्द्धवान	पानागढ़ बाजार	सी०बी०एन०एम०	100 लाइन	200 लाइन
				एम०ए०एक्स-II सी०बी०एन०एम०
दार्जिलिंग	कालिम्पांग	एम०ए०एक्स-II	400 लाइन	500 लाइन

सादेवाला, राजस्थान में तेल की खोज

7781. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 मार्च, 1984 के "राजस्थान" के प्रातःकालीन संस्करण में "जैसलमेर में सादेवाला में तेल का भंडार मिला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समाचार की पुष्टि की है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक पाए गए तेल का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में सादेवाला में खोदा गया कुआं अभी भी पुनः संरचना परीक्षण के अधीन है। हाइड्रोकार्बन के कुछ अंश पाये गये हैं परन्तु अभी तक तेल के भण्डारों का कोई उल्लेखनीय प्रमाण नहीं मिला है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०, पिम्परी को घाटा

7782. **श्री मूल चन्द्र डागा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 13 फरवरी, 1984 के इकानोमिक टाइम्स के सम्पादकीय में (टर्निंग दी कार्नर) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि०, पिंपरी को लगातार हो रहे घाटे के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने किन परिस्थितियों में 1981-82 में 428 लाख रुपये और 1982-83 में 1.93 लाख रुपए ब्याज कम किया है; और

(घ) ऐसे अन्य मामले कौन-कौन से हैं जिनमें सरकार ने अतीत में ऐसी कार्यवाही की है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनमें कितनी धनराशि शामिल है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां। पूंजी के पुनर्नियोजन और 1982-83 में रिकार्ड बिक्री निष्पादन के कारण हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) ने 1982-83 के दौरान 23.87 लाख रुपये का लाभ कमाया है। तथापि, कम्पनी 1983-84 के दौरान बिक्री की गति सुस्थिर नहीं रख सकी और परिणामस्वरूप कम्पनी को शुद्ध हानि होने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) भारी संचयी नकद हानियों से उत्पन्न स्थिति से छुटकारा पाने के लिए सरकार ने जनवरी, 1983 में एच० ए० एल० की पूंजी का पुनर्गठन किया। दिनांक 31.3.1982 को देय समस्त ऋण, इन ऋणों पर ब्याज दायित्व सहित, जो 44.8 करोड़ रुपये बैठता है, उसकी एकल नए ऋणों में समेकित कर दिया गया था। परिणामस्वरूप 1.4.1982 को मंजूर किए गए ऋणों पर 1982-83 में केवल 1.93 लाख रुपये का ब्याज दायित्व था।

(घ) जहां तक सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध उपक्रमों का सम्बन्ध है, 1972 और 1978 में आई० डी० पी० एल० के मामले में पहले भी पुनर्गठन किया गया था। 1978 में 71.42 करोड़ रुपये के देय सरकारी ऋण और ब्याज दायित्व को समेकित कर दिया गया था और इसमें से 11.42 करोड़ रुपये की राशि को साम्य पूंजी में परिवर्तित किया गया था।

कहलगांव ताप संयंत्र के लिए सोवियत रूस से आर्थिक सहायता और तकनीकी जानकारी

7783. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोवियत रूस कहलगांव में ताप संयंत्र लगाने के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी देने पर सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 210-210 मेगावाट के चार यूनिटों के कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में भारत और सोवियत रूस के बीच विचार-विमर्श हुए हैं। संयुक्त आयोग की पिछली बैठक में, परियोजना

को वित्त पोषित करने के लिए सोवियत रूस ऋण देने को सहमत हुआ है। उक्त परियोजना के निर्माण में सहयोग की शर्तें और निबन्धन अन्तःसरकारी समझौते में अलग से निर्धारित की जाएंगी।

छोटे समाचार पत्रों के लिए डाक और तार प्रभारों में कमी

7784. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानगरों से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को दी जाने वाली डाक, तार और टेलीफोन सुविधाओं और छोटे समाचार पत्र को दी जाने वाली इन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या छोटे समाचार पत्रों के लिए डाक और तार प्रभार कम करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अन्य छोटे समाचार पत्रों की तुलना में महानगरीय समाचार पत्रों को अलग से छूट नहीं प्रदान की जाती है।

(ख) जी नहीं।

भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर यूनिट में कच्चे माल की खपत

7785. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर यूनिट में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान यूरिया के उत्पादन के लिए अपेक्षित मूल्य कच्चे माल नेप्था, कोयला और सल्फ्यूरिक एसिड की वास्तविक मासिक खपत क्या है;

(ख) उसी अवधि के दौरान यूरिया के मासिक उत्पादन में यह आकडे किस तरह संबद्ध हैं;

(ग) क्या उत्पादन के यह आंकड़े खपत के मानदण्डों और गोरखपुर यूनिट के लिए निर्धारित उत्पादन से इसके सम्बन्ध की पुष्टि करते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो कच्चे माल की अधिक खपत और गोरखपुर यूनिट की सिलो में यूरिया की भारी कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और अधिक उत्पादन की पुष्टि के बारे में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की क्या रिपोर्ट है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि० के गोरखपुर एकक में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 की अवधि के

दौरान नेत्था, कोल और सल्फ्यूरिक एसिड की वास्तविक मासिक खपत और यूरिया के उत्पादन के साथ इनका सम्बन्ध संलग्न विवरण में दर्शाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग एक छोटी-सी मात्रा में जल शोधन संयंत्र में किया जाता है और यूरिया के उत्पादन के लिए यह कोई मुख्य कच्चा माल नहीं है।

(ग) बजटबद्ध उत्पादन, वास्तविक उपभोग और बजटबद्ध उपभोग स्तर और वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान प्राप्त हुए वास्तविक उपभोग स्तर नीचे दिए गए हैं :—

वर्ष	यूनिट का उत्पादन 000 मी०टन			यूरिया के प्रति टन पर उपभोगस्तर			
				नैप्था		कोल	
	बजट	वास्तविक	बजट का प्रतिशत	बजट	वास्तविक	बजट	वास्तविक
1981-82	172.9	159.1	92 प्रतिशत	0.538	0.536 (99.6 प्रति.)	0.612	0.660 (107.8 प्रति.)
1982-83	173.9	161.3	92.7 प्रतिशत	0.516	0.544 (105 प्रति.)	0.632	0.706 (89.6 प्रति.)
1983-84	184.0	177.1	96.2 प्रतिशत	0.551	0.564 (102 प्रतिशत)	0.689	0.655 (95.1 प्रति.)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े बजटबद्ध कार्यनिष्पादन की प्राप्ति की प्रतिशतता दर्शाते हैं।

(घ) उपभोग स्तरों पर, उत्पादन की प्रक्रिया में रुकावट, पावर समस्या, पुरानेपन आदि के कारण उपकरणों में असन्तुलन आदि का बड़ा प्रभाव पड़ता है। समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं और रुकावटों तथा खराबियों की प्रवृति पर काबू पाने के लिए उपचारी कार्यवाही की गई है। इसके परिणामस्वरूप हाल ही में उपभोग स्तरों में सुधार हुआ है।

विवरण

गोरखपुर एकक में नैप्था, कोल और सल्फ्यूरिक एसिड की मासिक खपत और प्रतिटन यूरिया पर खपत ।

क्र० सं० माह	यूरिया उत्पादन (टन)	खपत टन					
		मासिक			प्रतिटन यूरिया		
		नैप्था	कोल	सल्फ्यूरिक एसिड	नैप्था	कोल	सल्फ्यूरिक एसिड
1 2	3	4	5	6	7	8	9
1981-82							
1. अप्रैल	19240	9742.51	11208	84.12	0.506	0.582	0.004
2. मई	11412	6104.55	7577	40.11	0.534	0.663	0.003
3. जून	10750	6177.35	7746	56.84	0.574	0.720	0.005
4. जुलाई	13010	9671.65	9163	54.32	0.535	0.704	0.004
5. अगस्त	13140	7794.51	9838	41.43	0.593	0.784	0.003
6. सितम्बर	14021	6845.81	9372	40.90	0.488	0.668	0.002
7. अक्तूबर	10870	5715.15	8066	50.89	0.525	0.742	0.004
8. नवम्बर	11644	6559.34	6682	38.20	0.563	0.573	0.003
9. दिसम्बर	14300	7504.28	7898	47.08	0.524	0.552	0.003
10. जनवरी	13641	7243.66	8324	53.70	0.531	0.610	0.003
11. फरवरी	11057	6326.01	8275	45.60	0.572	0.748	0.004
12. मार्च	16050	8453.63	10939	69.49	0.506	0.681	0.000
1982-83							
1. अप्रैल	8600	5148	6917	40.38	0.559	0.804	0.004
2. मई	15705	8968	9928	68.92	0.554	0.650	0.004
3. जून	10970	5929	8161	48.02	0.543	0.763	0.004

1 2	3	4	5	6	7	8	9
4. जुलाई	10435	6159	8301	47.86	0.569	0.819	0.004
5. अगस्त	12790	6765	9751	59.74	0.578	0.672	0.004
6. सितम्बर	16840	9150	10758	52.09	0.550	0.639	0.003
7. अक्तूबर	12342	6963	8899	59.29	0.567	0.721	0.004
8. नवम्बर	13685	7394	8634	60.79	0.522	0.731	0.004
9. दिसम्बर	13295	7322	8737	92.76	0.513	0.657	0.006
10. जनवरी	11715	7249	10662	76.99	0.595	0.910	0.006
11. फरवरी	16248	8573	11001	80.99	0.533	0.677	0.004
12. मार्च	18700	10307	12226	93.06	0.533	0.654	0.004
1983-84							
1. अप्रैल	13160	7318	8634	91.92	0.556	0.656	0.007
2. मई	13250	7144	8437	52.15	0.539	0.637	0.004
3. जून	10591	7551	10056	68.31	0.713	0.949	0.007
4. जुलाई	15933	9421	11496	59.88	0.591	0.722	0.004
5. अगस्त	11426	6361	8424	48.87	0.557	0.737	0.004
6. सितम्बर	10027	6552	8145	35.62	0.653	0.812	0.004
7. अक्तूबर	16228	10138	11139	64.10	0.625	0.686	0.004
8. नवम्बर	14092	8411	10488	56.92	0.597	0.744	0.004
9. दिसम्बर	17600	9452	9623	50.93	0.537	0.547	0.003
10. जनवरी	18542	9245	9650	51.52	0.499	0.520	0.003
11. फरवरी	18191	9406	9714	49.37	0.517	0.534	0.003
12. मार्च	18022	8818	10116	48.39	0.489	0.561	0.003

आकाशवाणी और दूरदर्शन में सहायक केन्द्र निदेशक (असिस्टेंड स्टेशन डायरेक्टर) के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति कोटा भरा जाना

7786. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में सहायक केन्द्र निदेशक (असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर) के पद (संवेदनशील क्षेत्रों सहित) विभागीय पदोन्नति में रिक्त पड़े हैं और यदि हां, तो कब से;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि बड़ी संख्या में अर्हता प्राप्त/योग्य उम्मीदवार उपलब्ध हैं, वर्ष 1983 के लिए नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित नहीं की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि कार्यक्रम अधिकारियों (प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स) से सहायक केन्द्र निदेशकों (असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर) को पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने में विलम्ब का कारण यह है कि सरकार का विचार कुछ और संवर्गों को भी कार्यक्रम अधिकारियों (प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स) के साथ मिलाने का है और यदि हां, तो वे संवर्ग कौन से हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार को विभागीय पदोन्नति कोटा के पदों को किस तारीख तक भरने की आशा है और उन पदों को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विभागीय पदोन्नति कोटे में सहायक केन्द्र निदेशक के इस समय ऐसे 40 पद हैं जो आकाशवाणी और दूरदर्शन में खाली पड़े हैं। ये रिक्तियां पिछले दो-तीन वर्षों के दौरान हुई हैं।

(ख) विभागीय कोटे में आने वाले पदों के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का प्रस्ताव संघ लोग सेवा आयोग को अक्तूबर, 1983 में भेजा गया था।

(ग) स्टाफ आर्टिस्टों को नियमित सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप स्टाफ आर्टिस्टों की कतिपय श्रेणियों को नियमित कार्यक्रम संवर्ग में मिलाने के सरकार के निर्णय को देखते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के प्रस्ताव पर कार्रवाई पहले नहीं की जा सकी। जिन स्टाफ आर्टिस्टों को सहायक केन्द्र निदेशकों के संवर्ग में मिलाने का प्रस्ताव है वे आकाशवाणी में प्रोड्यूसर, दूरदर्शन में प्रोड्यूसर ग्रेड-1 और ग्रेड-2, विज्ञान अधिकारी, सम्पादक/सम्पादक (आलेख) और संदर्भ अधिकारी/अनुपादक हैं।

(घ) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हो चुकी है और पदों के लिए पैनल को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

आगरा में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

7787. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना कब तक की जाएगी;

(ख) उसकी दूरी (रेंज) क्या होगी;

(ग) उत्तर प्रदेश के बरेली और झांसी आदि जैसे प्रमुख शहरों में कब तक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि कई छोटे शहरों में भी ऐसे केन्द्र खोल दिए गए हैं; और

(घ) किसी स्थान पर आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए क्या मान-दण्ड अपनाए जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आगरा में जिन आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्रों को चालू करने की उम्मीद है उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

ट्रांसमीटर की शक्ति	चालू करने का वर्ष	कवर किया जाने वाला क्षेत्र
आकाशवाणी		
10 किलोवाट मीडियम वेव	1985-86	85 किलोमीटर
दूरदर्शन		
उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर (10) किलोवाट)	1984-85	120 किलोमीटर
अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर (100 वाट)	अक्तूबर, 1984	25 किलोमीटर

(ग) उत्तर प्रदेश के बरेली और झांसी, रामपुर लखनऊ के आकाशवाणी ट्रांसमीटरों की सेवा परिधि में आते हैं। इसलिए, इन स्थानों पर अलग रेडियो स्टेशनों की आवश्यता महसूस नहीं की जाती।

(घ) रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के लिए स्थानों का चयन करने में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का कवरेज, सीमावर्ती, दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों को सेवा, श्रमजीवी वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या के बड़े भाग का कवरेज, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यक्रम लिकिंग सुविधाओं की उपलब्धता तथा अन्य अवस्थापना जैसी विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है। सांस्कृति, ऐतिहासिक और औद्योगिक महत्व के स्थानों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाता है। यह भी संसाधनों की उपलब्धता और परियोजनाओं के लिए सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का मलकानगिरि, पोटेरू सिंचाई क्षेत्र परियोजना में पुनर्वास

7788. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के उन परिवारों की संख्या क्या है जिन्हें मलकानगिरि, पोटेरू सिंचाई क्षेत्र परियोजना में पुनर्वासित किया गया है तथा प्रत्येक परिवार को कितना भूमि क्षेत्र आबंटित किया गया;

(ख) क्या इन परिवारों के लिए सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराये बिना कम भूमि आबंटित करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार इन परिवारों को हुई वित्तीय हानि के लिए उनको क्षतिपूर्ति देने पर विचार कर रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) 4840 प्रवासी कृषक परिवार मलकानगिरि में पोटेरू सिंचाई परियोजना क्षेत्र में बसा दिए गए हैं। इस क्षेत्र में बसाए गए कृषक परिवारों को 3 एकड़ कृषि भूमि और 0.16 एकड़ का एक आवासीय भूमि खण्ड आबंटित किया गया है।

(ख) से (घ) 800 परिवारों को शीघ्र ही सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी और शेष परिवारों को 1985-86 तक सिंचाई उपलब्ध करा दिए जाने की आशा है। पोटेरू सिंचाई परियोजना में बसाए गए परिवारों को इस दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सिंचाई क्षमता के आधार पर भूमि आबंटित की गई है।

राज्य बिजली बोर्डों को हुआ घाटा

7789. **श्री जेवियर अराकल :**

श्री विरदाराम फुलवारिया

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से अब तक राज्य बिजली बोर्डों को राज्यवार कितना घाटा हुआ है;

(ख) उनमें राज्यवार कुल कितना पूंजी-निवेश किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य बिजली बोर्ड घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स द्वारा नियोमाइसिन का उत्पादन बंद किया जाना

7790. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **रसायन ओर उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटीवायोटिक्स द्वारा नियोमाइसिन एंटीबायोटिक्स के विकास पर भारी व्यय के पश्चात् उसका उत्पादन भी बन्द कर दिया गया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक उपक्रमों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने वाले निहित स्वार्थों प्रबंधमंडल के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान-एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने हेमाइसिन के निर्माण के लिए मूल रूप से एक संयंत्र स्थापित किया था जिसे 3.78 लाख रुपए के अतिरिक्त निवेश खर्च से 1972 में नियोमाइसिन के उत्पादन के लिए भी परिवर्धित किया गया था। इस संयंत्र का अधिकांश भाग अब अन्य औषधियों के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। इस समय, हेमाइसिन और ओइरोफागिन का निर्माण उनके विद्यमान विटामिन "सी" संयंत्र में किया जा रहा है।

नियोमाइसिन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड के अपने अनुसंधान और विकास प्रभाग में किया गया था। तथापि, यह पाया गया था कि उत्पादन में रंग समस्या, अधिक नियोमाइसिन सी अंश आदि की समस्या सामने आ रही थी और इसलिए उत्पादन बन्द करना पड़ा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आकाशवाणी और दूरदर्शन पर फिल्म कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम

7791. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों और दूरदर्शन केन्द्रों पर 1983-84 के दौरान फिल्म कलाकारों ने कितनी बार कार्यक्रम पेश किए; और

(ख) इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान, देश के विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रमों में फिल्मी कलाकारों ने 623 अवसरों पर भाग लिया ।

(ख) आकाशवाणी पर फिल्मी कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले मुख्य कार्यक्रम हैं विशेष वृन्दावन, विशेष गीत गंगा और विशेष जनरंजनी । ये फिल्मी गीतों पर लोकप्रिय कार्यक्रम हैं । कुछ फिल्मी सितारों का "इनसे मिलिए" जैसे कार्यक्रम के लिए इन्टरव्यू भी लिया गया था और उन्होंने आकाशवाणी द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रसारित नाटकों तथा रूपकों में भाग लिया था ।

प्रश्न के भाग (क) और (ख) के बारे में दूरदर्शन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

तट-दूरमें क्षेत्र में तेल की खोज के लिए उपकरणों की आवश्यकता

7792. **श्री आ० पी० गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तट-दूर क्षेत्र में तेल की खोज के लिए उपकरणों की आवश्यकता के बारे में क्या अनुमान है और पोतों की मांग पूरी करने के सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है; और

(ख) आवश्यक पोत कब तक उपलब्ध हो जाएंगे और उनका मूल्य कितना होगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) छठी योजना और सातवीं योजना के पहले दो वर्षों के दौरान अपने अपतटीय कार्यों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा आवश्यक, लगभग 695 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, निम्नलिखित उपकरण/पोतों की प्राप्ति के लिए सरकार ने स्वीकृत दे दी है :

खुदाई पोत	—4
वर्कओवर रिग	—3
ओ० एस० वी०	—11
एम० एस० वी०	—2
एन० डी० टी०	—2
भूकम्पीय पोत	—2
एसिड नौका	—1

उपरोक्त आवश्यकताओं को आंशिक रूप से आयात और आंशिक रूप से देशी शिपयार्डों से पूरा किये जाने का प्रस्ताव है। आशा है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 1986-87 तक ये पोत प्राप्त कर सकेगा।

देश में टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

7793. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितने टेलीफोन एक्सचेन्ज स्वीकृत किये गये।

(ख) राज्य-वार और वर्ष-वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये गये हैं और कितने किये जाने वाले हैं; और

(ग) छः महीने में कितने एक्सचेंज पूरे किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विनय एन० पाटिल) : (क) से (ग) एम०ए०एक्स-1 किस्म के उन टेलीफोन एक्सचेंजों, जिनकी मंजूरी दे दी गई, जो संस्थापित किए गए, जिन्हें अभी संस्थापित किया जाना है और जिनकी छः महीने में पूरा हो जाने की संभावना है, की राज्यवार और वर्षवार संख्या विवरण में दी गई है। उन छोटे एक्सचेंजों की संख्या, जिनकी महाप्रबंधकों द्वारा स्थानीय रूप से मंजूरी दी जाती है तथा संस्थापित किया जाता हैं, काफी अधिक है और उसे विवरण में शामिल नहीं किया गया है।

विवरण

मंजूर, संस्थापित तथा चालू किए गए एम० ए० एक्स-1 टाइप के एक्सचेंजों की संख्या

क्र० सं०	टेलीफोन जिलों सहित राज्यवार सेवा प्रदान करने वाला संचार सर्किल	वर्ष 1981-82			वर्ष 1982-83			वर्ष 1983-84			
		मंजूर किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	संस्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेन्जों की संख्या	उन एक्सचेन्जों की संख्या जिन्हें अभी संस्थापित किया जाना है	मंजूर किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	संस्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेन्जों की संख्या	उन एक्सचेंजों की संख्या जिन्हें अभी संस्थापित किया जाना है	मंजूर किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	संस्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेन्जों की संख्या	उन एक्सचेंजों की संख्या जिन्हें अभी संस्थापित किया जाना है	उन एक्सचेंजों की संख्या जिनके छः महीने में पूरा हो जाने की सम्भावना हो।
		क	ख		क	ख		क	ख		ग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आन्ध्र प्रदेश (हैदराबाद विजयबाड़ा टेलीफोन जिलों सहित)	—	—	—	4	—	4	3	—	3	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	बिहार (पटना टेलीफोन जिला सहित)	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
3.	गुजरात (अहमदाबाद बड़ौदा, राजकोट एवं सूरत टेलीफोन जिलों सहित)दमन, दीव, दादर एवं नगर हवेली, सलवाला को भी सेवा प्रदान करते हुए	2	—	2	6	1	5	15	—	15	—
4.	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	—	2	—	2	1	—	1	—
5.	कर्नाटक (बेंगलूर टेलीफोन जिला सहित)	1	1	—	3	—	3	6	—	6	—
6.	केरल (कोयम्बटूर, त्रिवेद्रम, कालीकट, टेलीफोन जिलों सहित) माहे एवं लक्ष्यद्वीप को सेवा प्रदान करते हुए	1	—	1	3	—	3	—	—	—	—
7.	मध्य प्रदेश (इंदौर टेलीफोन टेलीफ जिला सहित)	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	महाराष्ट्र (नागपुर, बंबई एवं पुणे टेलीफोन जिलों सहित) गोवा की सेवा प्रदान करते हुए	3	—	3	7	—	7	16	—	16	3
9.	उत्तर-पूर्वी (गुवाहटी, टेलीफोन जिला सहित) असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश शामिल करते हुए	—	—	—	5	—	5	1	—	1	—
10.	उत्तर-पश्चिम (पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश) शमिल करते हुए (अमृतसर, जालंधर व चण्डीगढ़ टेलीफोन जिलों सहित)	—	—	—	5	—	5	4	—	4	3
11.	उड़ीसा	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
12.	राजस्थान (जयपुर टेलीफोन जिला सहित	—	—	—	—	—	—	6	—	6	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	तमिलनाडु (मद्रास एवं मदुरै टेलीफोन सहित)	2	1	1	6	1	5	3	—	3	—
14.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	4	—	4	2	—	2	1
15.	पश्चिम बंगाल (कलकत्ता टेली-जिला सहित)	1	—	1	1	—	1	5	—	5	—
16.	दिल्ली टेलीफोन जिला	4	3	1	3	—	3	8	—	—	1
		14	5	9	53	2	51	70	—	70	9

समाचार एजेंसी "समाचार भारती" में कर्मचारियों को वेतन की अदायगी न किये जाने के कारण तालाबन्दी

7794. **श्री के० ए० राजन :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी समाचार एजेंसी "समाचार भारती" ने 21 मार्च, 1984 को तालाबन्दी की घोषणा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रबन्धक मासिक वेतन और बोनस नियमित रूप से नहीं दे रहे हैं और पालेकर अबार्ड का भी कार्यान्वित नहीं किया गया है और कर्मचारी अपनी मागों के लिए आन्दोलन कर रहे थे;

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रबन्धकों ने बहुत बड़ी राशि विदेशी दौरों पर खर्च की है;

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संगठन को यदि 1982-83 और 1983-84 के दौरान कोई अनुदान दिया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से उपलब्ध सूचना के अनुसार, समाचार भारती के प्रबन्धतंत्र ने कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने के पश्चात् 21 मार्च, 1984 को दिल्ली में एजेंसी कार्यालय में तालाबन्दी कर दी ।

(ग) और (घ) यह सत्य है कि न्यूज एजेंसी में कर्मचारियों को उनकी मासिक मजदूरी बोनस आदि का नियमित रूप से भुगतान नहीं किया जा रहा है । तथापि, दिल्ली प्रशासन के अनुसार, एजेंसी ने पालेकर पंचाट कार्यान्वित कर दिया है हालांकि मजदूरी, बोनस, आदि की बकाया राशि का भुगतान किया जाना है । यद्यपि सरकार ने 31-3-1984 तक एजेंसी को सहायता अनुदान प्रदान किया है, लेकिन यह एजेंसी के प्रबन्धतंत्र पर निर्भर करता है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करें और अपने कर्मचारियों को बकाया राशि का भुगतान करें ।

(ङ) और (च) समाचार भारती कर्मचारी यूनियन ने अपने ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह आरोप लगाया कि भूतपूर्व महाप्रबंधक ने विदेशी दौरों पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया। इस ज्ञापन को, जिसमें महाप्रबन्धक के विरुद्ध कुप्रबन्ध, छल-कपट आदि के बारे में कई शिकायतें की गई हैं, कम्पनी कार्य विभाग को उपयुक्त कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है ।

(छ) समाचार भारती को उसके कर्मचारियों के वेतन-अन्तर की व्यवस्था हेतु 1982-83 में 2,18,361.39 रुपये और 1983-84 में 3,37,064.95 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की गई।

ईंधन तेल और नेप्था पर आधारित उर्वरक काम्प्लेकस की स्थापना

7795. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार और नागार्जुन फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्स लि० ने ईंधन तेल और नेप्था पर आधारित उर्वरक काम्प्लेक्स की स्थापना की संभावनाओं और आर्थिक पहलुओं का ब्यौरा भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय किया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट की जांच की गई और कम्पनी को कच्चे माल के रूप में फ्यूल आयल के स्थान पर नेप्था का उपभोग करने की अनुमति दी गई है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना से पाचवीं पंचवर्षीय योजना तक बिजली का उत्पादन

7796. **श्री अजय विश्वास** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि किसी भी योजना में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में देश असफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में गहराई से पुनरीक्षण किया है; और

(ङ) यदि ऐसा किया गया है तो लक्ष्य प्राप्ति में असफलता के मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान यूटिलिटीज में विद्युत का उत्पादन निम्नानुसार था :—

योजना	वास्तविक उत्पादन मिलियन यूनिट में
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	8592
दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61)	16937
तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66)	32990
वार्षिक योजनाएं (1966-69)	47434
चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74)	66689
पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-79)	103328

नई क्षमता की प्रतिष्ठापना से भिन्न उत्पादन क्षमता के रूप में उपर्युक्त योजना अवधियों के दौरान अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए कोई सुनिश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ख) से (ङ) विद्युत उत्पादन में वृद्धि मौटे तौर पर निर्माणाधीन परियोजनाओं के समय पर पूरा होने तथा मौजूदा विद्युत केन्द्रों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करती है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने में अनेक कठिनाइयां आती हैं—यथा परियोजना प्रबंध तथा कार्यान्वयन की अपर्याप्तता, निधियों की कमी, उपस्कर की सप्लाई में विलम्ब, निर्माण सामग्रियों की कमी आदि। ताप विद्युत संयंत्रों के कम क्षमता समुपयोजन तथा विभिन्न वर्षों में अनिश्चित मानसून परिस्थितियों के कारण जल-विद्युत उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है, जिससे विद्युत उत्पादन में कमी होती है।

विद्युत उत्पादन में सुधार लाने की दृष्टि से कई उपाय किये जाते हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) परियोजना के क्रियान्वयन की गहन मानीटरिंग करके नई उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना; और

(2) ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में वृद्धि करने के लिए उपाय करना, जैसे संयंत्र सुधार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, प्रचालन और अनुरक्षण की बेहतर तकनीकें अपनाना तथा प्रचालन और अनुरक्षण कार्मिकों को प्रशिक्षण देना, अपेक्षित गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की व्यवस्था करना, स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जों की व्यवस्था करना तथा राज्य बिजली बोर्डों आदि के विद्युत केन्द्रों का केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियरों के क्षेत्रिक दलों/भ्रमणशील दलों द्वारा दौरा करना।

फिल्मों में महिलाओं का विकृत रूप में चित्रण

7797. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मों में विकृत रूप में महिलाओं के चित्रण के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करते हुए देश की कुछ प्रगतिशील महिलाओं ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस प्रकार के किसी रूप में महिलाओं के चित्रण को, जिसके परिणामस्वरूप समाज में युवा वर्ग में अपराधी मानसिकता बढ़ती है, तत्तकाल रोका जाए; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) लोक प्रदर्शन के लिए अभिप्रेत सभी फिल्मों की जांच केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा चलचित्र अधिनियम, 1952 के उपबन्धों और तदन्तर्गत जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, बोर्ड, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगा कि हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या परिहार्य दृश्य न दिखाए जाएं और अश्लीलता, अशिष्टता और अभद्रता द्वारा मानविक संवेदनशीलता क्षुब्ध न की जाए । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था करने के लिए 7-5-83 को संशोधित किया गया था कि बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि स्त्रियों में पुरुषों के प्रति नीच दासता को चित्रित करने वाले या ऐसी दासता को स्त्रियों के प्रशंसनीय गुण के रूप में उत्कृष्ट ठहराने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत न किया जाए ।

तथापि, उचित पाबंदियों के सीमित दायरे के अन्दर बोर्ड द्वारा किए गए पूरे प्रयासों के बावजूद, यह पता चला है कि प्रदर्शन व्यापार में सेंसरशिप नियमों का उल्लंघन होता है । मुख्य उल्लंघन यह है कि फिल्मों को सदा उस रूप में नहीं दिखाया जाता जिस रूप में उन्होंने बोर्ड द्वारा प्रमाणीकृत किया जाता है । तथापि, चलचित्र अधिनियम, 1952 के दांडिक उपबन्धों को प्रवृत्त करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की है जिनसे सांविधिक उपबन्धों को सख्ती से लागू करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया है । सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने 24-9-83 को राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों के मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा था जिसमें उनसे कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़े उपाय करने का अनुरोध किया गया था ।

मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

7798. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में जो कि सभी दृष्टिकोण से एक पिछड़ा क्षेत्र है, वहां के लोगों में जागरूकता लाने के लिए एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कहां और किस समय तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में सागर में अल्प शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसमीटर के चालू वर्ष के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

गुजरात में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग परियोजनाओं में अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की कमी

7799. **श्री सोमजी भाई डागोर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में विभिन्न श्रेणियों में इस समय परियोजनावार कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में विभिन्न श्रेणियों में अब अनुसूचित जनजाति के कुल कितने उम्मीदवार हैं;

(ग) विभिन्न श्रेणियों में इन उम्मीदवारों की कितनी कमी है;

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का इस कमी को किस प्रकार दूर करने का विचार है;

(ङ) अनुसूचित जनजाति के विभिन्न श्रेणियों के कितने उम्मीदवारों को क्वार्टर उपलब्ध कराये गये हैं; और

(च) क्वार्टरों की यदि कोई कमी है तो उसे किस प्रकार दूर किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बीड़ी मजदूरों की मजूरी के सम्बन्ध में केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की सिफारिशें

7800. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में बीड़ी मजदूरों को दी जा रही मजूरी के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार बीड़ी मजदूरों की सहकारिता को प्रोत्साहित करेगी;

(ग) क्या केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति ने इस संबंध में सिफारिशें की थीं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां । अधिकांश राज्यों में बीड़ियों को लपेटने के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें, निर्धारित की गई हैं। ये दरें जो प्रति एक हजार बीड़ियों को लपेटने के लिए हैं, विवरण में दी गई हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) श्री जी० के० पानिकर को नवम्बर, 1982 में सहकारी आधार पर बीड़ी श्रमिकों को संगठित करने के लिए योजना बनाने हेतु श्रम मन्त्रालय में अवैतनिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था । उनकी सिफारिशों के आधार पर यह मामला सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है । श्रम मन्त्री जी ने भी इस संबंध में बीड़ी उत्पादन करने वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है । गुजरात सरकार ने पांच सहकारी समितियों के गठन के आदेश जारी किए हैं । स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है और अवैतनिक सलाहकार द्वारा तैयार की गई माडल योजना पर आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ।

विवरण

बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित/संशोधन सम्बन्धी स्थिति

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1000 बीड़ियों को लपेटने के लिए मजदूरी की दरें।	संशोधन करने की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	7.05 से 7.70 रुपये तक (बीड़ियों के आकार और किस्म तथा क्षेत्रों के अनुसार)	1-8-1982	
2.	असम	5.00 रुपये	1-8-1977	न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करने के लिए कार्यवाही की गई है।
3.	गुजरात	7.20 से 7.45 रु० तक बीड़ियों की किस्म और क्षेत्रों के अनुसार	15-7-1981	ये दरें निर्वाह लागत सूचकांक पर आधारित विशेष भत्ते के सम्बद्ध हैं।
4.	बिहार	8.00 रुपये	24-9-1981	
5.	कर्नाटक	7.40 रुपये	1-1-1982	
6.	केरल	9.15 रु० + उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 1950 से ऊपर प्रत्येक प्वांइट के लिए 3 पैसे की दर से महंगाई भत्ता	20-10-1980	न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करने के लिए 16.5.1981 को एक समिति गठित की गई है।

1 2	3	4	5
7. मध्य प्रदेश	7.50 रुपये	1-1-1982	42.00 रु० प्रति सप्ताह की दर से गारंटी शुद्धा न्यूनतम मजदूरी।
8. महाराष्ट्र	7.50 रुपये से 10.00 रु० तक क्षेत्रों के अनुसार	15-1-1982	कुछ शर्तों के अध्यधीन 4.75 रु० प्रतिदिन की गारंटी शुद्धा न्यूनतम मजदूरी।
9. उड़ीसा	7.45 रु०	31-3-1982	
10. राजस्थान	7.10 रुपये (सादा बीड़ी) 8.75 रुपये (विशेष बीड़ी)	1-4-1982	मजदूरी की न्यूनतम दरों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध करने का प्रश्न विचारधीन है।
11. तमिलनाडु	7.20 रुपये (जदी बीड़ी) 7.00 रुपये (सादा बीड़ी)	12-3-1982	महंगाई भत्ते को वर्ष 1981 के लिए मद्रास शहर हेतु औसत उपभोक्ता मूल्यसूचकांक के साथ जोड़ा गया है। मजदूरी में और संशोधन के प्रस्ताव 16-6-83 को अधिसूचित किए गए हैं।

1	2	3	4	5
12.	त्रिपुरा	6.35 रुपये	18-5-1982	
13.	उत्तर प्रदेश	7.50 रुपये	1-4-1982	कुछ शर्तों के अधीन 42 रुपये प्रति सप्ताह की गारन्टी शुदा न्यूनतम मजदूरी ।
14.	पश्चिम बंगाल	13.35 रुपये से 16.74 रुपये	3-7-1982	

पूर्ण नियन्त्रण वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के संस्थापना सम्बन्धी अनुच्छेदों में संशोधन

7801. **श्री मधु दंडवते** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संस्थापना संबंधी कुछ विशेष अनुच्छेद बनाकर, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कानूनी तरीके से कंपनियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन अनुच्छेदों का ब्यौरा क्या है जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कम्पनियों पर पूर्ण नियन्त्रण रखने में पर्याप्त शक्ति देते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनुच्छेदों में संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार उनमें कब तक संशोधन करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ख) इस प्रकार के अनुच्छेदों के ब्यौरों का संकलन करना सम्भव नहीं है। तथापि, इनमें प्रबन्धकीय/पूर्णकालिक निदेशकोंऔर शेयर पूंजियों के जारी करने पर नियन्त्रण सहित गैर भ्रमणकारी निदेशकों की नियुक्ति आती है।

(ग) कम्पनी के संस्थान अनुच्छेदों में संशोधन करने की कार्यवाही केवल कम्पनी द्वारा ही की जा सकती है।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

एक स्थायी राष्ट्रीय विद्युत परिषद् के लिए सुझाव

7802. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में एक स्थायी राष्ट्रीय विद्युत परिषद की आवश्यकता के बारे में दिये गये सुझाव की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार ने ऊर्जा पत्रिका "ऊर्जा" तथा आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन द्वारा 9 मार्च, 1984 को दिल्ली में आयोजित सेमिनार में की गई सिफारिशों पर रिपोर्ट देखी है। सिफारिशों में से एक सिफारिश स्थायी राष्ट्रीय विद्युत परिषद् की स्थापना करने से सम्बन्धित है। इसमें ये शामिल होंगे :—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्य; भेल, स्टील अथारिटी आफ इण्डिया,

सी० आई० एल०, बालको, परमाणु विद्युत प्राधिकरण और सी० सी० आई० के अध्यक्षों सहित राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत उपक्रमों के अध्यक्ष, आल इण्डिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन तथा विद्युत मजदूरों के प्रतिनिधि, वाणिज्य तथा उद्योग के चेम्बरों के ऊर्जा पैनलों के आयोजकों को वरीयता तथा अन्य प्रयोगकर्ता हितों के तथा विद्युत उद्योग से सम्बन्धित ऊर्जा अर्थशास्त्री जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति आदि। यह सुझाव है कि इस परिषद् के कार्य का स्वरूप सलाह देना होगा।

लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए औषधियों की उपलब्धता

7803. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने नई औषध नीति के पैरा 11(5) के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि देश में लोगों की मांग को पूरा करने के लिए प्रचुर मात्रा में औषधियां उपलब्ध हैं; और

(ख) प्रचुर मात्रा में औषधियां उपलब्ध कराने में सरकार को कितनी सफलता मिली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश की आवश्तकताओं को पूरा करने करने हेतु औषधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

1. डी० जी० टी० डी० पंजीकरणों सहित बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन स्वीकृत किए गए हैं।

2. सरकारी क्षेत्र में प्रमुख औषधों तथा फार्मूलेशनों की क्षमता में विस्तार किया गया है।

3. कच्चे माल आदि की प्राप्ति आदि और वर्तमान औषध एककों के सम्बन्ध में उपयोगिताओं की आपूर्ति के सम्बन्ध में सहायता दी जाती है।

4. जब कभी आवश्यक होता है, प्रौद्योगिकी के आयात की स्वीकृति दी जाती है।

(ख) पिछले कुछ वर्षों से प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों का उत्पादन बढ़ रहा है। प्रपुंज औषधों का स्वदेशी उत्पादन 1979-80 में 226 करोड़ से बढ़कर 1982-83 में 325 करोड़ रुपये का हो गया जबकि फार्मूलेशनों का उत्पादन 1979-80 में 1150 करोड़ रुपये से बढ़कर 1982-83 में 1603 करोड़ रुपये हो गया। कुछ औषधों की कमियां, जो यदा-कदा पायी जाती हैं, मुख्यतः या तो कुछ ब्रेड नामों की होती है, जिनकी समकक्ष औषधें उपलब्ध होती हैं या स्थानीय स्वरूप की होती हैं।

अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका "क्लेरिटी" का प्रकाशन

7804. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्लेरिटी" के नाम से कोई अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका बम्बई से प्रकाशित की जाती है, इसके मालिक/न्यासी कौन हैं जो "राइटर्स फाउण्डेशन चेरिटेबल ट्रस्ट" बम्बई नाम से प्रकाशक होने का दावा करते हैं;

(ख) भारतीय प्रैस अधिनियम के नियम 8-ख फार्म IV के अन्तर्गत अपेक्षित उनके नाम तथा पते क्या हैं तथा जिनको प्रत्येक वर्ष मार्च के महीने के पहले सप्ताह में भारत में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक प्रकाशन में प्रकाशित करना होता है; और

(ग) इस पत्रिका की बिक्री कितनी है जिसे प्रकाशक द्वारा सच बताया अथवा घोषित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के रिकार्ड के अनुसार स्वामी "राइटर्स फाउण्डेशन (ट्रस्ट)" हैं और प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक श्री एस० बी० कोल्पे हैं।

(ख) जैसा कि समाचार पत्र पंजीकरण (केन्द्रीय) नियम, 1956 के नियम 8(2) के अन्तर्गत अपेक्षित है, "क्लेरिटी" के प्रकाशक, मुद्रक तथा सम्पादक का नाम और पता साप्ताहिक द्वारा 11-3-84 के अपने अंक में प्रकाशित किया गया था।

(ग) वर्ष 1981 के लिए प्रकाशक द्वारा पत्र की बताई गई प्रसार संख्या 8,679 प्रतियां थीं। वर्ष 1982 और 1983 की प्रसार संख्या के आंकड़े प्रकाशक द्वारा अभी सप्लाई नहीं किए गए हैं।

भारत कोकिंग कोल लि० के अन्तर्गत कोयला खानों में ठेके पर मजदूर

7805. **श्री रसीद मसूद** : रशीद

श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 मार्च, 1984 के "द टेलिग्राफ" में भारत कोकिंग कोल लि० के अन्तर्गत कोयला खानों में सरकार के इस कथन कि कोयला उत्पादन में ठेके पर मजदूर नहीं लगाये जाते हैं, के बावजूद ठेके पर मजदूरों की समाप्त न होने वाली प्रणाली के संबंध में प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) प्रेस रिपोर्ट में मुख्य आरोप यह है कि भारत कोकिंग कोल लि० की कुछ खानों में ठेका मजदूर कार्यरत हैं। तथ्यों की जांच की जा रही है।

पटना, बिहार में एल० टी० सी० संयंत्र स्थापित किया जाना

7806. **श्री कुंवर राम** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा पटना में निम्न ताप कोयला कारपोरेशन संयंत्र स्थापित करने में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ख) इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत में कोयले के कम ताप कार्बनीकरण विस्तार के प्रौद्यो-आर्थिक निर्धारण हेतु योजना आयोग ने हाल ही में एक अध्ययन दल गठित किया है। अध्ययन दल की रिपोर्ट मिलने के बाद, पटना या किसी अन्य स्थान पर नए कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र लगाने के सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

दौलतियापुर, जिला सीतापुर में शाखा डाकघर खोलना

7807. **श्री राम लाल राही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने उन्हें पत्र लिखकर ग्राम दौलतियापुर, जिला सीतापुर में शाखा डाकघर खोलने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र के लोगों की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार ने वहां पर शाखा डाकघर खोलने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो वहां पर शाखा डाकघर कब तक खोल दिया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) दौलतियापुर एक गैर-ग्राम पंचायत वाला गांव है जिसकी जनसंख्या 450 है। मान-दण्डों के अनुसार गैर-ग्राम पंचायत वाले गांव में डाकघर तभी खोला जाता है जब उसकी जनसंख्या 2000 या अधिक हो। दौलतियापुर में डाकघर खोलने का औचित्य नहीं बनता है।

उड़ीसा में दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

7808. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न दूरभाष केन्द्रों की, दूरभाष केन्द्र-वार क्षमता का विस्तार किस सीमा तक किए जाने का विचार है;

(ख) इस दूरभाष केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्र में विस्तार करने का निर्धारित लक्ष्य कब तक प्राप्त किया जाएगा; और

(ग) इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी विवरण में दी गई है ।

विवरण

एक्सचेंज का नाम	किस्म	विस्तार लाइनों में	संभावित लक्ष्य तारीख
1 2	3	4	5
1. भुवनेश्वर	एमएएक्स— I	4500-5000	पहले ही चालू हो चुका है ।
2. कटक	—वही—	5000-6000	
3. बेरहामपुर	—वही—	1500-1800	
4. राउरकेला प्लांट	—वही—	2100-2700	
5. डिगापहांडी	एमएएक्स—III	25-50	
6. धर्मगढ़	—वही—	35-50	
7. जूनागढ़	—वही—	25-50	वही
8. चाम्पुआ	—वही—	25-35	
9. नीमपाड़ा	—वही—	50-100	
10. बींका	—वही—	25-50	
11. बीरमहाराजपुर	—वही—	25-50	
12. नवापाड़ा	—वही—	25-50	मार्च, 1984 तक
13. कमाख्यानगर	—वही—	50-100	(पुनरीक्षा की जा रही है)
14. उडाला	—वही—	50-100	
15. बेटनोटी	—वही—	50-100	
16. चावबाला	—वही—	50-100	
17. जालेश्वर	—वही—	50-100	

1	2	3	4	5
18.	बालसोर	सी बी एम	600-700	पहले ही पूरा हो चुका
19.	बारीपाड़ा	—वही—	260-480	है
20.	भादरक	—वही—	360-480	*
21.	धेनकनाल	—वही—	360-480	मार्च 1984 तक
22.	जेपोर	—वही—	600-720	(पुनरीक्षा की जा रही
23.	सम्भलपुर	—वही—	1680-1800	* है)
24.	फूलबनी	सी बी एम एन	200-250	
25.	कोरापुट	—वही—	200-250	
26.	हीराकुन्ड	—वही—	100-200	मार्च, 1984 तक
27.	खरिआर	—वही—	100-150	
28.	जोडा	—वही—	120-200	
29.	बोलंगीर	600 सी बी एम से 600 एम ए एक्स—II		
30.	अंगुल	300 सी बी एन एम से 400 एम ए एक्स—II पहले ही चालू हो		
31.	पुरी	720 सी० बी० एम से 900 एम एक्स—II चुका है।		

*पहले ही चालू हो चुका है।

करीम नगर (आंध्र प्रदेश) में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

7809. **श्री जी० भूपति** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में करीम नगर जिले के लिए एक दूरदर्शन केन्द्र की स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तकनीकी ब्यौरा क्या है तथा इस केन्द्र को किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा।

(ग) इस केन्द्र से किस प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित किया जायेगा तथा इसके उद्घाटन किये जाने की संभावित तिथि क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि इस केन्द्र से केवल राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) और (ख) जी, हां। करीम नगर में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला दूरदर्शन केन्द्र स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए करीमनगर में रेड क्रास भवन को कब्जे में ले लिया गया है। ट्रांसमीटर की सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) केन्द्र के चालू वर्ष के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। करीमनगर सहित देश भर में स्थापित किए जा रहे अल्प शक्ति सभी 118 ट्रांसमीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अलावा, इन्सैट के माध्यम से एक सामान्य कार्यक्रम रिले करेंगे।

1984-85 के दौरान खोले जाने वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

7810. **श्री नित्यानन्द मिश्र**: क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उनके मंत्रालय के प्रबंधाधीन कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोले गए हैं,

(ख) क्या सरकार का 1984-85 के दौरान कुछ नए कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में विभिन्न खनिज क्षेत्रों में कितने कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल खोले जायेंगे; और

(घ) उनका ब्यौरा क्या है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) 84.

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) 25 पलंगों वाला एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, जिसमें विस्तार करके 50 पलंगों की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है, राउरकेला में निर्मित करने की वीकृति दे गई है।

आकाशवाणी दिल्ली और दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र में आर्थिक विषयों पर चर्चाएं

7811. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी दिल्ली और दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से आर्थिक विषयों पर कितती बार चर्चाएं की गई हैं;

(ख) इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए विभिन्न वाणिज्यिक मंडलों अथवा इन मण्डलों से सम्बद्ध व्यक्तियों को कितने अवसरों पर आमंत्रित किया गया;

(ग) इन चर्चाओं में भाग लेने के लिए मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों अथवा उनसे सम्बद्ध लोगों को कितनी बार आमन्त्रित किया गया;

(घ) क्या इन चर्चाओं में अपने विचार व्यक्त करने हेतु विभिन्न संगठित इच्छुक दलों को आमंत्रित करने का कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ङ) माननीय सदस्य ने वह अवधि निर्दिष्ट नहीं की है जिसके लिए सूचना चाहिए। तथापि 1 जनवरी, 1983 से 29 फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान आकाशवाणी के केन्द्र पर आर्थिक विषयों पर 43 मुख्य कार्यक्रम आयोजित किये गये थे। इन कार्यक्रमों में 11 अवसरों पर विभिन्न वाणिज्यिक मंडलों से संबद्ध व्यक्तियों ने और 10 अवसरों पर मजदूर संघों से संबद्ध व्यक्तियों ने परिचर्चाओं में भाग लिया।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र के मामले में, नवम्बर, 1983 से फरवरी, 1984 तक की अवधि के दौरान 5 अवसरों पर आर्थिक विषयों पर परिचर्चाएं आयोजित की गई थीं। केवल एक अवसर पर वाणिज्यिक मंडलों से सम्बद्ध प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया क्या था। मजदूर संघ के किसी भी प्रतिनिधि को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमन्त्रित नहीं किया गया था।

कार्यक्रम फारमेट की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुये विभिन्न संगठित दलों के प्रतिनिधियों को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा इन किस्मों के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

इंदौर टैक्सटाइल मिल्स, उज्जैन, के दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार और कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि की अदायगी

7812. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदौर टैक्सटाइल मिल उज्जैन में गत दो वर्षों के दौरान मृत्यु प्राप्त होने वाले कर्मचारियों के नाम क्या-क्या हैं तथा उनमें से कौन-कौन से दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को इस बीच रोजगार दिया जा चुका है; और

(ख) मिल के कितने कर्मचारियों की भविष्य निधि जमा की जा चुकी है तथा कितने मामलों में यह राशि अभी बकाया है और उसके शीघ्र भुगतान के लिए क्या कार्यवाई की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, गत दो वर्षों के दौरान मैसर्स इंदौर टैक्सटाइल मिल्स के 25 कर्मचारियों की मृत्यु हुई और इनमें से छः कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार दिया गया है। मृत कर्मचारियों के नाम संलग्न सूची विवरण के रूप में दी गयी हैं।

(ख) 31-12-83 की स्थिति के अनुसार, प्रतिष्ठानों में 2050 भविष्य निधि अंशदाता थे। यह सूचित किया गया है कि मिल की ओर फरवरी, 1977 से अप्रैल, 1977 तथा अप्रैल 1981 से दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के संबंध में भविष्व निधि की देय राशि 34.57 लाख रुपये बकाया है। भविष्य निधि प्राधिकारियों ने बकाया देय राशियों की वसूली के लिए प्रतिष्ठान के विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की है :—

(1) अक्तूबर, 1983 तक की अवधि के लिए कर्मकारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 8 के अनुसार राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।

(2) अधिनियम की धारा 14 के अनुसार अभियोजन मामले चलाये गए हैं।

(3) फरवरी, 1977 से अप्रैल, 1977 तक की अवधि के लिए कर्मचारी के अंशदानों के हिस्से का भुगतान न करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406-409 के अधीन शिकायतें दायर की गई हैं।

विवरण

1	2

1. स्वर्गीय श्री विक्रम सिंह लाल सिंह
2. स्वर्गीय श्री हरका भार्य
3. स्वर्गीय श्री केवलचन्द फूलचन्द
4. स्वर्गीय श्री मदन मूलचन्द
5. स्वर्गीय श्री जगन्न नाथ शीत्तल
6. स्वर्गीय श्री पुरुषोत्तम तुकाराम
7. स्वर्गीय श्री कन्हैया ताराचन्द

1	2
8.	स्वर्गीय श्री कमल बालचन्द्र
9.	स्वर्गीय श्री श्रवण बलदेव
10.	स्वर्गीय श्री हुक्म चन्द नाथ जी
11.	स्वर्गीय श्री बाबू कथाजी
12.	स्वर्गीय श्री पार्वती लालजी राम
13.	स्वर्गीय श्री ग्यारजा गोविंद
14.	*स्वर्गीय श्री पन्नालाल मुन्नालाल
15.	स्वर्गीय श्री कन्हैया लाल भगवानदास
16.	स्वर्गीय श्री रशीद अहमद
17.	स्वर्गीय श्री गोपीनाथ बालाजी
18.	स्वर्गीय श्री भानुलाल बिरादीचन्द
19.	स्वर्गीय श्री रामप्रसाद किशोरीलाल
20.	स्वर्गीय श्री नरहरी नारायण
21.	स्वर्गीय श्री शंकर मोतीलाल
22.	*स्वर्गीय श्री गुंलबा चौका
23.	*स्वर्गीय श्री माधोसिंह मानसिंह
24.	*स्वर्गीय श्री असगर अली इब्राहिम
25.	*स्वर्गीय श्री बाबूलाल महावीर

*आश्रितों को रोजगार दिया गया है।

औषधियों को सभी प्रकार के करों से छूट देने की मांग

7813. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया कैमिस्ट एसोएिशन ने सरकार से औषधियों को सभी प्रकार के करों से छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस संबंध में उन्होंने कोई ज्ञापन भेजा है और क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है, यदि हां, तो संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कैमिस्टों ने अपनी मांग के समर्थन में कोई सांकेतिक हड़ताल भी की थी;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जारकारी है कि इस छूट से, विशेष रूप से गरीब लोगों को फायदा पहुंचेगा; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) कैमिस्टों और ड्रगिस्टों के अखिल भारतीय संगठन ने दिनांक 23 फरवरी, 1984 के अपने ज्ञापन में दवाईयों पर कर समाप्त करने की मांग की है । इस सन्दर्भ में कोई आश्वासन नहीं दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) औषधों और दवाईयों पर उपकरों और शुल्कों के सुव्यवस्थीकरण से सम्बन्धित कुछ प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श किया जा रहा है। यह ठीक से बताना कठिन है कि अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ।

दूरदर्शन में समाचार-वाचकों की कमी

7814. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री जगपाल सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 फरवरी, 1984 के "पंजाब केसरी" में "दूरदर्शन के पास समाचार वाचकों की कमी" शीर्षक के अन्तर्गत छपी दूरदर्शन कार्यक्रम समीक्षा की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या समचार-वाचकों की कमी को दूर करने के लिए कोई ठोस और प्रभावी कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि समाचार-वाचकों की कोई कमी नहीं है तो पूरा समाचार बुलेटिन एक ही समचार-वाचक द्वारा क्यों पढ़ा जाता है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) दूरदर्शन में समाचार प्रस्तुतकर्त्ताओं की कोई कमी नहीं है। यद्यपि 15 मिनट के समाचार बुलेटिन को प्रस्तुत करने हेतु सामान्यतया दो समाचार-प्रस्तुतकर्त्ताओं को लगाया जाता है। किसी अवसर पर एक प्रस्तुतकर्त्ता द्वारा समाचार प्रस्तुत किए जाने को व्यक्तियों की कमी नहीं समझा जाना चाहिए। प्रस्तुतकर्ताओं की संख्या कार्यक्रमों के रूप और विषयवस्तु पर निर्भर करती है।

नए डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोलना

7815. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वित्तीय वर्षों में देश में राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में कितने नए डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं : और

(ख) उक्त अवधि में इनमें से कितने पश्चिम बंगाल में जिलावार खोले गए ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अपेक्षित जानकारी सर्किलवार है न कि राज्य और संघ शासित क्षेत्रवार, जो निम्न प्रकार है :

	1981-82	1982-83	1983-84
खोले गए डाकघर	1863	1208	489
खोले गए लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	2082	2264	2429

(ख) जानकारी विवरण में दी गई है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल में 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान जिलेवार खोले गए डाकघर और लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर

जिले का नाम	1981-82		1982-83		1983-84	
	खोले गए डाकघर	खोले गए लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	खोले गए डाकघर	खोले गए लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	खोले गए डाकघर	खोले गए लंबी दूरी के पी० सी० ओ०
1	2	3	4	5	6	7
बांकुरा	2	6	4	4	12	19
वर्दमान	8	9	5	7	6	12
सौरभूम	6	2	2	3	5	6

1	2	3	4	5	6	7
कूच बिहार	3	8	4	5	14	3
कलकत्ता	4	—	2	—	3	—
दार्जिलिंग	5	—	6	1	3	—
हुगली	5	2	2	—	3	1
हावड़ा	4	—	1	—	5	1
जलपाईगुड़ी	3	2	2	3	7	5
माल्दा	15	2	3	5	8	2
मिदनापौर	10	7	10	7	17	5
मुर्शिदाबाद	10	18	8	13	8	11
नडिया	11	1	5	3	6	1
पुरुलिया	6	4	6	3	6	6
प० दीनाजपुर	20	1	6	4	7	—
24 परगना	20	11	24	14	48	5

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम में घाटा

7816. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान उर्वरक निगम को 1983-84 में पहले 9 महीनों के दौरान 1982-83 की इसी अवधि की तुलना में कम घाटा हुआ है; और

(ख) यदि नहीं, तो 1983-84 में कितना घाटा हुआ तथा 1984-85 हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) 1983-84 के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० को हुई हानि की अनुमानित राशि 69.98 करोड़ रुपए है ।

उत्पादिता को बढ़ाने की योजनाएं, जैसे कि दुर्गापुर और बरौनी में केपटिव पावर प्लांट, दुर्गापुर और बरौनी में लिक्विड अमोनिया स्टोरेज टैंक सुविधाएं, दुर्गापुर और बरौनी में हाईप्रेशर अमोनिया पम्पों में संशोधन, तथा नामरूप और दुर्गापुर में अतिरिक्त कूलिंग टावर सुविधाओं के

शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना है। उनयोजनाएं के चालू हो जाने से, यह आशा है कि संयंत्र प्रचालन पथा क्षमता उपयोगिता तथा उसके परिणामस्वरूप वित्तीय निष्पादन में सुधार होगा।

विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की व्यवस्था करने संबंधी संयोजन समिति

7817. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले की व्यवस्था करने संबंधी संयोजन समिति का ब्यौरा क्या है और समिति के सदस्यों के नाम तथा इसके वास्तविक कार्य क्या हैं; और

(ख) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान बिजली संयंत्रों को उचित किस्म का तथा उचित समय पर कोयला प्राप्त करने में कुछ सुधार हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोयला विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक विशेष संयोजन समिति है जिसके सदस्य इनमें से हैं—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत विभाग, योजना आयोग, रेल मंत्रालय, केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० और कोयला कम्पनियां। इस समिति की बैठकें निश्चित अवधि पर होती हैं जिसमें ताप बिजलीघरों को दीर्घ अवधि के आधार पर कोयले के संयोजन का निर्णय होता है। अल्प अवधि के संयोजन के लिए एक स्थायी संसोजन समिति है जिसकी प्रत्येक तिमाही में बैठकें होती हैं जिसमें ताप बिजली घरों को मासिक आधार पर दिए जाने वाले संयोजनों पर विचार किया जाता है। इस समिति में दिए गए संयोजनों, वास्तविक उपयोग और पिछली तिमाही के दौरान बिजली संयंत्रों के स्टाक की स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है और उस आधार पर स्वीकृत-बोर्ड अगली तिमाही के लिए संयोजन स्वीकृत करता है। इस समिति के अध्यक्ष कोयला विभाग के संयुक्त सचिव हैं और इसके सदस्य रेल मंत्रालय, विद्युत विभाग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और कोयला कंपनियों के प्रतिनिधि हैं। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय संयोजन समितियां हैं जो स्थानीय स्तर पर खान-वार कोयला संयोजन पर विचार करती हैं।

(ख) वर्ष 1982-83 की तुलना में वर्ष 1983-84 के दौरान बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई में निश्चित रूप से सुधार हुआ है जो निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

(मिलियन टनों में)

स्रोत	बिजली क्षेत्रों को प्रेषित कोयला		पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि	
	1983-84 (अप्रैल-फरवरी)	1982-83 (अप्रैल-फरवरी)	मात्रा	प्रतिशत
1	2	3	4	5
को० ई० लि०	44.85	38.86	+5.99	+15.4
	(1.81)	(1.91)	(–0.10)	(–5.2)
सि० को० कं० लि०	5.77	5.63	+0.14	+2.5

1 2	3	4	5	6
दा० धा० नि०	0.12	0.11	+0.01	+9.1
अखिल भारतीय	50.74	44.60	+6.14	+13.7
	(1.81)	(1.91)	(--0.10)	(--5.2)

(कोष्ठों में आंकड़े मिडलिग्स के हैं)

स्रोतों का निर्णय संयोजन समिति में होता है।

हाई स्पीड डीजल और अन्य पैट्रोलियम उत्पादों की तेजी से बढ़ती मांग

7818. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाई स्पीड डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल के मूल्यों में इस समय कितना अन्तर है; और

(ग) क्या सरकार हाई स्पीड डीजल की बढ़ती मांग को कम करने के लिए मूल्यों के अन्तर को कम करने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की खपत को नियंत्रित करने के लिए पहले से ही विभिन्न उपाय किए गए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. पहले की वास्तविक खपत, मौसमी घटबढ़, अन्य ईंधनों की उपलब्धता आदि पर आधारित तेल किफायती बजट के जरिए प्रभावी मांग प्रबन्ध।

2. पेट्रोलियम उत्पादों की खपत पर विशेषकर पेट्रोल की खपत पर वित्तीय उपायों के जरिए नियंत्रण करना।

3. पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संस्था किफायत के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे घरेलू परिवहन, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न संरक्षण गतिविधियों का समन्वय कर रही है। इनमें (क) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में कुशलता लाना (ख) तापक उपकरण की ताप कुशलता और उनकी वाणिज्यीकरण जैसे मिट्टी के तेल के स्टोव, एल० पी० जी० बर्नर, औद्योगिक बर्नर आदि और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग के व्यवहारों जैसे ड्राइविंग आदतें, खाना पकाने की आदतें आदि को बेहतर बनाना शामिल है।

4. प्रैस, रेडियो, टी० वी०, जैसे जन प्रचार माध्यमों के प्रयोग के जरिए उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने और ईंधन बचाने के लिए साधारण संकेत बताने के लिए जन शिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

5. ऊर्जा के विभिन्न वैकल्पिक स्रोतों को विकसित और प्रोत्साहित किया जा रहा है। इनमें सौर ऊर्जा, वायु-ऊर्जा, बायोगैस, लकड़ी के बेहतर चूल्हे, साफ्ट कोक का प्रयोग आदि शामिल हैं।

(ख) पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल का भण्डारण स्थल पर वर्तमान बुनियादी अधिकतम बिक्री मूल्य क्रमशः 5538.07 रुपए प्रति किलो लिटर और 2849.55 रुपए प्रति किलो लिटर है। इसमें उत्पाद शुल्क शामिल है परन्तु स्थानीय कर जैसे बिक्री कर, चुंगी आदि शामिल नहीं है।

दिल्ली में पेट्रोल और एच० एस० डी० तेल के खुदरा मूल्य क्रमशः 6.09 रुपए प्रति लिटर और 3.20 रुपए प्रति लीटर है। इन मूल्यों में परिवहन लागत, बिक्री कर आदि शामिल हैं।

(ग) इस समय, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बम्बई-हाई और पश्चिम बंगाल में पाए गए तेल और गैस का वाणिज्यक उपयोग

7819. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई हाई के उत्तर पूर्वी भाग में गैस के बड़े भण्डारों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन भण्डारों के दोहन और गैस को वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराए जाने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) तेल तथा गैस भण्डारों के क्षेत्र में पश्चिमी बंगाल के कैनिंग तथा अन्य देशों में अन्वेषण औट ड्रिलिंग के परिणामस्वरूप कोई सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो यह खोज वाणिज्यिक रूप से किस सीमा तक व्यावहारिक है।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई हाई के उत्तर-पश्चिम में लगभग 20 किलो मीटर की दूरी पर बी०-48-1 में गैस मिली है। प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया जा रहा है और उसके आधार पर संरचना को चिन्हित करने के लिए और कुओं की खुदाई की जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पश्चिम बंगाल के विभिन्न कस्बों को एस० टी० डी० के माध्यम से कलकत्ता से जोड़ना

7820. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) चालू वर्ष के दौरान पश्चिमी बंगाल में नए डाक और तार कार्यालयों, टेलीफोन एक्सचेंजों तथा विभिन्न नगरों और कस्बों को एस० टी० डी० के माध्यम से कलकत्ता और तथा पश्चिम बंगाल के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों से जोड़े जाने से सम्बन्धित ब्यौरा क्या है; और

(ख) किन-किन विद्यमान एक्सचेंजों को स्वचालित बनाने पर विचार किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) (1) पश्चिम बंगाल में 1984-85 के दौरान 130 नए डाकघर खोले जाएंगे ।

ये डाकघर विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के आधार पर खोले जायेंगे और इस प्रकार उनके स्थानों का निर्धारण अभी किया जाना है ।

(2) पश्चिम बंगाल में 1984-85 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों का लक्ष्य अभी निर्धारित किया जाना है ।

(3) चालू वर्ष के दौरान चालू किए जाने वाले नए टेलीफोन एवसचेंजों का ब्यौरा इस प्रकार है :

एम० ए० एक्स० 111-22 (स्थानों का निर्धारण किया जाना है)

सी० बी० एन० एम०-3 (उपरोक्त)

(4) चालू वर्ष 1984-85 के दौरान सुरी और मिदनापुर एक्सचेंजों में एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्ते कि समय पर उपकरण और भंडार की सप्लाई हो सके ।

(ख) शून्य ।

आदिवासी लोक गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रसारण/टेलीकास्ट

7821. **श्री भीखा भाई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में उन दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों के क्या नाम हैं जहां पर राष्ट्रीय प्रसारण को रिले करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं तथा वहां पर राष्ट्रीय प्रसारणों तथा अन्य कार्यक्रमों को रिले करने के लिए की गई व्यवस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) आदिवासी लोक गीतों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी बोली में तथा उनकी विशेष वेश-भूषा में आल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन से प्रसारण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कितने आदिवासियों के सांस्कृतिक जीवन के संरक्षण के लिए वृत्त चित्र तैयार किए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी

देश के 128 आदिवासी जिलों में से, 83 जिले आकाशवाणी से प्रस्तुत राष्ट्रीय प्रसारणों द्वारा पूरी तरह से कवर हैं तथा 36 जिले आंशिक रूप से कवर हैं। ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है।

दूरदर्शन

1984-85 तक उच्च शक्ति वाले 26 तथा अल्प शक्ति वाले 118 ट्रांसमीटर लगाने का प्रस्ताव है जिनका ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है। ये ट्रांसमीटर 90 आदिवासी जिलों को राष्ट्रीय टेलीकास्ट उपलब्ध करेंगे। इनका ब्यौरा विवरण-3 में दिया गया है।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में 18 रेड़ियो स्टेशन स्थित हैं जहां से आदिवासी बोलियों में आदिवासी लोक गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम नियमित रूप से प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो स्टेशनों का ब्यौरा विवरण-4 में दिया गया है।

दिल्ली से प्रस्तुत राष्ट्रीय संजाल में तथा उनके प्रादेशिक कार्यक्रम समय में भी दूरदर्शन केन्द्रों से समय-समय पर आदिवासी लोक गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाते हैं।

(ग) फिल्म प्रभाग ने भूतकाल में भारत के विभिन्न आदिवासियों के जीवन और संस्कृति, आदि से सम्बन्धित अनेक डाकुमेंट्री फिल्में बनाई हैं/खरीदी हैं तथा दानस्वरूप स्वीकार की हैं और वह इस प्रकार की फिल्मों को, जब भी उनको प्रायोजित किया जायेगा तथा उसकी सामान्य गतिविधि के रूप में फिल्म प्रभाग के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, बनाता रहेगा। फिल्मों की सूची विवरण-5 पर है। फिल्म में कवर किए गए आदिवासियों को प्रत्येक फिल्म के आगे निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार की फिल्मों की नेगेटिव सामग्री को अभिलेखागारीय प्रयोजन के लिए मिल्म प्रभाग की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा जाता है। डाकुमेंट्री फिल्मों के कवर किए गए आदिवासियों की कुल संख्या को बताना कठिन है क्योंकि फिल्म प्रभाग द्वारा बनाई गई फिल्में अधिकांशतया सामान्य स्वरूप की हैं तथा उनमें आदिवासियों को सामान्य रूप से कवर किया गया है।

दूरदर्शन केन्द्रों के पास उपलब्ध क्षेत्रीय रिकार्डिंग सुविधाओं/फिल्म सुविधाओं के अनुरूप, उन्होंने अपने सामान्य कार्यक्रमों के अंश के रूप में आदिवासी जीवन और संस्कृति पर यदा-कदा कार्यक्रम बनाए हैं।

विवरण-1

आदिवासी जिले (राज्यवार) यथा उनको कवर करने वाले रेडियो स्टेशन

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जिलों के नाम	कालम 3 को कवर करने वाले रेडियो स्टेशन का नाम
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	मामोग (आंशिक रूप से)	त्वांग, तेजू, पासीघाट,
		*सुबांसरी	डिब्रूगढ़
		*सियांग	
		*लोहित	
		*तिरप	
2.	आंध्र प्रदेश	विशाखापतनम	विशाखापतनम
		श्रीकाकुलम	विजयवाड़ा
		*पूर्वी गोदावरी (आंशिक रूप से)	हैदराबाद, लखापुर
		पश्चिमी गोदावरी	
		खमाम	
		वारांगल	
		आदिलाबाद	
3.	असम	गोलपाड़ा*	गोहाटी
		कामरूप	डिब्रूगढ़
		नौगांव	कोहिमा
		दारंग	
		शिवसागर	
		डिब्रूगढ़	

1	2	3	4
		लखीमपुर	
		कच्छार	
4.	बिहार	रांची	रांची
5.	गुजरात	भरूच	अहमदाबाद, राजकोट,
		पंचमहल	बदोदरा, इंदौर
		सूरत	बम्बई
		हिसार	
		सावरकंठा	
		बदोदरा	
		बनासकंठा*	
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—
7.	कर्नाटक	दक्षिणी कन्नड़	भद्रावती
		चिकमंगलूर*	मैसूर, बंगलौर और
		मैसूर	उदीपी
8.	केरल	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम, एलेपी
		इडूकी	त्रिचूर, कालीकट
		क्वीलॉन	कोयम्बतूर
		काजीकोड	
		मालापुरम	
		कन्नानौर	
		पालघाट	
9.	मध्य प्रदेश	झबुआ	इंदौर, भोपाल, जबलपुर
		धार	ग्वालियर, नागपुर
		खड़गांव	रायपुर, रीवा,

1	2	3	4
		छिन्दवाड़ा	अम्बिकापुर, जगदलपुर,
		बेतूल	जेपुर, सम्बलपुर
		सिवानी	
		बालाघाट	
		मांडला*	
		सरगूजा	
		रायगढ़*	
		बिलासपुर*	
		बस्तर*	
		रायपुर	
		मुरैना*	
		रतलाम	
		खंडुवा	
		होशंगाबाद	
		सिंधी*	
		राजनन्दनगांव	
		दुर्ग	
10.	मेघालय	यूनाइटिड खासी*	शिलांग, गोहाटी
		जयैंतीया पहाड़ियां	
		गारो पहाड़ियां	
11.	महाराष्ट्र	थाने	बम्बई, पूणे, जलगांव
		नासिक*	इंदौर, औरंगाबाद,
		धुले	परभनी, नागपुर,
		जलगांव	
		अहमदनगर	
		पुणे, नान्देड	

1	2	3	4
		अमरावती	
		यवतमाल	
		चन्द्रपुर	
12.	मिजोरम	मिजोरम*	ऐजवाल, सिल्चर
13.	मणिपुर	मणिपुर (उत्तरी)	इम्फाल, कोहिमा,
		मणिपुर (दक्षिणी)	सिल्चर
		मणिपुर (पूर्वी)	
		तेंगनोपल	
14.	नागालैंड	कोहिमा	कोहिमा, डिब्रूगढ़, इम्फाल
		मोकोकेहुंग	
		तवांगसंग	
15.	उड़ीसा	मयूरभंज	कलकत्ता, कटक,
		बालासोर	सम्बलपुर, जेपुर,
		क्योंझर*	जगदलपुर
		सुन्दरगढ़*	
		कोरापुर*	
		फूलबनी*	
		गंजम*	
		कालाहंडी*	
16.	राजस्थान	बंसवाड़ा	इन्दौर, उदयपुर, जोधपुर,
		दुनारपुर	अजमेर
		चित्तौड़गढ़*	
		उदयपुर	
		सिरोही*	

1 2	3	4
17. सिक्किम	—	—
18. तमिलनाडु	दक्षिणी अरकोट	मद्रास, बंगलौर,
	सलेम	तिरुचिरापल्ली, पांडिचेरी
	उत्तरी अरकोट	
	तिरुचिरापल्ली	
	धर्मपुर	
19. त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	अगरतला
	दक्षिणी त्रिपुरा	
	पश्चिमी त्रिपुरा	
20. उत्तर प्रदेश	लखीमपुर-खेड़ी	लखनऊ, गोरखपुर
	गोंडा	
21. पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	कलकत्ता, रांची,
	बांकुड़ा	सिलीगुड़ी
	वीरभूम	
	मालदा*	
	जलपाइगुड़ी	
	पश्चिमी दिनाजपुर	
	मुर्शिदाबाद	
	बरदवान	
	24-परगना	
	हुगली	
	मिधांपुर	
	दार्जिलिंग	

1	2	3	4
22.	अंडमान निकोबार-द्वीप समूह	निकोबार	पोर्टब्लेयर
23.	दादरा और नागर-हवेली	दादरा और नागर-हवेली	बम्बई, अहमदाबाद
24.	गोआ, दमन और दीव	दमन	बम्बई, अहमदाबाद
25.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	एलेपी

नोट : 1. आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा कवर किए गए जिलों की कुल संख्या 119 है।

2. *36 जिले आंशिक रूप से कवर हैं।

विवरण-2

1984-85 के दौरान स्थापित किए जाने वाले ट्रांसमीटरों की सूची

राज्य	छठी योजना के अंतर्गत 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर	विशेष योजना के अन्तर्गत 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर
1	2	3	4
1. असम	गोहाटी	—	डिब्रूगढ़ तेजपुर
2. आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विशाखापतनम	वारंगल राजमुन्दरी नेल्लोर निजामाबाद कुरनूल अनन्तपुर तिरुपति

1	2	3	4
			एडोनी
			कुडप्पा
			महबूबनगर
			कारीमनगर
3. बिहार	रांची	**पटना	धनबाद
			जमशेदपुर
			गया
			भागलपुर
			दरभंगा
			मुंगेर
			पूर्निया
			बेतिया
4. गुजरात	अहमदाबाद	द्वारका	सूरत
	राजकोट		वदोदरा
			भावनगर
			नवासेरी
			भरूच
			पतन
5. हरियाणा	—	—	हिसार
			भिवानी
6. हिमाचल प्रदेश	कसौली	—	कुल्लू
7. जम्मू और काश्मीर	—	**जम्मू	लेह
		पूंच	कारगिल

1	2	3	4
8. कर्नाटक	—	—	धारवाड़
			मैसूर
			मंगलौर
			बेलगांव
			बेल्लरी
			देवनगरे
			भद्रावति
			बिजापुर
			रायचूर
			गडग देतागड़ी
			हासपेट
9. केरल	त्रिवेन्द्रम	कोचीन	कालीकट
			कन्नौर
			पालघाट
10. मध्य प्रदेश	—	**भोपाल	जबलपुर
		**इंदौर	ग्वालियर
			रतलाम
			सागर
			बुरहानपुर
			रीवा
			मुरवाड़ा
			बिलासपुर
			कोरबा
			सिंगरौली

1	2	3	4
11. महाराष्ट्र	—	—	शोलापुर
			नासिक
			कोल्हापुर
			औरंगाबाद
			सांगली
			अमरावती
			मालेगांव
			अकोला
			धुले
			नानदेड
			अहमदनगर
			जलगांव
			जलना
			भूसावल
			चन्द्रपुर
			लतूर
			परभनी
			गोदिया
12. मणिपुर	—	—	लोकतक
13. मेघालय	—	—	तुरा
14 नागालैंड	—	—	—
15. उड़ीसा	कटक	—	राउरकेला
			सहारनपुर
			कोरापुट
16. पंजाब	—	भटिंडा	पठानकोट

1	2	3	4
17. राजस्थान	—	—	जोधपुर अजमेर कोटा बीकानेर उदयपुर अलवर गंगागगर भीलवाड़ा केतड़ी जेसलमेर बारमेड़
18. सिक्कम	—	—	—
19. तमिलनाडु	कोडैकनाल	—	तिरुचिरापल्ली सलेम बेल्लोर कम्बकोनम कोयम्बतूर चबेली
20. त्रिपुरा	—	**अगरतला	—
21. उत्तर प्रदेश	वाराणसी गोरखपुर	इलाहाबाद आगरा	बरेली मुरादाबाद अलीगढ़ झांसी सुल्तानपुर रायबरेली फैजाबाद

1	2	3	4		
			इटावा		
			बहराइंच		
			शाहजहांपुर		
			रामपुर		
			पौड़ी		
			फरुखाबाद		
			सम्बल		
			नैनीताल		
22. दक्षिण बंगाल	आसनसोल	कुरसयोंग	खड़गपुर		
	मुर्शिदाबाद		वर्द्धमान		
			सिलीगुड़ी		
			बालुरघाट		
			शान्तीनिकेतन		
संघ शासित क्षेत्र					
1. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह			—	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश			—	—	—
3. चंडीगढ़			—	—	—
4. दादर और नागर हवेली			—	—	—
5. दिल्ली			—	—	—
6. गोआ, दमन और द्वि			—	—	—
7. लक्षद्वीप			—	—	—
8. मिजोरम			—	—	—
9. पांडीचेरी			—	—	पांडिचेरी
		कुल	13	13	108

**मौजूदा अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर को उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

विवरण-3

क्रम संख्या	राज्य	वे आदिवासी जिले जिनकी छठी योजना अवधि के अन्त तक दूरदर्शन सेवा प्राप्त होने की उम्मीद है	वे अतिरिक्त जिले जिनको उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन विस्तार की योजना द्वारा कवर किए जाने की उम्मीद है
1	2	3	4
1.	हिमाचल प्रदेश	चम्बा	
2.	उत्तर प्रदेश	खेड़ी गोन्डा	
3.			
4.	असम	गोलपाड़ा कामरूप	शिबसागर कछार
5.		कामरूप	
6.		जरगांव	
7.		दारंग	
8.		डिब्रूगढ़	
9.		लखीमपुर	
10.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	
11.		पश्चिमी त्रिपुरा	
12.		दक्षिणी त्रिपुरा	
13.	मणिपुर	दक्षिणी मणिपुर	मणिपुर पश्चिम/ पूर्वी/उत्तरी/ टोगोनोपाल
14.	बिहार	रांची	
15.		पालामऊ	
16.		सिंगभूम	
17.		संथाल परगना	

1	2	3	4
18.	मध्य प्रदेश	झावला	
19.		धार	
20.		छिन्दवाड़ा	
21.		बेतुल	
22.		शिवनी	
23.		बालाघाट	
24.		बिलासपुर	
25.		रायपुर	
26.		मोरीना	
27.		रतलाम	
28.		खंडवा	
29.		होसिंगाबाद	
30.		सिधी	
31.		राजजल्द गांव	
32.		दुर्ग	
33.		खांडिगांव	
34.	उड़ीसा	मयुरभंज	
35.		बालासोर	
36.		क्योंझर	
37.		सुरेन्द्रगढ़	
38.		सम्भलपुर	
39.		कोरापुट	
40.		गंजम	
41.	राजस्थान	उदयपुर	
42.	कर्नाटक	चिकमंगलूर	
43.		दक्षिण कन्नड़	
44.		मैसूर	

1	2	3	4
45.	तमिलनाडु	दक्षिण अरकोट	
46.		उत्तर अरकोट	
47.		सलेम	
48.		तिरुचिरापल्ली	
49.	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल	
50.		खमान	
51.		पश्चिमी गोदावरी	
52.		पूर्व गोदावरी	
53.		विशाखापटनम	
54.		श्रीकाकूलम	
55.	गुजरात	भरूच	
56.		पंच महल	
57.		सूरत	
58.		बलसाढ़	
59.		साबरकंठा	
60.		बदोदरा	
61.		बनासकांठा	
62.	केरल	इदुक्की	
63.		क्वीलोन	
64.		त्रिवेन्द्रम	
65.		कालीकट	
66.		मालापूरम	
67.		कन्नानोर	
68.		पालघाट	
69.	महाराष्ट्र	थाने	
70.		नासिक	

1	2	3	4
71.		धुले	
72.		जलगांव	
73.		अहमदनगर	
74.		पुणे	
75.		नानदेढ़	
76.		अमरावती	
77.		यवतमाल	
78.		चन्द्रपुर	
79.	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	
80.		बांकुड़ा	
81.		बीरभूम	
82.		मालदा	
83.		दार्जलिंग	
84.		जलपाईगुड़ी	
85.		पश्चिम दिनाजपुर	
86.		मेदनीपुर	
87.		मुर्शिदाबाद	
88.		बर्दवान	
89.		24 परगना	
90.		हुगली	

विवरण-4

आदिवासी क्षेत्रों में मौजूदा रेडियो स्टेशनों के नाम

1. तेजु (अरुणाचल प्रदेश)
2. डिब्रूगढ़ (असम)
3. गोहाटी (असम)
4. रांची (बिहार)

5. जगदलपुर (मध्य प्रदेश)
6. अम्बिकापुर (मध्य प्रदेश)
7. इम्फाल (मणिपुर)
8. शिलांग (मेघालय)
9. त्वांग (अरुणाचल प्रदेश)
10. पासीघाट (अरुणाचल प्रदेश)
11. ऐजवाल (मिजोरम)
12. अगरतल्ला (त्रिपुरा)
13. पोर्टब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
14. उदयपुर (राजस्थान)
15. सिलचर (कछार)
16. कोहिमा (नागालैंड)
17. विशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश)
18. सिलीगुडी (पश्चिम बंगाल)

विवरण-5

फिल्म प्रभाग द्वारा भारत के आदिवासियों के जीवन और संस्कृति पर बनाई गई/ खरीदी गई/दानस्वरूप स्वीकार की गई फिल्मों की सूची

क्र० सं०	फिल्म का शीर्षक	जिन आदिवासियों को कवर किया गया है ।
1	2	3
1.	अवर उरीजनल इनहेबिटेंट्स (सादी) (1953)	सामान्यतया भारत के चुनींदा आदिवासी जातियों को कवर किया गया है विशेषकर (1) केन्द्रीय भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के गोंड्स (2) बिहार, उड़ीसा, बंगाल और असम के संथाल, (3) दक्षिण भारत की नीलगिरी के टोडाड, (4) महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के दूरवर्ती क्षेत्रों की पहाड़ियां, (5) असम पहाड़ियों के नागा ।

1	2	3
2.	रिपोर्ट फ्रोम हार्टलैंड (सादी) (1956)	भारत की आदिवासी जातियां ।
3.	ड्रम्स आफ मणिपुर (सादी) (1952)	मणिपुर पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न आदिवासी जातियां ।
4.	आदिवासिज (सादी) (1958)	मध्य प्रदेश की आदिवासी जातियां ।
5.	दि वेनिसिंग ट्राइब (रंगीन) (1961)	दक्षिण भारत की नीलगिरी के रोडाड ।
6.	काल आफ दि फ्ल्यूट (रंगीन) (1963)	मणिपुर की आदिवासी जातियां ।
7.	डांसिस आफ असम (रंगीन) (1965)	असम की गारो और जैंतिया आदिवासी जातियां ।
8.	फोक डांसिस आफ इंडिया (रंगीन) (1953)	बिहार और बंगाल के संथाल तथा उड़ीसा के कोयास ।
9.	फोक डांसिस आफ मध्य प्रदेश (सादी) (1962)	मध्य प्रदेश की ओरियन्स गोड, भील और भादिया आदिवासी जातियां ।
10.	फोक एण्ड ट्राइवल इमेंजिज (सादी) (1970)	सामान्य रूप में भारत के लोक और आदिवासी कलाकार ।
11.	इन नागालैंड (सादी) (1965)	नागालैंड के नागा ।
12.	मणिपुर डांस (रंगीन) (1965)	मणिपुर की आदिवासी जातियां ।
13.	ट्राइवल डांस (सादी) (1965)	सामान्य रूप में भारत की आदिवासी जातियां ।
14.	क्लोज ह्य नेयर (सादी) (1968)	गोडस, भतराज और मुरियाग जैसे मध्य प्रदेश के बस्तर की आदिवासी जातियां ।
15.	ढोकरा (सादी) (1968)	पूर्वी भारत के वर्धवान जिले का नोमाडिग ढोकरा आदिवासी समुदाय ।
16.	गाडिस (रंगीन) (1970)	हिमाचल प्रदेश की गड़रिया आदिवासी जातियां ।
17.	दि टोयेस (सादी) (1968)	पश्चिम बंगाल के टोरो-पैरा की टोटो आदिवासी जातियां ।

1	2	3
18.	क्लोडड सेंचुरिज ओपनिंग ईयर्स (सादी) (1966)	नागालैंड की नागा आदिवासी जातियां ।
19.	चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स (रंगीन) (1970)	—तथैव—
20.	माई लैंड माई पिपल (रंगीन) (1969)	नागालैंड की नागा आदिवासी जातियां ।
21.	मैन इन सर्च आफ मैन (रंगीन) (1974)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी जातियां ।
22.	मणिपुर (रंगीन) (1972)	मणिपुर घाटी और पहाड़ी क्षेत्रों की आदिवासी जातियां।
23.	बस्तर रिक्म आफ प्रोग्रेस (रंगीन)	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की विभिन्न आदिवासी जातियां ।
24.	मिजोरम (रंगीन) (1976)	मिजोरम की विभिन्न आदिवासी जातियां ।
25.	एनचार्टिंग मिजोरम (रंगीन) (1976)	—तथैव—
26.	त्रिपुरा (सादी) (1976)	त्रिपुरा की विभिन्न आदिवासी जातियां ।
27.	रिथम आफ दि हार्टलैंड (सादी) (1965)	मध्य प्रदेश राज्य के केन्द्रीय भारत की आदिवासी जातियां ।
28.	रिथिम आफ ए न्यू लाइफ (रंगीन) (1979)	नागालैंड की आदिवासी जातियां ।
29.	आफ फोरेस्ट्स डाइव्लस एण्ड प्रोग्रेस (रंगीन) (1979)	सामान्य रूप में आदिवासी जातियां ।
30.	मेघालय (रंगीन) (1979)	मेघालय की विभिन्न आदिवासी जातियां ।
31.	सेटल कल्टीकेशन (रंगीन) (1979)	सामान्य रूप में आदिवासी लोग ।
32.	वेयर टाइम स्टेंड स्टिल (रंगीन) (1978)	मध्य प्रदेश के बस्तर जिले के अबुनमाद क्षेत्र के हल्दा और गोंड ।
33.	दि नोमाड पीटीयर (रंगीन) (1974)	राजस्थान की नोमाड आदिवासी जातियां ।

1	2	3
34.	दि वडियाज (रंगीन) (खरीदी गई फिल्म) (1980)	असम के वडियाज ।
35.	ए चेंज (रंगीन) (1980)	सामान्य रूप में आदिवासी जातियां ।
36.	रिथमस आफ इस्टर्न रीजन (रंगीन) (1980)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आदिवासी जातियां ।
37.	छतीसगढ़ (रंगीन) (1980)	मध्य प्रदेश की आदिवासी जातियां ।
38.	फोक डांसिस आफ गोवा (रंगीन) (ये सभी नृत्य आदिवासी नहीं हैं। इसका केवल एक भाग आदिवासी से संबंधित है) (1980)	गोवा की कुनबीज आदिवासी जातियां ।
39.	दि कलवेलियाज नोमाडस आफ राजस्थान (दानस्वरूप) (रंगीन) (1980)	राजस्थान की कलवेलिया जातियां ।
40.	रीजन आफ हारमोनी (रंगीन) (1981)	अंडमान की आदिवासी जातियां ।
41.	ए सोंग फार बिराम (सादी) (खरीदी गई फिल्म) (1981)	बिहार की बिरसा मुण्डा आदिवासी जातियां ।
42.	गोरोज (रंगीन) (खरीदी गई फिल्म) (मेघालय) (1982)	मेघालय की गारो आदिवासी जातियां ।
43.	भोरेर आलो (रंगीन) (16 मि० मी०) (लघु फीचर फिल्म) (1982)	पश्चिम बंगाल की आदिवासी जातियां ।
44.	केरि दि कलर्स अटोंग (रंगीन) (नागालैंड-मिजोरम-मेघालय-अरुणाचल-त्रिपुरा-मणिपुर) (1982)	उत्तर पूर्वी क्षेत्र की आदिवासी जातियां ।

1	2	3
45.	जेवल आफ मणिपुर (रंगीन) (यह मणिपुर पर फिल्म है। इसमें आदिवासियों का जीवन भी शामिल है) (1982)	मणिपुर की आदिवासी जातियां।
46.	मिजोरम टुडे (रंगीन) (यह मिजोरम पर फिल्म है। इसमें मिजोरम का जीवन भी शामिल है) (1982)	मिजोरम की आदिवासी जातियां।
47.	कोसबाद एक्सपीरीयस (रंगीन) (1982)	महाराष्ट्र के थाने जिले की कोराबाद पहाड़ी।
48.	एन एफर्ट (रंगीन) (1983)	मध्य प्रदेश के इन्सटेंट जिले के नारायणपुर के आसपास मुरिया आदिवासी जातियां।
49.	वी हैव टू रीच दैम (रंगीन) (1983)	गुजरात की आदिवासी जातियां।
50.	दि फ्यूचर्स इन अवर्स (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्म) मेघालय, (1983)	मेघालय की खाती आदिवासी जातियां।
51.	कृष्णा दोमबनाडा (रंगीन) (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्म) (कन्नड) (1983)	कर्नाटक की आदिवासी जातियां।
52.	सुगंधरीगी (रंगीन) (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्म) (मलयालम) (1983)	केरल की आदिवासी जातियां।
53.	आदिवी यूवुलु (रंगीन) (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्म) (तेलुगु) (1983)	आंध्र प्रदेश की आदिवासी जातियां।
54.	जी बाकु देवी नाहीं (रंगीन)	उड़ीसा के बोरीपाडा में संथाल आदिवासी जातियां।

1	2	3
	(16 मि०मी० लघु फीचर फिल्म) (1983)	
55.	पाओरवाम आमा (रंगीन) (16 मि०मी० लघु फीचर फिल्म) (1983)	मणिपुर के उखरुल पहाड़ी जिले की आदिवासी जातियां ।
56.	सोबामुरार किरण किशोर (रंगीन) (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्म) (बंगला) (1983)	त्रिपुरा की आदिवासी जातियां ।
57.	मोहामुकटु (रंगीन) (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्म) (संथाली) (1984)	उड़ीसा की संथाय आदिवासी जातियां ।
58.	सुग्गी तुनीथा (रंगीन) (16 मि० मी० लघु फीचर फिल्में) (1984)	उत्तरी कर्नाटक की हल्ला की वक्कालु आदिवासी जातियां ।
59.	जागरण (रंगीन) (16 मि०मी० लघु फीचर फिल्म) (1984)	उड़ीसा की आदिवासी जातियां ।

विभिन्न तेल निगमों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को गैस एजेंसियों का आबंटन

7822. **श्री भीखा भाई :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और अन्य विभिन्न तेल निगमों द्वारा देश में अब तक वितरित गैस एजेंसियों के संबंध में क्षेत्र-वार और वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) विभिन्न गैस कम्पनियों द्वारा वितरित गैस एजेंसियों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित गैस एजेंसियों की संख्या और प्रतिशत क्या है;

(ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अब तक अलग-अलग कितनी गैस एजेंसियां वितरित की गईं; और

(घ) क्या इस संबंध में निर्धारित प्रतिशत के बारे में लक्ष्यों की प्राप्ति कर ली गई है और यदि नहीं, तो इसकी प्राप्ति हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) क्षेत्र-वार ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । तथापि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के शुरू किए जाने से 1982-83 तक विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा दी गई एल० पी० जी०डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की कुल संख्या 657 थी ।

(ख) 25 प्रतिशत ।

(ग) और (घ) उपरोक्त उत्तर में उल्लिखित संख्या में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी गई एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या 164 है, जो अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 25 प्रतिशत कोटे के बराबर है ।

स्वर्गीय शेख मुहम्मद अब्दुल्ला पर वृत्त चित्र का निर्माण

7823. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा स्वतंत्र रूप से अथवा किसी गैर-सरकारी एजेंसी के सहयोग से जम्मू तथा काश्मीर के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री स्वर्गीय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर कोई वृत्त चित्र तैयार करने का कोई कार्य आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का महान प्रतिभाशाली धर्म निरपेक्ष नेता पर एक वृत्त चित्र तैयार करने का कोई प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां ।

निर्यात के लिए आवश्यक फालतू औषधियों के उत्पादन को नियमित करना

7824. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई औषध नीति के पैरा 12(4) के अनुसार औषधियों के उत्पादन को नियमित कर दिया है तथा निर्यात हेतु आवश्यक फालतू मात्रा उपलब्ध है;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा इस दिशा में क्या प्रयास किए गए हैं, कितनी समितियों को

नियुक्त किया गया, उन्होंने क्या निर्णय दिए हैं तथा निर्यात उद्देश्य के लिए औषधियों की उपलब्धता पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 1978 की औषध नीति के पैरा 12(v) में यह निर्दिष्ट किया गया है कि उत्पादन को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि निर्यात के लिए अपेक्षित अधिशेष भी उपलब्ध हों। स्वदेशी उपलब्धता तथा निर्यातों में सुधार करने के लिए, 1978 की औषध नीति की घोषणा के बाद देश में औषधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बड़ी संख्या में औद्योगिक अनुमोदन स्वीकृत किए गए थे। औषधों और भेषजों के निर्यात का मूल्य 1979-80 में 71.16 करोड़ रुपये से बढ़कर 1982-83 में 111.06 करोड़ रुपए हो गया। राष्ट्रीय औषध एवं भेषज विकास परिषद (रा० औ० भे० वि० प०) के योजना सम्बन्धी कार्यकारी दल ने निर्यात में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपायों की जांच की थी। रा० औ० भे० वि० प० की सिफारिशों की प्राप्ति तथा उन पर विचार-विमर्श करने के बाद उन पर सरकार के निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

निर्यात के लिए फालतू औषधियों का उत्पादन करने के बारे में सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों की स्थिति

7825. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नयी औषधि नीति से पहले औषधि सम्बन्धी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की स्थिति क्या थी और घोषणा के बाद क्या है और इन कम्पनियों को आत्मनिर्भर बनाने तथा निर्यात के लिए फालतू औषधियों का उत्पादन करने हेतु किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अपेक्षित उत्पादन/निर्यात के लिए फालतू औषधियों का उत्पादन करने में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संसाधनों की कमी एक बाधा बनी हुई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : नई औषध नीति मार्च, 1978 में संशोधित की गई थी। सरकारी क्षेत्र के एककों का 1977-78 और 1982-83 में निष्पादन निम्न प्रकार है :—

	1977-78	1982-83
सरकारी क्षेत्र के एककों की संख्या	*3(आई० डी० पी०एल० एच० ए० एल० और एस० एस० पी० एल०)	4 (आई० डी० पी० एल० एच० ए०, एल० एस० पी० एल० और बी० सी० पी० एल०) 7 (संयुक्त क्षेत्र के एकक)

उत्पादन का मूल्य (रुपए/लाख)		
(i) प्रपुन्ज औषध	4700	6700
(ii) फार्मूलेशन	5300	13149
निर्यात बिक्री (रु०/लाख)	38.31	94.37

(ख) जब कभी स्रोतों की कमी के सम्बन्ध में कोई समस्या होती है, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार उपयुक्त कार्यवाही करती है :—

*आई० डी० पी० एल० : इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड

एच० ए० एल० : हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ।

एस० एस० पी० एल०: स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ।

बी० सी० पी० एल० : बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड।

नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन द्वारा विदेशों में निर्मित की गई/निर्मित की जा रही परियोजनायें

7826. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल प्रोजक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा वर्ष 1980 से अब तक वर्ष वार, विदेशों में निर्मित की गई अथवा की जा रही परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन कार्यों को करने के लिए वर्ष 1980 से अब तक नियुक्त किए गए और विदेश भेजे गए व्यक्तियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1980 से अब तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध व्यक्तियों की कुल संख्या और प्रतिशतता का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन ठेकेदारों के परियोजनावार नाम क्या हैं जिन्हें काम का उप-ठेका दिया गया था?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सूचना संलग्न विवरण क और ख में दी गई है ।

विवरण-क

1980 से राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा विदेशों में निर्मित की गई/निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	मूल्य	ग्राहक का नाम	आरम्भ करने की तारीख	पूरा करने की तारीख	वर्तमान स्थिति	उप-ठेकेदार का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ग्रेन साइल परियोजना का निर्माण-ईराक	11.75 करोड़ रु०	इंजीनियर्स प्रोजेक्ट्स इंडिया लि०, नई दिल्ली के सहयोगी के रूप में	अप्रैल, 1979	मार्च, 1983	कार्य पूरा हो गया है	कोई उप-ठेकेदार नहीं लगाया गया था।	रा० परि० निगम द्वारा कार्य ई० पी० आई० के सहयोगी के रूप में कार्यान्वित किया गया।
2.	नाहर साद परियोजना के लिए 33 किलोमीटर लम्बी नहर, संरचना तथा	12.00 करोड़ रु०	भूमि सुधार के लिए ईराक सरकार का सरकारी संगठन	जून, 1980	दिसम्बर, 1983	19.148 किलोमीटर तक कार्य पूरा हो गया है	मैसर्ज एन० एस० चौधरी एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०	कार्य अशतः पूरा हो गया है। ईराक में अशांति की स्थिति के कारण परस्पर समझौते के साथ कार्य बन्द कर

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	लाइनिंग का निर्माण करना—ईराक							दिया गया है। अंतिम समझौते के लिए परियोजना प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।
3.	अल-इदावियाह परियोजना के लिए दो पम्पिंग केन्द्रों (ठेका-3) के निर्माण के लिए सिविल कार्य—ईराक	2.00 करोड़ रु०	ईराक सरकार का खाद्य उद्योगों के लिए सरकारी संगठन	फरवरी, 1981	मार्च, 1983	कार्य पूरा हो गया है और ग्राहक को सौंप दिया गया है।	कोई उप-ठेकेदार को कार्य पर नहीं लगाया गया था।	—
4.	अल-इदावियाह परियोजना के ठेका-4 के लिए सिंचाई और भू-सुधार कार्यों का निर्माण	33.00 करोड़ रु०	—वही—	मार्च, 1982	कार्य प्रगति पर है	कार्य चल रहा है	(क) मैसर्ज महालिंगा-शेट्टी एण्ड कं० (प्रा०) लि० (ख) मैसर्ज रोयल कंसट्रैक्शन कं० (प्रा०) लि०	भारत तथा ईराक की सरकारों के बीच हुए समझौते के अनुसार आस्थगित भुगतान की शर्त पर कार्य चल रहा है।

1	2	3	4	5	5	7	8	9
							(ग) मैसर्ज सिम्मको इण्टरनेशनल	
5.	चूखा जल विद्युत परियोजना, भूटान के लिए व्यपवर्तन सुरंग (केबल कंक्रीट लाइनिंग) हैड-रेस सुरंग तथा सर्ज शाफ्ट आदि का निर्माण	11.20 करोड़ रु०	चूखा परियोजना प्राधिकरण	अगस्त, 1979	अप्रैल, 1985	कार्य चल रहा है	कोई उप-ठेकेदार को कार्य पर नहीं लगाया गया है।	—

विवरण-ख

1980 से ईराक और भूटान में कारित और कार्य करने के लिए भेजे गए कर्मचारियों का ब्यौरा तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की प्रतिशतता

वर्ष	भेजे गए कर्मचारियों की संख्या		जोड़	कालम 4 में दिखाए गए आंकड़ों में से भेजे गए अनु. जा./अनु.ज. जा. के कर्मचारियों की सं०	अनु०जा०/ अनु०ज०जा० के कर्मचारियों की प्रतिशतता
	नियमित कर्मचारी	कामगार			
1	2	3	4	5	6
इराक					
1980	40	302	342	3	0.87
1981	25	397	422	2	0.47
1982	49	186	235	शून्य	—
1983	5	1	6	शून्य	—
1984	—	11	11	शून्य	—
भूटान					
1980	34	सूचना सुलभ नहीं है	34	2	5.9
1981	12	वही	12	—	—
1982	23	वही	23	—	—
1983	13	192	205	—	—
1984 (अप्रैल तक)	16	263	284	—	—

आदिवासी संस्कृति, गीत, नृत्य आदि दर्शाने वाले वृत्त चित्र का निर्माण

7827. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म प्रभाग देश में आदिवासी संस्कृति, गीत, नृत्य, भाषा और उनके आदिवासी समुदायों का जीवन चरित्र दर्शाने वाले वृत्त-चित्र तैयार करने के प्रयास करता रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1980 से लेकर अब तक बनाए गए ऐसे वृत्त चित्र का ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से आदिवासी समुदायों पर फिल्म बनाई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

फिल्म प्रभाग द्वारा 1980 में तथा उससे आगे आदिवासी से संबंधित बनाई गई फिल्मों की सूची

क्रम सं०	वर्ष	फिल्म का शीर्षक	आदिवासी जातियां	संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
1.	1980	दि बाडियाज (रंगीन) (खरीदी गई फिल्म)	असम के बाडिया	इस फिल्म में असम के एक विलक्षण समुदाय बाडिया के आकर्षक जीवन तथा गतिविधियों का चित्रण है। वाडिया जहरीले सांपों को पकड़ करके जीविका कमाते हैं।
2.	1980	ए चेंज (रंगीन)	सामान्य रूप में	यह फिल्म आदिवासियों को यह बताने के लिए है कि सरकार उनके जीवन को अच्छा बनाने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है तथा

1	2	3	4	5
				वे उनका किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। इस देश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों की विकासात्मक गतिविधियों की झलक दिखाई गई है।
3.	1980	रिद्म्स आफ ईस्टर्न रीजन (रंगीन)	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की आदिवासी जातियां	यह फिल्म उत्तर-पूर्वी परिषद के अधीन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सामान्य प्रगति पर आधारित है।
4.	1980	छत्तीसगढ़ (रंगीन)	मध्य प्रदेश की आदिवासी जातियां	इस फिल्म में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोगों के जीवन तथा संस्कृति का चित्रण है।
5.	1980	फ्रॉक डांसेज आफ गोवा (ये सभी नृत्य कबीली नहीं है। केवल इसके एक भाग में कबीली झलक है)	गोवा की कुनबीज आदिवासी जातियां	एक डाकुमेंट्री फिल्म जो गोवा के सांस्कृतिक मिश्रण को इसके लोक-नृत्यों के माध्यम से दर्शाती है। गवडा का "धालो" तथा कुनबीज का नृत्य, गोवा के पहले के निवासी गोवा क्रिस्चियन की "मांडो", पुर्तगीज का क्रोरीडेन्शियों, धंगड का दसेरा नृत्य, गोवा के गोआथेर्ड रानेज की "घोड़े मेनिडी" और "टोन्या मेल", कटाई नृत्य।
6.	1980	राजस्थान के कलबेलियाजनोमाड (रंगीन) (दानस्वरूप)	राजस्थान से कलबेलियाज	इस फिल्म में राजस्थान के कलबेलियाजनोमाड के जीवन तथा गतिविधियों का चित्रण है।
7.	1981	रीजन आफ हारमोनी (रंगीन)	अंडमान की आदिवासी जातियां	इस फिल्म में अंडमान के जीवन के विभिन्न पहलुओं का चित्रण है। बिरसा मुन्डा जीवन तथा समय पर एक फिल्म।

1	2	3	4	5
8.	1981	ए सांग फार	—	—
9.	1982	गारो (रंगीन) (खरीदी गई फिल्म) (मेघालय)	मेघालय की गारो आदिवासी जाति	इस फिल्म में मेघालय की गारो पहाड़ियों के गारो की जीवन शैली का वर्णन है।
10.	1982	भोरेर आलो (रंगीन) (16 मि० मी० की लघु फीचर फिल्म)	पश्चिम बंगाल के आदिवासी	पश्चिम बंगाल के एक गांव की एक आदिवासी लड़की पर एक लघु कथा फिल्म जिसमें यह बताया गया है कि वह किस प्रकार शिक्षा पाती है तथा अपने परिवार को आत्मनिर्भर करने के लिए किस प्रकार नौकरी प्राप्त करती है।
11.	1982	कैरी दि क्लर्क अलांग (रंगीन) (नागालैंड-मिजोरम-मेघालय-अरुणाचल-त्रिपुरा-मणिपुर)	उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों आदिवासी जातियां	इस फिल्म में उन समस्याओं का चित्रण है जिसका उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आदिवासियों द्वारा अपनी जीवन शैली का आधुनिकीकरण होने के कारण सामना किया जा रहा है।
		बिरसा (सादी) (खरीदी गई फिल्म)	बिहार की बिरसा मुन्डा आदिवासी जाति	बिरसा मुन्डा के जीवन तथा समय पर एक फिल्म।
12.	1982	जेवेल आफ मणिपुर (रंगीन) (यह मणिपुर पर फिल्म है। इसमें कुछ भाग में जन-जातियों की जीवन थैली है)	मणिपुर की आदिवासी जातियां	इस फिल्म में उस सुन्दरता को दिखाया गया है जो मणिपुर की पहाड़ियों में व्याप्त है। फिल्म में 1972 में राज्य का दर्जा मिलने के बाद मणिपुर के जीवन तथा संस्कृति और विभिन्न विकासात्मक तथ्यों का भी चित्रण है।
13.	1982	मिजोरम टुडे (रंगीन) (यह	मिजोरम में मिजो	इस फिल्म में मिजोरम में विकासीय गतिविधियों की प्रगति का

1	2	3	4	5
		मिजोरम पर फिल्म है। कुछ भाग में मिजोरम के जीवन का वर्णन है)		चित्रण है। इसमें मिजोरम के मिजो के अतीत तथा वर्तमान के जीवन, तथा उनके पारम्परिक त्यौहारों और लोक नृत्यों को भी दिखाया गया है।
14.	1982	कोसबाद्र एक्सपीरियन्स (रंगीन)	महाराष्ट्र की थाने जिले की खोसबाद पहाड़ियां	जनजातियों तथा आदिवासियों के बीच डा० जयन्त शमराव पाटिल की विभिन्न गतिविधियों पर एक लघु फिल्म।
15.	1983	एन एफर्ट (रंगीन)	मध्य प्रदेश के इन्सटेंस जिले के नारायणपुर के आसपास मुरिया आदिवासी जातियां	इस फिल्म में भारत के आदिवासी लोगों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों का चित्रण है। वे आधुनिक सुख-सुविधाओं, जो उनको पहुंचायी जा रही है तथा वे जो उनको उपयुक्त लगता है, गंभीरता से ले रहे हैं।
16.	1983	वी हैव टु रीच दैम (रंगीन)	गुजरात की आदिवासी जातियां	इन फिल्म में आदिवासियों के लिए राज्य की प्रेरक तथा विकासात्मक गतिविधियों में गुजरात आदिवासी विकास निगम द्वारा अदा की जा रही भूमिका तथा इस बात का चित्रण है कि राज्य के राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से उनकी आय के सहायक स्रोत की व्यवस्था करके गुजरात के आदिवासियों की गरीबी उन्मूलन करने निगम किस प्रकार सहायता करता है
17.	1983	दि फ्यूचर इन अवर्स (रंगीन) (16 मि० ली० लघु फीचर	मेघालय की खासी आदिवासी जातियां	एक लड़का जो कीरेडैना हाइडल परियोजना में सहायक इंजीनियर के रूप में काम करता है, बेहतर

1	2	3	4	5
		फिल्म मेघालय)		भविष्य के लिए राज्य को छोड़ना चाहता है। वह गांवों के अधिक लाभों और रोजगार के लिए विस्तार अधिकारी के रूप में काम करता है।
18.	1983	कष्टम डोमब-नाड़ा (रंगीन) (16 मिली. मीटर की लघु फिल्म) (कन्नड़)	कर्नाटक की आदिवासी जातियां	यह फिल्म नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सूत्र संख्या 7 अर्थात अनुसूचित जन-जातियों के विकास के लिए तीन कार्यक्रम से संबंधित है।
19.	1984	सुगन्धगिरी (रंगीन) (16 मिलीमीटर लघु फीचर फिल्म) (मेघालय)	केरल की आदिवासी जातियां	यह फिल्म नए बीस सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 7 अर्थात् अनुसूचित जन-जातियों के लिए तीव्र कार्यक्रमों से संबंधित है।
20.	1983	अडिवी पूवुलु (रंगीन) (16 मिलीमीटर लघु फीचर फिल्म) (तेलुगु)	आंध्र प्रदेश की आदिवासी जातियां	अनुसूचित जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए तीव्र कार्यक्रम।
21.	1983	जीबा कु देबी नाहीं (16 मि. मी. लघु फीचर फिल्म) (रंगीन)	उड़ीसा के बेरी पाड़ा की संथाल आदिवासी जातियां	यह फिल्म एक युवा डाक्टर की कहानी पर आधारित है जो उड़ीसा के बेरीपाडा की सन्थाल आदिवासी जनजातियों के एक गांव में आता है और वह उस क्षेत्र के ग्रामीणों और आदिवासियों को अपनी स्वास्थ्य स्थितियों तथा ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। इस फिल्म में आदिवासियों की निर्वाह स्थिति तथा आदिवासीयों लोगों के उत्थान के लिए कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है।

1	2	3	4	5
22.	1983	पाओखम ऊमा (रंगीन)(16 मि. मी. लघु फीचर फिल्म)	मणिपुर के अखरूल पहाड़ी जिले की आदिवासी जातियां	इस फिल्म में सामाजिक-आर्थिक मिश्रण विशेषकर एकीकरण बिन्दु का चित्रण है जो आदिवासियों और गैर आदिवासियों को नजदीक लाएगा। फिल्म की कहानी वर्तमान मणिपुर में स्व-रोजगार और ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर आधारित है। भ्रष्टाचारी, अफसरशाही परिपाठियों तथा किसी भी प्रकार से ठीक सफल प्रक्रियाओं से मायूस होकर, केन्द्रीय पात्र स्व-रोजगार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में शरण पाता है।
23.	1983	सोनामुरार किरन किशोर (रंगीन) (16 मि. मी. लघु फीचर फिल्म) (बंगाल)	त्रिपुरा की आदिवासी जातियां	एक युवक आदिवासी किरन के सम्पर्क में आता है जो एक रिफ्यूजी की लड़की है। वह उसको नया जीवन बनाने के लिए प्रेरित करती है। अंततः किशोर गांव का उत्थान करता है।
24.	1983	मोहमुकटी (रंगीन) (16 मि. मी. लघु फीचर फिल्म) (संथाली)	संथाली (उड़ीसा की आदिवासी जाति)	एक संथाली महिला डाक्टर एक जूट मिल में नौकरी का आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होने के बावजूद गांव में ही रहने का निर्णय करती है।
25.	1984	सुगी कुनिता (रंगीन) (16 मि. मी. लघु फीचर फिल्म)	हल्लासी वक्कालु उत्तरी कर्नाटक की आदिवासी जाति।	इस फिल्म में उत्तरी कर्नाटक की हल्लाकी वक्कालु आदिवासी जाति के गरीब किन्तु प्रगतिशील आदिवासी युवक का

1	2	3	4	5
				चित्रण किया गया है जो अपने आदिवासी रिवाज के अनुसार अपनी दुल्हन के लिए दहेज नहीं दे सकता और जो मद्य-पान जैसी और अन्धविश्वासी और बून्डू प्रथाओं जैसे मतों जैसी अपने समाज की बुराइयों का विरोध करता है। अन्ततः वह सफल होता है और अपनी दुल्हन को भी प्राप्त करता है।
26.		जागरन (रंगीन) (16 मि. मी. फीचर फिल्म)	उड़ीसा की लघु आदिवासी जातियां	उड़ीसा के एक दूरवर्ती गांव में साममरू नामक एक आदिवासी/ आदिवासी लड़के अपना अधि-कांश समय मद्यपान, झगड़ने और लड़ने में व्यतीत करते हैं। एक आदिवासी लड़का, सोमरू माता जी के आश्रम में जाता है और माताजी द्वारा दिए गए प्रोत्साहन से वह अपने समुदाय के लिए काम करना शुरू करता है। वह कोढ़ियों के लिए सब कुछ करता है और गांधीजी की तरह ग्रामीण लोगों आदि के आर्थिक उत्थान के लिए काम करता है।

बन्द कोयला खानों को खोलना

7828. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में विभिन्न भागों में बन्द पड़ी विभिन्न कोयला खानों को खोलने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कर दिया जाएगा;

(ग) कोयला खानों को चलाने के कार्य किन अभिकरणों को सौंपा जाएगा; और

(घ) बन्द रही कोयला खानों के जिलों के राज्य-वार क्या नाम हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कोइल-कारो पनबिजली परियोजनाओं से प्रभावित लोगों में असन्तोष

7829. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के रांची जिले में कोइल-कारो पन-बिजली परियोजना से प्रभावित होने वाले लोग इसका विरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के लिए अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्या ब्यौरा है तथा इससे कितने गांव और परिवार विस्थापित हो जायेंगे;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु सरकार के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की मांगों का क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) कोयल-कारो परियोजना से प्रभावित होने वाले आदिवासियों सहित स्थानीय लोग परियोजना के लिए भूमि के अधिग्रहण करने और परियोजना कार्मिकों को परियोजना स्थल पर पहुंचने में अवरोध कर रहे हैं।

(ख) परियोजना के लिए लगभग 49420 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा जिसमें 106 गांव शामिल हैं तथा जिसके 11691 भूमि मालिक हैं। इसमें से 3191 एकड़ भूमि वन भूमि है।

(ग) और (घ) प्रभावित लोगों के लिए क्षतिपूर्ति और पुनर्वास स्कीम को विवरण में दिए अनुसार राज्य सरकार और स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दे दिया गया है।

विवरण

मुआवजा और पुर्नवास स्कीम

(1) **पुनर्वास मुआवजा** : भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप जिनका घर चला गया है, ऐसे प्रत्येक परिवार को 25 डेसीमल अर्थात् (1/2 एकड़) भूमि पुनर्वास के लिए निःशुल्क दी जाएगी। जिन विस्थापितों को उतनी भूमि नहीं दी गई है अथवा जो आवास के लिए भूमि नहीं लेना चाहते हैं, उन्हें उतनी भूमि के लिए नकद मुआवजा दिया जाएगा।

(2) इसके अतिरिक्त; प्रत्येक विस्थापित परिवार को 750 रु० अनुदान के रूप में दिए जायेंगे ताकि वे ढुलाई और अन्य आकस्मिक खर्चों को पूरा कर सकें।

(3) अधिग्रहण की जाने वाली भूमि के लिए मुआवजा का भुगतान भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों द्वारा दिए जाने वाले पंचाट की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण प्राधिकारियों के पंचाट के अनुसार मुआवजा का जो भुगतान किया जाएगा, उसके अतिरिक्त, प्रत्येक मामले में निम्नलिखित अतिरिक्त सहायता अनुदान भी देय होगा :

भूमि अधिग्रहण के लिए प्राप्त मुआवजा की राशि	सहायता अनुदान (अतिरिक्त)
(क) 2,000 रु० से अधिक	शून्य
(ख) 500 रु० से 2000 रु० के बीच	500 रु० और 500 रु० से अधिक मुआवजे का एक तिहाई
(ग) 500 रु० से कम	500 रु०

(4) पुनर्वास के लिए भूमि का चयन आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को ध्यान में रख कर किया जाएगा। पुनर्वास के लिए भूमि पर उपयुक्त और उचित स्तर पर सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, पूजा-स्थलों के प्रारम्भिक निर्माण के लिए निधियां राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम द्वारा दी जाएगी।

(5) राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम द्वारा कोइलकारो जल-विद्युत परियोजना में वर्ग-चार (श्रेणी-चार) के पदों पर 100% तथा वर्ग-तीन (श्रेणी-तीन) के पदों पर 75% भर्ती विस्थापित परिवारों के व्यक्तियों में से निम्नलिखित शर्तों के आधार पर की जाएगी :—

(क) वे अपेक्षित अर्हताएं रखते हों;

(ख) वे स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा नामित किए गए हों;

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा कोइलकारो परियोजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोटे को रखा जाएगा।

(6) व्यक्तियों के कौशल को बढ़ाने के लिए तथा उन्हें परियोजना में रोजगार के लिए अधिक पात्र बनाने के लिए कालोनी में आई० टी० आई० की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

(7) परियोजना कालोनी में छोटी दुकानों अथवा स्टालों के लिए प्लाट प्रारक्षित किए जाएंगे और विस्थापित व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी।

(8) विभिन्न धार्मिक समूहों के 500 परिवारों के लिए शमशान भूमि, कब्रिस्तान और धार्मिक स्थानों की व्यवस्था की जाएगी।

मध्य प्रदेश में किसानों से बिजली के न्यूनतम प्रभार का वसूल न किया जाना

7830. **श्री फूल चन्द वर्मा :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खेती के काम के लिए बिजली का प्रयोग करने वाले किसानों से निर्धारित न्यूनतम बिजली प्रभार वसूल किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने राज्य को न्यूनतम बिजली प्रभार वसूल न करने के आदेश जारी किये हैं;

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस बारे में किसानों की क्या मांग है और उस मांग को न मानने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश में कृषि कार्य के लिए बिजली का उपयोग करने वाले किसानों से निर्धारित न्यूनतम बिजली प्रभार वसूल किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई ऐसे आदेश जारी नहीं किए हैं।

(घ) ऊर्जा मन्त्रालय को मध्य प्रदेश के किसानों से ऐसी मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं।

मैं० टाटा कैमीकल्स लि० द्वारा सोडा ऐश उत्पादन करने के लिये क्षमता का विस्तार

7831. **श्री रेणुपद दास :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैं० टाटा कैमिकल्स लि० को 1.40 लाख टन तक सोडा ऐश का उत्पादन करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने हेतु दिसम्बर, 1973 में लाइसेंस दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने यह निवेदन किया है कि बढ़ाई गई क्षमता के लिए उत्पादन शुरू करने से पहले जल उबालने का संयंत्र होगा और बढ़ाई गई क्षमता के लिए कच्चा माल लाने ले जाने के लिए छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का काम पूरा करना होगा;

(ग) यदि हां, तो ये उक्त पूर्व-आवश्यकताओं के कब तक पूरा होने की आशा है;

(घ) इस योजना के विस्तार के लिए कम्पनी द्वारा अब तक कितनी धनराशि लगाई गई है; और

(ङ) कम्पनी की इस निदेश के लिए कर में कितनी छूट दी गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मैसर्स टाटा कैमिकल्स ने बैटरी लिमिट्स के अन्दर-अन्दर विस्तार पूर्ण कर लिया है । तथापि, पार्टी सोडा ऐश का निर्माण पूर्ण निर्धारित क्षमता पर नहीं कर रही है । हैपा से ओखा तक मीटर गेज रेलवे लाइन को बरोड़ ग्रेज में परिवर्तन करने में विलम्ब एक मुख्य बाधा है । यह परिवर्तन कार्यक्रम अप्रैल, 1984 के अन्त तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ।

(घ) कम्पनी ने इस विस्तार पर अब तक 693.02 लाख रुपये के निवेश की जानकारी दी है ।

(ङ) कम्पनी ने सूचित किया है कि इस विस्तार पर अभी तक उन्होंने किसी कर-रियायत का दावा नहीं किया है ।

टाटा कैमीकल्स लि० द्वारा सोडा ऐश के उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता

7832. **श्री रेणुपद दास : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मै० टाटा कैमीकल्स लि० के पास सोडा ऐश के उत्पादन की वर्तमान स्थापित क्षमता कितनी है;

(ख) क्या इस कम्पनी ने बढ़ाई गई क्षमता के अनुसार उत्पादन शुरू कर दिया है और 1983 में 4.48 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन किया;

(ग) क्या यह सच है कि इस कम्पनी ने यह तर्क दिया है कि काम, दया से मिथापुर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किए बिना बढ़ाई गई क्षमता के लिए कच्चे माल को लाने का काम प्रभावकारी ढंग से नहीं किया जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो कम्पनी के लिए, 4.48 लाख उत्पादन के लिए, कच्चे माल को लाना किस तरह संभव हो सका है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचद्र रथ) : (क) और (ख) सोडा ऐश के निर्माण के लिए मैसर्स टाटा कैमिकल्स लिमिटेड की वर्तमान स्थापित क्षमता 5.00 लाख टन है जिसमें विस्तार के रूप में कार्यान्वित की गई 1.40 लाख टन प्रति वर्ष की अतिरिक्त क्षमता शामिल है । 1983 के दौरान कम्पनी ने 4.48 लाख टन सोडा ऐश का उत्पादन किया ।

(ग) और (घ) जबकि यह सत्य है कि कम्पनी ने अतिरिक्त क्षमता का उपयोग करने में कुछ कठिनाइयां दर्शाई थीं, ऐसा लगता है कि 1983 के दौरान 4.48 लाख टन का उत्पादन प्राप्त करने में कम्पनी में इनमें से कुछ पर काबू पा लिया है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को खपाना

7833. **श्री रेणुपद दास :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन प्रशिक्षुओं को, जिन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है, खपाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न उपक्रमों/विभागों आदि में कुल रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर ऐसे प्रशिक्षुओं को खपाने की बात स्वीकार कर ली है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम में कितने प्रशिक्षुओं ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया है;

(घ) उनमें से कितने प्रशिक्षुओं को खपा लिया गया है; और

(ङ) क्या शेष प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को दामोदर घाटी निगम में खपाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) ऐसे प्रशिक्षणार्थियों को जिन्होंने राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् से सम्बद्ध औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, शिक्षु अधिनियम 1961 के अन्तर्गत शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि में छूट प्रदान की जाती है। शिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत नियोजक के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि वे प्रशिक्षण को पूरा करने के पश्चात् शिक्षुओं को रोजगार प्रदान करे, और शिक्षु के लिए भी यह बाध्यकारी नहीं है कि वह रोजगार को स्वीकार करे।

(ख) केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालय/विभागों और राज्य सरकारों से अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली स्थापनाओं को यह सलाह देने का अनुरोध किया गया है कि वे स्थापनाओं में सीधी भर्ती के लिए 50% रिक्तियां आरक्षित रखें और सीधी भर्ती की कम से कम 50% रिक्तियों पर उत्तीर्ण शिक्षुओं को पर्याप्त रोजगार अवसर भी प्रदान करें।

(ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम द्वारा 37 शिक्षु प्रशिक्षित किए गए हैं।

(घ) इन शिक्षुओं में से किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है।

(ङ) शिक्षुओं को नियुक्त करना संभव नहीं हो पाया है क्योंकि बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया है जिन्हें पहले नियुक्त किया जाना है। तथापि, भविष्य में की जाने वाली भर्ती के लिए अन्य उम्मीदवारों के साथ-साथ प्रशिक्षत शिक्षुओं पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि उनके नाम रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रेषित किए जाएं।

विद्युत पारेषण लाइन के विकास के लिए स्वीडन की सहायता का प्रस्ताव

7834. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वीडन की स्वदेश पावर सर्विस ने भारत को हाई वोल्टेज डायरक्ट करंट (एच० वी० डी० सी०) ट्रांसमिशन लाइन के विकास में सहायता देने का प्रस्ताव रखा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातचीत का ब्यौरा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) स्वैड पावर ने एच० वी० ए० सी० और एच० वी० डी० सी० प्रौद्योगिकी सहित विद्युत सैक्टर के विभिन्न क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ सहयोग करने के लिए अभी हाल में एक प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

दूरसंचार प्रणाली का आधुनिकीकरण

7835. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कोई कार्यक्रम आरम्भ करने का है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि नियत का गई है;

(ग) आधुनिकीकरण सम्बन्धी आवश्यक कार्य कब आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) चालू पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आधुनिक प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करके दूरसंचार का आधुनिकीकरण करना विकास कार्यक्रम का एक अंश है। तथापि, आधुनिकीकरण के लिए अलग से कोई निधि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) नियमित परियोजनाओं के एक भाग के रूप में आधुनिकीकरण का कार्य पहले से ही चल रहा है।

भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजूरी भुगतान सम्बन्धी निमम के उल्लंघन के मामले

7836. **श्री बैनुल बशर** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में पंजीकृत भूमिहीन मजदूरों को न्यूनतम मजूरी की अदायगी सम्बन्धी नियमों का उल्लघंन किया गया है; और

(ख) कितने मामलों और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में निरीक्षकों और दावा प्राधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था है, ताकि कृषि में रोजगार सहित सभी अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरों का प्रवर्त्तन सुनिश्चित किया जा सके।

समुचित सरकारों द्वारा भेजी गयी सूचना के अनुसार विवरण अनुबन्ध-I और II में दिए गए हैं, जिनमें कृषि श्रमिकों के सम्बन्ध में 1982 और 1983 वर्षों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उल्लंघन के मामलों की संख्या तथा उन पर की गई कार्यवाही दर्शाई गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 8190/84]**

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, बिहार, पश्चिम बंगाल में पदोन्नत कर्मचारियों और सीधी भर्ती किये गये कर्मचारियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करना

7837. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** 12 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7007, 16 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3702 और 15 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, बिहार, पटना के पदोन्नत कर्मचारियों और सीधी भर्ती किये गये कर्मचारियों की परस्पर वरीयता निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो ए० आई० आर० 177 एस० सी० पृष्ठ 2051, 1977 एल० ए० बी० आ० सी० एस० सी० 1367, 1982 एस० सी० सी० 319 और लेबर लानोट्स अगस्त, 1983 खण्ड 23 भाग 2, पृष्ठ 310 पर प्रकाशित उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए अनुदेश जारी किए गए है;

(ख) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि (कर्मचारी और सेवा शर्तें) विनियम, 1962 को अमान्य और प्रभावहीन करार दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार केन्द्रीय और सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को सभी संवर्गों की, विशेषकर अपर डिवीजन क्लर्कों और हैड क्लर्कों की सम्पूर्ण वरिष्ठता सूची फिर से तैयार करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगी, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल के 1984-85 के बजट प्रस्तावों में लगाया गया उपकर

7838. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री ने 1984-85 के बजट प्रस्तावों में लगाये गये अतिरिक्त उपकर के भार को उपभोक्ताओं पर न डालकर उसे कोल इण्डिया लिमिटेड पर डाल देने से दिलचस्प स्थिति पैदा हो गई है;

(ख) कोल इण्डिया लिमिटेड को प्रति वर्ष इस अतिरिक्त कर की कितनी अनुमानित धनराशि वहन करनी पड़ेगी;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड इस उपकर का भार उपभोक्ताओं पर डाल देंगे;

(घ) यदि हां, तो बंगाल के कोयला क्षेत्रों से प्राप्त कोयले के मूल्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार तथा कोल इंडिया लिमिटेड का विचार इस स्थिति का किस प्रकार मुकाबला करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) केन्द्रीय सरकार, कोयले की खान-मुहाना कीमतें अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अनुक्रम में कोलियरी नियंत्रण आदेश की धारा 3 और 4 के अनुसार नियत करती है। दिनांक 8-1-1984 से प्रभावी कोयले की वर्तमान कीमतें का० आ० सं० 13 (ई) दिनांक 7-1-1984 द्वारा अधिसूचित की गई थीं। उक्त अधिसूचना में 12वीं और 13वीं टिप्पणियों के अनुसार, नियत खान-मुहाना कीमतों में वे उपकर, स्वामिस्व आदि जैसे कर शामिल नहीं हैं, जो सरकार, स्थानीय निकायों अथवा अन्य संगठनों द्वारा लिए जाते हैं और कोलियरी स्वामियों को ऐसे उपकर, स्वामित्व आदि के बराबर की राशि खान-मुहाना कीमतों में जोड़ने तथा खरीदारों से वसूल करने का अधिकार है। चूंकि राज्य सरकार के कर आदि कोयले की खान मुहाना कीमतों के साथ खरीदार से वसूल किए जाते हैं, इसलिए कोल इंडिया लि० द्वारा "राज्य करों" का भार उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक उपभोक्ता का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा विभिन्न उपकरों में वृद्धि के कारण पश्चिम बंगाल में कोयले की कीमतों में वृद्धि होगी।

उड़ीसा में नये तार घर और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

7839. **श्री के० प्रधानी** :
श्री चिन्तामणि जैना :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1983-84 के दौरान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कितने नये डाकघर, तारघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गये;

(ख) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में किन स्थानों पर नये डाक और तार घर तथा टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किये जायेंगे;

(ग) कौन से नये एस० टी० डी० सम्पर्क स्थापित किये जायेंगे और कौन से टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित बनाया जायेगा; और

(घ) राज्य की राजधानी के बाहर कौन से एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाई जायेगी और उनके कार्यचालन में सुधार किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

	शहरी	ग्रामीण
खोले गए नए डाकघर	199	2290
खोले गए तारघर	19	2037
खोले गए लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर	10	2454

(ख) (एक) 1984-85 के दौरान जनजातीय क्षेत्रों सहित शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के उन स्थानों के नाम जहां पाबन्दी हटा दिए जाने की शर्त पर नए डाकघर खोले जाने हैं :—

शहरी क्षेत्र

1. गोपबंधु मार्ग
2. बकदमबाड़ी
3. कामरगोडा
4. समत्रपुर
5. कराबिल
6. अनापल्ली
7. गोसाला
8. कुछिन्डाकावेज
9. तिनिकोनियाचौक कुछिडा
10. बुरला मार्केट
11. ओरिएण्ड काल्लियरी ब्रजराजनगर
12. चिकिति बाजार

सामान्य ग्रामीण क्षेत्र

1. मानिध्यपुर
2. भौकरा
3. पारा
4. बालीगोरडुा
5. बौगुरिसिंगा
6. छदेष्ट
7. पुरुषोत्तमपुर

8. सासैलो
9. मधुपुर
10. सनमांगा
11. रानिओला
12. श्रद्धापुर
13. श्रद्धापल्ली
14. गोपालपुर
15. रुकुतापुर
16. भाटिसिरा

पिछड़े क्षेत्र

1. बिरिकोटे
2. चौदंगपुर
3. डांडिकिजा

जनजातीय क्षेत्र

1. बैरियागांव
2. जिरेई
3. कुराधिका
4. ब्रह्मपुरा
5. कैंटा
6. धनुपाड़ा
7. वनबीर
8. तेन्द्रा
9. वीर किशोरपुर तथा दो अन्य स्थान

उन स्थानों के नामों, जहां 1984-85 में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन-घर, तारघर और टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है, पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना है। तथापि, 1984-85 के दौरान उड़ीसा में संस्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित 20 एम० ए० एक्स-III में से 5 एम० ए० एक्स III जनजातीय क्षेत्रों में संस्थापित करने का प्रस्ताव है। 1984-85 के दौरान नयासी० बी० एम०/सी० बी० एन० एम/एम० ए० एक्स-I संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में किसी नए स्टेशन में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना नहीं है। 1984-85 के दौरान बालीसोर के सी० बी० एम० एक्सचेंज के स्वचलीकरण की संभावना है।

(घ) फिलहाल राज्य की राजधानी से बाहर के एक्सचेंजों की कार्यप्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि उनका कार्यकरण सामान्य रूप से संतोषजनक हैं।

कम्पनी अधिनियम का उल्लंघन करने पर गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही

7840. **श्री के० प्रधानी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन निजी क्षेत्र की कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कंपनी अधिनियम की धारा 209-क और 108-क और 108-ख के अंतर्गत दो वर्षों के दौरान कार्यवाही की गई है; और

(ख) उन कम्पनियों द्वारा किये गए कानूनों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम में उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) 1982 और 1983 के कलेन्डर वर्षों के दौरान, कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के अधीन निरीक्षण के लिए रिकार्ड उपलब्ध न करने, सूचना/स्पष्टीकरण आदि प्रस्तुत न करने के लिए निम्नलिखित कम्पनियों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये थे :

1. सेन्ट्रोन कांगलोमरेट (प्रा०) लिमिटेड
2. न्यूआन साइन इण्डिया (प्रा०) लिमिटेड
3. दिल्ली फरीदाबाद टेक्सटाइल्स (प्रा०) लिमिटेड
4. राइटिंग इंस्ट्रूमैंट्स (प्रा०) लिमिटेड
5. ट्रयूकापी सैन्टर (प्रा०) लिमिटेड
6. न्यू कमर्शियल इन्वैस्टमैंड एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड
7. वूमी उद्योग लिमिटेड
8. फीड-ओ-फर्टीलाइजर्स प्लांट मैन्युफै० (प्रा०) लिमिटेड

उक्त दो वर्षों की अवधि में कम्पनी अधिनियम की धारा 108-क और 108-ख के अंतर्गत कोई मुकदमा नहीं चलाया गया ।

मोहउद्दीन शाखा डाकघर (उड़ीसा) का दर्जा बढ़ाया जाना

7841. **श्री अजित बाग :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मोहउद्दीन शाखा डाकघर (उड़ीसा) को दर्जा बढ़ाकर उसे उप डाकघर बनाने के बारे में जनता की मांग प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार ने व्यापक रूप से की गई जनता की मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्यवाही की है;

(ग) मोहउद्दीन शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे उप डाकघर बनाने से सम्बन्धित आंकड़ों का पता लगाने के लिए किस प्रकार की जांच कराई गई है; और

(घ) मोहउद्दीन शाखा डाकघर में गत एक वर्ष के दौरान डाक से आने-जाने सम्बन्धी आंकड़ों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) मोहिउद्दीन शाखा डाकघर का दर्जा बढ़ाने के मामले पर विचार किया गया परन्तु इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ग) मई, 1981 से अप्रैल, 1982, जून, 1982 से मार्च, 1983 और अक्तूबर, 82 से जुलाई, 1983 तक की अवधि के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर तीन बार कार्यभार की जांच की गई।

(घ) मोहिउद्दीन शाखा डाकघर की डाक परियात तथा आवश्यक आंकड़े प्राप्त किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

बचत बैंक नियंत्रण संगठन/सेंट्रल पेयरिंग कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समयबद्ध पदोन्नति

7842. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बचत बैंक नियंत्रण संगठन/सेंट्रल पेयरिंग कार्यालय के कर्मचारियों को (कार्यालय पत्र संख्या 29-91721 पी ई I दिनांक 25-6-1973 के अनुसार) सक्रिय कार्यालय कर्मचारी माना जाता है और यह सप्ताह में उसी प्रकार अर्थात 48 घंटे काम करते हैं और डाकखानों की तरह दूसरे शनिवार को भी काम करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन कर्मचारियों को भी सक्रिय संवर्ग में नियमित कर्मचारियों की भांति ही हाल में कार्यान्वित ज्ञापन संख्या 31/26/83-पीई-1 दिनांक 17-12-83 के अनुसार समयबद्ध पदोन्नति दी गई है;

(ग) यदि हां, तो बचत बैंक नियंत्रण संगठन/सेन्ट्रल पेयरिंग कार्यालय के कर्मचारियों के मामले में उसे कौन-सी तारीख से लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके मामले में देरी/दबाव करने के क्या कारण हैं और उनके लिए इसे कौन सी तारीख से कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) से (घ) डाकतार विभाग के सामान्य श्रेणियों के कर्मचारियों को छोड़कर सभी प्रचालन कर्मचारियों पर एक पदोन्नति योजना लागू होती है। चूंकि एस० बी० सी० ओ० के कर्मचारियों की नियुक्ति निम्न श्रेणी लिपिकों/उच्च श्रेणी लिपिकों की भांति की जाती है जो भारत सरकार के अन्य कर्मचारियों के मामले में भी लागू होती है, अतः एस० बी० सी० ओ० कर्मचारियों को एक पदोन्नति योजना से अलग रखा गया है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में गैस के लिए छिद्रण कार्य

7843. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हरियाणा के किन-किन स्थानों पर तेल/गैस का पता लगाने के लिए ड्रिलिंग कार्य प्रारंभ किया है/प्रारंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों में से प्रत्येक पर ड्रिलिंग कार्य और उसके परिणामों का ब्यौरा क्या है :

(ग) इन प्रयोजन से चुने गये अन्य स्थानों पर किन-किन तारीखों को ड्रिलिंग कार्य प्रारंभ किये जाने की आशा है; और

(घ) ड्रिलिंग कार्य करने वाली कम्पनियों/एजेंसियों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान इन देशों में कोई ड्रिलिंग कार्य नहीं किए गये हैं। 1981-85 के दौरान हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी और नूरपुर में ड्रिलिंग कार्य करने की योजना है।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इन क्षेत्रों में ड्रिलिंग करने की सम्भावित तारीखें कौन सी होंगी।

(घ) इस समय तटवर्ती क्षेत्रों में ड्रिलिंग कार्य केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

अनुसचिवीय किस्म के संवर्गेत्तर पदों का भरा जाना

7844. **श्री सूरज भान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के मौजूदा आदेशों के अनुसार अनु-

सचिवीय किस्म के सम्वर्गोत्तर पदों सहित सभी सचिवालय पद सामान्यतया केंद्रीय सचिवालय सेबा के अधिकारियों द्वारा भरे जाने चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय और सम्बद्ध कार्यालयों में कर्मचारी, सिब्बन्दी सतर्कता, कार्य अध्ययन आदि से सम्बन्धित अवसर सचिव और उप सचिव स्तर के ऐसे अनेक पद गैर-केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों द्वारा भर लिये गये हैं;

(ग) क्या केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों ने इस मामले पर रोष प्रकट किया है; और

(घ) क्या इस स्थिति की पुनरीक्षा की जायेगी और ये पद केवल केंद्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों के लिये रखे जायेंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की जानकारी हमें नहीं है ।

(ख) फिर भी मंत्रालय मुख्य में अवर सचिव और उप सचिव के स्तर के सचिवालय के पदों पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के नियंत्रण में नियुक्तियां होती हैं ।

डाक तार विभाग में कर्मचारी वर्ग, स्थापना, सतर्कता, कार्य अध्ययन आदि से सम्बन्धित अवर सचिव, उप सचिव स्तर के अनेक पद कार्यभार की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए और ऐसे अनेक पदों के भारतीय डाक सेवा या भारतीय दूरसंचार सेवा अथवा डाक तार वित्त और लेखा सेवा के संवर्ग में शामिल होने के कारण भारतीय डाक सेवा, भारतीय दूरसंचार सेवा, डाक तार वित्त और लेखा सेवा तथा केंद्रीय सचिवालय सेवा के भी अधिकारियों द्वारा भरे गए हैं ।

(ग) केंद्रीय सचिवालय सेवा संगठन से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(घ) इस मामले पर विचार हो रहा है ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तत्काल धन जुटा पाने में असमर्थ राज्यों में पन बिजली परियोजनाएं स्थापित करना

7845. **श्री निहाल सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को, जिन राज्यों के पास जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए तत्काल धन जुटाने का सामर्थ्य नहीं है उनमें इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां उपरोक्त योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की परियोजनाएं स्थापित किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्रशिक्षुओं को वजीफे की अदायगी

7847. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक प्रशिक्षु प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है जिसमें प्रशिक्षुओं को वजीफा अदा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किस एजेंसी द्वारा, सरकार द्वारा अथवा जिस कंपनी के माध्यम से उन्हें प्रायोजित किया जाता है, वजीफा अदा किया जाता है और प्रशिक्षु को वजीफा किस दर पर अदा किया जाता है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ कंपनियां समझौते पर हस्ताक्षर करने पर भी प्रशिक्षुओं को पहले वर्ष में वजीफे की अदायगी नहीं करती हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रशिक्षुओं को सरकार द्वारा अथवा समझौते के अंतर्गत प्रयोजक कंपनी द्वारा वजीफे की अदायगी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं,

(ङ) क्या यह भी सच है कि वजीफे का कुछ प्रतिशत सरकार द्वारा कंपनी को अदा किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां ।

(ख) नियोजकों के लिए प्रत्येक शिक्षु को वजीफे का शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान कम से कम निर्धारित न्यूनतम दर पर या उस दर पर जिस पर नियोजक द्वारा पहली जनवरी, 1970 को शिक्षुओं की उस श्रेणी को, जिसके अंतर्गत ऐसे शिक्षु आते हैं, भुगतान किया जा रहा था, जो भी अधिक हों, जैसा कि शिक्षुता के संविदा में विनिर्दिष्ट किया गया हो, भुगतान करना अपेक्षित है । शिक्षुओं को देय वजीफे की न्यूनतम दरें विवरण में दी गई हैं । शिक्षु अधिनियम की धारा 6 के खण्ड (क) और (क-क) में यथानिर्दिष्ट मान्यता-प्राप्त संस्थागत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने वाले व्यवसाय शिक्षुओं को छोड़कर, अन्य व्यवसाय शिक्षुओं को दिए जाने वाले मूल प्रशिक्षण सहित व्यावहारिक प्रशिक्षण के बारे में नियोजक द्वारा, वजीफे की लागत सहित, किए गए आवर्ती खर्च को निम्नानुसार वहन किया जाएगा;

(1) यदि ऐसा नियोजक 500 से अधिक कामगार नियोजित करता है, तो नियोजक द्वारा

(2) यदि ऐसा नियोजक 500 से कम कामगारों को नियुक्त करता है तो नियोजक और

सरकार द्वारा बराबर-बराबर हिस्से में उस सीमा तक जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी और उस सीमा के बाद केवल नियोजक द्वारा। इस समय वर्तमान निर्धारित सीमा 360 रु० प्रतिमाह है। स्नातक और तकनीशियन स्नातकों के बारे में वजीफे की लागत, केन्द्रीय सरकार और नियोजक द्वारा उस सीमा तक बराबर-बराबर हिस्सों में बांटी जाएगी जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और उस सीमा के बाद केवल नियोजक द्वारा, जिसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

(ग) इस मंत्रालय के ध्यान में कोई मामले नहीं आए हैं जहां प्रतिष्ठान प्रथम वर्ष में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षुता करार पर हस्ताक्षर होने के बावजूद भी वजीफें नहीं दे रहे हैं। आगे, यह भी निर्दिष्ट किया जा सकता है कि नियोजकों का यह सांविधिक दायित्व है कि वे शिक्षुओं को वजीफे का भुगतान करें जिसके ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण

व्यवसाय शिक्षुओं, स्नातक और तकनीशियन शिक्षुओं को देय वजीफे की न्यूनतम दरें :

(क) **व्यवसाय शिक्षु :**

(1) प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान	: 230 रु० प्रति माह
(2) प्रशिक्षण के द्वितीय वर्ष के दौरान	: 260 रु० प्रति माह
(3) प्रशिक्षण के तृतीय वर्ष के दौरान	: 300 रु० प्रति माह
(4) प्रशिक्षण के चौथे वर्ष के दौरान	: 350 रु० प्रति माह

(ख) **स्नातक और तकनीशियन शिक्षु**

(1) इंजीनियरिंग स्नातक	450 रु० प्रति माह (पोस्ट संस्थागत प्रशिक्षण के लिए)
(2) डिग्री संस्थाओं से सैंडविच पाठ्यक्रम के विद्यार्थी	320 रु० प्रति माह
(3) डिप्लोमा-धारी	320 रु० प्रति माह (पोस्ट संस्थागत प्रशिक्षण के लिये)
(4) डिप्लोमा संस्थाओं से सैंडविच पाठ्यक्रम के विद्यार्थी	250 रु० प्रति माह

महानगरीय समाचारपत्रों के लिए टेलीफोन और तारों आदि के मामले में रियायतें

7848. **श्री नवीन रावणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा महानगरीय समाचारपत्रों के लिए टेलीफोन और तारों आदि के मामले में दी जा रही रियायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रकार की सुविधाएं छोटे समाचारपत्रों को नहीं दी जा रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आल इण्डिया स्माल न्यूज-पेपर्स के अध्यक्ष ने महानगरीय समाचारपत्रों को दी जा रही सुविधाएं छोटे समाचारपत्रों को भी दिए जाने के लिए, डाक-तार अधिनियम में संशोधन करने हेतु सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) महानगरीय समाचारपत्रों को अलग से रियायत नहीं दी जाती ।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति

7849. **श्री नवीन रावणी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1980, 1981, 1982 तथा 1983 को देश में विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत रोजगार ढूंढने वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी-वार संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1981, 1982 तथा 1983 के दौरान प्रत्येक श्रेणी में रोजगार कार्यालय द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ग) क्या सच है कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने की प्रगति बहुत ही धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष 1984 के दौरान इस प्रकार के व्यक्तियों को और अधिक नौकरी देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) और (घ) नीचे दिए आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान समग्र स्थिति की तुलना में शारीरिक रूप से विकलांगों के मामले में पंजीकरणों की अपेक्षा नियुक्तियों की प्रतिशतता अपेक्षाकृत उच्चतर थी ।

वर्ष	पंजीकरण की तुलना में नियुक्तियों की प्रतिशतता	
	समग्र	विकलांग
1981	21.8	8.0
1982	22.1	8.1
1983	16.0	7.2

विकलांगों की नियुक्ति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) समाज कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय रोजगार परामर्शदात्री समिति की स्थापना की गई है, जो केन्द्रीय सरकार और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू आरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की वार्षिक पुनरीक्षा करती है ।

(2) स्वैच्छिक क्षेत्र में नियुक्ति अधिकारियों और विकास संबंधी नियुक्ति सेवाओं की भर्ती के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिए जा रहे हैं । सेवा संगठनों के संबंधी से ये स्वैच्छिक संगठन, विभिन्न निजी क्षेत्र की कम्पनियों को विकलांग व्यक्तियों को नियोजित करने पर जोर देती है ।

(3) स्व-रोजगार उद्यमों के लिए स्थापित विभेदी दर की व्याज योजना के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को कर्जे उपलब्ध कराए जाते हैं ।

(4) राज्य सरकारों द्वारा विकलांगों को स्व-रोजगार के लिए छतरियों/वैंडिंग स्टाल्स/ बनी हुई दुकानें दी जाती हैं । इसके अतिरिक्त विकलांग व्यक्तियों को पब्लिक कॉल आफिस भी आबंटित किए जाते हैं ।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वाले विकलांगों की संख्या और ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन्हें रोजगार में लगाया गया

विकलांगिता की प्रकृति	निम्नलिखित के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या				निम्नलिखित के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या		
	1980	1981	1982	1983	1981	1982	1983
1. नेत्रहीन	5613	8092	8909	9754	966	652	285
2. मूक एवं बधिर	3637	5140	6071	6537	606	474	312
3. विकलांग	67153	101743	118201	134174	10865	8207	5839
4. श्वसनीय विकार	500	1007	1016	974	33	48	8
योग :	76903	115982	134197	151439	12470	9381	6444

नोट : रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर दर्ज सभी रोजगार चाहने वाले अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं हैं ।

दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष की कुछ कार्यवाहियों के बारे में विरोध प्रकट करना

7850. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री निहाल सिंह :
क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 27 जनवरी को कलकत्ता में दामोदर घाटी निगम के बोर्ड की बैठक में पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य सरकारों के दो प्रतिनिधियों ने दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष द्वारा उनको सूचित किए बिना की गई कुछ कार्यवाहियों के बारे में जोरदार विरोध प्रकट किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां ।

(ख) 15-3-1984 को विद्युत विभाग में एक बैठक हुई है, जिसमें दामोदर घाटी निगम से भविष्य में विद्युत के आबंटन के बारे में पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधियों को अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया है ।

दामोदर घाटी निगम द्वारा रेलवे तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र को बिजली की सप्लाई

7851. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दामोदर घाटी निगम के भूतपूर्व अध्यक्ष ने बिहार तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों की जानकारी के बिना रेलवे तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र को बिजली की सप्लाई करने के लिए कार्यवाही की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के प्रमुख सेक्टरों का ध्यान रखते हुए रेलवे, कोयला और इस्पात के लिए विद्युत के आबंटन को दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष ने अन्तिम रूप दिया था । इस आबंटन को दामोदर घाटी निगम के बोर्ड के समक्ष 11-3-1982 को रखा गया था तथा इसे बोर्ड ने नोट कर लिया था । इस बोर्ड में पश्चिम बंगाल और बिहार की सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय फरीदाबाद में नियुक्तियों को रद्द करना

7852. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, फरीदाबाद ने अवर श्रेणी लिपिकों के पदों के लिए कुछ नियुक्ति पत्र जारी किए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में इनमें से कुछ मामलों में नियुक्ति पत्र रद्द कर दिये थे; और

(ग) यदि हां, तो नियुक्ति पत्र रद्द करने के कितने मामले थे और इसके क्या कारण थे ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) हरियाणा क्षेत्र में भरी जाने वाली निम्न श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में 63 रिक्तियां थीं । इनमें से क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त हरियाणा, फरीदाबाद के कार्यालय ने अनुसूचित जातियों के लिए गलती से 13 की बजाय 20 आरक्षित रिक्तियां तय कर दी थीं । तदनुसार, आवश्यक भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात्, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने अनुसूचित जाति वर्ग के प्रथम 20 उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के क्रम में नियुक्ति प्रस्ताव जारी किए थे । तथापि, बाद में यह गलती पकड़ ली गई और अनुसूचित जाति के 20 उम्मीदवारों में से अन्त के 7 उम्मीदवारों के सम्बन्ध में नियुक्ति प्रस्ताव वापिस ले लिए गए ।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अधिकारियों के स्वीकृत पद

7853. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के केन्द्रीय कार्यालय, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त ग्रेड-I, सहायक भविष्य निधि आयुक्त ग्रेड-II, सतर्कता अधिकारी, लेखा अधिकारी और अधीक्षक के स्वीकृत पदों की कार्यालय-वार संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त प्रत्येक पद पर कार्यरत अधिकारियों की कार्यालयवार संख्या कितनी है;

(ग) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विभिन्न कार्यालयों में उक्त संवर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति विभिन्न कार्यालयों के लिए स्वीकृत पदों की संख्या को ध्यान में रखे बिना मनमाने ढंग से की गई है जिसके परिणामस्वरूप इस संगठन के कुछ अन्य कार्यालयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालकर केन्द्रीय कार्यालय में कर्मचारियों की संख्या बहुत अधिक कर दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो अधिकारियों के इस प्रकार गलत वितरण के क्या कारण हैं और इस प्रकार की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) कार्यालयवार मंजूर किए गए पदों का संवर्ग-वार ब्यौरा और तैनात अधिकारी की संख्या विवरण-I और II में दर्शाई गई है ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 8191/84]

(ग) जी नहीं। इस सम्बन्ध में स्थिति विवरण में स्पष्ट की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोयला उद्योग में टेंडर प्रणाली के माध्यम से दिए गए ठेके

7854. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयला उद्योग में टेंडर प्रणाली के माध्यम से ठेके देने की प्रथा समाप्त करने का विचार है;

(ख) क्या कोल इंडिया लिमिटेड को सभी कोयला कंपनियों में आतंक पैदा करके अधिकांशतः ठेके वर्तमान निविदा प्रणाली के अन्तर्गत कुछ लोगों द्वारा हथिया लिए जाते हैं;

(ग) क्या वे चोरी करके अथवा बलपूर्वक करोड़ों रुपये के मूल्य का कोयला उठा ले जाते हैं और इन ठेकों का दुरुपयोग करके करोड़ों रुपया बना कर कोयला क्षेत्रों के बेताज बादशाह बन गए हैं; और

(घ) यदि उपरोक्त भागों के उत्तर सकारात्मक हों, तो कोयला उद्योग में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नही उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्माण और छिद्रण कार्य

7855. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के चेयरमैन ने ऐसोसिएशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्री के तेल और गैस डिवीजन की वार्षिक आम सभा में बताया था कि न तो केवल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ही, और न ही आयल इंडिया लिमिटेड अकेले सभी निर्माण और छिद्रण कार्य कर पायेगा; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण और छिद्रण कार्यों को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अध्यक्ष द्वारा तेल क्षेत्र में प्रयोग में लाये जाने वाले उपकरणों के स्वदेशीकरण को प्रोत्साहित करने और तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को सेवाएं देने

के सम्बन्ध में ऐसा वक्तव्य दिया गया था। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के निर्माण और खुदाई संबंधी कार्यकलापों को योजनाओं के अनुसार पूरा किया जा रहा है। ये निर्माण कार्य तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपने उपकरणों द्वारा तथा विदेशी ठेकेदारों से किराये पर लिए गए उपकरणों और सेवाओं की सहायता से कार्यान्वित किये जा रहे हैं।

असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

7856. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्ष 1979 की निर्वाचक नामावलियों के आधार पर आगामी संसदीय निर्वाचन कराने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) आयोग ने सूचित किया है कि वह ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रहा है।

गुजरात में 2000 मेगावाट के पावर हाउस की स्थापना

7857. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार ने गुजरात में 2000 मेगावाट के एक "पावर हाउस" की स्थापना का निर्णय लिया है और यदि हां, तो यह किस स्थान पर और कब स्थापित किया जाएगा;

(ख) क्या यह गैस पर आधारित "पावर हाउस" होगा;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की मेहसाना परियोजना में करोड़ों रुपये की गैस का उत्पादन किया जा रहा है और यह पिछले कई वर्षों से बेकार जा रही है; यदि हां, तो क्या सरकार ने मेहसाना परियोजना इस गैस से विद्युत उत्पादन का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गुजरात में 2000

मेगावाट के एक बिजली घर की स्थापना करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

गुजरात में "कादी" डाकघर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत जमा राशि की वापसी

7858. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के काडी शहर में कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय अध्यापकों द्वारा वहां के डाकघर में (एक) अनिवार्य जमा योजना (दो) दस-वर्षीय संचयी सावधि जमा खाता और (तीन) अंशदायी भविष्य निधि आदि के अंतर्गत जमा राशि दिसम्बर, 1982 से जनवरी, 1984 के बीच की अवधि में उनकी परिपक्वता के पश्चात् भी उन्हें वापस नहीं की जा रही है;

(ख) यह जमा राशियां उन्हें कब तक वापस कर दी जाएंगी और क्या इस सम्बन्ध में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के लिए उचित कार्यवाही की जाएगी; और

(ग) क्या उनकी पास बुक और डाकघर के खातों में दबाई गई राशि उनके द्वारा जमा कराई गई वास्तविक राशि के कहीं कम है और यदि हां, तो यह निश्चित करने के लिए कि यह व्यक्ति शीघ्र ही पूर्ण अदायगी प्राप्त कर सकें और दोषियों को दंडित किया जा सके, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) श्री ए० एस० परमार, बचत बैंक काउंटर क्लर्क, काडी डाकघर (गुजरात) ने अनेक बचत बैंक खाता, 5 वर्षीय आवर्ती जमा खातों (वेतन चिट्ठा योजना' के अंतर्गत) 10 वर्षीय संचयी सावधि जमा खातों, शिक्षकों के भविष्य निधि खातों तथा कुछ राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों में धोखाधड़ी की थी । इस मामले में 115 ऐसे खातों में से, जिनकी अवधि पूरी हो गई थी, 91 जामकर्ताओं के दावों का निपटान कर दिया गया है । शेष परिपक्व तथा चालू खातों की जांच की जा रही है और उनको भी शीघ्र ही निपटा दिया जाएगा ।

(ग) यह धोखाधड़ी डाकघर खातों में जमा राशि को छिपाते हुए की गई, हालांकि संबंधित पास बुकों में उनकी प्रविष्टियां की गई थीं । देय दावे की राशि का निपटान किया जा रहा है । मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है । दोषी सरकारी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है । इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है ।

कामगरों को महंगाई भत्ता देने के लिए आधार वर्ष

7859. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कामगारों की महंगाई भत्ता देने हेतु आधार वर्ष 1960 की बजाए वर्ष 1982 को लेने का है जिसे वर्ष 1984 से लागू किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या आधार वर्ष 1982, केवल औद्योगिक प्रतिष्ठानों के कामगारों पर लागू होगा; अथवा क्या यह अन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन करने के संबंध में सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, श्रमिक वर्ग परिवारों के खपत पैटर्न का पता लगाने हेतु एक श्रमिक वर्ग परिवार आय तथा व्यय सर्वेक्षण वर्ष 1981-82 के दौरान किया गया था। इस सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों का संसोधन किया जा रहा है।

औद्योगिक संबंध निगरानी एकक द्वारा औद्योगिक अशांति के कारणों का अध्ययन

7860. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक सम्बन्ध निगरानी एकक द्वारा औद्योगिक अशांति के कारणों के बारे में अध्ययन कराया जाना है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान औद्योगिक अशांति के राज्य-वार कितने मामले प्राप्त हुये हैं और उनके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या अशांति के कारणों का पता लगाने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच संपर्क रखे जाने का कोई विचार है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) श्रम सम्बन्ध मानीटरिंग एकक औद्योगिक अशांति के कारणों का लगातार विश्लेषण कर रही है और जहां कहीं आवश्यक है, समस्योन्मुख अध्ययन करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

(ख) 1983 के दौरान, श्रम संबंध मानीटरिंग एकक को 567 मामलों (418 हड़तालें और 149 तालाबंदियों) की सूचना दी गई। 1983 के दौरान यूनिट द्वारा सूचित किए गए हड़तालों/तालाबंदियों की राज्यवार संख्या संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) मानीटरिंग यूनिट ने पहले से ही राज्यों के साथ कार्यात्मक सम्बन्ध विकसित किया है जिसमें देशों में औद्योगिक सम्बन्धों की निरंतरता और कड़ी निगरानी सम्भव हो सकी है। यह प्रस्ताव है कि औद्योगिक अशांति के कारणों का विश्लेषण करने के लिए राज्य श्रम विभागों के सहयोग से अध्ययन करने की वर्तमान व्यवस्थाओं का उपयोग किया जा सके।

विवरण

क्र०	राज्य का नाम	हड़तालें	तालाबंदियां
1.	आन्ध्र प्रदेश	17	7
2.	बिहार	2	4
3.	चंडीगढ़	1	—
4.	दिल्ली	12	2
5.	गुजरात	37	6
6.	हरियाणा	6	5
7.	कर्नाटक	23	4
8.	केरल	28	12
9.	मध्य प्रदेश	16	—
10.	महाराष्ट्र	58	20
11.	उड़ीसा	8	1
12.	पांडिचेरी	12	—
13.	पंजाब	19	2
14.	राजस्थान	21	11
15.	तमिलनाडु	87	11
16.	उत्तर प्रदेश	51	9
17.	पश्चिम बंगाल	20	55
	कुल	418	149

तेल उद्योग में कर्मचारियों के लिए उत्पादकता प्रोत्साहन योजना हेतु तेल समन्वय समिति द्वारा किया गया अध्ययन

7861. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल उद्योग में कर्मचारियों के लिए एक उत्पादकता प्रोत्साहन योजना का विकास करने हेतु तेल समन्वय समिति द्वारा किये गये अध्ययन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) सरकार द्वारा योजना को स्वीकार कर लिया गया है और इसे 1·4-1982 से कार्यान्वित किया जा रहा है ।

विवरण

उत्पादकता प्रोत्साहन योजना इंडियन आयल कार्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, आई० बी० पी०, मद्रास रिफाइनरीज लि०, कोचीन रिफाइनरीज लि० और बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० में लागू है और इसका सम्बन्ध तेल शोधन, पाइपलाइन और विपणन गतिविधियों से है । यह योजना, अध्यक्ष, बंधनिदेशक और कार्यात्मक निदेशकों को छोड़कर सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू है । योजना में दैनिक कर्मचारी और प्रशिक्षा भी शामिल नहीं हैं ।

2. इस योजना में, प्रोत्साहन मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते का अधिकतम 32 प्रतिशत सहित लाभ भागेदारी बोनस के भुगतान की व्यवस्था है । तथापि, इस प्रयोजन के लिए, जो कर्मचारी 1600 रु० प्रतिमाह से कम प्राप्त करते हैं, उनके लिए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा 750 रु० है । जो कर्मचारी 1600 रु० प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं और लाभ भागेदारी बोनस के पात्र नहीं हैं, उनको यह लाभ उनके वास्तविक मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते की अधिक नहीं दिया जाता है । तथापि, इस प्रयोजन के लिए, मूल वेतन जमा महंगाई भत्ते की अधिकतम सीमा 1300 रुपये प्रतिमाह है ।

3. इस योजना में यह शर्त है कि प्रत्येक कंपनी लक्ष्यों के निर्धारण के साथ-साथ प्रबन्धकीय तथा गैर-प्रबंधकीय दोनों श्रेणियों के लिए मानक जनशक्ति आवश्यकताएं स्थापित करेगी ।

4. इस योजना में प्रत्येक गतिविधि के लिए प्राप्त किये गये लक्ष्यों के विभिन्न स्तरों के लिए परिवर्तनशील नम्बरों की परिकल्पना की गई है । प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत लाभ 100 के अधिकतम नम्बरों पर आधारित होता है । प्रत्येक घटक के लिए प्राप्त किये गये नम्बरों को निकट

की पूर्ण संख्या बना दिया जाता है। प्रत्येक घटक के लिए प्राप्ति के मध्यवर्ती स्तरों के नम्बर समानुपात आधार पर दिये जाते हैं।

तेल समन्वय समिति द्वारा बल्क बिटुमेन के सम्बन्ध में किया गया अध्ययन

7862. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल समन्वय समिति द्वारा, बल्क बिटुमेन के उपयोग में वृद्धि करने तथा बल्क बिटुमेन डिपुओं के प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए, राज्यों के साथ विकास योजनाओं के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल समन्वय समिति तथा तेल उद्योग द्वारा बल्क बिटूमेन के उपयोग में वृद्धि करने के सम्बन्ध में किये गये अध्ययन ने पेकड ड्रमों में उपयोग किये जाने की तुलना में बल्क बिटूमेन के उपयोग द्वारा प्राप्त की जाने वाली किफायतों तथा संभार तंत्र सुविधा की विशिष्टताओं को दर्शाया है।

(ख) देश में बल्क बिटूमेन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तेल कंपनियों द्वारा अनेक उपाय किये गये हैं। बल्क बिटूमेन डिपुओं इंस्यूलेटिड मोबाइल भंडार टैंकों आदि जैसे आधारमूत सुविधाओं का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना आरम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है।

निर्वाचन आयोग को अधिक शक्तियां

7863. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने यह सिफारिश की है कि निर्वाचनों में कदाचारों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उसमें अधिक शक्तियां निहित करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा दिसम्बर, 1983 के दौरान हुई बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श किया गया था;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) आयोग से स्थिति का पता लगाया गया है। आयोग ने इस बात की पुष्टि की है कि उसने निर्वाचनों में कदाचारों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उसमें अधिक शक्तियां निहित करने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश नहीं की है। इस बात की भी पुष्टि की गई है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचनों में कदाचारों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए उसमें अधिक शक्तियां निहित करने के लिए संविधान में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श नहीं किया है।

फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि आयोग ने निर्वाचनों में कदाचारों को रोकने के लिए निर्वाचन विधियों में परिवर्तनों की विभिन्न सिफारिशें की हैं और ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। यह बताना संभव नहीं है कि इन सिफारिशों की बाबत कब तक विनिश्चय किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इन सिफारिशों की बाबत अंतिम विनिश्चय राजनैतिक दलों के नेताओं से परामर्श करने के पश्चात् ही किया जाएगा।

बरोज बैलकम इंडिया लि०, साराभाई कैमिकल्स तथा अन्य कंपनियों द्वारा बिना अनुमति के संयंत्र तथा मशीनें लगाना

7864. **श्री बी० वी० देसाई :**
श्री हरिकेश बहादुर :
श्री चित्त बसु :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा मौके पर की गई जांच से प्रथमदृष्टया यह बात साबित हो गई है कि बरोज बेलकम इंडिया लि०, जो कि शतप्रतिशत विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनी है और साराभाई कैमिकल्स ने सरकार की अनुमति के बिना संयंत्र और मशीनें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इस सम्बन्ध से एक नीति सम्बन्धी निर्णय लेने तक कि इन कम्पनियों के साथ कैसे निपटा जाये, रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने का काम धीमी गति से करने का निर्णय किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने अन्य कम्पनियों के मामले में भी मौके पर जांच करने का निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो किन कम्पनियों को मौके पर जांच की गई और जांच के निष्कर्ष क्या हैं तथा उनमें से प्रत्येक कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) मे० बरोज बेलकम के मामले में, प्रत्यक्षत: यह पाया गया है कि कम्पनी ने बिना पहले अनुमति लिए संयंत्र का पर्याप्त विस्तार प्राप्त करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 13(1)(घ) का उल्लंघन किया है और इस सम्बन्ध में कम्पनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा चुका है। मैं० साराभाई एम० कैमिकल्स के मामले में, तकनीकी दल की निरीक्षण रिपोर्ट पर अभी लिया जानी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) और (च) 11 अन्य मामलों में मौके पर जांच करने का प्रस्ताव है। इनमें से, मैं० सिनबायोटिक्स लि० के मामले में मौके पर अध्ययन कर लिया गया है।

दक्षिणी ताप बिजली घरों को रेल द्वारा कोयले की सप्लाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देना

7865. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बन्दरगाह और गोदी कर्मचारियों की हड़ताल जारी रहने के कारण बिजली विभाग ने दक्षिणी ताप बिजली घरों के लिए कोयले की सप्लाई हेतु सर्वोच्च रेल प्राथमिकता देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयला विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की है और रेल मंत्रालय से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो दक्षिणी राज्यों में प्रभावित बिजलीघरों को रेल द्वारा कितनी मात्रा में कोयला सप्लाई किया गया था ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) फिलहाल, रेल-सह-समुद्र मार्ग द्वारा कोयले का प्रेषण दक्षिण में तूतीकोरिक नाम बिजली घर को किया जाता है। बंदरगाह की हड़ताल शुरू होने के पहले तूतीकोरिन ताप हड़ताल शुरू होने से पहले तूतीकोरिन ताप बिजली घर को कोयले का प्रेषण अधिक से अधिक करने के लिए संयुक्त रूप से कदम उठाए गए थे। रेल-सहसमुद्र मार्ग द्वारा प्रेषण में रह गई कमी पूरी करने के लिए रेल मंत्रालय के साथ परामर्श करके वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के चांदा क्षेत्र से सभी रेल मार्ग द्वारा प्रेषण के लिए 20,000 टन प्रति माह तक अतिरिक्त कोयला दिया गया था। इसके अतिरिक्त, बिजली घर के अनुमति दी गई थी कि चांदा क्षेत्र से 2 लाख टन तक कोयला सड़क द्वारा ले जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बंदरगाह और गोदी कामगारों की हड़ताल के दौरान अरकोनम और कुस्कुपेट

तक रेल द्वारा कोयले के प्रेषण के प्रबन्ध किए गए थे जहां से तूनीकोरिन तक सड़क द्वारा कोयला ले जाने का प्रबंध बिजली घर को करना था। रेल मंत्रालय ने सूचित किया है कि हड़ताल के दौरान 15-4-1984 तक 26 रेक चांदा क्षेत्र से तूतिकोरिन ताप बिजली घर को भेजे गए थे।

"मिडिल डिस्टिलेट्स" की कमी

7866. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के लिए पेट्रोलियम के कार्यकारी दल द्वारा यह पूर्वानुमान किया गया है कि यदि सरकार के पास काफी संख्या में लम्बित परियोजनाओं पर तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया जाता है, तो वर्ष 1989-90 तक तक से 8.1 मि० टन "मिडिल डिस्टिलेट्स" की कमी रहेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी बताया गया है कि पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए सातवीं अवधि के दौरान "न्यू स्टार्ट्स" पर 65.2 करोड़ रुपये का निवेश करना पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो उन्होंने अपने प्रतिवेदन में दूसरे कौन-कौन से मुद्दों को योजना आयोग को प्रस्तुत किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय किस अवधि तक लिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के लिए पेट्रोलियम पर कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज, दिल्ली में लगी आग की जांच

7867. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज में लगी आग के कारण 40,000 टेलीफोन खराब हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि यह आग किस प्रकार लगी थी,

(ग) यदि हां, तो जांच के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति दोषी पाए गए और उन्हें क्या दण्ड दिया गया; और

(घ) यदि दोषी व्यक्तियों का पता नहीं लगा है तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) तीस हजारी टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगनी और उसके परिणामस्वरूप बिजली कट जाने के कारण लगभग 27,000 टेलीफोन खराब हो गए थे।

(ख) जांच चल रही है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक रसायनों के निर्माण हेतु आयातित शराब का प्रयोग

7868. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या रसायन उद्योग द्वारा औद्योगिक रसायनों के निर्माण में आयातित शराब का प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान कुल कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया और कितनी मात्रा में आयात किये जाने हेतु लाइसेंस दिए गए; और

(ग) औद्योगिक रसायनों के अतिरिक्त अन्य मदों के निर्माण में आयातित शराव का कितने प्रतिशत प्रयोग किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) सरकार ने औद्योगिक प्रयोजनार्थ आयातित व्हिस्की के प्रयोग की अनुमति नहीं दी है।

(ख) और (ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान आयात की गई व्हिस्की की मात्रा क्रमशः 85,000 लिटर और 157,000 लिटर थी। 1982-83 से संबंधित आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

स्विचिंग उपकरणों का उत्पादन

7869. **श्रीमती प्रमिला दण्डदते** : क्या **संचार मंत्री** भारतीय टेलीफोन उद्योग द्वारा स्विचिंग उपकरणों तथा लाइन स्टोर की अन्य मदों के उत्पादन के बारे में 20 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 326 पर अनुपूरक के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर-सरकारी कम्पनी द्वारा निर्मित एस० टी० डी० काल्स को नियंत्रित करने के स्विचिंग उपकरण को इस बीच सरकार ने सत्यापित और प्रमाणित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपकरण टेलीफोन कम्पनियों के कर्मचारियों के स्तर पर मापन (मीटरिंग) में हेरा-फेरी को रोक सकेगा।

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। डाक तार विभाग ने देशी विनिर्मिताओं द्वारा विनिर्मित निम्नलिखित एस० टी० डी० बारिंग उपकरणों को अपनी मंजूरी दी है :—

विनिर्माता का नाम	मॉडल
मैसर्स टेलीक्रापटस इंडिया एल-62, हमायूंपुर, सफदरजंग इन्कलेव नई दिल्ली-110029	टी० सी० डी०-111
मैसर्स जेनेसिस इंडिया 407-ईरोज अपार्टमेंट 56, नेहरू प्लेस नई दिल्ली-110019	एस० टी० डी-90 यू एम बी
मैसर्स इंटरफेस माइक्रो सिस्टम्स 165, जोरबाग, नई दिल्ली-110003	एस० टी० डी०-900

(ख) एस० टी० डी० बारिंग उपकरण के प्रयोग से बेईमान व्यक्तियों द्वारा कथित धोखेबाजी के विरुद्ध कोई अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं होती। डाक तार विभाग अनेक सुरक्षात्मक उपाय करता है, जैसे मीटर कक्षों को ताला लगाना, टेलीफोन एक्सचेंजों में व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मीटरों को सील करना, मीटरों तक केवल सीमित संख्या में कर्मचारियों की पहुंच, दूरसंचार संयंत्रों की आकस्मिक दौरान जांच करने के लिए उड़नदस्तों का गठन, वितरण प्वाइंटों (डी० पी०) को भूमि से काफी ऊपर लगाना ताकि उस तक आसानी से न पहुंचा जा सके। यदि उपभोक्ता अपने मीटर पठन पर निगरानी रखना चाहते हैं तो व्यक्तिगत उपभोक्ता के अनुरोध पर-पंद्रह दिन में एक बार मीटर पठन प्रणाली की भी व्यवस्था की गई है।

कम्पनियों द्वारा निर्देशक मंडल में परिवर्तन की सूचना

7870. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियों को अपने निदेशक मण्डल में किए गए किसी भी परिवर्तन की सूचना देना आवश्यक है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कम्पनियों को यह सूचना निर्धारित समय के अन्दर भेजनी होती है;

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो इस प्रकार की सूचना समय पर भेजने में असफल रही हैं; और

(घ) उन कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय, और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 303(2) की परिभाषा के अनुसार कम्पनी के निदेशकों आदि में किसी भी प्रकार के परिवर्तन किए जाने के सम्बन्ध में उसका विवरण निर्धारित फार्म में इस प्रकार के परिवर्तन की तारीख से 30 दिन के अन्दर कम्पनी रजिस्ट्रार को देना अपेक्षित है। तथापि, अधिनियम की धारा 303 (2) के कथित उपबन्ध उक्त अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त कम्पनी को पूर्णतया मुक्त करते हैं।

(ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 303(2) के अन्तर्गत जिन कम्पनियों ने निर्धारित विवरण देने में असफलता की, उन कम्पनियों के नामों को जो भारत में पंजीकृत हैं उन सभी कम्पनियों के विषय में सम्बन्धित कम्पनी रजिस्ट्रार के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, संकलन करने में काफी समय और श्रम लगेगा जो शायद उपलब्ध किये जाने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

(घ) कम्पनी रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, सम्बन्धित कम्पनियों को निर्धारित विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, ऐसे विलम्बित विवरण को प्रस्तुत करने में अधिनियम की धारा 611(2) की परिभाषा के अनुसार, विशेष मामले की परिस्थितियों पर आधारित अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है। जहां औचित्य सिद्ध होता है, वहां दोषों पर कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा अपराधी कम्पनी और उसके अधिकारियों पर मुकदमा चलाया जाता है।

भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा बम्बई में कंजूर मार्ग पर रसोई गैस की नई डीलरशिप का आबंटन

7871. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पेट्रोलियम ने कंजूर मार्ग, बम्बई में रसोई गैस की नई डीलरशिप के आबंटन हेतु विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या कम्पनी द्वारा उनकी जांच पड़ताल कर ली गई है तथा डीलरशिप की नियुक्ति कर दी गई है; और

(घ) क्या नया डीलर भारत पेट्रोलियम निगम द्वारा विज्ञापन में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० के विज्ञापन के उत्तर में 23 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे।

(ग) कार्पोरेशन द्वारा आवेदन-पत्रों की जांच पड़ताल कर ली गई है और आगे की जांच पड़ताल करने और पात्र उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाने के लिए इन्हें 31 अगस्त, 1983 को तेल चयन बोर्ड को भेज दिया गया था। डीलरशिप के लिए साक्षात्कार अभी किए जाने हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई में मुलुन्द में नया टेलीफोन एक्सचेंज

7872. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में मुलुन्द में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त एक्सचेंज की बहुत महीने पहले चालू हो जाना चाहिए था;

(ग) यदि हां, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) उक्त एक्सचेंज के अन्तर्गत सही-सही किस क्षेत्र को लाये जाने की सम्भावना है;

(ङ) उक्त क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कितने आवेदन पत्र प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(च) प्रतीक्षा सूची में किस तारीख और नम्बर तक के आवेदनपत्रों को निपटाया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं, इसको 1983-84 के दौरान चालू किए जाने की योजना थी।

(ग) निम्नलिखित कारणों से तीन महीने का विलंब होने की सम्भावना है।

1. कुछ उपकरथ और स्टाफ को मालाबार हिल एक्सचेंज जो आग लगने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, की मरम्मत के लिए भेजा गया।

2. एक्सचेंज के लिए विद्युत सप्लाई में विलंब।

(घ) पश्चिम में पोवई, बिहार लेक तथा हिल्स, पूर्व में ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, थाणे क्रीक, उत्तर में ग्रेटर बंबई नगर निगम की सीमा तथा दक्षिण में एल० पी० एस० मार्ग तथा क्वासी रोड के जंक्शन के लगभग 200 मीटर दक्षिण क्षेत्र इसमें शामिल किया जाएगा।

(ङ) इस क्षेत्र में 1-3-1984 की प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है :—

ओ० बाई० टी०	—	685
विशेष	—	518
सामान्य	—	8501

(च) ओ० वाई० टी० और विशेष श्रेणी के आवेदकों को उत्तरोत्तर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। सामान्य श्रेणी के लगभग 2800 आवेदकों को भी टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है।

बंबई में पूर्वी उप नगरों में बंबई टेलीफोन तन्त्र

7873. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्हावा सेवा पत्तन की स्थापना और नई बंबई के पूर्वी उपनगरों के और विकास किए जाने के बाद, वहां बेहतर संचार के लिए नए टेलीफोन की काफी मांग होगी; और

(ख) यदि हां, तो बंबई के पूर्वी उपनगरों में बंबई टेलीफोन के तन्त्र के विकास और विस्तार का सही ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) न्यू बंबई टेलीफोन परिपथजाल बंबई से स्वतंत्र टेलीफोन परिपथजाल होगा और अगले कुछ वर्षों के दौरान माइक्रोवेव और कोएक्सिअल प्रणालियों द्वारा इसे बंबई के साथ जोड़ दिया जाएगा। न्यू बंबई का विकास केन्द्र स्थापित करने के लिए टर्वे, कालबा, कालमबोली, बेलापुर (सी० बी० डी०) उरन न्हावा सेवा में नए एक्सचेंज स्थापित किए जा रहे हैं।

खाना पकाने की गैस की प्रत्येक एजेंसी के पास उपभोक्ताओं की संख्या में एकरूपता

7874. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री बापूसाहिब परुलेकर :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :
क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की प्रत्येक एजेंसी के पास उपभोक्ताओं की संख्या एक समान नहीं है;

(ख) यदि हां, तो देश में दिसम्बर, 1983 में इनमें से प्रत्येक एजेंसी के पास न्यूनतम और अधिकतम उपभोक्ताओं की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके उपभोक्ताओं की संख्या में एकरूपता लाने का है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रख कर, सरकार का विचार उसी अनुपात में इन एजेंसियों की संख्या में वृद्धि करने तथा इन एजेंसियों में उपभोक्ताओं की संख्या में कमी करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) तेल कम्पनियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को कुशलतापूर्वक और किफायतपूर्ण ढंग से चलाने के लिए सरकार ने एक वितरक को मासिक अधिकतम रिफिलों की संख्या निर्धारित कर रखी है जो इस प्रकार है :

निम्नलिखित जनसंख्या वाले नगर	**रिफिलों की मासिक अधिकतम संख्या**
(1) 50,000 से कम	2,500
(2) 50,000 से 2 लाख तक	3,000
(3) 2 लाख से 10 लाख तक	3,500
(4) 10 से 20 लाख तक	4,000
(5) 20 से 40 लाख तक	4,500
(6) 40 लाख से अधिक (बम्बई को छोड़कर)	5,000
(7) बम्बई	6,000

सरकारी समितियों को इन अधिकतम सीमाओं से छूट दे दी गई है।

(ङ) जी, हां। अधिक डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के बनाने के उद्देश्य से तेल उद्योग अधिकतम सीमा से ऊपर काम करने वाले मौजूदा डिस्ट्रीब्यूटरों का पुनर्गठन कर रहा है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं होता।

फिल्मों के निर्माण में कमी

7875. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में बनाई गई फिल्मों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में तेजी से गिरावट आयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क और (ख) किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान फिल्मों के निर्माण के बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा लोक प्रदर्शन के लिए प्रमाणीकृत फिल्मों से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, 1983 के दौरान बम्बई में 202 भारतीय फीचर फिल्में प्रमाणीकृत की गई थीं जबकि 1982 में 210 भारतीय फीचर फिल्में प्रमाणीकृत की गई थीं। इन आंकड़ों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि बम्बई में फिल्मों के निर्माण में तेजी से गिरावट आई है।

टीओक के रूप में इरीथ्रोमाइसीन का उत्पादन आयात

7876. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टीओक के रूप में इरीथ्रोमाइसीन का आयात किया जा रहा है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार टीओक का कितनी मात्रा में आयात किया गया, एककों के नाम क्या हैं, तथा लागत बीमा भाड़ा (सी० आई० एफ०) मूल्य तथा स्रोत सहित उपर्युक्त अवधि के दौरान प्रत्येक एकक द्वारा कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि टीओक पर रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाया अथवा सामान्य शुल्क का ब्यौरा क्या है ;

(घ) मूल्य स्तरों से इरीथ्रोमाईसिन के उत्पादन के लिए कुल कितनी क्षमता के लाइसेंस दिये गए हैं तथा वर्ष 1984-85 के दौरान देश में इस कुल कितनी आवश्यकता थी तथा कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ङ) क्या टीओक के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो कब; और

(च) इस औषधि पर रियायती सीमा शुल्क की सिफारिश किन-किन मुख्य मानदण्ड के आधार पर की गई और इस औषधि पर कब से रियायती शुल्क लिये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया।

(ख) उपलब्ध सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और लोक सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) थियोसाइनेट में टी० आई० ओ० सी०/इरोथ्रोमाइसिन के आयात पर लगाये जाने वाले सीमा शुल्क की दर मूल्यानुसार 25 प्रतिशत है जबकि मध्यवर्तियों के आयः पर सीमा शुल्क की सामान्य दर इस समय लगभग 132 प्रतिशत है ।

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान इरिथ्रोमाइसिन, इसके लवणों तथा एस्टरों की अनुमानित आवश्यकता लगभग 50 टन है । इस औषध, इसके लवणों तथा एस्टर की लाइसेंस प्राप्त क्षमता, बेसिक स्तरों से विभिन्न एककों के उत्पादन तथा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान उत्पादन नीचे किया गया है :—

क्रमांक	एकक का नाम	लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन (टन)	
			1982-83	1983-84
1.	एलेम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कं० लि०	12	14.70	14.02
2.	आई० डी० पी० एल०	36	शून्य	0.30
3.	थैमिस फार्मेस्यूटिकल्स लि०*	40	8.38	6.64
4.	स्टैण्डर्ड फार्मेस्यूटिकल्स	6	शून्य	शून्य

* इस समय कम्पनी आयातित टी० आई० ओ० सी० से उत्पादन कर रही है ।

(ङ) इस समय टी० आई० ओ० सी० के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(च) टी० आई० ओ० सी० पर सीमा शुल्क की रियायती दर मार्च, 1979 से चलाए इरिथ्रोमाइसिन थियोसियानेट, टी० आई० ओ० सी० पर सीमा शुल्क की रियायत सस्ते मूल्यों पर औषध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दी गई है ।

अधिष्ठापित क्षमता की मान्यता हेतु नामंजूर किए गए, वापस लिए गए और जांचे गए आवेदन पत्र

7877. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 की नीति के अन्तर्गत उत्पादक अधिष्ठापित क्षमता की मंजूरी के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए, आवेदक कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन-किन मदों के

पुनः पृष्ठाकन के लिए आवेदन किया गया था और कितने मामलों में पुनः पृष्ठाकन मंजूर किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ एककों को आवेदन पत्र वापस लेने की सलाह दी गई थी क्योंकि जांच के समय यह पाया गया था कि उन्होंने सरकार की मंजूरी के बिना अतिरिक्त संयंत्र और मशीनरी लगा ली थी और वे अपने विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के पात्र थे, उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है और उनको आवेदन पत्र वापस लेने की अनुमति देने के क्या कारण थे; और

(ग) क्या यह सच है कि 29 अगस्त, 1980 की समाचार टिप्पणी के अनुसार, सत्यापन के लिए निरीक्षण की व्यवस्था दो महीने के भीतर होनी चाहिए थी, यदि हां, तो कितने एककों का निरीक्षण किया गया, और उससे प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अगस्त/सितम्बर, 1980 में घोषित स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने की नीति के अधीन औषध कम्पनियों से 71 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। उक्त योजना के अन्तर्गत कम्पनियों ने सामान्यतः अपने समस्त कार्यकलापों के लिए आवेदन किया है। उक्त नीति के अधीन आवेदन करने वाली कम्पनियों के नाम और मदों सहित इन कम्पनियों के नाम, जिनकी क्षमताओं के पुनः पृष्ठांकन की अनुमति दी गई है, दिनांक 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 674 के उत्तर में पहले ही दर्शाया जा चुके हैं।

(ख) मंत्रालय द्वारा किसी भी कम्पनी को आवेदन पत्र वापस लेने की सलाह नहीं दी गई है।

(ग) 29 अगस्त, 1980 के प्रेस-नोट में यह व्यवस्था है कि प्रशासनिक मंत्रालय आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से दो महीने की अवधि के अन्दर-अन्दर अपनी सिफारिशें औद्योगिक विकास विभाग में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को प्रेषित करेगा। संयंत्र और मशीनरी का निरीक्षण बाध्यकर नहीं है। तथापि, मौके पर सत्यापन करने के लिए गठित एक तकनीकी दल, जिसमें इस मंत्रालय और डी० जी० टी० डी० का एक-एक तकनीकी अधिकारी शामिल है, ने मैसर्स बूरोज बैल्कम, मैसर्स साराभाई एम० कैमिकल्स और मैसर्स सिनबायोटिक्स लिमिटेड के संयंत्रों का दौरा किया है। मैसर्स बूरोज बैल्कम के मामले में कम्पनी द्वारा आई (डी० एण्ड आर०) अधिनियम की धारा 12(1)(घ) (पर्याप्त विस्तार) का स्पष्टतः उल्लंघन किया गया है और उनके कारण बताने के लिए कहा कहा गया है कि इस उल्लेख के लिए उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही क्यों न की जाए। अन्य दो एककों के मामले में तकनीकी दल की रिपोर्टों पर अन्तिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है।

वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा औषध मूल्य नियंत्रण आदेश का उल्लंघन

7878. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्नर हिन्दुस्तान ने बल्क औषधियों के उत्पादन के लिए पिछले 20 वर्षों से कोई पूंजी निदेश नहीं किया है और चिकलेट्स हांल्स/लोसनेजेस जैसे अधिक लाभ देने वाले फार्मूलेशन का उत्पादन करता रहा है तथा औषध मूल्यों नियन्त्रण आदेशों का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) कम्पनी द्वारा बिना मूल्य स्वीकृति किए अथवा छूट प्राप्त श्रेणी के अन्तर्गत जिन मदों का विपणन किया गया उनका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान ने किसी बल्क औषध का निर्माण नहीं किया है किन्तु कुछ औषध मध्यवर्तियों और फार्मूलेशनों का निर्माण कर रहे हैं। कम्पनी के अधिकांश फार्मूलेशन, औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत श्रेणी IV के रूप में वर्गीकृत है। न्यूट्रिफिल तरल, वाटरबरीज विटामिन टॉनिक जैसे मामलों में कम्पनी ने न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए हैं और श्रेणी IV के उत्पादन के रूप में उनका विपणन करने में समर्थ हैं। लिस्ट्राइन के सम्बन्ध में कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनके उत्तर की जांच की जा रही है। मैसर्स वार्नर हिन्दुस्तान द्वारा श्रेणी IV के उत्पादों के रूप में विपणन किए गए उत्पादों की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

वार्नर हिन्दुस्तान लिमिटेड

क्रम संख्या	उत्पाद का नाम	पैक आकार	31-3-79 को मूल्य (रुपये)	वर्तमान मूल्य (रुपये)
1	2	3	4	5
1.	ऐगरोल	120 मिलि	—	11.09
2.	—वही—	170 मिलि	7.63	—
3.	—वही—	400 मिलि	17.05	26.87
4.	एनूसोल मरहम	28 ग्राम	5.09	11.75
5.	एनूसोल एचसी मरहम	10 ग्राम	5.19	11.75
6.	नूगेसिक एचसी मरहम	10 ग्राम	5.64	12.37
7.	आइसोकिन 300 गोलियां	10 का	1.88	2.08
8.	आइसोकिन	100 मिलि	—	7.99

1	2	3	4	5
9.	आइसोकिन	200 मिलि	6.40	—
10.	न्यूट्रीफिल तरल	300 मिलि	—	14.57
11.	—वही—	200 मिलि	6.03	—
12.	—वही—	750 मिलि	15.00	27.68
13.	—वही—	400 मिलि	10.08	—
14.	पोलोइड गोलियां	50 का	7.04	18.43
15.	—वही—	500 का	47.75	52.71
16.	पाइरिडियम गोलियां	10 का	2.74	3.88
17.	वाटरवरीज कम्पाउन्ड लाल लेबल	250 मिलि	5.71	9.95
18.	—वही—	470 मिलि	9.59	17.72
19.	वाटरवरीज विटामिन टोनिक	250 मिलि	5.71	9.95
20.	—वही—	470 मिलि	10.56	15.38
21.	लिस्टरीज तरल	85 मिलि	2.91	4.38
22.	—वही—	200 मिलि	5.60	9.20
23.	—वही—	400 मिलि	9.37	15.39
24.	स्लोन्स लिनिमेन्ट	71 मिलि	3.58	6.65
25.	स्लोन्स बाम	5 मिलि	0.78	—
26.	—वही—	10 ग्राम	1.97	3.41
27.	—वही—	20 ग्राम	—	5.83
28.	—वही—	35 ग्राम	3.70	7.33
29.	हाल्स मिन्थोलिप्टस	10 का	1.19	2.09
30.	—वही—	250 का	30.11	58.28

क्षय रोग निरोधी पाइरेजीनमाइड औषधियों का आयात/उत्पादन और मूल्य

7879. **श्री तारिक अनवर :** क्या रसायन और **उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, पाइरेजीनेमाइड फार्मूलेशनों के मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इर्थम्बुटोल और रिफमपीसिन के बाद, क्षय रोग निरोध फार्मूलेशनों के निर्माताओं ने इस औषधि के आयात में वृद्धि कर दी है;

(ग) पाइरेजीनेमाइड फार्मूलेशनों के मूल्यों को कम करने तथा इसके आयात को विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं जिससे इथम्बुटोल और रिफमपीसिन के मामले में मूल्य में हुई बनावटी वृद्धि को रोका जा सके;

(घ) इस औषधि के मुख्य दवा फार्मूलेट्स क्या हैं, गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उनका कितना आयात किया गया है, उनका स्रोत तथा सी० आई० एफ० मूल्य क्या है तथा इस औषधि पर कितना सीमा शुल्क लगता है; और

(ङ) बल्क ड्रग्स तैयार करने के लिए जिन कम्पनियों को लाइसेंस दिए गए हैं उनके नाम क्या हैं, उनको कितनी क्षमता की आज्ञा दी गई है, उनके निर्माण की स्थिति क्या और 1983 के दौरान उनमें कितना उत्पादन हुआ है ?

रसायण और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान पाइराजिनामाइड पर आधारित दो फार्मूलेशन पैकों के मूल्यों में संशोधन किया गया था। इन दो पैकों के पूर्व मूल्य और संशोधित मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	फार्मूलेशन और मिश्रण का नाम	पैक आकार	%वृद्धि
1.	पाइराजिनामाइड 500 मिलि ग्राम/गोलियां	10 का स्ट्रिप बोतलें	111.00
2.	पाइराजिनामाइड 500 मिली ग्राम/गोलियां	30 की बोतल	112.45

(ख) पाइराजिनामाइड के प्रयोगों में वृद्धि हुई है। इस औषध के आयातों में भी वृद्धि हुई है।

(ग) पाइराजिनामाइड के मूल्यों में कमी करने और इसके आयातों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। पाइराजिनामाइड को खुले सामान्य लाइसेंस से आयात नीति 1984-85 के परिशिष्ठ 4 (भाग क) और परिशिष्ठ 13 में स्थानान्तरित कर दिया गया है।

(घ) उपलब्धि की सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ङ) उन कम्पनियों के नाम, जिनको बल्क औषध पाइराजिनामाइड का निर्माण करने हेतु लाइसेंस दिया गया है, उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता और निर्माण की अवस्था निम्न प्रकार है :—

क्रम सं०	कम्पनी का काम	लाइसेंसशुदा/पंजीकृत क्षमता	निर्माण की अवस्था
लाइसेंस		(10 में)	
1.	मैसर्स यूनी-सांक्यों	3	मध्यवर्ती
डी० जी० टी० डी० पंजीकरण			
2.	मैसर्स मोरानी कैम (प्रा० लि०)	12	मूल
3.	मैसर्स के० के० केला	10	मूल
4.	मैसर्स लूपिन लेबोरेटरीज	12	मूल
5.	मैसर्स सुनीता लेबोरेटरीज	18	मूल
6.	मैसर्स बैन्कटारामन फार्मास्यूटिकल्स	10	मूल
7.	मैसर्स सिप्ला	3	मूल
8.	मैसर्स इन्डो-फार्मा फार्मास्यूटिकल्स	12	मूल
9.	मैसर्स स्टेन्डर्ड आर्मेनिक्स	20	मूल

वर्ष 1983 के दौरान उत्पादन के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और लोक सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

समाचार एजेंसी "समाचार भारती" के कर्मचारियों को वेतन की अदायगी

7880. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार एजेंसी "समाचार भारती" के कर्मचारियों को पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं दिया गया है और इसके लिए वे आन्दोलन शुरू करने की धमकी दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) तथा (ख) यह सत्य है कि इस प्रतिष्ठान द्वारा कर्मचारियों के वेतन का कुछ सीमा तक भुगतान किया जाना है। सरकार द्वारा मध्यस्थता करने पर प्रबन्धतंत्र ने अब उपलब्ध निधियों में से वेतनों का भुगतान करने की व्यवस्था कर दी है।

भारत में बाल श्रमिक

7881. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक द्वारा किये गये अध्ययन (ब्लिटज 17 मार्च, 1984) के अनुसार विश्व के कुल 55 मिलियन कार्य करने वाले बंधुआ बच्चों में से 40 मिलियन एशिया में हैं तथा उनमें से एक तिहाई भारत में हैं;

(ख) क्या यह सच है कि संविधान के अनुच्छेद 24 के प्रतिकूल है और हां, तो इस प्रथा को रोकने में असफल रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अत्यधिक गरीबी से कोई बाल श्रम का सम्बन्ध है और यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए कौन-कौन-सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाये गये हैं अथवा चलाये जाने का प्रस्ताव हैं;

(घ) क्या इन बच्चों (बालक और बालिकाओं) से अधिक कार्य किया जाता है तथा उन्हें कम वेतन दिया जाता है तथा ये जोखिमभरी परिस्थितियों में कार्य कर कर रहे हैं; और

(ङ) क्या यह भी बताया गया है कि वहां पर 4 मिलियन से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो चोरी छिपे चलाये जाने वाले उद्योगों में कार्य कर रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) विभिन्न देशों में बाल श्रम के बारे में नवीनतम आंकड़े अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की श्रम सांख्यिकी वर्ष पुस्तिका, 1977 में उपलब्ध हैं। इन आंकड़ों के अनुसार, भारत में पन्द्रह वर्ष से कम आयु ग्रुप के बाल-श्रमिकों की कुल जनसंख्या का 4.7 है, जो कि कई अन्य देशों से कम है।

(ख) से (ङ) विभिन्न श्रम कानूनों, जिनमें बालक नियोजन अधिनियम, 1983, कारखाना अधिनियम, 1948, खान अधिनियम, 1952, बागान श्रम अधिनियम, 1951 तथा राज्य सरकारों के विभिन्न दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम शामिल हैं, में बच्चों के रोजगार में प्रवेश के

लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में कानून के अनुरूप नियोजित बाल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की व्यवस्था भी विद्यमान है। राज्य क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले व्यवसायों/रोजगारों में इन उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए राज्य सरकार समुचित प्राधिकरण है। केन्द्रीय सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन आने वाले रोजगार के सम्बन्ध में समुचित प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार है। जब कानून के उल्लंघन की घटनाओं को सरकार के ध्यान में लाया जाता है तो उनके सम्बन्ध में कार्रवाई की जाती है। तथापि, वर्तमान सामाजिक-आर्थिक स्थिति में, बाल-श्रम प्रणाली को पूर्णत: समाप्त करना व्यवहार्य नहीं है।

देश में चलते वाहनों में टेलीफोन लगाया जाना

7882. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में चलते वाहनों में टेलीफोन लगाने की एक योजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव को किस अवधि तक क्रियान्वित किया जायेगा;

(घ) उन शहरों के क्या नाम हैं जहां पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी; और

(ङ) इस पर कितना धन खर्च किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ङ) जी, हां। दिल्ली में प्रचालन पहलुओं, विस्तार, अंतरापृष्ठ अपेक्षाएं, नियंत्रण सुविधाएं आदि पर डाटा संग्रहण के लिए एक प्रायोगिक प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि चलते वाहनों में टेलीफोन की स्थापना के लिए परियोजनाएं शुरू की जा सकें और वे सभी सुविधाएं प्रदान की जा सकें जो एक सामान्य टेलीफोन उपभोक्ता को प्राप्त हैं। यह परियोजना 1984 के अंत तक स्थापित की जानी है। इस प्रयोग पर आने वाली लागत लगभग 1.5 करोड़ रु० आंकी गई है। जनता को यह सेवा किस दर पर दी जाएगी, इसका निर्धारण सम्बन्धित डाटा का संग्रहण और परियात का विश्लेषण करने के बाद किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र

7883. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित प्रस्तावित उर्वरक संयंत्र कब तक पूरे हो जाएंगे; और

(ख) परियोजनाओं पर क्या लागत आएगी और यदि उनमें कोई विदेशी मुद्रा लगेगी तो वह कितनी होगी और इस प्रयोजन के लिए ऋण और सहायता किन स्रोतों से प्राप्त की जायेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) गैस पर आधारित चार उर्वरको संयंत्रों की स्थापना उत्तर प्रदेश में करने का निर्णय लिया गया है। कार्य प्रारम्भ होने और पूर्ण होने का सम्भावित समय नीचे दिया गया है :

परियोजना का स्थान	**कार्य का प्रारम्भ**
जगदीशपुर, उत्तर प्रदेश	मध्य-1984
आंवला, उत्तर प्रदेश	1984 की अन्तिम तिमाही
बबराला, उत्तर प्रदेश	1985
शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	1985

इनमें से प्रत्येक परियोजना जीरो डेट से लगभग 42 महीनों में प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दर्शाई परियोजनाओं की अनुमानित लागत विदेशी मुद्रा अंश और प्रत्येक परियोजना के लिए ऋण सहायता के प्रस्तावित स्रोत संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

	परियोजना की लागत रु० करोड़	विदेशी मुद्रा अंश (रु० करोड़)	ऋण सहायता के स्रोत
1. जगदीशपुर	662.6	192.51	ऋण सहायता के स्रोतों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। यह सम्भावना है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऋण देने वाली संस्थाओं और सप्लायर से ऋण से उपलब्ध होगा।
2. आंवला	732	277	वही
3. शाहजहांपुर	741.99	132.92	वही
4. बबराला	600	180	वही

शीरा पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त करना

7884. **श्री अनन्त रामुलु** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार को शीरा पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त करने और इस समय एल्कोहल पर लगे राज्यों के विभिन्न शुल्कों को समाप्त करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो अन्य प्रमुख सिफारिशें क्या हैं और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) फरवरी, 1983 में केन्द्रीय सरकार में शीरा और अल्कोहल पर उपकरों पर एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी । कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 1983 में प्रस्तुत की और अन्य बातों के साथ निम्नलिखित सिफारिशें कीं :

(1) सभी शीरा पर 31.50 रुपये प्रति टन का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया जाना चाहिए । यदि यह व्यवहार्य न हो तो केन्द्रीय सरकार अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों को उत्पाद शुल्क में शीरा की उतनी मात्रा तक छूट देने पर विचार कर सकती है जितनी मात्रा औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए और अल्कोहल पर आधारित रसायनों के उत्पादन के लिए प्रयोग की जाती है ।

(2) अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग को उचित मूल्यों पर अल्कोहल उपलब्ध कराने के संदर्भ में राज्यों द्वारा उपकर निर्धारित किये जाने तक एक अन्तरिम उपाय के रूप में राज्य सरकारें उपकरों की विभिन्न दरें को अधिकतम 1 मई, 1983 के स्तर पर निर्धारित कर सकती है और जब कभी सम्भव हो उन्हें कम करने का प्रयास कर सकती है ।

कार्यकारी दल की रिपोर्ट सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजी गई थी और रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा अपनी 6 जनवरी, 1984 की बैठक में विचार किया गया था ।

केन्द्रीय शीरा बोर्ड के निर्णय के अनुसार केन्द्र कार्यकारी दल की सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु पद्धति तैयार करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।

उत्तर प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधाएं

7885. **श्री हरीश रावत** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में उन शहरों के क्या नाम हैं जिनमें वर्ष 1983-84 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई गई तथा उन शहरों के क्या नाम हैं जिनमें वर्ष 1984-85 के अन्त तक इस सुबिधा को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) उन जिला मुख्यालयों के क्या नाम हैं जिनका संपर्क वर्ष 1984-85 के दौरान यू० एच० एफ० प्रणाली से स्थापित किया जाएगा;

(ग) क्या बर्ष 1983-84 में उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों को इस प्रणाली से जोड़ा जाना था और यदि हां, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन पिछड़े पहाड़ी क्षेत्रों को समय पर इस प्रणाली का लाभ मिले, क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) (एक) 1983-84 के दौरान उत्तर प्रदेश के उन शहरों की संख्या जहां एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए की गई—शून्य ।

(दो) उत्तर प्रदेश में एक नए शहर (नैनीताल) में 1984-85 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की सम्भावना है ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) उत्तर प्रदेश के पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में यू० एच० एफ० प्रणालियां प्रदान करने की योजनाएं भूमि अधिग्रहण इमारतों का निर्माण आदि जैसे निष्पादन विभिन्न चरणों में हैं । इन पर तुरन्त कार्रवाई की जाएगी ।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में वर्ष 1980 में मंजूर की गई कुकिंग गैस वितरण एजेंसियां

7886. **श्री हरीश रावत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1980 में उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ कस्बों में कुकिंग गैस वितरण एजेंसियां मंजूर की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सभी स्थानों के उपभोक्ताओं को कुकिंग गैस का वितरण वर्ष 1983-84 के अन्त तक आरम्भ कर दिया गया;

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह इन स्थानों पर कुकिंग गैस के वितरण के लिए स्वीकृत एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर देंगे और ये एजेंसिया प्राइवेट पार्टियों को देने पर विचार करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो वह इन स्थानों के उपभोक्ताओं को समय पर गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और रानीखेत में एल० पी० जी० डिस्ट्री-ब्यूटरशिपें पहले ही चालू की चुकी हैं। घरचला, लोहाघाट और दीदीहट में इन्हें चालू किया जाने वाला है। अन्य स्थानों के लिए मैसर्स कुमाऊं मण्डल विकास निगम लिमिटेड द्वारा एल० पी० जी की सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से शुरू करने की सम्भावना का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

औषध कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास विभागों की स्थापना और नई प्रौद्योगिकी का आयात

7887. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी भारतीय औषध कंपनियों के पास अपने अलग से अथवा सम्बद्ध अनुसन्धान और विकास विभाग हैं और उन कम्पनियों के पास क्या हैं तथा इनके द्वारा अनुसन्धान और विकास विभागों पर कितना व्यय किया गया है; और

(ख) विभिन्न औषध कंपनियों द्वारा अनुसंधान और विकास विभागों में नियोजित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और व्यय का अनुपात क्या है तथा उनके क्या परिणाम प्राप्त हुए ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मान्यता प्राप्त अनुसंधान तथा विकास एकक वाली भारतीय कंपनियों के ब्यौरे तथा अनुसंधान और विकास पर व्यय की गई राशि विवरण में दी गई है। इन औषध कंपनियों के अनुसंधान तथा विकास विभागों में नियोजित कार्मिकों के ब्यौरे की इस मंत्रालय द्वारा मानीटरिंग नहीं की जाती। मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास सुविधाओं में किए गए अनुसंधान और विकास कार्यों में से कंपनियों द्वारा दावा किए गए कुछ महत्वपूर्ण विकास निम्न प्रकार हैं :

1. बंगाल इम्युनिटी कंपनी लि० द्वारा ए० टी० एस० के उत्पादन की प्राप्ति में वृद्धि।

2. सिपला द्वारा सी० एस० आई० आर० के सहयोग से सलबुटामोल के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना।

3. एच० ए० एल० द्वारा औरियोफुगिन तथा हामाटसिन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।

4. आई० डी० पी० एल० द्वारा मिथाइल डोपा तथा विटामिन बी० के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।

5. सूचना मिली है कि तमिलनाडु दाधा फार्मेस्युटिकल्स लि०, मद्रास ने सिसप्लाटिन और डेनाजोल के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है ।

6. आन्ध्र शूगर्स ने एस्प्रिन के उत्पादन के लिए अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है ।

7. मैसर्स गार्दा कैमिकल्स ने क्विनापिरामाइन तथा इसके लवणों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है ।

8. मैसर्स रेनबैक्सी द्वारा क्लोरोक्विन फास्फेट के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करना ।

बिवरण

क्रम सं०	फर्म का नाम	वार्षिक व्यय	
		वर्ष	राशि (रु० लाख में)
1	2	3	4
1.	एम्बालाल साराभाई इन्टरप्राइजेज बड़ौदा	82-83	112.9
2.	अमृतांजन लि० मद्रास	79	20.6
3.	दि बंगाल इम्युनिटी कंपनी लि० कलकत्ता	81-82	4.0
4.	भारत सिरम एण्ड वेक्सीन एण्ड भारत लेबोरेटरीज, बंबई	81-82	1.0
5.	केडिया लेबोरेटरीज, अहमदाबाद	79	25.5
6.	दि कैमिकल्स, इन्डस्ट्रीयल एण्ड फार्मास्युटिकल्स लेबो०लि०	81-82	1.0
7.	सिबातुल लि०, गुजरात स्टेट	81-82	14.5
8.	डेज मेडिकल स्टोर्स (एम० एफ० जी०) लि० कलकत्ता	80	9.3
9.	ई० आई० डी० पारी (इंडिया) प्रा० लि० मद्रास	79	14.6
10.	दि० फेयरडील कार्पोरेशन प्रा० लि० बम्बई	79-80	13.5
11.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० पूना	81-82	142.38
12.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० नई दिल्ली	81-82	45.5
13.	केरला स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० केरला	80-81	5.0
14.	कोठारी सेन्टर आफ गेस्ट्रोनटीरोलोजी, कलकत्ता	78-79	17.6
15.	निटसन लेबोरेटरीज, थाना	80-81	3.4

1	2	3	4
16.	ओगेनन (इंडिया) लि० कलकत्ता	81	35.3
17.	रेपटेल ब्रीट एण्ड कम्पनी लि०	81	26.4
18.	रुसल फार्मास्युटिकल्स लि० बम्बई	79	11.6
19.	सर्ले (इंडिया) लि० बम्बई	81	20.0
20.	सुधीर गेगी कैम० एण्ड फार्मालि० अहमदाबाद	79-80	0.9
21.	सुनीता लेबोरेटरीज लि० इन्दौर	78-79	0.9
22.	सिनबायोटिक्स लि० बड़ौदा	80-81	9.4
23.	तमिलनाड़ु दाधा फार्मास्युटिकल्स लि० मद्रास	79-80	4.7
24.	यूनील्वाइड लि० हैदराबाद	79-80	40.0
25.	यूनीक्यू कैमिकल्स, बम्बई	77-78	0.6
26.	बारनर हिन्दुस्तान लि० हैदराबाद	80	16.6
27.	एलम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कंपनी लि० बड़ौदा	79	100.9
28.	आन्ध्रा सुगर लि० तानुकू	78-79	0.3
29.	अनिल स्टार्च प्रोडक्ट्स लि० अहमदाबाद	81	8.6
30.	अतुल प्रोडक्ट्स लि० गुजरात	80	35.9
31.	कायोजोजिकल इवेन्स लि० हैदराबाद	81	13.0
32.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि० कलकत्ता	81-82	5.32
33.	चिमोक्सिन प्रा० लि० बम्बई	78-79	30.9
34.	धुफर इन्टरफ्रान लि० बम्बई	80	5.5
35.	इथनोर लि० बम्बई	79	6.5
36.	फ्रेंको-इंडियन फार्मास्युटिकल्स प्रा० लि० बम्बई	76-77	2.9
37.	धारदा कैमिल्स प्रा० लि० बम्बई	82	36.2
38.	बुफिक लेबोरेटरीज बम्बई	81	1.9

1	2	3	4
39.	हेफकिन बायोफार्मास्युटिकल्स कार्पो० लि० बम्बई	80-81	2.0
40.	आई० डी० एल० कैमिकल्स लि० हैदराबाद	81	41.5
41.	इन्डो फार्मा फार्मा० प्रा० लि० बम्बई	81-82	17.0
42.	इन्गे लेबोरेटरीज प्रा० लि० बम्बई	77-78	4.9
43.	लुपिन लेबोरेटरीज लि०, म्बई	80-81	14.2
44.	मोंइज प्रोडक्ट्स, अहमदाबाद	81-82	2.8
45.	माइलस इंडिया लि० बड़ौदा	80	2.9
46.	नुचैम प्लास्टिक लि० फरीदाबाद	81-82	25.0
47.	रेलिस इंडिया लि०, बम्बई	78-79	3.8
48.	रेनबेक्सी लेबोरेटरीज लि० नई दिल्ली	81	43.2
49.	आर० सी० ए० फार्मा लेब्स, बम्बई	79	4.0
50.	रिकिट एण्ड कोलमन आफ इंडिया लि० कलकत्ता	79	3.4
51.	एस० जी० फाइन कैमिकल्स प्रा० लि०, बम्बई	79	0.7
52.	स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता	81-82	7.0
53.	स्टेन्डर्ड ओगेनिक्स लि० हैदराबाद	79-80	1.7
54.	सुनिल सिनोचेम लि० अलवार (ताज)	79-80	0.8
55.	टी० टी० के० फार्मा० प्रा० लि० बम्बई मद्रास	80-81	2.2
56.	यूनीचेम लेबोरेटरीज लि० बम्बई	80-81	35.8
57.	झन्डू फार्मास्युटिकल्स वर्क्स लि० बम्बई	81-82	3.0
58.	दि भारतीय अगे इन्डस्ट्रीज फाउन्डेशन पूना	81-82	415.0
59.	ग्लेस्सो लेबोरेटरीज लि० बम्बई	80-81	221.1

फेरा ड्रग कंपनियों द्वारा विदेशी सामान्य अंश पूंजी का कम किया जाना

7888. **श्री सज्जन कुमार :**
श्री समीनुद्दीन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जग फेरा ड्रग कंपनियों की संख्या और नाम क्या हैं, जिन्होंने अभी तक अपनी विदेशी सामान्य अंश पूंजी को कम करके 40 प्रतिशत नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार का उनके मंत्रालय द्वारा 1978 में जारी किए गए परिपत्र के आधार पर उनके कार्यकलापों की नियमित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो सरकार फेरा कंपनियों द्वारा किए गए अतिरिक्त उत्पादन को कैसे नियमित करेगी;

(घ) हमारे देश में उन्नत तकनीक/नई दवाएं प्राप्त करने के लिए सरकार का क्या प्रयास करने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार अपनी साम्य पूंजी कम करके 40 प्रतिशत कर देने वाली कंपनियों को इससे छूट देने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) मै० ई० मर्क, यूनि-साक्यों, स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच एवं रिजर्डसन हिन्दुस्तान ने अभी अपनी सीधी विदेशी इक्विटी को घटा कर 40 प्रतिशत करना है, यद्यपि उन्हें ऐसा करने के निर्देश दिये गये थे। मै० रिचर्डसन हिन्दुस्तान तथा स्मिथ क्लाइन एण्ड फ्रेंच ने पहले ही अपनी विदेशी इक्विटी को घटाकर 40 प्रतिशत करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी है, जबकि अन्य दो कंपनियों ने सरकार के निदेशों के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है।

(ख) और (ग) नयी औषध नीति के उपबन्धों, 1980 में घोषित स्थापित क्षमताओं को मान्यता देने की स्कीम तथा सरकार द्वारा अप्रैल, 1982 तथा अप्रैल, 1983 में घोषित क्षमताओं को पुनः पृष्ठांकित करने से सम्बन्धित स्कीमों के संदर्भ में स्कीमों अतिरिक्त उत्पादन को नियमित किया गया है। जांच की जा रही है।

(घ) इस सम्बन्ध में औषध कम्पनियों से प्राप्त आवेदनपत्रों पर सरकार की औषध नीति के अनुसार गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है।

(ङ) 40 प्रतिशत या उससे कम सीधी विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियों को ओद्योगिक अनुमोदन के सम्बन्ध में भारतीय कम्पनियों के समरूप माना जाता है।

टेलीफोन कालों के लिए पेजिंग सिस्टम शुरू करना

7889. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**
श्री के० मालन्ना :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार टेलीफोन कालों के लिए शीघ्र ही 'पैंकिंग सिस्टम' शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस सिस्टम का ब्यौरा क्या है और उस पर कितना अतिरिक्त खर्च आएगा और उसके क्या लाभ हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां । दिल्ली टेलीफोन के उपभोक्ताओं के लिए शीघ्र ही प्रायोगिक आधार पर रेडियो पेजिंग प्रणाली प्रारंभ किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इस प्रणाली में रेडियो सिग्नल के माध्यम से उस पेजिंग उपभोक्ता, जो कहीं चल-फिर रहा हो और अपने टेलीफोन से दूर हो, को यह सूचना पहुंचाने की व्यवस्था है कि उनके लिए कोई संदेश है । कॉल मिलाने वाला उपभोक्ता एक संपर्क कोड···डायल करेगा और टोन मिलने पर वह अन्य कोड डायल करेगा जिसके बाद पेजिंग उपभोक्ता का नम्बर डायल किया जाएगा और तत्पश्चात् ऐसा नम्बर डायल किया जाएगा जिस पर पेजिंग उपभोक्ता को बात करनी है । जिस उपभोक्ता को नम्बर मिलाया गया है उसे अपने पेजर में अलर्ट टोन मिलेगी जिससे यह पता चल सकेगा कि पेजिंग कॉल मिल गई है ।

पेजिंग सुविधा के प्रभार के संबंध में विचार किया जा रहा है । यह प्रणाली व्यस्त प्रशासकों, डॉक्टरों एवं व्यापारी वर्ग के लिए सहायक सिद्ध होगी क्योंकि इन्हें इधर-उधर घूमते रहना पड़ता है और बार-बार परामर्श करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है ।

राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त करना

7890. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल कितने हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) उनमें से उन राजनैतिक दलों के नाम क्या हैं जो क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर बनाए गए हैं;

(ग) क्या देश की राष्ट्रीय एकता, अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता स्वरूप बनाए रखने की दृष्टि से, सरकार का विचार ऐसे दलों की मान्यता समाप्त करने के लिए, चुनाव कानूनों और

भारत के संविधान में संशोधन करने का है जिनकी सदस्यता केवल कुछ धर्मों और क्षेत्रों तक ही सीमित है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) निर्वाचन आयोग ने सूचित किया है कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन इस समय देश में 7 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दल हैं, अर्थात् भारतीय जनता पार्टी; भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट), इंडियन नेशनल जनता पार्टी और लोक दल ।

(ख) ऊपर उल्लिखित राजनैतिक दलों में से कोई भी दल क्षेत्रीय या धार्मिक आधार पर बनाया गया प्रतीत नहीं होता ।

(ग) और (घ) ऐसे कोई संशोधन विचाराधीन नहीं हैं क्योंकि अभी तक यह महसूस किया गया है कि विद्यमान विधियों द्वारा उद्देश्य को पूरा किया जा सकता है ।

1986 में मांग से अधिक विद्युत उत्पादन

7891. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 1986 तक मांग से अधिक विद्युत उत्पादन होने की आशा है; और

(ख) यदि हां, तो यह अपेक्षा किन आधारों पर की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय तेल निगम के अधिकारियों की कलकत्ता यात्रा

7892. **श्री शिबु सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम नई दिल्ली के मुख्यालय के पाइप लाइनों सम्बन्धी उन अधिकारियों की संख्या तथा विवरण क्या हैं जो दिसम्बर, 1983 में कलकत्ता यात्रा पर थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों की यात्राओं के प्रयोजनों का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या 16 दिसम्बर, 1983 को कलकत्ता में भारतीय तेल निगम के किसी अधिकारी के पुत्र का कोई विवाह-स्वागत समारोह था और क्या कलकत्ता की यात्रा पर गए अधिकारियों ने इस समारोह में भाग लिया;

(घ) कलकत्ता में इन अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का क्या ब्यौरा है; और

(ङ) क्या जब सभी उच्च अधिकारी एक साथ यात्रा पर जाते हैं तो क्या उससे भारतीय तेल निगम के कार्य को हानि नहीं पहुंचती तथा इसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन, नई दिल्ली के पाइपलाइन मुख्यालय के 5 अधिकारियों ने 16 दिसम्बर, 1983 को कलकत्ता की यात्रा की थी। वे इस प्रकार थे :

1. अतिरिक्त वित्तीय नियंत्रक
2. प्रायोजना प्रबन्धक
3. वरिष्ठ सामग्री प्रबन्धक
4. उप महा प्रबन्धक (कार्मिक)
5. वरिष्ठ अनुरक्षण प्रबन्धक

(ख) ऊपर बताये गये अधिकारियों से पहले तीन अधिकारियों, इंडियन आयल कारपोरेशन के असम तेल प्रभाग की दिग्बोई-तिनसुखिया पाइपलाइन के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित 15 और 16 दिसम्बर को होने वाली सावधिक प्रायोजना समीक्षा बैठकों में भाग लेने के लिए गये थे। उप महा प्रबन्धक (कार्मिक), रिफाइनरियों तथा पाइपलाइन प्रभाग के कामगारों के लिए वर्दी की मदों का चुनाव करने के लिए प्रबन्धकों द्वारा नामित की गई सीमित के सदस्य के रूप में वहां गये थे। न्यायालय में चल रहे एक मामले के सम्बन्ध में हल्दिया-मोरीग्राम राजबंध (एच० एम० आर० बी०) और विपणन प्रभाग से विचार-विमर्श करने तथा सूचना एकत्र करने के लिए वरिष्ठ अनुरक्षण प्रबन्धक द्वारा यात्रा की गयी थी।

(ग) 16 दिसम्बर 1983 को कलकत्ता में इंडियन आयल कारपोरेशन के एक अधिकारी द्वारा एक विवाह-स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था। हो सकता है कि यात्रा पर गये कुछ अधिकारियों द्वारा इस विवाह-स्वागत समारोह में भाग लिया गया हो।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) में बताये गये अनुसार।

(ङ) नई दिल्ली स्थित पाइपलाइन मुख्यालय में, 22 वरिष्ठ अधिकारियों सहित 120 से अधिक अधिकारी हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारी एक समय पर यात्रा पर नहीं जाते हैं।

र्मकारों की सुरक्षा के लिए श्रमिक कानूनों का संशोधन

7893. **श्री धर्मवीर सिन्हा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कर्मकारों के कल्याण के लिए वर्तमान श्रमिक कानून कर्मकारों को स्वास्थ्य खतरों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन कानूनों को दोष रहित बनाने तथा विरोधी नियोक्ताओं के लिए बाधक बनाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) तथा (ख) भवन और निर्माण उद्योग के कर्मकारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि अलग से एक व्यापक कानून बनाया जाए ताकि उनकी सेवा शर्तों, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा को विनियमित किया जा सके। आशा है कि इस बारे में एक विधेयक संसद में शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता

7894. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही विद्युत परियोजनाओं में तेजी लाने के लिये उड़ीसा सरकार ने कितनी सहायता के लिये अनुरोध किया है;

(ख) उन बिजली परियोजनाओं के काम को शीघ्र पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान उड़ीसा में कार्यान्वित की जाने वाली बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उड़ीसा की राज्य सरकार ने विद्युत सैक्टर के लिए छठी योजना आबंटन में वृद्धि करने के लिए कहा था। योजना आयोग द्वारा योजना आबंटन संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए तथा संबंधित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ख) निर्माणाधीन परियोजनाओं की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और विद्युत विभाग द्वारा लगातार मानीटरिंग की जाती है तथा परियोजनाओं तथा राज्य प्राधिकारियों को सभी सम्भव सहायता उपलब्ध कराई जाती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के इंजीनियर भी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं तथा विद्युत केन्द्रों/यूनिटों को शीघ्रता के साथ चालू करने की सुनिश्चितता के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सुझाव देते हैं। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा इन परियोजनाओं के लिए स्टील और सीमेन्ट आदि की प्राप्ति में आवश्यक सहायता के साथ-साथ डिजायन संबंधी परामर्श भी दिया जाता है।

(ग) सातवीं योजना अभी तैयार नहीं की गई है तथा योजना आयोग ने विद्युत कार्यक्रम को तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है।

कोरापुट में कम शक्ति का टी० वी० रिले टावर स्थापित करना

7895. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कोरापुट में कम शक्ति का टी० वी० रिले टावर स्थापित करने के लिए स्थान का चयन कर लिया गया और निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति कब दी गई थी, इसके लिये कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) निर्धारित तारीख तक स्थापना कार्य पूरा कर लेने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) कोरापुट में अल्पशक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के लिए एक बना बनाया भवन किराये पर ले लिया गया है ।

(ख) कोरापुट में अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना को सरकार द्वारा जुलाई, 1983 में मंजूर किया गया था तथा संस्थापन कार्य और प्रासंगिक व्यय के लिए 1.75 लाख रुपए की राशि सितम्बर, 1983 को मंजूर की गई थी । ट्रांसमीटर तथा अन्य उपकरण 1984-85 के दौरान उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) कोरापुट केन्द्र के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है ।

आदिवासी जिलों में रेडियो स्टेशन तथा कम शक्ति वाले ट्रांजिस्टर टी० वी० टावर की स्थापना

7896. **श्री गिरिधर गोमागो :**
श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए रेडियो तथा टी० वी० संचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके मन्त्रालय के जन संचार कार्यक्रमों के अन्तर्गत विद्यमान तथा नये रेडियो स्टेशनों तथा टी० वी० ट्रांसमिशन टावरों द्वारा अब तक कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है; और

(घ) राज्यवार उन आदिवासी जिलों के नाम क्या हैं जिनमें वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान नए रेडियो स्टेशन तथा कम शक्ति वाले ट्रांसमिशन टी० वी० टावर स्थापित करने के लिए चुना गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) से (घ) माननीय सदस्य स्पष्टता 70% जनसंख्या को कवर करने के लिए दूरदर्बन के विस्तार की विशेष योजना का उल्लेख कर रहे हैं। अनुमोदित छठी योजना में 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान उच्च शक्ति (10 कि० वाट) वाले 26 तथा अल्प शक्ति (100 वाट) वाले 118 दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन ट्रांसमीटरों का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

उम्मीद है कि ये ट्रांसमीटर 128 जिलों में से 90 आदिवासी जिलों को कवर करेंगे।

जहां तक रेडियो का संबंध है, कवरेज 119 जिलों को उपलब्ध है। उसे निम्नलिखित प्राथमिकता आधार पर हाथ में ले करके 122 जिलों तक बढ़ाने का प्रस्ताव है:

(क) मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाकर 100 किलोवाट/250 किलोवाट/300 किलोवाट करना।

(ख) नये रेडियो स्टेशनों की स्थापना करना। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

दूरदर्शन

1984-85 के दौरान स्थापित किए जाने वाले ट्रांसमीटरों की सूची

क्रम संख्या	राज्य	विशेष योजना के अन्तर्गत 10 किलो वाट के ट्रांसमीटर	अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटर
1	2	3	4
1.	असम	(1) गोहाटी	(1) डिब्रूगढ़
			(2) सेजपुर
2.	आंध्र प्रदेश	(2) विजयवाड़ा (अन्तरिम ढांचा चालू हो चुका है)	
		(3) विशाखापतम	(3) वारांगल
			(4) राजामुन्द्री
			(5) बेल्लोर
			(6) निजामाबाद

1	2	3	4
			(7) कुर्नूल
			(8) अनन्तपुर
			(9) तिरुपति
			(10) अडोनी
			(11) कुड्डपा
			(12) महबूब नगर
3.	बिहार	(4) रांची	(13) करीमनगर
		(5) पटना	(14) धनबाद
			(15) जमशेदपुर
			(16) गया
			(17) भागलपुर
			(18) दरभंगा
			(19) मुंगेर
			(20) पुर्णिया
			(21) बेतिया
4.	गुजरात	(6) अहमदाबाद (अन्तरित ढांचा चालू हो चुका है)	(22) सूरत
		(7) राजकोट	(23) बदोदरा
		(8) द्वारका	(24) भावनगर
			(25) नवातरी
			(26) भरूच
			(27) पाटन
5.	हरियाणा		(28) हिसार
6.	हिमाचल प्रदेश	(9) करौली	(29) भिवानी
7.	जम्मू व कश्मीर	(10) जम्मू	(30) कुलु
		(11) पुंछ	(31) लेह
8.	कर्नाटक	—	(32) कारगिल
			(33) धारवाड़
			(34) मैसूर
			(35) मंगलौर
			(36) बेलगांव
			(37) बेल्लेर

1	2	3	4
			(38) देवनगेरे
			(39) भद्रावती
			(40) बीजापुर
			(41) रायचूर
			(42) गडग वेतगरी
			(43) होस्पेट
9.	केरल	(12) त्रिवेन्द्रम	(44) कालीकट
		(13) कोचीन	(45) कन्नानौर
			(46) पालघाट
10.	मध्य प्रदेश	(14) भोपाल	(47) जबलपुर
		(15) इंदौर	(48) ग्वालियर (चालू हो चुका है)
			(49) रतलाम
			(50) सागर
			(51) बुरहपुर
			(52) रीवा
			(53) मुरवाड़ा
			(54) बिलासपुर
			(55) कोरबा
			(56) सिंगरौली
11.	महाराष्ट्र	—	(57) शोलापुर
			(58) नासिक
			(59) कोल्हापुर
			(60) औरंगाबाद
			(61) सांगली
			(62) अमरावती
			(63) मालगांव
			(64) अकोला
			(65) धुले
			(66) नांवेड
			(67) अहमदनगर
			(68) जलगांव
			(69) जालना
			(70) भूहावल

1	2	3	4
			(71) चन्द्रपुर
			(72) लाडुर
			(73) परभनी
			(74) गोडिया
12.	मणीपुर	—	(75) लोकताक
13.	मेघालय	—	(76) तुरा
14.	नागालैंड	—	—
15.	उड़ीसा	(16) कटक)	(77) राउरकेला
			(78) बहमपुर
			(79) कोरापुट
16.	पंजाब	(17) भटिंडा	(80) पठानकोट
17.	राजस्थान		(81) जोधपुर
			(82) अजमेर
			(83) कोटा
			(84) बीकानेर
			(85) उदयपुर
			(86) अलवर
			(87) गंगानगर
			(88) भीलवाड़ा
			(89) खेतरी
			(90) जैसलमेर
			(91) बाडमेर
18.	सिक्किम	—	
19.	तमिलनाडु	(18) कोडैकनाल	(92) तिरुचिरापल्ली
			(93) सलेम
			(94) बेल्लोर
			(95) कुम्बकोनम
			(96) कोयम्बतूर
			(97) नेवेली
20.	त्रिपुरा	(19) अगरतला	—
21.	उत्तर प्रदेश	(20) वाराणसी	(98) बरेली
		(21) गोरखपुर	(99) मुरादाबाद
		(22) इलाहाबाद	(100) अलीगढ़

1	2	3	4
		(अन्तरिम ढांचा चालू हो चुका है)	(101) झांसी
		(23) आगरा	(102) सुल्तानपुर
			(103) रायबरेली
			(104) फैजाबाद
			(105) इटावा
			(106) बहराइच
			(107) शाहजहांपुर
			(108) रामपुर
			(109) पौड़ी
			(110) फरुखाबाद
			(111) संभल
22.	पश्चिम बंगाल	(24) आसनसोल (अन्तरिम ढांचा चालू हो चुका है)	(112) नैनीताल
		(25) मुर्शिदाबाद	(113) खड़गपुर
			(114) वर्धमान
		(26) कुर्सियांग	(115) सिलीगुडी
			(116) बालुरघाट
			(117) शांतिनिकेतन
संघ शासित क्षेत्र			
1.	पांडिचेरी	—	(118) पांडीचेरी
		कुल 26	118

विवरण-2

(क) आदिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त कवरेज उपलब्ध करने वाली 1983-84 में मूकमल हुई परियोजनाएं

मेघालय

(1) शिलांग—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति वे किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट मीडियम वेव करना ।

(ख)शादिवासी क्षेत्रों में अतिरिक्त कवरेज उपलब्ध करने वाली परियोजनाएं 1984-85 के दौरान तैयार हो जाने की उम्मीद है।

1. अरुणाचल प्रदेश

(1) इटानगर—अन्तरिम ढांचे के साथ 100 किलोवाट का रेडियो स्टेशन।

2. असम

(1) डिब्रूगढ़—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 100 किलोवाट से बढ़ाकर 200 किलोवाट करना।

(2) गोहाटी—मौजूदा क्षेत्रीय शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 50 किलोवाट करना।

3. आंध्र प्रदेश

(ट) आदिलाबाद—1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो तथा स्टाफ क्वार्टरों के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन।

4. बिहार

(1) रांची—मौजूदा मीडियम वेव ट्रांसमीटर की शक्ति 10 किलोवाट से बढ़ाकर 100 किलोवाट करना।

5. मेघालय

(1) शिलांग –संग्रहण केन्द्र और स्टाफ क्वार्टर।

(2) शिलांग—उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए नई स्वीकृति सेवा के लिए स्टूडियो सुविधाओं के साथ 50 किलोवाट शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना।

(3) तुरा—20 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर, स्टूडियो संग्रहण सुविधाओं तथा स्टाफ क्वार्टरों के साथ नया रेडियो स्टेशन।

6. उड़ीसा

(1) किओझर—1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर स्टूडियो और स्टाफ क्वार्टरों के साथ स्थानीय रेडियो स्टेशन।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों का खोला जाना

7897. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने, छठी पंचवर्षीय योजना की वार्षिक योजनाओं के दौरान, वर्ष-वार उड़ीसा सर्कल के कोरापुट जिले में दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए हैं;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए ऐसे कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है और जहां यह काम 31 मार्च, 1984 से पहले पूरा हो गया हैं;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान इस सर्किल द्वारा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र तथा संयुक्त कार्यालय खोलने के लिए कौन-कौन से स्थानों का चयन किया गया है; और

(घ) वित्तीय वर्षों के दौरान वर्ष-चार सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और संयुक्त कार्यालय खोलने के लिए क्या तरजीह और धनराशि प्रदान की गई है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कोरापुट जिले में उदारीकृत नीति के अन्तर्गत खोले गए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर संयुक्त तार घर निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन	संयुक्त तार घर
1980-81	5	4
1981-82	6	6
1982-83	14	11

(ख) 1983-84 के दौरान कोरापुट जिले में पांच स्थानों अर्थात् (एक) मैंदलपुर (दो) गिरला (तीन) सीमापाली (चार) चांडीली (पांच) भेजाहांडी में लंबी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने के लिए चुना गया था और कार्य पूरा भी हो चुका है।

(ग) 1984-85 के दौरान कोरापुट जिले के झालियागुड़ा, डिगीसोलपा, देवघाटी, बटियाली, बोरीगी, सुनापालमुंडा, टीकणपाड़ा, सोरिसापाड़ा, नौगांव और नेहरूपल्ली स्थानों को पी० सी० ओ०/संयुक्त तारघर खोलने के लिए अस्थाई तौर पर चुना गया है।

(घ) वर्तमान उदारीकृत नीति के अनुसार लम्बी दूरी के पी० सी० ओ०/संयुक्त तारघर प्राथमिकता के आधार पर खोले जाते हैं। सम्बन्धित दूरसंचार सर्किलों को एकमुश्त अनुदान दे दिया जाता है जिसमें इन कार्यों के लिए भी निधि शामिल है।

सुरजीत सिंह लाभार्थ हाकी मैच के प्रसारण का प्रायोजक

7898. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरजीत सिंह लाभार्थ हाकी मैच के प्रसारण का कोई प्रयोजक था;

(ख) दूरदर्शन के विपणन अथवा बिक्री विभाग द्वारा इस प्रसारण के विज्ञापनों की बिक्री के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) दूरदर्शन पर विज्ञापन द्वारा बिक्री से राजस्व में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्यमन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सुरजीत सिंह लाभार्थ हाकी मैच का जीवंत टेलीकास्ट करने का निर्णय बहुत देर से लिया गया था तथा इस टेलीकास्ट की प्रायोजकता की व्यवस्था करना सम्भव नहीं था।

(ग) दूरदर्शन अधिक विज्ञापन तथा प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करके अपना राजस्व बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा है। दूरदर्शन की कुल प्राप्तियां 1982-83 में 15.89 करोड़ रुपए से बढ़कर 1983-84 में 19.79 करोड़ रुपए (लगभग) हो गई।

दूरदर्शन पर प्रायोजित कार्यक्रम

7899. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली दूरदर्शन पर कितने प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण सम्भव है;

(ख) कलकत्ता, मद्रास, बम्बई और दिल्ली से निजी रूप से तैयार किए गए कितने प्रायोजित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है; और

(ग) सरकार अधिक बिक्री प्रयासों द्वारा आय में वृद्धि क्यों नहीं कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : प्रायोजकता दूरदर्शन के सभी केन्द्रों पर, समाचार और सामयिक मामलों के कार्यक्रमों को छोड़कर दूरदर्शन के अन्य अभी कार्यक्रमों के लिए स्वीकार्य है।

(ख)

कलकत्ता	—	1
मद्रास	—	1
बम्बई	—	2
दिल्ली	—	3

(ग) दूरदर्शन अधिक विज्ञापन तथा प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत करके वाणिज्यिक राजस्व बढ़ाने के लिए पूरा कर रहा है। दूर्शदर्शन की कुल वाणिज्यिक प्राप्तियां 1982-83 में 15.89 करोड़ रुपए से बढ़कर 1983-84 में 1979 करोड़ रुपए (लगभग) हो गई।

सरकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्र

7900. **श्री चिन्तामणि जेना :**

श्री प्रताप भानु शर्मा:

क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में निर्माणाधीन उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और उनके पूर्ण होने का निर्धारित समय क्या था;

(ख) क्या यह सच है कि इन संयंत्रों के निर्माण और पूर्ण होने में विलम्ब हुआ है और यदि हां, तो कितना विलम्ब हुआ है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि विलम्ब के कारण आंकलित लागत में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो प्रत्येक मामले में कितनी वृद्धि हुई है, और

(घ) अब इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की आशा है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र में दो नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक संयन्त्र थाल-वैशट और नामरण (विस्तार) तथा एक फास्फेटिक उर्वरक संयन्त्र पारादीप में इस समय निर्माणाधीन है। परियोजना समय-सूची, प्रत्याशित विलम्ब, मूल तथा संशोधित लागत अनुमान तथा विलम्ब के कारण वृद्धि, जहां कहीं लागू हो, विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

परियोजना की समय-सूची, प्रत्याशित बिलम्ब, मूल तथा संशोधित लागत अनुमान तथा जहां कहीं लागू हो विलम्ब के कारण हुई वृद्धि से सम्बन्धित ब्यौरे :

परियोजना का स्थन	पूर्ण होने की मूल समय सूची के ब्यौरे	पूर्ण होने की निर्धारित समय अवधि	पूर्ण होने की प्रत्याशित समय सूची	पूर्ण होने की सम्भावित अवधि	मूल लागत अनुमान	संशोधित लागत अनुमान
1. थाल वैशट	दिसम्बर, 1984	47 माह	अप्रैल, 1985	51 माह	511.34 करोड़ रुपये	919 करोड़ रुपये
2. नामरूप (विस्तार)	नवम्बर, 1983	48 माह	मई, 1985	64 माह	168.43 करोड़ रुपये	238.74 करोड़ रुपये
3. पारादीप	1.3.86 (फेज-1, जिसमें डी०ए०पी० संयन्त्र शामिल है)	38 माह	1-3-86	38 माह	183.64 करोड़ रुपये	384.57 करोड़ रुपये

थाल उर्वरक परियोजना के पूर्ण होने में सम्भावित विलम्ब के लिए मुख्य कारणों में इन्जीनियरिंग दस्तावेजों को पूर्ण करने में विलम्ब तथा कुछ महत्वपूर्ण उपस्करों की आपूर्ति में विलम्ब शामिल हैं। नामरूप (विस्तार) योजना के लिए, केपटिव पावर एकक स्थापित करने के लिए असम सरकार द्वारा स्वीकृति देने में विलम्ब तथा असम में विद्यमान स्थिति के कारण सिविल कार्यों को पूर्ण करने की धीमी प्रगति परियोजना को पूर्ण करने के विलम्ब के मुख्य कारणों में से है। पारादीप उर्वरक परियोजना का कार्यान्वयन समय-सूची के अनुसार हो रहा है।

मूल तथा संशोधित लागत अनुमानों के बीच का अन्तर लागत में उस वृद्धि को दर्शाता है। जो मूल अनुमान लगाने की अवधि परियोजना की जीरों तारीख में परिवर्तन, परियोजना के कार्य क्षेत्र में परिवर्तन, नयी मदों तथा 9.8 करोड़ रुपए की वृद्धि जो थाल परियोजना के विलम्ब के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रभार तथा नामरेप-III परियोजना में विलम्ब के कारण स्थापना लागत और अतिरिक्त वित्तीय प्रभार के लिए 10.46 करोड़ रुपए के रूप में परिलब्धित होता है।

वीडियो कैसेटों के प्रदर्शन हेतु सेंसर प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदन पत्र

7901. **डा० बसंत कुमार पंडित :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय में वीडियो कैसेटों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु सेंसर प्रमाणपत्र अनिवार्य करने के लिए 1 मार्च, 1984 से लागू एक एक अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1984 तक बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, भोपाल, बंगलौर और अहमदाबाद में वीडियो लाइब्रेरी अथवा व्यक्तियों से इस प्रकार की अनुमति के लिए कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए;

(ग) क्या "वीडियो लाइब्रेरी ओनर्स एसोसिएशन" ने इस अधिसूचना में कुछ खामियों और कानूनी कमियों की ओर ध्यान दिलाया है;

(घ) इस मामले और सम्बद्ध मामलों पर निर्माताओं, वितरकों और प्रदर्शकों के "आल इण्डिया ऐंटी पाइरेसी आर्गेनाइजेशन" के सुझाव क्या हैं; और

(ङ) वीडियो चोरी को रोकने और वीडियो फिल्मों के प्राधिकृत प्रदर्शन को नियमित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने की योजना बनाई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) चलचित्र प्रमाणन नियम, 1983 में संशोधन करने वाली 24-2-84 को जारी की गई अधिसूचना, जो 1-3-84 से प्रवृत्त हुई थी, के अनुसार, वीडियो फिल्मों को केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा अलग से प्रमाणीकृत किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए वीडियो फिल्मों के लिए अलग आवेदन पत्र फार्म तथा प्रमाण पत्र फार्म निर्धारित किए गए हैं।

(ख) 31-3-84 के दिन की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय फिल्म प्रशासन बोर्ड के बम्बई

प्रादेशिक कार्यालय को वीडियो फिल्मों के प्रमाणन के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। बोर्ड के अन्य प्रादेशिक कार्यालयों को वीडियो फिल्मों के बारे में कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) वीडियो लाइब्रेरी एसोसिएशनों तथा अन्यों ने बोर्ड/सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। इस बीच, बंगलौर/हैदराबाद/बम्बई के उच्च न्यायालयों में अनेक रिट याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें संशोधित नियमों की वैधता को चुनौती दी गई है। इस प्रकार मामला न्याय निर्णयाधीन है।

(घ) और (ङ) वीडियो पाइरेसी पर नियंत्रण करने के लिए फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों से सुझाव प्राप्त हुए थे। ये मुख्यतः कापीराइट अधिनियम तथा चलचित्र अधिनियम/नियमों में संशोधन से सम्बन्धित थे। सरकार ने 7-7-83 को एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें यह बताया गया था कि अधिनियम में गए "सिनेमेटोग्राफ" के साथ पठित "फिल्म" के अर्थ के अन्दर वीडियो टेपों पर फिल्प को कवर करने के लिए चलचित्र अधिनियम, 1952 के मौजूदा उपबन्ध पर्याप्त हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया हे, चलचित्र (प्रमाणन) नियम, 1983 में पहले ही संशोधन कर दिया गया है। जबकि कापीराइट अधिनियम में संशोधन करने की कार्रवाई शिक्षा मन्त्रालय द्वारा की जा रही है, चलचित्र अधिनियम, 1952 में संशोधन करने की कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। तथापि, चलचित्र अधिनियम, 1952 के दांडिक उपबन्धों को प्रवृत्त करना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों का काम है।

दूरदर्शन द्वारा रामायण, महाभारत आदि जैसे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषयों पर कार्यक्रम तैयार करना

7902. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने 1984-85 और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय जीवन, संस्कृति और शिक्षा आदि के विभिन्न पहलुओं के व्यापक प्रसार की योजना बनाई है;

(ख) क्या दूरदर्शन ने चालू और आने वाले वर्षों में रामायण महाभारत, बौद्ध और महाबीर जैसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक विषयों पर कार्यक्रम तैयार करने की योजना बनाई है;

(ग) क्या यह सच है कि एक ख्याति प्राप्त उत्पादक ने रामायण महाकाव्य को दस भागों में प्रस्तुत करने का एक प्रस्ताव किया है;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) क्या दूरदर्शन संस्कृति, इतिहास, पारिस्थितिकी, की और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपेक्षा केवल राजनीति पर जोर देता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) दूरदर्शन के कार्यक्रमों को भारतीय जीवन और

संस्कृति का चित्रण करने तथा जनता को शिक्षित करने के लिए तैयार किया जाता है। यह एक संतत प्रक्रिया है। दूरदर्शन द्वारा विशेष अवसरों के अनुरूप कार्यक्रमों को भी अवसर के महत्व को ध्यान में रखते हुए टेलीकास्ट किया जाता है।

(ग) और (घ) एक बाहरी प्रोड्यूसर से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। तथापि, अन्तर्निहित बहुत भारी लागत के कारण उनको स्वीकार नहीं किया जा सका। दूरदर्शन दशहरा और दिवाली समारोहों के दौरान रामायण पर कार्यक्रम नियमित रूप से प्रस्तुत करता है।

(ङ) जी नहीं। दूरदर्शन का संस्कृति, इतिहास, पारिस्थि की आदि पर कार्यक्रमों सहित ऐसे कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने का प्रयास रहता है। जो इसके दर्शकों की रुचि के हों।

बम्बई तट दूर परियोजनाओं के नियोजित विकास कार्यक्रम के लिए दो परियोजनाएं

7903. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1979 में बम्बई तट दूर परियोजनाओं के नियोजित विकास कार्यक्रम हेतु दो परियोजनाएं शुरू की थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त परियोजनाओं के ठेके अमेरिका की फर्म ओक्लेनिक कान्ट्रेक्ट्स इंक को दिए गए थे;

(ग) इन परियोजनाओं के हर तरह पूरा होने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) लक्षित तिथियों तक इसके पूरा करने में होने वाले विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु अमेरिकी फर्म को "सेमी-सबमर्जिबल बार्ज, डी० बी० 51, का 13.68 करोड़ रुपए का दूसरा ठेका दिया था;

(च) क्या यह सच है कि "सेमी-सममार्जिबल बार्ज" बहुत देर में पहुंचा और यह आवश्यक पाया गया जिसके कारण 13.68 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा जबकि नए बार्ज का प्रयोग किए बिना ही परियोजनाएं पूरी हो गई थीं; और

(छ) यदि हां, तो क्या उपरोक्त ठेकों से भारतीय तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को हुए घाटे और राष्ट्रीय क्षति के बारे में उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां। ये परियोजनाएं इस प्रकार हैं—

(i) सम्बद्ध पाइपलाइन कार्य सहित बम्बई बम्बई हाई उत्तरी संसाधन प्लेटफार्म का निर्माण और प्रतिष्ठापन, तथा

(ii) सम्बद्ध पाइपलाइन कार्य सहित एस० ए० और एस० बी० प्लेटफार्म।

(ख) जी, हां।

(ग) लक्षित तिथियां इस प्रकार थीं—

(i) बम्बई हाई उत्तरी—30 अप्रैल, 1980

(ii) एस० ए०/एस०बी० प्लेटफार्म—10 अप्रैल, 1980

(घ) अनेक कारणों जैसे बी० एच० एन० स्थल पर मिट्टी के आंकड़ों में परिवर्तन, कार्य को पूरा करते समय ठेकेदार द्वारा की गई भूलें, एयर इंडिया में हड़ताल और बम्बई में सीमा-शुल्क स्टाफ द्वारा की गई हड़ताल के कारण परियोजना में लगाये जाने के लिए हवाई जहाज से आने वाली सामग्री के ठेकेदार द्वारा विलम्ब से प्राप्त करने के कारण से परियोजनाओं में विलम्ब हुआ था।

(ङ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए एक परिवर्तन आर्डर के रूप में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक सेमी-सबमर्सिबल बार्ज नरवाल (डी० बी० 51) को लगाये जाने के लिए सहमति प्रदान की गई थी। बी० एच० एन० और एस० ए० दोनों परियोजनाओं के लिए कुल 17.15 अमरीकी डालर का मुआवजा तय हुआ था।

(च) और (छ) जी, नहीं। नरवाल बार्ज के पहुंचने में यद्यपि कुछ विलम्ब हुआ था परन्तु उसका उपयोग उन दोनों परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1980 के मानसून के मौसम के दौरान किया गया था।

पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल का मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई पर प्रभाव

7905. **श्री नवीन रावणी** :
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल के कारण विभिन्न पत्तनों पर अनेक टैंकर खड़े हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों को मिट्टी के तेल और असम पेट्रोलियम उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(घ) उन राज्यों की दिन प्रतिदिन की मांग को पूरा करने के लिए इन आवश्यक मदों की सप्लाई को विनियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) सभी पत्तनों पर पी० ओ० एल० टैंकरों को घाट लगाने/घाट से हटाने का कार्य सम्बद्ध पत्तन खास अधिकारियों की व्यापक देख-रेख के अधीन नौसेना की सहायता से किया गया था।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किए जाने से 10 अप्रैल, 1984 को विभिन्न पत्तनों पर खड़े टैंकरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं। पी० ओ० एल० उत्पादों की उपलब्धता की स्थिति काफी सन्तोषजनक है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) टैंकरों के आने-जाने और वैकल्पिक स्रोतों से सप्लाई को बनाए रखने से पर्याप्त भण्डार बनाए रखा गया था।

विवरण

10-4-1984 को पत्तन-वार/पोत-वार स्थिति

क्रम सं०	पत्तन	पहले से ही प्रतीक्षा कर रहे टैंकरों की संख्या
1	2	3
1.	मद्रास	1. 30 मार्च से 86000 मी० टन अरब नाइट क्रूड सहित बी० आर० अम्बेडकर। ये टैंकर केवल 12 तारीख को घाट लगाएगा क्योंकि इस समय रिफाइनरियों में माल की कोई कमी नहीं है।
		2. बाहरी लंगरगाह पर 20000 मी० टन एस० के० ओ० के साथ अरबिन्दो।
2.	बम्बई	1. 15000 मी० टन ए० टी० एफ० 5000 मी० टन एविएशन गैस-ब्रिटिश केनेट
		2. डी० बी० नौरोजी गोवा के लिए 2000 मी० टन एल० डी० ओ० का लदान करेगा
		3. आर० ए० किदवई (खाली) बी० एच० क्रूड का लदान करने के लिए
		4. जग प्रकाश कोचीन के लिए 5000 मी० टन एल० ए० एन० तथा जगलीला से शेष एच० एस० डी० का लदान करने के लिए
		5. कोलन्दिया टूटिकोरिन के लिए एफ० ओ० का लदान करने के लिए
		6. 7 तारीख को 14-58 बजे, स्नेहकों को उतारने के लिए, जगज्योति पहुंचा
		7. 8 तारीख को 12-18 बजे स्नेहकों को उतारने के लिए पहुंचा

1	2	3
	3. विशाख	16000 मी० टन एस० के० ओ० के साथ जग प्रिय
	4. हल्दिया	1. 13000 मी० टन एच० एस० डी० 7000 मी० टन एस० के० के साथ ब्राती स्लावा
		2. 28000 मी० टन एस० के० ओ० के साथ सी० वाई० एस० नाइट
		3. स्नेहकों के लदान के लिए प्रेम दूत
		4. 15000 मी० टन एच० एस० डी० के साथ जे०एन० व्यास
		5 13000 मी० टन एच० एस० डी० के साथ एस० नायडू
		6. 33000 मी० टन क्रूड के साथ विवेकानन्द
		7. 3000 मी० टन आयातित क्रूड के साथ एल० एम० तिलक
	5 बांडीनार	1. 4 तारीख को 117000 मी० टन कुवैत क्रूड के साथ एम० कारवे पहुंचा
		2. 4 तारीख को 87000 मी० टन कुवैत क्रूड के साथ वाला थौल पहुंचा
		3. 3 तारीख को 85000 मी० टन अरब मिक्स के साथ बरौनी पहुंचा।

दूरदर्शन पर विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए पृथक पैनल

7906. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र में विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों आदि के लिए लगभग कितना समय आबंटित किया गया और वर्ष 1983-84 के दौरान मासिक कार्यक्रमों के लिए शुल्क के रूप में कितनी राशि प्राप्त की गई; और

(ख) क्या निकट भविष्य में दूरदर्शन केन्द्र में विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए एक पृथक चैनल खोले जाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) (क) : सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ख) विज्ञापनों और प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अलग चैनल शुरू करने की कोई स्वीकृत परियोजना नहीं है।

भारत के स्वतन्त्रता संग्राम पर फिल्म का निर्माण

7907. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री मोती भाई आर० चौधरी :
श्री भीम सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर कुछ नई फिल्में बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन फिल्मों पर 200 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च किए जाने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन फिल्मों के सितम्बर-अक्तूबर, 1984 तक पूरे होने और टी० वी० तथा सिनेमा हालों पर दिखाए जाने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस विषय पर पहले ही से अनेक फिल्म हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उसी विषय पर नई फिल्में बनाए जाने का औचित्य क्या है और पुरानी तथा नई फिल्मों में क्या अन्तर है और इन नई फिल्मों के निर्माण के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) फिल्मों के दिखाने के कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। इस शृंखला की कुछ फिल्में चालू वर्ष के दौरान भी दिखाई जा सकती हैं।

(घ) भूतकाल में भी फिल्म प्रभाग ने स्वतंत्रता सेनानियों तथा स्वतंत्रता संग्राम पर कुछ डाकुमेंट्री फिल्में बनाई थीं।

(ङ) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर डाकुमेंट्री फिल्मों का निर्माण करना फिल्म प्रभाग के सामान्य कार्यों का अंग है और समय-समय पर विभिन्न विषयों का चयन किया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर फिल्म के निर्माण का कार्य तद्नुसार हाथ में लिया गया है। ये मुख्यतया हमारे लोगों को इतिहास की भावना से अवगत कराने तथा उससे राष्ट्रीय एकीकरण की शक्ति सुदृढ़ करने के लिए हैं।

गुजरात में कच्चे तेल के अवैध शोध कारखाने का भंडाफोड़

7908. **श्री राम विलास पासवान :**
श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 23 मार्च, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि गुजरात में कच्चे तेल के एक अवैध शोध कारखानों का भंडाफोड़ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस बीच इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामले की अभी भी गुजरात सरकार द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है।

चालू वित्तीय वर्ष में कोयले का उत्पादन

7909. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री मोती भाई आर० चौधरी :
श्री भीम सिंह :

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में कोयले का उत्पादन मांग से कम रहने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपभोक्ताओं के लिए कितने प्रतिशत कोकिंग कोल और स्टीम कोल मांग से कम होने की सम्भावना है; और

(घ) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार का विचार क्या नए उपाय करने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) जी, नहीं। बल्कि नवम्बर, 1983 से खान-मुहाना स्टाक में काफी वृद्धि हुई है है और मार्च, 1984 के अंत में यह वृद्धि बहुत अधिक अर्थात् लगभग 22 मिलियन टन हो गई। इसका मुख्य कारण यह है कि उपभोक्ता क्षेत्रों की मांग उतनी नहीं रही जितनी वर्ष 1983-84 के लिए पहले समझी गई थी और उत्पादन कुल मिलाकर वास्तविक मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त था। वर्ष 1983-84 के दौरन कोल इंडिया लि० द्वारा कोककर कोयले और भाप कोयले की सप्लाई अनुमानित मांग की तुलना में क्रमशः 77.2% और 88.9% तक रही है। परन्तु छुटपुट हड़तालों के कारण सिंगरेनी कोलियरीज कं० में उत्पादन, सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० से संयुजित सभी उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है। इन उपभोक्ताओं की मांग पूरी करने के लिए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० में काफी कोयला उपलब्ध है। परन्तु, बलारशाह के रास्ते दक्षिण में कोयला ढोने में रेलवे की कुछ सीमाएं हैं। उपभोक्ताओं को वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से सड़क के रास्ते कोयला ले जाने के लिए कहा गया है ताकि उनकी कमी पूरी हो सके।

कोयले का वितरण

7910. **श्री जैनुल बशर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोयले के वितरण के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जैसा कि पैट्रोलियम पदार्थों के वितरण के मामले में की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोयले का वितरण पूर्वतः पैट्रोलियम पदार्थों के वितरण के लिए अपनाई गई पद्धति पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोयले का प्रेषण रेलवे द्वारा किया जाता है।

फिर भी, उपभोक्ताओं को, विशेषतः छोटे उपभोक्ताओं को, कोयले की उपलब्धि में सुधार करने की दृष्टि से कोल इंडिया लि० ने देश के विभिन्न भागों में बड़े उपभोक्ता केन्द्रों पर कोयला स्टाकयार्ड खोले हैं। इन स्टाकयार्डों से नियमित उपभोक्ताओं को कोयले का वितरण उपलब्धि को ध्यान में रखकर अग्रता के आधार पर किया जाता है।

राजस्थान के रेगिस्तानी जिला में डाक और दूरसंचार प्रणाली का विस्तार

7911. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना अवधि के दौरान रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्याप्त डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा इस प्रणाली पर कोई जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान अब तक राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में डाक और दूरसंचार प्रणाली का क्या विस्तार किया है; और

(ग) उक्त योजना अवधि में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के रेगिस्तानी जिलों में दी गई डाक दूरदर्शन सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच बिजली के बंटवारे के बारे में अन्तर्राज्यीय विवाद

7912. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) पन बिजली परियोजनाओं अर्थात् नाथपा, झाकरी, बैरा सियूल, कोल, आनंदपुर, साहिब, थीन, मुकरियन, शाहपुर, कमंडी, पू० वी० डी० सी० चरन,दो और चामेरा के बारे में पंजाब और हिमाचल प्रदेश के हाथ राजस्थान के हिस्से ने सम्बन्ध अन्तर्राज्यीय विवाद क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार राजस्थान के हितों की रक्षा करने के लिए उचित बयान देगी; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब की सरकारों ने भी परियोजनाओं नामशः थीन बांध, आनन्दपुर, साहिब जल विद्युत परियोजना, अपर बारी दोआबनहर चरण-2 तथा शाहपुर कन्डी के सम्बन्ध में अपने दावों के बारे में ज्ञापन दिया है। विचार-विमर्श चल रहा है और मामले का समाधान यथा समय हो जाना चाहिए।

बैरा-स्यूल जल विद्युत परियोजनाओं में राजस्थान का कोई हिस्सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कोल बांध, नाथपा, झाकरी तथा चमेरा जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में भी कोई अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद नहीं है।

राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्वेषण कार्य

7913. **श्री मूल चन्द डागा** :
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के जैसलमेर जिले में अन्वेषण कार्य कब से प्रगति पर है और अब तक उस पर कितना व्यय हुआ है और इस समय वहां कितने लोग काम कर रहे हैं;

(ख) क्या जैसलमेर में तेल तथा अन्य खनिजों के पाए जाने की सम्भावना है;

(ग) यदि हां, तो हाल में ही मिली गैस का किसी भी प्रकार से उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो किस प्रकार; और

(घ) क्या सरकार का पेट्रोलियम के बड़े भंडारों के पाए जाने की सम्भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाड़मेर-जैसलमेर के निकट गोमरू में सरकारी क्षेत्र में कोई पेट्रोकैमिकल उद्योग लगाए जाने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान में जिला जैसलमेर में 1956 में खोज का काम शुरू किया था और इस समय वहां 323 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा राजस्थान में तेल की खोज पर अभी तक लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं।

आयल इण्डिया लि० ने राजस्थान के लिए जोधपुर में 16 कर्मचारियों के एक छोटे से परियोजना कार्यालय की स्थापना की है, आयल इण्डिया लि० द्वारा अगस्त, 1984 तक भूकम्पीय सर्वेक्षण किए जाने की सम्भावना है। इस परियोजना पर प्रारम्भिक खर्चों के रूप में अभी तक लगभग 15 लाख रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) उपलब्ध भूगर्भीय सूचना के आधार पर, यह क्षेत्र हाईड्रोकार्बनों की खोज के लिए सम्भावना वाला क्षेत्र समझा गया है।

(ग) इस क्षेत्र में तेल कब तक मिल पाएगा, इसके बारे में बताना कठिन है। मनहेरा तिब्बा में उपलब्ध गैस को राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को बिजली पैदा करने के लिए उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग घोटारू में उपलब्ध गैस के सम्भावित वैकल्पिक प्रयोगों का पता लगा रहा है।

(घ) इस समय, घोटारू में, सरकारी क्षेत्र में पेट्रोरसायन उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बम्बई हाई-गैस को उर्वरक संयंत्रों तक ले जाने के लिए पाइपलाइन परियोजना

7914. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई-गैस को गैस पर आधारित संयंत्रों और देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित संयंत्रों तक ले जाने के लिए पाइपलाइन परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) पाइपलाइन कब तक पूरी हो जाने की आशा है; और

(ग) क्या इस कार्य में भारतीय और विदेशी कंपनियों को शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) पाइपलाइन परियोजना पश्चिमी अपतटीय गैस को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले विभिन्न उर्वरक संयंत्रों तक ले जायेंगी। समुद्र के अन्दर एक अपतटीय पाइपलाइन और एक तटवर्ती पाइपलाइन भी होगी।

(ख) और (ग) अपतटीय पाइपलाइन और हजिरा तक तटीय खण्ड के 1984-85 में पूरे किए जाने का कार्यक्रम है। गुजरात में हजिरा से शुरू होने वाली पाइपलाइन परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक लगभग 63 महीनों में पूरी की जाएगी।

इस परियोजना में भारतीय और विदेशी कंपनियों द्वारा भाग लेने की सम्भावना है।

आकाशवाणी में प्रोडक्शन कॉडर के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

7915. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में नियमित प्रोग्राम अधिकारियों के लिए जिस प्रकार के नियम मौजूद हैं; कुशल प्रोड्यूसरों की पदोन्नति के लिए ऐसे कोई नियम नहीं हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कार्यक्रम तैयार करने के क्षेत्र में लंबी अवधि के लिए काम

करते-करते एक प्रोड्यूसर अपने कार्यक्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान करवाता है परन्तु नियमित प्रोग्राम अधिकारियों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या सरकार ने बाद में प्रोडक्शन कॉडर के लाभ के लिए कोई नई योजना बनाई है यदि हां, यो इससे उन वरिष्ठ कलाकारों को जो जल्दी ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, कोई लाभ मिलेगा और क्या उन्हें कोई विशेष पदोन्नति दी जाएगी; और

(घ) प्रोडक्शन कॉडर के उन कर्मचारियों को जो गत 25 वर्षों से सेवारत हैं, पेन्शन लाभों के अतिरिक्त अन्य क्या लाभ मिलेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं। प्रोड्यूसर, वरिष्ठ प्रोड्यूसर, उप मुख्य प्रोड्यूसर तथा मुख्य प्रोड्यूसर बनने की आकांक्षा कर सकता है।

(ख) जी, नहीं। नियमित कार्यक्रम संवर्ग के अधिकारियों को भी कार्यक्रम निर्माण कार्य में लगाया जाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने निर्णय लिया है कि निर्माण संवर्गों तथा इस समय संविदा आधार पर कार्यरत व्यक्तियों को उनके विकल्प के आधार पर तथा स्क्रीनिंग के अधीन नियमित सरकारी कर्मचारी समझा जाए और वे उन सभी सुविधाओं के हकदार होंगे जो सरकारी कर्मचारी को उपलब्ध हैं। यह उम्मीद की जाती है कि इस स्कीम से उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी।

पेट्रोल और डीजल सर्विस केन्द्रों से मिट्टी के तेल की बिक्री को रोकने का प्रस्ताव

7916. **श्री मोहम्मद अलरार अहमद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल/डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट के अवसरों को कम से कम करने की दृष्टि से पेट्रोल और डीजल सर्विस केन्द्रों से मिट्टी के तेल की बिक्री को बन्द करके, मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए अलग से केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए अलग से केन्द्र स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) खुदरा बिक्री केन्द्रों को, जिनको मिट्टी के तेल और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी गई है, बहु उद्देशीय वितरण केन्द्र (एम० पी० डी० सी०) कहा जाता है। पेट्रोल/डीजल में मिट्टी के तेल की मिलावट को रोकने के लिए, सरकार द्वारा मई, 1982 में यह निर्णय लिया गया था कि किसी नई एम० पी० डी० सी० को मिट्टी के तेल की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। जहां तक मौजूदा एम० पी० डी० सी० और खुदरा बिक्री केन्द्रों से मिट्टी के तेल की बिक्री बन्द करने का सम्बन्ध है, यह निर्णय किया गया है कि इस समय उन्हें जारी की जा रही मिट्टी के तेल

की मात्रा को, मिट्टी के तेल को नई डीलरशिपों की स्थापना करके चरणबद्ध रूप से धीरे-धीरे वापस ले लिया जाये।

(ख) आवश्यकता के अनुसार ऐसे बाजारों में, जहां कोई डीलर नहीं है, मिट्टी के तेल की अगल से नई डीलरशिपों खोली जा रही हैं।

मैसर्स स्पेन्सर इण्टरनेशनल होटल्स कम्पनी लिमिटेड को इन्डियन होटल लिमिटेड से जोड़ना

7917. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्पेन्सर इन्टरनेशनल होटल लिमिटेड के पास यदि विदेशी स्वामित्व हो, तो वह कितना है;

(ख) क्या स्पेन्सर इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड देश भर में होटल स्थापित करने के लिए ताज ग्रुप के इंडियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड के साथ मिलकर काम कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस अनुबन्ध के लिए इसने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की मंजूरी प्राप्त कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 23 नवम्बर, 1983 तक बनाई गई वार्षिक विवरणों के अनुसार, स्पेन्सर इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड में कोई विदेशी शेयर धारण नहीं है।

(ख) कम्पनी कार्य विभाग को स्पेन्सर इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड के ताज समूह के इण्डियन होटल कम्पनी लिमिटेड के साथ मिलकर सारे देश में होटल स्थापित करने की जानकारी नहीं है।

(ग) स्पेन्सर इन्टरनेशनल होटल्स लिमिटेड से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में पदोन्नति नीति को लेकर अव्यवस्था

7918. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने में पदोन्नति नीति लेकर हाल में कुछ गड़बड़ी हुई थी और कुछ कर्मचारियों को पीटा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ समय के लिए तेल शोधक कारखाने का काम ठप पड़ गया था;

(ग) उपरोक्त घटना के कारण भारतीय तेल निगम को कितना नुकसान हुआ था; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए वहां के कर्मचारियों के लिए सामूहिक पदोन्नति नीति तैयार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(घ) मथुरा रिफाइनरी सहित इंडियन आयल कार्पोरेशन में पदोन्नतियां योग्यता सहित वरिष्ठता आधार के सिद्धांत पर की जाती हैं। मथुरा में कामगरों की यूनियन यह मांग कर रही है कि सभी पदोन्नतियां केवल वरिष्ठता के आधार पर की जाएं। योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार सिद्धांत की युक्तिसंगतता के बारे में कामगारों को सहमत करने के लिए बातचीत की जा रही है।

हिन्दुस्तान एण्टी-बायोटिक्स लि० के द्वारा देशी प्रौद्योगिकी के विकास की उपेक्षा

7919. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के प्रबन्धकों ने विभिन्न औषधियां बनाने के लिए देशी प्रौद्योगिकी के विकास की उपेक्षा की है।

(ख) यदि हां, तो सरकार उक्त प्रबन्ध में सुधारने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कंपनी में कई करोड़ रुपये मूल्य के उपकरण बेकार पड़े हैं और प्रबन्धक प्रत्येक औषधि बनाने के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी खरीद रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रबन्ध मण्डल के अनुसार केवल एक उपकरण अर्थात लेबोरेटरी फ्रीज ड्रायर, जिसकी लागत 1.4 लाख रुपये है, बेकार पड़ा हुआ है क्योंकि हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड द्वारा प्राप्त करते समय उपकरण क्षतिग्रस्त हो गया था। हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स लिमिटेड केवल उसी प्रौद्योगिकी का आयात कर रही है जो दक्ष प्रौद्योगिकी या विदेशी रूप से उपलब्ध नहीं है।

दिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स के जेटामिरम संयंत्र द्वारा समुचित कार्य न किया जाना

7920. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा विदेशी प्रौद्योगिकी के सहयोग

से 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया जेंटामिसन संयंत्र समुचित रूप से कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) क्या पूरी क्षमता तक संयंत्र को चलाने के लिए पौद्योगिकी की तलाश की जा रही है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) जेन्टामाइसिन संयंत्र में 3.43 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है। 1000 किग्रा की निर्धारित क्षमता की तुलना में 1982-83 में 413 किग्रा उत्पादन हुआ। सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा के कारण पूर्ण क्षमता उपयोग न किया जा सका। यह मंत्रालय वाणिज्य मंत्रालय के साथ आयातों को सीमित करने का प्रश्न उठा चुका है। एच० ए० एल० भी स्ट्रेन और प्रौद्योगिकी में सुधार करने के लिए प्रयास कर रही है ताकि उत्पादन की लागत में कमी हो जाए।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स में एम्पिसिलीन संयंत्र के बेकार पड़े उपस्कर

7921. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा 8 करोड़ रुपए की लागत पर स्थापित एम्पिसिलिन/6 एपीए संयंत्र बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ निहित स्वार्थ संयंत्र को चलाने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात का प्रयत्न कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) 6-ए० पी० ए० से आरम्भ होने वाले एच० ए० एल० के एम्पिसिलिन संयंत्र की मूल क्षमता 5 टन प्रति वर्ष थी। इसको बेसिक स्तर से एम्पिसिलिन के उत्पादन के लिए 35 टन प्रति वर्ष तक बढ़ाया गया। इस संयंत्र का कुल निवेश 3.13 करोड़ रुपए हैं। इस संयंत्र में उत्पादन निम्न प्रकार है :

1980-81	—	7.00 टन
1981-82	—	5.89 टन
1982-83	—	14.59 टन

कम्पनी के प्रबन्धतन्त्र के अनुसार इस संयंत्र में 6-ए० पी० ए० से एम्पिसिलिन का उत्पादन कोई समस्या उत्पन्न नहीं कर रहा है। उत्पादन को बाजार की मांग के अनुसार नियंत्रित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान बायोटिक्स लिमिटेड का विटामिन सी का संयंत्र

7922. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिंदुस्तान बायोटिक्स लिमिटेड द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया विटामिन सी संयंत्र बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्वदेशी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके इसे एक व्यवहार्य एकक बनाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) विटामिन "सी" संयंत्र पर मार्च, 1978 तक 138 लाख रुपए का मूल निवेश किया गया था। इस संयंत्र को सक्षम करने के लिए 77.5 लाख रुपए की राशि व्यय की गई थी। संयंत्र के लेआउट तथा प्रौद्योगिकी की कमियों को पुनर्वासन के बारम्बार प्रयासों के बावजूद ठीक नहीं किया जा सका। इस बीच कम्पनी ऑरियोफर्निंग तथा होमाइसिन के उत्पादन के लिए सुविधाओं के कुछ भाग का उपयोग कर रही है और साथ ही संयंत्र के वैकल्पिक उपयोगों के ब्यौरे तैयार कर रही है।

राज्यों में बिजली की कमी और अन्तर्राज्य प्रतिस्पर्धा

7923. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 मार्च, 1984 के टाइम्स आफ इन्डिया में "पावर शार्टेज इन स्टेट्स परिसिस्ट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि अन्तर्राज्य प्रतिस्पर्धा और अपनी फालतू बिजली के अन्य राज्यों को देने में कुछ राज्यों की अनिच्छा, विभिन्न राज्यों में बिजली की भिन्न दरें, राष्ट्रीय ग्रिड के सृजन में परिहार्य विलम्ब तथा अधिकारियों के अनिर्णय के कारण 1983-84 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन में हुई 7 प्रतिशत वृद्धि का लाभ निरर्थक हो गया प्रतीत होता है;

(ख) यदि हां, तो फालतू बिजली वाले राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में बाधाओं को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार ने 20 मार्च, 1984 के टाइम्स आफ इन्डिया में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है।

(ख) अधिकांश राज्य इस समय या तो आत्मनिर्भर हैं अथवा अलग-अलग मात्रा में विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं। 1983-84 के दौरान आन्ध्र प्रदेश ने अपनी फालतू विद्युत समय-

समय पर उड़ीसा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक को सप्लाई की थी। मेघालय की फालतू विद्युत असम को दी जाती है जो बारी से उत्तरी बंगाल के अलावा क्षेत्र के अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत की सप्लाई करता है। कुछ मामलों में किसी विशेष राज्य में विद्युत की कमी की स्थिति होने के बावजूद अधिक जरूरतमन्द राज्य को उसकी कमी को कम करने के लिए विद्युत का अन्तरण किया गया है। 1983-84 के दौरान ऊर्जा के कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक आदान-प्रदान महाराष्ट्र से कर्नाटक के बीच कर्नाटक से केरल, आन्ध्र प्रदेश से कर्नाटक और मध्य प्रदेश और उत्तरी क्षेत्र में सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से पूर्वी क्षेत्र में बिहार के बीच हुए थे। विद्युत के ऐसे आदान-प्रदानों के लिए टैरिफ का निर्धारण या तो द्विपक्षीय आधार पर संबंधित राज्यों/संगठनों द्वारा अथवा क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा किया जाता है।

(ग) यह सच नहीं है कि 1983-84 में विद्युत उत्पादन में 7.6% की वृद्धि के लाभ व्यर्थ गए हैं। संबंधित राज्य प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिए तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण ग्रिडों को सुदृढ़ करके विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन में सुधार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार ढांचा

7924. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 जनवरी, 1984 को कृषि, उद्योग, संगठित, असंगठित व्यापार तथा स्वतन्त्र व्यवसाय में रोजगार के ढांचे सम्बन्धी तथ्यों का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दोहरे व्यवसायों अर्थात सरकारी सेवा तथा कृषि भी करने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में कोई अध्ययन किया गया है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या भारत में बेरोजगारी समस्या को हल करने के लिए "एक व्यक्ति एक कार्य" के सिद्धांत के आधार पर कानून बनाने की कोई योजना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) उपलब्ध सूचना अर्थ-व्यवस्था के संगठित क्षेत्र से सम्बन्धित है जो सरकारी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों, चाहे उनका आकार कुछ भी हो, और निजी क्षेत्र के सभी गैर-प्रतिष्ठानों, जो 10 या इससे अधिक व्यक्ति नियोजित करते हैं, को निर्दिष्ट करती है। नवीनतम उपलब्ध सूचना 31-3-83 से सम्बन्धित है और इसे संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

31-3-1983 (अनन्तिम) की स्थिति के अनुसार प्रमुख उद्योगों/सेवाओं और क्षेत्रों के अनुसार संगठित क्षेत्र में रोजगार

क्षेत्रों/शाखा	उद्योग/सेवाएं प्रभाग									जोड़
I. सार्वजनिक	0	1	2 और 3	4	5	6	7	8	9	
क. केन्द्र सरकार	6,978	612	2,78,970	7,558	1,59,679	1,975	21,30,658	22,818	6,51,097	32,60,345
ख. राज्य सरकार	4,00,104	3,169	75,522	75,173	7,43,020	4,943	41,197	22,553	46,35,607	60,01,288
ग. अर्ध सरकार (केन्द्रीय)	9,288	7,75,772	9,77,647	13,117	76,488	46,578	1,73,143	7,16,193	2,51,073	30,39,299
घ. अर्ध सरकार (राज्य)	52,700	1,04,539	3,34,872	5,61,599	72,185	61,453	4,32,568	1,04,148	3,11,847	20,35,911
ङ स्थानीय निकायों	4,648	—	4,397	60,542	70,595	3,084	41,306	2,022	19,08,469	20,95,063
(क) जोड़	4,73,718	8,84,092	16,71,408	7,17,989	11,21,967	1,18,033	28,18,872	8,67,734	77,58,093	164,31,906

0	1		2 और 3	4	5	6	7	8	9	
II निजी										
च. बड़े प्रतिष्ठान	8,54,087	1,17,919	43,16,896	37,196	60,523	1,78,466	45,705	1,80,448	9,26,288	67,20,528
छ. छोटे प्रतिष्ठान	7,495	2,621	2,96,045	485	7,453	97,363	13,767	26,917	3,50,358	8,02,506
(ख) जोड़	8,61,582	1,29,540	46,15,941	37,681	67,976	2,75,826	59,474	2,07,365	12,76,646	75,23,034
कुल जोड़ क+ख	13,35,300	10,04,632	62,87,349	7,55,670	11,89,943	3,93,862	28,78,346	10,75,099	90,34,739	239,54,940

नोट :—1. रोजगार बाजार सूचना (ई० एम० आई०) कार्यक्रम के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रके सभी प्रतिष्ठान, उनका आकार चाहे कुछ भी हो और निजी क्षेत्र के सभी गैर-कृषि प्रतिष्ठान जो 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं, आते हैं।

2. निजी क्षेत्र में बड़े प्रतिष्ठानों से तात्पर्य उन गैर-कृषि प्रतिष्ठानों से है जो 10-25 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं।

3. निजी क्षेत्र में छोटे प्रतिष्ठानों से तात्पर्य उन गैर-कृषि प्रतिष्ठानों से है जो 10-24 व्यक्तियों को नियोजित करते हैं।

4. ई० एम० आई० कार्यक्रम के अन्तर्गत सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, लक्ष्यद्वीप और मिनीकॉय द्वीप समूह और दादर और नागर हवेली नहीं आते।

5. "0"—कृषि, हंटिग, फॉरिस्ट्री और फिशिंग; "1"—माइनिंग और क्वारिंग; "2"-और 3"—मैनुफैक्चरिंग, "4"—बिजली, गैस और पानी; "5"—निर्माण; "6"—थोक और खुदरा व्यवसाय और रेस्टूरेंट तथा होटल; "7"—परिवहन संचयन और संचार "8"—फाइनेन्सिग, बीमा, वास्तविक संपदा और व्यवसाय सेवाएं; "9"—समुदाय, सामाजिक और निजी सेवाएं।

न्यायिक अधिकारियों को विशेष वेतन

7925. **श्री भीकू राम जैन :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के वर्ग I और दिल्ली प्रशासन के वर्ग I और II के अधिकांश अधिकारी अपने मूल वेतन के साथ 75 रुपए 200 रुपए तक का विशेष वेतन प्राप्त करते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में कुल 160 न्यायायिक अधिकारियों में से एक भी अधिकारी को विशेष वेतन नहीं मिलता; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार न्यायिक अधिकारियों को भी विशेष वेतन देने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और जैसे ही वह एकत्रित कर ली जाएगी, सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

बेलापुर जिला अहमदनगर में सामूहिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

7926. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अहमदनगर जिला (महाराष्ट्र) के बेलापुर टेलीफोन एक्सचेंज में अन्य तीन टेलीफोन एक्सचेंज अर्थात लोनी-कोल्हापुर-बेलापुर को सामूहिक रूप से स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति की तिथि क्या है तथा इसकी स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) इसकी स्थापना कब की जाएगी; और

(घ) सामूहिक टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भारी मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इसको प्राथमिकता देगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बेलापुर, कोल्हार-और-घरवारानगर के बीच ग्रुप डायलिंग योजना की मंजूरी दे दी गई है ।

(ख) इस योजना की मंजूरी 1968 में दी गई थी । इसके लिए नई ट्रंक लाइन का निर्माण और 318 चैनल कैरियर प्रणाली चालू करना आवश्यक है । ए० सी० एस० आर० वायर और कैरियर उपकरण का उपलब्ध न होने के कारण विलंब हो रहा है ।

(ग) इसके 1985 में संस्थापित किए जाने की संभावना है ।

(घ) फिलहाल, इस योजना को प्राथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

ग्रामीण क्षेत्रों की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना

7927. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों, जो कि देश के आर्थिक विकास की समूची प्रक्रिया का आधार है, की ऊर्जा सम्बन्धी आवश्यकताओं की ओर पर्याप्त ध्यान देने में अपनी रुचि प्रदर्शित की है;

(ख) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि गावों में प्रमुख ईंधन जलाने की लकड़ी के अभाव का संकट उस ऊर्जा संकट की तुलना में अत्यधिक गंभीर है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में वृद्धि से पैदा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने बायोगैस संयंत्रों और सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों स्थापित करने के लिए तैयार की गई योजनाओं की लागत कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी । हां,

(ख) और (ग) ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की स्थिति सुधारने के लिए सरकार कदम उठा रही है । हमारे ग्रामों में उपयोग की गई ऊर्जा का एक बड़ा भाग खाना बनाने के लिए प्रयोग होता है । यद्यपि खाना बनाने के लिए प्रयोजनों के लिए ईंधन वाली लकड़ी, कृषि और वनों के अपविष्ट और गोबर का प्रयोग किया जाता है । ईंधन वाली लकड़ी की अपर्याप्त उपलब्धता ने कई ग्रामीण क्षेत्रों में समस्याएं पैदा करदी हैं । वनरोपण, सामाजिक एवं फार्म वानिकी बायोगैस की अभिवृद्धि, उन्नत प्रकार के चूल्हों की अभिवृद्धि और सौर कुकरों आदि के माध्यम से सरकार इन समस्याओं को दूर करने के लिए कदम उठा रही है । परिवार आकार के बायोगैस संयंत्रों की लागत में कमी करने के लिए विशेष उपाय किए जा रहे हैं, जिसमें व्यक्तिगत रूप से किसानों को राजसहायता, उदार ऋण सस्ते माल का प्रयोग, बायोगैस संयंत्र के निर्माण के तरीके तथा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना सम्मिलित हैं । कई सामुदायिक/संस्थागत निकायों ने बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए एक योजना का निर्माण किया गया है जो कि कार्यान्वयन के अधीन है । जब कभी व्यवहार्यता हुई, इन संयंत्रों के साथ सामुदायिक मूत्रालयों को जोड़ा गया ताकि मुख्य रूप से ग्रामीण वासियों को स्वच्छ एवं उपयुक्त पर्यावरण प्राप्त हो सके । साथ ही साथ लाभार्थी समुदाय भी स्वयं इन संयंत्रों को चलाने के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित है । आगामी वर्षों के दौरान सी० बी० पी०/आई० बी० पी० के कार्यक्रम को बढ़ाने का प्रस्ताव है ।

दिल्ली में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों का पुनर्वास

9728. **श्री अजित बाग** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये कितने शरणार्थी परिवार रह रहे हैं;

(ख) इनमें से कितने परिवारों को पुनर्वास सम्बन्धी सुविधाएं दी गई हैं और उनमें से कितने परिवार अभी तक बिना घरबार के स्थायी रूप से निर्मित झोपड़ियों में रह रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को इन शरणार्थियों से उन्हें पुलिस तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जगहों से हटाये जाने और परेशान किए जाने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस मानवीय समस्या को सुलझाने के लिए उपाय कर रही है; और

(ङ) योजना का ब्योरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये प्रवासियों को दिल्ली में बसाने का कोई सुगठित कार्यक्रम नहीं था। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्ति, जो लाभकारी रोजगार पर लगे हों और विभाजन के पश्चात एक निश्चित अवधि तक दिल्ली में रहे हों, उनको विकसित रिहायसी प्लाट देने की दृष्टि से कालका जी के निकट चितरंजन पार्क नामक बस्ती की स्थापना की गई थी। इसके अतिरिक्त कस्तूरबा निकेतन, लाजपत नगर में नये प्रवासियों के 122 स्थायी दायित्य परिवार कर रहे हैं। यह गृह दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है।

(ख) से (ङ) 1-1-1964 से 25-3-1971 की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए ऐसे नए प्रवासियों को, जिन्होंने पश्चिमी बंगाल से बाहर विभिन्न राज्यों में उनके लिए खोले गए राहत शिविरों में प्रवेश ले लिया था और जिन्हें विभिन्न पुनर्वास स्थलों पर भेज दिया गया था, अनुमोदित पद्धति के अनुसार आवश्यक राहत और पुनर्वास सहायता दे दी गई थी। ऐसे प्रवासी, जो राहत शिविरों और पुनर्वास स्थलों को छोड़ गए थे, पुनर्वास सहायता के पात्र नहीं हैं। व्यक्तिगत परिवार प्राय: अपने मामलों के सम्बन्ध में दिल्ली आते रहते हैं। कुछ परिवारों, जो पुनर्वास मन्त्रालय के कार्यालय के बाहर बैठे हैं, ने शिकायत की है कि उन्हें स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा परेशान किया गया है।

गुलमोहर पार्क में टेलीफोन सेवा

7929. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** :
श्री भीष्म सिंह :

क्या **संचार मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैबिनेट को बदलने के कारण दिसम्बर, 1983 में गुलमोहर पार्क में टेलीफोन सेवा लम्बे अर्से तक अस्त व्यस्त रही;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगा तथा इस कैबिनेट को बदलने पर कितना व्यय किया गया;

(ग) कैबिनेट को बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस कैबिनेट को कब स्थापित किया गया था तथा वर्तमान स्थल का चयन किन बातों को ध्यान में रखकर किया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) गुलमोहर पार्क में कुछ उपभोक्ताओं की टेलीफोन सेवा दिसम्बर, 1983 में कुछ दिनों के लिए अस्त-व्यस्त रही।

(ख) इसमें लगभग सात सप्ताह का समय लगा तथा लगभग 1,19,529 रुपये खर्च हुए।

(ग) चूंकि अतिरिक्त केबिलों को टर्मिनेट करने के लिए मौजूदा कैबिनेट और खंभों में उतनी क्षमता नहीं थी, अत: नए खंभे की स्थापना के लिए कैबिनेट को शिफ्ट करना आवश्यक था ताकि नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए पुराने और नए खंभे को जोड़ा जा सके। इसके अलावा, नए खंभे की स्थापना के लिए उसके निरन्तर संचालन और उचित रखरखाव को देखते हुए पहले वाले स्थान में पर्याप्त जगह नहीं थी।

(घ) पुराने स्थान पर कैबिनेट 1975-76 में संस्थापित किया गया था। कैबिनेट के लिए वर्तमान स्थल का चुनाव करने के कारण उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर में दिए गए हैं।

त्रिपुरा को डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल की सप्लाई

7930. **श्री अजय विश्वास :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान त्रिपुरा के लिए डीजल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का कितना कोटा निर्धारित किया गया था;

(ख) उक्त अवधि में त्रिपुरा को प्रत्येक मद की कितनी मात्रा सप्लाई की गई; और

(ग) इन मदों का निर्धारित पूरा कोटा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार केवल मिट्टी के तेल और हाई स्पीड डीजल तेल (एच० एस० डी०) का राज्यवार आबंटन करती है। पेट्रोल खुली बिक्री आधार पर उपलब्ध होता हैं और कोई मासिक आबंटन नहीं किया जाता है। एच० एस० डी० का आबंटन उत्पाद के लिए विभिन्न स्थानों पर परिवहन की योजना बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि एच० एस० डी० की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है और तेल कम्पनियों को कहा गया है कि मांग को पूरी तरह से पूरा करें। त्रिपुरा राज्य को 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान किए गए आबंटन/बिक्री दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) यद्यपि पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मांग पूरी तरह पूरी की गई है, मिट्टी के तेल की बिक्री, आबंटन की तुलना में थोड़ी-सी कम रही है। ऐसा मुख्यत: सप्लाई और परिवहन में रुकावटों के कारण हुआ है।

विवरण

त्रिपुरा राज्य में 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान एच० एस० डी० और मिट्टी के तेल का आबंटन और बिक्री तथा पेट्रोल की बिक्री दिखाने वाला विवरण—

(आंकड़े मी० टनों में)

वर्ष	पेट्रोल	एच० एस० डी०			मिट्टी का तेल		
	(बिक्री)	आबंटन	बिक्री	प्रतिशतता	आबंटन	बिक्री	प्रतिशतता
1980-81	2,600	14,300	11,158	78.2%	10,832	9,719	89.7%
1981-82	2,641	11,100	13,663	123.1%	12,310	11,704	95.1%
1982-83	2,638	13,700	14,109	103.0%	13,300	12,384	93.1%

त्रिपुरा में राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

7931. **श्री अजय विश्वास :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में राज्य विद्युत बोर्ड स्थापित करने के लिए त्रिपुरा सरकार ने कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्ताव का अनुमोदन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने राज्य बिजली बोर्ड का गठन करने के लिए 1979 में प्रस्ताव रखा था तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा (1) की उपधारा (4) के अन्तर्गत अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। चूंकि विद्युत समिति राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण से सम्बन्धित सभी मुद्दों की जांच कर रही थी इसलिए उस समय त्रिपुरा सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका था। त्रिपुरा राज्य में बिजली बोर्ड की स्थापना के लिए त्रिपुरा सरकार से नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

असूनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सड़कों के किनारे मंजूर किए गए पेट्रोल स्टेशन

7932. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में कुछ राज्यों के लिए सड़कों के किनारे कुछ पेट्रोल स्टेशन मंजूर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सड़कों के किनारे कितने पेट्रोल स्टेशन दिये गये ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को 238 खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल पम्प) दिये गये हैं :—

तेल कंपनी का नाम	संख्या	
इंडियन आयल कार्पोरेशन	116	फरवरी/मार्च, 1984 तक
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन	61	मार्च, 1984 तक
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन	49	मार्च, 1984 तक
इण्डो बर्मा पेट्रोलियम	12	जनवरी, 1984 तक
जोड़	238	

जम्मू और काश्मीर में वर्ष 1947 से रहने वाले पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को दी गई सहायता

7933. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान से विस्थापित और वर्ष 1947 से जम्मू और काश्मीर में रहने वाले लोगों को कुल कितनी धनराशि की सहायता दी गई है और अद्यतन संख्या कितनी है; और

(ख) इन शरणार्थियों के और कितने दावे तथा मांगें हैं जिन्हें केन्द्र द्वारा अभी पूरा किया जाना है और इन मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने पर विचार किया जा रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म बीर) : (क) पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर क्षेत्र से 1947 में आये 31,600 परिवारों, जिन्होंने विस्थापित व्यक्ति परिवारों के रूप में अपना पंजीकरण करवा लिया था, में से 26,300 परिवार जम्मू और काश्मीर राज्य में बस गये थे। 22,700 परिवारों ने कृषि में और 3,600 परिवारों ने शहरी क्षेत्र में पुनर्वास के लिए विकल्प दिया था। इन सभी परिवारों को कृषि भूमि और आवासीय प्लाट देने के अतिरिक्त, 457.85 लाख रुपये की कुल राशि का अनुग्रहपूर्वक अनुदान भी दिया गया था।

(ख) जम्मू और कश्मीर शरणार्थी एक्शन कमेटी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और काश्मीर

क्षेत्र से 1947 में बेघर हुए विस्थापित व्यक्तियों की ओर से उनके पुनर्वास की समस्याओं और मांगों के लिये निरन्तर अभ्यावेदन दे रही है। उनकी मांगों पर राज्य सभा की याचिका समिति ने विचार किया था और उसके द्वारा की गई सिफारिशों में 1971 के विस्थापित व्यक्तियों को किये गये भुगतान की पद्धति पर प्रति परिवार 12,000 रुपये के भुगतान की सिफारिश भी शामिल है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था।

उर्वरक परियोजना पारादीप, उड़ीसा की अधिष्ठापित क्षमता

7934. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पारादीप उर्वरक परियोजना, उड़ीसा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है; और

(ख) इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब से आरम्भ हो जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) पारादीप, उड़ीसा में उर्वरक परियोजना के लिए प्रति वर्ष 6,52000 टन डाइ अमोनियम फास्फेट संयंत्र की स्थापित क्षमता की योजना बनाई गई है डाइ अमोनियम फास्फेट संयंत्र के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की अनुमानित तिथि 1-3-1986 है।

वर्तमान कोयला पूर्ति नीति की पुनरीक्षा

7935. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्तमान कोयला नीति की पुनरीक्षा की है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या कोयला पूर्ति नीति की जाली आवंटियों और डिपो मालिकों द्वारा "स्टीम कोक" और "साफ्ट कोक" दोनों को कोल बाजार में भेज दिए जाने का विचार है; और

(ग) नई आवंटन नीति को कब तक कार्यान्वित किए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्यमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) : फिलहाल कोल इंडिया लि० कोयला उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई मांग का निर्धारण कार्य कर रहा है। चूंकि इसमें काफी अधिक कार्य करना होगा, इसलिए उसके समापन में भी काफी अधिक समय लगेगा।

"योजना" का उड़ीसा भाषा में प्रकाशन

7936. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "योजना" पत्रिका को उड़िया भाषा में प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो "योजना" को उड़िया में कब तक प्रकाशित किया जायेगा;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार से "योजना" की पांच हजार प्रतियां प्रति

मास खरीदने का आश्वासन देने को कहा है कि जिससे यह पत्रिका उड़िया में प्रकाशित की जा सके; और

(ग) पत्रिका का स्थानीय भाषा में प्रकाशित किये जाने के ब्यौरे सहित मानदण्ड क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां। इस पत्रिका को उड़िया भाषा में प्रकाशित करने का काम 1986-87 के दौरान हाथ में लिए जाने की उम्मीद है बशर्ते कि प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो जाए तथा धनराशि उपलब्ध हो जाए।

(ख) जी, नहीं।

(ग) "योजना" नामक पत्रिका, जो अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और अन्य 7 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होती है, का उद्देश्य सरकार और इसकी विभिन्न एजेन्सियों की विकासात्मक योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों का व्यापक प्रचार करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पत्रिका का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन करने का काम, योजना आयोग की स्वीकृति तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, हाथ में लिया जाता है।

छठी योजना में पम्प सैटों के विद्युतीकरण के लिए लक्ष्य

7937. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में कुल कितने पम्प सैटों की विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है तथा देश में राज्यवार सिंचाई पम्प सैटों तथा नल-कूपों की कुल संख्या क्या है;

(ख) प्रति वर्ष कितने पम्प सैटों का विद्युतीकरण किया गया तथा कितनी विद्युतीकरण किया गया तथा कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा चालू वर्ष के लिए कितने पम्प सैटों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है तथा वर्ष के दौरान क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है; और

(ग) पम्प सैटों को कनक्शन देने तथा बिजली सप्लाई करने के कामले में उद्योगों की अपेक्षा पम्प सैटों को प्राथमिकता देने और पम्प सैटों को प्रतिदिन अधिक बिजली सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना प्रस्तावों में अखिल भारत आधार पर 25 लाख पम्पसैटों/ट्यूबवैलों के ऊर्जन की परिकल्पना की गई है। छठी योजना लक्ष्यों, छठी योजना के पहले चार वर्षों के दौरान की उपलब्धियां तथा देश में ऊर्जित किए गए कुल सिंचाई पम्पसैटों/ट्यूबवैलों की संख्या का राज्यवार ब्यौरे को दिखाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) 1980-81 के पश्चात् प्रति वर्ष ऊर्जित किए गए पम्पसैटों की संख्या तथा वास्तविक

उपलब्धियां निम्नानुसार रही हैं :—

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1980-81	4,13,040	3,64,625
1981-82	4,22,466	3,19,437
1982-83	4,23,034	3,23,378

वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए 386.58 रुपये करोड़ के परिव्यय का आबंटन किया गया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 3,67,779 सिंचाई पम्पसैटों ट्यूबवैलों का ऊर्जन कार्य भी शामिल किया गया था। इस लक्ष्य की तुलना में 29 फरवरी, 1984 तक 2,50,249 पम्पसैट/ट्यूबवैल ऊर्जित किए जा चुके हैं। 1984-85 के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) कृषि के महत्व को देखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों और सम्बन्धित राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत सप्लाई में कृषकों को उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए कहा है। तदनुसार पम्पसैटों सहित कृषि कार्यों के लिए न्यूननतम दैनिक आवश्यकता को पूरा किया जा रहा है

विवरण

छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान सिंचाई पम्पसेट/ट्यूबवैलों के अर्जन के लिए राज्यवार लक्ष्य तथा अभी तक हुई उपलब्धियों आदि को दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	छठी योजना के दौरान सिंचाई पंपसैट/ट्यूबवैलों के ऊर्जन के लिए लक्ष्य	छठी योजना के दौरान उपलब्धि (1-4-1980 से 29-2-1984 तक)	29-2-1984 की स्थिति के अनुसार संचित उपलब्धि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	2,80,000	1,68,368	5,73,495
2.	असम	15,000	621	2,299
3.	बिहार	2,03,550	35,079	1,86,064
4.	गुजरात	1,25,000	68,704	2,71,557
5.	हरियाणा	1,00,000	56,407	2,59,774

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	2,930	583	2,216
7.	जम्मू व कश्मीर	1,000	269	1,254
8.	कर्नाटक	1,00,00	98,709	3,89,017
9.	केरल	60,000	39,277	1,17,140
10.	मध्य प्रदेश	3,50,000	1,47,257	4,26,683
11.	महाराष्ट्र	2,50,000	2,43,769	8,41,243
12.	मणिपुर		17	27
13.	मेघालय	500	6	53
14.	नागालैण्ड	—	—	शून्य
15.	उड़ीसा	90,032	12,157	25,115
16.	पंजाब	1,65,300	95,883	3,58,150
17.	राजस्थान	1,75,000	71,107	2,54,345
18.	सिक्किम	—	—	शून्य
19.	तमिलनाडु	1,50,000	92,714	9,79,641
20.	त्रिपुरा	1,308	669	917
21.	उत्तर प्रदेश	3,20,000	1,16,159	4,77,909
22.	प० बंगाल	77,145	5,464(क)	29,562 (क)
	जोड़ (राज्य)	24,66,765	12,52,249	51,96,786
जोड़	(संघ शा० क्षेत्र)	3,365	5,431	36,742
जोड़ (अखिल भारत)		24,70,100 या 25 लाख कहें	12,57,680	52,23,508

(क) 31-1-1984 की स्थिति के अनुसार

संथाल परगना, बिहार के लोगों को चित्ता कोयला खान से कोयले की सप्लाई

7938. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संथाल परगना, बिहार के लोगों को ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के अधीन चित्ता कोयला खान से कोयला नहीं मिल रहा है।

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां से कोयला हरियाणा, पंजाब आदि को भेजा जा रहा है परन्तु स्थानीय लोगों को कोयले की सप्लाई नहीं की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे पूर्व किसानों को बैलगाड़ी के जरिए कोयला सप्लाई किया जाता रहा है; और

(घ) यदि हां, तो लोगों को कोयले की सप्लाई के लिए सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उप-निदेशक (फोटो डिवीजन) के पद पर पदोन्नति

7939. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :**
श्री लाला राम केन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उप निदेशक (फोटो डिवीजन) के चार रिक्त स्थानों पर पदोन्नति जनवरी, 1983 में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति के आधार पर की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर चार रिक्त स्थानों में से एक-एक पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित थे;

(ग) क्या फोटो अधिकारियों के संवर्ग में जिसमें से इनकी नियुक्ति की जाती है, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उपलब्ध थे और पदोन्नति के पात्र भी थे;

(घ) यदि हां, तो क्या पात्र उम्मीदवारों को पदोन्नति कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ङ) यदि उक्त संवर्ग में अनुसूचित जनजातियों का कोई भी अधिकारी पदोन्नति का पात्र नहीं था, तो क्या कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के 20 जुलाई, 1974 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 10/4/73 ईस्ट (एस० सी० टी०) के अनुपालन में आरक्षण आदानप्रदान के सिद्धान्त को लागू करके अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्त स्थान पर अनुसूचित जातियों के पात्र उम्मीदवार को पदोन्नत किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) फोटो प्रभाग में उप निदेशक (वेतनमान 1100-1600 रु०) के ग्रेड में चार रिक्तियां थीं। भर्ती नियमों के अनुसार इन पदों को ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा करके फोटोग्राफिक अधिकारियों में से चयन के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। विचार किए जाने के जोन में 11 अधिकारी थे, जिनमें से क्रम संख्या 5 और 11 के दो अधिकारी अनुसूचित जाति समुदाय के थे, लेकिन अनुसूचित जनजाति समुदाय का कोई भी अधिकारी नहीं था। संघ लोक सेवा आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जनवरी, 1983 में हुई थी तथा उसने चार रिक्तियों के लिए चार नामों का एक पैनल भेजा था। क्रम संख्या 5 के अनुसूचित जाति के अधिकारी के सम्बन्ध में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाएं मुहरबंद लिफाफे में हैं, क्योंकि उसके विरुद्ध विजीलेंस केस अभी पैंडिंग है। आयोग द्वारा भेजे गए पैनल को, अनुसूचित जनजाति के अधिकारी द्वारा भरी जाने वाली रिक्ति को अनारक्षित करने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने के बाद, सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया तथा उसे कार्यान्वित किया गया।

(ङ) इस बारे में तथ्यों को संघ लोक सेवा आयोग के ध्यान में लाया गया था जिसने सलाह दी कि विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाहियों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए। तदनुसार पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने के लिए मामले को आयोग के पास भेज दिया गया है।

1984-85 के दौरान कमी को पूरा करने के लिए अखबारी कागज का आयात

7940. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वित्तीय वर्ष 1984-85 में अखबारी कागज का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वित्तीय वर्ष में देश में अखबारी कागज की कमी को पूरा करने के लिए कुल कितने मीट्रिक टन अखबारी कागज का आयात किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) वर्ष 1983-84 में कुल कितने मीट्रिक टन अखबारी कागज का आयात किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान देश की मांग को पूरा करने के लिए 1,85,000 मीट्रिकटन अखबारी कागज का आयात करने का प्रस्ताव है।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान 1,76,459.00 मीट्रिकटन अखबारी कागज का आयात किया गया था।

इलेक्ट्रानिक वाहनों का निर्माण

7941. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा :**
श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय कितने इलैक्ट्रानिक वाहन चल रहे हैं;

(ख) इन वाहनों का निर्माण किन यूनिटों द्वारा किया जा रहा है क्या इनका निर्माण भारतीय प्रौद्योगिकी द्वारा विदेशी सहयोग की मदद से किया जा रहा है;

(ग) ये वाहन कैसा कार्य रह रहे हैं; और

(घ) क्या इनका कार्य निष्पादन संतोषजनक पाया गया है; यदि हां, तो सरकार का विचार इन वाहनों का उत्पादन बड़े पैमाने पर करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आठ।

(ख) ऐशियाई खेलों से पहले 1982 में मैसर्स ई० टी० टी० डी० सी० (भारत सरकार का उपक्रम) से चार रंगीन दूरदर्शन ओ० बी० वाहन हासिल किए गए थे। इन वाहनों का आयातित तथा स्वदेशी उपकरणों से भारत में असेम्बल किया गया था। उससे पहले मैसर्स बी० ई० एल० भारत सरकार का एक उपक्रम, से चार सादे ओ० बी० वाहन खरीदे गए थे।

(ग) और (घ) वाहन सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। यदि भविष्य में रंगीन ओ० बी० वाहनों की कोई आवश्यकता हुई तो उसको स्वदेशी स्रोतों से पूरा करने का प्रस्ताव है।

12.00

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं कहता हूं कि सरकार विजयनगर इस्पात संयत्र के बारे में एक वक्तव्य दे कि इसे चालू क्यों नहीं किया गया है; जबकि 1970 में इसकी नींव रखी गई थी। इस्पात मन्त्री यहां बैठे हुए हैं। वह कुछ कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे कुछ लिख कर दें। इस प्रकार नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपने कल हमारे इस अनुरोध को मानने की कृपा की थी कि पंजाब में विदेशी ताकतों, बाहरी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप के विशिष्ट मामलों पर चर्चा की जाए। पंजाब में स्थिति बिगड़ रही है और आज के 'हिंदुस्तान टाइम्स' में एक विशिष्ट मामले पर रपट दी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : करेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी : एक पाकिस्तानी जनरल का नाम दिया गया और स्पष्ट रूप से वह हमारी भूमि से इसका संचालन कर रहा है। हम इस पर विशेष चर्चा चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कह दिया है, आपसे कल भी बात हुई है। करेंगे। बात करके इसको करवाएंगे। ठीक है आपने तो तय कर लिया है।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : तमिलवासियों की स्थिति में बारे में श्रीलंका सरकार और हमारी सरकार के बीच लम्बी चर्चा हुई है।

अध्यक्ष महोदय : हम यह पहले कह चुके हैं। आ रहा है।

हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं। हम इस पर कार्य मंत्रालय समिति में पुनः विचार करेंगे। आपको इस विषय पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा ?

श्री के० मायातेवर : हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने पहले ही चर्चा कर ली है। आप इस पर क्यों जोर दे रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन को आश्वासन दिया था कि बच्चे जो शेड्यूल कास्ट के बांडेड लेबर बनाकर रखे थे, उस पर कहा था कि डिसकशन कराएंगे।

अध्यक्ष महोदय : हम इसे ले रहे हैं। जो समय हमारे पास उपलब्ध होगा, मैं इसे लूंगा। वक्त आ जाने दीजिए।

श्री रामविलास पासवान : इसका मतलब है कि आपके कंसीडरेशन में है।

अध्यक्ष महोदय : हां मेरे कंसीडरेशन में है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में चेचक के प्रकोप से 380 लोग मर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : वहां पर असेंबली बैठी हुई है। फिर भी आप चाहें तो दे दीजिए, मैं देख लूंगा।

वहां उनकी विधान सभा है, जो इस पर चर्चा करेगी। आप भी मुझे सुचना दे सकते हैं।

श्री राजेश कुमार सिंह : चेचक का प्रकोप बहुत है अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप दे दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पूर्वी रेलवे के रसूलाबाद स्टेशन पर मजदूरों पर लाठी चार्ज किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई बात नहीं है।

श्री रामावतार शास्त्री : उनके ऊपर लाठी चार्ज···।

अध्यक्ष महोदय । : नाट अलाउड ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए ।

श्रीमती विद्या चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में एक तेलगू पिक्चर···।

अध्यक्ष महोदय : देख रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम तथ्यों को इकट्ठा कर रहे हैं । उनके इकट्ठा हो जाने पर, मैं चर्चा की अनुमति दूंगा ।

श्री अनन्त रामुलु (नगरकुरनूल) : दस दिन पहले मैंने एक सूचना दी थी, आंध्र प्रदेश में कई एक आन्दोलन हो रहे हैं ।

12.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मैं रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8161/85]

उद्योग मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : मैं उद्योग मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्त्रालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8162/84]

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों कीब्यौरे वार मांगें

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं श्री जियाउर्रहमान अंसारी

की ओर से नौवहन और परिवहन मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों को ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8163/84]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[मन्त्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8164/85]

संचार मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें और भारतीय डाक-तार विभाग पर वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार के व्यय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : मैं, श्री वी० एन० गाडगिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) संचार मन्त्रालय (डाक-तार विभाग को छोड़कर) की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8165/84]

(2) भारती डाक-तार विभाग पर वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सरकार व्यय से संबंधित अनुदानों की मांगों की एक (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०8166/84]

समाज कल्याण मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं समाज कल्याण मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8167/84]

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं, पर्यटन पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांग की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8168/84]

परमाणु ऊर्जा विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

इलैक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मंत्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : मैं, श्री शिवराज वी० पाटिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी 8169/84]

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8170/84]

(3) अन्तरिक्ष विभाग की वर्ष 1 84-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8171/84]

इस्पात और खान मन्त्रालयों की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

इस्पात और खान मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) : मैं, इस्पात और खान मन्त्रालय की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्त्रालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 8182/84)

खेल विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

खेल विभाग में उपमन्त्री (श्री अशोक गहलौत) : मैं खेल विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यारेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8173/84]

इलेक्ट्रानिकी विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

इलेक्ट्रानिकी विभाग में तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उपमन्त्री (डा० एम० एस० संजीवी राव) : मैं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की वर्ष 1984-85 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं·

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8174/84]

प्राक्कलन समिति

77वां प्रतिवेदन और कार्यवाही—सारांश तथा की गई कार्यवाही के बारे में 63वां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) गृह मन्त्रालय (कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग) अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में समिति का 77वां प्रतिवेदन तथा तत्सम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) रेल मन्त्रालय उत्पादन एककों के सम्बन्ध में समिति के 45वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 63वां प्रतिवेदन।

रेल अभिसमय समिति

11वां प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अररिया) : मैं "रेलवे की परिचालन लागत (सामग्री की लागत)" के बारे में अभिसमय समिति (1980) का ग्यारहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पंजाब में रेल स्टेशनों को जलाए जाने तथा अमृतसर में कुछ व्यक्तियों को गोली मार दिए जाने के बारे में वक्तव्य

गृहमन्त्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी): महोदय 14-15, अप्रैल 1984 की रात्रि को आतंकवादियों ने पंजाब के विभिन्न भागों में रेलवे-स्टेशनों में रेलवे सम्पत्ति को जलाने की कोशिश की। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 8 जिलों में 38 रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घटनाएं हुईं। इन रेलवे स्टेशनों में से 12 फिरोजपुर जिले में, 8 भटिंडा में, 4 अमृतसर जिले में, 5 फरीदकोट जिले में, 3 लुधियाना और 2-2 जालन्धर, गुरुदासपुर और कपूरथला जिलों में। 15, 16 अप्रैल, 1984 की रात्रि को रोपड़ जिले में एक रेलवे स्टेशन की रेलवे सम्पत्ति को हानि हुई। अधिकांशतः ये रास्ते के किनारों पर हैं। इनमें से अधिकांश घटनाओं में बदमाश स्टेशन की बिल्डिंग में घुस गये और रिकार्डों तथा फर्नीचर को आग लगा दी। इन घटनाओं में रेल यातायात में कोई बाधा नहीं पड़ी और कोई जख्मी नहीं हुआ। विश्वास किया जाता है कि ए० आई०, एस० एस० एफ० और उनके समर्थक इन कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। अब तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार एस सम्बन्ध में 16 तारीख तक 144 ए० आई० एस० एस० एफ० क्रियावादी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

2. स्वर्ण मन्दिर के परिसर में अथवा उसके निकट हिंसा की कुछ घटनाएं हुई हैं जिनमें उग्रवादी दलों का हाथ है। 14-4-84 को पूर्वाह्न लगभग 11-30 बजे एक घोषित अपराधी सुरिन्दर सोढ़ी जिसकी कई मामलों में जरूरत थी और जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह श्री भिंडरवाले का समर्थक है, की दो व्यक्तियों द्वारा विश्वास किया जाता है कि वह सुरिन्दर सिंह उर्फ छिन्दा था और एक महिला थी, अमृतसर में गुरु रामदास सराय के निकट एक सिंधी होटल में गोली मार कर हत्या कर दी गई। सुरिन्दर सिंह सोढ़ी की हत्या के सम्बन्ध में 14-4-1984 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302/307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25/27/54 के अधीन एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 130 दर्ज किया गया है। चार व्यक्ति नामतः कुलदीप सिंह, राजिन्दर सिंह, गुरुचरण सिंह और गुरदीप सिंह, जो होटल में बैठे थे, भी कुछ जख्मी हुए।

3. श्री सुरिन्दर सिंह उर्फ छिन्दा का शव 16 अप्रैल, 1984 को अमृतसर में गांव मनावल के निकट बरामद हुआ। उसी दिन अकाली दल के तलवन्डी ग्रुप के अमृतसर नगर जत्थे के जत्थेदार श्री मलिकसिंह भाटिया की स्वर्ण मंदिर परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी दिन एस० ए० दल के मन्त्री श्री गुरुचरण सिंह के एक निकट के साथी श्री वरजिन्दर सिंह वाइजी को मनजी साहब और गुरुनानक निवास को विभाजित करने वाली सड़क के सिकट उनकी दुकान में गोली मार दी गई।

4. राज्य सरकार ने जिला प्राधिकारियों को सतर्क रहने के लिए सावधान किया है। प्राधिकारियों द्वारा रेलवे तथा अन्य सम्भावित लक्ष्यों की रक्षा के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार उग्रवादी गतिविधियों को रोकने के लिए बलों का पुनः नियतन कर रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए सभी सम्भव उपाय किए जा रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह सब समाचार पत्रों में छपा है। सभा को और जानकारी दी जानी चाहिए थी। मन्त्रिमण्डलीय उपसमिति की प्रतिदिन बैठक होती है। वह स्थिति की समीक्षा करती रहती है। केन्द्रीय सरकार इस मामले में क्या प्रभावकारी कदम उठाने जा रही है ?..... **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल इन बातों को कह सकते हैं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : हम कल इस पर चर्चा कर रहे हैं और जो उपाय किए गए हैं उनके बारे में मैं सारा ब्यौरा दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : कितने बजे होगा कल डिस्कशन ? 12 बजे ?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : कब तक डिस्कशन चलता रहेगा ? रोज डिस्कशन होता है, कुछ होता है नहीं।

श्री मनीराम बागड़ी : अध्यक्ष जी, एक बात पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के डिप्टी स्पीकर पर हमला हुआ...

अध्यक्ष महोदय : वहां के लोग देखेंगे।

श्री मनीराम बागड़ी : उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के साथ मेरठ के नौकरशाह ने जो कुछ किया है···

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं। वहां असेम्बली चल रही है वह देखेंगे। ठीक हो जाएगा। उस नौकरशाह की क्या मजाल है। वी विल लुक इनटू इट। मेरा ख्याल है कि सदन का भी यही विचार है कि अध्यक्ष का पूरा मान किया जाय और संरक्षण दिया जाय।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : कल डिस्कशन कितने बजे होगा साहब ?

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन ऑवर के बाद।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : श्रीमन्, हम आपसे विचार-विमर्श करेंगे··· (व्यवधान)। जब जैसे ही कार्यसूची की मदें समाप्त होंगी, हम इस मामले पर विचार करेंगे। शायद दोपहर तीन बजे··· (व्यवधान)।

श्री मनीराम बागड़ी : नहीं, तीन बजे नहीं, प्रश्नकाल के बाद।

अध्यक्ष महोदय : क्या तीन बजे ?

श्री बूटा सिंह : हां, श्रीमान्।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उन्हें कुछ अन्य बातें मालूम हुई हैं, इसलिए इस पर तीन बजे चर्चा आरम्भ होगी।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मेरी दरख्वास्त है कि 3 बजे की बात मान लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं बागड़ी जी, कि उनकी दरख्वास्त है कि 3 बजे कर लीजिए।

श्री मनीराम बागड़ी : चलो ठीक है। लेकिन लोगों को मरने से बचाओ।

12.14 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(एक) उड़ीसा राज्य को मिट्टी का तेल तुरन्त सप्लाई करना

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : उड़ीसा राज्य में मिट्टी का तेल हर कहीं एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। उपभक्तओं को अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए आवश्यक मिट्टी का तेल मौजूदा उचित दर की दुकानों से नहीं मिल पा रहा है और उसके लिए उन्हें खुले बाजार पर निर्भर

करना पड़ रहा है। परन्तु खुले बाजार में भी मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है और उपभोक्ताओं को, जो कि मुख्यतया गरीब, निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग हैं, खुले बाजार से 7 से 8 रुपए प्रति लीटर की दर पर खरीद रहे हैं, जो कि उनकी क्रय शक्ति के बाहर है। राज्य में मिट्टी के तेल के अभाव के कारण, प्राथमिक कक्षाओं से लेकर महाविद्यालयों तक के छात्र काफी कष्ट उठा रहे हैं। उड़ीसा राज्य जो कि कभी बिजली के मामले में आवश्यकता से अधिक बिजली वाला राज्य था, विभिन्न उद्योगों के विस्तार और स्थापना से कमी वाला राज्य बन गया है। इसके अतिरिक्त राज्य में कुल विद्युतोत्पादन का 75 प्रतिशत जल परियोजनाओं से होता है। जल के अभाव में और पिछले छः माह से पानी की एक भी बूंद न बरसने के कारण बिजली का उत्पादन घट गया है और उसकी सप्लाई में भारी कटौती हुई है, जिससे बिजली के उपभोक्ताओं को मिट्टी के तेल पर निर्भर करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। राज्य में बिजली की सप्लाई न तो विगत में नियमित रही है और न आज ही नियमित है। रेलगाड़ी के डिब्बों की अनियमित सप्लाई और बन्दरगाहों पर हड़ताल आदि राज्य में नियमित रूप से मिट्टी के तेल की सप्लाई में बाधक हुई हैं। अतः राज्य की लगभग समस्त जनता अपनी आवश्यकता के अनुसार मिट्टी का तेल न मिलने से गम्भीर संकट का सामना कर रही है।

ऐसी गम्भीर स्थिति के होते हुए, मैं सम्बद्ध मंत्री महोदय से इस मामले में तुरन्त कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं जिससे कि उड़ीसा राज्य को आवश्यक मिट्टी के तेल की सप्लाई तुरन्त की जा सके।

(दो) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के चान्डबाली पनत्त का विकास

श्री अर्जुन सेंठी (भद्रक) : चान्दबाली उड़ीसा राज्य के छोटे बन्दरगाहों में से एक है, जो औद्योगिक रहित बालासोर जिले में अवस्थित है और जिसे केन्द्रीय सरकार ने इसके गहन आर्थिक विकास के लिए उपयुक्त पाया है। चान्दबाली बन्दरगाह के भीतरी प्रदेश का क्षेत्रफल लगभग 12,700 वर्गमील है और इसमें बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले तथा ढेंकनाल जिले का कामाकाह्या सब डिविजन सम्मिलित है। चान्दबाली सड़क से भी भली-भांति जुड़ा हुआ है और कलकत्ता-मद्रास राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 5 से 34 मील की दूरी पर है।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय की केन्द्रीय समिति ने 1973 में इस स्थल का दौरा किया था और यह पता लगाया था कि जिले में छोटे बन्दरगाह के रूप में विकसित किए जाने की चांदबाली में तकनीकी क्षमता है।

परन्तु बन्दरगाह को फिर से चालू करने के कम प्रयास रहे है 1974 की लघु बन्दरगाह समिति ने इस बारे में सिफारिश की थी और इसके विकास कार्य को समग्रतः सम्बद्ध सागरतटीय राज्यों को सौंपा था, परन्तु मुख्य रूप से धन की कमी के कारण और आवश्यक इच्छा शक्ति के अभाव में, इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि चूंकि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए प्रदेशों का समग्रतः विकास केन्द्र पर निर्भर करता है, अतः उसे यह देखना चाहिए कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में

चान्दबाली बन्दरगाह को विकास के लिए सम्मिलित कर लिया जाए जिससे उस क्षेत्र के विकास में सहायता मिल सके और जनता के लिए योजना के अवसर मिल सकें।

(तीन), खुर्दा और पुरी के बीच की रेल लाइनों को दोहरा करने का कार्य शीघ्र पूरा करना

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : पुरी गनर विश्व में भगवान जगन्नाथ के कारण प्रसिद्ध है। खुर्दा रेलवे स्टेशन से पुरी रेलवे स्टेशन 44 किलोमीटर की दूरी पर है। बड़ी संख्या में पर्यटक भारत के विभिन्न भागों और विदेश से आकर सारे-साल पुरी की यात्रा करते हैं। आजकल खुर्दा और पुरी स्टेशनों के बीच 13 अप और डाउन यात्री गाड़ियां प्रतिदिन चलती हैं। इसके अतिरिक्त उसी लाइन पर प्रतिदिन मालगाड़ियां भी चलती हैं। कार-उत्सव, डोड़-जात्रा, कार्कि नाग पूर्णिमा, गंगा सागर मेला और कुम्भ मेला जैसे महत्वपूर्ण त्यौहारों के दौरान, अनेक विशेष यात्री गाड़ियां भी यात्रियों को लेकर इस लाइन पर चलाई जाती हैं। खुर्दा और पुरी स्टेशनों के बीच केवल एक लाइन है जो कि समय-सारणी के समंजन में समस्या पैदा करती है और इससे अतिरिक्त रेलगाड़ियों का चलाना कठिन हो जाता है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस लाइन को दोहरी लाइन बनाना आवश्यक है।

अतः, मेरा रेल मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि अविलम्ब खुर्दा और पुरी के बीच दोहरी लाइन बिछाने का काम त्वरित गति से किया जाए।

(चार) बीकानेर में एक नया रेल स्टेशन बनाने की आवश्यकता

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : महोदय, बीकानेर उत्तर रेलवे का मण्डलीय मुख्यालय है और सामरिक ऐतिहासिक तथा औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी जनसंख्या 5 लाख से ऊपर है, परन्तु दुर्भाग्य से, शहर के अन्दर पांच स्थानों पर रेलवे फाटक होने के कारण बीकानेर के निवासियों को बड़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। यातायात ठप्प हो जाता है और इसलिए लम्बे समय तक गड़बड़ी रहती है। ये रेलवे फाटक दिन में 40 से लेकर 50 बार तक बन्द रहते हैं। इसके परिणामस्वरूप, हर किसी पर चाहे वह कार्यालय जाने वाला हो, रोगी हो, डाक्टर हो या व्यवसायी हो, गम्भीर प्रभाव पड़ता है।

बीकानेर नगर को बड़ी रेलवे लाइन से मिलाया जा रहा है और सूरतगढ़ से बीकानेर तक एक नई बड़ी रेलवे लाइन निर्माणाधीन है, इस प्रकार एक नई बड़ी लाइन बिछाई जा रही है। इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, नया रेलवे स्टेशन ऐसी जगह बनाया जाए, जहां से रेलवे फाटकों की संख्या कम से कम हो। अतः, पुलों का निर्माण भी इस समस्या से स्थायी हल के रूप में किया जाए। अतः, रेल मन्त्री महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त समस्या की जांच की जाए और ऐसे उपयुक्त उपाय करें जो वे जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सही समझें।

12.19 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा करेगी और उन पर मतदान होगा। श्री विष्णु प्रसाद अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री विष्णु प्रसाद (कलियाबोर) : महोदय, मन्त्रालय के महत्व के ढ़ोल पीटने की आवश्यकता नहीं है। प्रेस, आकाशवाणी, दूरदर्शन और चलचित्र सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के कार्यक्षेत्र में आते हैं। ये हमारे प्रजातन्त्र के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग हैं। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठनों पर ही प्रजातन्त्र का अस्तित्व और शक्ति निर्भर करती है। उन्हें जनता को प्रजातन्त्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के अपने वांछित लक्ष्यों की ओर बढ़ने में सहायक होना चाहिए। वे न केवल मनोरंजन के साधन ही हैं, परन्तु सूचना और संचार के भी साधन हैं। एक समय ऐसा भी था जबकि हम आकाशवाणी और दूरदर्शन को मनोरंजन का साधन समझते थे, परन्तु आज वे केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं हैं, वे सूचना और ज्ञान का भी साधन हैं। अतः, इस मन्त्रालय का मूल उद्देश्य क्या है ? इस मन्त्रालय का मूल उद्देश्य विभिन्न विषयों पर सूचना, विचार, समाचार और मत प्रकट करने का है। दूसरे शब्दों में, विभिन्न क्षेत्रों और भागों में ज्ञान के प्रसारण का उत्तरदायित्व इस मन्त्रालय के इन महत्वपूर्ण अंगों पर निर्भर करता है। हमें न केवल सीमित लोगो को ही सूचना प्रदान करनी चाहिए, अपितु हमें तो अपने देश की समस्त जनता तक सूचना पहुंचानी चाहिए। और आजकल इस मन्त्रालय के विद्यमान विभागों द्वारा जो सूचना पहुंचाई जा रही है वह मध्यम-वर्गीय मूलक सूचना बनकर रह गई है। परन्तु हमारे देश की बहुसंख्यक जनता को सूचना पहुंचाने की नीति तय करने का यह समय है जिससे कि उन्हें दिन-प्रतिदिन की सूचना और ज्ञान से अवगत कराया जा सके और तभी वे सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यक्रमों में सहायता पहुंचा सकते हैं। मैं समझता हूं कि 'इन्सेट-1बी' की सहायता से, जो कि आजकल सक्रिय है, दूरदर्शन को समस्त देश भर में ले जाया जा सकता है। दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के व्यापक उपयोगार्थ शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के कार्यक्रम दिखाए जा सकते हैं। इस समय भारत में 35 लोगों के पीछे एक दूरदर्शन सेट पड़ता है। परन्तु 'यूनस्को' का मानदण्ड एक क्षेत्र में पांच व्यक्तियों के पीछे एक दूरदर्शन सेट है। लेकिन विकसित देशों की प्रतियोगिता में आने के लिए, हमें और तीव्र गति अपनानी होगी।

छठी योजना के पूरा होने पर और दूरदर्शन की विशेष विस्तार योजना के पूरा होने पर आकाशवाणी और दूरदर्शन तक और अधिक जनता की पहुंच हो जाएगी।

मन्त्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में कहा गया है;

"छठी योजना की परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर, यह आशा की गई थी कि आकाश-

वाणी के कार्यक्रम 86% क्षेत्र तक और 95% जनता तक पहुंच जाएंगे जबकि यह आशा की गई थी कि दूरदर्शन के कार्यक्रम 17% क्षेत्र तक और 33% जनता तक पहुंच जाएंगे। तथापि, हाल के वर्ष में एक विशेष दूरदर्शन विस्तार योजना तैयार की गई थी जिसमें नवम्बर, 1984 तक देश की 70% जनसंख्या तक कार्यक्रम पहुंचाया जाएगा, जिसमें 68 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त है।

यदि योजना के अनुसार इसे लागू कर दिया जाए तो यह हमारे देश के प्रचार माध्यम के इतिहास में महत्वपूर्ण बात न होगी और इससे देश के ग्रामीण स्वरूप में परिवर्तन लाने में सहायता मिलेगी।

देश में दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना लागू करने के भारत सरकार के निर्णय की जनता के सभी वर्गों द्वारा प्रशंशा और सराहना की गई है। इससे सम्बद्ध दो पहलू हैं, प्रथमत: विशेष विस्तार योजना से दूरदर्शन के कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी और दूसरे इससे देश में इलेक्ट्रानिक उद्योग के विस्तार को प्रश्रय मिलेगा। ये दोनों मुख्य पहलू हैं। यहां पर मैं गोहाटी दूरदर्शन केन्द्र का उल्लेख करना चाहूंगा। चालू योजना योजना में गोहाटी में एक परिपूर्ण दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करने का कार्यक्रम था। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था। परन्तु इसको कार्यरूप देने के लिए और कुछ नहीं किया गया है। वार्षिक रिपोर्ट में केवल यही कहा गया है कि "गोहाजी और त्रिवेन्द्रम में अगले वर्ष के शुरू में अंतरिम दूरदर्शन स्टूडियो बनाए जाएंगे।" जबकि यह कहा गया था कि गोहाटी में एक परिपूर्ण दूरदर्शन स्टूडियो बनाया जाएगा तो मन्त्रालय अन्तरिम दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की बात क्यों सोच रहा है? और वह भी अगले वर्ष में माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि जैसे पहले योजना थी एक दूरदर्शन स्टूडियो बनाया जाए और पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक स्थायी स्टूडियो की स्थापना की जाए। यह सामरिक महत्व का क्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस योजना से पहले शीघ्रातिशीघ्र उस दूरदर्शन स्टूडियो की स्थापना करें जैसा कि मन्त्रालय के कार्यक्रम में प्रस्ताव था।

इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जैसा कि मंत्रालय ने कहा है दूरदर्शन का उद्देश्य मुख्यत: "सामाजिक और आर्थिक प्रगति में मदद करना है तथा सूचना शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करने के लिए एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में कार्य करना है।" यदि ऐसा है, तो मंत्रालय को इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करना चाहिए, जिससे देश के सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जानकारी और ज्ञान का लाभ प्राप्त हो सके।

सरकार ने दूरदर्शन की व्यापक योजना के कार्यकरण की जांच करने के लिए डा० पी० सी० जोशी समिति का गठन किया था। यहां पर मैं दूरदर्शन के कुछ कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूंगा।

दूरदर्शन सप्ताह में तीन चलचित्र प्रदर्शित करता है जिसमें दो हिन्दी फिल्में, एक प्रादेशिक फिल्म और इसके अलावा कुछ कामुक नृत्यों और 'चित्रमाला' दिखाता है। सप्ताह में तीन फिल्में

दिखाना समाज और छात्र समुदाय के हित में नहीं है। दूरदर्शन 'चित्रहार' में कुछ ऐसे नृत्य दिखाता है जो कि सपरिवार नहीं देखे जा सकते हैं। इनका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस तरह के नृत्य नहीं दिखाने चाहिए।

गुरुवार को दिखाई जाने वाली फिल्म बंद की जानी चाहिए या फिर रात्रि 9 या 10 बजे के बाद प्रदर्शित की जानी चाहिए। रविवार की फिल्म इस प्रकार की होनी चाहिए जो कि सपरिवार देखी जा सके।

कार्यक्रमों को बनाने में आवश्यक सतर्कता बरती जानी चाहिए, जिससे समाज और यूवाओं पर कुप्रभाव न पड़े बल्कि राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हों।

"टाइम्स आफ इण्डिया" ने 15 सितम्बर, 1983 के अपने सम्पादकीय में लिखा था :

"यद्यपि वर्तमान कार्यक्रमों का दर्शकों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई विश्वसनीय सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं हैं किन्तु यह स्पष्ट है कि इस देश और विश्व के बारे में जानकारी और विचार और छवि तथा इतिहास, राजनीति, संस्कृति, रहन-सहन और मनोरंजन के लिए भी दर्शक अधिकाधिक दूरदर्शन पर निर्भर करने लगे हैं।

साथ ही मध्य वर्ग के लोगों के विशेषकर युवाओं के कृत्रिम रूप से टेलिविजन के आदी बनने से परिवार का इसी के अनुसार वातावरण बन जायेगा। यह इतना ही क्षतिकारक भी होगा क्योंकि यह युवाओं को सार्वजनिक जीवन, सामाजिक चर्चा और राजनीति से अलग रखेगा और वे अपने उस समकक्ष वर्ग से दूर हो जायेंगे, जो कि उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है।"

महोदय, सम्भवत: लोगों की भी आम राय यही है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इसको यथा महत्व देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्यक्रमों के स्तर में सुधार हो।

हमारे देश में दूरदर्शन के विकास और विस्तार का मुख्य कारण यह है कि 1985 में जब प्रधान मन्त्री सूचना एवं प्रसारण मंत्री बनी थीं तब से ही इस मन्त्रालय को दूरदर्शन के विकास और विस्तार के लिए प्रधान मन्त्री से प्रोत्साहन मिलता रहा है। वर्तमान मन्त्री श्री एच० के० एल० भगत भी योग्य व्यक्ति हैं और इस माध्यम के सुसंचालन के लिए किसी भी सुझाव का सदा स्वागत करने को तैयार रहते हैं। मुझे आशा है कि उनके और उनके सहयोगी उप मन्त्री के नेतृत्व में उनका मन्त्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि मन्त्रालय ने जो विस्तार कार्यक्रम अपनाया है उसे पूर्णरूपेण क्रियान्वित किया जाएगा।

दूसरे में यह भी असंगत न होगा, यदि मैं गुटनिरपेक्ष बैठक और राष्ट्रमंडलाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के दौरान कुशल कार्यनिष्पादन के लिए मन्त्रालय को बधाई दूं। उन्होंने सभी विदेशी संवाददाताओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाई। विदेशी प्रसारण संगठनों को भी सुविधाएं दी गईं जिससे कि मन्त्रालय ने बहुत नाम कमाया।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मन्त्रालय डिब्रूगढ़ के आकाशवाणी केन्द्र में 300 कि० वा० के

ट्रांसमिटर लगाने का विचार कर रहा है और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नई समन्वित प्रसारण सेवा देने के लिए गोहाटी और शिलांग आकाशवाणी केन्द्रों को मजबूत बनाने का भी प्रस्ताव है। इस क्षेत्र के लिए जो प्रस्ताव मन्त्रालय ने रखे हैं उसके लिए मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। किन्तु आज की आवश्यकता क्या है। आकाशवाणी में कोई राष्ट्रीय चैनल नहीं है। पड़ोसी देश, पाकिस्तान और बंगलादेश में भी राष्ट्रीय चैनल है, किन्तु हमारे देश में नहीं है। अतः हम अपने विचारों को प्रसारित करने में और इस देश की अपार जनता को जानकारी देने में पिछड़ गए हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आकाशवाणी गोहाटी के कार्यक्रम मेरे अपने नगर नौगोंग में भी, जो कि गोहाटी से केवल 75 मील की दूरी पर है, सुनाई नहीं देते हैं। अतः गोहाटी केन्द्र की प्रसारण क्षमता का विस्तार किया जाना चाहिए ताकि मध्य असम और असम के निचले भागो में भी गोहाटी रेडियो कार्यक्रम सुने जा सकें। रेडियो देश के हजारों-लाखों लोगों तक पहुंचने का सरल और विश्वनीय माध्यम है। जब तक दिल्ली आकाशवाणी केन्द्र की प्रेषण क्षमता को 1000 मे० वा० तक बढ़ायी नहीं जाती है तब तक सारे देश में इसके कार्यक्रम सुने नहीं सुन जायेंगे। विदेश सेवाएं भी अत्यन्त दुर्बल हैं। जिन देशों के लिए यह प्रसारित की जाती है उन देशों में यह सुनाई ही नहीं पड़ती हैं। अतः उसे सक्षम और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, और यहां जनजातीय भाषाओं को मिलाकर करीब 146 भाषाओं में आकाशवाणी से प्रसारण होता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि सांस्कृतिक और भाषाई अभिव्यक्ति की व्यवस्था हो सके। अधिकतर मामलों में दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रम बेकार और नीरस होते हैं। मन्त्रालय ने जो टेलीविजन कार्यक्रम समिति का गठन किया, उनका भी यही मत है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम बहुत घटिया किस्म के हैं। अतः राष्ट्रीय एकता, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यक्रम देश की नई पीढी को प्रेरणा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे। यह तभी संभव होगा जब योग्य, कल्पनाशील, चरित्रवान और गतिशील व्यक्ति निर्माता या कार्यक्रम बताने वाले हों। मैं मन्त्रालय से आग्रह करूंगा कि वह इस पहलू पर गौर करें।

इस सम्बन्ध में भी मैं 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के एक सम्पादकीय से उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें वर्तमान स्थिति का सही चित्रण किया है और मैं चाहता हूं कि मन्त्रालय इस पर विचार करे। मैं उद्धृत करता हूं।

"यदि सरकारी संचार माध्यम को प्रभावी बनाना है तो पूरी योजना को ही बदलना होगा। उसे देश में उच्च कोटि की प्रतिभा आकर्षित करना चाहिए। कल्पना और परिष्कृत ढंग से कार्यक्रम पेश किए जाने चाहिए।" यही इसमें कमी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय इस ओर गौर करेंगे।

आज दूरदर्शन और अकाशवाणी के कार्यक्रमों में मौलिकता, कल्पना, व्यावहारिकता और व्यवसायिकता की आवश्यकता है। और यही बात वृत-चित्रों पर भी लागू होती है। सरकार की नीतियों के प्रचार में भी बुद्धिमता तथा प्रभावी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अन्यथा इसे कोई नहीं देखेगा। जिस प्रयोजन से उसे दिखाया या प्रसारित किया जा रहा है उसमें वह सफल नहीं होगा और न ही वह लोगों को आकर्षित कर सकेगा। अतः इन कार्यक्रमों को जीवंत और गतिशील

बनाने के लिए आवश्यक सावधानी से काम लिया जाना चाहिए जिससे अधिक से अधिक लोग इन कार्यक्रमों को देखें जिनके द्वारा सरकार देश की तस्वीर प्रस्तुत करना चाहती है। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के विशेष प्रयास किए जाने चाहिए जो ग्रामीण भारत के लिए रुचिकर हों और उन मूल्यों को प्रदर्शित करते हों जिन्हें भारत वासियों और इस देश ने हमेशा संजोया है। देश के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं के लिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जो युवाओं में राष्ट्रीय भावना पैदा करें।

देश में जो फिल्में बनती हैं उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश में अधिकतर फिल्में हिंसा और कामवासना से भरी होती हैं। यह सही है कि कलाकार के काम में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। परन्तु कला के नाम पर ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए जो समाज के हित को क्षति पहुंचाएं, ऐसी फिल्मों को समाज के वातावरण और मूल्यों को दूषित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारे समाज और देश के कुछ ऐसे मूल्य हैं जो हमने संजोए हुए हैं।

प्रत्येक व्यक्ति प्रैस की स्वतंत्रता की बात करता है। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या प्रैस स्वतंत्र है ? प्रैस स्वतंत्र इस दृष्टि है क्योंकि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। परन्तु अधिकतर समाचार पत्र देश के बड़े व्यापारी घरानों के स्वामित्व में हैं। इस बात से सभी सहमत हैं। मैं समझता हूं इस देश में तीन प्रकार के समाचार-पत्र हैं। एक प्रकार के समाचार-पत्र वे हैं जो बड़े व्यापारी घरानों के स्वामित्व में हैं। वे ऐसे प्रत्येक समाचार को दबा देते हैं। जो उनके हक में नहीं होता है। दूसरे प्रकार के समाचार-पत्र वे हैं जो देश के श्रमिक वर्ग और कृषिकों के जायज संघर्ष को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। और तीसरे ऐसे भी समाचार-पत्र हैं जो कि देश की उपलब्धियों का प्रकाशित ही नहीं करते हैं।

यह तीन प्रकार के समाचार-पत्र आजकल हमारे देश में हैं।

अत: मैं समझता हूं कि सरकार के लिए जरूरी है कि वह प्रैस के स्वामित्व के अनावश्यक विस्तार पर विचार करें। अभी हमें सही और निष्पक्ष समाचार नहीं मिल रहे हैं। यह इसलिए है कि समाचार-पत्र व्यापारी घरानों और स्वार्थी लोगों के नियंत्रण में हैं। किसी भी चीज का एकाधिकार बुरा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : समय का एकाधिकार भी बुरा होता है।

श्री विष्णु प्रसाद : समाचार-पत्रों का एकाधिकार उतना ही बुरा है जितना कि व्यापार का। इसलिए मैं मन्त्रालय से आग्रह करता हूं कि प्रैस एकाधिकार को समाप्त किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्रालय की मांगों का एक बार फिर समर्थन करता हूं।

श्री दौलत राम सारण (चुरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की मांगों के अवसर पर हमें इस मन्त्रालय की गतिविधि, कार्य पद्धति और इसके कार्य का लेखा-जोखा

करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मन्त्रालय है। जनता और सरकार का माध्यम इस मन्त्रालय के द्वारा ही चलता है। इस मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एकक आकाशवाणी, दूरदर्शन, पत्र-सूचना कार्यालय, प्रकाशन विभाग, गवेषणा और संदर्भ प्रभाग, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, गीत और नाटक प्रभाग, फिल्म प्रभाग, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार—इसी सन्दर्भ को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और पंजीकृत संस्थाएं—भारतीय जन-संचार संस्थान, बाल फिल्म समिति और भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान भी मन्त्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करते हैं। ये सभी संस्थायें भी भारत की सूचना व्यवस्था का अंग हैं। मन्त्रालय के सभी माध्यम एकक तथा संगठन राज्य सरकारों और जन-संचार के काम में लगी अन्य सरकारी एजेन्सियों से भी तालमेल कायम रखते हैं। इनका काम इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार की सारी योजनाओं के कार्यक्रम और नीतियों को जनता तक पहुंचाना और जन भावनाओं को सरकार तक पहुंचाना—यह दोहरा काम इस मन्त्रालय का है। इन विभिन्न माध्यमों के द्वारा जनता तक सरकार की बात पहुंचाने का काम करने हैं। जन-भावनाओं की अभिव्यक्ति और सारे कार्यक्रमों के प्रति जनता के अन्दर जो प्रतिक्रिया होती है, उसको सरकार तक पहुंचाने का काम अवश्य ही यह मन्त्रालय नहीं करता। जो इसका एक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य है। अगर यह कार्य करता होता तो आज देश में जो विभिन्न जगहों पर हिंसक घटनाएं और अलगाव की प्रवृत्तियां पैदा हो रही हैं और समय-समय पर जो दंगे-फसाद होजाते हैं और भीषण आन्दोलन खड़े हो जाते हैं, यदि समय रहते उनकी जानकारी सरकार को मिलती, तो सरकार उनके समाधान की चेष्टा करती। लेकिन न तो सरकार की गुप्त सेवाएं सूचना देती हैं और न यह मंत्रालय ही जन भावनाओं और जन-प्रतिक्रियाओं से सरकार को अवगत करता है। इस दृष्टि से मैं देखता हूं कि यह विभाग अपना कार्य करने में, अपनी ड्यूटी अदा करने में बिल्कुल असफल रहा है।

इस मन्त्रालय के तो महत्त्वपूर्ण एकक हैं, उनमें आकाशवाणी का प्रथम स्थान है। आकाशवाणी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं, जैसे सूचना, संवाद, संगीत, वार्तायें तथा अन्य कार्यक्रम। लेकिन उन कार्यक्रमों में गांवों की आम जनता के हित के कार्यक्रम बहुत कम होते है और जो होते हैं उनके लिए बहुत कम समय दिया जाता है। लोक संगीत के नाम पर गांव का जो विकृत संगीत है, अश्लील संगीत है, जिसको हम 'डोरी' कहते हैं, उसको आकाशवाणी के कार्यक्रमों में स्थान दिया जाता है तथा जो उनका समृद्ध लोक संगीत या लोक साहित्य है उसके प्रसारण का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। इसलिए मेरा निवेदन है कि गांवों में बसने वाली देश की 80 प्रतिशत जनता तक सही ढंग के कार्यक्रम पहुंचाने की चेष्टा की जाय तथा उनकी समस्याओं से राज्य सरकारों को अवगत कराया जाय जो हम विभाग का एक महत्त्वपूर्ण कार्य है। हमारे गांवों में 70 प्रतिशत से अधिक जनता अशिक्षित है, अधिकांश लोग बेरोजगार हैं, 60 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं, अधिकांश गांवों में पीने का पानी नहीं है, न चिकित्सा की व्यवस्था है और न शिक्षा की व्यवस्था है। क्या आपका यह मंत्रालय इन समस्याओं से राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को अवगत कराने की कोशिश करता है? क्या उनके सामाजिक रीति-

रिवाजों में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है ? आज वहां पर छोटे-छोटे मासूम बच्चों की शादियां पुलिस बैंड के साथ घोड़ी पर बरात निकाल कर की जाती हैं, इसके सम्बन्ध में जो कानून बना हुआ है, उस बारे में न कोई कार्यवाही की जाती है और न हीं प्रचार किया जाता है। संसद और विधान सभाओं के द्वारा अनेक समाज सुधार के कानून बने हुए हैं लेकिन उनके बारे में सामान्य जनता को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। जनता को उन कानूनों की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण उन कानूनों की अनुपालना नहीं हो पाती है और न ही प्रशासन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करता है। मैं चाहता हूं कि इस मंत्रालय को अपनी इस महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारी को समझना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए।

इस तरह की हालत आज दूरदर्शन में फैली हुई है। दूरदर्शन के द्वारा बहुत रद्दी और भद्दी फिल्में दिखाई जाती हैं। यद्यपि इनका कार्यक्रम बहुत थोड़े समय के लिए होता है, फिर भी रात को साढे दस बजे तक बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इस तरह के ऊलजुलूल कार्यक्रम दूरदर्शन पर दिखाए जाते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि दूरदर्शन पर अच्छे और शिक्षाप्रद कार्यक्रम दिखाए जाएँ जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, उनका ज्ञानवर्धन हो, उसके अन्दर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय स्वाभिमान पैदा हो। परन्तु खेद का विषय यह है कि अधिकांश कार्यक्रम भद्दे, अशलील, उत्तेजना पैदा करने वाले, सैक्स को बढ़ाने वाले, कुत्सित भावना जगाने वाले दिखाए जाते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी सावधान करना चाहता हूं—अपने प्रचार माध्यम से सही ढंग से प्रचार करें, जिससे सही दिशा में जनमत जाग्रत हो, सही दिशा में राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय चेतना पैदा हो और जनता में पारस्परिक मेलजोल की भावना पैदा हो—इस तरह के सन्जीदा कार्यक्रम दिखाए जाने चाहिए।

अशिक्षा हमारे देश के लिए एक भयंकर अभिशाप है, उसको दूर करने की दिशा में प्रेरणादेने वाले कार्यक्रम दूरदर्शन और रेडियो पर प्रसारित किए जाने चाहिए। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के कार्यक्रम अभी तक प्रसारित नहीं हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इस तरफ विशेष ध्यान दिया जाय। यह मंत्रालय और इसके विभाग, एकक अपने माध्यमों द्वारा व्यवस्थित ढंग से काम करे. तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं लेकिन अभी तक इसकी विश्वसनीयता जनमानस पर जमी नहीं है। यह देखा जा सकता है कि आकाशवाकी को सुनने की अपेक्षा लोग बी० बी० सी० को अधिक प्रामाणिकता के साथ सुनते हैं क्योंकि बी० बी० सी० बहुत अच्छे कार्यक्रम देता है और उस की विश्वसनीयता लोगों के दिमाग पर ज्यादा है। जब भारतीय आकाशवाणी पर कोई संवाद या कोई कार्यक्रम सुनने की बात आती है, तो लोग यह कहते हैं कि जाने दो यह तो इन्दिरा रेडियो है, बी० बी० सी० लगाओ और उसको लोग विश्वास के साथ सुनते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि हमको अपने रेडियो और दूरदर्शन की विश्वसनीयता कायम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा मंत्रियों के भाषण और उनके कार्यक्रमों का प्रचार न करके नीतिगत और उपयोगी कार्यक्रम पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल तो इन पर बहुत ज्यादा समय दिया जाता है।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इन संस्थाओं पर जब तक सरकार का नियंत्रण रहेगा, तब तक सही ढंग से काम नहीं हो सकता। इसलिए इसको स्वायत्तशासी निगम बनाना चाहिए और पूरी स्वतन्त्रता देनी चाहिए ताकि यह अपने कार्यक्रमों का संचालन सही ढंग से कर सके। अभी जो आवश्यक बातें हैं, वे इनमें कम आती हैं और ये संस्थाएं और यह निगम, यह एकक और सारा मीडिया एक प्रकार से सरकार के प्रचार का ही माध्यम बना हुआ है और सरकार के नाम पर पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष का प्रचार मात्र इन माध्यमों के द्वारा होता है जोकि सही नहीं है। इसलिए इनको स्वायत्ता प्रदान करनी चाहिए और स्वायत्ता कायम करके इनकी सेवाओं को अधिक विस्तृत और व्यापक बनाया जाए और बी० बी० सी० की तरह इसको बनाया जाए। मैं यह नहीं कहता कि आप बिल्कुल बी० बी० सी० की नकल करें क्योंकि बी० बी० सी० में भी बहुत सी गन्दगी है लेकिन उसकी जो सर्विस है और जिस तरह के कार्यक्रम उसमें दिए जाते हैं, हमारे यहां भी ऐसे ही कार्यक्रम बनाए जाएं, जो उपयोगी और हितकर हों।

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमारे यहां कलाकारों की कोई इज्जत नहीं है और मनमाने ढंग से कलाकारों को भर्ती किया जाता है। बहुत से अच्छे-अच्छे कलाकार जो गांवों में बिखरे पड़े हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है और जिन कलाकारों से कोई खुश हो जाता है, उन्हीं को मौका मिल जाता है। इसी तरह से बहुत से कवि हैं, जो सरकार के गुंह लगे हैं, उनके कार्यक्रम बराबर ही होते रहते हैं लेकिन अधिकांश अच्छे कवियों के कार्यक्रमों को नहीं रखा जाता है। यही हाल वार्ताओं का है। कुछ चहरे ही हो हमेशा नजर आते हैं लेकिन जो बहुत अच्छे वार्ताकार हो सकते हैं, और प्रयत्नपूर्वक उनको लाया जाए, तो वे अपने प्रोग्राम दे सकते हैं लेकिन इसको सही तरीके से नियोजित नहीं किया जाता है। इस प्रकार से रेडियो और दूरदर्शन की जो उपयोगिता है, वह समाप्त हो गई है, संकुचित हो गई है और मैं यह कहता चाहता हूं कि उपयोगिता को आपको व्यापक बनाना चाहिए।

आज हमारे बोर्डर पर पाकिस्तान को टेलीविजन दिखाई देता है और पाकिस्तान, चीन और वी० बी० सी० का रेडियो सुना जाता है। हमारे रेडियो को सुनने के लिए बहुत से स्थानों पर उपलब्धता नहीं है और वहां आवाज ही नहीं सुनी जाती। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में इस तरह का प्रबन्ध होना चाहिए कि हमारे रेडियो की आवाज ठीक प्रकार से सुनी जा सके और हमारा प्रसारण वहां पर हो सके। इसके अलावा दूरदर्शन भी वहां ठीक से दिखाई दे सके, ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए। अगर बोर्डर के इलाकों में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो दूसरी जगहों के कार्यक्रम वहां के लोग सुनेंगे और उनका प्रभाव वहां के जनमानस पर होगा। इसलिए इस तरफ ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

बच्चों के लिए खास तौर से अच्छे कार्यक्रम देने चाहिए। बच्चों के कार्यक्रम देने की कुछ कोशिश तो होती है लेकिन वे ज्यादा उपयोगी कार्यक्रम नहीं होते हैं। इसलिए बच्चों के लिए उपयोगी कार्यक्रम बनाए जाएं, जिससे बच्चों के मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़े और उनका विकास करने में वे सहायक हों। इस तरह के कार्यक्रम बनाने की कोशिश आपको करनी चाहिए

और लोगों के मनों में जो विकृतियां हैं, जो अन्ध विश्वास हैं और जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का माध्यम एक अभियान के रूप में इनको बनाया जाना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम हों जो जनता को सही दिशा में गाइड कर सकें। किसी व्यक्ति या पार्टी विशेष के लिए नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक ढंग से जनमानस को जाग्रत करने की कोशिश करनी चाहिए तभी सही ढंग का वातावरण बन सकेगा, तभी इसका सही उपयोग हो सकेगा। अगर कचरे को महत्त्व दिया गया और गलत दिशा की तरफ इन साधनों को ले जाया गया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए मैं दूरदर्शन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सातवें गुटनिर्पेक्ष शिखर सम्मेलन और राष्टमण्डलाध्यक्षों की बैठक के बारे में सफल प्रसारण का सारा श्रेय मेरे मित्र श्री भगत को जाता है।

श्रीमान, जब से श्री भगत ने इस मन्त्रालय का कार्य-भार ग्रहण किया है, मैं उन्हें कोडाईक-कनाल में उच्च शक्ति का ट्रांसमिटर लगाने के सम्बन्ध में लिखता रहा हूं। हालांकि पिछले दस वर्षों से हम कीडाईक नाल में उच्च शक्ति द्वारा ट्रान्समिटर लगाए जाने के बारे में सुन रहे हैं किन्तु अभी तक वहां पर कोई काम नहीं किया गया है। पहले यह कहा गया था कि स्थानीय सरकार ने भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। दो वर्ष पूर्व कहा गया था। कि भूमि मन्त्रालय के सुपुर्द कर दी गई है। हाल ही में पिछले हफ्ते मुझे बताया गया कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। वे सभी चुप्पी साधे बैठे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ समय पूर्व श्री भगत ने मुझे बताया कि कुछ मशीनें आयात की जा रही हैं। वे मशीनें भी पहुंच गई हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है।

श्रीमान, दूरदर्शन का यह रजत जयन्ती वर्ष है। मन्त्रिमन्डल ने दूरदर्शन के विस्तार की एक विशेष योजना को मन्जूरी दे दी है जिसमें वर्ष 1984 के अन्त तक देश के विभिन्न भागों में 13 उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटर तथा 113 कम शक्ति वाले ट्रांसमिटर लगाए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री कोडाईनाल में चल रहे काम की गति के बारे में बताएं।

माननीय मन्त्री यह भी बताया है कि तिरुचिरापल्ली, सेलम, कोयम्बतूर, नेवेली और तंजाबुर में कम शक्ति वाले ट्रांसमिटर लगाए जा रहे हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : पहला कोडाईकनाल में लगेगा।

श्री के० टी० कोसलराम : क्योंकि इससे मदुरई रामनाथपुरम, तिरुनवेली और कन्याकुमारी चार जिलों में कार्यक्रम प्रसारित होगा।

श्रीमान, श्रीलंका के लोग सभी किस्म का भारत विरोधी प्रचार कर रहे हैं। हमारे लोग उसे ही सुन रहे हैं। यह टोका जाना चाहिए। इसलिए कोडाईकनाल ट्रांसमिटर को लगाने का कार्य इसी वर्ष पूरा किया जाना चाहिए। आपने पहले ही मुझे आश्वासन दिया है। आप जानते हों या नहीं लेकिन वहां कुछ भी नहीं हो रहा है।

1.00 म० प०

महोदय, मैं तो कहूंगा कि इस मन्त्रालय के कामकाज के बारे में वर्ष में कम से कम एक बार बोलने का यह एक मौका है।

मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों की विधानसभाओं की बैठकों को टेलीविजन में प्रसारित किया जाना चाहिए ताकि लोग जान सकें कि उनके प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। यह एक सुझाव है यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों को इस बारे में पता लगाना चाहिए। वे हमारे मालिक हैं। वे हमारे मतदाता हैं। इसलिए उन्हें यह जानना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और यहां क्या क्या होता है। कुछ समय पूर्व विपक्ष के लोगों ने इस बारे में कहा था। बहुत से मौकों पर गणपूर्ति नहीं होती है। जनता को इसकी जानकारी होनी चाहिए। जनता को जानना चाहिए कि उनके प्रतिनिधि संसद, लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित नहीं रहते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर श्री भगत से निवेदन करता हूं कि राज्य सभा, लोक सभा और राज्य विधानसभाओं की बैठकों का दूरदर्शन पर प्रसारिण किया जाए।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारा दूरदर्शन हमेशा सिनेमा उन्मुख है। मेरा सुझाव है कि साम्प्रदायिक झगड़ों, धार्मिक हठ धर्मिता, भाषा विवादों और राजनीतिक झगड़ों द्वारा राष्ट्रीय एकता को पहुंचाए जा रहे नुकसान को दूरदर्शन में अधिक दिखाया जाना चाहिए। दूरदर्शन में अस्पृश्यता, दहेज प्रथा, जाति वाद आदि सामाजिक समस्याओं को प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र इस बारे में कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस दिशा में उन्हें अपनी गतिविधियों का और विस्तार करना चाहिए।

श्रीमान, मद्रास में एक युवक ने सात लोगों की हत्या की। यह समाचार सभी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ। अब उस युवक ने अपने बयान में यह स्वीकार किया है कि सिनेमा से प्रभावित होकर उसने एक समय में सात लोगों का खून किया। ऐसी फिल्मों को प्रदर्शित करने की इजाजत क्यों दी जाती है। इस बारे में आपका सेन्सर क्या कर रहा है? आप किस किस्म के लोग इसमें नियुक्त कर रहे हैं। मैं जानता हूं वहां पर ऐसे लोग हैं जिन्हें देश के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं। आपको केवल ऐसे लोगों का ही चयन करना चाहिए जो राष्ट्र के प्रति वचनबद्ध हैं जो आपकी नीतियों के प्रति वचनबद्ध हों, नीति से मेरा अर्थ सरकार की नीतियों से हैं। केवल इसी प्रकार के लोगों का चयन किया जाना चाहिए। यहां तक कि अनुभवहीन लोग भी सेन्सरशिप समिति के सदस्य हैं। माननीय मन्त्री को कुछ मार्गनिदेश देने चाहिए कि सेन्सरशिप को कैसे अपना कार्य करना चाहिए। मैंने कभी भी आपको और आपके पूर्व मन्त्री को सेन्सर बोर्ड में किसी व्यक्ति को नियुक्त

करने की सिफारिश नहीं की है । मेरा निवेदन है कि मन्त्री महोदय को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त देने चाहिए कि सेन्सर बोर्ड में किस किस्म के लोग लिए जाने चाहिए ।

महोदय राज्य सभा में फिल्म उद्योग के लोग, उद्योगपति, और समाजसेवी लोगों को मनोनीति किया गया है । मुझे मालूम कि कोई वरिष्ठ प्रैस संवाददाता अथवा वरिष्ठ पत्रकार को राज्य सभा में मनोनीत कर सम्मानित किया गया है। श्रीमान् जो लोग फिल्मों में अभिनय करते हैं वे राज्य सभा के लिए मनोनीत किए जा रहे हैं—पत्रकारों को क्यों नही मनोनीति किया जाता ? इसलिए मैं सूचना और प्रसारण मन्त्री महोदय से जो राष्ट्रीय प्रचार तन्त्र के प्रभारी हैं निवेदन करूंगा उन्हें ख्याति प्राप्त पत्रकारों को सम्मानित करने के लिए अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। जब हम फिल्म उद्योग, शिक्षा, उद्योग आदि के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को सम्मानित कर राज्य सभा में नामजद करते हैं तो मैं देखता हूं किसी वरिष्ठ प्रैस संवाददाता अथवा किसी वरिष्ठ पत्रकार को राज्य सभा की सदस्यता के लिए मनोनीत करके सम्मानित नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री किसी वरिष्ठ प्रेस संवाददाता को राज्य सभा के लिए मनोनीत कर लोकतंत्र के प्रैस क्षेत्र के प्रति अपना सदभाव व्यक्त करें। महोदय वर्ष 1983 में प्रादेशिक सेन्सर बोर्ड द्वारा 128 तमिल फिल्में प्रमाणित की गइ । तेलगू फिल्मों की संख्या 134 के करीब है हिन्दी फिल्मों की संख्या लगभग 132 है । मुझे यह कहना है कि प्रादेशिक सेन्सर बोर्ड को सलाह दी जानी चाहिए कि वे हिन्सा, हत्या, अपहरण, बैंक डकैती आदि के चित्रण के बारे में सख्ती बरतें । प्रादेशिक सेन्सर बोर्ड को ऐसे दृश्यों का सेन्सर करते समय सख्ती से पेश आना चाहिए । इस उद्देश्य के लिए प्रादेशिक सेन्सर बोर्डों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए जाने चाहिए ताकि वे फिल्मों को प्रमाणित करते समय उन पर कड़ाई से अमल कर सकें । मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री श्री एच० के० एल० भगत इन सभी समस्याओं पर विचार करेंगे और इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे । धन्यवाद ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन ने राष्ट्र के विकास एवं प्रगति में राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने में, राष्ट्र के नागरिकों को जागृत एवं शिक्षित करने में तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रचार व प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और कर रहा है । परन्तु इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन जहां राष्ट्र की प्रगति और विकास में सहायक हो सकता है, वहीं चरित्र के निर्माण में उसकी भूमिका नगण्य है, वह भूमिका गौण है । आज देश में चरित्र निर्माण की बहुत आवश्यकता है और चरित्र निर्माण में जिस प्रकार की भूमिका दूरदर्शन अदा कर रहा है, उसकी किसी सूरत में प्रशंसा नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी जितनी निन्दा की जाए, उतनी थोड़ी है। उसका कारण यह है कि हमारे जितने बच्चे दूरदर्शन के कार्यक्रम देखते हैं, उनकी रुचि एक विशेष प्रकार की हो जाती है और उनमें किसी तरह चरित्र निर्माण की भावना अथवा चरित्र को उन्नत करने की लालसा नहीं रह जाती । इसके बदले उनमें अनुशासनहीनता और बढ़ जाती है और उनका माइन्ड सैक्स के प्रभाव में इस प्रकार रंग जाता है जो उनकी प्रगति में और राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है । इसके एक अच्छे नागरिक का निर्माण नहीं हो सकता । आज हमें राष्ट्र के लिए ऐसे नव-युवकों की आवश्यकता है जो राष्ट्र की प्रगति एवं विकास में सहायक हों । परन्तु दूरदर्शन से जिस प्रकार की फिल्म्स या पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं, सप्ताह में एक दिन, उनका सलैक्शन इस प्रकार

किया जाता है कि जिससे इस दिशा में कोई लाभ नहीं होता, और सिर्फ नुकसान होता है। अत: इस नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है।

हमारे देश में आकाशवाणी और दूरदर्शन का विस्तार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। आज आकाशवाणी का लाभ देश की 87 प्रतिशत जनता को और दूरदर्शन का लाभ देश की 40 प्रतिशत जनता को मिल रहा है। छठी पंचवर्षीय योजना में दूरदर्शन का लाभ 70 प्रतिशत जनता तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान लोक सभा के 17.4.1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 711 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि रेडियो स्टेशन या दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने के लिए स्थानों का चयन विभिन्न बातों तथा ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या को कवर करने की सीमा, सीमावर्ती क्षेत्रों, सुदूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए सेवा, श्रमजीवी वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या के बड़े भाग का कवरेज, कार्यक्रम निर्माण तथा कार्यक्रम लिंकिंग सुविधाओं तथा अन्य अवस्थापना की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यह गाइडलाइन्स प्रस्तुत की गई हैं आज के ही जवाब में इन गाइडलाइन्स का दूरदर्शन और आकाशवाणी पालन नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है कि मेरे क्षेत्र में, जो सीमावर्ती है और पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है, तथा इन गाइडलाइन्स में भी आता है, उसकी उपेक्षा की गई है। अभी 87 परसेंटेज कवरेज किया गया है, और जिसे कवर नहीं किया गया है उसमें हमारा क्षेत्र है और उसकी बार-बार अवहेलना हो रही है। जब वर्तमान प्रधान मन्त्री सूचना मन्त्री थीं हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में आयी थीं और उन्होंने आश्वासन दिया था, तब युद्ध चल रहा था, कि बाड़मेर और जैसलमेर के अन्दर रेडियो स्टेशन स्थापित करेंगे। और चौथी योजना में इसका प्रावधान रखा गया, परन्तु फाइनेंशियल कंस्ट्रेन्ट का नाम लेकर और इसी प्रकार पांचवी योजना में भी वही बहाना लेकर कोई रेडियो स्टेशन स्थापित नहीं किया गया। छठी योजना में भी मैंने मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित किया कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है, मेरे अकेले क्षेत्र का क्षेत्रफल पंजाब के बराबर है, हरियाणा से ड्योढ़ा है और केरल से दुगुना है, आप क्यों इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। 50 प्रतिशत जनता जयपुर, जोधपुर, दिल्ली के रेडियों स्टेशन की आवाज नहीं सुन सकती। पाकिस्तान रेडियो की इतनी बुलन्द आवाज है कि हमारे लोगों को मजबूरन लाहौर और करांची सुनना पड़ता है जिससे लोगों के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। युद्ध के समय में अगर यह स्थिति हो तो हमें कैसे जानकारी मिलेगी कि हमारी विजय हो रही है या नहीं। इसी प्रकार शान्ति के समय देश में क्या विकास हो रहा है लोगों को पता नहीं चलता। हम जो बोल रहे हैं संसद समीक्षा भी हमारे क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती है। तो यह स्थिति कैसे वर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए आप इसी वर्ष रेडियों स्टेशन बाड़मेर और जैसलमेर में स्थापित करें। मंत्री ने मुझे आश्वासन दिलाया है और पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, अधिकारियों से कह रहे हैं कि किसी भी तरह से सीमावर्ती क्षेत्र में रेडियो स्टेशन स्थापित होने चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप स्पष्ट इस बारे में आज जवाब दें।

टी० वी० क्षेत्र में आपने सीमावर्ती क्षेत्र का जरूर ध्यान रखा है और बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर में टी० वी० के बारे में आपने घोषणा की सैन्टर स्थापित करने के लिए। लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। राजस्थान में 9 टी० वी० सैन्टर स्थापित

करने की घोषणा की गई है, लेकिन उसमें से एक भी अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। जब आपने तय कर दिया है कि 1984 के अन्दर टी० वी० सैन्टर्स स्थापित कर दिए जायेंगे तो इस बारे में आपको ठोस कदम उठाने चाहिए और मई के अन्त में हमारे यहां टी० वी० सैंटर स्थापित कर देने चाहिए।

लो पावर ट्रांसमिटर्स से जो टी० वी० का प्रसार और प्रचार होगा उससे बाड़मेर जिले की 5 प्रतिशत जनता को लाभ होगा...जैसलमेर जिले की 5 प्रतिशत, जोधपुर जिले की 25 प्रतिशत, बीकानेर जिले की 15 प्रतिशत, गंगानगर की 15 प्रतिशत जनसंख्या को लाभ होगा। पाकिस्तान से लगे सीमावर्ती क्षेत्र की जनता को इसका लाभ नहीं पहुंच सकेगा। 15 किलोमीटर की रेंज के लोग ही उसको सुन सकेंगे बाकी लोग नहीं सुन सकेंगे।

आज हम इस देश के प्रहरी हैं, पहरेदार हैं। हमें देश में युद्ध के समय/प्रहरी के नाम से पुकारा जाता है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को इस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए कि वह देश की गतिविधियों की जानकारी रख सके। इसलिए लो-पावर ट्रांसमीटर को हाई-पावर ट्रांसमीटर में बदला जाना चाहिए। इसके बारे में जल्दी निर्णय लिया जाना चाहिए।

टेलीविजन की दृष्टि से भी पाकिस्तान आगे है। उसकी आवाज बहुत बुलन्दी के साथ हमारे क्षेत्रों में पहुंचती है। उसके चित्र भी हमारे यहां अच्छे पहुंचते हैं। हमारे यहां के लो-पावर ट्रांसमीटर किसी भी तरीके से देश की आवाज हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में नहीं पहुंचा सकते। इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाने चाहिए।

जोधपुर के रेडियो स्टेशन से मैं परसों ही सुबह न्यूज सुन रहा था कि एकदम उसमें इंटरप्शन्ज आ गए। वहां एक दिन में 25 बार इंटरप्शन्ज आते हैं। आपने वहां ऐसा रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाता है जो जोधपुर की बिजली पर ही निर्भर है और वहां बिजली की हालत बहुत खराब है। आप जोधपुर रेडियो स्टेशन के लिए अलग से बिजली की व्यवस्था करें। शहर की बिजली पर आप इसके लिए निर्भर न रहें। इस सम्बन्ध में आपको जानकारी करनी चाहिए।

सीमावर्ती क्षेत्रों में इन्फार्मेशन सेंटर, सूचना केन्द्र स्थापित करना बहुत आवश्यक है। अगर सूचना केन्द्र वहां हों तो लोगों को जानकारी मिल सकती है कि देश में किस प्रकार की प्रगति हो रही है। 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में, साहित्य के बारे में, जानकारी लोगों को हो सकती है। हमारे यहां बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर में किसी भी स्थान पर सूचना-केन्द्र नहीं है जो कि होने चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को जानकारी होनी चाहिए।

एक पब्लिक रिलेशन का आफिस बाड़मेर में है लेकिन वहां किसी अधिकारी की पोस्टिंग बहुत दिनों से नहीं की गई है। एक व्यक्ति 2 महीने के लिए आया था लेकिन अब फिर वहां काम रुका हुआ है। फेमिली प्लानिंग का कार्यक्रम हो या और कोई कार्यक्रम हो तो उसके बारे में डाकूमेंटरी फिल्म द्वारा लोगों को जानकारी नहीं मिलती है।

आप पब्लिक रिलेशन आफिस खोलें और किसी अधिकारी की पोस्टिंग वहां पर न करें तो यह उस क्षेत्र की अवहेलना है। इस बारे में तुरन्त निर्णय लेकर पोस्टिंग करनी चाहिए।

वीडियोज ने एक साल में हमारे राष्ट्र को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यहां के युवकों को बिल्कुल शैतान, निकम्मा, बेईमान और करप्ट बना दिया है। मेरी राय है कि इसको बिल्कुल बन्द कर दिया जाये और इसका नाम ही खत्म कर दिया जाना चाहिए। वीडियोज ने जहां नवयुवकों को खराब किया है, नुकसान पहुंचाया है वहां इससे हमारे एन्टरटेनमैंट टैक्स पर भी प्रभाव पड़ा है और वह प्राय: समाप्त हो गया है। वीडियोज ने हमारे देश का सर्वनाश कर दिया है। डेवलपमेन्टल एक्टीविटीज के लिए आप जरूर गाइड-लाइन निश्चित करें और सोशल परपज के लिए भी गाइड-लाइन निश्चित करें और उसकी स्क्रिनिंग होनी चाहिए। सोशल परपज के नाम पर अश्लीलता प्रदर्शित न की जाए।

फिल्मों में जो ओक्सीन दृश्य होते हैं, उन्होंने भी हमारे देश को बड़ा भारी नुकसान पहुंचाया है।

अभी चार-पांच दिन पहले मैं मावलंकर हाल में एक पिक्चर "शौकीन" देखने के लिए गया। मैं वहां पांच मिनट भी नहीं बैठ सका और मुझे वहां से उठ जाना पड़ा। एम, पीज, को इस प्रकार की पिक्चर्स क्यों दिखाते हैं, जो बिल्कुल भद्दी, आक्सीन, निकम्मी, वाहियात होती हैं, जो चरित्र का निर्माण करने के बजाए चरित्र का सर्वनाश और बर्बादी करती हैं ? यदि राष्ट्र का निर्माण और प्रगति करनी है, तो स्वामी विवेकानन्द, सी० आर० दास, सुभाषचन्द्र बोस आदि फ्रीडम फाइटर्ज के बारे में डाकूमेण्टरीज बनाई जानी चाहिए, जिनको देखकर लोग प्रेरणा लें। आज ऐसी फिल्म्ज बन रही हैं, जिनमें अश्लीलता के सिवाए और कुछ नहीं है। इस स्थिति को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। पता नहीं, सेंसर बोर्ड क्या कार्य करता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी (वाराणसी) : आप देखते क्यों हैं ऐसी फिल्में ?

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : पंडित जी ने ठीक फर्माया है। तीन वर्ष में मैं सिर्फ एक दफा यह पिक्चर देखने गया, ताकि जानकारी तो हो जाए कि किस प्रकार की पिक्चर्स बन रही हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी : मैंने पचास वर्ष में कोई फिल्म नहीं देखी।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैं इन अश्लील पिक्चर्ज का कट्टर विरोधी हूं।

अगर हमने राष्ट्र का वास्तविक निर्माण और विकास करना है, तो हमें अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। राष्ट्र की आजादी के लिए हमने बड़े भारी सेक्रिफाइस किए थे। अब राष्ट्र के निर्माण के लिए चरित्र का निर्माण और अनुशासन बहुत आवश्यक है और उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रेडियो और दूरदर्शन अदा कर सकते हैं, अगर उनको सही ढंग से चलाया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन (रामनाथपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1984-85 अनुदानों की मांगों के बारे में मैं सूचना और प्रसारण मंत्री के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

मैंने इस मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की वार्षिक रिपोर्ट देखी है। इस रिपोर्ट से लगता है कि इस मंत्रालय के लिए निर्धारित सभी योजना लक्ष्यों को पूरा करना सम्भव है।

लेकिन यदि आप छठी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एक विपरीत तस्वीर नजर आएगी। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस मंत्रालय के लिए नियत 240.33 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 190.73 करोड़ रुपये खर्च हो सकेंगे जिसमें से 49.60 करोड़ रुपये बच जाएंगे। इससे मेरी इस विचारधारा की पुष्टि होती है। इस मंत्रालय के योजना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पायेंगे विशेषकर जब व्यय में कमी हो।

मैं इस सम्बन्ध में एक और दृष्टान्त देना चाहूंगा। वर्ष 1984-85 के अन्त तक 26 शहरों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने हैं। इसी प्रकार 116 शहरों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने हैं। तमिलनाडु में वर्ष 1984-85 के अन्त तक उच्च शक्ति वाला ट्रांसमिटर कोडाई-कनाल में और कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर तिरुचिरापल्ली सेलम, तंजावुर/कुम्बाकोनम, कोयमबटूर, नीवेली और पांडिचेरी में लगाए जाने हैं। जैसाकि तमिलनाडु से सत्ताधारी पार्टी के सदस्य ने मुझसे पहले जिक्र किया है कि इस संबंध में माननीय मंत्री को बहस के अपने उत्तर में तमिलनाडु में चल रहे काम की सुस्त रफ्तार के बारे में स्थिति स्पष्ट करनी है, कोडाईकनाल में कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गये हैं। जिन शहरों में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाने हैं अब तक वहां कोई भी प्रारम्भिक काम शुरू नहीं किया गया है। यह स्वाभाविक है कि कोई भी यह टिप्पणी करने के लिए मजबूर होगा कि वर्ष 1984-85 तक इस मंत्रालय के लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि तमिलनाडु में इन कामों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए वे स्वयं ध्यान दें।

जहां तक समाचार पत्रों का सम्बन्ध है, केन्द्र सरकार के विज्ञापन प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को नहीं दिए जा रहे हैं। यदि कुछ मामलों में विज्ञापन दिए भी जाते हैं तो देश के प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिकों की तुलना में उच्च लघु प्रादेशिक भाषाई और अंग्रेजी समाचार-पत्रों की दर बहुत कम होती है। उदाहरणार्थ 'दि हिन्दू' को दी जाने वाली दरें छोटे प्रादेशिक भाषाई-समाचार पत्रों की तुलना में बहुत ऊंची हैं। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को इस मामले की फिर से जांच करनी चाहिए और लघु क्षेत्रीय भाषाई समाचार-पत्रों के प्रति अच्छा व्यवहार सुनिश्चित करना चाहिए। यदि यह नहीं किया जाता है तो उन पर यह आरोप लगाया जा सकता है कि वे धनी समाचार-पत्रों को जनता के पैसे से और धनी बना रहे हैं। इस मंत्रालय के प्रकाशन प्रभाग ने गान्धी वांग्मय की 89 खण्ड अंग्रेजी में और 76 खण्ड हिन्दी में प्रकाशित किये हैं। इसी प्रकार

*तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

'आधुनिक भारत के निर्माता' श्रंखला के अन्तर्गत अब तक इस प्रभाग ने 57 अंग्रेजी में और 76 हिन्दी में प्रकाशित किये हैं। लेकिन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में उन्होंने प्रादेशिक भाषा की किसी भी पुस्तक के बारे में कोई सूचना नहीं दी है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि अब तक किन-किन प्रादेशिक भाषाओं में इनका प्रकाशन हुआ है।

महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन नये बीस सूत्रीय कार्यक्रम और केन्द्र सरकार की उपलब्धियों को ही प्रमुखता देते हैं। मुझे इस बात का एतराज नहीं कि हमारी माननीय प्रधान-मंत्री की घोषणाओं को महत्व दिया जा रहा है। वह आप चाहे कितनी ही बार कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य सरकारों की उपलब्धियों को भी आकाशवाणी और दूरदर्शन की योजना में महत्व के लिए कुछ स्थान दिया जाए चाहे वे सरकारें कांग्रेस (आई) पार्टी की हों या विपक्षी दलों की हों। माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में श्रीलंका के 'रूपवाहिनी' दूरदर्शन प्रसारण का प्रभुत्व है। कुछ वर्षों बाद यदि आप इन क्षेत्रों के युवा लड़के और लड़कियों से यह पूछें कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो वे फौरन जवाब देंगे—श्री प्रेमदास भारत के प्रधानमंत्री हैं। श्रीमान, आप जानते हैं वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं।

इसी प्रकार से इस प्रश्न का जवाब कि भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो उनका जवाब होगा श्री जयवर्धने। इस रवैये को बदलने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा सिर्फ कोडाई-कनाल में लगाए जा रहे उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर की स्थापना कार्रवाई में तीव्रता लाकर तथा रामनाथपुरम जिले को दूरदर्शन के अन्तर्गत लाकर ही किया जा सकता है। मद्रास दूरदर्शन के इंजीनियरों के अनुसार कोडाईकनाल में स्थापित किए जा रहे उच्च शक्ति वाले टांसमीटर से भी यह रामनाथपुरम जिले को लाभ नहीं पहुंचेगा जो कि श्रीलंका के समीप है। माननीय मंत्री न सिर्फ कोडाईकनाल में ट्रांसमीटर केन्द्र के जल्दी चालू करने का आश्वासन दें, अपितु रामनाथपुरम जिले को भी इससे लाभ पहुंचना चाहिए ताकि श्रीलंका से 'रूप वाहिनी' का सामना किया जा सके।

महोदय, श्रीलंका से प्रायोजित प्रसारण देश के सभी कोनों में पहुंचता है। मद्रास तथा तिरुचिरापल्ली में स्थित अखिल भारतीय रेडियो भी प्रायोजित प्रसारण होते हैं। दुर्भाग्यवश, मद्रास द्वारा प्रसारित प्रायोजित कार्यक्रम तिरुचिराप्पली में नहीं सुना जा सकता तथा तिरुचिराप्पली से मदुरई में नहीं सुना जा सकता, और रामनाथपुरम जिले के लोगों की तो खैर बात छोड़ ही दीजिए। इसमें तुरन्त सुधार की आवश्यकता है। माननीय मंत्री जी को यह देखना चाहिए कि उच्च आकृति सेटों को हमारे स्टेशनों में स्थापित किया जाए। मंत्री जी को समाचारों के प्रचार का दूभर कार्य सौंपा गया है। उदाहरण के लिए, चाहे सत्ता पक्ष की हार हो अथवा जीत चुनाव परिणामों की घोषणा में जरा भी विलम्ब नहीं होना चाहिए। चुनाव परिणाम किसी भी तरह

जल्दी या देर से घोषित होने चाहियें। आकाशवाणी को चुनाव परिणामों को वरीयता देनी चाहिए। मैंने यह इसलिए बताया है क्योंकि मुझे चुनाव परिणाम सुनने का अवसर पहले बी० बी० सी० से मिला और उसके पश्चात आकाशवाणी से सुनने को मिला। हम क्यों अपने आपको इस तरीके से अवमानित करें ? समय से चुनाव परिणामों की घोषणा से संचार साधनों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी/मैं चाहता हूं कि माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री इस ओर पुनः ध्यान दें और इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेय जारी करें।

मुझसे पहले वाले माननीय सदस्य ने वीडियो फिल्म की चोरियों के बारे में बताया। और उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार अत्यधिक सेक्स तथा हिंसा के चित्रण वाली फिल्मों से सामाजिक रीति-रिवाज प्रभावित हो रहे हैं। मुझे यह सुन कर बहुत दुःख हुआ कि इस प्रकार की एक फिल्म संसद सदस्यों का मावलंकर हाल में दिखाई गई थी। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी को सम्पूर्ण रूप से समाज के हितों की सुरक्षा करनी चाहिए। उन्हें फिल्मों को हमारे समाज की पारम्परिक मान्यताओं की महत्ता को कम नहीं करने देना चाहिए।

प्रादेशिक सेंसर बोर्डों के लिए एक समान संहिता होनी चाहिए। इस समय प्रत्येक प्रादेशिक सेंसर बोर्ड सदस्यों की मांग एवं सनक अनुसार कार्य कर रहा है। तमिल फिल्म के एक विशेष दृश्य को सेंसर किया जाता है और जब यही तमिल फिल्म हिन्दी में बनाई जाती है तो उस दृश्य को इजाजत मिल जाती है। जो तमिल व्यक्तियों के लिए अच्छा नहीं है वही दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

एक विशिष्ट समय के बाद मद्रास और अन्य जगह के दूरदर्शन दर्शकों को दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रीय कार्यक्रम विवशतापूर्ण देखना पड़ता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह बात सिर्फ मद्रास तक ही सीमित नहीं रख रहा हूं बल्कि यह सभी क्षेत्रों पर लागू है। मैं सुझाव देता हूं कि दूरदर्शन के दो चेनल होने चाहिए। जो व्यक्ति राष्ट्रीय कार्यक्रम देखना चाहते हैं उन्हें वे देखने दीजिए; अन्य लोग दूसरे चेनल पर अपनी पसन्द का कार्यक्रम देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रादेशिक फिल्मों को भी नियमित अंतराल के बाद दूरदर्शन पर दिखाना चाहिए। चौदह भाषाओं की फिल्मों को दूरदर्शन पर बराबर का अवसर मिलना चाहिए। दिल्ली में रह रहे तमिल व्यक्ति तमिल फिल्म देखने के लिए लालायित रहते हैं जो कि संभवतः साल में एक बार प्रसारित की जाती है। दूरदर्शन केन्द्रों पर प्रादेशिक भाषीय फिल्में जल्दी-जल्दी दिखाई जानी चाहियें।

मैं समाचारों को सेंसर करने का समर्थन नहीं करूंगा। किन्तु कभी-कभी ऐसा लगता है कि समाचारों का सेंसर राष्ट्र के हित में किया जाना जरूरी है। हाल ही में हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने चिरुचिराप्पली में एक आम सभा में बताया कि कुछ लोग दबाव डाल रहे हैं कि भारत श्रीलंका पर आक्रमण करे। वह अपने इस कथन का आशय नहीं समझाते और अगर हम उनकी सलाह मान लें तो सम्भव है कोई महाशक्ति भारत पर आक्रमण करने के लिए बाध्य हो जाए। इससे ऐसा आभास होता है कि जैसे माननीय रक्षा मंत्री ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के आगे घुटने

टेक दिए हैं—मैं कहूंगा कि उन्होंने स्वयं को अमरीकी सत्तावाद को समर्पित कर दिया है। सेंसर की वजह से सम्पूर्ण देश की अग्रिम प्रतिक्रयाओं से यहां उनका बचाव हुआ है, परन्तु श्रीलंका में ऐसे वक्तव्य दिए जा रहे हैं कि अगर 10 भारत भी श्रीलंका पर हमला करें, तो भी श्रीलंका को एक इंच भी नहीं हिलाया जा सकता। यह श्रीलंका संसद में बताया गया है। हमारी संसद में हमने कुछ भी ऐसा कहने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जोकि विदेशी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हो। लेकिन श्रीलंका ने अपने और भारत के पक्ष को बहुत से देशों में भारी प्रचार किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री जयवर्धन ने श्रीलंका की स्थिति की तुलना पंजाब की स्थिति से की है। हमें विदेशी राष्ट्रों को पंजाब की स्थिति के बारे में बताना चाहिए। विदेशी राष्ट्रों को श्रीलंका द्वारा दिए जा रहे एकतरफा समाचारों से बचाया जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सूचना और प्रसारण मंत्री इस मामले पर विचार कर प्रभावी कदम उठाएं।

मुझसे पूर्व माननीय सदस्य ने कहा कि लोकसभा तथा राज्य विधान सभाओं की बैठक को दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना चाहिए। तमिलनाडु में राज्यपाल का दोनों सदनों को अभिभाषण तथा वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत करने को दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। यह पद्धति यहां भी लागू की जा सकती है। इससे सदन में सदस्यों की उपस्थिति भी अधिक होगी तथा सदन की कार्यवाही भी अधिक अच्छे ढंग से होगी। सदन के दोनों सदनों को राष्ट्रपति का अभिभाषण तथा वित्त मंत्री द्वारा सामान्य बजट प्रस्तुतीकरण को यहां पर भी दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाना चाहिए। इससे देश के लोगों को पता चलेगा कि राष्ट्र के उच्चतम प्रतिनिधि मंच पर उनके प्रतिनिधि किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्रन, आपने सरकार को बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मिनिस्ट्री आफ इन्फार्मेशन और ब्रौडकास्टिंग की अनुदान मांगों का समर्थन करता हूं।

इस मिनिस्ट्री के काम करने का जो तरीका है, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जनता सरकार के बीच में यह कैसे तालमेल बैठाता है और सरकार के जो कार्यक्रम हैं, वे जनता के पास किस प्रकार पहुंचें उनको एजूकेट करना, उनके भले के सम्बन्ध में किस प्रकार का कार्यक्रम करना और सरकार को जो कार्य कर रही है, उसका किस प्रकार से लाभ मिले, यह हमें देखना है। सब लोग मिल-जुलकर इस देश में किस तरह से एकता कायम कर कर सकते हैं और इस देश को मजबूती दे सकते हैं. यहां जो अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, उनको किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, इस प्रकार के जितने भी सरकार के कार्यक्रम हैं, उन सारे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों को देना और उनको एजूकेट करना इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस क्षेत्र में किस तरीके से उसने काम किया है और भविष्य में किस तरह से काम करना चाहिए, इस सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है।

जो सरकार काम करती है, 35 सालों में योजनाओं के जरिए से हमने अपने देश को जिस तरह से आगे बढ़ाया है और लोगों की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए जिस तरह से काम किया है, गरीबी की रेखा के नीचे से ऊपर जितने लोगों को उठाया है, किस प्रकार से लोगों के लिए रोजी और रोटी के सम्बन्ध में काम किया है, जिस प्रकार से खेती-बाड़ी में काम किया है, जिसकी वजह से हम सैल्फ-सफीशियेन्ट हुए हैं और जो अन्य प्रकार के प्रोग्राम हमने अपने देश में चलाए हैं और हम आत्मनिर्भर हुए हैं, उनके बारे में अगर हम लोगों को इन माध्यमों के द्वारा नहीं बतायेंगे, तो हमारा देश आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए जो-जो ऐसे सैक्टर हैं, जिनमें हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, अपने देश को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित कर सकते हैं, उन क्षेत्रों में किस तरीके से काम किया जाए, इसके सम्बन्ध में लोगों को जानकारी देने का काम इस डिपार्टमेंट का है। जो जानकारी दी जा रही है, क्या वह ठीक प्रकार से दी जा रही है। इसके बारे में फिर से तवज्जह देने की आवश्यकता है।

आज देश की पापूलेशन में देश के गरीब किसान 70 परसेंट हैं। आप उनकी उन्नति के लिए इन माध्यमों से क्या उपाय कर रहे हैं। आपने जो समय सारिणी दी है उसके अनुसार तो ज्यादातर समय संगीत और दूसरी चीजों में ही चला जाता है। कृषि पर तो आप बहुत कम समय दे पा रहे हैं। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे आम लोगों को फायदा होगा। दो-तीन साल पहले भी मैंने इसी बात पर जोर दिया था कि यह एक इम्पोरटेंट व्यवस्था है। इसको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए। इस ओर विभाग ने क्या कार्यवाही की है। फसल की जानकारी किसानों को मिलती है या नहीं, बीज, पेस्टीसाइड्स आदि की जानकारी, मौसम की जानकारी किसानों को मिलती है या नहीं। बारिश, अंधड़, तूफान, भूचाल आदि की जानकारी समय पर पहुंचाई जाती है या नहीं, इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। इस ओर क्या प्रयत्न किए गए हैं। समुद्र के किनारे भूचाल और तूफान आदि से अरबों-खरबों रुपयों का नुकसान हो जाता है, फसल, मकान सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस तरह की जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए विभाग क्या प्रयत्न करने जा रहा है। भविष्य में इसके लिए क्या योजना है जिससे इन लोगों को लाभ पहुंच सके।

एजूकेशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में केवल 30 प्रतिशत लोग शिक्षित हैं। बाकी 70 प्रतिशत लोग अनपढ़ हैं। इनके लिए विभाग क्या करने जा रहा है। सरकार ने इसके लिए कई योजनाएं बनाई हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम में भी एडल्ट एजूकेशन के लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन यह प्रोग्राम किस तरीके से चलता है। 150 रुपए में कोई आदमी अपने काम को किस तरह से अंजाम दे सकता है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इस तरह से करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है और गरीबों को शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है। इस क्षेत्र में आपका विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। गरीब लोग हैं जो किताब नहीं खरीद सकते, पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे सकते। उनके लिए आपको शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम

रखने चाहिएं, ताकि ये लोग शिक्षित हो सकें । अभी आप कक्षाओं के लिए पांचवीं, छटवीं, सातवीं आदि कक्षाओं के लिए तो कार्यक्रम देते हैं, लेकिन एडल्ट एजूकेशन के कार्यक्रमों का नितान्त अभाव है । प्रोग्राम इतने कम हैं कि देश के गरीब विद्यार्थियों को इसके जरिए से एजूकेट नहीं कर सकते । इस प्रोग्राम को और व्यापक बनाने की आवश्यकता है । जो अनपढ़ या आर्थिक रूप से कमजोर हैं और इस प्रकार की फैसिलिटीज को प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनके लिए भविष्य में किस प्रकार के कार्यक्रम बनाने का विचार है ? इससे 70 प्रतिशत अनपढ़ लोगों को फायदा हो सकता है । इस सम्बन्ध में तो एनुअल रिपोर्ट, न छठी पंचवर्षीय योजना और न सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोई ज्यादा ध्यान दिया गया है । इसलिए, इस तरफ तवज्जह करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है । इस देश की 70 प्रतिशत जनता को दूरदर्शन या रेडियो के जरिए से जितने भी आपके ड्रामा, संगीत या दूसरे प्रोग्राम हैं, उनके द्वारा एजूकेट करने के लिए क्या योजना है ? इसी तरह से एक हैल्थ प्रोग्राम है । इस देश के करोड़ों लोग अंधे, बहरे, पोलियो, केन्सर या टी० बी० जैसी अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं । इस बीमारियों को भविष्य में इरेडिकेट करने के लिए डाक्टरों द्वारा कितने लैक्चर आदि दूरदर्शन या रेडियो द्वारा करवायेंगे जिससे इस देश के लाखों लोग इन प्रिवेन्टिव मैजर्स को एडोप्ट कर सकें । कभी-कभी सुबह के समय किसी डाक्टर का भाषण सुनाई पड़ता है । लेकिन, क्या उस छोटे से प्रोग्राम से इस देश की इतनी बड़ी पीड़ित जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं ? इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि भविष्य में कौन-कौन से प्रोग्राम बना रहे हैं, जिससे इन बीमारियों से राहत पाने के लिए लाखों लोग प्रिवेन्टिव मेजर्स ले सकें ? लेबर का एक ऐसा फील्ड है, जिसके सम्बन्ध में विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है । लेबर, देश की इन्डस्ट्री में सबसे ज्यादा सहयोग देने वाली संस्था है । ये लोग किस प्रकार से ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकें, किस तरह से इनकी प्रोविडेण्ट फण्ड, बोनस और ग्रेच्युटी आदि की कठिनाई दूर हो सके, इस सम्बन्ध में प्रयास करने की आवश्यकता है जिससे इनको रेडियो या दूरदर्शन के द्वारा जानकारी हो सके । इसके द्वारा इनको अपने सारे कानूनों के बारे में जानकारी हो सकती है । इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं जिससे ये लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर एक अच्छे नागरिक बनकर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन इन्डस्ट्री में करवा सकें । अगर, इस ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो आप देश में नेशनल इंटीग्रेशन नहीं ला सकते और सिक्योरिटी को कायम नहीं रख सकते और न ही देश को ज्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं । इन सारे फैक्टर्स के बारे में आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

अब मैं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । हमारे बहुत से लोग जो गांवों में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनको आज बीस सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि यह कार्यक्रम क्या है, सरकार किस तरह की योजना चलाना चाहती है, उनकी गरीबी को दूर करने के लिए, उनको गरीबी की सतह से ऊपर उठाने के लिए सरकार ने यह बीस सूत्री कार्यक्रम चलाया है । इस कार्यक्रम के बारे में आपके रेडियो और टी० वी० ने लोगों को क्या जानकारी दी है, उनको दी जाने वाली सबसिडी और दूसरे राहत कार्यों की क्या सूचना दी है, बैंकों के जरिए से सरकार का उनकी गरीबी दूर करने का क्या प्रोग्राम है, उसके सम्बन्ध में इस सरकार ने और आपके विभाग ने लोगों को क्या जानकारी दी है । वैसे तो आप कहते हैं कि देश

में लगभग 80 प्रतिशत जनता के पास हमारे रेडियो के कार्यक्रम पहुंचते हैं और 18 या 20 प्रतिशत जनता के पास हमारा टेलीविजन पहुंचता है, लेकिन जिन लोगों तक आपका रेडियो और टी० वी० पहुंच चुका है, उस जनता को एजूकेट करने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है ताकि उनको बीस सूत्री कार्यक्रम के बारे में पूरा ज्ञान हो सके। क्योंकि यह ऐसा कार्यक्रम है, जिसके जरिए हम इन गरीब लोगों की आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। मगर आज लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं है। हमारे अधिकारी लोग इस कार्यक्रम के नाम पर उन लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, सरकार ने उन गरीबों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, जो कार्यक्रम बनाये हैं, उनको इम्पलीमैंट नहीं होने देते। यदि सही ढंग से इसको क्रियान्वित किया जाए तो हमारे बहुत से गरीब लोगों की गरीबी दूर की जा सकती है। लेकिन हमारी सरकार और इन्दिरा गांधी जी ने इन गरीबों के लिए जो कार्यक्रम तैयार किया है, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है, जगह-जगह ब्लाक्स में, बैंकों में या अन्य स्थानों पर अधिकारी वर्ग उसका दुरुपयोग कर रहा है। इन गरीब लोगों की गरीबी दूर करने में सबसे ज्यादा योगदान आपका महकमा दे सकता है। यदि यह सही तरीके से सजग और प्रहरी बनकर काम करे तो निश्चित रूप से बीस सूत्री कार्यक्रम की जानकारी लोगों को दी जा सकती है और अच्छी तरह से उस कार्यक्रम को इम्पलीमेंट किया जा सकता है··· **(समय की घंटी)**···

अभी मुझे थोड़ा-सा और कहना है। चूंकि आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं, यदि आपको पसन्द न हो तो फिर मैं बैठ जाता हूं। उपाध्यक्ष जी, इसीलिए मैं पांच-सात महत्त्वपूर्ण प्वाइंट्स के बारे में ही कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान फिल्म्स के बारे में दिलाना चाहता हूं। जैसा हमारे भाई साहब ने भी कहा, कुछ समय पहले, कि टी० वी० पर दिखाई जाने वाली फिल्मों की सलैक्शन ठीक से नहीं होती। केवल रोटीन फिल्म्स ही दिखाई जाती हैं, जिनमें वही लव अफेयर्स वाली बातें होती हैं, या कुछ ऐसी फिल्में दिखाई जाती हैं, जिनमें वही रोटीन नेचर की बातें होती हैं। मेरा ख्याल है कि सारे देश में जितनी भी फिल्में बनती हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री व्यास, आपने कौन-सी फिल्म देखी है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने तो खैर नहीं देखी हैं, लेकिन हमारे यहां जो भी फिल्में बनती हैं, उनमें सारी की सारी स्टोरी एक जैसी ही होती हैं। चाहे वे फिल्में बंगाल में बनें, पंजाब में बनें, नौर्थन स्टेट्स में बनें या बंबई में बनें। मैं नहीं समझता कि आपका सेंसर बोर्ड क्या करता है। वैसे तो आपने सैंसर बोर्ड में अमैंडमैंट भी की है, उसके मैम्बर्स को भी बढ़ाया है, मगर अब भी हमारा सैंसर बोर्ड ऐसी फिल्मों को पास कर देता है, जिनमें कई ऐसी बातें होती हैं, जैसे जुआ खेलना, रेप के केसेज होना और कई दूसरी इसी तरह की कुरीतियों को दर्शाया जाता है। आप देखिए कि इनका असर हमारे छोटे-छोटे बच्चों और नौजवानों पर क्या पड़ रहा है। क्या इनके

स्थान पर हमारे देश में ऐसी फिल्में नहीं बन सकतीं जिसके कारण लोगों में जागृति पैदा हो, जिससे उनका मौरल ऊपर उठे, जिसके कारण हमारे नौजवानों के दिल और दिमाग पर इस देश के प्रति मर-मिटने की भावना जागृत हो। क्या इस तरह की व्यवस्था आप इस फिल्मों के जरिए नहीं कर सकते। लेकिन फिल्मों को बनाने के पीछे हमारे लोगों का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए। रातों-रात वे कैसे करोड़पति बन जाएं, अरबपति बन जाएं और ऐसी फिल्मों के जरिए भले ही ज्यादा से ज्यादा लोगों का चरित्र खराब हो जाए। इसलिए मंत्री महोदय सरकार जो पैसा खर्च करती है, जो फिल्में आपका डिवीजन बनाता है, उनको तो कम-से-कम अच्छा बनाइए जिससे उनका असर आम लोगों पर अच्छा पड़े, जिससे उनको अच्छी एजूकेशन मिल सके। हमारा फिल्म्स डिवीजन भी कहीं उसी उद्देश्य से प्रेरित होकर फिल्में न बनाने लग जाए, जैसा कि आम लोगों का उद्देश्य आजकल अधिक से अधिक पैसा कमाना हो गया है। उसके बदले आप ऐसी फिल्में बनाइए, जिससे इसका असर आम लोगों पर ज्यादा से ज्यादा पड़े, उनसे नेशनल इंटीग्रेशन की भावना पैदा हो, कम्यूनल भावना समाप्त हो, आपस में प्रेमभाव बढ़े, भाईचारे की भावना का विकास हो, देश के प्रति मर-मिटने की भावना पैदा हो। यदि इस प्रकार की फिल्मों का निर्माण हमारे यहां होगा तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकता है और आज ऐसी फिल्मों को बनाने की बड़ी आवश्यकता है। इसी तरह से जितने भी रेडियो सैन्टर्स स्थापित कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था और अभी माननीय वृद्धि चन्द्र जैन कह रहे थे, आपका रेडियो सुनाई नहीं देता है, बल्कि पाकिस्तान का सुनाई देता है। इसी प्रकार से हमारा क्षेत्र जयपुर और जोधपुर के बीच में है लेकिन भीलवाड़ा में इन रेडियो स्टेशन्स की आवाज साफ नहीं आती है। आपने कहा भी था कि भीलवाड़ा में रेडियो स्टेशन खोलेंगे क्योंकि वह एक अच्छा इण्डस्ट्रियल सेन्टर है। मैं चाहूंगा कि आप उस आश्वासन को पूरा करें। भीलवाड़ा में रेडियो स्टेशन नितान्त आवश्यक है।

इसी तरह से टी० वी० रिले सेन्टर भी भीलवाड़ा में बनायें। आपने अपनी किताब में लिखा भी है कि कुछ करेंगे। आप जल्दी से जल्दी उसे पूरा कर दें जिससे आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभ हो। जितने भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उनकी जानकारी आम जनता को भी हो, पूंजीपतियों को भी हो और सरकार को भी हो। इन बैकवर्ड एरियाज की जानकारी अपने रेडियो और टी० वी० कलाकारों के जरिये से प्राप्त करके सारे लोगों को दी जाए ताकि जो भी उन क्षेत्रों को इंडस्ट्रियली एडवांस करना चाहें, उद्योग धंधे खोलना चाहें वह खोल सकें। क्या आपके विभाग ने ऐसे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोई जानकारी की है और सरकार को कोई जानकारी दी है ताकि उन बैकवर्ड एरियाज को आगे बढ़ाने में जो दिलचस्पी रखते हों वह उसका लाभ उठा सकें?

इसी तरह से प्रैस का मामला है, बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार ने रेडियो और प्रैस पर कब्जा कर रखा है। मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार का इन पर कब्जा होना चाहिए। अगर सरकार के कार्यक्रम इनके जरिये से लोगों के पास नहीं पहुंचेंगे तो किसके

पहुंचेंगे ? विरोधियों के ? नहीं। सरकारी तौर पर जो कुछ भी यह माध्यम कह सकते हैं वह और कोई नहीं कह सकता। रेडियो, टी० वी० और प्रैस इसीलिए हैं कि सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को मिल सके। जितने भी विरोधी दल के लोग हैं इनके दिमाग में तो यही है कि सरकार के अधीन इनको नहीं रखना चाहिए। मार्क्सिस्टों की सरकार बंगाल में क्या करती है उसकी जानकारी इन्हें नहीं है। मगर भारत सरकार के बारे में जरूर कहेंगे कि भारत सरकार ने यह किया और वह किया। बंगाल की सरकार को रवीन्द्रनाथ टैगोर ने जो किताबें लिखी हैं उनको भी बदलने का काम यह सरकार कर रही है। तो यह कभी संतुष्ट नहीं हो सकते चाहे भारत सरकार कितना ही अच्छा काम क्यों न करे। अतः सरकार को बेधड़क होकर अपने कार्यक्रम को रेडियो, टी० वी० और प्रैस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, गांव-गांव में पहुंचायें। विरोधी दल के लोगों के कहने की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए, और यह तो कहते रहेंगे। इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपने कार्यक्रम मुस्तैदी और तेजी के साथ लागू करने चाहियें ताकि देश की जनता को मालूम पड़े कि इन्दिरा गांधी की सरकार क्या कर रही है, किस तरह से गरीबी हटाने और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इस प्रकार की जानकारी तमाम देश के लोगों को मिलनी चाहिए तब जाकर इस देश के गरीबों तक सारी बातें पहुंच सकेंगी। आज गरीब लोग निश्चित रूप से इन्दिरा गांधी पर अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस डिपार्टमेंट की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री कमला मिश्र 'मधुकर' (मोतीहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत बार इस हाऊस के बाहर दिल्ली की सभाओं में हम लोगों ने एक साथ भाषण दिया है। मंत्री बन जाने के बाद लगता है कि इन पर भी बड़े मोनोपोलिस्टों, कैपिटलिस्टों या पूंजीपतियों का साया ही नहीं, बल्कि प्रबल प्रभाव पड़ चुका है।

इन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें बहुत-सी बातें हैं, मैं इनका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि आपकी विज्ञापन नीति बिल्कुल ही गलत है और बड़े अखबार परस्त है। आपके विज्ञापन में दो बातें होती हैं। पहली तो यह कि बड़े पैमाने पर आप विज्ञापन देते हैं बड़े अखबारों को, उसके अनुपात में छोटे अखबारों को या मझोले अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलते हैं और रेट भी उनको उनके बराबर नहीं मिलता है। न केवल सरकारी संस्थानों से, बल्कि पब्लिक सैक्टर से भी जो विज्ञापन छोटे और मझोले अखबारों को मिलते हैं वह ठीक नहीं दिए जाते हैं। यह आज बिल्कुल अनुचित है और मैं चाहूंगा कि आप विज्ञापन नीति को बदलें क्योंकि इस तरह के विज्ञापनों से बड़े लोगों को लाभ होता है, छोटे व मझोले पत्रों को वह लाभ नहीं मिलता है। इसलिए इन पत्रों के विकास में बाधा होती है। यह बात जो हो रही है, सरासर गलत है और मैं इसका विरोध करते हुए मांग कर रहा हूं कि इस पर आप विचार करें।

आपने एक एक्रीडिटेशन कमेटी बनाई उसमें आपने पत्रकारों की एक समिति बनाई है। उस समिति में वही लोग रखे गए हैं जो कि सरकार के भोंपू हैं। जो सरकार कहती है, उसकी मांग वह करते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सारे हिन्दुस्तान में सैकड़ों अखबार निकालती है, उसमें बहुत नामीग्रामी पत्रकार लोग होते हैं। क्या वजह है कि उन पत्रकारों में से एक आदमी भी इस समिति में नहीं लिया गया ? आप जवाब देते समय इसे बताने की कृपा करें।

2.03 म० प०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

आपकी न्यूज-प्रिंट पालिसी, अखबारी कागज बांटने की नीति गलत है। आपके ही आंकड़े हैं, आपने जो रिपोर्ट पेश की है, उसके मुताबिक 68.21 प्रतिशत आप बड़े अखबारों को देते हैं, 22.68 प्रतिशत मझोले अखबारों को और 9.11 प्रतिशत छोटे अखबारों को देते हैं। नतीजा यह होता है कि बड़े अखबार और बड़े बनते जा रहे हैं और छोटे व मझोले अखबारों की उन्नति नहीं हो रही है, वह समाप्त हो रहे हैं।

हमारे इलाके में बहुत छोटा अखबार निकलता है "अंगार चम्पारण संदेश" इत्यादि, लेकिन अखबारी कागज की कमी के चलते उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वह पूरा काम नहीं कर पाते।

होता क्या है कि बड़े अखबार वाले अपनी ब्लैकमनी को छिपाने के लिए नए-नए अखबार खोलते हैं। बिना क्लीयरेंस के, इस बात को बिना जाने कि उन पर बकाया है या नहीं, ऐसे अखबारों को कागज एलाट कर दिया जाता। वे अखबार टैक्स को ईवेड करते हैं। इसका परिणाम यह है कि अखबारों के चैन बढ़ रहे हैं और देश में मानोपली की नीतियों का प्रचार तथा प्रसार बड़े पैमाने पर हो रहा है। इससे जाहिर है कि सरकार बड़े मानोपली घरानों के सामने नतमस्तक है। मेरी आलोचना से सरकार की नीति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम है आलोचना करना और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।

सरकार को यह नीति निर्धारित करनी चाहिए कि बड़े अखबारों में 40 फीसदी से अधिक स्पेस में एडवरटाइजमेंट नहीं रहने चाहिए, ताकि मझोले और छोटे अखबारों को विज्ञापन मिलने में सुविधा हो। छोटे अखबारों की हालत यह है कि उनको टैलीप्रिंटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण उन्हें टेलीग्राम से समाचार मंगाने पड़ते हैं। डाक विभाग की दक्षता की स्थिति यह है कि टेलीग्राम महीनों बाद पहुंचता है और न्यूज पुरानी हो जाती है।

दिल्ली में पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधाएं नहीं हैं। नतीजा यह है कि वे मारे-मारे फिरते हैं या किसी एम० पी० के फ्लैट में रहते हैं। यदि सरकार पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहती है, तो उसे पत्रकारों के लिए आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए। दिल्ली के

छोटे अखबारों के पत्रकारों की यह पर्मानेंट मांग है। इस मन्त्रालय को अन्य विभागों का सहयोग लेकर इस समस्या को हल करना चाहिए।

जहां तक आल-इण्डिया रेडियो का सम्बन्ध है, मैं यह कहना एक सभ्य बात नहीं समझता कि आल-इण्डिया रेडियो वास्तव में आल-इन्दिरा रेडियो है। लेकिन इसमें सन्देह नहीं है कि इस देश के जो सर्वमान्य लक्ष्य हैं—समाजवाद, धर्म-निरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और साम्राज्यवाद तथा नव-उपनिवेशवाद का विरोध करना—आल-इण्डिया रेडियो से उनका प्रसारण सही ढंग से नहीं होता है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं।

देश के मूर्द्धण्य इतिहासकार, पण्डित रामशरण शर्मा, को 1982 में अंग्रेजी का स्क्रिप्ट पढ़ने का अवसर दिया गया, लेकिन 1983 में उसी विषय पर हिन्दी स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ने दिया गया। हमारी पार्टी के नेता, श्री इन्द्रजीत गुप्त, की बजट के बारे में प्रतिक्रिया को रेडियो से प्रसारित नहीं किया गया, जबकि दूसरे लोगों की प्रतिक्रिया को प्रसारित किया गया था। पश्चिम बंगाल के ओवरड्राफ्ट के सवाल पर श्री इन्द्रजीत गुप्त की प्रतिक्रिया को प्रसारित नहीं किया गया।

हमारे चम्पारण के इलाके में पीकिंग रेडियो सुनाई पड़ता है, लेकिन पटना का रेडियो सुनाई नहीं पड़ता। इसलिए पटना में, जो बिहार की राजधानी है, एक पावरफुल रेडियो ट्रांसमीटर लगाया जाए। इसके साथ ही मोतीहारी या रक्सोल या बेतिया में, जो नेपाल की सीमा पर है, दूरदर्शन केन्द्र और रेडियो स्टेशन खोले जाएं।

कुछ सदस्यों ने सही तौर पर आज की फिल्मों की आलोचना की है। आज हमारे देश में बेकारी है, गरीबी है। यह ठीक है कि नौजवानों की अपनी उमंगें और आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन आज की फिल्में समाज में क्राइम को बढ़ाने में मदद दे रही हैं। देश में ब्लू फिल्में आ रही हैं, जो वीडियो के जरिए घर-घर में दिखाई जाती हैं। मंत्री महोदय को गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि हमारे नौजवानों पर फिल्मों का क्या प्रभाव पड़ रहा है।

जहां तक दूरदर्शन का सम्बन्ध है, इस मन्त्रालय ने सराहनीय काम किया है। लेकिन उसने यह विचार नहीं किया है कि क्या मध्यम वर्ग तथा निम्न मध्यम वर्ग के लोग टेलीविजन सेट खरीद सकते हैं। वे नहीं खरीद सकते। सरकार को ऐसे टेलीविजन सेट बनाने की व्यवस्था करनी चाहिए, जिन्हें आम जनता खरीद सके और दूरदर्शन के कार्यक्रमों से लाभ उठा सके।

पश्चिमी चम्पारण और बेतिया जिले में टेलीविजन का कोई कार्यक्रम नहीं देखा जा सकता। हमारी मांग पर श्री विद्याचरण शुक्ल ने मुजफ्फरपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया, लेकिन वह काफी दूर पड़ता है। इसलिए पूर्वी चम्पारण या पश्चिमी चम्पारण में किसी जगह, या बेतिया, रक्सौल, मोतीहारी में टेलीविजन केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

आज विश्व साम्राज्यवाद अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने पर हिंदुस्तान को चारों ओर से घेरना चाहता है। आज देश को अपनी सीमाओं पर खतरा है। देश में फूट-परस्त ताकतें धर्म और क्षेत्रीयता के नाम पर तोड़-फोड़ में लगी हुई हैं और तरह-तरह से देश को बिखराव की ओर ले जा रही हैं। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की शक्तियों को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता की रक्षा करने में इस मंत्रालय को भी अपना योगदान करना चाहिए। यह ऐसा सवाल है कि जिसको रेडियो और टेलीविजन केन्द्रों पर प्रसारण का प्रबन्ध होना चाहिए ताकि इसके जरिए राष्ट्रीय अखण्डता, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता का प्रचार हो सके। साम्राज्यवाद से जो विश्व शान्ति को खतरा पहुंच रहा है उस खतरे को आप नहीं आंकते हैं, कम कर के आंकते हैं। प्रधानमंत्री जी कहती हैं लेकिन रेडियो में उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। साम्राज्यवाद से सारी दुनिया को जो खतरा है उसके खिलाफ प्रचार करने में आपकी आवाज बन्द हो जाती है। अमेरिका से पता नहीं कौन-सा भय आपको लगता है ? मैं चाहूंगा कि रेडियो टेलीविजन और फिल्में जो हैं इनके जरिए देश की जो आवश्यकता है उनका प्रचार हो उसके अनुरूप उसको बनाइए।

खास तौर से मध्यम श्रेणी के पत्रों और कम संख्या वाले पत्रों पर आप ध्यान दीजिए ताकि वह भी पनप पायें और ऐसे तत्त्वों पर जरा ध्यान दीजिए जो राष्ट्रीय अखण्डता को तोड़ने वाली हैं और राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में भ्रम पैदा करने वाली हैं। ऐसे पत्रों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि उससे आपके विकास में बड़ी कठिनाई पैदा होगी। जो देश की आवश्यकता है उसके अनुरूप इनको आप फिर ढालिए और आगे बढ़ाइए ताकि उसके अनुरूप आपका विभाग काम कर सके।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, अगर विरोधी लोगों की बातों का रेडियो पर ज्यादा प्रचार किया गया तो हिन्दुस्तान में जो चरित्र आज बन रहा है वह और कमजोर हो जाएगा।···**(व्यवधान)**···आप मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने पार्टियों के अन्दर जो टुकड़े किए हैं, हम तो चाहते हैं कि विरोधी दल मजबूत बने, एक बने और ताकतवर बने लेकिन आपने तो 16 पार्टियां बनाई हुई हैं और आज आपके कारण जो रेडियो पर तरह-तरह की खबरें आती हैं उनसे हिन्दुस्तान के लोग और भ्रमित होते हैं। आपने 16 तो पार्टियां बना रखी हैं, 40 चूल्हे बनाए हुए हैं तो ज्यादा समय तो आप ले जाते हैं। आप जो दोष देते हैं कि टी० वी० पर ज्यादा कांग्रेस की फोटो दिखाते हैं मगर आपकी जो 16 पार्टियां हैं···**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : 16 पार्टियों को तो 16 मिनट नहीं मिलता है।

श्री मूल चंद डागा : यहां सदन में भी जब बोलते हैं तो नेशनल फ्रन्ट वाले भी बोलते हैं और आप लोग तो 40 मिनट बोल लेते हैं, आप इतने मजबूत आदमी हैं इसलिए मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ये जो इतनी पार्टियां हैं इनको ज्यादा महत्व न दें, इनको तो परदे के पीछे ही रहने दें तो अच्छा है। इन्होंने तो देश को यह बता दिया कि कोई भी विरोधी संगठन मजबूत नहीं बन सकता। ये टुकड़े-टुकड़े में विभाजित हैं। देश को अगर किसी ने कमजोर किया है तो विरोधी

दलों ने किया है। एक बात सुनिए, राही जी, अगर विरोधी दल मजबूत बनता है। तो प्रशासन दुगुना मजबूत बनता है। मैं इसी बात का हामी हूं और मैं चाहता हूं कि आप मजबूत बनें, क्योंकि आप भी सरकार के अंग हैं। जब आकाशवाणी या दूरदर्शन पर श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात कही जाती है तो वह प्रधान मंत्री का प्रचार होता है और उस प्रधान मंत्री के प्रचार में आप भी शामिल हैं, क्योंकि वे न केवल हमारी पार्टी की प्रधान मंत्री हैं, बल्कि सारे सदन की प्रधान मंत्री हैं। जब भी कभी कोई प्रोग्राम आते हैं तो वे भारत सरकार के होते हैं, इसलिए जब भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की बात की जाती है तो प्रधान मंत्री के रूप में उन्होंने जो काम किए हैं उनका उल्लेख होता है और प्रधान मंत्री आपकी भी हैं, हमारी भी हैं, सारे सदन की हैं, सारे हिन्दुस्तान की हैं।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : लेकिन उनके साथ राजीव गांधी भी बीच में आ जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : राही जी, नियमों में ऐसा लिखा हुआ है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप हस्तक्षेप कर रहे हैं—यह आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि आप विद्वान् आदमी हैं, लेकिन विरोधी दल इन्हीं बातों के लिए बदनाम हुआ है। जब इस तरह से आप लोग बार-बार यहां बोलते हैं तो सोचने की बात यह है कि हमारी पार्टी को कितना समय मिलना चाहिए।

सभापति महोदय : आप चेयर की तरफ देखकर बोलिए, राही जी को मत देखिए।

श्री मूल चन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं—आपके सूचना और प्रसारण विभाग को एक बात समझ लेनी चाहिए···

श्री रामलाल राही : राजीव गांधी का नाम इसलिए बोला गया है, क्योंकि अब चुनाव नजदीक हैं, अब टिकट मिलने वाले हैं। कहीं ऐसा न हो कि टिकट न मिलें।

श्री मूल चन्द डागा : राजीव गांधी का नाम कांग्रेस पार्टी के साथ आता है। जैसे चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इन्द्रजीत गुप्ता और शास्त्री का नाम उनकी पार्टियों के साथ आता है। 16 पार्टियां हैं, मैं किस-किसके बारे में बतलाऊं।

सभापति जी, मैं इस बात को बतलाना चाहता हूं—1947 में इस देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन्ज थे, लेकिन आज उनकी संख्या 70 है—क्या यह प्रगति नहीं है? अगर आप प्रगति को देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखलाता हूं—पहले दूरदर्शन से केवल 30 परसेन्ट पापुलेशन का कवरेज होता था, लेकिन इस साल के अन्त तक 70 प्रतिशत जनता कवर की जाएगी—जो अपने आप में एक विश्व रिकार्ड है। राही जी, आप बहुत छानबीन करते हैं, दूरदर्शन के मामले में भारत सरकार ने जो प्रगति की है उस प्रगति का मुकाबला आप दुनिया के किसी भी देश से कर

सकते हैं, किसी भी देश को उस प्रगति की तुलना में रख दीजिये । लेकिन मैं मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं—आप गांवों की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए । ये जो अंग्रेजी-परस्त बाबू लोग हैं, जो शहरों में रहने वाली जनसंख्या है, जोधपुर में रहने वाली जनता के लिए आप दूरदर्शन की व्यवस्था करते हैं लेकिन जो गांवों में रहने वाली जनसंख्या है, मैं गांव से आया हूं, उन गांव में रहने वालों का क्या होगा ? यह माध्यम केवल शहर वालों के फायदे के लिए नहीं है । गांवों के लोग पढ़े-लिखे कम होते हैं, वे आपके दूरदर्शन का ज्यादा लाभ उठा सकते हैं । इसलिए हाई-पावर्ड ट्रांस्मीशन लगाकर जोधपुर ही नहीं, जैसा हमारे माननीय सदस्य ने बाड़मेर के लिए कहा है, जो 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ।

आप अपने माध्यमों से बहुत सारी लैंग्वेजेज में प्रचार का काम करते हैं, मैं इसका समर्थन करता हूं । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं—हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा हिन्दी है, आपके माध्यम से उसका ज्यादा प्रचार होना चाहिए ताकि वह आवाज गांवों तक पहुंच सके ।

आजकल आपने सिनेमाघरों की संख्या काफी बढ़ाई है । जगह-जगह सिनेमाघर खुल रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई गाइड-लाइन न होने के कारण अधिकारी लोग स्कूलों के पास, अस्पतालों के पास सिनेमाघर खोलने की इजाजत देते जा रहे हैं । इस तरह से आजकल सिनेमा-घर बनते जा रहे हैं । मैंने अपने शहर में देखा है कि सिनेमाघर बन गए हैं और कोई प्लानिंग नहीं है । बड़े आदमी अच्छी जगह लेकर न अस्पतालों की बात सोचते हैं और न स्कूलों की बात सोचते हैं और न वहां पर रहने वाले लोगों की बात सोचते हैं । इसलिए मेरा कहना यह है कि सिनेमाघर बनाने के लिए भी एक गाइड लाइन होनी चाहिए । मैं आपके सामने एक बड़े शहर की शिकायत करूंगा और आप उसकी जांच कराएं कि किस प्रकार से सिनेमाघर खोले गए हैं और बड़े-बड़े अधिकारी लोग नाजायज फायदा उठाकर ऐसी जगहों पर सिनेमाघर खोलने की इजाजत दे देते हैं जहां पर वे नहीं खुलने चाहिए । उनके लिए उपयुक्त जगह होनी चाहिए और मास्टर प्लान में वे आने चाहिए । हर जगह बिना सोचे-समझे सिनेमाघर खड़े हो जाते हैं और ऐसी जगहों पर खड़े कर दिए जाते हैं जहां पर गरीब लोगों की बस्तियां हैं । उन लोगों की जमीन एक्वायर कर लेते हैं और रात भर वे लोग परेशान रहते हैं । यह चीज मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं ।

एक बात और कहना चाहता हूं । रेडियो पर बड़े महत्वपूर्ण भाषण होते हैं और जो ऐसे भाषण होते हैं, उनकी पुस्तिका प्रकाशित होनी चाहिए । मैं पहले देखता था कि ऐसा हुआ करता था और मैंने लाइब्रेरी में ऐसी किताबें देखी हैं । सन् 1950 और 1951 के अन्दर जो बड़े-बड़े विद्वान रेडियो पर भाषण देते थे, उनका प्रचार होता था और और वे पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होते थे और उनके जो लेख होते थे वे बड़े मूल्यवान लेख होते थे । आज मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं होता है । मेरा कहना यह है कि जितने भी आपके विद्वानों के भाषण हों और जिस विषय पर वे बात करें, वे विद्वान होने चाहिए और उनके भाषण पुस्तिका के रूप में प्रकाशित होने चाहिए ।

श्री रामलाल राही : फिर तो गांव के लोग उपेक्षित हो जाएंगे । गांवों में कहां आपको विद्वान् मिलेंगे ।

श्री मूल चन्द डागा : आपने अपने दिमाग से यह बात कही है । मैंने गांव के अपेक्षित होने की बात नहीं कही है । आप अपनी बात को अपने भाषण के समय कहें और बीच में न टोकें क्योंकि समय कम है ।

अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं । आजकल यह बात बहुत कही जाती है और हमारे वृद्धि चन्द्र जैन और कुछ दूसरे लोग ऐसे ख्यालात के बन गए हैं कि जैसे सैक्स कोई गुनाह है । हर वक्त यही कहते हैं कि यह अश्लील पिक्चर है । मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह क्या बात है । जो दो चार बूढ़े-बूढ़े लोग हैं, वे इस तरह की बात कह देते हैं कि यह पिक्चर अश्लील है । मैं तो यह बताना चाहता हूं कि अब लोग यह कहने लगे हैं कि **सैक्स शुड बी ए पार्ट आफ एजूकेशन** । कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह की पिक्चर देखने से लोग खराब हो जाते हैं । मैं तो यह समझता हूं कि जो लोग बार-बार इस चीज को कहते हैं वे ही ऐसी पिक्चरें देखने में ज्यादा इंट्रेस्टेड हैं । वे जो ऐसा कहते हैं, उसमें मुझे कुछ डाऊट-सा लगता है । यह नया तरीका है कि कह दिया कि यह पिक्चर अश्लील है । **सैक्स इज ए पार्ट आफ लाइफ** । हमारे यहां पर उप मंत्री जी बैठे हुए हैं और स्टेट मिनिस्टर फार लेबर बैठे हैं । वे खुद सोचते होंगे कि ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनके बाल काले हैं और वे समझते हैं कि इसमें कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है । तो यहां पर कुछ लोग इस तरह की बात कह देते हैं । मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । आप यह देखें कि खजुराहो और दूसरे जो ऐसे स्थान हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं । वहां की बड़ी तारीफ होती है और यहां पर कुछ साधू पुरुष कह देते हैं कि यह गन्दी पिक्चर है, यह अश्लील पिक्चर है । मैं यह कहता हूं कि वात्स्यान ने जो शास्त्र लिखा है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं यह आप जानते ही हैं । जो बार-बार इस तरह की बातें कहते हैं, उनको ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए । रेडियो और टेलीविजन में कुछ इस तरह के प्रोग्राम भी होने चाहिए जो सरकार की नीतियों की जानकारी जनता तक पहुंचा सकें । आपकी जो योजनायें हैं, उनके बारे में विस्तृत जानकारी जनता तक पहुंच सके । अगर कोई योजना बनती है तो उसके क्या नियम हैं, किस तरह से वह लागू की जाएगी, इन सब बातों का प्रचार आम जनता तक इन माध्यमों से किया जाना चाहिए । समाज कल्याण का कोई काम है तो उसका भी काफी प्रदर्शन इस माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि यह माध्यम सिर्फ कुछ पढ़े-लिखे लोगों का माध्यम बनकर न रह जाए, आम जनता का माध्यम बने । इसमें शिक्षा विभाग का कोआर्डिनेशन भी होना चाहिए । शिक्षा मंत्री भी आ गए हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी आ गए हैं, श्रम मंत्री भी आ गए हैं, इन सब विभागों के कोआर्डिनेशन से आप अच्छे प्रोग्राम आम जनता को दिखा सकते हैं, आम जनता को लाभ पहुंचा सकते हैं । पाली में इस सुविधा को अवश्य पहुंचाया जाए । धन्यवाद ।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद से सूचना और प्रसारण विभाग ने प्रसारण के साधनों और समय में काफी वृद्धि की है । दूरदर्शन का प्रसारण भी बढ़ा है और रेडियो का प्रसारण तो मेरी समझ से 10-12 गुना बढ़ गया है । लेकिन इन साधनों का लाभ आम आदमी नहीं उठा पा रहा है । क्या मंत्री जी ने इस

दिशा में कुछ विचार किया है, अगर नहीं किया है तो मेरा यह कहना है कि क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ उपाय करेंगे कि इसको इतना प्रभावी बनाएं ताकि आम जनता को लाभ हो सके। जैसा कि अभी डागा साहब ने कहा कि इन प्रचार साधनों का अभी तक पढ़े-लिखे लोग ही इस्तेमाल कर पा रहे हैं। गांवों के आदमी तक यह नहीं पहुंच पाए हैं। गांव के आदमी को मालूम नहीं है कि अगर हम कोई प्रोग्राम देने के लिए, कोई गाना गाने के लिए रेडियो या टेलीविजन में आएंगे तो ये हमारी क्या मदद करेंगे। कैसे प्रोग्राम दे सकेंगे, इसकी जानकारी अभी उसको नहीं है। इसके लिए सतत प्रयास होने चाहिएं ताकि आम जनता इन माध्यमों से जुड़ सके।

सूचना और प्रसारण के साधनों में वृद्धि हुई है, यह मैंने पहले ही कहा है। तकनीकी विज्ञान की दृष्टि से इसका काफी विकास हुआ है। परन्तु अभी तक वे साधन, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, रेडियो और टेलीविजन, वे जनता के उपयोग के साधन नहीं बन पाए हैं। यह आम धारणा है। प्रसारण का समय कैसा होना चाहिए। ये सरकार और उनके प्रमुख तथा उनके वंशजों के प्रचार के साधन बनते जा रहे हैं।

श्री सत्यदेव सिंह: यह आपका संकुचित दृष्टिकोण है।

श्री रामलाल राही : डागा साहब कह रहे थे कि इन्दिरा गांधी जी जो कहती हैं वे सरकार की बात कहती हैं। मैं मानता हूं कि इन्दिरा गांधी देश की प्रधान मन्त्री हैं, जो कुछ वे कहें, उसका रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारण होना चाहिए। क्या विरोधी पक्ष के लोग इस देश के नेता नहीं हैं। अगर···*में दिन में घन्टा देते हैं तो क्या विरोधी पक्ष के लोगों को तीस मिनट भी नहीं दे सकते ? इससे साफ जाहिर है कि यह साधन केवल सरकारी पक्ष के इस्तेमाल के लिए हैं।

माननीय सभापति: आपको इस प्रकार नाम नहीं लेना चाहिए। यह अच्छा नहीं है। यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री रामलाल राही : मैं, जो बात कह रहा हूं, वह अखबार में छपी है। अभिष्ठाता महोदय, आपको याद होगा नेहरू जी जब इस देश के प्रधान मन्त्री थे, वह चाहते थे कि रेडियो प्रसारण के साधनों को सरकारीकरण नहीं बल्कि स्वायत्त शासी संगठन द्वारा चलाया जाए। जब, इन्दिरा जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ये सरकारी साधन हैं और सरकार की इच्छा के अनुसार इनका इस्तेमाल होना चाहिए। यह बात अखबारों में छपी है। मन्त्री जी जानना चाहें तो 2 अप्रैल, 1984 के नयी दुनिया अखबार में पढ़ सकते हैं। नेहरू जी क्या चाहते थे, यह भी इसमें लिखा हुआ है।·····(**व्यवधान**) जब मैं जनता पार्टी में था तो रेडियो और टी० वी० इन्दिरा गांधी के बारे में बार-बार कहते रहते थे। तब भी मैंने सत्तारूढ़ दल के लोगों से कहा था कि आप इन्दिरा गांधी का प्रचार करके उनकी शख्सियत को बढ़ा रहे हैं। पता चला है कि नैनीताल में भी आप दूरदर्शन केन्द्र कायम करने जा रहे हैं। इस समय दूरदर्शन केन्द्र उत्तर

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ और नैनीताल में पांच-सौ किलोमीटर का फासला है। इनके बीच में जो स्थान पड़ेंगे क्या दूरदर्शन केन्द्र इतने हाई-पावर ट्रांसमिशन लगायेगा कि ये सभी स्थान कवर हो सकें ? हमारा सीतापुर लखनऊ से कवर होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी टी० वी० पर साफ तस्वीर नहीं आती है। अगर नैनीताल में बनाने जा रहे हैं तो वहां से भी वही हालत होगी। यदि, मन्त्री जी चाहते हैं कि टी० वी० की सुविधा गांव के आम आदमी तक पहुंचे तो हर सौ किलोमीटर की दूरी पर टी० वी० सेन्टर बनाना पड़ेगा। जिस विभाग को मन्त्री जी ने संभाला हुआ है, उसमें हजारों केजुअल आर्टिस्ट काम करते हैं। इसमें, प्रोड्यूसर जनरल, कैमरामैन और माऊन्ड रिकार्डर आर्टिस्ट हैं। हजारों की तादाद में ये देशभर में हैं। मैं, बधाई देना चाहूंगा आडवाणी साहब को, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं। जिस वक्त उन्होंने इस मंत्रालय को संभाला था तो उन्होने देखा कि जो केजुअल आर्टिस्ट साढ़े तीन-सौ दिन काम कर चुके हैं, लेकिन रेग्युलर नहीं हो पाए। उनको रेग्युलर करने के लिए एक कानून बना दिया, व्यवस्था किया और कहा कि जिनके मार्च, 1980 तक 365 दिन पूरे हो चुके हैं उनको हम रेग्युलराइज करेंगे। जितने लाभ पाने वाले थे, सब लाभ पा गए। अब 1980 को बीते हुए चार साल हो गए और 1980 से पहले के भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके 100 या 150 या 200 दिन हो गए होंगे, उनके अब तक 500 या 600 दिन हो रहे होंगे, मैंने इस सम्बन्ध में मन्त्री जी को पत्र भी लिखा था कि आप इस पर विचार कीजिए और ऐसे तमाम कर्मचारियों को रेग्युलर कीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको रेग्युलर नहीं कर रहे हैं, उसका कारण यह है कि आपके पास आपके क्षेत्र के कई आदमी आते हैं उनको आप वहां लगाना चाहते हैं ताकि वे 40 या 50 रुपये रोजाना प्राप्त कर सकें। लेकिन जो कर्मचारी 500 या 600 दिन काम कर चुके हैं और अभी तक रेग्युलर नहीं हो पाये हैं, वे रेग्युयर न हों। आप मनमाने तरीके से लोगों को खुश करते रहें और अपने आदमियों को खुश करते रहें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ऐसे तमाम लोगों को रेग्युलर कीजिए, मेरी मन्त्री जी से मांग है कि उनको रेग्युलर करने के लिए आपको कदम उठाने चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी रेग्युलर किया जा सके।

हमारे देश में जहां बड़े-बड़े पत्रकार हैं, बड़े-बड़े पत्र हैं, अखबार हैं, वे बड़े-बड़े पूंजीपतियों के पत्र हैं और उन पूंजीपतियों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। बिना उन लोगों के चाहे, किसी भी तरह की न्यूज चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उन पत्रों में प्रकाशित नहीं हो पाता। वे समाचार पत्रों तक ही नहीं जा पातीं। जहां देश में छोटे पत्रों का प्रकाशन बढ़ा है, उनकी तादाद बढ़ी है, लेकिन वे सारे अखबार अपनी गरीबी को, अपनी मुफलिसी को खत्म करने में असमर्थ हैं। अपने अखबार को रेग्युलरली नहीं निकाल सकते। उसकी जिम्मेदारी हमारी विज्ञापन देने की गलत नीति की है जो बड़ी अजीबोगरीब है। जो भी अखबार सरकारी मन्त्री या किसी आफिसर को एप्रोव कर लेते हैं वे तो चाहे जितना मर्जी विज्ञापन ले जाएं, लेकिन जो सही तथ्यों को प्रकाशित करके अपने अखबार निकालना चाहते हैं और सरकार के पक्ष को, सही बात को नहीं

निकालते, उनको ये विज्ञापन नहीं देते। आपको इस नीति में परिवर्तन लाना चाहिए और छोटे अखबारों को प्रोत्साहन देना चाहिए। उनको न सिर्फ विज्ञापन दिए जाएं बल्कि अखबारी कागज भी मुहैया किया जाना चाहिए, क्योंकि अखबारी कागज के अभाव में, वे जिस क्षमता के साथ अपने अखबार निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पाते। मन्त्री जी को इस पर भी विचार करना चाहिए। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों पर अवश्य विचार करेंगे। धन्यवाद।

श्रीमती विद्यापति चेन्नुपति (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मन्त्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक टी० वी० रिले स्टेशन कायम किया, जिसका उद्घाटन हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारे मंत्री महोदय श्री भगत जी ने किया, जिसके कारण हमारे कोस्टल आन्ध्रा के लोगों को टी० वी० से प्रसारित कार्यक्रमों को देखने का मौका मिला, सारे देश के लिए हमारे यहां से जितने नेशनल प्रोग्राम दिखाये जाते हैं, अब वहां के लोग भी उनको देख सकेंगे। मैं उसके लिए अपनी प्रधानमंत्री और मंत्री महोदय को अपनी तरफ से धन्यवाद देती हूं। इसके साथ मैं कोस्टल आन्ध्रा की जनता की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं।

अब मैं टी० वी० के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हूं। जैसा कि सब लोग सोचते हैं कि टी० वी० एक लक्जरी आइटम है, लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि टी० वी० का इम्प्रैशन हमारे ऊपर दिनों दिन ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं। पहले जिस प्रकार से हर गांव में वहां की पंचायत को हम रेडियो देते थे, मैं चाहती हूं कि उसी तरीके से हमारी सब ग्राम-पंचायतों को टी० वी० लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरे, जैसा कलर टी० वी० लेने के लिए मांग ज्यादा होती है, मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगी कि ब्लैक एण्ड व्हाइट की अपेक्षा कलर टी० वी० का प्रभाव लोगों पर अच्छा पड़ता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उनको हम अधिक लाभ पहुंचाकर प्रसन्न कर सकते हैं, उनको खेती से सम्बन्धित कार्यक्रमों में फसल की बीमारियों का रंगीन प्रसारण करके अच्छी तरह से समझाया जा सकता है। इसलिए मैं चाहती हूं कि कलर टी० वी० के ऊपर जितने स्टेट और सैन्ट्रल टैक्सेज हैं, उन टैक्सेज को निकालकर हमें ग्राम पंचायतों में, कम्यूनिटी सैन्टर्स में या जितने दूसरे कम्यूनिटी वालैंटीयर आर्गेनाइजेशन्स हैं, जहां ज्यादा से ज्यादा लोग बैठकर टी० वी० से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम देखते हैं, ऐसे स्थानों के जरिए, आर्गेनाइजेशन्स के जरिए, पंचायत के जरिये या पंचायत समितियों के जरिए जो कलर टी० वी० सैट लेते हैं उन पर स्टेट और केन्द्र के टैक्सेज निकाल देने चाहिए ताकि कम दाम पर कलर टी० वी० सैट्स कम्युनिटी सैन्टर्स या पंचायत समितियां ले सकें और गांव के लोग एक साथ बैठ कर प्रोग्राम देख सकें। ऐसा होने से लोगों को पूरे देश का हाल मालूम होगा और नेशनल आउटलुक लोगों में डेवलप होगा।

आपने विजयवाड़ा में टी० वी० रिले सेन्टर दिया उसके लिए धन्यवाद। कोस्टल क्षेत्र में तेलुगू भाषा बोलने वाले लोग अधिक हैं, वह हिन्दी और अंग्रेजी नहीं समझते। इसलिए आन्ध्र प्रदेश

में जो टी० वी० रिले सैन्टर्स हैं वहां से तेलुगू प्रोग्राम दिखाने की सुविधा देनी चाहिए। आजकल तो हैदराबाद से तेलुगू में न्यूज भी दे रहे हैं, मेरी मांग है कि प्रादेशिक भाषा के ही प्रोग्राम ज्यादा दिये जाएं जिससे गांव के लोग उनको समझ सकें, इस बारे में आपको सोचना चाहिए।

मैंने प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी को पत्र भेजा था आपने हमें टी० वी० रिले सेन्टर को दिया, लेकिन साथ ही प्रोडक्शन सेन्टर भी विजयवाड़ा को दें ताकि कुचिपुड़ी डांस, अन्य लोकल प्रोग्राम्स और प्रान्त में जो प्रगति हो रही है इनका प्रोडक्शन भी वहां हो सके और लोगों को दिखाया जा सके। प्रोडक्शन सेन्टर पर जो खर्चा होगा वह आपको लाइसेंस फीस से मिल जाएगा। सरकार को प्रोडक्शन सेन्टर देने में कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे यहां डांस ट्रुप्स, सिने ऐक्टर्स बहुत हैं, वहां कला की कमी नहीं है, कुचिपुड़ी डांस वहां का मशहूर डांस है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए विजयवाड़ा को प्रोडक्शन सेन्टर बनाया जाय।

इसी तरह से टी० वी० सैट्स का प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए और खासकर पोर्टेबल रेट्स ज्यादा बनने चाहिए। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो दाम कम होंगे। उस समय ज्यादा लोग जैसे रेडियो सुनते हैं, वैसे ही टी० वी० भी देख सकते हैं। पोर्टेबल टी० वी० सैट्स आजकल आ रहे हैं, उन्हें आपको एनकरेज करना होगा। जिस प्रकार लोग ट्रांजिस्टर लेकर जाते हैं और जहां चाहा वहां सुनते हैं, उसी प्रकार लोग टी० वी० के प्रोग्राम भी देखेंगे। सारे देश की एकता के लिए, नेशनल आउट-लुक को बढ़ाने के लिए, सारे देश का प्रोग्राम देखने के लिए लोगों के दिमाग में यह होगा कि भारत देश एक है। नहीं तो यह होगा कि हर प्रान्त सोचता है कि हमारा प्रान्त बड़ा है। अगर सारे प्रान्तों के प्रोग्राम टी० वी० पर देखते हैं तो लगता है कि भारत देश के भिन्न-भिन्न प्रान्त हैं और भारत देश एक है। एक ही नारा उठाने के लिए हमारे टी० वी० अच्छे साधन बनते हैं। कलर टी० वी० एसेंशियल है, उसका मैं समर्थन करती हूं।

एक सुझाव यह है कि एजूकेशन और कल्चर उसके पास बहुत फंड्ज हैं। सारी एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्ज में अगर सैट्स लगाये जायें तो उनको बच्चे देखेंगे और उनके दिमाग में यह आएगा कि हमारे अगले प्रदेश के लोग कैसे करते हैं। इसलिए हरेक स्कूल में इस तरह के प्रोग्राम पहुंचने चाहिएं।

हमारे मिनिस्टर साहब ने जो डिमांड्स रखी हैं, उनका मैं समर्थन करती हूं और जो सुझाव मैंने दिया है, उस बारे में आप विचार करेंगे, ऐसी आशा मैं आपसे करती हूं।

धन्यवाद।

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : माननीय सभापति महोदय, आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रसारण के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। महाभारत काल में उस समय के सम्राट ने पूछा :—

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ।।

आज भी यही हाल है। आज के सम्राट पूछ रहे हैं भगत जी से :—

राजनीति क्षेत्रे कर्तव्यक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः।
सत्ताः विपक्षश्चैव किमकुर्वत भगतः महाशयः ।।

देश में क्या हो रहा है, देश की स्थिति क्या है, इसका वर्णन सम्राट को स्वयं पता नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं अपनी आंखों से नहीं देखता। जो अपनी आंख से नहीं देखता वह औरों से पूछता है। आप जनता की ओर से इस प्रजातंत्र में उसकी अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम हैं और उस माध्यम का ठीक-ठीक प्रकार से उपयोग हो, इसकी आश्वस्ति जनता को चाहिए। इस आश्वस्ति को देने में आप कितने सफल, विफल हुए हैं, यह हमारे मित्रों ने कहा है यह पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। इस माध्यम का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इस बात को देखने की आवश्यकता है।

हम दूरदर्शन का विस्तार कर रहे हैं, आकाशवाणी के कार्यक्रमों में और विस्तार करने की हमारी योजनाएं हैं, उनको हम पूरा करना चाहते हैं। यदि हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो वह सिस्टम और वह प्रणाली, जो सबको प्रतिनिधित्व दे सके, सबकी बात को कहा जा सके, ऐसे उपाय होने चाहिएं। सिस्टम अपने प्रकार से तो चलता है, आप रहे हैं तो चलता है, उससे पहले जो रहे होंगे, उन्होंने चलाया होगा और आपके बाद भी चलता रहेगा परन्तु इस प्रणाली में गुणात्मक आधार पर कैसे सुधार किया जा सकता है, यह आपके प्रयास होने चाहिएं, यह अपेक्षा हम आपसे करते हैं। इसमें पक्ष और विपक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता है। जो देखा है, उसको ठीक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। यह चापलूस और जी-हजूरी करने वाले लोगों का जमाना है। ऐसे लोगों को जल्दी स्थान और अवसर मिल जाता है, सच्चे और ईमानदार लोगों की अभिव्यक्ति सशक्त होती है, उनकी उपेक्षा होती है। इसलिए आज कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र की जानी-मानी हस्तियां दूरदर्शन और आकाशवाणी से दूर हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन जन-अभिव्यक्ति और जनता को शिक्षित करने के महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उनके स्तर को ऊंचा करने के लिए यह आवश्यक है कि साहित्य और संस्कृति के ख्यातिप्राप्त लोगों को सहयोग देने के लिए आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया जाए। ऐसे स्वाभिमानी लोग स्वयं सरकार के पास नहीं आएंगे। ऐसे सभी लोगों को आकाशवाणी और दूरदर्शन में अवसर देने चाहिए, ताकि देश के लोगों को मालूम हो कि इस विधा में जानकार लोगों की कमी नहीं है।

उत्सवों के अवसर पर प्रासंगिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने चाहिए, जिसने उन उत्सवों की गरिमा बढ़े और राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर जो पिक्चर दूरदर्शन पर दिखाई गई, वह प्रासंगिक नहीं। क्या इन कार्यक्रमों को मानिटरिंग करने की कोई व्यवस्था है या नहीं ? इस तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

आम आदमी रोजी-रोटी के संघर्ष में जूझते रहे, तो उनको टी० वी० या रेडियो की आवश्यकता नहीं होती, न ही संगीत की, उनके सामने सबसे पहले रोटी की आवश्यकता होती है और वह आवश्यकता पूरी होने पर ही वे संस्कृति, साहित्य और संगीत की तरफ ध्यान देते हैं। देश की बहुसंख्यक जनता आजीविका की तलाश में लगी रहती है और उससे अवकाश मिलने पर ही किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान जाता है। ऐसे लोगों को भी उत्साह और चेतना मिल सके, ऐसे कार्यक्रम बनाने से ही इस सशक्त माध्यम से लाभ हो सकेगा।

मालवी में कहावत है : "बोलवा वारा कातो बुरा बिकी जाए, और नी बोलवा वारा की जुआर धरि रह जाए।" इसका अर्थ यह है कि जिसका प्रचार-प्रसार ज्यादा हो, उसकी बेकार से बेकार चीज भी बिक जाती है और जो ठीक ढंग से प्रचार नहीं करता है, उसकी अच्छी से अच्छी चीज भी धरी रह जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनके इर्द-गिर्द जो लोग उनकी प्रशंसा का वातावरण बनाए हुए हैं, उनको वह छांट दें, ताकि अच्छे लोगों को अवसर मिल सके।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्तशासी कार्पोरेशन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए, किन्तु सत्ता में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा करने से उनको अपनी बात कहने का अवसर ही समाप्त न हो जाए। इस संशय के कारण वे इन संस्थाओं को स्वायत्तता देने का निश्चय नहीं कर पाते हैं। वास्तव में इस बारे में निर्णय करने में किसी को संशय नहीं होना चाहिए। सत्ता इसका दुरुपयोग कर सके इस प्रकार की बात कहने का भी कोई अवसर न हो इसलिए जरूरी है कि इसका एक कारपोरेशन जैसे जापान में है, ब्रिटेन में है, श्रीलंका में है, उसी प्रकार का हम हिन्दुस्तान में बनाएं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस प्रकार के प्रस्ताव पर आप विचार करें और निर्णय लें। नयी बात करने के लिए एक साहस की आवश्यकता है। उस साहस का आप परिचय दें। यह बात सही है कि उसके कारण अपनी बात कहने का जितना अवसर आप अभी तलाश करते हैं वह नहीं मिलेगा, किन्तु यह एक अच्छा कदम है जो आगे आने वाले समय के लिए, सबके लिए ठीक और उपयुक्त होगा। यह मेरा सुझाव है, आप इस बारे में जरूर विचार करें।...

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : नहीं यह आसान काम नहीं है। यहां पर लोग आसानी से हिंसा पर उतारू हो जाते हैं वहां इसे करना इतना आसान नहीं है।

श्री सत्यनारायण जटिया : रंगा साहब, आप तो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे तो ये अपने विचार हैं, आपसे और सदन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन

मैं अपनी बात कह रहा हूं और अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं। भगत जी से मैं सीधी बात कह सकता हूं ऐसा मुझे विश्वास है। वह सुनते हैं मेरी बात और उस पर विचार भी करते हैं, यह भी मुझे विश्वास है इसलिए मैं ये सारी बातें व्यक्त कर रखा हूं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपने जो यह नेट टी० वी० वर्क का काम शुरू किया है, टी० वी० दूरदर्शन के विस्तार का काम प्रारम्भ किया है, 70-75 प्रतिशत लोगों तक टी० वी० की बात पहुंचाना चाहते हैं वह पहुंचाइए। किन्तु अभी भी देश के बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां पर दूरदर्शन पहुंच नहीं रहा है। उन स्थानों को कवर करने की दृष्टि से विभिन्न स्थानों से हाई पावर ट्रांसमिशन के माध्यम से इस प्रसारण का अधिकाधिक लाभ जहां तक दे सकें वह अवश्य देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी अनेक जिले बाकी रह गए हैं, उनको छोड़िए नहीं। मन्दसौर जिला जो एक महत्वपूर्ण जिला है वह छूट गया है। उज्जैन में भी अभी तक टी० वी० का लाभ नहीं मिल रहा है। वह संस्कृति और शिक्षा का केन्द्र रहा है, आज ही नहीं, विक्रमादित्य और कालिदास के जमाने से रहा है और सांदीपान के आश्रम में कृष्ण शिक्षित हुए हैं। ऐसा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक-ऐतिहासिक स्थान वह है। उज्जैन संभाग का प्रमुख स्थान भी है, इसलिए उज्जैन के बारे में आप सोचें। आपने बहुत से लोगों को आश्वासन दिया है और धन्यवाद भी लिया है। मुझे भी आप एक अवसर दें कि मैं भी आपको धन्यवाद कह सकूं और आप इसका गर्व महसूस कर सकें। इसलिए उज्जैन में मैंने जो टी० वी० की मांग की है वह दीजिए। आकाशवाणी केन्द्र स्वतन्त्र रूप में स्वीकृत कीजिए तो वहां संस्कृति और साहित्य आपको देखने को मिलेगा। यह केवल मेरा सुझाव मात्र नहीं है, बहुत विचार करने के बाद और किसी आधार पर मैं अपनी मांग प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं चाहूंगा कि आप इस पर सोचें।

छोटे समाचार पत्रों की संख्या अधिक होगी किन्तु वह जनता के पास पहुंचने का एक बहुत बड़ा माध्यम है। बड़े अखबार पढ़ने वाले पाठक-गण की अपनी निर्धारित संख्या होगी लेकिन छोटे अखबार भी पढ़े जाते हैं। आम आदमी चाय की, पान की और दूसरी दूकानों पर जगह-जगह पढ़ता है। उनको प्रोत्साहन देने के बारे में आपने क्या नीति बनायी है? विज्ञापन के बारे में कहा जाता हैं कि विज्ञापन की अपनी नीति है किन्तु उसमें भी देखने को मिलता है कि जिनकी पहुंच होती है उनका सारा मामला ठीक हो जाता है, जिनकी पहुंच नहीं होती है वह परेशान होते हैं। यह मैं पहले ही कह चुका हूं, इसलिए छोटे समाचार-पत्रों को विकसित करने के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए।

छोटे समाचार-पत्रों के साथ ही भाषायी समाचार एजेंसियों के साथ या हिन्दी समाचार एजेंसियों के साथ जो स्थिति बनी हुई है वह काफी दुर्दैव या दुर्भाग्य का कारण है। यह बात ठीक है कि आपने कुछ अच्छे निर्णय लिए हैं किन्तु अभी तक जो कुछ हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है। भाषायी समाचार एजेंसीज जिसमें हिन्दी का एक प्रमुख स्थान है, वह समाचार भारती या हिन्दुस्तान समाचार, ऐसी एजेंसियां रही हैं जिनकी व्यवस्था हमेशा बिगड़ती रही। सरकार उनकी

मदद करती रही। फिर भी बिगड़ती रही। विगत समय प्रकाशक कहीं नियुक्त किए प्रकाशक तानाशाह हो गए। वे किसी की वाजिब बात को सुनने को तैयार नहीं रहा। कर्मचारियों ने मांगें रखीं उनकी कोई सुनने वाला नहीं। जिस प्रकार एक अंग्रेजी समाचार एजेंसी ने हिन्दी समाचार एजेंसी के क्षेत्र में प्रवेश किया है ऐसे ही अन्य लोगों को आप प्रोत्साहित करें जिसके द्वारा हिन्दी का जो उपेक्षित क्षेत्र है उसमें कुछ प्रगति हो सके।

प्रेस कमीशन ने अपनी सिफारिशों में जो कहा है उसकी सिफारिशों के बारे में आप ध्यान दीजिए। मैं चाहूंगा कि ये जो एजेंसियां आज वर्तमान में विद्यमान हैं उन पर काफी कर्जा है, वह डूबने की स्थिति में हैं, वह कब समाप्त हो जाएंगी कहा नहीं जा सकता। अब सरकार ने उसको अपने हाथ में लिया है। सरकार का यह दायित्व हो जाता है कि उनको सशक्त सक्षम बनाने की दृष्टि से काम करे।

संसद समीक्षा की रिपोर्टिंग करने का कुछ लोगों को अवसर अवश्य मिला है परन्तु बहुत सारे लोग अब भी वंचित हैं। आप यह देखें कि सभी को स्थान मिले। बहुत से पत्रकारों को विगत वर्षों में अवसर नहीं मिल पाया है, आप उन्हें भी अवसर दें।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि मैंने जो सुझाव दिए हैं उन्हें आशा है आप मानेंगे और यह सिद्ध कर देंगे कि आप हिन्दुस्तान की सही तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।

श्री काली चरण शर्मा (भिन्ड) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं। इस मंत्रालय के अन्दर मंत्री जी ने 70 प्रतिशत आबादी को अगले वर्ष तक प्रचार के माध्यम में लिया है, यह बहुत खुशी की बात है। इससे हमारे देश की जनता को काफी लाभ होगा। मेरे कुछ सुझाव हैं जिनको मैं रखना चाहता हूं। आप अगर चाहें तो रेडियो के द्वारा हमारे देश में खेती की नयी योजनाओं, नयी-नयी टेकनीक्स का काफी प्रचार कर सकते हैं। यद्यपि आपका विभाग इस सम्बन्ध में काफी प्रचार कर रहा है लेकिन उसमें अभी बहुत सुधार की गुंजाइश है।

2.59 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए।)

कब बीज बोना चाहिए, कब जुताई करनी चाहिए, कब गर्मी की जुताई करनी चाहिए, कब खेतों को पानी देना चाहिए, कब कौन-सी दवा छिड़कनी चाहिए, इन तमाम बातों के प्रचार की व्यवस्था खेती के सम्बन्ध में होनी चाहिए। साथ ही नई तकनीकी पढ़ाई का इन्तजाम ग्रामीण एरियाज में जहां अच्छे मास्टर, अच्छे विद्वान शिक्षक नहीं हैं, वहां रेडियो के माध्यम से कर सकते हैं। इसके लिए भी उसमें सुधार की काफी गुंजाइश है। हमारे बहुत से योग्य डाक्टर और वैद्य जो बताते हैं

वह भी रेडियो के द्वारा प्रचारित कर सकते हैं। इस तरह से बहुत अच्छी सूचनाएं ग्रामीण समाज तक पहुंच सकती हैं। इसके लिए भी मंत्री जी को समन्वय स्थापित करना चाहिए।

फिल्म्स के बारे में आपका जो सेंशर बोर्ड है वह ऐसी फिल्मों को पास करता है जो आज समाज में हमारे बच्चों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी चीज नहीं हैं।

3.00 म० प०

समाज में उनसे कोई अच्छा प्रचार नहीं होता है। इसमें सुधार की गुंजाइश है, इसलिए इसमें सख्ती करनी चाहिए।

एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं—जहां आप अगले वर्ष तक 70 प्रतिशत आबादी को प्रचार-माध्यम से जोड़ रहे हैं, वहां मध्य प्रदेश इसमें नहीं आ रहा है। हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस हिसाब में इस योजना के अन्तर्गत हमारा एरिया कवर नहीं होता है। मैं मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध करूंगा—हमारे मध्य प्रदेश में भी टी० वी० के कुछ सेन्टर्स बढ़ाइए, कुछ हाई-शक्ति के और कुछ लो-शक्ति के सैन्टर्स बनाइए। ग्वालियर में आपने जो टी० वी० का सेन्टर खोला है, उसमें उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर लगाइए जिससे ग्वालियर के पड़ौस के जिले—भिन्ड और मोरैना—भी लाभान्वित हो सकें। यदि ऐसा सम्भव न हो तो भिण्ड में नया टी० वी० सेन्टर खोलें। मैं इस सम्बन्ध में आपके कक्ष में भी आपसे कई बार मिला हूं तथा आपने विचार करने का आश्वासन दिया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमको ऐसा मौका अवश्य देंगे जिससे हम लोग भी आपको इसके लिए धन्यवाद दे सकें।

एक निवेदन यह है कि इन प्रचार माध्यमों को ज्यादा से ज्यादा सशक्त बनाइए। कार्यक्रमों का कुछ ऐसा समन्वय होना चाहिए जिससे सभी डिपार्टमेंट्स की सूचनायें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समाज के लिए जो आवश्यक बातें हैं उनका इस प्रचार माध्यम से ज्यादा से ज्यादा प्रचार हो सके। दो-तीन दिन पहले मैं वृन्दाबन गया था। जैसा अभी डागा जी ने कहा था, आपकी तरफ से गाइड-लाइन्ज न होने की वजह से कलैक्टर्स अपनी मर्जी से या प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में आकर ऐसी-ऐसी जगहों पर सिनेमाघर बनाने की इजाजत दे देते हैं जहां जनता उनको नहीं चाहती है। जैसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं या जहां की जनता चाहती है कि वे स्थान शान्ति-स्थल बने रहें, वहां सिनेमा की जरूरत नहीं है—वहां सिनेमाघर बनाने की इजाजत दे दी जाती है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में गाइड-लाइन्ज दी जाएं कि कहां-कहां पर सिनेमाघर बनाए जा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

*श्री एस० टी० के० जक्काय्यन (पेरियाकुलम) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कागणम की ओर से सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

आकाशवाणी तथा दूरदर्शन नये 20 सूत्री कार्यक्रम को और भारत सरकार की उपलब्धियों को विशिष्टता प्रदान कर रहे हैं। हमारे देश में लोकतंत्र की संघीय पद्धति है। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि राज्य सरकारें भी लोगों के भले के लिए कार्य कर रही हैं। राज्य सरकारों की उपलब्धियों को भी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन में महत्त्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। मैं हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी के उद्घोषणा को सर्वोच्च महत्ता दिए जाने पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। देश की प्रगति के बारे में उनकी वचनबद्धता को आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा विशिष्टता दी जानी चाहिए साथ ही राज्यों के मुख्य मंत्री भी लोगों की भलाई के लिए वचनबद्ध हैं। उदाहरण के लिए, पोषक आहार कार्यक्रम तमिलनाडु के मुख्य मंत्री डा० एम० जी० आर० द्वारा चालू किया गया है जिनका पूरा जीवन त्याग से परिपूर्ण है और लोगों की भलाई के लिए उनका समर्पण किसी भी तरह हमारी माननीया प्रधान मंत्री जी से कम नहीं है। उन्हें भी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर महत्त्व दिया जाना चाहिए। इस पोषक आहार कार्यक्रम को मदर टैरेसा ने भी सराहा है। विश्व में मानवता की जीती-जागती मूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने इस योजना का स्वागत किया है। फिर भी हमारे आकाशवाणी तथा दूरदर्शन ने इस योजना की अच्छी विशेषताओं को प्रसारित करना उचित नहीं समझा।

कुछ अरसा पहले आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री को आकाशवाणी पर संदेश प्रसारण के लिए इंकार कर दिया गया था। कुछ वर्ष पहले यहां तक कि हमारे मुख्य मंत्री डा० एम० जी० आर० को भी प्रसारण के लिए इंकार कर दिया गया। हाल ही में उन सदस्यों के, जो कि तमिलनाडु विधान सभा के लिए निर्वाचित घोषित हुए थे, दलों का नाम आकाशवाणी द्वारा सही उच्चारित नहीं किया गया। हमारे मुख्य मंत्री ने यह बात सूचना एवं प्रसारण मंत्री को बताई। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि दक्षिणी भारतीयों के नाम अभी भी आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा सही तरह से उच्चारित नहीं किये जाते हैं। राष्ट्रीय अखंडता की भावना बनाये रखने में यह सहायक नहीं है। इस विषय में प्राधिकारियों को आकाशवाणी के उद्घोषकों तथा प्रसारकों को पर्याप्त प्रशिक्षण देना चाहिए।

महोदय, आकाशवाणी मद्रास से प्रसारित होने वाले प्रायोजित कार्यक्रमों को चेंगलपट्टु शहर में भी नहीं सुना जा सकता, जो कि मद्रास के समीप ही है। दिल्ली द्वारा प्रसारित, तमिल खबरों को मद्रास में नहीं सुना जा सकता। परन्तु बी० बी० सी०, वाइस आफ अमेरिका तथा

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

चीन से प्रसारित तमिल खबरों को पूरे देश में सुना जा सकता है। हमारे सभी आकाशवाणी स्टेशनों पर उच्च आवृति वाले सेटों को स्थापित करने की अत्यंत आवश्यकता है।

महोदय, अंग्रेजी का "न्यूज टूडे' समाचार पत्र मद्रास से प्रकाशित होता है। यह लोकप्रिय समाचार-पत्र है। इस समाचार-पत्र में दी जाने वाले केन्द्रीय विज्ञापनों की दर मद्रास से ही प्रकाशित होने वाले "दी हिन्दु" समाचार-पत्र के मुकाबले 50 प्रतिशत नहीं हैं। मैं यह नहीं जानता कि सूचना और प्रचारण मंत्रालय द्वारा बड़े समाचार-पत्रों और छोटे समाचार-पत्रों के बीच इस प्रकार का भेदभाव का व्यवहार क्यों किया जाता है? इसी प्रकार, केन्द्रीय सरकार उपक्रमों और सार्वजनिक बैंकों से प्रचार के लिए विज्ञापन इन छोटे समाचार-पत्रों को नहीं दिए जाते। मैं यह मांग करता हूं कि छोटे समाचार-पत्रों को भी केन्द्रीय विज्ञापनों की वही दर मिलनी चाहिए जितनी कि बड़े समाचार-पत्रों को मिलती है। छोटे समाचार-पत्रों को भी केन्द्रीय सरकार उपक्रमों और सार्वजनिक बैंकों के विज्ञापन दिए जाने चाहिए। मैं एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करता हूं। केन्द्रीय सरकार सत्तारूढ़ दल की नीतियों और कार्यक्रमों को समर्थन देने वाले समाचार-पत्रों को सभी प्रोत्साहन और बढ़ावा देती है। देश में लोकतंत्र के विकास के लिए भी यह उचित नहीं है। केन्द्र को देश के "फोरथ एस्टेट" के लिए इस प्रकार की भेदभाव की नीति को अवश्य खतम करना चाहिए। सभी समाचार-पत्र, चाहे वह बड़े हों या छोटे, "फोरथ एस्टेट" से सम्बन्ध रखते हैं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पेरियाकुलम में कोडाईकनाल स्थान में उच्च शक्ति वाला दूर-दर्शन ट्रांसमीटर लगाया जाना है। यहां के कार्य में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है। इस क्षेत्र का निर्वाचित समस्य होने के नाते, मैं निर्देशक के कार्यालय में इस कार्य में हुए विलम्ब के कारणों का पता लगाने के लिए गया। मुझे यह कहते हुए बहुत खेद होता है कि मुझे शिष्टाचार के नाते इस विलम्ब के कारणों की जानकारी नहीं दी गई। मुझे कुछ कारण बातये गए। मेरा विश्वास है कि जनता के प्रतिनिधियों के समक्ष सरकार के यह अधिकारी अत्यधिक उत्तरदायी हैं। मैं चाहता हूं कि 'कोडाइकनाल' का कार्य शीघ्र पूरा होना चाहिए। इसी प्रकार तमिलनाडु में मद्रास के बाद दूसरा बड़ा शहर मदुरई में ए० आई० आर० स्टेशन के निर्माण के कार्य की गति भी बढ़नी चाहिए।

महोदय, फिल्मों में सैंसर का कार्य फिल्मों में अश्लील चित्रण तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। सैंसर को जन-सम्पति के अनियन्त्रित ध्वंस, हिंसा, अपहरण, बैंकों को लूटना इत्यादि, जिससे हमारे देश की मान्यताओं को क्षति पहुंचती है, तक विस्तृत करना चाहिए। समाचार-पत्रों द्वारा इस प्रकार की खबरें फैलाने से रोकने के लिए समाचार-पत्रों पर भी सैंसर लगाया जाना चाहिए। भारतीय फिल्म उद्योग संसार में सबसे आगे है, जिसमें कई सौ करोड़ रुपए लगे हुए हैं। आज फिल्म उद्योग, वीडियो के माध्यम से फिल्मों की चोरी के खतरे का सामाना कर रहा है। कानून के द्वारा वीडियो के माध्यम से फिल्मों की चोरी पर रोक लगा कर फिल्म उद्योग को बचाया जाना चाहिए। हमारे देश में थियटर महानगरों और शहरों में हैं। ग्रामीण क्षेत्र पूर्णतः

उपेक्षित है। मैंने ग्रामीण क्षेत्रों, जहां कि हमारी 70 प्रतिशत आबादी रहती है, में थियटरों के निर्माण के लिए एक अलग संगठन बनाने का सुझाव दिया है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लेखानुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं प्रभारी मंत्री, दूरदर्शन और आकाशवाणी के कर्मचारियों को बधाई देता हूं जिन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के स्तर में काफी सुधार किया है, विशेष रूप से जब पहली बार बहुत कम समय में दूरदर्शन और रेडियो का अद्वितीय विस्तार हुआ।

जहां तक मंत्रालय द्वारा सदस्यों को परिचालित प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, उससे यह ज्ञात होता है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 118 कम शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे और इसके अतिरिक्त कुछ अन्य उच्च शक्ति ट्रांसमीटर भी लगाए जायेंगे। इस प्रकार, इस समय 89 प्रतिशत जनसंख्या तक रेडियो का क्षेत्र समाहित है और छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 95 प्रतिशत जनसंख्या को रेडियो के क्षेत्र में समाहित करने का प्रस्ताव है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है; मेरे विचार में यह बहुत बड़ी सफलता है। साथ ही दूरदर्शन के कार्यक्रमों में बहुत ही सुधार हो गया है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के अनेक नए कार्यक्रम, जिसमें देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों की संस्कृति, भाषाओं, नृत्य, गाने, नाटक और अनेक अन्य क्रियाकलापों के चित्रण का प्रसारण प्रारम्भ कर दिया है। राष्ट्र की अखण्डता संवर्धन के लिए इस प्रकार के अनेक कार्यक्रम रेडियो और दूरदर्शन पर प्रायः दिखाए जाते हैं अथवा प्रसारित किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश की हजारों वर्षों पुरानी सांस्कृतिक परम्परा की सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय अखण्डता और साम्प्रदायिक मेल-मिलाप की प्रगति में काफी हद तक सहायक होंगे।

महोदय, मैं रेडियो द्वारा समाहित क्षेत्र के सम्बन्ध में माननीय श्री मूलचन्द डागा—जो यहां उपस्थित नहीं हैं—से पूर्णतः सहमत हूं। हमने देखा कि विरोधी दलों को विशेष रूप से खबरों के सम्बन्ध में रेडियो और दूरदर्शन दोनों पर बहुत अधिक समय दिया जाता है। अतः आप मेरे से सहमत होंगे कि इस प्रकार के मामले में हर दृष्टि से विभिन्न दलों को उनकी संख्या के अनुपात से समय दिया जाना चाहिए। अधिकतर आप देखेंगे कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों, चाहे वह संसद में हों या बाहर, बहुत कम समाचारों की परिधि में लाया जाता है। अतः मैं इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक सदन में और उसके बाहर भी उनकी सदस्य संख्या के अनुपात से प्रसारण के समय की उचित प्रतिशता दी जाए।

मदोदय, मैं यहां विशेष रूप से श्रीनगर में रेडियो, कशमीर जम्मू में रेडियो, कश्मीर और लेह में रेडियो कशमीर से प्रसारित होने वाली खबरों और कार्यक्रमों का उल्लेख कर रहा हूं।

आपको इन कार्यक्रमों में हमेशा डा० फारूख अब्दुल्ला के प्रचार के सिवाय कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हर बार चाहे रेडियो का क्षेत्र हो या दूरदर्शन का क्षेत्र हो। लोग समझते हैं कि वहां रेडियो केवल डा० फारूख अब्बुल्ला और उनकी राष्ट्रीय कान्फ्रेंस दल के लिए है और अन्य दलों और लोगों के लिए नहीं है। आपको इसे देखना है और इसकी जांच करनी है और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि सभी को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के दूरदर्शन और रेडियो कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

मैं सूचना और प्रसारण मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने चालू वर्ष के कार्यक्रमों के दौरान कारगिल में और लेह में, दो कम शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों को लगाने की व्यवस्था की है जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि अब कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। आप यह अवश्य जानते होंगे कि मेरे क्षेत्र में काम की अवधि बहुत सीमित और कम है, यदि आप अभी काम शुरू नहीं करेंगे, तो आप कार्य पूरा नहीं कर सकेंगे और अपना प्रण पूरा नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आप यह सुनिश्चित करें कि लेह और कारगिल में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना का काम शीघ्र किया जाए।

ऑल इण्डिया रेडियो लेह के उपकरणों की स्थिति केवल खराब नहीं अपितु भयंकर भी है।

स्टुडियो का रिकार्ड प्लेयर एक वर्ष पहले टूट चुका है। उदघोषक को रिकार्ड बजाने के लिए पहले मशीन हाथ से घुमाकर चलानी पड़ती है। यह वास्तव में बड़े दुख की बात है। इस स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देता।

इसी प्रकार टेप रिकार्डर भी टूटी हुई हालत में है, जिन पर लोगों के विचारों, भेंटवार्ताओं और अन्य बातों को रिकार्ड किया जाता है, कई बार यह टेप रिकार्डर कार्य नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि मशीनों के काम न करने के कारण अति विशिष्ट व्यक्तियों तक के महत्वपूर्ण भाषण रिकार्ड नहीं हो पाते। बिल्डिंग की स्थिति भी अच्छी नहीं है।

पिछले वर्ष भी मैंने कर्मचारियों के लिए शौचालयों के प्रश्न को उठाया था, मुझे यह बताया गया था कि कुछ अस्थाई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने क्या किया ? एक स्थान पर उन्होंने चार खम्भे लगा दिए हैं, वहां पर एक गड्ढा बना दिया और खम्भों के चारों ओर कुछ बोरियां टांग दी हैं। जैसे कि प्रायः सेना के अस्थाई कैम्पों में व्यवस्था की जाती है। यह वास्तव में बहुत ही दुख की बात है। आपको उस ओर शीघ्र ध्यान देना चाहिए।

आकाशवाणी का मीडियम वेव ट्रांसमीटर बहुत ही कमजोर है। क्षेत्र की विशालता को देखते हुए इस पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम समूचे क्षेत्र में नहीं सुने जा सकते। दिन के समय केवल 30 से 40 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। मैंने पहले भी शोर्ट वेव ट्रांसमीटर लगाए जाने का अनुरोध किया था। यह तथाकथित आजाद कश्मीर

रेडियो और रेडियो बीजिंग द्वारा किए जाने वाले जोरदार प्रचार का खण्डन करने में भी सहायक होगा ।

हमारे लोग तिब्बती और बाल्ती दोनों भाषाओं को थोड़ा बहुत समझते हैं । हमारी बोली भी उससे मिलती-जुलती है । हमें इन लोगों द्वारा किए गए प्रचार का प्रतिकार करना है । परन्तु हमारे रेडियो स्टेशन से हमारे अपने सभी लोगों को ही कार्यक्रमों को सुनने की सुविधा प्राप्त नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाए जाएं ताकि न केवल हमारे क्षेत्र में रहने वाले लोग अपितु दूसरी तरफ रहने वाले लोग भी हमारे कार्यक्रमों और विचारों को सुन सकें । इससे दूसरी तरफ रहने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे जोरदार प्रचार का भी विरोध किया जा सकेगा ।

इन शब्दों के साथ मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की लेखानुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं ।

मैं माननीय सभापति महोदय का भी, जिन्होंने मुझे वाद-विवाद में भाग लेने के लिए समय दिया, धन्यवाद करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, मैंने नियम 222 के अनुसार आकाशवाणी की पक्षपातपूर्ण नीति के विरुद्ध 27 मार्च, 1984 को मर्यादा भंग का प्रस्ताव पेश किया था । माननीय अध्यक्ष महोदय ने मामलों की छानबीन करवा कर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था । मुझे उनके सचिवालय से आकाशवाणी के अण्डर सेक्रेटरी श्री पी० एस० टोकस द्वारा दिए गए जवाब की प्रतिलिपि कल 16-4-84 को मिली ।

मैंने आकाशवाणी की ओर से भेजे गए जवाब को ध्यान से पढ़ा है । जवाब बड़े ही सपाट और गलत ढंग से देने की कोशिश की गई है । कहते हैं कि जवाब को मंत्री महोदय ने देख लिया है और उनकी स्वीकृति प्राप्त है । यह और भी आश्चर्य की बात है ।

इस क्रम में मैं अपने मर्यादा भंग के प्रस्ताव का निम्नलिखित उद्धरण सदन के समक्ष रखना सामयिक मानता हूं । मैंने लिखा था—

"सूचना और प्रसारण मंत्री को 1-3-84 को मैंने एक पत्र लिखा जिसकी प्रतिलिपि आपके पास (लोक सभा अध्यक्ष) भी भेजी । उसमें आम बजट की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में मैंने उल्लेख किया था । 29-2-84 को पौने नौ बजे रात्रि में आम बजट पर दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं प्रसारित की गईं । मैंने हिन्दी समाचार बुलेटिन सुना था । उसमें जनता पार्टी के सर्वश्री मधु दण्डवते और रामविलास पासवान, भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी और सतीश अग्रवाल, डी० एस० पी० के श्री हरकेश बहादुर और कांग्रेस के कई सांसदों की प्रतिक्रियाएं

प्रसारित की गई थीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लोकदल तथा अन्य दलों की प्रतिक्रियाओं को क्यों दबा दिया गया ? क्या इसे पक्षपातपूर्ण नीति नहीं कहा जा सकता ?

मेरे इस प्रश्न का जवाब आकाशवाणी के अधिकारी महोदय ने देने की कृपा नहीं की। इसे वह आसानी के साथ नजरंअदाज कर गए। ऐसा क्यों ? उन्होंने एक दूसरा जवाब दे डाला। उनका कहना है कि 1-3-84 को 8.10 बजे सबेरे के बुलेटिन में निम्न सदस्यों की प्रतिक्रियाएं प्रसारित की गईं :—

(1) श्री नीरेन घोष, सी० पी० एम०

(2) श्री सतपाल मलिक—लोक दल

(3) श्री आर० मोहनरंगम—ए० आई० डी० एम० के०

(4) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन—कांग्रेस (एस)

(5) श्री चन्द्रजीत यादव—जनवादी

इस प्रसारण में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नाम का कहीं उल्लेख नहीं है।

श्री टोकस ने यह भी लिखा है कि आम बजट पर 29-2-84 को 10.20 रात्रि के प्रसारण में निम्न व्यक्तियों के आम बजट पर प्रतिक्रियाएं प्रकाशित की गईं—

(1) श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती—सी० पी० एम०

(2) श्री आर० मोहनरंगम—ए० आई० डी० एम० के०

(3) श्री आर० रामकृष्णन—ए० आई० डी० एम० के०

(4) श्री ए० जी० कुलकर्णी—कांग्रेस (एस)

(5) श्री के० पी० उन्नीकृष्णन—कांग्रेस (एस)

(6) श्री बी० वी० अब्दुल्ला कोया—मुस्लिम लीग

(7) श्री चन्द्रजीत यादव—जनवादी

(8) प्रो० सैफुद्दीन सोज—नेशनल कांफ्रेंस

इस प्रसारण में भी सी० पी० आई० का उल्लेख कहीं नहीं है। फारवर्ड ब्लाक, आर० एस० पी० के किसी प्रतिनिधि की प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई। इसे पक्षपातपूर्ण नीति नहीं तो और क्या कहा जा सकता है ? कुछ दलों के प्रतिनिधियों का प्रसारण तो बार-बार किया गया जो ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है।

अपने मर्यादा-भंग के प्रस्ताव के एक और अंश को मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"शून्य काल में बहुत सारे लोग लोक महत्व के प्रश्न उठाते हैं, पर कुछ खास लोगों के नाम की ही चर्चा संसद समीक्षा में की जाती है। अन्यों को नजरन्दाज कर दिया जाता है। कल की ही बात लीजिए। रिजर्व बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के बैंकों के भुगतान के बारे में मार्क्सवादी श्री सत्यसामन चक्रवर्ती तथा कुछ अन्य सदस्यों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के श्री इन्द्रजीत गुप्त और रामावतार शास्त्री, फारवर्ड ब्लाक के श्री चित्त बसु, जनता पार्टी के प्रो० मधु दंडवते ने जीरो आवर में सवाल उठाया। परन्तु भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और फारवर्ड के प्रतिनिधियों का नाम संसद समीक्षा में नहीं लिया गया। श्री राम विलास पासवान ने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा था। फिर भी उनके नाम का प्रसारण किया गया। लगता है कि उनकी धौंस आकाशवाणी वालों पर ऐसी है कि उनका भूत उन पर चढ़ कर बोलता रहता है जिसके भय से वे कांपते रहते हैं। दूसरी बात है कि वह झट से मर्यादा भंग का प्रस्ताव पेश कर देते हैं जिससे बचने के लिए वे नहीं बोलने पर भी उनके नामों का प्रसारण कर देते हैं।

मेरी इस शिकायत का जवाब भी आकाशवाणी के अधिकारी ने गलत ढंग से दिया है। उन्होंने इतना कह कर अपनी जवाबदेही समाप्त कर दी कि सर्वश्री इन्द्रजीत गुप्त, रामावतार शास्त्री और चित्त बसु की आवाज नहीं सुनी गई जबकि उन लोगों ने तेज आवाज में उक्त सवाल को उठाया था। क्या मैं पूछ सकता हूं कि जिस माननीय सदस्य ने इस सवाल को उठाया तक नहीं, उनकी आवाज संसद समीक्षक के कानों तक कैसे पहुंच गई ?

संसद समीक्षकों के लिए सभी माननीय सदस्यों का मान बराबर होना चाहिए। उन्हें सारी बातों की रिपोर्टिंग निष्पक्ष रूप से करनी चाहिए। सरकार द्वारा यह कह देने से भी काम नहीं चलेगा कि वे पत्रकार होते हैं। पत्रकारों को तो रिपोर्टिंग में और भी चौकस रहना चाहिए। क्योंकि उन्हें जनतंत्र का चौथा पाया माना जाता है। मैं भी वर्षों तक श्रमजीवी पत्रकार रह चुका हूं, आज भी मैं दैनिक "जनशक्ति" संपादक मंडल का सदस्य हूं। इसलिए पत्रकारों की निष्पक्षता से मैं थोड़ा बहुत परिचित जरूर हूं।

संसद समीक्षकों को समय का अभाव जरूर रहता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कुछ लोगों के वाक्यों की चर्चा करके उन्हें उछाला जाए और कुछ के केवल नामों की चर्चा कर दी जाए। सभी सांसदों के निर्वाचन क्षेत्रों के लोग अपने प्रतिनिधियों के संसद में कार्यकलापों की जानकारी चाहते हैं। अतः समय की सीमा के अन्दर भी निष्पक्षता बरती जा सकती है व एक मापदंड अपनाया जा सकता है।

इन बातों की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करता चाहूंगा और चाहूंगा कि भविष्य में आकाशवाणी या संसद समीक्षक तथा पत्रकार निष्पक्षता के साथ कार्य कर सकें, इसकी व्यवस्था करें।

मैं यह चाहूंगा कि मंत्री जी इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया इस सदन के समक्ष रखें ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए अधिक से अधिक धन की व्यवस्था किए जाने के पूरी तरह से पक्ष में हूं, क्योंकि यह एक ऐसी भूमिका निभा रहा है, जो हमारी राष्ट्रीय एकता और हमारी जनता के सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह भूमिका जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा निभाई जा सकने वाली भूमिका से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ।

जैसा कि सभी जानते हैं, हमारी अधिकांश जनता आज भी अशिक्षित है और आकाशवाणी तथा विशेषरूप से टेलीविजन के माध्यम से इन लोगों की और अधिक प्रभावी रूप से सहायता की जा सकती है । मैं इस बात के लिए कोई बहुत ज्यादा उत्सुक नहीं हूं कि प्रत्येक स्कूल में एक टेलीविजन सैट उपलब्ध कराया जाय, इसलिए नहीं कि मैं ऐसा नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि हमारे पास सीमित कोष हैं । यह अधिक महत्वपूर्ण है कि सर्वप्रथम प्रत्येक गांव में और तत्पश्चात् स्कूलों में एक एक टेलीविजन सैट उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

हमारे यहां प्रत्येक गांव में दो इलाके होते हैं—एक वह, जहां वे लोग जो कि उच्च वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं और सम्पन्न हैं, अपना प्रभुत्व बनाए हुए रह रहे हैं; और दूसरा वह, जहां अप्राधिकृत, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और अन्य निम्न जाति के लोग रहते चले आ रहे हैं । इस प्रकार से रहते चले जाना, उनके लिए उचित या अनुचित, है, यह दूसरा विषय है ।

हमारे गांवों में आज यह स्थिति है । अतः यही बेहतर है कि हम इन दो क्षेत्रों के लिए अलग-अलग टेलीविजन सैटों की व्यवस्था करें । यदि वित्तीय अभाव के कारण ऐसा संभव नहीं है, तो सरकार को इस बात के लिए उचित ध्यान रखना चाहिए कि टेलीविजन सैट गांव में सदा उस स्थान पर लगाया जाय जहां ये गरीब, अप्राधिकृत लोग स्त्रियों और बच्चों के साथ सुरक्षा, आराम तथा सामाजिक स्वतन्त्रता की भावना से एकत्रित हो सकें और टेलीविजन देखने का आनन्द, उठा सकें ।

मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि इन दो विशाल सामाजिक संस्थानों के प्रबंध के लिए इसी समय एक स्वायत्त निकाय का गठन किया जाय ।

यदि इस सम्बन्ध में हमारे यहां एक स्वतन्त्र स्वायत्त निकाय होता, तो मेरे माननीय मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने अभी-अभी जो शिकायत की है उस पर उतनी आसानी से ध्यान दिए जाने की सम्भावना न होती, जितना कि हम चाहते होते । अब हमारी यह सरकार है । इसके काम-काज में कोई भी कमी पाने पर हम इसे फटकार सकते हैं । परन्तु एक स्वायत्त निकाय के साथ निपटने में ब्रिटिश सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार को भी कठिनाई हो रही है । ब्रिटिश सरकार अपने ही तथाकथित ब्रिटिश ब्राइकास्टिंग कार्पोरेशन से कोई बहुत अच्छी तरह निपटने में

सफल नहीं हो सकी है । स्वायत्त निकाय यदि कोई कुचेष्ठा करना चाहे, तो वह सरकार से साजिश करके या उसके बिना ऐसा कर सकता है । सरकार का बहाना यही होगा कि यह एक स्वायत्त निकाय है और संसद इस पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल सकेगी ।

इसके अलावा यह बात भी है कि हमारे यहां सामाजिक अपराधों, भाषाई दंगों, प्रान्तीय झगड़ों, उपद्रवों से उत्पन्न होने वाली अशान्ति, भौगोलिक हिंसा और वास्तव में कहा जाय तो सभी प्रकार की हिंसा का अत्यधिक वातावरण व्याप्त है ।

ऐसी परिस्थितियों में, इन संस्थानों को सरकार के सीधे नियंत्रण में रखना ही हमारे लिए बेहतर है ।

आइये, हम इस बात का विश्लेषन करें कि हमारे यहां भारत में किस प्रकार के प्रकाशन हैं । अभी तक किस प्रकार के दैनिक प्रकाशन हमारे यहां होते रहे हैं ? हाल ही के कुछ वर्षों में हमें किस प्रकार के मासिक तथा साप्ताहिक प्रकाशन, विशेषरूप से अंग्रेजी में तथा अधिकाधिक तौर पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी, पहले से कहीं अधिक गति से देखने को मिले हैं ? बाह्य प्रभाव, जो कि सदैव ही राष्ट्रवादी अथवा राष्ट्रीय नहीं होते, इन क्षेत्रों में अपनी भूमिका अदा करते रहे हैं और उनकी भूमिका निरन्तर रूप से रचनात्मक तथा देशभक्तिपूर्ण नहीं रही है । समाचारों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने के फलस्वरूप यहां काफी अधिक अशांति होती रही है । मैं केवल एक उदाहरण दूंगा । एक ऐसे मन्दिर में कोई घटना हुई जिसका निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था और बाहर के लोग जिसे मन्दिर नहीं मान रहे थे, परन्तु फिर भी वे लोग जो इसका निर्माण करना चाहते थे उनका विचार यही था कि यह एक मन्दिर है । वहां कुछ घटित हुआ । अगले ही दिन समस्त अन्य समुदाय पर जघन्य हमले हुए और हमने एक महानुभाव का स्वांग देखा जो इस समय अपने आपको अमृतसर में गुरुद्वारे में छिपाए हुए हैं और यह कहकर शेष सारे देश को चुनौती दे रहे हैं कि वे हिंसा पर उतर जायेंगे और यह कि वे अपने अनुयायियों को भी अंधाधुंध तरीके से हिंसा का सहारा लेने के लिए कहेंगे । अभी तक भी उसी तरह की अपील जारी है । धमकियां दी जा रही हैं । सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ मुख्यमन्त्री भी यह कहते जा रहे हैं कि वे हिंसा का मुकाबला हिंसा से करेंगे । हमारे यहां ऐसे नेता हैं जो इस प्रकार की धमकियां देने में लगे हुए हैं । हमारे यहां के सारे समाचार-पत्र या उनमें से कुछ अथवा वे जो कुछ भी हैं, इस प्रकार की खबरें प्राप्त कर रहे हैं और एक प्रकार से चिल्ला-चिल्लाकर इन्हें प्रसारित कर रहे हैं; यही समय है जबकि हमें यह देखना चाहिए कि कम से कम ये दो संस्थान, जिन्हें संसद द्वारा उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, इस प्रकार वे गैर-देशभक्तिपूर्ण, समाज-विरोधी तथा अ-रचनात्मक प्रचार, धमकियों, चुनौतियों तथा ऐसी ही अन्य बातों में लिप्त ना हों ।

इसके बाद, मैं चाहता हूं कि टेलीविजन तथा आकाशवाणी को, हमारी उभरती हुई पीढ़ी पर गलत प्रभाव डालने से बचना चाहिए । देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाली हत्याओं, हिंसा

तथा अन्य समाज-विरोधी गतिविधियों की जानकारी दी जा सकती है परन्तु इनकी जानकारी कुछ इस तरह से दी जानी चाहिए कि नवयुवक लोग जीवन के ऐसे गलत रास्तों अथवा जीवन की ऐसी गलत गतिविधियों की ओर जाने की गलती न करें। यही दिशा है जिसके बारे में आकाशवाणी तथा टेलीविजन को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए, पश्चिमी देशों के टेलीविजन माध्यम से भी कहीं अधिक सतर्क, क्योंकि वहां के युवा लोगों पर इनका असर नहीं पड़ता जबकि हमारे यहां बहुत पड़ता है। परन्तु हमारे नवयुवक लोग प्रभाववादी हैं और हमारे सामाजिक जीवन में भी तथा समाचार-पत्रों के माध्यम से भी हिंसा का अत्यधिक वातावरण व्याप्त है। इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बच्चों, हमारे नौजवान लोगों, हमारे वयस्कों को समन्वय, साम्प्रदायिक, एकता, आपसी तथा वैयक्तिक भाषागत सहभावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, राष्ट्रीय एकता तथा देशभक्ति का वातावरण उपलब्ध हो। पश्चिम में देशभक्ति शायद लोकप्रिय नहीं है; बल्कि पश्चिमी देशों में इसे शायद आत्माभिमानी अथवा प्रतिक्रियावादी रूप में समझा जाता है; परन्तु हमारे देश में यह अभी तक एक जीवित शक्ति है, और सबसे आवश्यक बात यह है कि शेष विश्व में इसकी आवश्यकता से कहीं ज्यादा अधिक आवश्यकता यहां है। इसलिए, इन दो महान शैक्षणिक संस्थाओं को इस पर विशेष ध्यान देना होगा। इनके कलाकारों को जिनकी मैं प्रशंसा करता हूं, उनके बारे में फिर भी यह कहूंगा कि उन्हें उन दशकों में प्रशिक्षित किया गया है, जबकि हमारे देश में भी जीवन के प्रस्तुतीकरण का अमरीकी ढंग प्रचलित था—मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे अपने लोगों के बीच आपस में अधिक से अधिक साहचर्य के लिए, वे हमारे मनोभावों, हमारे राष्ट्रीय मनोभावों और हमारी आवश्यकता के अनुरूप भी अपने आपका ढालें।

और अन्त में, मैं इस बात के लिए अत्यधिक उत्सुक हूं कि सर्वप्रथम, इन दो महान संस्थानों को और अधिक तथा और तेजी से सुदृढ़ एवं विकसित किया जाना चाहिए। इस बात के लिए मैं अपने माननीय मित्र, श्री एच० के० एल० भगत को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसमें एक नई गति का संचार किया है। इस कार्य में जब वे आगे बढ़ें, तो उन्हें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम अपने देश में, देश के विभिन्न भागों में और अपने सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में हो रही रचनात्मक गतिविधियों को अधिकाधिक महत्व दें। आजाद होने से पहले के दिनों में, अंग्रेजों के यहां होते हुए भी जब कभी भी हम रचनात्मक कार्य कर रहे होते थे, तो आकाशवाणी पर उसका बहुत अधिक प्रचार होता था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद के पहले बीस वर्षों में भी, हमारे द्वारा किये जा रहे रचनात्मक कार्य को काफी अधिक प्रमुखता दी जाती थी। लेकिन, अब मैं पाता हूं कि वह बात नहीं है। रचनात्मक कार्य जबरदस्त तरीके से चल रहा है : स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, प्रोफेसर, छात्र—ये सभी रचनात्मक कार्य कर रहे हैं।

मैं जानता हूं कि गांवों में 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत हम कितनी प्रगति कर रहे हैं—सड़क निर्माण, पुल-निर्माण, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में संचार के अन्य साधनों का विकास,

शैक्षणिक गतिविधियां, साथ ही प्रौढ़ शिक्षा की गतिबिधियां, ये सभी बातें निरन्तर रूप से हो रही हैं, परन्तु यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि समाचार पत्रों में जो कुछ हमारे सामने आ रहा है, उसमें इन बातों को जितना महत्व दिया जाना चाहिए, मुझे उसका दसवां हिस्सा भी देखने को नहीं मिला । क्या इन दोनों संस्थाओं को नहीं चाहिए कि वे इन सभी गतिविधियों को कम से कम उतना आवश्यक महत्व तो दें जिसकी कि आवश्यकता है ताकि वे उस महत्व और उस ख्याति की क्षतिपूर्ति कर सकें जो उन्हें वास्तव में मिलनी चाहिए, परन्तु जो उन्हें अंग्रेजी और साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में नहीं मिल सकी है ? हमें ऐसा करना चाहिए, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार तथा वे सभी महान कलाकार जो उसके साथ हैं, इस बारे में सोचें और उन सभी रचनात्मक गतिविधियों को प्रचारित करने में अपनी प्रतिभाओं का बेहतरीन उपयोग करें, जो चल रही हैं ।

रचनात्मक गतिविधियों का विकास न केवल एक दल बल्कि सभी दलों द्वारा, न केवल राजनैतिक दलों, बल्कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है; और वास्तव में सामाजिक संस्थान, सरकारी मंत्रियों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले काम से दुगुना और तिगुना काम कर रहे हैं और ये सभी लोग काम कर रहे हैं । सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं दी जा रही है । इसके बावजूद, काफी बड़े पैमाने पर रचनात्मक कार्य चल रहा है और उसका प्रचार किया जाना चाहिए । राष्ट्र की ओर से, इस काम की आकाशवाणी तथा टेलीविजन के माध्यम से काफी महत्व तथा प्रचार एवं सराहना की जानी चाहिए । धन्यवाद ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : हमारे माननीय संसद सदस्य, प्रो० रंगा के साथ समाप्त होने वाले इस वाद-विवाद में बहुत बड़ी संख्या में सदस्यों ने भाग लिया है । मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने वाद-विवाद में बहुत अधिक रुचि ली है और अनेक प्रतिक्रियाएं और सुझाव व्यक्त किए हैं ।

मैं समझता हूं कि इस सदन में प्रत्येक सदस्य—यह बिल्कुल स्वाभाविक है—उत्सुक है कि हम संचार-माध्यम—आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्मों आदि का, देश की तस्वीर; अर्थात् सामाजिक तस्वीर, सांस्कृतिक तस्वीर, आर्थिक तस्वीर के बेहतर चित्रण के लिए, रचनात्मक क्रियाकलापों, अपने बीते हुए अच्छे समय के प्रस्तुतीकरण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम का चित्र प्रस्तुत करने, अपने आर्थिक विकास तथा इन समस्त बातों को प्रस्तुतीकरण के लिए श्रेयस्कर प्रयोग करें और इन संचार-माध्यमों को जनता के निकट लाएं । मैं उस भावना की अत्यन्त सराहना करता हूं जिससे ये सुझाव दिए गए हैं । मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि संचार-माध्यम एक संस्था है जिससे, मेरे विचार से न कोई सन्तुष्ट हो सका है और न कोई होगा क्योंकि यह एक माध्यम है जिसे समय के साथ कदम मिलाकर चलना होता है । इसे अधिक प्रतियोगी होना

पड़ता है। उसमें मौलिकता लानी पड़ती है। उसमें नवीनता लानी होती है और, इसीलिए हर समय इसकी परीक्षा होती [redacted]। मैं नहीं कह सकता कि जो कार्य ये संचार माध्यम कर रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह संतुष्ट हूं। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि माननीय सदस्यों ने यहां पर जो ये समस्त विस्तृत ब्यौरे और सुझाव दिए हैं ये हमारी विचारधारा में, और हमारी कार्य-योजना में तथा कार्यान्वयन में साकार किए जा रहे है। जो कार्य किया गया है और जो कार्य योजना तैयार की जा रही है माननीय सदस्यगण उसे देखने की कृपा करें। मैं अत्यन्त आदर और विनम्रता के साथ कहूंगा कि वर्ष 1983-84 सम्भवतः न केवल संचार-माध्यम के लिए महत्वपूर्ण कार्यों का वर्ष रहा है जिसमें संचार माध्यम के कल-पुर्जों का विस्तार हुआ है अपितु कार्यक्रमों में सुधार लाने तथा कार्यक्रमों को जीवन-धारा में तथा माननीय सदस्यों द्वारा सुझाई गई दिशा में प्रस्तुत करने का वर्ष भी रहा है।

मैं अच्छी तरह समझता हूं और सहमत हूं। कई सदस्यों ने बहुत ही उचित शिकायत की है कि इस कार्य में विस्तार के बावजूद उनके कुछ क्षेत्रों और कुछ जिलों में दूरदर्शन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने सही शिकायत की है और इसके बारे में उनका कहना अत्यधिक न्यायोचित है। चाहे उनका कहना दूरदर्शन के बारे में हो अथवा आकाशवाणी के बारे में हो क्योंकि लोग आकाशवाणी और दूरदर्शन क्षेत्र में और अधिक विस्तार चाहते है। दूरदर्शन केन्द्रों की और अधिक संख्या बढ़ाने तथा उसके विस्तृत कार्यक्रमों—जिसके लिए मुझे प्रधान मंत्री को धन्यवाद देना चाहिए—इन सभी का देश में सम्पूर्ण स्वागत किया गया है। इसका इस संसद में स्वागत किया है। मुख्य मंत्रियों ने इसका स्वागत किया है और उन्होंने मुझे पत्र भी लिखे हैं। इसका जिला परिषद तथा सामान्य जन और निर्धन व्यक्तियों के अनेक संगठनों द्वारा स्वागत किया गया है। जहां कहीं भी हम गए हैं, उन्होंने दूरदर्शन के विस्तार-कार्य की प्रशंसा की है।

महोदय, प्रधान मंत्री जी ने जनता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था और तभी यह विस्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुझे अपने मित्र, श्री साठे की प्रशंसा करनी चाहिए जिन्होंने दूरदर्शन कार्यक्रम के विस्तार तथा भारी कलपुर्जों के उत्पादन विशेषकर रंगीन टेलीविजन के उत्पादन वृद्धि के लिए बहुत कुछ रुचि ली है और जो इस समय मेरे से अगली बैंच पर बैठे हुए हैं। जब वे रंगीन टेलीविजन की बात करते हैं तो मैं सोचा करता था कि वह पागल हो गए हैं और आज मैं उनसे बड़ा पागल हूं। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि जो कार्य उन्होंने शुरू किया था उसमें न केवल टेलीविजन के विस्तार क्षेत्र में बल्कि इस कार्यक्रम को रंगीन बनाने में भी प्रगति हो रही है।

अब हम कल्पना करें कि हमारे विस्तार कार्यक्रम का परिणाम क्या है। इस विस्तार कार्यक्रम पर कुल व्यय—भारी कल पुर्जों और विस्तार दोनों पर—233.32 करोड़ रुपये का होने जा रहा है। यह उतना नहीं है यह केवल 86 करोड़ रुपये की विशेष योजना है। यह विभिन्न वर्गों के अधीन है। 86.95 करोड़ रुपये की छठी योजना का मूल परिव्यय था किन्तु 233.32 करोड़ रुपये टेलीविजन-विस्तार, भारी कल-पुर्जों और ट्रांसमीटरों के विस्तार के लिए

विभिन्न वर्गों के अधीन खर्च किए जा रहे हैं। यह कार्य अपने स्वयं के सरकारी उपक्रमों से ट्रांसमीटर प्राप्त करके किया जा रहा है। इतने कम समय में दूरदर्शन कार्यक्रम में संभवतः विश्व के इतिहास में बड़ी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। टावरों का निर्माण भी सरकारी उपक्रमों द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय में एक विशेष ग्रुप का सृजन किया गया है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों में बिजली की कठिनाइयों का सामना करता रहा है। राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं कि अधिकांश सभी स्थलों का पता लगा लिया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मैं सदन को बता सकता हूं कि इस वर्ष के अंत तक कुल मिलाकर यह कार्यक्रम क्रियान्वित हो जाएगा और देश में हमारे पास लगभग 180 केन्द्र और प्रसारण केन्द्र हो जाएंगे जो कि लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को कवर करेंगे।

महोदय इसी समय में हमें काफी संख्या में प्रशिक्षित कर्मियों की भी आवश्यकता है। हम कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं और उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम उन्हें विदेश भेज रहे हैं और उन्हें अपने पूना संस्थान में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम गोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं ताकि हमारे पास ऐसे व्यक्ति उपलब्ध हो सकें जिसका आशय न केवल हमारे पास भारी कल-पुर्जे हों बल्कि उन्हें तकनीकी रूप से सुधारा जा सके।

महोदय, मैं यह कहना नहीं चाहूंगा कि हम अत्यधिक उन्नत देशों के बराबर हैं। निश्चित रूप से हमें सुधार करना है। ऐसी अवस्था में दूरदर्शन इस देश के लिए अधिक या कम हाल ही का चमत्कार है। लेकिन हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि दूरदर्शन कार्मिक प्रशिक्षित हों और इसके लिए हम आवश्यक कदम उठा रहे हैं।

महोदय, एक मुद्दा टेलीविजन सेटों के बारे में उठाया गया था। इस मंत्रालय का काम टेलीविजन सेटों के बारे में नहीं। यह इलेक्ट्रानिकी और उद्योग मंत्रालय का कार्य है। उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं ताकि रंगीन तथा श्वेत और श्याम दोनों प्रकार के टेलीविजन सेट इस देश में उपलब्ध हो सकें। उन्होंने सीमा-शुल्क और उत्पाद-शुल्क की शर्तों में भारी रियायत भी दे दी है ताकि रंगीन टेलीविजन सेटों की कीमतें कम हो सकें।

इलेक्ट्रानिकी के उप मंत्री ने लिखित रूप में यह बताया है कि रंगीन टेलीविजन सेट कुछ समय के बाद लगभग 6000 रुपये के आस-पास में उपलब्ध हो सकेंगे जबकि वर्तमान कीमत बहुत अधिक है। श्वेत और श्याम टेलीविजन की कीमतें पहले ही नीचे आ गई हैं तथा आगे चलकर और भी कम होने की आशा है। सम्बन्धित मंत्रालय इन बातों—टेलीविजन सेटों के साथ-साथ भारी कलपुर्जों के उत्पादन में विस्तार—के बारे में ध्यान रख रहा है।

पूर्वोत्तर योजना के बारे में, इस योजना का भी अपना विशिष्ट गुण है। प्रत्येक स्टेशन पर जिसे हम पूर्वोत्तर केन्द्र पर प्रस्तुत करते हैं प्रत्येक केन्द्र स्थानीय कार्यक्रम तैयार करने की सुविधाओं से सुसज्जित होगा ताकि वे कार्यक्रमों को अपनी-अपनी भाषाओं और बोलियों में तैयार कर सकें तथा

उनका सीधा प्रसारण कर सकें। तत्पश्चात् इसके साथ-साथ वहां विशेष कार्यक्रम तैयार करने के केन्द्र भी होंगे जो कि इसी प्रयोजन के लिए इस योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्र के रूप में गोहाटी में स्थापित किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अपने ही यहां तैयार किए गए कार्यक्रम प्राप्त करेंगे; कार्यक्रम गोहारी में तैयार किए जाएंगे और कार्यक्रम राष्ट्रीय अंतः सम्पर्क के होंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसके द्वारा पूर्वोत्तर का 80% क्षेत्र लाभान्तित होगा।

अब, जहां तक दूसरे सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रश्न है उसके लिए निश्चित तौर पर हमारे पास ट्रांसमीटर आदि नहीं है ताकि हम पड़ोसी देशों से कार्यक्रम ग्रहण कर सकें। हमारा यह इरादा नहीं है। यदि वे हमारे कार्यक्रमों को भली भांति सुनते हैं तो हमें इसके बारे में खुशी है। लेकिन हम इस इरादे से कुछ भी नहीं करते। यह हुआ है और यह सच है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कुछ विदेशी स्टेशनों अथवा पड़ोसी स्टेशनों को तथा उनके कार्यक्रमों को हमारे लोग सुनते हैं। माननीय सदस्यों में से एक सदस्य ने यहां तक कह दिया है जो कि मेरे विचार से कुछ ज्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में एक स्थान पर लोग प्रधान मंत्री का नाम ही नहीं जानते हैं, वे भारत के राष्ट्रपति का नाम ही नहीं जानते हैं आदि-आदि। वह विपक्ष के एक सदस्य थे। मैं कहूंगा कि हमें इस अतिशयोक्ति को बंद करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए अत्यन्त खेद है वह एक संसद सदस्य हैं। यदि उनके निर्वाचन-क्षेत्र में एक स्थान पर लोग यह सब नहीं जानते तो इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? मुझे खेद है कि हम कभी-कभी अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में बढ़ा-चढ़ा कर बात करते हैं और यथार्थवादी रवैया नहीं अपनाते।

हमने पूर्वोत्तर क्षेत्र का ध्यान किया है। हमने जम्मू और कश्मीर का भी ध्यान किया है हमने राजस्थान का भी ध्यान किया है; हमने उत्तर प्रदेश सीमा का भी कुछ ध्यान किया है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार इस बात से अवगत है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों क्षेत्रों के बारे में हमें सीमा क्षेत्र में अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास करना चाहिए।

श्री वृद्धि चन्द जैन को मैं स्पष्ट तौर पर आश्वासन देना चाहता हूं। यह दुर्भाग्य की बात है कि जो बातें वे कह रहें हैं वे सही हैं और तर्कसंगत हैं। मेरी उनसे पूर्ण सहानुभूति है। मैं उनकी सहायता करना चाहता हूं। लेकिन अब तक बनी योजना के अनुसार उस क्षेत्र को आकाशवाणी और दूरदर्शन का लाभ नहीं मिला है। वे इस बारे में ठीक ही कह रहे हैं। अब मैं एक योजना तैयार कर रहा हूं जो कि सातवीं योजना में स्पष्ट रूप से कार्यान्वित हो सकेगी। अभी मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे हम इस दृष्टिकोण को, जो कि मेरे विचार से बिलकुल न्यायोचित है, स्वीकार कर सकें और मेरी उनसे तथा अन्य से भी पूर्ण सहानुभूति है जिन्होंने सीमा-क्षेत्र का प्रश्न उठाया है।

हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों को भी इसमें शामिल करने में समर्थ हों। यह भी सच है कि रखे गए मानदंडों के अनुसार ही हो रहा है। यह केवल नगरीय क्षेत्रों में ही नहीं हो रहा है। 70% ग्रामीण जनसंख्या को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वे भी इस विस्तार

में आएंगे। यह स्थिति है। किन्तु इसी के साथ-साथ मैं यह भी जानता हूं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र (कुछ जनजातीय क्षेत्रों सहित) के कुछ जिलों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसी प्रकार निश्चित रूप से इसमें भी कुछ कमी रही है, किन्तु जैसा कि मैंने कहा है इसके साथ वित्त का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं ताकि हम उनका ध्यान रख सकें और हम अपनी अगली योजना को बनाने का निश्चित रूप से प्रयास कर रहे हैं ताकि इन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जा सके। सरकार उत्सुक है कि देश के 100% लोगों को दूरदर्शन और आकाशवाणी की सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। हम किसी को भी इससे वंचित रखना नहीं चाहते हैं। इन योजनाओं को बनाते समय मेरे कुछ मित्रों ने कुछ बातों का उल्लेख किया है। मैंने इस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उन्होंने कहा हम न्यायसंगत नही हैं, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। यदि आप दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम को देखें---मैं अपने मार्क्सवादी मित्रों विशेषकर प्रो० रूपचन्द पाल से कहना चाहता हूं जो यहां पर बैठे हुए हैं, बंगाल के 95% क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाएगा जबकि म० प्र० का केवल 40% ही इसमें शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के भी बहुत क्षेत्र तक दूरदर्शन सेवा का विस्तार किया जायेगा। अतः हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि गैर-कांग्रेस (इ०) शासित राज्य हैं या कांग्रेस (इ०) शासित राज्य। हमने मानदंडों के अनुसार ही काम किया है और आगे भी मानदंडों के अनुसार ही हमारा काम करने का विचार है, जिनमें हम सदैव विश्वास रखते हैं। माननीया प्रधान मंत्री ने स्वयं मुझसे कहा, "कृपया गैर-कांग्रेस (इ०) द्वारा शासित राज्यों का ध्यान रखिए और देखिए कि उनकी उपेक्षा तो नहीं हो रही है।" यही सिद्धान्त है जिसका हमने सदैव पालन किया है और भविष्य में भी करते रहेंगे।

जहां तक आकाशवाणी का सम्बन्ध है। मुझे विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है कि इस समय कितने केन्द्र हैं और कितने विदेशी सेवा के हैं। निस्सन्देह, इसमें भी कमियां हैं, किन्तु इसके साथ-साथ यदि आप पूरे देश को ध्यान में रखें, देश के आकार की आयाम को दृष्टि में रखते हुए देखें कि जो जो सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसके आधार पर मैं यही कहूंगा कि हम निश्चित रूप से उन्नत हैं। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, विश्व राजनीति में हमारे देश के महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए, हमारी माननीया प्रधानमंत्री निर्गुट सम्मेलन की अध्यक्ष हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और उपकरणों के क्षेत्र में तथा कार्यक्रमों में भी हमने जो उन्नति की है और जो कर रहे हैं उसको देखते हुए इस क्षेत्र में निश्चित रूप से अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है और इसका बहुत विस्तार किया जाना चाहिए। किन्तु यह सब संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। संचार माध्यम का विस्तार करने के लिए हम बहुत अधिक उत्सुक हैं। हम और हमारी सरकार भी इसमें बहुत उत्सुक है कि हमारी आवाज अगरीका तक पहुंचनी चाहिए। हमारी आवाज विश्व के सभी भागों में सुनी जानी चाहिए। किन्तु इन विस्तार योजनाओं के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता है। हमने इसका प्रबन्ध भी किया है और कह भी रहे हैं ताकि भविष्य में योजना बनाते समय हम उसका भी ध्यान रख सकें। अब, ट्रांसमीटरों की उपलब्धता के बारे में। इस प्रयोजन के लिए मैंने योजना आयोग से अधिक धन देने के लिए कहा है। यदि हमें पर्याप्त धन नहीं दिया जाता है तो हम ट्रांसमीटर कहां से

प्राप्त करेंगे ? सरकार ने ट्रांसमीटर का आयात न करने और देश में ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उनका उत्पादन करने का सही निर्णय किया है। अतः इस सम्बन्ध में भी मांग की गयी थी कि सरकारी क्षेत्र के एककों को कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की बजाय उच्च-शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उत्पादन करना चाहिए और अधिक चैनल होनी चाहिए ताकि विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सके। मैं आशा करता हूं कि जुलाई और दिसम्बर, 1984 के मध्य लगभग हर मास 20 और 30 ट्रांसमीटरों की स्थापना की जाएगी। यह सब दूरदर्शन से सम्बधित होंगे। अतः जुलाई और इस वर्ष के अन्त तक ये सभी दूरदर्शन केन्द्र स्थापित हो जायेंगे और कार्यक्रम प्रसारित करने लगेंगे। इसके लिए, मैं मंत्रालय के अधिकारियों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उन सभी अन्य लोगों, जो इस विस्तार कार्यक्रम को समय में ही पूरा करने के लिए दिन-रात कार्य कर रहे हैं, की प्रशंशा करूंगा। हमारे लिए यह एक बड़ी चुनौती है। प्रधानमंत्री ने हमसे कहा "जनता यही चाहती है और यह कार्य समय के अन्दर ही हो जाना चाहिए।" शुरू में जब मैंने मंत्रालय के अधिकारियों से परामर्श किया तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं हो सकता है। मैंने प्रधान मंत्री को बताया कि यह सम्भव नहीं हो सकता है। किन्तु माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, "नहीं, मैं आपके मुंह से 'नहीं' सुनना नहीं चाहती हूं। इस कार्य को करना ही होगा।" उसके बाद मैंने कहा कि यह कार्य हो जायेगा और मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि अधिकारी अब इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं। अतः जहां तक उपकरण-पक्ष की बात है अब तक हमने यह किया है।

अब, इसके कार्यक्रम-पक्ष की ओर आता हूं। मैं अनुभव करता हूं कि दूरदर्शन 'देवता' और शैतान दोनों हो सकता है। यदि कार्यक्रम बुरे हैं तो यह शैतान का काम करेगा और यदि कार्यक्रम अच्छे हैं तो यह देश का रूपान्तर कर देगा। कुछ मित्रों ने कहा है कि सरकार के पास कोई प्रसारण-नीति नहीं है। मैं समझता हूं कि प्रो० रूप चन्द पाल ने उल्लेख किया था कि हमारी कोई प्रसारण-नीति नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारी प्रसारण-नीति है। यह सुस्पष्ट है। इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भी हैं, जो 1980 में जारी किए गए थे। यह पार्थासारथी समिति के प्रतिवेदन में भी है, जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया था। यह कहा गया था कि समय-समय पर गठित की गई समितियों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रसंग में मैं कहूंगा कि कुछ सिफारिशें स्वीकार की गई है और कुछ नहीं की गई हैं। इसलिए, यह कहना गलत है कि सरकार समय-समय पर गठित की गयी समितियों की सिफारिशें स्वीकार नहीं करती है। यह आवश्यक नहीं है कि समिति की प्रत्येक सिफारिश को माना जाए। विभिन्न समितियों की बहुत-सी उपयोगी सिफारिशों को स्वीकार किया गया है। पार्थासारथी समिति ने इस विषय का विस्तृत अध्ययन किया है। समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया था। यदि आप प्रतिवेदन का पूरा अध्ययन करें तो आप देखेंगे कि इसमें विषय का विस्तृत और सर्वांग पूर्ण अध्ययन है और संचार माध्यम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए गए हैं यथा "ये बातें करिए और ये बातें मत करिए।" राजनीतिक वस्तुनिष्ठता अपनाइये और इस प्रकार से कार्यक्रम प्रस्तुत कीजिए, आर्थिक विकास और अन्य बातों को इसी प्रकार से कार्यक्रमों द्वारा प्रक्षेपित कीजिए। इन सब बातों

4.00 म० प०

का उल्लेख किया गया है। यह सरकार इस बारे में स्पष्ट है और इसकी प्रसारण-नीति को भी स्पष्ट रूप से बताया गया है।

तथापि, मैं निश्चित रूप से एक स्वीकार करता हूं और यह मेरी अनुभूति भी है कि इस देश का विकास, इस देश की सामाजिक और आर्थिक तस्वीर, जिसको कार्यक्रमों द्वारा जितना दिखलाया जाना चाहिए उतना नहीं दिखलाया गया है। मैं सदस्यों की चिन्ता और विचारों से सहमत हूं और इसका सामना करने के लिए हम कदम उठा रहे हैं। कुछ माननीय सदस्यों, प्रो० पराशर, प्रो० रंगा और कुछ अन्य सदस्य—यदि मैं किसी माननीय सदस्य का नाम न लूं तो वे मुझे क्षमा करें, मैं सभी सदस्यों का समान रूप से आदर करता हूं—ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि स्वाधीनता संघर्ष के सभी पहलुओं को हमें कार्यक्रमों के माध्यम से उजागर करना चाहिए। स्वाधीनता संघर्ष पर पहले बनाए गए बहुत से वृत्त चित्र हैं, जिनका समय-समय पर उपयोग किया जाता है, ऐसा नहीं है कि स्वाधीनता संघर्ष पर कोई वृत्त-चित्र ही न हो। किन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। हमारी अनुभूति है कि इस देश का स्वाधीनता संघर्ष वास्तव में बहुत शांतिमय क्रान्ति थी जो उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी विश्व की अन्य कोई क्रांति। देश और विदेश में उसके प्रभाव हुए थे। विदेश में हुई क्रांतियों से भी मैं बहुत प्रभावित हूं, चाहे वह सोवियत क्रांति हो या फ्रांसीसी क्रांति, किन्तु मैं अनुभव करता हूं कि हमें फिल्म प्रभाग के वृत्त चित्रों, प्रदर्शनियों और प्रकाशनों तथा दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्यक्रमों के माध्यम से अपने स्वाधीनता संघर्ष को उजागर करने की आवश्यकता है और हमने यह निर्णय कर लिया है। मैं इस सभा को पूरा आश्वासन देता हूं कि इसको वस्तुनिष्ठता से करने का हमारा प्रस्ताव है। स्वाधीनता संघर्ष के किसी भी पक्ष की उपेक्षा नहीं की जाएगी···(व्यवधान)।

इस प्रयोजन के लिए, हमने श्री उमा शंकर दीक्षित की अध्यक्षता में एक सम्पादकीय बोर्ड का गठन किया है। श्री भक्तवत्सलम्, श्री गंगा शरण सिन्हा और दो प्रसिद्ध इतिहासकार डा० अम्बा प्रसाद और डा० बलदेव राज इस बोर्ड के सदस्य हैं। सम्पादकीय बोर्ड पटकथा और शीर्षक को स्वीकृति देगा और वृत्तचित्र का पूर्व दर्शन भी करेगा। सम्पादकीय बोर्ड में कुछ और लोगों को शामिल करने का भी हमारा प्रस्ताव है। जैसा कि मैंने कहा है, हम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि स्वाधीनता संघर्ष का पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतीकरण होगा। किसी भी नेता, किसी भी आंदोलन···की उपेक्षा करने का हमारा अभिप्राय नहीं है···(व्यवधान) आजाद हिंद फौज पर भी वृत्त चित्र बनाया जायेगा···(व्यवधान) मैं जानता हूं कि मेरी बातों से किसको तकलीफ हो रही है। मैं प्रो० रूप चन्द पाल को बता दूं कि हमने निर्णय किया है कि वृत्त चित्र घटना-वार, क्रम-वार, विभिन्न घटनाओं और विभिन्न महत्वपूर्ण बातों पर बनाए जाएंगे। वृत्त-चित्र केवल मुख्य विषय वस्तुओं पर ही नहीं बनाए जाएंगे, अन्य सभी विषय वस्तुओं पर भी बनाए जाएंगे—चाहे वे शहीद हों, चाहे यह श्रमिक आंदोलन हो, चाहे सेना का विद्रोह हो, चाहे आजाद हिंद फौज हो या समाजवादी हो, जो भी हो और चाहे किसी भी तरीके से वह स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हुआ हो, अथवा चाहे किसान आंदोलन हो—सभी पर वृत्तचित्र बनाए जाएंगे। समाचारपत्रों की भूमिका, अल्पसंख्यकों की भूमिका, हरिजनों की भूमिका, पिछड़े वर्गों की भूमिका आदि सभी को प्रसिद्ध लोगों द्वारा बनाए गए वृत्त-चित्रों के माध्यम से उजागर किया जाएगा।···(व्यवधान)

मैं आपके मतभेदों को समझ सकता हूं। सत्तारूढ़ कांग्रेस के प्रति आपकी चिढ़ को मैं समझ

सकता हूं। किंतु आप स्वाधीनता संघर्ष के एक भाग से रूप में 1947 तक की कांग्रेस के प्रक्षेपण से इतना चिढ़ते क्यों हैं? क्यों नहीं? यह उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार किसी और के साथ। कांग्रेस ने कौन लोग थे? विपक्ष में बैठे हुए बहुत से सदस्य कांग्रेस में ही थे और किसी की भी उपेक्षा करने का हमारा इरादा नहीं है। हम हर राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों पर वृत्तचित्र बनाना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान गाए गए सभी गीतों का संकलन किया जाए, उनके कैसेट बनाए जाएंगे और प्रसारण माध्यमों द्वारा उनका उपयोग किया जाएगा। जिन फिल्मों के निर्माण का हमारा प्रस्ताव है, उन्हें न केवल दूरदर्शन पर दिखाया जाएगा बल्कि उन्हें 14 भारतीय भाषाओं में डब करके देश के 14,000 सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। हमारा यह कार्य करने का प्रस्ताव है।

मैं यह भी बता दूं कि हम प्रत्येक राज्य द्वारा स्वाधीनता संघर्ष में दिए गए योगदान को प्रक्षेपित करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने श्री ज्योति बसु सहित सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। मैंने उनसे सहयोग मांगा है और उनमें से बहुतों के पत्र मुझे प्राप्त हुए हैं। मैंने उन्हें अपने प्रतिनिधि मनोनीत करने के लिए कहा है, ताकि हम उनके सहयोग से ये फिल्में बना सकें।

दूसरे, देश की सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक प्रगति के प्रक्षेपण के सम्बन्ध में मैं प्रो० रंगा तथा अन्य सदस्यों को बता दूं कि एक मंत्री या एक संसद सदस्य के नाते हमारे लिए सभी कार्यक्रम देख पाना सम्भव नहीं है। हमारे पास इतना समय नहीं है। आकाशवाणी पर हजारों कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, मैं समझता हूं दूरदर्शन पर भी हजारों कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। हम सभी के लिए प्रत्येक कार्यक्रम देख पाना संभव नहीं है और न ही हम इनके बारे में समग्र धारणा बना सकते हैं।

मंत्री होने के नाते मेरे पास भी इन कार्यक्रमों को देखने का समय नहीं होता। मैं यह स्पष्ट रूप से कहूंगा। कभी-कभी, मैं यह भी कहता हूं : "यह नहीं किया गया है; वह नहीं किया गया है।" कई बार मैं ठीक होता हूं; कई बार जब मैं जांच पड़ताल करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं गलत हूं। ऐसे काम हुए हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मैं निश्चित रूप से यह महसूस करता हूं कि आकाशवाणी के कार्यक्रमों तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों में सुधार की काफी गुंजाइश है। मैं ऐसा महसूस करता हूं और हम इसी बात के पीछे लगे हुए हैं। हम इनमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों के मत से सहमत नहीं हूं जो यह कहते हैं कि कार्यक्रम बेकार तथा घटिया हैं। मेरी यह धारणा है और हमारा अनुसंधान अध्ययन तथा स्वतंत्र अध्ययन भी यह दिखाता है कि कार्यक्रमों के राष्ट्रीय स्वरूप में कुछ सुधार हुआ है, उनके प्रस्तुतीकरण, समाचार सार तथा विविधता में सुधार हुआ है। हमारे प्रक्षेपण के बारे में भी—मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है, आप यह जानते हैं—विश्व भर में हमारी प्रशंसा हुई है, अर्थात्, निर्गुण सम्मेलन, एशियाई खेलों, अब अंतरिक्ष तथा विभिन्न खेलों के कार्यक्रमों, राष्ट्रमंडलीय शासनाध्यत्रों के सम्मेलन तथा अन्य अनेक कार्यक्रम के प्रक्षेपण की सराहना की गई है। न केवल भारत की जनता ने बल्कि सारे विश्व के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है।

कार्यक्रमों को स्थान देने के बारे में भी यही बात है। सामान्य व्यक्तियों तथा उनके संगठनों से मेरे पास अनगिनत पत्र आते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने इनकी बहुत प्रशंसा की है। मैं जानता हूं कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों को कार्यक्रमों के समय तथा उनकी विषयवस्तु आदि के बारे में कुछ आपत्तियां थीं। आपने देखा होगा कि हमने राष्ट्रीय कार्यक्रम का समय बदल दिया है तथा क्षेत्रीय केन्द्रों को अधिक समय दिया गया है।

मेरे एक मित्र ने कहा था : "मुख्य मंत्रियों को यह प्रसारण करने की अनुमति दें कि वे अपने राज्यों में क्या कार्य कर रहे हैं।" इस सम्बन्ध में हम बहुत उत्सुक हैं। हम यही तो कर रहे हैं। मैं इस बारे में आंकड़े दे सकता हूं कि मुख्य मंत्रियों ने आकाशवाणी पर कितनी बार प्रसारण किए। इस काम के लिए उनका स्वागत है। हम इस बारे में बहुत उत्सुक हैं कि राज्य सरकारों की गतिविधियों को प्रक्षेपित किया जाना चाहिए।

मैं एक मित्र द्वारा उठाए गए इस मुद्दे की ओर आऊंगा कि प्रसारण माध्यमों का प्रयोग दलगत कार्यों के लिए तथा व्यक्तित्व आदि को प्रक्षेपित करने में किया जा रहा है। ये आरोप कितने मिथ्या, पूरी तरह से कितने झूठे, कितने निराधार, कितने निरर्थक तथा बिना किसी आधार के हैं। ये बार-बार दोहराए जाते हैं तथा इनमें कोई सार नहीं होता।

प्रो० रूप चन्द पाल ने काफी कठोर शब्दों का प्रयोग किया था। उनके प्रति उचित सम्मान प्रकट करते हुए मुझे यह कहने में खेद है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा, उसमें पूर्णतया कोई सार नहीं था। मैं उनकी ओर आऊंगा तथा उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे का स्पष्ट उत्तर दूंगा।

कुछ कार्यक्रम स्वास्थ्य पर होते हैं, कुछ शिक्षा पर तथा कुछ कार्यक्रम हास्य से सम्बन्धित होते हैं। हाल ही में मैंने भारतीय हास्य लेखकों की एक बैठक बुलाई थी। हम चाहते हैं कि हास्य पर कार्यक्रम प्रसारित किए जाएं। अभी दो दिन पूर्व, शायद कल ही मैंने महिलाओं तथा बच्चों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की ताकि हम महिलाओं और बच्चों के बेहतर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकें। हमने नाटक मंडलियों से बातचीत की ताकि हम उन मंडलियों की कृतियां प्रस्तुत कर सकें तथा उनके साथ बेहतर पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर सकें। हमने बाहर से व्यवसायियों को बातचीत के लिए निमंत्रित किया है। कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री ने बाहर के जाने-माने व्यवसायियों की राय जानने के उद्देश्य से उनके साथ डेढ़ घंटे तक बातचीत की। हमने इस ओर इतना ध्यान दिया है।

एक समिति विज्ञान शिक्षा से सम्बन्धित कार्यक्रमों का पहले से ही अध्ययन कर रही है। यहां एक सुझाव दिया गया था : "सभी मंत्री यहां मौजूद हैं; आप इकट्ठे बैठकर बातचीत क्यों नहीं करते ?" हम पहले ही इकट्ठे हो चुके हैं। मंत्रिमंडल के एक निर्णय के अनुसरण में मेरी अध्यक्षता में एक समिति

गठित की गई है। जिसमें सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं और हम भारत की उपलब्धिओं को प्रक्षेपित करना चाहते हैं।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी उपलब्धियां प्रक्षेपित नहीं की हैं। हमने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा है। मैंने मंत्रियों को लिखा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सभी राज्यों की उपलब्धियों को प्रक्षेपित करने में उत्सुक हैं। जैसे ही मैंने कार्यभार संभाला था, मैंने सभी मुख्य मंत्रियों को लिखा और उन्हें कहा : "प्रत्येक राज्य पर एक रंगीन वृत्त चित्र तैयार कीजिए। हम इसे राष्ट्रीय दूरदर्शन पर दिखाना चाहते हैं।" मैं उन्हें लिख चुका हूं। उन्होने कहा है कि वे इनका निर्माण करेंगे। हम सारे भारत को इसकी समग्रता तथा इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति के साथ प्रक्षेपित करना चाहते हैं। हमने हाल ही में प्रधानमंत्री के सुझाव पर हैदराबाद से एक तेलगू बुलेटिन तथा बंगलौर से एक कन्नड़ बुलेटिन आरम्भ किया है। कुछ कठिनाइयों के बावजूद हमने कुछ अंतरिम निर्माण व्यवस्था की है। हम अपनी कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं में सुधार लाने का प्रयास कर हैं। कई नए कार्यक्रम निर्माण केन्द्र खोले जा रहे हैं। हमारा प्रस्ताव है कि गोहाटी के लिए असमिया भाषा में वही सुविधाएं प्रदान की जाएं। हम इस बारे में उत्सुक हैं कि सभी भाषाएं फलें-फूलें। हम अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम में भी जहां तक सम्भव है सभी भाषाओं को समय देने की कोशिश कर रहे हैं। अब, समाचारों में भी हम राज्य समाचारों को प्रक्षेपित करने में उत्सुक हैं। इसीलिए हमने वहां एक छोटा संवाददाता लगा दिया है। हम इसका इस्तेमाल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमारा पूरा दृष्टिकोण भारत की एकता को प्रक्षेपित करना है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये कार्यक्रम देखें। रात दो-तीन महीनों के दौरान आकाशवाणी तथा दूरदर्शन दोनों पर राष्ट्रीय एकता के सैकड़ों कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं। वास्तव में कुछ समीक्षकों ने हमें लिखा है कि ये आवश्यकता से अधिक हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मुझे बहुत से पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें आकाशवाणी और दूरदर्शन की राष्ट्रीय एकता के लिये अच्छा कार्य करने के लिये प्रशंसा की गई है। मैं कांग्रेसजनों को दूरदर्शन पर नहीं ला रहा हूं; मैं समूचे देश को, जन-प्रतिनिधियों को, कुलाधिपतियों, कुलपतियों, सेना के जनरलों, सेना-निवृत जनरलों, अध्यापकों तथा सामान्य जनों को दूरदर्शन पर ला रहा हूं और हमने जो हिदायतें दी हैं वे ये हैं कि प्रत्येक राज्य कार्यक्रम 20 मिनट का बनाया जाए और कम-से-कम एक तिहाई सामान्य जनों, मछुवारों, बढ़ईयों, मोचियों, पुरुषों तथा महिलाओं आदि के लिए होना चाहिए। सभी क्षेत्रों के लोगों का हम दूरदर्शन पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। हमने हिदायत दी हैं कि छात्रों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं जो कि अब किए जा रहे हैं। विभिन्न तरीकों से हम ठीक वही कर रहे हैं जो आपने कहा है। कई अच्छे कार्यक्रम दिए गए हैं। हमने कुछ विदेशी कार्यक्रम भी लिए हैं। यैस मिनिस्टर, कार्यक्रम लोकप्रिय रहा है। यह स्वयं प्रधान मंत्री के सुझाव पर आरम्भ किया गया था। कई मित्रों का यह कहना है कि वे नहीं चाहते कि मंत्री की आलोचना की जाए तथा वे इस प्रकार का प्रसारण नहीं चाहते। हम भारतीय दूरदर्शन को मुख्यतः भारतीय दूरदर्शन बनाना चाहते हैं। हमारी विदेशी सामग्री केवल चार प्रतिशत है; हमारी फिल्मी सामग्री फिल्में तथा फिल्मों पर आधारित कार्यक्रम 20-24 प्रतिशत है।

अब, फिल्मों के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने तीव्र प्रति क्रियाएं व्यक्त की हैं। कुछ ने तो यहां तक कहा है कि फिल्में दिखानी बन्द कर देनी चाहिए। मेरे मित्र श्री डागा ने अपनी ही राय दी है। अब मुझे लोगों की प्रतिक्रिया का भी पता चला है। इस देश में कुछ लोगों का यह विचार है कि फिल्में नहीं दिखाई जानी चाहिएं, लेकिन शिक्षित लोगों सहित जनमत का बहुत बड़ा बहुमत इस पक्ष में है कि गरीब लोगों का मनोरंजन होना ही चाहिए; और अच्छी या बुरी जो भी फिल्में उपलब्ध हैं, दिखाई जानी चाहिएं तथा एक बहुत लोकप्रिय साधन है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। विपक्ष के एक या दो मानवीय सदस्यों ने—जो इस समय यहां मौजूद नहीं हैं—मुझे बधाई दी है; उन्होंने कहा है कि उन्हें छोड़कर उनके परिवार के सभी सदस्य दूरदर्शन पर फिल्में दिखाने के पक्ष में हैं। एक राज्य में मैं सम्वाददाता सम्मेलन को सम्बोधित कर रहा था। मेरी आयु का एक व्यक्ति उठा और कहने लगा, "भगत जी, चित्रहार बन्द कर दीजिए, मैं इसे अपने परिवार सहित नहीं देख सकता।" मैं उससे सहमत होने का इच्छुक था क्योंकि वह मेरी आयु का था। इस पर 15 युवा समाचार-पत्र सम्वाददाता उठे और कहने लगे, "भगत जी आप बूढ़े आदमी हैं, इस बूढ़े आदमी की सलाह पर मत जाइए। हमें चित्रहार पसन्द है।" अब चित्रहार का समय कुछ कम कर दिया गया है। कुछ शिकायतें भी आती रहती हैं। मैं कहता हूं कि हमें अच्छी फिल्में दिखानी चाहिएं। कुछ फिल्में अच्छी होती हैं; फिल्मों में कोई न कोई सन्देश होता है। हम फिल्मों में अधिक सैक्स तथा हिंसा पसन्द नहीं करते।

अभी हाल ही में हमने फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के अध्यक्ष को अपने अनुदेश दोहराए हैं कि दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। हाल ही में मैंने उन्हें यह स्पष्ट कर दिया है कि इस पर वास्तव में अमल किया जाए; और हम फिल्मों के स्तर में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे।

अभी हाल में मैंने फिल्म-निर्माताओं से बातचीत की थी। वहां पर भी मैंने इस बात पर बल दिया। उन्होंने इस पर बुरा महसूस किया और वे मुझसे इस बात पर नाराज भी हो गए, लेकिन फिर भी हम फिल्मों में सुधार लाने के लिए बहुत उत्सुक हैं। आपको उपलब्ध फिल्मों में से ये चुननी होती हैं।

4.14 म० प०

(श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए)

मैं वीडियो की चोरी करके फिल्में नहीं खो सकता। मुझे फिल्म दिखाने से पूर्व निर्माता की सहमति लेनी पड़ती है। हम चयन करते हैं। मैं ईमानदारी से कहूंगा। मैं यह नहीं महसूस करता कि फिल्में पूरी तरह बन्द कर दी जाएं। मैं अनुभव करता हूं कि फिल्में एक उद्देश्य की पूर्ति कर रही हैं। उनमें यदा-कदा बुरे प्रभाव पैदा करने की प्रवृति होती है, मैं इससे इन्कार नहीं करता, हो सकता है यह कुछ फिल्मों में कुछ लोगों द्वारा अपराध किए जाने के फलस्वरूप होता हो।

लेकिन लाखों लोग इन फिल्मों को देखते हैं यदि इसके परिणामस्वरूप 10, 15 या 100 अपराध भी हो जाते हैं तो क्या हुआ ? मैं जानता हूं कि इनमें कुछ हानिकारक प्रभाव होते हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन, कुल मिलाकर मैं महसूस करता हूं कि लोगों का इतना मनोरंजन तो होना ही चाहिए, और चूंकि हम अपने कार्यक्रमों में सुधार ला रहे हैं, यदि हमारे पास बेहतर नाटक तथा बेहतर कार्यक्रम होंगे तो हम उन पर अवश्य ही विचार करेंगे। हमारे कार्यक्रमों में विदेशी कार्यक्रम मात्र चार प्रतिशत हैं। हम विभिन्न देशों से कार्यक्रमों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। अतएव, यह हमारा दृष्टिकोण है, हमारा समग्र दृष्टिकोण ऐसा है जो शैक्षणिक है। हम 'इनसैट' का उपयोग कर रहे हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : कृपया अपने नाटकों के बारे में कुछ कहिए। क्या आपने इस बारे में कोई मूल्यांकन किया हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : भाटिया जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे याद दिला दिया। हम उनमें सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि पाकिस्तान के नाटक बेहतर हैं। हमने हिदायत दी हैं। वे इस ओर ध्यान दे रहे हैं। पंजाब से आपके मित्रों ने भी मुझे बताया है कि उन्होंने दूरदर्शन पर इन्हें देखा है। कुछ सुधार की आशा है। लेकिन हम उनमें और अधिक सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं।

हमने सभी नाटक मंडलियों से बातचीत की है। यदि कुछ ऐसे हों जो हमारे कार्यक्रमों में सुधार ला सकें तो हम उनका स्वागत करेंगे।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय, आप उनसे किस प्रकार का सहयोग चाहते हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कम से कम स्वर्ण मंदिर का या पंजाब वाला नाटक नहीं चाहिए।

श्री एच० के० एल० भगत : अब, जैसे कि मैं कह चुका हूं, हम प्रयत्न करते आ रहे हैं। अब मैं वीडियो के प्रश्न पर आता हूं। एक या दो सदस्यों ने यह प्रश्न ठीक ही उठाया है। शायद श्री वृद्धि चन्द जैन ने यह कहा था कि हमें इस पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। क्या हम इस पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ? क्या हम एक प्रौद्योगिकी उन्नति पर प्रतिबन्ध लगा सकते हैं ? क्या हम इसका लाभ नहीं उठा सकते ? इससे कुछ बुरे प्रयोजन की भी पूर्ति हो सकती है। लेकिन इससे किसी अच्छे प्रयोजन की प्राप्ति भी हो सकती है। हमें इनमें संतुलन कायम करना होगा, और वह संतुलन यह है कि इसे अच्छे प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाए तथा अपराध व बुरे प्रभावों की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। देश में वीडियो की संख्या में वृद्धि हो रही है। ऐसी धारणा है कि वीडियो अपेक्षाकृत सस्ता हो रहा है। जी हां, वीडियो सैट तुलना में कम खर्चीला होता जा रहा है। ये सारे देश में फैल रहे हैं। अब यह प्रदर्शन की वस्तु नहीं रही। शायद जनता पार्टी की महिला सदस्य श्रीमती

किशोरी सिन्हा ने कहा था कि वीडियो का दूरदर्शन कार्यक्रमों पर असर पड़ेगा। इसलिए हम इस पर न केवल दूरदर्शन के कार्यक्रमों की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, बल्कि इस दृष्टि से भी देख रहे हैं कि इससे कहीं चुराए गए कार्यक्रम न आने लगें। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए रचनात्मक कदम उठाने चाहिए कि देश में हमारे अपने ही कार्यक्रमों के प्रमाणीकृत कैसेटों का निर्माण हो। हमने इस दिशा में कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भी इस बारे में कदम उठा रहा है और लोगों को इस कार्य के लिए आगे आना चाहिए। प्राइवेट लोग भी आ सकते हैं। इसके लिए हमारे द्वार बन्द नहीं हैं। बाहर के पेशावरों तथा कलाकारों के लिए हमारे द्वार खुले हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। मैं जानता हूं कि कभी-कभी अधिकारियों में यह प्रकृति होती है कि यथास्थिति बनी रहे, वे परिवर्तन नहीं चाहते, नए लोगों का प्रवेश नहीं चाहते और वे नहीं चाहते कि ताजी हवा चले। हमने उस प्रणाली में सुधार किया है। हम इस प्रणाली के और भी सुधार कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम इसमें पूरी तरह सफल हुए हैं। लेकिन हमने शुरुआत करदी है। हम जनता के सभी वर्गों के सहयोग का स्वागत करेंगे। हम महसूस करते हैं कि राष्ट्र के संसाधन सरकार के संसाधनों से अधिक और अच्छे हैं। हमने युवा कवियों के कवि सम्मेलनों के कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। वयोवृद्ध कवियों के कार्यक्रम भी हम देते हैं। हमने लेखन तथा शिक्षा के क्षेत्र में अपने ही उत्कृष्ट व्यक्तियों को आकर्षित करने की प्रक्रिया आरम्भ की है और हम उनके कार्यक्रम दे रहे हैं। हाल ही में हमने उन महिलाओं के कार्यक्रम दिए हैं जिन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है। यह सफलता की एक महान गाथा है। इन कार्यक्रमों में भारतीय लोगों के लिए, कामगर वर्गों के लिए तथा सभी वर्गों के लिए कार्यक्रम शामिल हैं। वैज्ञानिकों कृषकों, शिक्षा शास्त्रियों, प्रशासकों, राजनीतिज्ञों सभी ने मिल कर ये कार्यक्रम तैयार किए हैं। हम कार्यक्रमों को इस प्रकार प्रक्षेपित करना चाहते हैं। यह एक कठिन कार्य है। यह एक अति विशाल कार्य है। इसके लिए काफी समय की आवश्यकता है। हमने हाल ही में दूरदर्शन कार्यक्रमों का समय बढ़ा दिया है। हम दूसरा चैनल भी आरम्भ करने जा रहे हैं। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। मैं दूसरे चैनल पर कार्यक्रम देने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमें अधिक समय मिल सके। इसी प्रकार हम इन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास उपकरणों की कमी है। मैंने भी कुछ गलतियां की हैं। दरअसल, मैं कभी-कभी कठोर भाषा का प्रयोग कर जाता हूं। गाली-गलौच की भाषा नहीं—केवल कठोर भाषा, मैं अपने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगता हूं। लेकिन साथ-साथ मैं इस तथ्य के प्रति सजग हूं कि हमारे पास उपकरणों की कमी है। हमने अचानक रंगीन प्रसारण की ओर छलांग लगाई है, जिसके लिए श्रेय श्री वसंत साठे तथा प्रधान मंत्री को जाता है। अब हमें उसके लिए उपकरण चाहिए। हमने योजनाएं बनाई हैं ताकि हमें बेहतर उपकरण मिल सकें। अब हम चाहते हैं कि हमारी भविष्य की सभी योजनाएं रंगोन्मुख हों। रंग का अंश बढ़ रहा है। हम ये कुछ कर रहे हैं। अतएव ये हैं निर्देश। प्रसारण माध्यमों के विस्तार तथा सुधार की दृष्टि से 1983-84 का वर्ष बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। 1984-85 इससे भी बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारी अधिकतर स्कीमों के परिणाम आप तक पहुंच जाएंगे। प्रो० रूप चन्द पाल को यह जानकर बहुत प्रसन्नता होगी कि हमने कलकत्ता तथा जालन्धर केन्द्रों को रंगीन ओ० बी० वाहन सुविधा प्रदान कर दी है। अब मैं इस सदन में प्रायः दोहराए जाने के वाले आरोप की ओर आता हूं कि हम सत्ताधारी दल को प्रक्षेपित कर रहे हैं, कि सत्ताधारी दल तथा सरकार के बीच का अंतर अस्पष्ट कर दिया है,

कि हम केवल दो व्यक्तियों को प्रक्षेपित कर रहे हैं—एक प्रधानमंत्री को तथा दूसरे राजीव गांधी को—कि हम विपक्ष की उपेक्षा कर रहे हैं तथा बोलने का अवसर नहीं मिल रहा है। यह विचार विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने व्यक्त किए हैं। जबकि कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने कहा है कि समय का आबंटन दल की कुल सदस्य संख्या के आधार पर होना चाहिए तथा इसका आनुपातिक वितरण होना चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष जो कुछ कह रहा है वह पूर्णतया निराधार है। मैंने कुछ परख परीक्षण किए हैं। मैं परख परीक्षण के परिणाम आपके सम्मुख रखूंगा। मैं सत्ताधारी दल के सदस्यों से विनम्र अनुरोध करूंगा कि समय दल की कुल सदस्य संख्या के आधार पर आबंटित नहीं किया जा सकता है। समय गुणवत्ता के आधार पर ही दिया जा सकता है। विपक्ष के सौभाग्य से तथा सत्ताधारी दल के दुर्भाग्य से विपक्ष में कई दल हैं, कई अध्यक्ष हैं, अनेक महा सचिव हैं। हम नहीं जानते कि उनकी संख्या कब बढ़ जाती है और कब कम हो जाती है वे भी बोलते हैं और इसलिए उन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। और मेरे विचार से कांग्रेस की विपक्ष के प्रति परम्परा सदैव उदार रही हैं। हम उन जैसे नहीं हैं। श्रीमती किशोरी सिन्हा ने मुझे कहा : यह मत भूलिए कि आपने श्रीमती गांधी को बहुत अधिक प्रक्षेपित किया और आप चुनाव हार गए। लेकिन मैं उनसे पूछता हूं : 1980 में क्या हुआ ? आपने प्रसारण माध्यमों में हर समय उनकी निन्दा की, लेकिन फिर भी हम जीत गए। ये सभी भ्रामक तर्क दिए जा रहे हैं।

अब, मैं आपको बताता हूं कि हम श्रीमती गांधी को कैसे प्रक्षेपित कर रहे हैं। मेरे पास केवल जनवरी से मार्च, 1984 तक के समाचारों से सम्बन्धित आंकड़े हैं। जनवरी, 1984 को प्रधान मंत्री को कुल समय का केवल 7 प्रतिशत, फरवरी में 1.8 प्रतिशत तथा मार्च में 5.5 प्रतिशत दिया गया। अब मैं आपको यह बताता हूं कि सत्ताधारी दल को कितना समय मिला तथा विपक्ष को कितना मिला। जनवरी, 1984 में सत्ताधारी दल को 3.5 प्रतिशत तथा विपक्ष को 4.3 प्रतिशत, फरवरी में सत्ताधारी दल को 3 प्रतिशत तथा विपक्ष को 3.4 प्रतिशत तथा मार्च, 1984 में सत्ताधारी दल को 3.2 प्रतिशत तथा विपक्ष को 2.5 प्रतिशत समय मिला। कुल मिलाकर सत्ताधारी दल को 9.7 प्रतिशत तथा विपक्ष को 10.2 प्रतिशत समय मिला। यह जनवरी तथा उसके बाद की स्थिति है। अब, प्रधान मंत्री के बारे में·····(व्यवधान)

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : विपक्ष श्रीमती गांधी का नाम बार-बार लेता है···(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : और अब यह पर्दाफाश हो जाने के बाद भी वे यही कहते रहेंगे।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : यह कलई खुलने वाली कोई बात नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : मैं आपके मुद्दे की ओर आ रहा हूं। जरा एक मिनट प्रतीक्षा करें। आपको कहने का अवसर मिल चुका है, अब मुझे भी कहने दो। कुछ लोग कहेंगे कि समाचारों के

अतिरिक्त भी प्रधान मंत्री के कुछ विशेष कार्यक्रम होते हैं। विशेष कार्वक्रम भी दिखाए जाते हैं। इस लिए मैंने विशेष कार्यक्रमों के बारे में भी सर्वेक्षण कराया है। मेरे पास इसके आंकड़े हैं। यह शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर कुल प्रसारण के बारे में हैं। जनवरी, 1984 में कुल प्रसारण समय 12,541 मिनट था तथा प्रधान मंत्री के विशेष कार्यक्रमों का समय केवल 100 मिनट था। फरवरी, 1984 में कुल प्रसारण समय 11,063 मिनट था तथा प्रधान मंत्री द्वारा विशेष कार्यक्रमों के लिए लिया गया समय 130 मिनट था। मार्च में कुछ प्रसारण समय 11,900 मिनट था तथा प्रधान मंत्री द्वारा विशेष कार्यक्रमों के लिए लिया गया समय शून्य था। इस प्रकार प्रतिशतता .65 बैठती है। प्रधान मंत्री को कुल प्रसारण समय का .65 प्रतिशत मिला। आपका कथन कितना अनुचित है, आप कितने ईमानदार हैं, मैं आपके शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। श्री जटिया, कम से कम आपको समझना चाहिए। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता·····(व्यवधान)।

श्री सत्य नारायण जटिया : जोर से बोलने से कोई बात समझ में नहीं आती है। आप आहिस्ता बोलिये, विश्वास से बोलिये। जोर से बोलकर यदि आप गलत को सही करना चाहें तो ठीक नहीं है।

श्री एच० के० एल० भगत : यह मैंने मान लिया, मैं आहिस्ता बोलूंगा, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : सत्य में जोर होता है।

श्री एच० के० एल० भगत : अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं।

आपसे दूरदर्शन ने कितनी मोहब्बत की है। सारे प्रोग्राम में मैं बताता हूं—

जनवरी, फरवरी, मार्च में जो डिस्कशन हुए उसमें 39 कांग्रेस (आई) के इन्क्लूडिंग मिनिस्टर्स ने भाग लिया, 35 एक्सक्लूडिंग मिनिस्टर्स ने भाग लिया और अपोजिशन ने 26 ने भाग लिया। गत दो या तीन मास के दौरान आपमें से 26 ने दूरदर्शन पर चर्चा में भाग लिया है।

एक बात की मैं श्री रामावतार शास्त्री जी से जरूर क्षमा मांगना चाहूंगा। टेलीविजन पर जो बजट रिएक्शन्ज़ दिये गये थे, उसमें कोई नियत खराब नहीं थी। यह सही है कि कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी मिस कर गये, पकड़ नही पाये, मैंने उनको कहा कि यह गलती की लेकिन आपने खुद लिस्ट पढ़ी है, आपकी पार्टी का आदमी उस समय रह गया। श्री इन्द्रजीत गुप्ता का नाम उसमें था। वे उसे पकड़ नहीं पाए यह गलती थी। उन्हें उसे पकड़ना चाहिए था। मैं मानता हूं।

लेकिन इसके इसके बावजूद जो आपने लिस्ट पढ़ी बजट रिएक्शन की, सभी अपोजिशन की, यह अपोजिशन के लोग हैं या यह भी छिपे हुए कांग्रेस (आई) में हैं?

श्री रामावतार शास्त्री : समान मापदंड अपनाये जाएं, आपके लिये भी और हमारे लिये भी।

श्री एच० के० एल० भगत : हमारा कर्तव्य यह है और हम यह कारण चाहते हैं कि हम सारी अपोजिशन के साथ फैयरनैस करें।

एक चार्ज हम पर यह भी है, जो आपने भी आज लगाया है कि अपोजिशन के कुछ लोग ज्यादा ले जाते हैं। वह ज्यादा होशियार हैं, धमका कर ले जाते हैं। आप देखिये आज एक साल हो गया मुझे मंत्री बने। पहले श्री साल्वे और श्री साठे थे।

श्री सत्य नारायण जटिया : आप अपने बारे में मत बताइये।

श्री एच० के० एल० भगत : आकाशवाणी से प्रतिदिन 191 समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। ये लगभग 70,000 बुलेटिन प्रति वर्ष बैठते हैं। देश की कांग्रेश-रूल्ड और नान-कांग्रेस-रूल्ड सभी स्टेट्स में और डिफरैंट लैंग्वैजिज़ में कुल 70,000 न्यूज़ बुलिटेन साल में ब्राडकास्ट किए जाते हैं। और सारी आपोजीशन ने उन सबमें तलाश क्या किया? श्री रूपचन्द पाल ने यह तलाश किया है कि वैस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर, श्री ज्योति बसु की 17 तारीख की एक स्टेटमेंट कलकत्ता से दी गई, लेकिन दिल्ली से नहीं दी गई। वह दिल्ली से इसलिए नहीं दी गई कि स्टेटमेंट लोकल इम्पार्टेन्स की थी ओर कांग्रेस के किसी लीडर या दूसरे किसी लीडर की उस सब्जेक्ट पर कोई स्टेटमेंट नेशनल बुलिटेन में नहीं आई। श्री ज्योति बसु और मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के फ्रंट के चेयरमैन ने 15 तारीख को फारूक साहब के केस के बारे में जो स्टेटमेंट दिए, वे 15 तारीख को नेशनल बुलिटेन में भी कवर किए गए।

जहां तक पंचायत की बात है, मैं इस बारे में कई बार जबाव दे चुका हूं। एक साल से आप वही कहानी कह रहे हैं। हिम्मत कर के एक-आध बच्चा और पैदा करना चाहिए था। आपको एक-आध इनस्टांस तो और ढूंढ़ना चाहिए था। (**व्यवधान**)

रही एन० टी० आर० की बात, तो एन० टी० आर० ने स्वयं नहीं कहा कि मुझे आपरचूनिटी नहीं दी गई। उनको दो घंटे लेट खबर दी गई। उन्होंने अखबार वालों को दे दिया, हालांकि हमारा रेडियो पहले उनके पास पहुंच जाता। हमारे अफसर उनके पास पहुंच गए थे। मैं इस बारे में और डीटेल में नहीं जाना चाहता।

मैंने कानसल्टेटिव कमेटी में और इस हाउस में बार-बार कहा है कि मुझे कोई स्पेसिफिक बात तो बताई जाए कि कहां आपोजीशन को इग्नोर किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आपोजीशन पार्टीज की कोई मेजर एक्टिविटी इग्नोर नहीं की गई। एक एम० पी० मित्र ने मुझे खत लिखा कि हमने श्री चन्द्रशेखर की रैली को इनोर किया है। जब मैंने उन्हें बताया कि उसको चार पांच दफा कवर किया गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं सारा प्रोग्राम थोड़े ही देखता हूं।

जहां तक फिल्मों का ताल्लुक है, फिल्म्ज डिविजन डाकुमेंटरी फिल्में बनाता है, वह फीचर फिल्में नहीं बनाता। फीचर फिल्में प्राईवेट ट्रेड बनाता है। इस सिलसिले में मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो कुछ माननीय सदस्यों को शायद अच्छी न लगे। हमारी राय है कि हमारी कुछ फिल्मों के बारे में खराब राय हो सकती है, लेकिन बाई एंड लार्ज हमारी इंडियन फिल्म इंजस्ट्री बहुत एडवांस्ड है और उसने बहुत तरक्की की है। हिन्दुस्तान की फिल्में दुनिया भर में पापुलर हैं। जहां भी मैं गया हूं, मैंने देखा है कि वहां पर उनकी मांग है। हमारे बहुत अच्छे प्रोड्यूसर और बहुत अच्छे कलाकार हैं। वी आर प्राउड आफ देम। उन्होंने दुनिया भर में नाम कमाया है। उन्होंने मैसेज वाली अच्छी-अच्छी फिल्में बनाई हैं। हमारा परपज फिल्म इंडस्ट्री को कमजोर करना नहीं है। उसको कमजोर करना देश के हित में भी नहीं है। उसको एनकरेजमेंट और मदद देना हमारा कर्त्तव्य है, ताकि वे अच्छी फिल्में बनाएं।

अखबारों के बारे में कहा गया कि सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है, डिफ्यूजन आफ ओनरशिप होना चाहिए, मानोपली हाउसिज नहीं होने चाहिए। हमने कब कहा कि वे होने चाहिए। हम समझते हैं कि यह बहुत इम्पार्टेन्ट इस्यु हैं। इसके बारे में सैकंड प्रैस कमीशन की रीकमेंडैशन्ज पर गवर्नमेंट इस्यु गौर कर रही है। वे कैबिनेट कमेटी के पास हैं, जिसका मैं भी मेम्बर हूं। उसने काफी कर लिया है। प्रैस कमीशन का सारा मामला कैबिनेट के पास जाएगा और उसकी एपरूवल के बाद इस हाउस में आएगा। हम इस बारे में जल्दी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

मेरी बहन, श्रीमती किशोरी सिन्हा, ने कहा कि एडवरटाइजमेंट देते हुए गवर्नमेंट अखबारों को कांग्रेस के हक में लिखने के लिए कोअर्स करती है। कथा इससे गलत कोई और बात हो सकती है? आप एडवरटाइज़मेंट्स की लिस्ट देखिए। इस एक साल में किसी भी नौन, वैल-नौन पेपर की एडवर-टाइजमेंट सैंट्रल गवर्नमेंट ने बन्द नहीं की। एक भी नहीं की है और एक को भी नोटिस नहीं दिया है कि तुम्हारी गडवर्टाइजमेंट बन्द करते हैं। वह कितने हमारे सपोर्टर हैं यह आप जानते है। रोज़ अखबार पढ़ते हैं। आपकी ज्यादा छापते हैं हमारी कम छापते हैं। एडवर्टाइजमेंट हमसे लेते है और पब्लिसिटी आपको देते हैं। मुझे कोई शिकायत नही है। हम फ्रीडम आफ दि प्रेस में विलीव करते हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। हम फ्रीडम आफ दि प्रेस को मानेंगे। एडवर्टाइजमेंट लेने का कोई हक नहीं है किसी का। वैधानिक राइट नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट दें ही। गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको दे जिस को न चाहे न दे। लेकिन हम उसमें यकीन नहीं करते। हम चाहते हैं कि हमारा प्रेस मजबूत हो, प्रेस तगड़ा हो। हम प्रेस को अच्छा करना चाहते हैं। बल्कि हमारे कुछ लोगों की शिकायत यह है कि विरोधियों को ज्यादा मिलता है। लेकिन हम प्रेस के मामले में विरोधी, नान-विरोधी, हमारा सपोर्टर कौन है कौन नहीं है उस में न ीं जाते हालांकि हम चाहते हैं कि प्रेस ज्यादा पाजिटिव ऐटीच्यूड ले। अब मैं नाम नहीं लूंगा, जानबूझकर नहीं लूंगा, हमारा एक बड़ा प्रेस्टिजियस जर्नल हैं, उसने तस्वीर छाप दी कि तामिलनाडु में कैम्प लग रहे हैं गुरिल्ला ट्रेनिंग के जो लंका में आपरेट करेंगे। अब जरा देखिए, पहली बात तो यह है कि यह बात सही नहीं है और नम्बर दो, ऐसी खबर छापने का असर लंका में हमारे लोगों के खिलाफ क्या होगा? इस तरीके से कई वार ऐसी चीजें छपती हैं जिससे मुल्क को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है। मैं पूरा फ्रीडम आफ दि प्रेस में यकीन रखता हूं। कोई

तर्क, कोई लॉ, कोई इस तरह की चीज जो है उसमें मैं यकीन नहीं करता हूं, और मैं जब बोल रहा हूं तो गवर्नमेंट की तरफ से कह रहा हूं, न हम ऐडवर्टिजमेंट को यूज करना चाहते हैं, न हम न्यूज प्रिन्ट को यूज करना चाहते हैं, न किसी और चीज को यूज करना चाहते हैं। न्यूजप्रिन्ट की कमी की वजह से, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अभी तक कोई पेपर हिन्दुस्तान में बन्द नहीं हुआ। एक भी बता दे कोई जो न्यूजप्रिन्ट की कमी की वजह से बन्द हुआ हो।

न्यूजप्रिन्ट में इस वक्त कुछ शार्टेज आई। जो स्ट्राइक हुई उसकी वजह से कुछ प्राबलम आई। कुछ जहाज हमारे रुक गए। शायद 15 हजार टन न्यूजप्रिन्ट उसमें था। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से आफ-लोड करें। फिर भी हमने उसका इंतजाम किया। हमारी कोशिश होगी कि न्यूजप्रिन्ट की शॉर्टेज न हो।

एडवर्टिजमेंट हम देते हैं तो उसका एक क्राइटीरिया बना हुआ है सर्कुलेशन का। जिसकी सर्कुलेशन ज्यादा होती है उसको ज्यादा मिलता है। कुछ लोगों का कहना यह है कि बड़े पेपर्स को मिलता है। कुछ बड़े पेपर्स तो लेते भी नहीं, वह कहते हैं कि रेट ठीक नहीं है। यह कहा गया कि लैंग्वेज पेपर में और जो इंग्लिश पेपर्स हैं उनमें कुछ रेट का फर्क है। सर्कुलेशन फिगर के साथ उनको सेम रेट दिया जाता है। इसलिए यह कहना सही नहीं है। हम इस प्रकार की कोई चीज यूज नहीं करना चाहते और हमें खुशी है कि हमारा प्रेस फ्री है, उतना फ्री है जितना दुनिया में कहीं भी प्रेस फ्री नहीं है। मुझे इसके लिए खुशी है।

एक चीज मुझे और कहनी है कि न्यूज के प्रोजेक्शन में मेरी राय में जो चीज दंगा करा सकती हो जो चीज झगड़े करा सकती हो, जिससे वायलेंस होती हो, जिससे ऐसी चीज पैदा हो सकती हों उनको एवायड किया जाय या ऐसे प्रोजेक्ट किया जाय कि जिससे नुकसान न हो। यह तो ड्यूटी न्यूजपेपर की भी है। अगर रेडियो और टेलीविजन की ड्यूटी है कि मुल्क की सोशल, एकोनामिक और कल्चरल तस्वीर को प्रोजेक्ट करे, कांस्ट्रक्टिव काम करे तो उनकी भी कुछ ड्यूटी है। अगर न्यूजपेपर के लोग लिखते हैं राइटली कि कोड आफ कान्डक्ट होना चाहिए मंत्रियों का, एम० पीज० का या और सबका तो ठीक लिखते हैं, होना चाहिए लेकिन हम समझते हैं बिना न्यूजपेपर्स का भी कोड आफ कांडक्ट होना चाहिए। यह मै नहीं मानता कि कुछ नहीं है। यह स्माल सेक्शन के बारे में मैं कह रहा हूं। मेरी ओपिनियन बाई ऐंड लार्ज हिन्दुस्तान के प्रेस के बारे में अच्छी है, यह मैं कैंडिडली कहना चाहता हूं। लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो इस तरह से काम कर देते हैं जिससे नुकसान पहुंचता है। फिर मुकदमे करो तो तकलीफ होती है। तो प्रेस में भी रेस्पांसिबल आदमी हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं कि इन दिनों में उन्होंने अपना कुछ वालंटरी कोड आफ कांडक्ट बनाया है। एक कौंसिल उनका कहना यह है कि हम ईवाल्व करेंगे। हमारा कहना यह है आप बनाइए। हम यह चाहते हैं कि प्रेस, जूडिशियरी जो भी इस गवनमेंट के सब-आर्गेन्स हैं वे एक डेमोक्रेटिक फेमिली के पार्ट्स हैं। इस समय हमारे रिलेशंस प्रेस से रिलैक्स्ड हैं, सख्त नहीं हैं, कोई लड़ाई नहीं है, कोई होस्टाइलिटी नहीं है। बहुत दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है। इस तरह के रिलेशंन प्रेस और गवर्नमेंट में हुआ ही करते हैं।

लेकिन सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। प्रेस हमारी क्रिटिसिज्म करते हैं तो हमें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं उनके कुछ एडीटर्स से मिला बम्बई में तो कहने लगे कि भगत जी, आपके नेता तो प्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं तो मैंने कहा कि क्या मतलब ? फ्रीडम आफ दि प्रैस के मायने क्या यह हैं कि प्रेस का क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता। क्या वे क्रिटिसिज्म से इन्यून हैं ? मेरा कहना यह है कि प्रेस से हमारे रिलेशंस अच्छे हैं और हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं उनकी जेनुइन डिफिकल्टीज हैं चाहे प्रोप्राइटर्स हैं चाहे दूसरे है, उनको हम साल्व करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं।

कुछ हिन्दी की न्यूज एजेंसीज की चर्चा की गई। उससे हम अवगत हैं। उसमें कुछ बेसिक डिफिकल्टीज हैं। कुछ प्राबलम्स लेबर मिनिस्ट्री देखती है, वह देख रही है। एजेंसी का अभी कुछ फैसला हुआ है। जो मिनिस्ट्री के जिम्मे पैसा था वह दिया है।

अभी प्रेस ऐक्रेडिटेशन कमेटी का जिक्र किया। हमारे साथी माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री जी ने कहा कि कम्यूनिस्ट पार्टी के बड़े अखबार हैं, उनको उस कमेटी में नुमाइन्दगी नहीं दी जाती। हां, पार्टी की बेसिस पर नुमाइन्दगी नहीं होती है, संस्थाओं से नुमाइन्दे चुने जाते है। मैं आपको सलाह दूंगा आप जरा इंफिल्ट्रेशन ज्यादा करिए, जिसको आप नामिनेट करेंगे, उसको कर देंगे। रेप्रेजेंटेटिव्ज आफ दि एक्रेडिशन कमेटी के बारे में कुछ आपत्ति आई, कुछ शिकायत पैदा हुई, वे मेरे पास आए। मैंने कहा कंटिनुअसली मेरे पास लेटर्स आए हैं सारे आर्गेनाइज़न्स के जिसमें उन्होंने गवर्नमेन्ट के जिसमें उन्होंने गवर्नमेन्ट के स्टैंड की तारीफ की है।

इसी तरह से प्रेस के बारे में भी कुछ बातें हैं। कहा जा रहा है उर्दू प्रेस में काफी कमजोरी है। प्रेस को माडनाइज होना चाहिए, प्रेस को मदद मिलनी चाहिए। पालेकर एवार्ड जहां पूरा नहीं हुआ है वहां पूरा होना चाहिए। स्माल न्यूजपेपर्स और मीडियम न्यूजपेपर्स को ज्यादा मदद होनी चाहिए। कुछ फैसिलिटीज हमने दी हैं। अभी एडवर्टीजमेन्ट्स में 49 परसेन्ट से बढ़कर हम 66 परसेन्ट तक आ गए हैं स्माल और मीडियम न्यूजपेपर्स के लिए और बाकी में दूसरे हैं। इसमें भी प्रोग्रेसिवली पोजीशन इम्प्रूव हुई है। बरसों की जो ट्रेडीशंस हैं उसमें ओवरनाइट हम कुछ कर नहीं सकते। यह भी नहीं है कि मैं ही कर रहा हूं, यह तो गवर्नमेन्ट की कंटिनुअस पालिसी है जोकि हमारे प्रिडेसेसर्स ने चलाई और मैं भी उसी को फालो कर रहा हूं। जो भी अच्छा काम हुआ है उसका श्रेय उनको पूरा है। उन्होंने मुझसे पहले उसको शुरू किया—चाहे वे साल्वे साहब थे या उनसे पहले थे।

जहां तक टी० वी० का सवाल है प्रधान मन्त्री ने उसको सीरियसली लिया। उन्होंने इंफार्मेशन और ब्राडकास्टिंग को सीरियसली शुरू किया और उन्होंने इसको बढ़ाया। कोडाई-कैनाल के बारे में पूछा गया है, वह भी इसी साल में लग जायेगा। कारगिल-लेह का भी इसी साल लग जायेगा। ज्यादा-तर ट्रांसमीटर्स जो हमने सैंक्शन किए हुए हैं वह इसी साल लग जायेंगे। इसी के साथ-साथ और भी चीजें हैं। जैसे हम डी० ए० वी० भी एग्जिविशन भी लगा रहे हैं—पंजाब में भी लगाने जा रहे हैं। मैंने जैसा कहा, सैकड़ों प्रोग्राम हैं, अगर मैं ब्योरा देने लगूं तो उसके लिए मेरे पास टाइप नहीं होगा। बीस सूत्री कार्यक्रम के प्रोजेक्शन में बेशुमार कार्यक्रम हैं—सांग्ज एण्ड ड्रामा डिवीजन है, फील्ड पब्लिसिटी आर्गेनाइजेशन है। फिल्म के जरिए अच्छा काम हुआ है और कलाकारों के जरिए भी बहुत अच्छा काम

हुआ है लेकिन उसको हम और बेटर करना चाहते हैं। आजकल हम खास तौर से नेशनल इंटिगरेशन पर ज्यादा कन्सेन्ट्रेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा अभी खुद मुझे भी तसल्ली नहीं है लेकिन यह तसल्ली जरूर है कि हमारी मिनिस्ट्री सही लाइनों पर चल रही है, सही सोच रही है और आपके सहयोग से आगे बढ़ रही है। आज यहां पर जो सलाह आपने दी है वह बहुत अच्छी सलाह है। विरोधी दलों से भी बहुत अच्छी सलाह मिली है और उसको हम उसी स्पिरिट में लेना चाहते हैं। यह सबका काम है, मिनिस्ट्री आफ़ इंफार्मेशन एण्ड ब्राडकास्टिंग का काम आपसे मिलकर चलाना है।

रामावतार जी ने शिकायत की कवरेज के बारे में, मैंने उनसे कहा है, उनको तकलीफ दूंगा, वे आयेंगे और मैं आफिसर्स को बुलाऊंगा और जो भी शिकायत है उसको दूर करूंगा। किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।

एक बात और भी बार-बार कही जाती है जिसको मैं साफ कर देना चाहता हूं। कहा जाता है कि रेडियो टेलीविजन में करेन्ट अफेयर्स में सरकार के पिट्ठू बोलने के लिए आते है। मैं उनके नाम पढ़ सकता हूं जो पिछले तीन महीनों में रेडियो और टेलीविजन पर बोलने के लिए आए हैं। अगर बाहर आप उनके नाम ले देंगे कि वे ऐसे आदमी हैं तो वे डिफेमेशन का मुकदमा कर देंगे। मोस्ट एमिनेन्ट साइंटिस्ट्स, पत्रकार, जर्नलिस्ट्स, टीचर्स फार्मर्स, जज़ेज और वैरियस कैटेगरी के लोग आकर बोले हैं। उनमें कुछ पत्रकार तो वे हैं जो गवर्नमेंट के सीवियरली क्रिटिकल हैं। उनमें से किसी को हम गवर्नमेंट का पिट्ठू नहीं मानते हैं। अगर आप गवर्नमेंट के नजदीकी लोगों को गिनना चाहेंगे तो एक माइक्रोस्कोमिक नम्बर मिलेगा और बाकी ज्यादातर आब्जेक्टिव और इंडैपेन्डेन्ट लोग हैं। हो सकता है कि हम भी उनको इंडेपेन्डेन्ट न समझते हों क्योंकि वे गवर्नमेंट के साथ फेयर नहीं हैं। लेकिन आज इस मुल्क में एक यह ट्रेंड बना हुआ है कि सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल वह है जो इस्टेबलिशमेन्ट की सबसे ज्यादा रगड़ाई करे, जो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट की रगड़ाई करे लेकिन ऐसे इन्टेलेक्चुअल्स भी रेडियो और टेलीविजन पर आ रहे हैं—आप चाहें तो मैं उनके नाम दे सकता हूं। फिर भी अगर आपका कोई दोस्त हो जिसको आप समझते हों कि इग्नोर किया गया है तो उसको भी हम ले आयेंगे। हमने कोई काली सूची नहीं बनाई है। हमने किसी के बोलने पर रोक नहीं लगाई है। हम का भी सामने करने से नहीं घबराते।

जहां तक आब्जेक्टिविटी की बात कही गई कि आल इंडिया रेडियो की आब्जेक्टिविटी नहीं है, बी० बी० सी० की आब्जेक्टिविटी है तो हो सकता है, बी० बी० सी० की एडवांस्ड आर्गेनाईजेशन है, बरसों पुरानी संस्था है, वह अच्छी है, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता लेकिन कुछ लोगो की एक आदत सी होती है जैसे कि कहावत है : पड़ोसी की बीवी हमेशा सुन्दर लगती है।

बी० बी० सी० के एडमारर्स पता नहीं उस मुल्क में हैं या नहीं, मैं भी उसके खिलाफ नहीं हूं लेकिन यह कहना बिल्कुल गलत है कि आल इंडिया रेडियो की क्रेडिबिलिटी नहीं है। हिन्दुस्तान के अन्दर 99.9 प्रतिशत लोगों को मालूम नहीं है कि बी० बी० सी० कौन से नम्बर पर लगता है। आल इन्डिया रेडियो को सुनते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी है। गांवों में बात करें, पता चलेगा कि खबर आ गई, रेडियो बोल गया तो बात पक्की। रेडियो और टेलीविजन की

क्रेडीविलिटी है। यदि मैं मान लूं कि रेडियो और टेलीविजन की क्रेडिबिलिटी नहीं हैं, इससे तो हमारे खिलाफ बात पैदा हो रही है, लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, आपको परेशानी क्यों हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए। आप एक्सपैंशन से क्यों डरते हैं। आप कहते हैं कि इनके कार्यक्रम लचर हैं, बेकार हैं, तो इससे आपको बड़ा फायदा होगा। लेकिन नहीं, आप अन्दर से जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है।

मुझे एक भाई ने कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि आप बैकवर्ड क्लासेस के फंक्शन्स को कवर नहीं करते हैं। मैंने कहा कि मैंने इन्स्ट्रक्शन्स दे दी हैं कि हरिजन, बैकवर्ड क्लास, फिशरमैन, कारपेंटर्स, काव्लर्स और स्लम डवैलर्स का कवर करो। उनके कहने से दो-तीन कार्यक्रम कवर हुए। फिर वे बाद में कहने लगे कि मैंने तो सजैशन दिया था और आपने कवर कर दिया। लोग बड़े खुश हैं। मैंने कहा—फिर ? तो उन्होंने कहा कि वे इन्दिरा जी के गीत गाने लगे हैं। तारीफ करने लगे हैं कि हमारे भी कार्यक्रम अब आ रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं। अखबार वालों से मुझे कोई शिकायत नहीं है। न्यूजपेपर वाले अगर लिख रहे हैं कि कांग्रेस खराब है तो अपोजीशन फार वर्स है। कोई एक्सैप्ट नहीं करता है। आप बुरा मत मानिए—घर वालों में भी आपकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अपोजीशन की क्रेडिबिलिटी घर में भी नहीं है। आपके यहां तो रोजाना सवेरे बनते हैं, दोपहर में टूट जाते हैं, अगर इसी को रेडियो ओर टेलीविजन पर ले आएं तो हिन्दुस्तान के लिए बड़ा इन्टरैस्टिंग प्रोग्राम बन जाएगा। लेकिन मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमें अपनी क्रेडिबिलिटी की इम्प्रूव करना चाहिए। मैंने आफिसर्स से कहा है कि अगर कहीं गलती करनी पड़े तो अपोजीशन के फेवर में कर दो। मैं सास-साफ कहना चाहता हूं, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविजन हो और चाहे अखबार हो, इस देश के सोशियल लाइफ में, इस देश के कल्चर में और इस देश की इकनोमिक लाइफ में और इसके पास्ट की सोशियल और इकनोमिक तस्वीर में हिन्दुस्तान में बहुत कुछ होता है। जिसको हमारे देश के लोग करते हैं, जो देश के लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है और बहुत पच्छा है। इसको ज्यादा अहमियत देनी चाहिए और पोलिटिकल इवेंट्स व क्राइम्स को कम देनी चाहिए। आपको बुरा न लगे, इसमें मैं भी शामिल हूं, पोलिटिकल इवेंट्स को कम कर दें तो लोग ज्यादा सुखी हो जायेंगे। मैं अखबार वालों को भी कहता हूं, वे ऐसा करते भी हैं। कहीं एक मर्डर हो जाएगा और उसकी चार-चार दिन तक स्टोरी चलेगी, तो फायदा क्या होगा, बल्कि इन्वैस्टीगेटर्स का काम और उछल जाएगा। इस पर एक डिबेट होनी चाहिए कि रेडियो-टेलीविजन सब लोगों के लिए है, तो अखबार भी सब लोगों के लिए है। मैंने एक जनरल सैटिसफैक्शन अखबार वालों के लिए एक्सप्रैस की है कि सोशियल कल्चर और इकानोमिक डवेलपमेंट को अहमियत दी और क्राइम और पोलिटिकल इवेंट्स को कम कर दो; रूलिंग पार्टी को भी कम दो।

मुझे से राजीव गांधी के बारे में ऐतराज किया जाता है। इस पर राजीव गांधी ने मुझसे खुद कहा है कि लोग शिकायत करते हैं, तुम कवरेज कम कर दो, मत करो। यह बात उन्होंने खुद कही है। वे मेरी तरह या दूसरे लोगों की तरह से पब्लिसिटी के पीछे भागने वाले नहीं हैं, वे कभी नहीं भागे हैं। मैं कम्पैरिजन नहीं करता हूं। अखबार वालों के पास सुविधाएं बहुत होती हैं। उनके पास स्पेस ज्यादा होता है, टाइम ज्यादा होता है। रेडियो टेलीविजन जो प्रोजैक्शन करता है, उससे कहीं ज्यादा अखबार वाले राजीव गांधी को नोटिस लेते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप राजीव गांधी को फ्रन्ट पेज पर

छापते हैं तो उन्होंने कहा कि इम्पार्टेंट आदमी हैं। जो वे कहते हैं उनसे न्यूज बनती हैं। रूलिंग पार्टी के जनरल सैक्रेटरी हैं। मेरे लिए कुछ नहीं हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ रूलिंग पार्टी के जनरल सैक्रेटरी की न्यूज नहीं देता हूं, सबकी देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यही एक सारे नेशन का मिडिया है और आपका भी है। कहा जाता है कि इसको आटोनोमस बना दो और दूसरी तरफ शिकायत है कि इसको ब्यूरोक्रेसी रूल कर रही है। आटोनामस बनाने से ब्यूरोक्रेसी मजबूत होगी या कमजोर होगी ? मुझे उनमें फैथ है, लेकिन यह भी ठीक है कि उनमें भी कुछ कमजोरी है। बाज लोग काम को चलने नहीं देना चाहते, कभी-कभी मुझे भी उनसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वाइ-एन-लार्ज लोग अच्छे हैं और इस कन्ट्री ने माना है कि ब्यूरोक्रेसी भी डैमोक्रेसी का पार्ट है। उनका भी इसमें योगदान है, इसलिए उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। आटोनामस बनाने से कोई फायदा नहीं होगा।

पी० सी० जोशी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने जितना समय मांगा, वह उनको दिया गया और अब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। उनकी रिपोर्ट की ड्यू-कन्सीड्रेशन देंगे और जो बात ठीक लगेगी, उसको मानेंगे। यह देश का मीडिया है, देश की सोशल, कल्चरल, इकानमिक तस्वीर को प्रोजेक्ट करने का जरिया है। देश में प्रेम पैदा करने का जरिया है। जो देश में होता है उसके लिए सैन्स आफ-प्राइस पैदा हो और ज्यादा हिम्मत से, अनुशासन और मेहनत से इस देश को बनाने में लगें, चाहे फिल्म्ज डिवीजन हो, चाहे फील्ड पब्लिसिटी हो या इसका कोई भी विभाग हो, सबको उस तरफ जाने का साधन बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपका सहयोग भी मांगेंगे, दूसरों का सहयोग भी मागेंगे और अगर कोई कमी है तो उसको दूर करते हुए इसको और ज्यादा इम्प्रूव करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि इन डिमाण्ड्स को मंजूर किया जाय।

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : मैं केवल दो या तीन स्पष्टीकरण चाहता हूं।

प्रथम, यह कहा गया हैं कि 230 करोड़ रुपए दूरदर्शन विस्तार कार्यक्रम के लिए अलग रखे गए हैं। लेकिन जहां तक मुझे जानकारी मिली है, केवल आकाशवाणी के विस्तार के लिए रखे गए छठी योजना के 122.38 करोड़ रुपए के परिव्यय में से अब तक केवल 19 प्रतिशत अर्थात् 32.84 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं। शेष राशि कैसे खर्च की जाएगी ? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह राशि किसी और कार्य के लिए लगा दी गई हो ?

दूसरे, हमारा विदेशी प्रचार कम से कम बी० बी० सी० तथा विकसित देशों के विदेशी प्रचार की तुलना में घटिया माना जाता है। जहां तक मुझे सूचना है, हम नागपुर में एक उच्च शक्ति आवृतिता का राष्ट्रीय चैनल स्थापित करने जा रहे हैं। लेकिन रिपीटर केन्द्रों, उपग्रहों में स्थान किराए पर लेने आदि की अन्य समस्याएं भी हैं। इस सम्बन्ध में क्या आपातिक कदम उठाए गए हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इसका स्पष्टीकरण दूंगा। मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि क्या आकाशवाणी के लिए आबंटित धनराशि को दूरदर्शन में खर्च तो नहीं किया गया। यह सच नहीं है।

दूसरे, मैं उनकी इस चिन्ता से सहमत हूं कि हमें अपनी विदेशी प्रचार सेवा में सुधार करना

चाहिए। मैंने स्वयं कहा है कि हम एक योजना तैयार कर रहे हैं। यह हमारे संसाधनों पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज सारे विश्व में सुनी जाए। फिर भी, हमने विदेशी सेवाओं को किसी सीमा तक मॉनीटर किया है तथा हमारी आवाज बाहर की दुनिया में सुनी जाती है। जकार्ता में हुए सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में हमारे देश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। विदेश समाचार प्रचार का विकास करने के सम्बन्ध में हम बेहतर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। नागपुर केन्द के बारे में, हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इसका निमार्ण कार्य पूरा हो तथा अन्य योजनाएं भी पूरी हों। हम सातवीं योजना के लिए स्कीमें तैयार कर रहे हैं ताकि हम अपनी विदेश सेवाओं तथा प्रचार में सुधार कर सकें।

श्री सत्यनारायण जटिया : मंत्री जी ने अपने भाषण में समाचार एजेन्सियों के लिए बहुत चिन्ता व्यक्त की है। मैं जानना चाहता हूं—हिन्दी समाचार एजेन्सियों की जो वर्त्तमान स्थिति है उसके बदलाव और उनको सक्षम बनाने के लिये क्या उपाय कर रहे हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : हिन्दी की दोनों समाचार एजेन्सियों का मामला बहुत पेचीदा है। किसी समय की मैं बात याद दिलाना नहीं चाहता, लेकिन यह सच है कि किसी समय हमने समाचार बनाया था और बाद में कुछ लोगों ने उसको तुड़वा दिया। हम बदले की भावना नहीं रखते। हमारी पूरी सिम्पैथी उनके एम्पलाइज से है जो वहां काम करते हैं।

4.55 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

हम उनकी जो मदद हो सकती है, वह एक फारमूले के मुताबिक कर रहे हैं लेकिन मैंनेजमेंट का सवाल है, पैसे का सवाल है, फाइनेन्शियल सवाल और दूसरे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं और उन सारे सवालों को देखना पड़ेगा। इसकी शक्ल क्या होगी, यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो जर्नालिस्ट्स वहां पर काम करते हैं, उनके साथ हमारी हददर्दी है। कोई कान्क्रीट लाइन आफ एक्शन अभी तक हमने इवोल्व नहीं की है और पूरे मामले पर अभी हम सोच रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : एक को पी० टी० आई० के साथ जोड़ दो और एक को यू० एन० आई० के साथ जोड़ दो।

श्री एच० के० एल० भगत : आपकी सलाह भी हम ले लेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मंत्री महोदय उत्तर देने के लिए तैयार हों, तो मैं किसी भी सदस्य को बोलने की अनुमति दे दूंगा।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री ए० के० राय को बोलने दीजिए। उसके बाद किसी सदस्य को अनुमति न दी जाए।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, रेडियो और दूरदर्शन सांस्कृतिक अखंडता

बनाए रखने के दो बहुत महत्त्वपूर्ण माध्यम हैं, जैसा कि प्रो० एन० जी० रंगा ने जिक्र किया तथा कई अन्य सदस्यों ने भी इस पर जोर दिया। सांस्कृतिक अखंडता बनाए रखने का एक तरीका यह भी है कि एक भाषी किसी भाषा की कृतियों, गीतों और अन्य को दूसरी भाषा में रूपान्तरित किया जाए तथा फिर रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से उसका प्रसारण किया जाए।

मैंने पिछली बार भी इस मुद्दे पर बल दिया था। मंत्री महोदय को हमें बताना चाहिए कि इस संबंध में क्या ठोस कार्यक्रम और प्रस्ताव रखे जाएंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : श्री ए० के० राय ने तर्क संगत प्रश्न पूछा है। जहां तक वृत्तचित्रों का संबंध है, हम उन्हें सभी भाषाओं में अभिलेख बद करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उन्हें सभी 14 भाषाओं में प्रसारित किया जा सके। चित्रहार और अन्य कार्मक्रमों के संबंध में हम यह देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि क्या हम उस संबंध में कुछ कर सकते हैं। मैं इसका उत्तर सकारात्मक नहीं दे सकता।

हमारे यहां इस समय दिल्ली दूरदर्शन पर प्रादेशिक चलचित्र दिखाए जा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय प्रसारण की बात नहीं कर रहा हूं। आप प्रादेशिक दूरदर्शन पर भी प्रादेशिक चलचित्र दिखाते हैं। हमने राष्ट्रीय प्रसारण में एक प्रादेशिक चलचित्र प्रसारित करने का निर्णय लिया है। जिन चलचित्रों को एवार्ड मिले हैं उन्हें राष्ट्रीय प्रसारण में एक-एक करके दिखाया जायेगा लेकिन उनके उप-शीर्षक होंगे।

आपने जो प्रश्न पूछा है वह संगत है और हम इस ओर ध्यान देने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं इसकी जटिलताओं के संबंध में आपसे प्रथक रूप से चर्चा करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को इकट्ठे ही मतदान के लिए रखता हूं। यदि श्री रामावतार शास्त्री की इच्छा है कि उनका कोई कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाए तो ऐसा किया जाए।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गए और अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई सूचना और प्रसारण मन्त्रालय सम्बधी मांग संख्या 64 से 66 के संबंध मे 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों में से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय					
64	सूचना और प्रसारण मन्त्रालय	23,52,000	,,	1,17,60,000	,,
65	सूचना और प्रचार	5,89,54,000	21,83,000	29,47,68,000	1,09,17,000
66	प्रसारण	23,20,07,000	19,88,70,000	116,00,36,000	99,43,51,000

4.59 म० प०

अनुदानों की मांगे (सामान्य), 1984-85

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा के श्रम और पुनर्वास मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 68 से 70 पर चर्चा तथा मतदान किया जायेगा, यह चर्चा केवल आज शाम 6 बजे तक की जा सकती है जबकि उन पर गिलोटिन किया जाएगा।

सभा में उपस्थित वे माननीय सदस्य, जिनके अनुदानों की मांगों संबंधी कटौती प्रस्ताव पारिचालित किए गए हैं, यदि अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे अपने कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या दर्शाते हुए 15 मिनट के भीतर सभा पटल पर पर्चियां भेज सकते हैं। केवल वही कटौती प्रस्ताव ही प्रस्तुत किए गए माने जाऐंगे।

स्वीकृत कटौती प्रस्तावों की क्रमांक संख्या दर्शाने वाली एक सूची शीघ्र ही नोटिस बोर्ड पर लगायी जायेगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कुछ गलती दिखाई दे, तो वह अविलम्ब सभा-पटल के अधिकारी का ध्यान इस ओर दिला सकता है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 दिखाई गई श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के संबंध में मांग संख्या 68 से 70 के संबंध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के सस्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा संबंधी राशियों में से अनधिक संबंधित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय					
68	श्रम विभाग	26,67,000	...	1,33,33,000	...
69	श्रम और रोजगार	16,23,72,000	5,34,000	81,18,59,000	26,67,000
70	पुनर्वास विभाग	3,46,02,000	1,10,32,000	17,30,09,000	5,51,60,000

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री मोहम्मद इस्माइल बोलेंगे।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप छः बजे गिलोटिन करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री सतीश अग्रवाल : मंत्रालयों का गिलोटिन अथवा मंत्रियों का ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता।

5.00 म० प०

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) : ऐसा लग रहा था कि लेबर मिनिस्ट्री की ग्रांट भी गिलोटिन में जाएगी। कल तक भी यही अंदाज था। आज भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यकीन हो गया है कि इस पर भी कुछ चर्चा हो पाएगी।

मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। पहली बात तो यह है कि हमारे देश में आज से नहीं बल्कि काफी पहले से एक चीज चली आ रही थी। मैंने एक दिन यह कहा था कि गवर्नमेंट कन्फ्रंटेशन में न जाए। लेकिन जिस तरह से लेबर मिनिस्ट्री काम कर रही थी, उससे मुझे लगा कि गवर्नमेंट की यह पालिसी ठीक नहीं है। एक दफा वर्कर्स के साथ कन्फ्रंटेशन में गए, मुकाबला किया और डटकर मुकाबला किया। जो भी ताकत उनके पास थी, जो भी दिमाग था, सब चीजों का इस्तेमाल किया। उस इम्तहान में ये सब जगह फेल हुए। एक जगह उन्होंने चतुराई से कामयाबी हासिल की। बंबई की मिलों के दो लाख 50 हजार आदमी थे, उनके साथ कन्फ्रंटेशन किया इन्होंने। इससे देश का नुकसान हुआ, वर्कर्स का नुकसान हुआ और बाहर भी हमारी इमेज ठीक नहीं बनी। यह सब काम हुआ। उसके बाद उस स्ट्राइक को इतनी चतुराई से फिजल आउट कर दिया। 13 मिलों को लेंगे। लेकिन हालत क्या है। एंप्लायर के हाथ में सारे अधिकार दे दिए गए हैं। जो मिलें चल रही हैं, उनको माडर्नाइज कर रहे हैं। वर्करों पर इतना रेप्रशन कर रहे हैं जिससे वे बहुत परेशान हैं। अगर वर्कर कुछ भी कहता है तो गेट से बाहर कर दिया जाता है। पूरे आदमी भी नहीं लिए गए हैं। 50 परसेंट से भी कम लोग लिए गए हैं और उनके साथ बदले जैसा व्यवहार किया जा रहा है। उनको कहा जाता है कि यह सब तुमने नुकसान किया है इसलिए तुमको ही मरना होगा। इस तरह की बातें एंप्लायर कर रहे हैं।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : जो यह कह रहे हैं, ठीक नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद इस्माइल : इतना कन्फ्रंटेशन करने के बाद भी उनको ब्लफ दिया गया। यह कह कर के कि हम 13 मिलें ले रहे हैं, कमेटी बनी है, इसमें फैसला होगा वेजेज का, टेंपरेरी वर्करों का फैसला होगा। जो 70 हजार लोग थे, किसी का फैसला नहीं हुआ है। 50 परसेंट लोगों पर रेप्रेशन कर रहे हैं। उनको इतनी चतुराई से टेकल किया गया है, कन्फ्रंटेशन को सेबोटेज किया गया है। इसका परिणाम आपको मिलेगा, इसके लिए आप तैयार रहिए।

बहुत खुशी हुई है कि गवर्नमेंट ने अभी अपनी कन्फ्रंटेशन की पालिसी को छोड़कर बातचीत करके तय करने का रास्ता अपना लिया है। अब यह बात उनकी समझ में आई है। इसका सबूत है पोर्ट एण्ड डाक वर्कर्स की स्ट्राइक। इससे पहले जो-जो एग्रीमेंट हुए थे, उनको गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट

नहीं किया । धांधलेबाजी करते रहे, फैडरेशन से कहा गया, दरख्वास्त दी गई, लेकिन वह भी कामयाब नहीं हुआ । आखिर में स्ट्राइक करनी पड़ी । इतना ऐतिहासिक स्ट्राइक वर्ल्ड में किसी जगह पर नहीं हुआ । पहली मर्तबा सुना कि उनको लेबर मिनिस्ट्री के पास भेज दिया गया कि इन्टरवीन करो । मिनिस्ट्री ने इन्टरवीन किया और कहा कि सात दिन का टाइम दो । तब जाकर उसका फैसला हुआ । लेबर मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली है जहां पर मैनेजमेंट के अन्दर इक्वल रिप्रेजन्टेशन की बात को मानते हैं और शॉप लेवल को भी मैनेजमेंट में जगह देने के लिए गाइन्ड मेक-अप किया है । इनको काम में लगाने के लिए लेबर मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है । ट्रेड यूनियनों ने साफ तौर से यह कहा है कि इक्वल रिप्रेजन्टेशन का मतलब यह है कि पहले आप इन्टक का रिप्रेजन्टेशन लेते थे और उनको मैनेजमेंट में रखते थे । यह सब खत्म हो गया । इसका मतलब है फेवरेटिज्म नहीं चलेगा और इक्वल रिप्रेजन्टेशन होगा । सेन्ट्रल ट्रेड यूनियन का यही एक सवाल है कि शॉप लेवल में सीक्रेट बैलेट से इलैक्शन हो । अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे डेमोक्रेटिक सेन्स वर्करों में नहीं आ सकती है । कम से कम प्रोडक्टिव फोर्स रियलाइज करेगी कि हमारी सरकार इतने कन्फ्रन्टेशन के बाद यह कार्यवाही करने जा रही है । अब जब यह इक्वल रिप्रेजन्टेशन किया है तो इससे आपका भी दिमाग ठीक हुआ होगा । सभी लोग यही चाहते हैं कि सीक्रेट बेलेट द्वारा इक्वल मैनेजमेंट होना चाहिए । प्रोडक्शन, परचेज सेल और करप्शन के बारे में बोलने का हक होना चाहिए, तब जाकर वर्करों में कांफिडेंस आयेगा । इन्टक को बढ़ाया गया, वह भी आपने देख लिया । वर्करों ने किस तरह से बम्बई में इन्टक के खिलाफ पचास वर्षों के बाद रिवोल्ट किया । मजदूर महाजन यूनियन की भी यही हालत होने जा रही है । सरकार मिल बन्द करने जा रही है । वर्कर कहते हैं कि बन्द होनी चाहिए । वहां कन्फ्रन्टेशन हो जायेगा नहीं तो इक्वल मैनेजमेंट की पालिसी को भी सेटल करना चाहिए । सबसे हैल्पलैस मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री है । जितने एम्पलाइज मिनिस्ट्री में काम करते हैं, वे सब लेबर मिनिस्ट्री की पावर इस्तेमाल करके इन्टरवीन करते हैं । इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्टीफन साहब का है । उन्होंने कहा था कि वैंग गोर में जाकर सैटल करूंगा क्योंकि मेरी मिनिस्ट्री का इससे ताल्लुक है । करोड़ों-करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और वे फेल हुए । यह सब कन्फ्रन्टेशन का नतीजा था जो हुआ । अब जाकर आपका दिमाग सही हुआ है और मैं समझता हूं कि आज कम से कम राइट लाइन पर लेबर मिनिस्ट्री जाने की कोशिश कर रही है । यदि लेबर मिनिस्ट्री को ये पावर नहीं रहेंगी कि उसमें जितने एम्पलाईज हैं, उनके राइटस दिलवाने के लिए वह इंटरवीन करे तो उसको कौन देखेगा ? जैसा यहां पर भगत साहब ने कहा, जो पिक्चर उन्होंने रखी, जब इनके इम्पलाईज का सवाल आता है तो उसका यूनियन लेबर मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं । जब मैडिकल डिपार्टमेंट में किसी नर्स और एम्पलाईज का सवाल आता है तो डायरेक्टर जनरल हैल्थ उसको टैकल करते हैं । इसी तरह से सारी चीजें चलती हैं । आखिर लेबर मिनिस्ट्री का क्या फंक्शन है । क्या यही कि आफिस में आओ, बैठो और चले जाओ, जो समझो करो, तुम भी जाओ और हम भी जाएं । क्यों सभी लोग लेबर मिनिस्ट्री को इगनोर करते हैं । कम्यूनिकेशन मिनिस्ट्री में लाखों एम्पलाईज ऐसे हैं, जिनमें परमानेंट सर्विस वगैरह न होने की शिकायत है, लेकिन उनको परमानेंट करना तो दूर की बात है, टैम्परेरी और कैजुअल टैम्परेरी सब दूर की बात है, जिन लोगों को 160 या 200 या 150 रुपये मिलते हैं, उन तमाम कर्मचारियों को इस स्थिति में रखा गया है, जिनकी संख्या लाखों में है और उनके सम्बन्ध में मैंने यहां एक रिजोल्यूशन भी प्रस्तुत किया था, स्टीफन साहब ने उसे लैप्स करा दिया और कल भी यहां यह

सवाल उठा था और मिनिस्टर साहब ने उत्तर दिया, उनका भविष्य क्या होगा, जो लाखों आदमी वहां काम कर रहे हैं, जो न टैम्परेरी हैं, न परमानैंट हैं, न डेलीवेज हैं, आखिर वे क्या हैं, कुछ भी तो नहीं हैं। फिर भी वे सब पी एण्ड टी में काम कर रहे हैं। जब लेबर मिनिस्ट्री से पूछते हैं तो जबाव मिलता है, हम क्या करें, हम पूछेंगे। यदि वे कहेंगे तो इंटरवीन करेंगे। इसलिए इस मिनिस्ट्री की जो हैल्पलैसनैस है, आज से नहीं, मैं पिछले 10 सालों से इसकी कमेटी का मैम्बर चला आ रहा हूं और जब भी यह सवाल उठता है तो यही जबाव दिया जाता है कि हमने रैफर किया हुआ है। मिनिस्ट्री का कोई जबाव नहीं आया। जब वहां से जबाव ही नहीं आया तो हम क्या करें, आप बताइये। मिनिस्टर साहब यहां जबाव देते हैं, हम क्या करें। फिर हम क्या करें। इस हैल्पलैसनैस (लाचारी) तरीके से यह मिनिस्ट्री चल नहीं सकती। आपने जो लेबर मिनिस्ट्री इसका नाम रखा है, उसको बदल कर तब आप डमी मिनिस्ट्री रख दीजिए। आप वर्कर्स के साथ जिस तरह का मजाक कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह रोजाना हमारी आंखों के सामने अनफेयर प्रैक्टिसेज हो रही हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, फिर भी लेबर मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। (**व्यवधान**)

आप तो जनाब 10 लाख पब्लिक के नुमाइन्दे हैं, और आपके सामने मजबूरी यह है कि आपको बम्बई में जाकर जबाव देना पड़ता है जब वर्कर्स आपके सामने आकर पूछते हैं, वहां आपका मुंह बन्द रहता है। इसलिए जैसा आपने किया, वैसा फल पाओगे···(**व्यवधान**)

आज हमारे यहां रोजाना मिलें सिक होती जा रही हैं, वर्कर्स बेकार हो रहे हैं, लेकिन आपका कोई इन्टरवेंशन नहीं। आखिर कौन इंटरवीन करेगा। आपकी लेबर मिनिस्ट्री बहुत मुश्किल में है। जो आपकी रिकमैन्डेसन होगी, जो राय होगी, उसको कोई भी एम्पलाई मानने के लिए तैयार नहीं, कोई मिनिस्ट्री भी नहीं मानेगी। आखिर इसका सौल्यूशन क्या है। आज 26 हजार फैक्टरियां बन्द हैं, उनके वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनका अपना प्रौविडैन्ट फण्ड नहीं मिल रहा है। आखिर कौन इंटरवीन करेगा। अगर वर्कर डैस्परेट हो तो कहते हैं कि इनडिसिप्लिन हो गया, यदि आज इनडिसिप्लिन है तो उसको कौन रोकेगा। आपकी गवर्नमेंट का डिसिप्लिन कहां है। लेबर मिनिस्ट्री की जो फंक्शन्स होनी चाहिएं, आप उन फंक्शन्स को करने में उसकी हैल्प क्यों नहीं करते। यदि आप बहुत-सी लेबर कमेटियों को प्रोसीडिंग्स को देखें, उनका इतना अजैंडा भेजते हैं लेकिन आपका जबाव आता है कि कुछ बाकी नहीं है या जानकारी एकत्रित की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट की आज क्या पोजीशन है। जब दूसरी मिनिस्ट्रीज का स्टैंड लेबर मिनिस्ट्री के बारे में ऐसा है और जब स्टेट चीज से कोई वहां में कन्सीडर करने के लिए भेजी जाती है तो वे भी जबाव नहीं देते। वह भी जबाव नहीं देती। हम जब सवाल उठाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर पा रही है, उसकी ताकत नहीं है तो लेबर मिनिस्ट्री कुछ जबाव नहीं देती। क्या आप सब वर्कर्स को वांडेड (बन्धुआ) लेबर करना चाहते हैं? हमारे प्रोवीडैंट फंड का करोड़ों रु० प्राइवेट कम्पनियां मार जाती हैं, लेकिन किसी के खिलाफ एक भी कुछ नहीं होता। फैक्ट्रीज़ बन्द हैं, आखिर इसको कौन हल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी? स्टेट गवर्नमेंट पूछती है कि अगर हम हल करें तो क्या आप हमारी मदद करेंगे? तो यहां से कोई जबाव नहीं दिया जाता। तो इस वॉन्डेड लेबर मिनिस्ट्री को फ्री करना चाहिये, लेबर लाज को आपको इम्लीमेंट कराना चाहिये।

कौलियरीज में कांट्रेक्ट सिस्टम अबालिश हो गया, मगर इल्लीगली वहां सब काम हो रहा है। अथोरिटीज उनकी सुनती नहीं हैं। कांट्रेक्ट लेबर खत्म हो गया, मगर वहां सब कर रहे हैं क्योंकि स्टील अथोरिटी का डिसीजन फाइनल है। मैं पूछता हूं फिर लेबर मिनिस्ट्री किस मर्ज की दवा है? हमने कहा हम क्या करें, आप लोग जो चाहो करो। फिर 1 दिन, 2 दिन की स्ट्राइक हुई, फिर और होगी और कनफ्रन्टेशन होगा जिसका नतीजा मुल्क के लिए बुरा होगा।

बोनस का सवाल लीजिये, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिया, रेल और पी० एंड टी० में लेकिन और जगह नहीं दिया। क्या नतीजा हुआ? लोगों ने जुलूस निकाला, धरना दिया तब आपने कहा अच्छा 15 दिन की बोनस देते हैं। तो पहले ही क्यों नहीं दे दिया? आप अपने आप कुए में गिरेंगे तो हम क्या करें? आप कहते हैं हमारी पालिसी ठीक है। कहां ठीक है? आप गड्डे में जा रहे हैं।

प्रोवीडेंट फंड का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ई० एस० आई० का भी पैसा खा जाते हैं मालिकान। इतना करप्शन बढ़ गया है जिसकी इन्तहा नहीं। मेरी लेबर मिनिस्ट्री से बड़ी हमदर्दी है क्योंकि यह एक हैल्पलैस मिनिस्ट्री है। इसको मजबूत बनाना चाहिये।

बहस में हमने बोला कि कर्नाटक मिल बन्द है, उसका क्या सोल्यूशन है? कोंमर्स मिनिस्टर कहते हैं कि हम देखेंगे। तो कब देखेंगे? एन० टी० सी० के बारे में कहते हैं कि अब हमने उसको ठीक किया है। करोड़ों रु० बर्बाद कर दिया, वर्कर्स को हैल्पलैस हालत में छोड़ दिया है और अब कहते हैं कि उनकी नेशनेलाइज करके एन० टी० सी० के अधीन कर दिया। कहां सैटिस्फैक्शन है वर्कर्स का?

जहां तक प्रोमोशन का सवाल है सब जगह यह सवाल है कि सैंट्रल मिनिस्ट्री की कोई पालिसी नहीं है। लेबर का कोई डायरक्शन नहीं है। जो, जो चाहता है, अपना प्रमोशन ठीक कर के चला रहा है। यूनीफाइड प्रमोशन पालिसी कम-से-कम सैंट्रल गवर्नमेंट के सम्पलाईज के साथ होनी चाहिये। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? लड़ाइयां होती हैं और फिर गालियां देते हैं कि यह अपोजीशन वाले, सी० पी० एम० वाले, सी० पी० आई० वाले.....आप कौन वाले हैं?

क्या आपने तजुर्बा करके देखा? अगर अब भी होश नहीं आयेगा तो कब आयेगा? चुनाव में हंडियां फोड़ी जायेगी। सब जगह बीच बाजार में हंडिया फूटेगी और वह हंडिया किस पर जायेगी हमको नहीं मालूम।

नेशनल कम्पेन कमेटी ने कह दिया, कल उसका मुजाहरा है। वहां पर आज मीटिंग हो रही है, वहां पर तमाम सवाल होंगे माइनर सवाल होंगे, स्टेट रिलेशन के सवाल होंगे। वहां पर रैज्यूलूशन पास हो रहा है, क्योंकि गिलोटीन का होआ आ गया, जो कुछ बोल सका बोल दिया। धन्यवाद।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग को कम करके एक रुपया किया जाए।"

[ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कर्मकारों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने में असफलता। (1)

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बिहार तथा देश के अन्य भागों में कृषि कर्मकारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू करने की आवश्यकता।] (3)

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बिहार तथा अन्य राज्यों में अभी भी व्याप्त बंधुआ मजदूरी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने की आवश्यकता।] (4)

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

[एक उद्योग में गुप्त मतदान द्वारा एक ही यूनियन रखने की आवश्यकता।] (5)

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[प्रबन्ध में मजदूरों को उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही सहित भागीदार बनाने की आवश्यकता।] (6)

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[बिहार के मधुबनी जिले में खजौली प्रखंड के अन्तर्गत पुरसौलिया के कृषि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी की बकाया राशियों का भुगतान करने सम्बन्धी आदेशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता।] (7)

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंतर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाए।"

[ठेकेदारों तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा नियोजित श्रमिकों समेत सभी असंगठित श्रमिकों को कानूनी रूप से निश्चित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (24)

"कि श्रम विभाग शीर्षक के अंनर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

[मिट्टी के खुदाई-भराई तथा अन्य संहलके कार्य कृषि मजदूर संघों को सौंपने की आवश्यकता।] (25)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, आप सब जानते है कि शाम 6 बजे गिलोटिन होने जा रहा है। लेकिन प्रश्न है कि दोनों पक्षों से कुछ सदस्य वाद-विवाद में भाग ले सकते हैं। लेकिन उन्हें अपना भाषण संक्षेप में देना होगा। मैं चाहता हूं कि श्रम और पुनर्वास मंत्री को वाद-विवाद का उत्तर देना ही चाहिए। उन्हें उत्तर देने के लिए कम से कम 15 मिनट दिए ही जाने चाहिए। 5 बजकर 45 मिनट पर मैं उन्हें वाद-विवाद पर उत्तर देने के लिए बुलाऊंगा। अब प्रो० रंगा बोलेंगे।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे बहुत से सदस्य हैं जो संगाठित श्रमिकों और उनकी आवश्यकताओं और मांगों के संबंध में बोलने के बहुत इच्छुक होंगे। अतः मुझे इसमें ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं, मुझे केवल इतना कहना है कि मैं भी सरकार के इस आश्वासन के क्रियान्वयन किए जाने के पक्ष में हूं कि विभिन्न उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों को भी भाग लेने दिया जाना चाहिए। यद्यपि पंडित नेहरू के समय से सरकार इस सिद्धांत को मानती आई है, फिर अधिक प्रगति नहीं हुई है। लेकिन पिछले 4 वर्षों के दौरान, विशेषकर जो यह नयी स्थिति सामने भी आई है, सरकार ने श्रमिकों के प्रति जो रुख अपनाया है, बहुत अधिक प्रगति हुई है। कल ही वाणिज्य मंत्रालय के प्रभारी मंत्री ने हमें बताया कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम में श्रमिक कितना अधिक हिस्सा ले रहे हैं। राज्य द्वारा हाथ में ली गई और राज्य द्वारा चलाये जा रहे उद्योगों के संबंध में मैं चाहता हूं कि सरकार और तेजी से अधिक प्रगति करे तथा यह देखे कि श्रमिकों की भागीदारी अनिवार्य हो जाये ताकि वे गैर-सरकारी उद्योगों के समक्ष भी उदाहरण रख सकें। इसके पश्चात् मैं चाहता हूं कि सरकार हमारे देश में असंगठित श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर अधिक से अधिक ध्यान देती रहे। संगठित श्रमिकों की संख्या असंगिठत श्रमिकों का 1/10वां भाग है। जहां तक असंगठित श्रमिकों का संबंध है, कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा है जिसमें कृषक भी हैं और बंधुओं मजदूर भी हैं। एक बार हमने कहा था कि बंधुआ मजदूर बहुत सीमित हैं। लेकिन अब यह तथ्य सामने आए हैं कि हमारे देश में ऐसे श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है जिनमे देश की अधिकांश जनता अनभिज्ञ है, और जो आप भी बंधक परिस्थितियों में काम कर रहे हैं तथा उन्हें उस असहाय स्थिति से उबारना होगा। श्रम मंत्रालय का यह देखने के लिए तथा व्यवस्थित करने के लिए कि वे किस तरह कार्य कर रहे हैं, उन्हें किस तरह बंधक रखा जाता हैं। केन्द्र में तथा साथ ही राज्य स्तर पर भी कुछ अधिकार अथवा शक्तियां देनी ही होंगी और उसके बाद उनका उधार तथा पुनर्वास करना होगा।

इसके अलावा खेतिहर श्रमिक हैं। भारत सरकार ने एक बहुत ही प्रगतिशील कदम उठाया है। और अगर मैं बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने ऐसा कहूं कि यह मेरा सुझाव था कि खेतिहर मजदूरों के लिए अवैतनिक संगठनकर्ता होने चाहिए और उन्हें प्रति माह 250 रुपये से 500 रुपए वेतन नहीं, बल्कि मानदेय वे रूप में दिये जाने चाहिये और इन लोगों को खेतिहर मजदूरों को संगठित करने की छूट दी जानी चाहिए, और उन्हें सारे तंत्र में यथा जिला परिषद, सभी स्थानीय सरकारी संस्थाओं और सहकारी संस्थाओं में श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने और कृषि श्रमिकों के हितों को देखने का विशेषाधिकार होना चाहिए।

तीसरे, सरकार को ट्रेड (व्यापार) बोर्डों का गठन करना चाहिए, जिनमें खेतिहर मजदूरों, किसानों और स्थानीय पंचायतों के प्रतिनिधि रखे जाएं। इसमें त्रिपक्षीय प्रतिनिधित्व होगा और इन बोर्डों का कर्त्तव्य होगा कि वे लोगों के हितों को ध्यान में रखें और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम को भी खेतिहर मजदूरों, बंधक मजदूरों तथा प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा के लिए लागू किया जाए। प्रवासी मजदूरों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, वे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते रहते हैं, उनकी सफाई, स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं, यात्रा सुविधाएं, पीने के पानी की सप्लाई, आवास और वापस अपने घरों को जाने संबंधी सुविधाओं की अनदेखी की गई है। उनका सामाजिक रूप से शोषण किया जा रहा है। इन सबके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिए लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। इन पहलुओं पर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक असंगठित मजदूरों का संबंध है, एक अकेला बहुत बड़ा होता है—ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भवन निर्माण कार्यों में असंख्य असंगठित मजदूर लगे हुए हैं। यह श्रमिक गारा एकत्रित करने, ईंटें बनाना, कई एक वस्तुओं को किसी न किसी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री में परिवर्तित करना, बढ़ईगिरी, आदि अनेक प्रकार के कार्य ते करहैं। अब इनकी तरफ गम्भीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि अन्य असंगठित श्रमिकों की तरह इनको भी किसी प्रभावी संक्षाणात्मक कानून के अधीन लाया जा सके। केन्द्रीय श्रम मंत्रालय को राज्य स्तर वे श्रम मंत्रालय के सहयोग से इस बारे में विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि इस बड़े असंगठित श्रमिकों के समूह को सुरक्षा प्रदान की जा सके और उनकी कठिनाइयों को दूर करके उनकी सहायता की जा सके।

खेतिहर मजदूरों के इलावा इन असंगठित श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं के संबंध में भी अवैतनिक श्रम संगठनकर्त्ता प्रणाली लागू की जानी चाहिए। मैं योजना आयोग, प्रधान मंत्री और श्रम मंत्री को इस योजना को गम्भीरतापूर्वक लागू करने के लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पहले ही इस बारे में काफी प्रगति की है और मुझे आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक सभी ब्लाकों में ये संगठनकर्त्ता नियुक्त कर दिये जायेंगे।

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे लेबर एंड रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री पर बात करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी धन्यवाद देता हूं। सरकार की जो नीति है, वह सरकार की कथनी और करनी में फर्क बताती है। सरकार हमेशा यह नारा लगाती है कि वह 20-सूत्री कार्यक्रम के अनुसार गरीबी, हरिजनों, आदिवासियों, मजदूरों, पीड़ितों और शोषितों के लिए काम कर रही है। लेकिन गरीब बेचारे सरकार का इस नारेबाजी में विश्वास रख कर आखिर में फंस जाते हैं। जैसे अभी बम्बई का मिल मजदूर पिछले दो ढाई साल से हड़ताल में फंस गया और सरकार ने उस हड़ताल में से रास्ता निकालने के लिए बम्बई की 13 मिलें नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन के

अंडर में ले लीं। लेकिन जानकारी यह है कि 13 मिलें भी सरकार पूर्ण रूप से नहीं चला रही है। किंवहुना, वहां मजदूरों को जितना काम मिलना चाहिए वह काम मिलता नहीं और बम्बई का मिल मजदूर आज जैसे कि बेकारी की हालत में गिर पड़ा है। यह खाली बम्बई का मिल मजदूर नहीं बल्कि बम्बई से लेकर हमारा जो इलाका है, जो थाने डिस्ट्रिक्स का आता इलाका है, अपने देश की सबसे बड़ी भारी इन्डस्ट्रीज जितनी हैं चाहे टेक्सटाइल हो, केमिकल हो या अन्य तरीके की इन्डस्ट्रीस हों, इहारे इहाके के अन्दर मजदूर लाक आउट में या स्ट्राइक में पड़ गए हैं और सरकार का जो लेबर कमिश्नर का दफ्तर है वह कंसिलिएशन के सिवाय और कुछ करना नहीं चाहता। इन सारे कारखानों में चाहे मीडियम कारखाने हों, चाहे स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हों या और बड़े उद्योग हों, इन सभी उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू नहीं होता है। बहुत कम पैसा मजदूरों को मिलता है। गवर्नमेंट के आफिसर चाहे वह लेबर आफिसर हों या फैक्टरी इन्सपेक्टर हों वह जब कारखाने में जांच करने के लिए जाते हैं तो उनकी जेब में जहां 50 रुपये की पत्ती गिर गई, वहां वह वापस लौटकर रिपोर्ट अपनी दे देते हैं कि सारे कारखानों में होकर आ गए। देश को स्वतंत्र हुए 36 साल हो गए, देश में आज भी बंधुआ मजदूर बड़ी भारी संख्या में मर रहे हैं। खेतिहर मजदूर जो संगठित नहीं हैं, असंगठित हैं ऐसे मजदूरों की हालत भी बहुत खराब है और बालजमिक जो उम्र में बहुत कम होती है, उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता है। उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वह सुविधा नहीं मिलती है। कई कारखानों में माडर्नाइजेशन के नाम पर मजदूरों की जो छंटनी की जाती है वह ठीक नहीं है। सरकार माडनोइजेशन के नाम पर अन्य कारखानों को सुविधा देती है, यह एक तरह जहां अच्छा है वहीं मजदूरों के खिलाफ में इस प्रकार की जो नीति का अवलम्बन होता है वह ठीक नहीं है।

बहुत कारखाने ऐसे हैं कि जहां मजदूरों की अपनी सैलरी से जो प्राविडेंट फंड का पैसा कटता है और जो कांट्रीब्यूशन उसमें मिल मालिक को करना चाहिए, वह सारा पैसा फंड में मिल मालिक भरते नहीं हैं और इस तरह से मजदूरों के लाखों, करोड़ों रुपये घपलेबाजी में चले जाते हैं।

ई० एस०आई०के नाम पर जो मजदूरों के पैसे कटते हैं उसके बदले में उनको कुछ सुविधा देने का प्रावधान तो हमने किया है लेकिन ई० एस० आई० के अन्दर जो दवाई मिलनी चाहिए वह दवाई की किसी दूकान पर या और कहीं भी मजदूरों को या कामगार भाइयों को नहीं मिलती हैं।

अपने जो लेबर कानून बने हैं वह कई सालों से चलते आ रहे हैं। इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। इल्लीगल स्ट्राइक हो या इल्लीगल लाक आउट हो जो भी कुछ हो, यह सब 15 दिन में समाप्त हो जाय, ऐसा कुछ कानून में सुधार लेबर मिनिस्टर साहब करें तो अच्छा होगा। 15 दिन में इसलिए चाहता हूं कि जो कारखानों में इल्लीगल स्ट्राइक या इल्लीगल लाक आउट वगैरह हो रहे हैं ये मामले दिनोंदिन बढ़ रहे हैं और उससे बहुत तकलीफ बढ़ रही है।

ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे स्माल स्केल यूनिट्स हैं जो किन्हीं लोगों के स्वयं कंट्रोल में हैं और कुछ

को साथ में लेकर या कुछ मजदूर अपने कारखाने में भरती करके अपनी स्माल स्केल इन्डस्ट्री वह चलाते हैं।

यह जो टेनोक्रैट्स कारखाने चलाते हैं उनके लिए सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में थोड़ी-सी सुविधा बढ़नी चाहिए।(व्यवधान) कल सारे देश की ट्रेड यूनियन्स के लोग सरकार की कामगार विरोधी नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं जिसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए और जो सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं उनको सुधारना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मजदूर उन नीतियों को सुधारने के लिए आपको मजबूर करेंगे।

श्री एम० अरुणाचलम (टेंकासी) : मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे 1984-85 के लिए श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के अधीन अनुदानों की मांगों के संबंध में, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया है।

किसी भी अर्थ व्यवस्था में सभी प्रकार की उत्पादक गतिविधियों का स्रोत, श्रमिक ही हैं। जो सरकार अर्थ व्यवस्था को प्रभावशाली बनाना चाहती है। उत्पादन की कड़ी इस मुख्य घटक का प्रभावी उपयोग करना उसका महत्त्वपूर्ण कार्य है। किसी अर्थ व्यवस्था में वन और खनिज सम्पदा जैसे प्राकृतिक क्षेत्र आवश्यक पूंजीगत साधन और आरक्षण उपलब्ध हो सकते हैं। फिर भी, अगर मूल घटक श्रमिक ही उपलब्ध नहीं हैं तो कुछ भी उत्पादन सम्भव नहीं है।

हम जानते हैं कि किसी देश की उत्पादन क्षमता उसके प्रभावी श्रमिक बल पर ही निर्भर करती है। आर्थिक दृष्टि से, प्रभावी श्रमिक बल का अर्थ है कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत जिसकी गणना बच्चों और साठ वर्ष से ऊपर की जनसंख्या को निकाल कर की जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे भी सम्भावित श्रमिक हैं लेकिन आगे चलकर प्रभावी श्रमिक बनने के लिए उनका सही विकास किया जाना चाहिए।

मैं अपना भाषण केवल अपने जिले और अपने निर्वाचन क्षेत्र के असंगठित क्षेत्र तक ही सीमित रखूंगा। जैसे—

(क) बीड़ी उद्योग में कार्यरत मजदूर

(ख) कृषि क्षेत्र में कार्यरत मजदूर

(ग) मंचोलाई इस्टेट्स के चायबागानों में कार्यरत मजदूर

(घ) हथकरघा और पावरलूम क्षेत्रों में कार्यरत मजदूर

(ङ) बुनाई उद्योग में कार्यरत मजदूर

(च) कपड़ा उद्योग जैसे मदुरा कोट्स में कार्यरत मजदूर

संगठित क्षेत्र में मजदूर संघ श्रमिकों को बेहतर मजूरी, बेहतर आवासीय और कार्य की शर्तें दिलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

श्रमिक जब एकजुट हो जाते हैं और मजदूर संघों के रूप में कार्य करते हैं तो उनकी सौदा करने की शक्ति व्यापक हो जाती है।

तथापि इस प्रकार के अधिकांश संगठित श्रमिक अपेक्षाकृत बड़े औद्योगिक शहरों में होते हैं और उन्हें शहरी सुविधाओं के अलावा इनका लाभ भी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इस देश के कुल प्रभावी श्रमिक में शहरों में संगठित श्रमिकों का प्रतिशत बहुत ही कम है।

अर्थव्यवस्था में प्रभावी श्रम बल का अधिकांश भाग अभी भी हमारे देश की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत है। चूंकि वे देश के काफी बड़े ग्रामीण क्षेत्र में फैले हुए हैं, इसलिए वे संगठित नहीं हैं। भारत सरकार देश के इस असंगठित श्रम बल के शोषण की इस विशाल समस्या को सुलझाने का प्रयत्न कर रही है। फिर भी इस समस्या की अवहेलना नहीं कर सकती क्योंकि देश के दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या विकट हो गई है। और इन असंगठित श्रमिकों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथा उन्हें न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी करने में कठिनाई होती है। इस दिशा में ध्यान दिया जाना चाहिए।

पहले मैं बीड़ी उद्योग में लगे श्रमिकों के बारे में कहना चाहूंगा। मेरे जिले के कुछ कस्बों और गांवों में बीड़ी उद्योग फैला हुआ है, जिनमें मुक्कडल, थाचनल्लूर, कोविलपट्टि, सुरानडे, अलंकुलम, पावूरचतरम, कजायम, वासूडेवनालूर, संकरनकोविल और सेनदामारम आदि शामिल हैं। इस उद्योग में महिलायें और बच्चे कार्यरत हैं। गरीब परिवारों की आमदनी का एक अच्छा स्रोत है। अतः बच्चों को इस कुटीर उद्योग से हटाये जाने की बजाय, बच्चों को प्रति दिन कुछ समय अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, जो कि राज्य, केन्द्र सरकार द्वारा घोषित हो। इसमें गरीब परिवार आजीविका कमाने के लिए अपने बच्चों को लगा सकेंगे और साथ ही उन्हें शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए प्रोत्साहित कर सकेंगे। क्योंकि बीड़ी उद्योग कई एक गावों में फैला हुआ है, इसलिए वह संगठित नहीं हो पाया है। नियोजक आसानी से इस असंगठित क्षेत्र का फायदा उठाता है और उन्हें रहने के लिए न्यूनतम सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। माननीय श्रम मंत्री को भारत के खासकर मेरे जिले के बीड़ी मजदूरों की दशा की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिए ताकि उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किए जा सकें और भारत सरकार उनके रहने की अवस्थाओं में सुधार कर सके।

श्रीमान, अब मैं खेतिहर मजदूरों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उद्योगीकरण के हमारे सारे प्रयत्नों के बावजूद, हमारे देश की अर्थव्यस्था अभी भी कृषि-प्रधान है। कृषि के क्षेत्र में भूमिहीन श्रमिक सबसे अधिक असंठित है। इस बड़े देश में इनके संगठित करने के लिए कोई प्रभावी संगठन नही है। इसके परिणामस्वरूप वे अभी भी गरीबी में रह रहे हैं, उन्हें चिकित्सा सुविधा, पीने के पानी की

सुविधा आदि उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त, इन गरीब भूमिहीन मजदूरों को जीवनयापन की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के बारे में भी कोई कानून नहीं है।

मजदूरों के लिए न्यूनतम मजूरी अधिनियम या न्यूनतम सुविधाएं मुहैया करवाने के दो उद्देश्य हैं—एक उनके कल्याण में वृद्धि या उनके रहन-सहन में सुधार जो कि अन्ततः सारी आर्थिक प्रगति का उद्देश्य है और दूसरे, श्रमिकों को कुशल बनाना ताकि उनकी उत्पादकता को अगर बढ़ाया न भी जा सके तो कम से कम बनाये रखा जा सके।

अगर श्रमिक को न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो, आखिरकार नियोजकों को ही लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र, जो कि भारत का सबसे अधिक श्रमिक बल के नियोजक का क्षेत्र हैं, के श्रमिकों की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मायातेवर।

अब माननीय सदस्यों को समय के मूल्य का ज्ञान हो गया है। मुझे खुशी है। आप सभी अब समय का मूल्य समझते हैं। श्री मायातेवर। डिन्डिगल

श्री के० मायातेवर (डिन्डिल) : अध्यक्ष महोदय, कुछ वाक्य कहने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं।

श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों को पुनः बसाने के लिए हम सरकार से यह मांग कर रहे थे कि उनके लिए मद्रास में कैम्प बनाये जाएं। श्रीमान् 25 अगस्त, 1983 को मैंने मांग की थी कि श्रीलंका से आने वाले इन शरणार्थियों के लिए मद्रास में कुछ कैम्प खोलें और उन्हें आवास, खाना आदि मुहैया करवायें। आप धनराशि, खाना और दवाइयां आदि उनको भेज रहे हैं। लेकिन वे उन तक नहीं पहुच रही हैं। आप कुछ हद तक यह कार्य कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार इन लोगों की कोई सहायता नहीं कर रही है। शरणार्थियों को आपके द्वारा दी जा रही सहायता के समर्थन में ये कुछ नहीं कर रही है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि शरणार्थियों की तरफ ध्यान दिया जाए और कुछ कैम्प स्थापित किए जाएं और उन्हें सहायता और खाना, आवास और नौकरियां प्रदान की जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस मुद्दे पर जोर देकर, इसे वहीं समाप्त कर दें।

श्री के० मायातेवर : मैं शिवकाशी और सतूर में कार्य कर रहे बच्चे और महिलाओं की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगा। 5 से 15 वर्ष के छोटे बच्चे वहां कार्य कर रहे हैं और उनका शोषण किया जा रहा है। लेकिन केन्द्र सरकार या तमिलनाडु इस मामले में कुछ नहीं कर सकी है। मैंने कई दफा यह मांग की है। उन्हें वहां सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक कार्य करने पर मजबूर किया जाता है। शिवकाशी और सतूर के बच्चों का शोषण किया जा रहा है। इसको समाप्त करना होगा।

तमिलनाडु में बकिंघम और केरनाटिक मिलों समेत पांच मिलें बन्द पड़ी हैं। पांडेचेरी में एक और तमिलनाडु की ये सारी मिलें बन्द पड़ी हैं। करीब 50,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें और इन मिलों को पुन: खोलने के लिए कदम उठाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, अब श्री के० ए० राजन बोलेंगे।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : मैं केवल एक या दो मुद्दे उठाना चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि आमतौर से सभी श्रमिकों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु सरकार कोई व्यापक विधान लाए। दुर्भाग्य से, सरकार ने इसे छोड़ दिया है। इसकी अपेक्षा की गई है।

दूसरे, विद्युत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी में कुछ असमानता है। विभिन्न स्थानों पर अलग-अलग मजदूरी दी जाती है। वेतन बोर्ड मानकों और मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में कुछ असमानता है। वेतन बोर्ड के वेतन ढांचे को लागू किया जाना है।

मैं जिस तीसरे मुद्दे का उल्लेख करना चाहूंगा वह यह है कि आप उस बोनस अधिनियम के उपबन्धों को संशोधित कीजिए जो कि मजदूरों के वेतन स्तर की वर्तमान परिस्थितियों से कतई मेल नहीं खाते हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : इस पूंजीवादी समाज में श्रम और पूंजी के बीच विवाद होता ही है और श्रम मन्त्रालय की भूमिका दमकल जैसी है और दमकल को प्रभावी बनाने के लिए, इसको अपनी विश्वसनीयता, तटस्थ विश्वसनीयता स्थापित करनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि श्रम विभाग मजदूर से अधिक मालिक के बारे में अधिक चिंतित है। गत वर्ष, औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम पारित किया गया था। हमारी इसमें सहमति नहीं थी और हमने इसका विरोध किया था। परन्तु फिर भी बलपूर्वक आपने इसे पास कर दिया था। परन्तु आप इसे अधिसूचित नहीं कर सके, क्योंकि नियोक्ताओं ने इसकी कुछ धाराओं का विरोध किया था। इसका अर्थ यह हुआ कि जब मजदूर विरोध करता है, जब कामगार विरोध करता है तो, आप उपेक्षा कर सकते हैं, परन्तु जब मालिक (नियोक्ता) विरोध करता है तो आप उपेक्षा नहीं कर सकते।

5.47 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जहां तक ठेका श्रम (उत्सादन तथा विनियमन) अधिनियम का संबंध है, उसमें एक धारा 10 है, जो बारहमासी रोजगार / नौकरियों में ठेका श्रमिक की नियुक्ति या रोजगार का निषेध करती है। परन्तु इसमें ठेका मजदूर की स्थिति के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या

आप ठेका श्रम (उत्सादन तथा विनियमन) अधिनियम की कुछ व्याख्या या इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं।

जैसे खनिक मजदूर केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन आते हैं, उसी प्रकार न्याय देने और उचित नीति अपनाने के लिए क्या आप कृषि मजदूर जैसे असंगठित मजदूरों को राज्य श्रम विभाग के अधीन न लाकर, जिस पर आपका कोई नियन्त्रण नहीं है, केन्द्रीय श्रम विभाग के अधीन लाने को तैयार हैं, सक्षम और इच्छुक हैं ?

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : मैं यह जानना चाहता हूं कि वह उन मजदूरों के संरक्षण हेतु क्या प्रबन्ध कर रहे हैं जिन्हें खाड़ी के देशों में भेजा जा रहा है।

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, मेरे मन्त्रालय से संबद्ध मांगों पर चर्चा करते समय माननीय सदस्यों ने जो अनेक मुद्दे उठाए हैं, उनका उत्तर देने के लिए मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे यह पता है कि अनेक माननीय सदस्य चर्चा में भाग लेने और अपने विचार प्रकट करने के लिए बड़े इच्छुक थे। परन्तु इन मांगों पर विचार करने के लिए हमारे पास मुश्किल से एक घन्टे का समय था।

इससे पहले कि मैं उन मुद्दों पर अपना अभिमत प्रकट करूं जो कि यहां पर उठाए गए है, मैं मन्त्रालय की गतिविधियों और उपलब्धियों की एक झलक प्रस्तुत करना चाहता हूं। जहां तक देश में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति की बात है तो इसमें वर्ष 1982 की तुलना में वर्ष 1983 के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 1982 में 32.21 मिलियन श्रम घण्टे घटकर निस्सन्देह, बम्बई कपड़ा उद्योग की हड़ताल के श्रम-घण्टों को निकालकर—1983 में 22.05 मिलियन रह गये हैं। 1982 में हड़तालों और तालाबन्दियों की संख्या 2423 थी जो घटकर 1983 में 1826 तक पहुंच गई। निस्संदेह, देश के कुछ भागों में दबाव और तनाव रहा है जैसे बम्बई नगर की कपड़ा उद्योग में हड़ताल अथवा पश्चिम-बंगाल के पटसन उद्योग में हड़तालें और तालाबन्दियां, परन्तु कुल मिलाकर उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादन में इस वर्ष भारी वृद्धि हुई है। यदि संभव हुआ तो मैं इस सत्र के दौरान औद्योगिक विवाद अधिनियम की छंटनी से संबंधित धारा 25-ढ और जबरन छुट्टी से संबंधित धारा 25-ड की फिर से व्याख्या करने हेतु औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक को पुनःस्थापित करूंगा। माननीय सदस्यों को यह बात पता होगी कि कुछ उच्च न्यायालयों ने इन धाराओं को निरस्त कर दिया है और उच्चतम न्यायालय ने भी एक धारा को निरस्त कर दिया है, क्योंकि उन्होंने इन धाराओं में कुछ कमियां पाई हैं। अतः, अब हम इन धाराओं का पुनर्गठन कर रहे हैं और मैं इस सत्र में इस विधेयक को पुरःस्थापित कर दूंगा। यदि समय होगा तो मैं देखूंगा कि यह विधेयक पास कर दिया जाए अन्यथा मैं आशा करता हूं कि वर्षाकालीन सत्र में इस विधेयक को बिना किसी कठिनाई के पास कर दिया जाना चाहिये।

चूंकि समय बहुत थोड़ा है, अत: मैं मजदूर और मालिक दोनों से ही पूर्ण सहयोग करने की अपील करता हूं। उन्हें राष्ट्रीय हित में पूर्ण सहयोग, उत्साह और शक्ति से कार्य करना चाहिये। आज की आवश्यकता है बढ़ा हुआ उत्पादन और मजदूर तथा मालिक दोनों के पूर्ण सहयोग के बिना इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है।

माननीय सदस्यों को पता है कि सरकार ने हाल ही में प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी की एक नई योजना लागू की है। इस योजना का ब्यौरा 30 दिसम्बर, 1983 के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। हम यह देखने के बड़े इच्छुक हैं कि यह नवीन योजना सफल हो और यह केवल प्रबन्ध और कर्मचारी दोनों के ही सहयोग से सफल हो सकती है। अत:, इस अवसर पर एक बार फिर मैं दोनों से ही इस योजना को सफल बनाने का निवेदन करूंगा। मैं निजी क्षेत्र से भी इस संबंध में अपना सहयोग देने का आह्वान करता हूं, क्योंकि हमने यह योजना निजी क्षेत्र में लागू नहीं की है। यह एक स्वैच्छिक योजना है, परन्तु हम इसे अपनाने के लिए निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। जहां तक इस योजना का संबंध है, हमने इसको लागू कर दिया है। शुरू में हमने इसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू कर दिया है। हमने समस्त राज्य सरकारों से अपने राज्यों के सरकारी क्षेत्र में इस योजना को लागू करने के लिए पहले ही लिख दिया है, और इसके साथ ही साथ हम यह भी चाहते हैं कि निजी क्षेत्र उनसे पीछे न रहे और इस योजना को अपनाएं और इसको सफल बनाएं।

अब मुश्किल से सात मिनट बचे हैं और उपलब्ध समय में, मैं कुछ उन मुद्दों पर अपना अभिमत प्रकट करना चाहूंगा जो कि माननीय सदस्यों ने उठाए हैं। माननीय सदस्य श्री इस्माईल बोले और बाहर चले गये। उन्हें मेरे उत्तर देने तक प्रतीक्षा करनी चाहिये थी। वह यह समझते हैं कि सरकार की नीति मजदूरों से टकराव की है। मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत सरकार की नीति मजदूरों से टकराव की नहीं है। दूसरी ओर बल्कि हम मजदूरों को बचाना चाहते हैं। हमें मजदूरों के कल्याण को देखना है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों का शोषण न हो। यह काम श्रम मन्त्रालय का है और हम वह काम पूर्ण दायित्व और कुशलता के साथ कर रहे हैं।

आननीय सदस्य श्री इस्माईल कर रहे थे कि यद्यपि भविष्य निधि की बड़ी धनराशि का दुरूपयोग किया जा रहा है, गबन किया जा रहा है, परन्तु उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मेरे पास कुछ आकड़े हैं। 30.9.1983 को कर्मचारियों के भविष्य निधि प्राधिकरणों ने 63,000 से अधिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध एक लाख से भी अधिक राजस्व वसूली प्रमाण प्रत्र दाखिल किए हैं। उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन 22644 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध 1,10,000 अभियोजन मामले दायर किए हैं और 2,604 अभियोजन मामले भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन दायर किए हैं। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 406 और 409 के अधीन 2,368 अभियोजन उन विमुक्त प्रतिष्ठानों के विरुद्ध किए हैं जिन्होंने भविष्य निधि के अंशदान को संबंधित न्यासी बोर्ड को हस्तान्तरित नहीं, किया हैं। मैं ये आंकडे सदस्यों को यह दिखाने के लिए दे रहा हूं कि जो कोई भी पैसा जमा नहीं करा रहा है, जो कोई

भी गबन कर रहा है, चाहे वह कर्मचारियों का अंशदान हो या नियोक्ताओं का, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है और उनके विरुद्ध अभियोग चलाया जा रहा है। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में हम पीछे नहीं हैं।

प्रो० रंगा ने असंगठित श्रमिकों की दयनीय स्थिति के जरिये ठीक ही कहा है। मुझे विश्वास है कि बहुत से माननीय सदस्यों को इस बात का पता है कि कुल कार्य-बल का केवल 10 प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र में हैं। शेष 90% कार्य-बल असंगठित क्षेत्र में हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति की तुलना में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति दयनीय है और संतोषजनक कतई भी नहीं है। अतः उन 90 % मजदूरों के हितों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करना होगा, जो कि असंगठित क्षेत्र में हैं।

उसके लिए हमारे पास बहुत से विधान हैं, लेकिन यह सब इन विधानों को कार्यान्वित करने और लागू करने पर निर्भर करता है। उदाहरणार्थ, हमारे पास न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियमन ठेका श्रम (उत्सादन) अधिनियम, अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम और बीड़ी कामगारों के लिए कृषि मजदूरों आदि हेतु अलग से अधिनियम है, इसके अतिरिक्त यह देखने के लिए कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण और हितों को भली-भांति सुरक्षित रखा जा सके हमारे यहां बहुत-सी योजनाएं हैं। दुर्भाग्य से, यद्यपि बहुत से अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम हैं, परन्तु उनको कार्यान्वित करने का उचित प्राधिकरण राज्य सरकारें हैं। हम इनकी जांच कर रहे हैं, और राज्य सरकारों के साथ इसे उठा रहे हैं। हम समय-समय पर राज्य सरकारों को लिख रहे हैं और यह देखने हेतु हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को विभिन्न राज्यों में भेज रहे हैं कि क्या उन अधिनियमों को, जो असंगठित श्रमिकों से संबद्ध हैं सही रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं।

प्रो रंगा ने यह सुझाव दिया था कि हमें अनैतिक कृषि मजदूर रखने चाहिये। हमने उस योजना को पहले से ही लागू कर दिया है। हमने एक कदम उठाया है और हम एक कदम आगे उठा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक अवैतनिक कृषि मजदूर नियुक्त किये गये हैं। समय के अन्तराल में, हम और अधिक अवैतनिक कृषि मजदूर नियुक्त करना चाहते हैं।

निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की जहां तक बात है, ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कि निर्माण कार्य सड़क निर्माण, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। हम उनकी सुरक्षा, उनकी सहायता के लिए, उनके काम के घन्टे नियत करने, इत्यादि के लिए एक विधेयक तैयार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि आगामी सत्र में मैं एक विधेयक पुरःस्थापित कर सकूंगा और माननीय सदस्यों के सहयोग से, मेरे विचार से मैं न केवल विधेयक को पुरःस्थापित कर सकूंगा अपितु पारित भी कर सकूंगा।

मानवीय सदस्य श्री मायातेवर ने श्रीलंका के शरणार्थियों का उल्लेख किया था। मण्डपम में हमारा एक शिविर है। श्रीलंका से आने वाले शरणार्थियों को शिविरों में रखा जाता है और उनकी

देखभाल की जाती है । इसके बाद, उन शरणार्थियों के पुनर्वास का भी ध्यान रखा जाता है। हम राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि राज्य सरकार शरणार्थियों की अपेक्षा के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह इस बारे में मुझे जानकारी दे सकते हैं। मैं मामले को राज्य सरकार के साथ उठाऊंगा और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि श्रीलंका से आने वाले इन बदकिस्मत लोगों की देखभाल ठीक ढंग से हो।

6.00 म० प०

बाल श्रमिक के बारे में माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि जहां तक बाल श्रमिकों के हितों की रक्षा करने का संबंध है, अगर किसी सरकार को कार्यवाही करनी है तो वह राज्य सरकार है। मेरे माननीय मित्र श्री धर्मवीर शिवकाशी से हो आए हैं। इससे पूर्व मैंने अधिकारियों के एक दल को शिवकाशी भेजा था। उन्होंने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और मैंने इस प्रतिवेदन को तमिलनाडु सरकार के पास भेज दिया था। हम तमिलनाडु सरकार को बार-बार लिख रहे हैं और उन पर जोर डाल रहे हैं कि बाल श्रमिकों का शोषण नहीं किया जाना चाहिए और उनके स्वास्थ्य और कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने थोड़े से उपलब्ध समय में चर्चा में भाग लिया और मांगों के बारे में अपने विचार प्रकट किए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे श्रम मंत्री द्वारा किए गए श्रम का पूरा-पूरा ध्यान है, इसलिए हम इसे संक्षेप में लेंगे।

मैं अब श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में प्रस्तुत किए गए सभी कटौती प्रस्तावों को, यदि कोई माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को अलग से मतदान के लिए नहीं रखवाना चाहता तो एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब श्रम और पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 68 से 70 के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दर्शाये गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक लेखानुदान राशियां संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि आप शेष 24 मांगों को सभा के मतदान के लिए रखें, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मैंने वितरण काऊंटर से यह पड़ताल कर ली है कि इस्पात और खान मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 82 और 83 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस्पात और खान मंत्री से पूछें कि इस्पात और खान मंत्रालय का वार्षिक प्रतिवेदन माननीय सदस्यों में वितरण हेतु वितरण केन्द्र को क्यों उपलब्ध नहीं कराया गया है। **(व्यवधान)** यह मेरी आपत्ति है। आप इस्पात और खान मंत्री को स्पष्टीकरण देने के लिए कहें कि हिन्दी अनुवाद क्यों तैयार नहीं हुआ। अन्य मंत्रालय तैयार कर सकते हैं तो खान और इस्पात मंत्रालय क्यों नहीं जबकि मंत्री महोदय स्वयं कार्य-कुशल हैं। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, वह मेरी समिति के सदस्य थे ?

इस्पात और खान मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री एन० के० पी० सात्वे) : मैं अपनी असमर्थता के लिए बिना शर्त खेद व्यक्त करता हूं। मुझे दोनों प्रतिवेदन सभापटल पर रखने थे, अंग्रेजी प्रतिवेदन तैयार था परन्तु हिंदी प्रतिवेदन तैयार नहीं था, इसलिए मैंने अंग्रेजी के प्रतिवेदन को सभापटल पर रखना पसन्द नहीं किया। इसे परसों सभापटल पर रखा जाएगा।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या उन्होंने यह इसके लिए क्षमा मांगते हुए कहा है।

अध्यक्ष महोदय : जी हां।

श्री सतीश अग्रवाल : ठीक है महोदय, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने अच्छा किया है क्योंकि यह मेरा स्पष्ट आदेश है कि केवल एक ही भाषा में कोई भी कागज सभापटल पर न रखा जाए। यह हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में होना चाहिए।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं आपको बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमें उन्हें बधाई देनी चाहिए। **(व्यवधान)**

6.03 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1984-85

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि, आदि

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कार्यसूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मंत्रालयों के सम्बन्ध में उनके साथ दिखाई गई मांग / मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक संबंधित राशिया भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं :—

1. रसायन और उर्वरक मन्त्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 9;
2. संचार मन्त्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 13 से 17 तक;
3. वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 33 से 44 तक;
4. खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 45 और 46;
5. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 47 से 49 तक;
6. उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 61 से 63 तक;
7. योजना मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 73 से 75 तक;
8. नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 77 से 80 तक;
9. समाज कल्याण मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 81;
10. इस्पात और खान मत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 82 और 83;
11. पर्यटन और नागर विमान मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 84 से 87 तक;
12. निर्माण और आवास मंत्रालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 88 से 92 तक;
13. परमाणु ऊर्जा विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 93 से 95 तक;
14. इलैक्ट्रानिकी विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 96;
15. पर्यावरण विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 97;
16. महासागर विकास विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 98;
17. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 99 से 101 तक;
18. अंतरिक्ष विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 102;
19. खेल विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 103;
20. पूर्ति विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 104 और 105;
21. लोक सभा के सम्बन्ध में मांग संख्या 106;
22. राज्य सभा के सम्बन्ध में मांग संख्या 107;
23. संसदीय कार्य विभाग के सम्बन्ध में मांग संख्या 108;
24. उपराष्ट्रपति के सचिवालय के सम्बन्ध में मांग संख्या 109।";

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय, संचार मन्त्रालय, वित्त मन्त्रालय आदि, आदि के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगें, 1984-85

मांग संख्या	मांग का नाम	14 मार्च, 1984 को सदन द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की रकम		सदन द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
रसायन और उर्वरक मंत्रालय					
9.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय	165,13,38,000	101,52,84,000	825,66,88,000	507,64,17,000
संचार मन्त्रालय					
13.	संचार मंत्रालय	94,43,000	7,49,17,000	4,72,15,000	37,45,83,000
14.	विदेश संचार सेवा	6,09,14,000	2,30,50,000	30,45,72,000	11,52,50,000

1	2	3		4	
15.	डाक-तार-कार्यचालन व्यय	263,54,84,000	...	13,17,74,21,00	...
16.	डाक-तार—सामान्य राजस्व को लाभांश, आरक्षित निधि में विनियोग और अन्य व्यय	53,07,90,000	...	265,39,51,000	...
17.	डाक-तार पर पूंजी परिव्यय	...	137,71,88,000	...	688,59,42,000
वित्त मन्त्रालय					
33.	वित्त मन्त्रालय	1,74,25,000	1,000	8,71,23,000	...
34.	सीमा शुल्क	10,67,93,000	3,67,33,000	53,39,62,000	18,36,62,000
35.	संघ उत्पाद शुल्क	14,36,44,000	...	71,82,20,000	...
36.	आय कर, सम्पदा शुल्क, धन कर, और दान कर	15,93,82,000	...	79,69,07,000	...
37.	स्टाम्प	6,54,91,000	34,33,000	32,74,57,000	1,71,67,000

1	2	3		4	
38.	लेखा परीक्षा	17,96,21,000	...	89,81,07,000	...
39.	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल	13,17,27,000	6,74,05,000	65,86,3?,000	33,70,22,000
40.	पैंशनें	21,21,32,000	...	106,06,62,000	...
41.	अफीम और एल्कलाएड के कारखाने	24,61,84,000	19,40,000	14,62,56,000	97,02,000
42.	राज्य सरकारों को अंतरण	594,53,47,000	...	13,52,78,95,000	...
43.	वित्त मन्त्रालय का अन्य व्यय	153,16,15,000	295,92,16,000	759,76,95,000	376,14,01,000
44.	सरकारी सेवकों आदि को उधार	...	17,16,41,000	...	85,82,02,000
खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय					
45.	खाद्य विभाग	173,51,32,000	8,50,52,000	867,56,59,000	42,52,58,000
46.	नागरिक पूर्ति विभाग	95,60,000	1,40,59,000	4,77,97,000	7,02,92,000

1	2	3		4	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय					
47.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय	29,31,000	...	1,46,53,000	...
48.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	42,44,95,000	14,48,91,000	212,24,72,000	72,44,52,000
49.	परिवार कल्याण	78,19,51,000	8,33,000	390,97,55,000	41,67,000
उद्योग मन्त्रालय					
61.	उद्योग मन्त्रालय	93,14,000	...	4,65,73,000	...
62.	उद्योग	34,87,83,000	74,00,01,000	119,39,15,000	265,06,08,000
63.	ग्राम और लघु उद्योग	24,57,53,000	27,83,87,000	122,87,66,000	139,19,37,000
योजना मन्त्रालय					
73.	योजना मन्त्रालय	1,09,000	...	5,46,000	...
74.	सांख्यिकी	4,09,31,000	...	20,46,58,000	...
75.	योजना आयोग	1,19,33.000	...	5,96,66,000	...

1	2	3	4	
नौवहन और परिवहन मन्त्रालय				
77. नौवहन और परिवहन मंत्रालय	89,52,000	...	4,47,60,000	...
78. सड़कें	34,28,44,000	38,86,99,000	171,42,.2,000	194,34,96,000
79. पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	15,71,12,000	29,67,30,000	78,55,62,000	148,36,50,000
80. सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	2,66,76,000	25,83,97,000	3,33,78,000	54,57,84,000
समाज कल्याण मन्त्रालय				
81. समाज कल्याण मन्त्रालय	16,49,68,000	22,18,000	73,58,40,000	1,10,90,000
इस्पात और खान मन्त्रालय				
82. इस्पात विभाग	65,34,000	159,12,67,000	3,26,67,000	600,63,33,000
83. खान विभाग	18,64,27,000	93,28,33,000	93,21,36,000	97,41,67,000
पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय				
84. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	21,28,000	...	1,06,39,000	...

1	2	3	4	
85.	मौसम विज्ञान	4,37,61,000	1,07,00,000	21,88,05,000	5,35,00,000
86.	विमानन	7,68,35,000	14,37,67,000	38,41,74,000	71,88,33,000
87.	पर्यटन	1,97,46,000	1,93,51,000	9,87,28,000	9,67,52,000
	निर्माण और आवास मन्त्रालय				
88.	निर्माण और आवास मंत्रालय	32,60,000	...	1,62,99,000	...
89.	लोक निर्माण कार्य	19,05,50,000	10,54,02,000	95,28,48,000	52,70,11,000
90.	जल पूर्ति और मल निकासी	41,16,00,000	...	205,80,00,000	...
91.	आवास और नगर विकास	5,19,50,000	21,09,35,000	25,97,50,000	50,46,78,000
92.	लेखन सामग्री और मुद्रण	10,29,91,000	...	51,49,58,000	...
	परमाणु ऊर्जा विभाग				
93.	परमाणु ऊर्जा विभाग	18,59,000	...	92,93,000	...
94.	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, विकास और औद्योगिक परियोजनाएं	26,95,02,000	60,54,91,000	134,75,13,000	3,02,74,54,000

1	2	3		4	
	95. न्यूक्लीय विद्युत स्कीमें	31,12,48,000	23,33,33,000	155,62,40,000	116,66,67,000
	इलैक्ट्रानिकी विभाग				
	96. इलक्ट्रानिकी विभाग	5,37,00,000	3,86,33,000	24,85,00,000	17,71,67,000
	पर्यावरण विभाग				
	97. पर्यावरण विभाग	4,33,45,000	1;33,000	21,67,24,000	6,67,000
	महासागर विकास विभाग				
	98. महासागर विकास विभाग	3,62,66,000	55,00,000	17,53,34,000	2,75,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग				
	99. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	8,53,41,000	46,17,000	42,67,08,000	2,30,83,000
	100. भारतीय सर्वेक्षण	5,41,65,000	1,67,000	27,08,27,000	8,33,000
	101. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् को अनुदान	18,83,33,000	...	94,16,67,000	...
	अन्तरिक्ष विभाग				
	102. अंतरिक्ष विभाग	21,94,36,000	15,08,59,000	73,11,98,000	72,72,96,000

1	2	3	4	
खेल विभाग				
103. खेल विभाग	4,33,00,000	1,32,000	21,65,00,000	6,63,000
पूर्ति विभाग				
104. पूर्ति विभाग	7,40,000	...	37,02,000	...
105. पूर्ति और निपटान	2,29,67,000	...	11,48,37,000	...
संसद, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग				
106. लोक सभा	1,74,78,000	...	8,43,91,000	...
107. राज्य सभा	62,75,000	...	3,13,73,000	...
108. संसदीय कार्य विभाग	6,42,000	...	32,10,000	...
109. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	1,62,000	...	8,10,000	...

6.05 म० प०

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक,* 1984

वित्त मंत्री श्री (प्रणब मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वितीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं विधेयक पुरः—स्थापित करता हूं।

मैं प्रस्ताव ** करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्रतिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : कतिपय राशियां नहीं बल्कि मोटी राशियां।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : आपकी अनुमति से अध्यक्ष जी, मैं बैठ कर ही बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप बैठ करके ही बोलिए।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, मैं विनियोग विधेयक, 1984 के क्रम में निम्न सवालों पर मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं—

*दिनांक 17.4.84 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्ताव किया गया।

1. **स्वतंत्रता सेनानियों के पेंशन में वृद्धि** : आज मैं पुनः उन फटेहाल और महंगाई की मार से पीड़ित सेनानियों की दयनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं जिनकी त्याग तपस्या और वीरता के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आप गद्दीनशीं हैं और ऐशो-आराम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप सचमुच में उनका आदर करना चाहते तथा उनसे देश के नौजवानों को प्रेरणा दिलाना चाहते हैं तो उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए अविलम्ब कदम उठायें। उनकी पेंशन की राशि को तीन सौ रुपये माहवारी से बढ़ाकर पांच सौ रुपये माहवारी कर दें तथा पैसों की कमी का बहाना न करें। उनकी विधवाओं को भी उनके बराबर ही पेंशन की राशि दें। अगर आप चाहें तो पैसों का बन्दोबस्त कर सकते हैं। अगर कुछ दूसरे मदों से भी काट कर स्वतंत्रता सेनानियों को देना पड़े तो आपकी खुशी के साथ वैसा करना चाहिए।

2. **सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता** : इस सवाल को भी मैं बार-बार उठा चुका हूं। देश के 35 लाख कर्मचारियों, जिनमें लोकसभा और राज्य सभा के कर्मचारी भी शामिल हैं, वे दिनोंदिन बढ़ती हुई महंगाई के शिकार हैं। उनकी महंगाई भत्ते की दाशि की पांच किश्त बकाया हैं। सम्भवतः छठी किश्त भी हो गयी हो। कहने के लिए आपने इस मद के लिए बजट में राशि भी सुरक्षित कर रखी है, फिर बकाया किश्तों के भुगतान में अनावश्यक विलम्ब के कारण क्या हैं। कर्मचारियों में इस सवाल को लेकर घोर असंतोष है और वे इस मांग को लेकर गिरफ्तारी भी देने लगे हैं। अतः उनका आन्दोलन ज्यादा न भड़क सके, इसके लिए आवश्यक है कि, उनके महंगाई भत्ते का भुगतान आप शीघ्र करने की व्यवस्था करें। कर्मचारियों का पेट अब आपके खोखले आश्वासनों से नहीं भरने वाला है। कृपया आप भुगतान के सम्बन्ध में अभी ही इस सदन में घोषणा करें।

3. **बैंकों से ऋण मिलने में कठिन ईयां** : बेरोजगारों, लघु उद्यमियों, कुटीर उद्योगों आदि को बैंकों से ऋण देने के प्रावधान हैं। परन्तु खेद है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों से न इन लोगों को और न किसानों को ही आसानी के साथ ऋण मिल रहे हैं। बैंकों के अधिकारी ऋण तभी देते हैं जब उन्हें दस प्रतिशत राशि घूस में देनी पड़ती है। जो लोग ऐसा नहीं करते वे दौड़ते-दौड़ते थक कर बैठ जाते हैं। मेरे क्षेत्र में प्रायः सभी प्रखण्डों से मुझे इस प्रकार की शिकायतें मिल रही हैं। पटना नगर के अतिरिक्त फुलवारी, शरीफ, दानापुर, बिहटा, नौबतपुर, जानीपुर, खगोल एवं निकट के मसौढ़ी, धनरुआ, पुनपुन, पतुहा आदि प्रखंडों में ऋण देने में धांधलियां मची हुई हैं। इस संबंध में उच्चस्तरीय जांच कर अविलम्ब कार्यवाही करने की जरूरत है।

4. **इन्दिरा गांधी हृदय रोग संस्थान** : पटना में यह संस्थान वर्षों से बिहार एवं कुछ अन्य राज्यों के हृदय रोगियों की चिकित्सा अच्छी तरह से करता आ रहा है। यह सेवा और अच्छी तरह से कर सके इसके लिये भवनों के विस्तार एवं नवीनतम मशीनों के मंगवाने की आवश्यकता है। इसके लिये बड़ी राशि की आवश्यकता है। मेरा अनुरोध होगा कि भारत सरकार उसके लिये आवश्यक धन की व्यस्था करे।

5. **पेय जल का अभाव** : मैं कल ही अपने पटना निर्वाचन क्षेत्र के नगरीय और देहाती क्षेत्रों के कुछ भागों का दौरा कर वापस आया हूं। पटना नगर के दर्जनों मोहल्लों में पेय जल और बिजली का भारी अभाव है। देहातों में तो स्थिति और भी खराब है। लोगों में कुहराम मचा हुआ है। अगर सरकार ने पटना नगर निगम के जल परिषद् एवं बिहार सरकार को इसके लिये फौरन मदद नहीं की तो पटना नगर और देहातों में पानी का अकाल पैदा हो जायगा और लोग भीषण गर्मी में प्यास से मरने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आज अभी जिक्र हो रहा था कि संसद को विहंगम दृष्टि से सारे भारत की समस्याओं को उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। आप तो पटना का ही उठा रहे हैं।

हमें छोटे-छोटे मामले नहीं उठाने चाहिए। हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसका संबंध सम्पूर्ण भारत से है। हमारा दृष्टिकोण और बड़ा होना चाहिए।

श्रीसतीश अग्रवाल : शास्त्री जी बुजुर्ग हैं इनको तो देशव्यापी सवाल रखना चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं वही कह रहा हूं, आप सुनिए तो।

6. **पटना नगर की नारकीय स्थिति** : पटना नगर की आबादी आठ लाख से अधिक हो चुकी है। परन्तु वहां के नगर निगम की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वहां गन्दगी का साम्राज्य है, मच्छरों के मारे नाकों दम है, लोग सो नहीं पाते, सड़कों-गलियों की स्थिति दयनीय है। गन्दी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए बनी योजनाएं या तो कागज पर हैं या धनाभाव के कारण उनका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। इसके लिए पटना नगर निगम की वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए।

7. **ग्रामीण विकास योजनाएं** : सरकार ने ग्रामों एवं ग्रामीणों के विकास के लिए बीस सूत्री कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम, ट्राइसम योजना, प्रधान मंत्री द्वारा दोषित बेरोजगार को रोजगार खड़ा करने के लिए बैंकों से 25 हजार रुपये का ऋण देने की योजना तथा अन्य योजनाओं को जन्म दे रखा है। अगर इन योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से किया जाय तो ग्रामों एवं ग्रामीणों का लाभ पहुंचाया जा सकता है। परन्तु दुख है कि ये योजनायें आमतौर से कागज तक ही सीमित हैं और इन पर खर्च होने वाले अरबों रुपये का दुरुपयोग और घोटाला हो रहा है। इनकी ठीक प्रकार से क्रियान्विति पर विशेष ध्यान देने तथा सबों का सहयोग लेने की आवश्यकता है।

मुझे आशा है मंत्री महोदय "भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस रही पगुराई" वाली कहावत चरितार्थ नहीं कर कुछ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सबको तो बोनस दे देते हैं, प्रोडक्शन नहीं भी करा हो तो भी बोनस मिल जाता है लेकिन गांव वालों को भी कुछ नहीं मिलता है। यह सारी बातें आपने नहीं कहीं। देहात की बात कहते, न उनको बोनस देते हैं न और न कुछ देते हैं।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, श्री रामावतार शास्त्री ने अपने भाषण में स्वतन्त्रता सेनानियों की अपर्याप्त पेंशन से लेकर पटना में मच्छरों की अधिकता तक जैसे अनेक विषयों को उठाया है। गृह, स्वास्थ्य और ग्रामीण विभाग के मेरे प्रभारी मित्रों ने अपने भाषणों में इनका उत्तर दे दिया है। उन्होंने, निस्संदेह, अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए हैं।

मैं केवल एक अथवा दो मुद्दों का उल्लेख करूंगा, विशेष रूप से माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए नियोजन कार्यक्रम का मात्र सूचनार्थ उल्लेख करूंगा। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि यह योजना जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा चलायी जा रही है। प्रारम्भ में इस योजना को क्रियान्वित करने में व्यक्तियों का और उसके बाद परियोजनाओं का, जिनको बैंकों से सहायता दी जानी है, पता लगाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा। मैंने बैंकों के प्रमुख कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री भी वहां उपस्थित थे। इसके बाद, मुझे आशा है कि इन परियोजनाओं को संस्थागत धन सुचारू रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।

महंगाई भत्ते का जहां तक सम्बन्ध है, मैंने पहले भी कई अवसरों पर इसका उल्लेख किया है। मेरा इरादा महंगाई भत्ता न देने का नहीं है। परन्तु इसके साथ ही हमें मुद्रास्फीति का भी ध्यान रखना होगा। माननीय सदस्यों ने भी कई अवसरों पर यह कहा है कि हमें अवश्य ही मुद्रास्फीति की गति को नियन्त्रित करना चाहिए। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए, जैसाकि मूल्य स्थिति पर चर्चा के समय मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, प्रसन्नता होती है कि हम मुद्रास्फीति को एक ही अंक तक सीमित रखने का पूरा प्रयास करेंगे और हम मुद्रास्फीति की वार्षिक दर को एक ही अंक तक सीमित रखने में सफल हुए हैं। 31 मार्च, 1984 को मुद्रास्फीति की वार्षिक दर 8.8 प्रतिशत थी।

श्री सतीश अग्रवाल : 9.8 प्रतिशत तक एक ही अंक में रहेगी, इसकी आप चिन्ता मत कीजिए।

श्री प्रणब मुखर्जी : चलो मैं आपको एक प्रतिशत अंक की छूट दे देता हूं। 9 की बजाय यह 8.8 है। मैं थोक मूल्य की बात कर रहा हूं।

महंगाई भत्ते के बारे में मैंने बजट में कुछ व्यवस्था कर दी है.....

श्री रामावतार शास्त्री : व्यवस्था कर दी गई है तो आप दे दीजिए।

श्री प्रणव मुखर्जी :...और मेरे लिए अभी बताना सम्भव नहीं होगा। मैं माननीय मित्रों से केवल यही अनुरोध करूंगा कि वे कुछ और समय प्रतीक्षा करें। धन्यवाद, महोदय।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशन के बारे में आपको क्या कहना है ? आपने इस सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं कहा है।

श्री प्रणब मुखर्जी : इसका सम्बन्ध मुझसे नहीं उनसे है।

श्री रामावतार शास्त्री : परन्तु पैसा तो आप देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1984-85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : हम अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 और अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक के नाम को विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : महोदय, प्रधान मंत्री ने प्रशासन, वित्त मंत्रालय और एक आह्वान द्वारा सम्पूर्ण देश को यह परामर्श दिया है कि सरकारी प्रशासन और सरकारी व्यय में यथा सम्भव मितव्ययिता बरती जाए। मुझे इसके समर्थन में दो शब्द कहने हैं। यदि सरकार अपने योजना व्यय तथा अन्य किसी व्यय को कम न करके केवल अपने प्रशासनिक व्यय में कमी करे तो वह हजारों करोड़ रुपये की बचत कर सकती है।

अत: मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि प्रशासन को वित्त मंत्रालय से सहयोग करना चाहिए और वित्त मंत्रालय को भी प्रशासन पर निगरानी रखने के अपने प्राथमिक कर्तव्य को भली-भांति निबाहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मितव्ययिता बरती जाए और कम से कम 5-10 प्रतिशत की बचत हो क्योंकि पहले उनका लक्ष्य 15 प्रतिशत का था। इस प्रकार उन्हें एक तरफ यह सुनिश्चित करने के लिए विकास के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति नियन्त्रण में रहे, प्रधान मन्त्री के साथ सहयोग करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सभा अब कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है। धन्यवाद।

6.22 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 18 अप्रैल, 1984/29 चैत्र, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केन्द्र, मौजपुर, दिल्ली-110053.